(i) **भूमि से प्राप्त किराया**—भू-स्वामी द्वारा अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए दे दी हो तो उससे जो किराया (यदि वह वस्तु के रूप में है) प्राप्त होगा, वह कृषि-आय होगा।

(ii) **भूमि पर कृषि करने से आय**—भूमि पर कृषि करने में प्राप्त होने वाली आय भी कृषि-आय के अन्तर्गत सम्मिलित है।

(iii) **उपज विक्रय से प्राप्त आय**—कृषक या किराया प्राप्त करने वाले द्वारा अपनी उपज को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, वह भी कृषि-आय है।

(iv) **उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया करने से आय**—कभी-कभी कृषक अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ कृषि क्रियायें करता है जिनके करने से उपज का मूल्य बढ़ जाता है। अतः मूल्य में ऐसी वृद्धि भी कृषि-आय ही कहलायेगी। उदाहरणार्थ—रूई, तम्बाकू, चाय, कॉफी आदि ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ क्रियायें करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार गेहूँ, चना, मटर आदि को भी विक्रय योग्य बनाने के लिए उनका भूसा अलग करने की क्रिया करनी पड़ती है। ये सब क्रियायें उपज के [क्रिया पूर्व (Pre-operation)] मूल्य में वृद्धि करती हैं। यह वृद्धि भी कृषि-आय होगी।

(v) **फार्म भवन से आय**—कृषक के पास यदि कोई फार्म भवन है तो उससे प्राप्त आय भी कृषि-आय मानी जाती है।

Illustration

'अ' अपने स्वामित्व वाली कृषि भूमि को 'ब' को पट्टे पर दे देता है जिस पर 'ब' कृषि करता है। इस भूमि पर भारत में लगान लगता है। ठहराव की शर्तों के अन्तर्गत 'अ' उस भूमि से किराये के रूप में उसके उत्पादन का एक भाग प्राप्त करता है। गत वर्ष १९७६-७७ में 'अ' ने कुछ कृषि उत्पादन प्राप्त किया जिसको उसने बाजार में बेचकर उससे २५,००० रु० प्राप्त किये। बताइए कि २५,००० रु० 'अ' के लिए कृषि आय है अथवा कर योग्य आय ? यदि 'ब' 'अ' को २५,००० रु० का कृषि माल नहीं देता बल्कि २५,००० रु० नकद देता तो स्थिति क्या होती ?

Solution

प्रस्तुत उदाहरण में 'अ' द्वारा प्राप्त माल कृषि आय है। यह तथ्य कि उसने उस माल को (जो उसकी भूमि पर उत्पादित हुआ है और उसको भूमि के किराये के रूप में मिला है) नकद मूल्य पर बेच दिया, कृषि आय की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। वस्तु के रूप में प्राप्त किराये के माल को चाहे वह अपने प्रयोग में लाये या वह इसको बेच दे, इसका सम्पूर्ण मूल्य कृषि आय है। किन्तु यदि 'अ' ने जमीन के किराये के रूप में 'ब' से २५,००० रु० नकद प्राप्त कर लिए होते तो यह उसकी कृषि आय नहीं होती। क्योंकि केवल वस्तु के रूप में प्राप्त किराया ही कृषि आय होगी।

अकृषि-आय (Non-Agricultural-Income)—कुछ आयें ऐसी हैं जिनका यद्यपि भूमि से सम्बन्ध है किन्तु फिर भी वे कृषि-आय नहीं हैं क्योंकि उनमें कृषि-आय के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं। ऐसी अकृषि-आयें निम्न हैं—

(१) जंगली और अपने आप उगे पेड़-पौधों से आय ;
(२) मछली व्यवसाय से प्राप्त आय ;
(३) पत्थर की खानों से प्राप्त आय ;
(४) खानों की रॉयल्टी से प्राप्त आय ;
(५) ईंट बनाने योग्य जमीन के विक्रय से आय ;
(६) सिंचाई के लिए पानी देने से प्राप्त आय ;
(७) कृषि फार्म के प्रबन्धक का प्राप्त पारिश्रमिक ;
(८) हाट-बाजारों आदि के लिए प्रयुक्त भूमि से आय ;
(९) खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय ;
(१०) कृषि कार्यों में लगी कम्पनी से प्राप्त लाभांश आदि।

अंशतः कृषि-आय (Partly Agricultural-Income)

निम्न दशाओं में आय आंशिक रूप से कृषि-आय एवं आंशिक रूप से अकृषि-आय होती है—

(*i*) **चाय के विक्रय से प्राप्त आय**—भारत में उगाई गई एवं तैयार की गई चाय के विक्रय से प्राप्त आय आंशिक रूप से कृषि-आय होती है। आय-कर नियम १९६२ के नियम ८ के अनुसार ऐसी आय का ६०% भाग कृषि-आय एवं ४०% भाग अकृषि-आय अर्थात् करयोग्य आय माना जाता है।

(*ii*) **चीनी मिल को प्राप्त आय**—ऐसी चीनी मिल को प्राप्त आय जो भारत में अपने गन्ने के फार्म रखती है और गन्ना उगाकर अपनी फैक्टरी में प्रयोग करती है, अंशतः कृषि एवं अंशतः व्यापार व पेशे की आय कहलाती है। आय-कर नियम १९६२ के नियम ७ के अनुसार कृषि उपज के बाजार मूल्य के बराबर आय कृषि-आय व उससे अधिक आय अकृषि-आय कही जायेगी।

नोट—जमीन से प्राप्त आय उस प्रत्येक व्यक्ति को उपार्जित हुई कृषि-आय नहीं मानी जाती जिसके हाथों में जमीन की पैदावार पहुँचती है। केवल जमीन का मालिक, जमीन का किरायेदार, बन्धकी (जोकि जमीन पर कब्जा रखता है) अथवा जमीन में कोई हित रखने वाला व्यक्ति ही जमीन को कृषि कार्यों में प्रयुक्त करके कृषि-आय का अधिकारी बन सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, जिसने जमीन पर जोतकर व बोकर फसल उगाई है,

खड़ी फसल खरीद लेता है और उसे काटकर लाभ पर बेच देता है तो इस प्रकार प्राप्त हुआ लाभ कृषि-आय नहीं माना जायेगा ।

शुद्ध कृषि-आय (Net Agricultural-Income)—वित्त अधिनियम १६७६ की धारा २(६)(e) में शुद्ध कृषि-आय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है—

"व्यक्ति के सम्बन्ध में 'शुद्ध कृषि-आय' का तात्पर्य व्यक्ति की उस कुल कृषि-आय से है जो प्रथम श्रेणी (First Schedule) में दिये गये नियमों के अनुसार ज्ञात की गई है चाहे वह आय किसी भी स्रोत से प्राप्त हो । इस आय की गणना के नियम वित्त अधिनियम की प्रथम श्रेणी के भाग IV में दिये गये हैं ।

करदाता (Assessee)

करदाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या अन्य कोई राशि देय है । करदाता में **निम्न व्यक्ति सम्मिलित हैं**—

(१) वह व्यक्ति जो **अपनी आय पर कर** देने के लिए दायी है; अर्थात् वह व्यक्ति जिसकी आय पर आयकर की गणना के लिए कार्यवाही की गई है ; अथवा

(२) वह व्यक्ति जो **दूसरे व्यक्ति की आय पर** कर देने के लिए दायी है ; अथवा

(३) वह व्यक्ति जिस पर हानि की राशि ज्ञात करने के लिए या कर की वापसी (Refund of Taxes) के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई है ; अथवा

(४) वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत **करदाता मान लिया** गया है ; अथवा

(५) वह व्यक्ति जो किसी **चूक के कारण करदाता** (Assessee in Default) मान लिया जाता है ।

निम्नलिखित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देने के लिए दायी हैं—

(*i*) **कानूनी उत्तराधिकारी** ; उस व्यक्ति की न कर लगी आय पर कर देने को दायी है, जिसकी सम्पति उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की है ।

(*ii*) **स्रोत पर आय-कर काटने वाला व्यक्ति** ; काटे गये आय-कर की राशि सरकारी कोष में जमा करने के लिए करदाता माना जाता है ।

(*iii*) **प्रतिनिधि** ; यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी, अवयस्क या पागल के लिए प्रतिनिधित्व करता है तो वह उनकी आय पर कर देने के लिए दायी है ।

कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

कर-निर्धारण वर्ष का आशय १२ महीनों की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष

१ अप्रैल से प्रारम्भ होती है। इसको वित्तीय वर्ष (Financial Year) भी कहा जाता है।

आय-कर की औसत दर (Average Rate of Income-Tax)

औसत दर वह दर है, जोकि कुल आय पर निर्धारित आय-कर की राशि को ऐसी कुल आय से भाग देने पर आती है। अर्थात्

$$\text{औसत दर} = \frac{\text{कुल आय पर आय-कर}}{\text{कुल आय}}$$

आकस्मिक आय (Casual Income)

आकस्मिक आय वह आय है जो आकस्मिक प्रकृति की है अर्थात् जो बार-बार अर्जित नहीं होती है या अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जो आयें बार-बार अर्जित या प्राप्त होने की प्रकृति की होती हैं वे आकस्मिक नहीं मानी जाती हैं। आयकर अधिनियम की धारा १० (३) के अनुसार, कोई **भी ऐसी प्राप्ति जो आकस्मिक और बार-बार प्राप्त न होने की प्रकृति की है, लाटरी के इनाम को छोड़कर, उस सीमा तक जब तक कि ये प्राप्तियाँ एक हजार रु० से अधिक नहीं हैं** आयकर से मुक्त हैं। अर्थात आकस्मिक आयें केवल १००० रु० तक की आयकर से मुक्त हैं। इससे अधिक भाग करयोग्य आय में जोड़ दिया जायेगा। **निम्न प्रकार की आयें, यदि आकस्मिक प्रकृति की भी हों तो भी आकस्मिक आयें नहीं होंगी—**

(*i*) पूँजी लाभ ; अथवा

(*ii*) व्यापार व पेशे की प्राप्तियाँ ;अथवा

(*iii*) कर्मचारी के पारिश्रमिक में हुई वृद्धि के रूप में होने वाली प्राप्ति।

आय-कर के उद्देश्य से 'आय' शब्द में लॉटरी, उद्धरण पहेली, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल, किसी भी प्रकार के अन्य खेल या जुआ या शर्त लगाने से होने वाली प्राप्तियाँ भी सम्मिलित हैं अतः ये आयें आकस्मिक आय नहीं हैं। किन्तु रास्ते में मिला धन तथा व्यक्तिगत उपहार आदि आयें आकस्मिक आयें हैं।

प्रारम्भ में आकस्मिक आयें करयोग्य आय का अंग नहीं मानी जाती थीं किन्तु अब तो आकस्मिक आयें अधिकतम १००० रु० तक (लाटरी को छोड़ कर) ही कर-मुक्त है शेष कर योग्य है। अतः आकस्मिक आयें भी अब करयोग्य आयों की भाँति ही मानी जाती हैं।

Illustration

क्या निम्नलिखित आयें आकस्मिक आयें हैं ?

(अ) एक सामान्य व्यक्ति एक बड़ी जमीन क्रय करता है और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों मे विभक्त करके भवन बनाने के लिए लाभ पर बेच देता है।

(ब) 'अ' अपने नाना से ५,००० रु० उपहार में प्राप्त करता है।
(स) कम्पनी के अंशों को विक्रय करने के प्रतिफल में कम्पनी के सचिव को प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि।
(द) एक व्यापारी जो चमड़ा बेचने का कार्य करता है, एक नवाब के उत्तराधिकारियों के मध्य हुए झगड़े को तय करने के लिए पंच का कार्य करता है। उसको इस कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक तय नहीं किया जाता और न वह किसी भी पारिश्रमिक को पाने की आशा करता है। न्यायालय ने उसको ७,००० रु० दिलवाये।
(य) 'अ' एक बार कपड़े का व्यापारी था। यह व्यापार उसने छोड़ दिया था। उसने एक कपड़े के मिल के विक्रय की बातचीत की और उसके प्रतिफल में उसे कमीशन भी प्राप्त हुआ।

Solution

(अ) यह आकस्मिक आय नहीं है क्योंकि यह एक ऐसे साहस से प्राप्त आय है जो व्यापार की प्रकृति का है।
(ब) यह आकस्मिक आय है क्योंकि यह बार-बार प्राप्त न होने वाली प्रकृति की अचानक मिलने वाली व अदृश्य आय है।
(स) यह आकस्मिक आय नहीं है क्योंकि यह सेवायें प्रदान करने के प्रतिफल में प्राप्त हुई है।
(द) यह आकस्मिक आय है।
(य) यह आकस्मिक आय नहीं है क्योंकि यह आशानुकूल पारिश्रमिक है।

पुण्यार्थ उद्देश्य (Charitable Purpose)

इसमें गरीबी, शिक्षा तथा चिकित्सा से सुधार तथा अन्य किसी सामान्य जनहित के उद्देश्य सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें केवल व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्य अथवा लाभ के लिए कोई कार्य या व्यापार सम्मिलित नहीं है।

व्यक्ति (Person)

व्यक्ति शब्द में निम्न सम्मिलित हैं—

(*i*) एक व्यक्ति (Individual) अर्थात् एक मनुष्य ;
(*ii*) एक हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) ;
(*iii*) एक कम्पनी (Company) ;
(*iv*) एक फर्म (Firm) ;
(*v*) व्यक्तियों का संघ (Association of Persons) चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं ;
(*vi*) एक स्थानीय सत्ता (Local Authority) ;

(*vii*) एक काल्पनिक कानूनी व्यक्ति (Artificial Legal Person) जो उपर्युक्त में से किसी में न आये।

गत वर्ष (Previous Year)

करदाता अपनी गत वर्ष की आय पर कर देता है, अतः गत वर्ष की परिभाषा का आय-कर अधिनियम में बहुत महत्व है। आय-कर अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत **गत वर्ष का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है—**

(१) **कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष**—गत वर्ष का आशय ३१ मार्च को समाप्त होने वाले उन १२ महीनों से है जो कर-निर्धारण वर्ष से तुरन्त पहले के हैं। जैसे यदि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ है तो गत वर्ष ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाली १२ माह की अवधि होगी।

(२) **कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के बीच में खाते बन्द करना—** यदि करदाता ने कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी तिथि को खाते बन्द किये हैं तो खाते बन्द करने की तिथि तक समाप्त होने वाली १२ महीने की अवधि ही गत वर्ष मानी जायेगी। जैसे—**दिवाली वर्ष,** संवत् **वर्ष, दशहरा वर्ष** इत्यादि। किन्तु **प्रत्येक स्थिति में गत वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के साथ अथवा इसके बीच में अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए।** इसी को दूसरे शब्दों में भी स्पष्ट किया जा सकता है। **जिस वित्तीय वर्ष में व्यापार व पेशे के अन्तिम खाते तैयार किये जाते हैं उस वित्तीय वर्ष से अगला वित्तीय वर्ष कर-निर्धारण वर्ष तथा खाते बन्द करने की तिथि तक की अवधि गत वर्ष मानी जाती है।**

(३) **कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये गये व्यापार व पेशों के लिए**—यदि कोई व्यापार या पेशा कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाय तो **गत वर्ष का आशय :**

(अ) व्यापार प्रारम्भ करने के समय से लेकर **उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय तक की अवधि से है ;** अथवा

(ब) यदि करदाता ने उक्त वित्तीय वर्ष में अपनी इच्छानुसार किसी अन्य तिथि को खाते बन्द किये हैं तो **खाते बन्द करने की तिथि तक की अवधि से है ;** अथवा

(स) उस अवधि से है जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड या उसके किसी अधिकारी द्वारा अधिकृत हो।

इस प्रावधान का **संक्षेप में आशय** यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के

वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यापार या पेशा प्रारम्भ होता है तो उसका गत वर्ष **उस वित्तीय वर्ष में व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से व्यापार बन्द करने की तिथि तक की अवधि है, बशर्ते कि व्यापार बन्द करने की अवधि भी उसी वित्तीय वर्ष में आती है।**

(द) यदि करदाता ने अपने व्यापार के प्रथम अन्तिम खाते जो १२ माह से अधिक की अवधि के नहीं हैं, **कर-निर्धारण वर्ष में किसी तिथि को बन्द किये हैं** तो व्यापार प्रारम्भ करने से लेकर अन्तिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि गत वर्ष होगी अर्थात् ऐसी दशा में इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा।

उदाहरण

यदि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ है और कोई व्यापार व पेशा १९७६-७७ में किसी भी तिथि जैसे १ जून, १९७६ को प्रारम्भ किया गया है तो यदि उसके प्रथम अन्तिम खाते—

(*i*) १९७६-७७ वर्ष में ही किसी तिथि को (३१ दिसम्बर, १९७६) बनाये गये हैं तो उस तिथि तक की अवधि (१ जून, ७६ से ३१ दिसम्बर, ७६ तक) १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष मानी जायेगी।

(*ii*) ३१ मार्च, १९७७ को तैयार किये गये हैं तो १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए १ जून, १९७६ से ३१ मार्च, १९७७ तक की अवधि गत वर्ष होगी।

(*iii*) गत-निर्धारण वर्ष में ३१ मई, १९७७ को तैयार किये गये हैं तो कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और १ जून, १९७६ से ३१ मई, १९७७ तक की अवधि कर-निर्धारण वर्ष १९७८-७९ के लिए गत वर्ष होगी।

अपवाद—यदि कोई करदाता अपने अन्तिम खाते कर-निर्धारण वर्ष में **३० अप्रैल तक किसी भी तिथि को बन्द करता है** और खाते बन्द करने की तिथि १२ माह से अधिक की नहीं है तो आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह खाते प्रारम्भ करने से खाते बन्द करने की तिथि तक की अवधि को उसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष मान ले। ऐसी दशा में इसका कर-निर्धारण वर्ष खाते बन्द करने की तिथि के दूसरे दिन से ही प्रारम्भ हो जायेगा। उदाहरणार्थ—यदि कोई व्यापार २० अप्रैल, १९७६ को प्रारम्भ होता है और १९ अप्रैल, १९७७ को उसके अन्तिम खाते बनाये जाते हैं तो २० अप्रैल, १९७६ से १९ अप्रैल, १९७७ तक की १२ माह की अवधि गत वर्ष होनी चाहिए और १९७८-७९ इसका कर-निर्धारण वर्ष। किन्तु

आय-कर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह २० अप्रैल, १९७६ से १९ अप्रैल, १९७७ तक की अवधि को गत वर्ष मानकर २० अप्रैल, १९७७ से ही कर-निर्धारण वर्ष मान ले। ऐसी दशा में उक्त अवधि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए ही गत वर्ष मान ली जायेगी।

(४) **कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष से पहले १२ महीनों में स्थापित नये व्यापार व पेशों के लिए**—यदि किसी व्यापारी ने अपना व्यापार व पेशा कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष से पहले १२ महीनों में प्रारम्भ किया है और अपने अन्तिम खाते कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में किसी तिथि को तैयार किये हैं तो यदि व्यापार प्रारम्भ करने से अन्तिम खाते बनाने की तिथि तक की अवधि १२ माह से अधिक नहीं है तो यह अवधि गत वर्ष मान ली जायेगी।

उदाहरण

यदि एक करदाता १ अगस्त, १९७५ को नया व्यापार प्रारम्भ करता है और अपने खाते दिवाली वर्ष के हिसाब से बन्द करता है तो उसके प्रथम खाते नवम्बर १९७५ में बन्द होंगे तो उसका प्रथम गत वर्ष १ अगस्त, १९७५ से नवम्बर १९७५ तक होगा। यदि वह कलैण्डर वर्ष के हिसाब से खाते बन्द करता है तो उसका प्रथम गत वर्ष १-८-१९७५ से ३१-१२-१९७५ तक की अवधि होगी। दोनों ही दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ होगा। यदि वह अपने खाते प्रत्येक वर्ष ३० जून को तैयार करना चाहता है तो उसका प्रथम गत वर्ष ११ माह की अवधि का होगा जो १-८-१९७५ से ३० जून, १९७६ तक की अवधि होगी। इस दशा में १९७६-७७ कर-निर्धारण वर्ष के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और इस व्यापार का प्रथम कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ होगा।

(५) **विभिन्न स्रोतों की आय के लिए विभिन्न गत वर्ष**—यदि किसी करदाता को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है तो वह उन विभिन्न स्रोतों की आय के लिए विभिन्न गत वर्ष रख सकता है। परन्तु **इस नियम की दो सीमायें हैं :**

(अ) यदि करदाता किसी **फर्म में साझेदार** है तथा फर्म का कर-निर्धारण होता है तो उस साझेदार का फर्म से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए वही गत वर्ष होगा जो फर्म का है।

(ब) एक बार चुना गया व्यापारिक वर्ष आय-कर अधिकारी की अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकता।

(६) **अवर्णित नकद राशि के लिए गत वर्ष** (Previous Year for Unexplained Cash Credit) —यदि करदाता के खातों में कोई ऐसी जमाराशि प्राप्त होती है जिसके बारे में वह आय-कर अधिकारी को

पूर्ण सूचना नहीं दे पाता तो उस नकद राशि के लिए वही गत वर्ष होगा जिसके लिए वे खाते बनाये गये हैं जिनमें यह नकद राशि प्रदर्शित है।

(७) **अ-घोषित आय व सम्पत्ति के लिए गत वर्ष** (Previous Year for Undisclosed Income or Property)—निम्न दशाओं में अ-घोषित आय व सम्पत्ति के लिए वह वर्ष गत वर्ष होगा जिसमें कि वह आय **उदय हुई हो या सम्पत्ति पता लगी हो**—

(अ) यदि कुछ ऐसे विनियोग पाये जाते हैं जिनके बारे में पुस्तकों में लेखा नहीं है।

(ब) यदि ऐसी मुद्रा, धातु, जेवर या अन्य बहुमूल्य वस्तुयें पाई जाती हैं जिनके बारे में पुस्तकों में कोई लेखा नहीं है।

(स) यदि कोई ऐसी मुद्रा, धातु, जेवर या अन्य बेशकीमती वस्तुयें पाई जाती हैं जिनके बारे में पुस्तकों में सही लेखा नहीं है अर्थात् इनका मूल्य ज्यादा है जबकि इनका लेखा कम मूल्य पर किया गया है।

(८) **वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए गत वर्ष** (Previous Year for Salaried Persons)—वेतन पाने वाले करदाताओं के लिए गत वर्ष कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष माना जाता है। जैसे—यदि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ है तो गत वर्ष १ अप्रैल, १९७६ से ३१ मार्च, १९७७ तक की अवधि होगी।

गत वर्ष निर्धारण करने के लिए कुछ उदाहरण—निम्न कुछ उदाहरण दिये गये हैं जिनकी मदद से गत वर्ष के निर्धारण को आसानी से समझाया जा सकता है।

Illustration

श्री रामगोपाल जी के कई व्यापार हैं जो उन्होंने निम्न विभिन्न तिथियों को प्रारम्भ किये। बताइये कि प्रत्येक व्यापार का प्रथम गत वर्ष व कर-निर्धारण वर्ष क्या होगा ?

(अ) दवाइयों का व्यापार जो उसने १ अप्रैल, १९७५ को प्रारम्भ किया तथा ३१ मार्च, १९७६ को अन्तिम खाते बनाये।

(ब) एक पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय जो १ जनवरी, १९७५ को प्रारम्भ किया तथा अन्तिम खाते ३० जून, १९७५ को तैयार किये।

(स) कपड़े का व्यापार जो १ नवम्बर, १९७५ को प्रारम्भ हुआ और अन्तिम खाते ३१ अक्टूबर, १९७६ को बनाये।

(द) किराना व्यवसाय जो १ जुलाई, १९७६ को प्रारम्भ किया और अन्तिम खाते ३१ दिसम्बर, १९७६ को तैयार किये गये।

Solution

गत वर्ष	कर-निर्धारण वर्ष
(अ) १९७५-७६	१९७६-७७
(ब) १-१-१९७५ से ३०-६-१९७६ तक	१९७६-७७

कर-निर्धारण वर्ष खाते बन्द करने की तिथि (३०-६-१९७५) के बाद आने वाली १ अप्रैल को प्रारम्भ होना है। अत: यहाँ पर १९७६-७७ कर-निर्धारण वर्ष होगा।

(स) १ नवम्बर, १९७५ से ३१ अक्टूबर, १९७६ तक	१९७७-७८
(द) १ जुलाई, १९७६ से ३१ दिसम्बर, १९७६ तक	१९७७-७८

Illustration

निम्न गत वर्षों के कर-निर्धारण वर्ष ज्ञात करो—

(*i*) १-१-१९७६ से ३०-६-१९७६ तक ;
(*ii*) ३१-३-१९७६ से ३१-१२-१९७६ तक ;
(*iii*) ३०-६-१९७६ से ३१-३-१९७७ तक ;
(*iv*) अक्टूबर १९७५ से अक्टूबर १९७६ तक ;
(*v*) १-९-१९७५ से ३०-८-१९७६ तक ;
(*vi*) २०-४-१९७६ से १९-४-१९७७ तक।

Solution

(*i*) १९७७-७८ ;
(*ii*) १९७७-७८ ;
(*iii*) १९७७-७८ ;
(*iv*) १९७७-७८ ;
(*v*) १९७७-७८ ;
(*vi*) सामान्यतया १९७८-७९ किन्तु यदि आय-कर कमिश्नर चाहे तो वह १९७७-७८ को ही २०-४-१९७६ से १९-४-१९७७ तक के गत वर्ष का कर-निर्धारण वर्ष मान सकता है।

सामान्य नियम—गत वर्ष के सम्बन्ध में यह एक सामान्य नियम है कि **'गत वर्ष की आय पर ही कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर लगाया जाता है।'** संक्षेप में आय-कर अधिकारी किसी भी आय पर आय के उपार्जित या प्राप्त होते ही आय-कर की माँग नहीं कर सकता। क्योंकि आय-कर की माँग कर-निर्धारण वर्ष में ही की जा सकती है। किन्तु निम्न दशाओं में आय-कर अधिकारी ऐसा कर सकता है अर्थात् निम्न दशायें **उक्त नियम की अपवाद** हैं और इनके अन्तर्गत आय-कर अधिकारी आय उपार्जित या प्राप्त किये जाने वाले वर्ष में ही आय-कर की माँग कर सकता है—

(१) **विदेशियों** (Non-Residents) **की जहाजी व्यापार से आय**—आय-कर अधिनियम की धारा १७२ के अनुसार यदि कोई विदेशी किसी जहाज द्वारा भारतीय बन्दरगाह से सवारी, पशु, डाक या अन्य सामान ले जाता है तो उसको ऐसे व्यापार से होने वाली आय पर आय कमाने वाले वर्ष में ही आय-कर देना होगा, बशर्ते कि उस विदेशी का कोई एजेण्ट भारत में न हो जिससे कि आय-कर वसूल किया जा सके। इस सम्बन्ध में भारत में प्राप्त या प्राप्य किराये का ७½% उस विदेशी की आय मानी जाती है।

(२) **भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की आय**—अधिनियम की धारा १७४ के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान कर निर्धारण वर्ष में भारत छोड़ सकता है या इसके बाद शीघ्र ही भारत छोड़ना चाहता है तथा उसका कोई इरादा भारत में वापस आने का नहीं है तो आय-कर अधिकारी उसकी गत वर्ष की समाप्ति के बाद से लेकर भारत छोड़कर जाने वाली अनुमानित तिथि तक की कुल आय पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर लगा देगा।

(३) **कर बचाने के ध्येय से सम्पत्ति हस्तांतरण**—अधिनियम की धारा १७५ के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति कर बचाने के दृष्टिकोण से अपनी सम्पत्ति को चालू कर-निर्धारण वर्ष में बेचना या हस्तांतरित करना चाहता है तो वह गत वर्ष की समाप्ति से लेकर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि तक की कुल आय पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर लगा देगा।

(४) **बन्द किये गये व्यापार व पेशों की आय**—अधिनियम की धारा १७६ के अनुसार यदि कोई व्यापार या पेशा चालू कर-निर्धारण वर्ष में बन्द कर दिया जाता है तो गत-वर्ष की समाप्ति के बाद व्यापार बन्द करने की तिथि तक की कुल आय पर उसी कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण कर दिया जायेगा। यह कर-निर्धारण सामान्यतया किये जाने वाले गत वर्ष की आय के कर-निर्धारण से सर्वथा भिन्न होगा। उदाहरणार्थ—यदि कोई ऐसा व्यापार व पेशा जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, यदि अपना कार्य ३१ अगस्त १९७५ को समाप्त कर देता है तो आय-कर अधिकारी १-४-१९७५ से ३१-८-१९७५ तक के लाभों पर उसी कर-निर्धारण वर्ष (१९७५-७६) में ही कर लगा देगा।

गत वर्ष में परिवर्तन—यदि एक करदाता अपने किसी आय के स्रोत के सम्बन्ध में अपना गत वर्ष निश्चित कर चुका है तो वह आय-कर अधिकारी की अनुमति के बिना इसे बदल नहीं सकता। गत वर्ष में परिवर्तन केवल आय-कर अधिकारी की अनुमति से उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है।

किन्तु गत वर्ष में परिवर्तन की अनुमति देते समय आय-कर अधिकारी यह

शर्त लगा सकता है कि पूर्व कर-निर्धारण वर्ष के गत वर्ष से लेकर परिवर्तित तिथि तक का सम्पूर्ण समय चालू कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जायेगा।

उदाहरणार्थ—एक करदाता, आय-कर अधिकारी की सहमति से अपने खाते ३१ दिसम्बर, १९७५ को बन्द करने की अपेक्षा ३० जून, १९७६ को बन्द करता है। यहाँ पर करदाता का प्रथम गत वर्ष (परिवर्तन के बाद) १८ माह का होगा जो ३० जून, १९७६ को समाप्त होगा। अतः कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ के लिए कोई गत वर्ष नहीं होगा और १८ माह की सम्पूर्ण आय कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ में करयोग्य होगी।

प्रश्न

१. एक करदाता के एक ही कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित एक से अधिक गत वर्ष किस प्रकार हो सकते हैं ? उदाहरण सहित समझाइये।
How can an assessee have more than one previous year in respect of the same assessment year ? Give examples.

२. इस सामान्य नियम कि गत वर्ष की आय पर अगले कर-निर्धारण वर्ष में आय-कर लगाया जाता है, के अपवाद क्या हैं ? समझाइये।
What are the exceptions to the rule that the income of a previous year is assessed to tax in the next-assessment year ? Ilucidate.

३. आय-कर की दृष्टि से 'गत वर्ष' क्या है ? कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ से सम्बन्धित पाँच विभिन्न गत वर्षों के उदाहरण दीजिए।
What is 'previous year' for Income-Tax Purposes ? Give five examples of different previous years relevant to the assessment year 1976-77.

४. निम्नलिखित पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए :
(अ) कृषि-आय (ब) गत वर्ष (स) करदाता।
Write short-notes on the followings citing examples :
(*a*) Agricultural-Income (*b*) Previous-Year (*c*) Assessee.

५. कृषि-आय किसे कहते हैं ? यह कितने प्रकार की होती है ? क्या कृषि-आय आय-कर से पूर्णतया मुक्त है ? समझाइये।
What is Agricultural-Income ? What are its kinds ? Is Agricultural-Income totally exempted from Income-Tax ?

२

पूँजी और आय

(Capital and Revenue)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर आय पर लगाया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आयगत एवं पूँजीगत लाभ दोनों ही करयोग्य होते हैं। इन दोनों पर आय-कर लगाने की विधि भिन्न-भिन्न है। अत: आय-कर की दृष्टि से पूँजी और आय में अन्तर जान लेना बहुत आवश्यक है। दोनों का अन्तर जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ निश्चित करने के लिए व्यापारिक लाभ में से केवल आयगत व्यय (पूँजीगत व्यय नहीं) ही घटाये जा सकते हैं।

कुछ मामलों में पूँजी और आय के भेद को जान लेना सरल है परन्तु बहुत से मामलों में यह भेद करना अत्यन्त कठिन होता है। ऐसी कोई सन्तोषजनक कसौटी स्थिर करना कठिन है जिसके द्वारा निश्चित रूप से यह निर्णय किया जा सके कि अमुक व्यय पूँजीगत व्यय है और अमुक व्यय आयगत व्यय है। न्यायालयों के निर्णय तो इस दिशा में केवल उदाहरण का ही काम दे सकते हैं, पूर्ण मार्गदर्शक का नहीं।

पूँजी और आय के अन्तर को ज्ञात करने के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना होगा उन्हें समझने के लिए हम अपना अध्ययन निम्न तीन बातों पर केन्द्रित करेंगे—

(१) प्राप्तियाँ (Receipts) ;
(२) व्यय (Expenditures) ;
(३) हानियाँ (Losses)।

अब हम इनमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे।

प्राप्तियाँ
(Receipts)

पूँजीगत प्राप्तियों और आयगत प्राप्तियों में भेद करना अत्यन्त कठिन कार्य है अतः इसके लिए पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। इस भेद को जानने के लिए **निम्नलिखित कसौटियों को व्यवहार में लाया जा सकता है**—

(१) **स्थायी पूँजी** (Fixed Capital) के कारण होने वाली प्राप्ति पूँजीगत प्राप्ति होती है जबकि **चल पूँजी** (Circulating Capital) के कारण होने वाली प्राप्ति आयगत प्राप्ति अथवा आय होती है। प्लाण्ट, मशीन, व्यापारिक भवन इत्यादि, जोकि एक व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने पास स्थायी रूप से रखता है, स्थायी पूँजी कहलाती है। परन्तु स्टॉक इत्यादि वह सम्पत्ति है जिसको बेचकर व्यापारी लाभ कमाता है, अतः यह चल पूँजी कहलाती है। चल पूँजी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, का स्वामित्व बदलता रहता है तथा इस बदलने की क्रिया के द्वारा या तो लाभ होता है अथवा हानि। वास्तव में चल पूँजी का उद्देश्य व्यापार में स्थायी विनियोग करना नहीं है, जबकि स्थायी पूँजी को व्यापारी बेचने अथवा बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खरीदता। स्थायी पूँजी के लिए 'पूँजीगत सम्पत्ति' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किस व्यापार के लिए कौन-सी सम्पत्ति पूँजीगत सम्पत्ति है तथा कौन-सी चल पूँजी है यह सब उस व्यापार की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई एक सम्पत्ति एक व्यापार के लिए स्थायी पूँजी हो सकती है जबकि वह सम्पत्ति दूसरे व्यापार के लिए चल पूँजी है।

(२) जब कोई प्राप्ति किसी **आय के साधन की प्रतिस्थापना** (Substitution) के रूप में प्राप्त हुई है तो वह पूँजीगत प्राप्ति होगी, किन्तु यदि वह **आय के ही बदले में प्राप्त हुई हो तो** उसे आयगत प्राप्ति माना जायगा।

निम्न कुछ उदाहरण इसकी पुष्टि करेंगे—

(अ) एक नौकर को अपने मालिक से नौकरी खत्म कर देने के हर्जाने में जो राशि प्राप्त होती है, वह पूँजीगत प्राप्ति होगी, क्योंकि वह आय के साधन की पुनर्स्थापना के रूप में है। किन्तु कर्मचारी को अपनी पूर्व सेवाओं के फलस्वरूप मिला पुरस्कार अर्थात् ग्रेच्युटी (Gratuity) अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त आय है।

(ब) एक कम्पनी ने आग से अपने कारखाने और मशीनरी की हानि तथा उसके फलस्वरूप बन्द हो जाने से होने वाले लाभ की हानि से सरक्षण के लिए बीमा कराया। कारखाने और मशीनरी की हानि के लिए क्षतिस्वरूप मिलने वाली बीमे की रकम पूँजीगति प्राप्ति है, किन्तु लाभ की हानि के लिए मिलने वाली राशि आयगत प्राप्ति है, क्योंकि पहली प्राप्ति तो एक पूँजी सम्पत्ति की पुनर्स्थापना के रूप में है और दूसरी प्राप्ति आय के बदले में है।

(स) किरायेदारों से मकान मालिक को मिलने वाली 'पगड़ी' या प्रीमियम आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह किराये का अग्रिम भुगतान है।

(द) एक व्यक्ति कई वर्षों से किसी कम्पनी के माल का वितरक था। कम्पनी ने यह ऐजेन्सी समाप्त कर दी और एजेण्ट को क्षति-पूर्ति के रूप में एक राशि दे दी। एजेण्ट को मिलने वाली यह राशि पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि वह उसे आय के साधन (ऐजेन्सी) की क्षति-पूर्ति में मिली है।

(य) यदि कोई रेलवे यात्री रेल-दुर्घटना में मर जाता है अथवा हमेशा के लिए अपंग हो जाता है, तो क्षति-पूर्ति के रूप में रेलवे कम्पनी से मिलने वाली राशि पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि वह आय के साधन (मनुष्य जीवन) की क्षति-पूर्ति में प्राप्त हुई है। दूसरी ओर, यदि वह कुछ समय के लिए ही हाथ-पैर से बेकार हो जाता है और उस अवधि में आय का नुकसान उठाना पड़ता है तो ऐसी हालत में मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि आयगत प्राप्ति होगी, क्योंकि वह राशि केवल आय की प्रतिस्थापना के रूप में है।

(३) किसी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सौदे में प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति है अथवा आयगत, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस क्रय-विक्रय में सम्पत्ति के स्वामी का क्या उद्देश्य रहा है। यदि **सम्पत्ति विनियोग के रूप में है, तो बेचने से होने वाली प्राप्ति पूँजीगत प्राप्ति कहलायेगी।** दूसरी ओर, यदि यह **सम्पत्ति लाभ पर बेचने के लिए रखी हुई है तो विक्रय राशि आयगत प्राप्ति मानी जायगी, क्योंकि वह सौदा व्यापार के रूप में हुआ है।** उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति काफी मात्रा में सोना खरीदता है और इसके लिए वह मियाद (Maturity) से पूर्व ही अपने स्थायी जमा खाते (Fixed Deposit) में से रुपया निकाल कर तथा ऋण लेकर राशि जुटाता है। सोना खरीद लेने के बाद वह उसे बेच देता है। सोना बेचने से हुई आय आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह व्यवहार एक व्यापारिक प्रयास माना जायगा।

(४) यदि किसी प्रसंविदे के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने किन्हीं **अधिकारों का हस्तान्तरण कर देता है तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति मानी जायगी** क्योंकि यहाँ पर पूँजी सम्पत्ति (अधिकारों) को छोड़ दिया गया है, परन्तु यदि किसी व्यक्ति **को भावी लाभ की समाप्ति पर कोई क्षति-पूर्ति राशि की प्राप्ति हुई है तो यह राशि आयगत प्राप्ति ही मानी जायगी।**

किसी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन आयगत प्राप्ति है, क्योंकि वह उसकी पूर्व सेवाओं के पुरस्कार के रूप में है। किन्तु **पेंशन के बदले में मिलने वाली एकमुश्त रकम पूँजी-प्राप्ति है,** क्योंकि यह एक पूँजी सम्पत्ति (पेंशन पाने के अधिकार) के बदले में है।

एक कम्पनी ने, जिसके पास खड़िया की खानें थीं, किसी खरीददार को दस वर्षों तक खड़िया की एक निश्चित मात्रा देने का सौदा किया। कुछ समय पश्चात्

खरीददार ने आगे माल नहीं लेना चाहा। खड़िया की कम्पनी ने उस सौदे के दायित्व से बरी करते हुए एकमुश्त राशि लेना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्राप्त हुई राशि आयगत प्राप्ति होगी, क्योंकि यह प्राप्ति उस होने वाली आय के बदले में है, जो सौदा समाप्त न होने की हालत में उसे प्राप्त होती रहती।

व्यय

(Expenditure)

पूँजीगत व्यय आयगत व्यय से बिलकुल भिन्न होते हैं। परन्तु यह भेद, कि कोई व्यय विशेष पूँजीगत व्यय है अथवा आयगत, निश्चित करना कोई सरल कार्य नहीं है। **वे सभी व्यय जो व्यापार की पूँजी सम्पत्ति के लिए किये जाते हैं, पूँजीगत व्यय कहलाते हैं।** किसी व्यापार की करयोग्य लाभ की राशि ज्ञात करने के लिए ऐसे व्यय की राशि को घटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता ; परन्तु समस्त आयगत व्यय ऐसे लाभ की गणना करने से पूर्व घटा दिये जाते हैं। बहुत-सी दशाओं में तो दोनों का अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं जाना जा सकता, परन्तु फिर भी दोनों के अन्तर को जानने के लिए व्यापार की प्रकृति, व्यय का उद्देश्य, सौदे का सही स्वरूप आदि बातों को जानना अति आवश्यक है। **पूंजीगत एवं आयगत व्यय के अन्तर को जानने के लिए निम्न सिद्धान्तों का प्रयोग किया जा सकता है—**

(१) जब कोई व्यय व्यापार के लिए किसी **स्थायी सम्पत्ति अथवा कोई स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है** तो वह पूँजी व्यय होगा, जैसे स्थायी सम्पत्ति को क्रय करने का व्यय अथवा किसी लाइसेंस या एजेन्सी प्राप्त करने में हुआ व्यय। किसी **व्यापारिक चिह्न** (Trade Mark) **को रजिस्ट्रेशन कराने का व्यय आयगत व्यय है।** व्यापारिक चिह्न की रजिस्ट्री की अवधि ७ वर्ष तक रहती है, उसके बाद यह पुनः बढ़वाई जा सकती है। इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं है, जिसका होना पूँजी-व्यय कहलाने के लिए जरूरी समझा जाता है।

(२) किसी करदाता द्वारा स्वयं को किसी **पूँजी-दायित्व** (Capital Liability) **से मुक्त करने के लिए किया हुआ भुगतान पूँजीगत-व्यय होता है,** जबकि करदाता द्वारा स्वयं को किसी **वार्षिक आयगत भुगतान** (Annual Revenue Payment) **के दायित्व से मुक्त करने की दृष्टि से किया गया भुगतान आयगत व्यय** कहलायेगा।

उदाहरणार्थ—एक कम्पनी ने एक नये जहाज के निर्माण और क्रय के लिए ठेका दिया। व्यापार में उस समय भारी मन्दी आ जाने और यह दिखाई देने के कारण कि जहाज चलाने से लाभ नहीं हो सकेगा, उस कम्पनी ने निर्माताओं को कुछ रकम देते हुए इस ठेके को रद्द करा लिया। इस रूप में जो रुपया दिया गया, वह पूँजीगत व्यय है, क्योंकि यह राशि कम्पनी द्वारा पूँजी दायित्व (अर्थात् जहाज के लिए भुगतान करने) से मुक्त होने के लिए दी हुई है।

दाता द्वारा किसी अलाभप्रद एजेन्सी के अनुबन्ध से मुक्ति पाने के लिए दी हुई राशि अथवा वार्षिक पेंशन के दायित्व के निपटारे में किसी कर्मचारी को दी गई राशि आयगत व्यय है।

(३) **यदि पूँजीगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में** (रख-रखाव एवं मरम्मत के खर्चों को छोड़कर) **कोई व्यय किया जाता है तो ऐसा भुगतान पूँजीगत कहलाता है।** इसके विपरीत यदि व्यय **चल पूँजी अथवा स्टॉक आदि के सम्बन्ध** में किया गया है तो वह आयगत व्यय कहलायेगा। पूँजीगत सम्पत्ति के रख-रखाव एवं मरम्मत व्यय आयगत व्यय कहलायेंगे।

यदि पूँजीगत सम्पत्ति को प्राप्त करने अथवा उसमें सुधार एवं उसकी कार्य-क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई राशि व्यय की जाती है तो ऐसे व्यय की राशि पूँजीगत व्यय की श्रेणी में आयेगी, परन्तु यदि सम्पत्ति में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो व्यय की राशि आयगत होगी। उदाहरणार्थ—एक कम्पनी ने पुरानी और जर्जर अवस्था में मशीनरी खरीदी और उसे अपने काम में लेने से पूर्व उसकी मरम्मत करा ली। मशीनरी की मरम्मत और ठीक-ठाक कराने में हुआ व्यय पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इसके द्वारा स्थायी सम्पत्ति में सुधार हुआ है।

व्यापारीगण अपनी सम्पत्ति को बनाये रखने तथा उस पर अपने वर्तमान अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रायः मुकदमे लड़ते रहते हैं। इन मुकदमों में हुए व्यय से किसी स्थायी सम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि वे सम्पत्ति की रक्षा करने तथा उसे बनाये रखने के सामान्य खर्चे हैं, अतः ये व्यय आयगत व्यय है।

हानियाँ
(Losses)

पूँजीगत हानि एवं आयगत हानि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। अतः दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट करना सरल कार्य नहीं है। किसी आयगत प्राप्ति मे होने वाली हानि तथा किसी चल सम्पत्ति (स्टॉक आदि) को बेचने से हुई हानि आयगत हानि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही **वह हानि भी जो व्यापार करते हुए व्यापार के परिणामस्वरूप हुई है, आयगत हानि ही होगी।** अन्य हानि जोकि आयगत हानि नहीं है, पूँजीगत हानि होगी। संक्षिप्त में आयगत हानि के अन्तर्गत निम्न हानियाँ आती हैं—

(*i*) किसी आयगत प्राप्ति की हानि ; या

(*ii*) व्यापारिक स्टॉक की हानि ; या

(*iii*) वह हानि जो व्यापार करते हुए और व्यापार के परिणामस्वरूप हो। वह न केवल व्यापार से सम्बन्धित हो, अपितु वह वास्तव में व्यापार के फलस्वरूप भी हो।

जो हानि आयगत हानि नहीं है, वह पूँजीगत हानि होगी। **नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं**—

(क) अग्नि, दीमक या चोरी से हुई **व्यापारिक स्टॉक की हानि** आयगत हानि है, जैसे; डाकुओं द्वारा ले जाया गया एक साहूकार का रुपया-पैसा (जो उसका व्यापारिक स्टॉक है)।

(ख) किसी **कर्मचारी के छल से व्यापार को** हुई हानि एक व्यापारिक हानि है।

(ग) ३ बजे दोपहर में कुछ डाकू किसी कपड़े के व्यापारी की दुकान में घुस आते हैं और सारी **नकदी लूटकर** भाग जाते हैं। इस प्रकार की हानि पूँजीगत हानि है, क्योंकि एक कपड़े के व्यापारी के लिए नकदी उसकी पूँजी के रूप में है, व्यापारिक स्टॉक के रूप में नहीं।

(घ) **कर्मचारी द्वारा दूकान के कार्यकाल में की गई चोरी,** आयगत हानि होगी क्योंकि यह व्यापार से सम्बन्धित है, किन्तु दूकान के समय के बाद यदि कोई कर्मचारी दूकान में घुस कर चोरी करता है, तो उसका यह कार्य चोर, डाकुओं द्वारा की गई चोरी के समान है और इसलिए ऐसी हानि पूँजीगत हानि है।

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा एक **कम्पनी की एजेन्सी प्राप्त करने के लिए जमा की गई राशि पूँजीगत व्यय है।** यदि वह जमा की हुई राशि कम्पनी के दिवालिया हो जाने से मारी जावे तो इस प्रकार की हानि पूँजीगत हानि होगी।

प्रश्न

१. आयगत एवं पूँजीगत व्ययों का क्या आशय है? कुछ उदाहरण देकर इनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए।

   What do you understand by revenue and capital expenditure? Distinguish between the two citing some examples.

२. कोई विशेष प्राप्ति 'पूँजीगत' है या 'आयगत' यह ज्ञात करने के लिए आप क्या कसौटी अपनायेंगे?

   What tests would you apply in order to ascertain whether a particular receipt is a capital or a revenue receipt?

३. उदाहरण सहित समझाइए कि एक पूँजीगत हानि आयगत हानि से किस प्रकार भिन्न है?

   Explain with examples how a capital loss differs from a revenue loss?

४. कपड़े का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली एक मिल ने कुछ टैक्सटाइल मशीनरी क्रय करने का एक प्रसंविदा किया ताकि वह अपनी फैक्टरी का विस्तार कर सके। बाद में वह प्रसंविदा रद्द कर दिया गया क्योंकि कम्पनी ने यह अनुभव किया कि अब मशीनरी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रसंविदा

पर कम्पनी ने दूसरे पक्ष को ५०,००० रु० हर्जाने के दिये। क्या यह राशि कम्पनी के करयोग्य लाभ निकालते समय कटौती के रूप में स्वीकृति होगी ? विवेचना कीजिए।

A company carrying on the business of manufacturing and selling cloth and other textile goods entered into a contract with a party for purchase of textile machinery in order to expand its factory. Subsequently the contract was cancelled as the company felt that the machinery would not be required for its business. For such breach of contract the company had to pay damages of Rs. 50,000 to the other party. Discuss the admissibility of this sum as a deduction in computing the company's business profits.

Hint—वह व्यय जो करदाता को उसके पूँजीगत व्यय सम्बन्धी दायित्व से मुक्ति प्रदान करता है, पूँजीगत व्यय होता है। अत: यह भी पूँजीगत व्यय है।

५. कारण सहित बताइए कि **निम्न प्राप्तियाँ करयोग्य हैं अथवा नहीं**—

(अ) एक संचालक को अवकाश ग्रहण करते समय अपनी कम्पनी से, जिसमें वह संचालक है, एकमुश्त राशि इस शर्त पर प्राप्त होती है कि वह अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त कोई भी ऐसा व्यापार नहीं करेगा जिसमें कम्पनी लगी हुई है।

(ब) 'अ' एक सिनेमा हाल में, जो उसने २० वर्ष के पट्टे पर ले रखा है, अपनी 'पिक्चर' प्रदर्शित करता है। सरकार ने अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसके भवन को अपने अधिकार में ले लिया और 'अ' को हर्जाना दे दिया। जिस समय सरकार ने सिनेमा हाल की इमारत का अधिग्रहण किया, 'अ' के पट्टे के १२ वर्ष शेष थे।

(स) कम्पनी ने एक ठेकेदारी फर्म से दो भवन बनाने का प्रसंविदा किया। बाद में एक भवन का विचार त्याग दिया गया। अत: एक भवन का प्रसंविदा रद्द कर दिया गया तथा कम्पनी ने ठेकेदार को १२,००० रु० की एकमुश्त राशि हर्जाने के रूप में दी।

State with reasons if the receipt in the following cases is liable to tax or not—

(a) A lump sum payment received by a director from the company, of which he is a director, on his retirement in consideration of his agreeing not to do any business in the same line in which the company is engaged.

(*b*) A carries on exhibition of pictures in a theatre taken on lease for a period of 20 years. Government, in exercise of its statutory powers, acquired the premises while the lease had to run for another 12 years by paying compensation to A.

(*c*) A company entered into a contract with a firm of contractors for construction of two buildings, one of which was later abandoned and accordingly it cancelled the contract in respect of one building on payment of a lump sum of Rs. 12,000 to the contractor.

३

निवास स्थान एवं कर दायित्व

(Residence and Tax Liability)

'आय-कर' जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, आय पर ही लगना चाहिए, पूँजीगत प्राप्ति पर नहीं। किन्तु **भारत में आय-कर न केवल आय पर बल्कि कुछ दशाओं में पूँजीगत प्राप्तियों पर भी लगाया जाता है।** यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि **'आय'** एक व्यापक शब्द है और आय-कर अधिनियम में इस शब्द की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ, यह अवश्य दिया गया है कि आय में क्या-क्या सम्मिलित हैं।

अधिनियम की धारा २ (२४) **के अनुसार 'आय' में निम्न सम्मिलित हैं→**

(*i*) **लाभ** व अन्य प्राप्तियाँ।

(*ii*) **लाभांश।**

(*iii*) पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट या संस्था को प्राप्त **स्वेच्छानुकूल चन्दे**। जो चन्दे इस आशय के साथ दिये गये हों कि वे ट्रस्ट अथवा संस्था के भाग होंगे, आय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(*iv*) वेतन शीर्षक में करयोग्य कोई **अनुलाभ** या **वेतन के स्थान पर लाभ।**

(*v*) कोई **लाभ** या **अनुलाभ** जो एक संचालक या कम्पनी में सारवानहित रखने वाला व्यक्ति कम्पनी से प्राप्त करता है।

(*vi*) किसी कम्पनी द्वारा संचालक अथवा सारवानहित रखने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे **दायित्व का भुगतान** जो, यदि कम्पनी न करती तो उस व्यक्ति को करना पड़ता।

(*vii*) व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य कोई **लाभ या अनुलाभ।**

(*viii*) धारा ४५ के अन्तर्गत **करयोग्य पूंजी लाभ।**

(*ix*) **बीमा** व्यवसाय के लाभ व प्राप्तियाँ, यदि वह बीमा व्यवसाय, पारस्परिक बीमा कम्पनी या सहकारी समिति द्वारा किया जाता हो ।

(*x*) देय **वार्षिकी** की रकम ।

(*xi*) किसी लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, घुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त व अन्य इसी प्रकार की प्रकृति की आय ।

स्पष्ट है कि धारा २ (२४) में दी गयी आय की परिभाषा पूर्ण नहीं है, इसमें अनेक मदें सम्मिलित हैं । आय-कर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर निर्धारण करना है, किन्तु आय शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है । यह एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है ।

आय से तात्पर्य किसी निश्चित अवधि में नियमित रूप से अथवा किसी निश्चित साधन से सम्भावित नियमित रूप से प्राप्त राशि से है । प्राप्ति को साधन से आवश्यक नहीं है कि सदैव प्राप्ति ही होती रहे किन्तु इसका उद्देश्य निश्चित रूप से आय की उत्पत्ति होना चाहिये । आय के साधन संयोगवश अचानक प्राप्ति वाले नहीं होने चाहिये । आय-कर अधिनियम में ऐसे साधनों का रोजगार, विनियोग, मकान सम्पत्ति, व्यापार व पेशा तथा पूँजीगत आय और अन्य साधनों में वर्गीकरण किया गया है ।

यदि किसी प्राप्ति को आय के किसी साधन से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता तो राशि प्राप्ति के लिए कोई कर दायित्व नहीं होगा । उदाहरण के लिए यदि क्रय-विक्रय के किसी अकेले व्यवहार से कोई लाभ होता है और वह व्यापार की प्रकृति का नहीं है, तो ऐसे लाभ के लिए कर दायित्व नहीं होगा क्योंकि इस आय का कोई साधन नहीं है । अतः आय एक पेड़ के फल अथवा खेत की फसल के समान है जिसका कोई न कोई स्रोत अवश्य होता है ।

आय से सम्बन्धित निम्न आधारभूत सिद्धान्त हैं—

(१) करदाता को **आय अर्जित हो गई हो** चाहे वह वास्तव में प्राप्त न हुई हो । यदि करदाता को आय की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है तो कहा जा सकता है कि आय अर्जित हो गयी है चाहे वह बाद में प्राप्त हो । आय की प्राप्ति का अधिकार मिलना आवश्यक है । करदाता का ऋण किसी अन्य पक्षकार के प्रति देय हो जाना चाहिये ।

(२) आय-कर निर्धारित करने के लिए **आय का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है** । यह सोचना व्यर्थ है कि केवल वैधानिक एवं सत्यता पर आधारित आय पर ही कर लगता है और अवैधानिक एवं असत्य आय पर आय-कर नहीं लगता । आय-कर अधिनियम केवल वैधानिक कार्यों में प्राप्त आय को आय-कर के लिए सीमित नहीं करता । चोरबाजारी में व्यापार करने वाले व्यक्ति से आय भी एक खुले-बाजार में सत्यता के आधार पर व्यापार करने वाले व्यक्ति की आय की भाँति कर-योग्य होती है ।

(३) **आय का कोई न कोई स्रोत अवश्य होना चाहिए।** यदि किसी प्राप्ति को आय के किसी स्रोत से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता तो वह प्राप्ति आय-कर के योग्य नहीं होगी। यह प्राप्ति केवल संयोगिक होगी। यदि सड़क पर जाते समय किसी व्यक्ति को ५०० रुपये सहित एक थैली मिल जाती है जिसका कोई अधिकारी नहीं है तो वह प्राप्ति आय नहीं होगी क्योंकि इस प्राप्ति का कोई आय का स्रोत नहीं है।

(४) आय की **नियमित रूप से प्राप्ति आवश्यक नहीं है।** एकमुश्त मिली राशि भी आय हो सकती है। जैसे ; यदि कोई व्यक्ति अपना एक वर्ष अथवा किसी अवधि का वेतन अग्रिम में प्राप्त कर ले तो अग्रिम में प्राप्त राशि आय होगी।

(५) यदि आय-कर के उद्देश्य से किसी **प्राप्ति की प्रकृति एक बार निश्चित कर दी जाती है तो वह सदैव के लिए निश्चित हो जाती है।** कोई प्राप्ति जो प्राप्त होने के समय आय नहीं है वह बाद में भी आय नहीं हो सकती। यदि किसी व्यापारी को उसके किसी ग्राहक से कोई राशि जमा के रूप में प्राप्त होती है और यह जमाराशि अनेक वर्षों तक वापस नहीं माँगी जाती और न इनका कोई दावा किया जाता है तथा बाद में व्यापारी इस राशि को अपने पूँजी खाते में जमा कर लेता है तो इसे आय नहीं माना जा सकता क्योंकि यह राशि प्राप्ति के समय आय नहीं थी।

(६) **आय किसी बाहरी साधन से प्राप्त होनी चाहिये।** कोई व्यक्ति स्वयं अपने साथ व्यापार करके लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में से अपने निजी प्रयोग के लिए ५०० रुपये की लागत का माल निकाल लेता है और उस माल का विक्रय मूल्य ८०० रुपये हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने ३०० रुपये का लाभ इस व्यवहार से प्राप्त किया है।

(७) **आय के उपयोग** (Application of Income) **तथा आय के परिवर्तन** (Diversion of Income) **में अन्तर करना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।** यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का उपयोग किसी विशेष प्रकार से करता है तो वह आय ही रहती है किन्तु यदि आय का किसी अन्य प्रकार से उद्देश्य परिवर्तित (Divert) किया जाता है तो वह आय नहीं रहती। यदि करदाता स्वेच्छा से अपनी आय का हस्तान्तरण करता है तो वह आय-कर उपयोग (Application of Income) माना जाता है। करदाता द्वारा स्वेच्छा से अपनी आय का हस्तान्तरण करके अपने ऊपर भुगतान का दायित्व उत्पन्न करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों अथवा वृद्ध माता-पिता, जिनके प्रति उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है, के लिए कोई राशि देना स्वीकार कर लेता है तो यह उसकी आय का उपयोग (Application of Income) होगा।

यदि आय का हस्तान्तरण करदाता के किसी वैधानिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए है तो इसे आय का उद्देश्य परिवर्तन (Diversion of Income) कहते हैं।

आय का उद्देश्य परिवर्तन न्यायालय की डिक्री की पूर्ति अथवा किसी वसीयत के प्रावधानों की पूर्ति अथवा किसी वैधानिक कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।

आय के उपयोग तथा आय के उद्देश्य परिवर्तन के अन्तर को Raja Bejoy Singh *v.* C. I. T के निर्णय में स्पष्ट किया गया है। इस विषय पर यह एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है। राजा की सौतेली माता ने अपने निर्वाह के लिए न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया जिसके लिए डिक्री कर दी गयी। सौतेली माता को ११०० रुपये प्रति मास देने का आदेश हुआ। यह भुगतान न्यायालय द्वारा राजा की सम्पत्ति पर एक प्रभार घोषित किया गया। प्रिवि काउन्सिल द्वारा निर्णय दिया गया कि निर्वाह की राशि आय का उद्देश्य परिवर्तन है। यह राजा की आय नहीं है।

कर दायित्व (Tax Liability)

आय-कर अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत आय-कर लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार आय-कर वित्त अधिनियम (Finance Act) में दी गयी दरों के आधार पर लगाया जाता है। कर का निर्धारण प्रथम अध्याय में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति की आय पर किया जाता है। अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर लगाया जाता है। यद्यपि करदाता की गत वर्ष की आय पर आय-कर लगता है किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चालू वर्ष की आय पर भी कर वसूल किया जा सकता है। कर की कटौती उद्गम स्थान पर की जाय अथवा कर की राशि का भुगतान अग्रिम में किया जाय किन्तु कर के भुगतान करने का दायित्व धारा ४ के अन्तर्गत उत्पन्न होता है।

आय-कर अधिनियम एक स्थायी अधिनियम है किन्तु आय-कर की राशि के भुगतान का दायित्व वित्त अधिनियम के पास होने तक नहीं होता। किन्तु आय-कर अधिनियम की धारा २९४ में व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में नया वित्त अधिनियम पारित न हुआ हो, तो गत कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में लागू व्यवस्थाएँ अथवा संसद के समक्ष प्रस्तुत वित्त बिल की व्यवस्थाओं में से जो भी करदाता के लिए अधिक हितकर हों, वित्त अधिनियम के कार्यान्वित होने तक लागू होंगीं।

करदाता का निवास
(Residence of Assessee)

धारा ५ के अनुसार करदाता की कुल आय का क्षेत्र उसके गत वर्ष में भारत में निवास के आधार पर निश्चित किया जाता है। निवास के आधार पर करदाता को अग्र पृष्ठ पर अंकित तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है—

(१) निवासी (Resident)।

(२) असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident)।

(३) अनिवासी (Not Resident)।

इन तीनों श्रेणियों के करदाताओं की आय पर कर-निर्धारण करने का अलग-अलग आधार है। करदाता के गत वर्ष के निवास के आधार पर प्रत्येक वर्ष उसके निवास का प्रश्न निश्चित किया जाता है। किसी एक गत वर्ष में करदाता की स्थिति एक श्रेणी में और अगले वर्ष में अन्य श्रेणी में हो सकती है। यह आवश्यक नहीं होता कि करदाता की जो स्थिति एक वर्ष में है वही अगले वर्ष में होगी। यदि एक व्यक्ति की आय पर कर-निर्धारण निवासी के आधार पर नियमित रूप से होता है तो किसी वर्ष पूर्णतया भारत से बाहर रहने के कारण उस पर अनिवासी की स्थिति में कर-निर्धारण किया जा सकता है।

एक करदाता की विभिन्न मदों की आय के सम्बन्ध में विभिन्न गत वर्ष हो सकते हैं। अतः आय-कर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी आय के सम्बन्ध में करदाता किसी गत वर्ष में भारत का निवासी है तो वह अपनी प्रत्येक आय के साधन के सम्बन्ध में भी भारत का निवासी होगा।

निम्नांकित नियमों के आधार पर करदाता के निवास के प्रश्न को निश्चित किया जाता है—

(1) भारत में निवासी व्यक्ति
(Persons Resident in India)

(अ) एक व्यक्ति (Individual)

धारा ६ (१) के अनुसार एक व्यक्ति गत वर्ष में भारत का निवासी होगा, यदि—

(अ) वह कुल मिलाकर कम से कम १८२ **दिन अथवा इससे अधिक** गत वर्ष में भारत में रहा हो ; या

(ब) उसने कम से कम १८२ **दिन अथवा इससे** अधिक के लिए गत **वर्ष में भारत में अपना निवास-स्थान रखा हो** तथा उस वर्ष में वह कम से कम ३० **दिन** अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो ; या

(स) वह गत वर्ष से पूर्व के **चार वर्ष में कम से कम** ३६५ दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो और गत वर्ष में कुल मिलाकर ६० दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो।

करदाता भारत का निवासी तभी होगा यदि वह **उपरोक्त तीन में से कम से कम एक शर्त पूरी करे और अग्र पृष्ठ पर अंकित दोनों शर्तों को पूरा करे—**

(क) वह गत वर्ष से पूर्व के दस वर्षों में से कम से कम नौ वर्षों तक (उपरोक्त तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करते हुए) भारत का निवासी रहा हो, तथा

(ख) गत वर्ष से पूर्व के सात वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम ७३० दिन या इससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।

रहने से आशय—प्रथम शर्त के अनुसार किसी व्यक्ति को १८२ दिन अथवा इससे अधिक के लिए गत वर्ष में रहना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के लिए किसी स्थान पर लगातार उक्त अवधि तक रहना आवश्यक नहीं है। वह कितनी ही बार अपने निवास-स्थान अथवा शहर आदि को बदल सकता है किन्तु गत वर्ष में भारतवर्ष में कुल मिलाकर उसका १८२ दिन अथवा इससे अधिक रहना आवश्यक है।

रहने का स्थान—दूसरी शर्त के अनुसार करदाता को भारतवर्ष में १८२ दिन अथवा इससे अधिक के लिए अपने रहने का स्थान रखना चाहिए। रहने के स्थान से यह अर्थ नहीं है कि किसी स्थान अथवा मकान पर उसका स्वामित्व या अधिकार हो। करदाता को किसी मकान में उक्त अवधि में रहने का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। मकान अथवा उसका कोई हिस्सा करदाता के निवास के लिए सुरक्षित होना चाहिए। बिना किसी की आज्ञा के उसे वहाँ रहने का अधिकार होना चाहिए।

३६५ दिन और ६० दिन रहना—तीसरी शर्त के अनुसार गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में करदाता ३६५ दिन भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह लगातार ३६५ दिन भारत में ही रहा हो। यदि वह चार वर्षों में कुल मिलाकर ३६५ दिन या इससे अधिक भारत में रहता है तो भी पर्याप्त है और गत वर्ष में ६० दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहता है।

(ब) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)

एक हिन्दू अविभाजित परिवार का गत वर्ष में भारत में निवासी होना या न होना उसके **प्रबन्ध एवं नियंत्रण के स्थान** पर निर्भर करता है। यदि एक हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रबन्ध एवं नियंत्रण अथवा उसका कोई भाग, गत वर्ष में भारत के किसी स्थान से हुआ है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार उस गत वर्ष के लिए भारत का निवासी होगा। परन्तु यदि एक हिन्दू अविभाजित परिवार का **सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियंत्रण भारत से बाहर है तो ऐसा परिवार अनिवासी** कहलायेगा। एक **हिन्दू अविभाजित परिवार का किसी गत वर्ष में भारत में निवासी** होने के लिए भारत में **प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के साथ-साथ अग्र पृष्ठ पर** अंकित दो अतिरिक्त बातों का पूरा होना भी आवश्यक है—

(अ) इसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो; तथा

(आ) इसका कर्ता इस गत वर्ष से पूर्व के ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या अधिक भारत में रहा हो।

अगर इन दो नियमों में से कोई भी एक पूरा न हो तो हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी माना जायेगा।

यदि एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सम्पूर्ण प्रवन्ध एवं नियंत्रण भारत से बाहर है तो ऐसा परिवार अनिवासी कहलायेगा।

इस प्रकार हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास उसके प्रबन्ध एवं नियंत्रण के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास से निर्धारित होता है।

(स) फर्म तथा व्यक्तियों की संस्था (Firm and Other Association of Persons)

एक फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था का निवास भी उनके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पर निर्भर करता है। यदि **फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था का प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भाग भारत के किसी स्थान से होता है तो यह फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था भारत की निवासी समझी जायगी।** परन्तु यदि इसका सम्पूर्ण प्रवन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर है तो यह फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था भारत में अनिवासी होगी। इसके लिए फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों की संस्था के सदस्यों के निवास का कोई महत्त्व नहीं है। परन्तु यदि साझेदार अथवा सदस्य के निवास का प्रभाव फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पर पड़ता है तो ऐसे साझेदार अथवा सदस्य के निवास को भी ध्यान में रखा जाता है जैसे; प्रवन्ध एवं नियन्त्रण करने वाले साझेदार या सदस्य का निवास।

(द) कम्पनियाँ (Companies)

एक कम्पनी का निवास निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है—

(अ) एक **भारतीय कम्पनी** भारत में निवासी मानी जाती है।

(व) एक कम्पनी जिसका **प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्ण रूप से गत वर्ष में भारत में रहा हो,** भारत में निवासी मानी जायगी।

इस प्रकार **भारत के बाहर समामेलित** (Incorporated) **हुई कम्पनियाँ भारत में निवासी तभी होंगी जबकि उनके कारोबार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का सम्पूर्ण भाग भारत में ही स्थित हो।** लेकिन भारत में समामेलित सब कम्पनियाँ भारत में निवासी मानी जायेंगी चाहे कुछ स्थितियों में उनका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत के बाहर से ही क्यों न हो।

(य) अन्य व्यक्ति (Other Persons)

धारा ६(४) के अनुसार कोई भी अन्य व्यक्ति (जैसे, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति) गत वर्ष के लिए **भारत में निवासी होगा यदि गत वर्ष में उसके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित रहा हो।** परन्तु यदि गत वर्ष में उसका समस्त प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर स्थित रहा है तो ऐसे गत वर्ष के लिए वह अनिवासी कहलायेगा।

टिप्पणी : जैसा कि अध्याय १ में कहा गया है, एक व्यक्ति की आय के भिन्न-भिन्न साधनों के लिए भिन्न-भिन्न गत वर्ष हो सकते हैं। लेकिन धारा ६(४) के अनुसार यदि एक करदाता किसी भी आय के साधन लिए किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में भारत का निवासी है तो यह माना जायेगा कि वह व्यक्ति अन्य साधनों से आय के लिए भी उस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में भारत का निवासी है।

(२) भारत में असाधारण निवासी व्यक्ति

(Persons not Ordinarily Resident in India)

भारत में असाधारण निवासी केवल 'व्यक्ति' और 'हिन्दू अविभाजित परिवार' ही हो सकते हैं।

(अ) व्यक्ति (Individual)

यदि एक व्यक्ति, **जो भारत में निवासी है, किसी गत वर्ष के लिए निम्न दो में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह असाधारण निवासी होगा—**

(अ) वह गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में से ९ गत वर्षों के लिए भारत में निवासी नहीं रहा है ; अथवा

(ब) वह उस गत वर्ष से पूर्व ७ गत वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या अधिक के लिए भारत में नहीं रहा है।

एक व्यक्ति को भारत में असाधारण निवासी होने के लिए ऊपर वर्णित दो शर्तों में से एक को पूरी करना होगा।

(ब) हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)

एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो भारत में निवासी है, असाधारण निवासी होगा, यदि **उसका कर्ता निम्न दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है—**

(अ) इसका कर्ता उस गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्षों के लिए भारत में निवासी रहा है, अथवा

(ब) इसका कर्ता उस गत वर्ष से पूर्व के ७ वर्षों में कुल मिलाकर ७३० दिन या अधिक के लिए भारत में नहीं रहा है।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के 'भारत में निवासी' को देखने के लिए तो उसके कारोबार के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के स्थान को देखना होता है, लेकिन उसके 'असाधारण निवासी' को देखने के लिए उसके **प्रबन्धक के निवास** को देखना होता है।

नोट—चुकाये जाने वाले कर की गणना के लिए भारत में असाधारण निवासी को अनिवासी की तरह ही समझा जाता है।

(३) भारत में अनिवासी व्यक्ति

(Persons not Resident in India)

भारत में एक अनिवासी व्यक्ति वह है जोकि ऊपर समझाये गये नियमों के अनुसार निवासी नहीं है।

उदाहरण

(१) एक व्यक्ति लगभग २५ वर्ष भारत में रहने के उपरान्त अप्रैल १९७४ में अवकाश प्राप्त करके इंगलैण्ड गया, और १५ फरवरी, १९७७ को भारत वापस आया। उसकी नियुक्ति भारत में हो गयी। १९७६-७७ गत वर्ष में उसके निवास की क्या स्थिति होगी?।

३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में वह १८२ दिन भारत में नहीं रहा और न अपने रहने के लिए अपना निवास स्थान रखा। १९७६-७७ गत वर्ष पूर्व के चार वर्षों मे वह ३६५ दिन से अधिक भारत में रहा किन्तु १९७६-७७ गत वर्ष में वह भारत में ६० दिन नहीं रहा। वह निवास की किसी शर्त को पूरा नहीं करता। अतः वह गत वर्ष १९७६-७७ के लिए भारत में अनिवासी है।

(२) एक व्यक्ति लगभग २५ वर्ष भारत में रहने के उपरान्त मार्च १९७३ को अवकाश प्राप्त करके इंगलैण्ड गया और सितम्बर १९७६ मे पुनः नियुक्ति पाकर वह भारत वापस आया। गत वर्ष १९७६-७७ के लिए उसके निवास की क्या स्थिति होगी?

३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष मे वह १८२ दिन से अधिक भारत में था। अतः वह भारत में एक निवासी है। गत वर्ष १९७६-७७ में पूर्व के १० वर्षों (१९६६-६७ से १९७५-७६ तक) में वह ९ वर्षों में भारत में निवासी नहीं था। यद्यपि गत वर्ष १९७६-७७ से पूर्व के सात वर्षों १९५९-६० से १९७५-७६ तक) में वह ७३० दिन से अधिक भारत में रहा था। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह भारत में एक असाधारण निवासी है।

(३) एक पंजाबी व्यापारी ईरान में व्यापार करता है और अमृतसर में उसका एक पैतृक मकान है। वह प्रत्येक वर्ष दो माह के लिए भारत में आता है। गत वर्ष १९७६-७७ में उसके निवास की क्या स्थिति है?

वह १८२ दिन से अधिक रहने के लिए अपना मकान रखता है और गत वर्ष १९७६-७७ में ३० दिन से अधिक भारत में रहा है। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह एक निवासी है। किन्तु गत वर्ष १९७६-७७ से पूर्व के सात वर्षों (१९६९-७० से १९७५-७६) में वह ७३० दिन भारतवर्ष में नहीं रहा, यद्यपि १९७६-७७ गत वर्ष से पूर्व १० वर्षों (१९६६-६७ से १९७५-७६) में से वह ९ वर्ष भारत में निवासी था। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह भारत में एक असाधारण निवासी है।

(४) X पहली बार U. S. A. से ३० जून, १९७० को भारत आया और लगातार ३ वर्ष भारत में रहा। १ जुलाई, १९७३ को वह जापान गया और १ अप्रैल, १९७४ को भारत वापस आया और ३१ जुलाई, १९७४ तक भारत में रहने के बाद U. S. A. वापस गया। वह एक अमेरिकन संस्थान में नियुक्त होकर पुनः ३१ जनवरी, १९७७ को भारत आया। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसके निवास की क्या स्थिति होगी।

गत वर्ष १९७६-७७ से पूर्व के चार गत वर्षों (१९७२-७३ से १९७५-७६) में X भारत में ३६५ दिन से अधिक रहा था और गत वर्ष १९७६-७७ में वह ६० दिन भारत में रहा। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह भारत में निवासी है। किन्तु वह गत वर्ष १९७६-७७ से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्ष निवासी नहीं रहा। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह भारत में एक असाधारण निवासी है।

(५) मेरठ का एक निवासी Y १ मार्च, १९७३ को उच्च शिक्षा के लिए इंगलैण्ड गया। उसने अपने रहने का स्थान अपने विदेश में रहने की पूर्ण अवधि में मेरठ में रखा। वह शरद अवकाश में दो बार २० दिसम्बर, १९७४ तथा २० दिसम्बर, १९७५ को भारत आया और मेरठ में अपने निवास स्थान पर प्रत्येक बार दो-दो माह रहा। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में वह भारत में बिल्कुल भी नहीं आया। ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में उसके निवास की क्या स्थिति होगी।

Y ने गत वर्ष १९७६-७७ में अपने निवास स्थान की व्यवस्था तो पूरे वर्ष की किन्तु उस वर्ष वह भारत में बिल्कुल भी नहीं आया। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह अनिवासी माना जायेगा।

(६) एक अंग्रेज, जेम्स १ अप्रैल, १९६६ को एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त होकर भारत आया। ३१ जनवरी, १९७४ को वह तीन वर्ष के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होकर ईरान गया, किन्तु उसकी पत्नी एवं बच्चे भारत में ही रहे। १ मई, १९७५ को वह भारत आया और ३० जून, १९७५ को अपने परिवार को ईरान अपने साथ ले गया। वह २ फरवरी, १९७७ को भारत अपने पुराने पद पर नियुक्त होकर वापस आ गया।

आय-कर के उद्देश्य से जेम्स की कर-निर्धारण वर्ष १९७४-७५ से १९७७-७८ तक क्या स्थिति होगी ?

एक करदाता की किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए स्थिति उसके सम्बन्धित गत वर्ष के आधार पर निश्चित की जाती है। कर-निर्धारण वर्ष १९७४-७५ से १९७७-७८ तक जेम्स की स्थिति १९७३-७४ से १९७६-७७ तक के गत वर्षों के आधार पर निश्चित होगी। १९७३-७४ से १९७६-७७ तक के चार गत वर्षों के लिए जेम्स के निवास की स्थिति निम्न होगी—

गत वर्ष १९७३-७४ में वह असाधारण निवासी है। इस गत वर्ष में वह भारतवर्ष में १८२ दिन से अधिक तो रहा है किन्तु गत वर्ष से पूर्व के १० वर्षों में से वह ९ वर्ष तक भारत में निवासी नहीं रहा। अतः 'जेम्स' गत वर्ष १९७३-७४ के लिए असाधारण निवासी है।

गत वर्ष १९७४-७५ में जेम्स अनिवासी है। इस गत वर्ष में उसकी पत्नी एवं बच्चे भारत में रहे तो उसने अपने रहने का स्थान पूरे वर्ष भारत में रखा किन्तु इस गत वर्ष में वह भारत में एक दिन को भी नहीं आया। अतः वह भारत का निवासी नहीं हो सकता। अतः वह इस गत वर्ष में एक अनिवासी है।

गत वर्ष १९७५-७६ में वह भारत में एक असाधारण निवासी है। गत वर्ष से पूर्व के चार गत वर्षों (१९७१-७२ से १९७४-७५) में वह ३६५ दिन से अधिक भारत में रहा और गत वर्ष १९७५-७६ में वह ६० दिन (१ मई, १९७५ से ३० जून, १९७५ तक) भारत में रहा किन्तु गत वर्ष से पूर्व १० गत वर्षों (१९६५-६६ से १९७४-७५ तक) में से वह ९ वर्ष तक भारत में निवासी नहीं रहा। अतः वह गत वर्ष १९७४-७५ में असाधारण निवासी है।

गत वर्ष १९७६-७७ के लिए वह अनिवासी है। इस गत वर्ष में वह १८२ दिन भारत में नहीं रहा और न ही उसने इस अवधि में अपने रहने का स्थान रखा। गत वर्ष से पूर्व के चार गत वर्षों (१९७२-७३ से १९७५-७६ तक) में से वह ३६५ दिन से अधिक भारत में रहा किन्तु गत वर्ष १९७६-७७ में वह ६० दिन भारत में नहीं रहा क्योंकि वह इस गत वर्ष में २ फरवरी, १९७७ को भारत में वापस आया। अतः गत वर्ष १९७६-७७ में वह अनिवासी है।

(७) एक व्यक्ति का गत वर्ष कलैण्डर वर्ष के आधार पर है। वह १ मई, १९७६ से १५ जुलाई, १९७६ तक भारतवर्ष में रहा। वह विगत वर्षों में भी निम्न प्रकार भारतवर्ष में रहा—

कलैन्डर वर्ष १९७१	२५ दिन
" " १९७२	१०० दिन
" " १९७३	७५ दिन

कलैण्डर वर्ष १९७४	१२५ दिन
,, ,, १९७५	८५ दिन

यह व्यक्ति दावा करता है कि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ से सम्बन्धित गत वर्ष में वह भारत में १८२ दिन से कम रहा, उसे कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए भारत में अनिवासी माना जाय। क्या उसका दावा स्वीकार किया जा सकता है? कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ में उसके निवास की क्या स्थिति है? अपना उत्तर कारणों सहित बताइये।

इस व्यक्ति के निवास की स्थिति निश्चित करने के लिए १९७६ की शर्तें तथा इससे पूर्व के चार गत वर्षों (१९७२, १९७३, १९७४, तथा १९७५) की स्थिति का अध्ययन करना होगा।

१९७६ में वह ७६ दिन भारत में उपस्थित रहा, किन्तु इस वर्ष से पूर्व के चार गत वर्षों में वह ३८५ दिन (३६५ दिन से अधिक) भारत में रहा और १९७६ में वह ६० दिन से अधिक भारत में रहा। अतः कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए वह भारत में निवासी होगा और वह अनिवासी माने जाने के लिए दावा करता है जो अस्वीकार कर दिया जायगा।

यह मानते हुए कि वह निम्न दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा नहीं करता तो वह एक असाधारण निवासी होगा:

(अ) वह १९७६ से पूर्व के १० वर्षों में से ९ वर्ष तक निवासी रहा हो; तथा

(ब) वह १९७६ से पूर्व के सात गत वर्षों में ७३० दिन भारत में रहा हो।

निवास-स्थान के आधार पर करदाता की कुल आय का क्षेत्र अथवा कर का भार (Scope of the Total Income of the Assessee on the Basis of Residence or Incidence of Tax.)

जैसा पहले बताया जा चुका है करदाता की कुल आय के क्षेत्र का निर्णय उसके गत वर्ष से भारत में निवास के आधार पर किया जाता है। धारा ५ के अन्तर्गत **निवासी तथा अनिवासी की आय के क्षेत्र का निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है—**

निवासी (Resident)

धारा ५ (१) के अन्तर्गत एक निवासी करदाता की गत वर्ष की कुल आय में ऐसे समस्त साधनों से होने वाली आय सम्मिलित की जाती है, जो

(*i*) उस वर्ष में उसे अथवा उसकी ओर से भारत में **प्राप्त हुई हो** अथवा **प्राप्त की हुई मानी गयी हो;**

(*ii*) उस वर्ष में भारत में **उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई हो** अथवा **उपार्जित या उत्पन्न मानी गई हो ;**

(*iii*) उस **वर्ष** में **भारत के बाहर उपार्जित** अथवा उत्पन्न हुई हो ।

इस प्रकार एक निवासी करदाता की गत वर्ष की, समस्त आय चाहे किसी भी साधन से व किसी भी स्थान पर उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई हो अथवा प्राप्त की हो या प्राप्त की हुई मानी गई हो, करयोग्य आय में सम्मिलित की जाती है ।

असाधारण निवासी (Not-ordinary Resident)

एक असाधारण निवासी करदाता की किसी गत वर्ष की कुल आय में **निम्न प्रकार की ऐसी समस्त आय सम्मिलित की जाती है जो गत वर्ष में,**

(*i*) उसे **भारत में प्राप्त** हुई हो अथवा **प्राप्त की हुई मानी** गई हो;

(*ii*) **भारत में उपार्जित** अथवा उत्पन्न हुई हो या उपार्जित अथवा **उत्पन्न हुई मानी गई** हो;

(*iii*) भारत के **बाहर उपार्जित अथवा** उत्पन्न हुई ऐसी आय जो **भारत में नियन्त्रित किसी व्यापार से अथवा भारत में स्थापित किसी पेशे से उत्पन्न हुई हो ।**

अत: एक असाधारण निवासी करदाता की गत वर्ष की आय में उसके द्वारा गत वर्ष में भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त की हुई मानी गई आय, भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न या उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई मानी गई आय तथा विदेशों की ऐसी आय जो भारत से नियन्त्रित अथवा भारत में स्थापित पेशे से उत्पन्न होती हो चाहे वह आय भारत में लाई गई हो अथवा नहीं, करयोग्य आय में सम्मिलित की जाती है ।

अनिवासी (Non-Resident)

एक अनिवासी करदाता की गतवर्ष की कुल आय में **निम्न प्रकार की ऐसी समस्त आय सम्मिलित की जाती हैं जो गत वर्ष में,**

(*i*) उसे अथवा उसकी ओर से **भारत में प्राप्त हुई** हो अथवा प्राप्त की हुई मानी गई हो;

(*ii*) **भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न** हुई हो या उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई मानी गई हो ।

एक अनिवासी करदाता की स्थिति में उसकी गत वर्ष में, भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त की हुई मानी गई आय तथा भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न या उपार्जित अथवा उत्पन्न मानी गई आय, कुल आय में सम्मिलित की जाती है । एक अनिवासी करदाता की विदेशों की वह आय जो भारत में प्राप्त न की गई हो

चाहे वह किसी भी व्यापार या व्यवसाय से उत्पन्न हुई हो, करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं की जाती।

निवास स्थान के आधार पर कुल करयोग्य आय की गणना निम्न चार्ट की सहायता से सरलतापूर्वक की जा सकती है—

क्रमांक	आय के प्रकार	कर भार		
		निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
१.	भारत में प्राप्त या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय।	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
२.	भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न या उपार्जित अथवा उत्पन्न समझी जाने वाली आय।	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
३.	भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थित पेशे से हो।	करयोग्य	करयोग्य	×
४.	भारत के बाहर उपार्जित अथवा उत्पन्न हुई आय।	करयोग्य	×	×
५.	गत वर्षों की विदेशी बिना कर लगी आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई।	×	×	×

(×) चिन्ह का आशय है कि आय करयोग्य नहीं है, अतः कुल आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

सारांश (Summary)

उपरोक्त विवरण के आधार पर कर भार (Incidence of Tax) के सम्बन्ध में **निम्न संक्षिप्त नियम बनाये जा सकते हैं**—

(१) **निवासी करदाताओं** की सभी प्रकार की देशी व विदेशी आयों पर कर लगता है।

(२) **असाधारण निवासी** को भारत के बाहर उपार्जित आय पर कर नहीं देना पड़ता। शेष सभी आयों पर कर लगता है।

(३) **अनिवासी** को केवल भारत में प्राप्त या भारत में उपार्जित आयों पर ही कर देना पड़ता है, शेष आयों पर नहीं।

(४) **'भारत में प्राप्त'** आयों पर सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है।

(५) **'भारत में उपार्जित व कमाई'** आयों पर भी सभी करदाताओं को कर देना पड़ता है।

(६) **'भारत के बाहर उपार्जित'** आयों पर केवल निवासी करदाता को ही कर देना पड़ता है।

आय के विभिन्न प्रकार

(Various Types of Income)

करयोग्य आयें निम्न प्रकार की होती हैं—

प्राप्त आय (Income Received)

भारत में प्राप्त आय समस्त करदाताओं (निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी) के लिए करयोग्य होती है। प्राप्ति गत वर्ष में होनी चाहिए। यह प्राप्ति करदाता को या करदाता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हो सकती है।

आय मुद्रा अथवा मुद्रा के मूल्य के रूप में, नकदी के रूप में अथवा अन्य किसी वस्तु के रूप में प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा से तात्पर्य धातु-मुद्रा, पत्र-मुद्रा तथा साख-पत्रों से है। खातों में समायोजन तथा पुस्तक लेखों में विनिमय पूर्ति करना भी वास्तविक मुद्रा की प्राप्ति के बराबर ही है यद्यपि इनमें वास्तविक मुद्रा का आदान- प्रदान नहीं किया जाता। एक कम्पनी अंशधारी को लाभांश घोषित करती है। एक अंशधारी कम्पनी का ऋणी है। कम्पनी उसके साथ एक ऐसा प्रसंविदा करती है जिसके अनुसार उसे मिलने वाले लाभांश की राशि का समायोजन उसके द्वारा देय ऋण की राशि के लिए कर लिया जाता है। यहाँ पर यद्यपि केवल समायोजन ही हुआ है, मुद्रा का वास्तविक आदान-प्रदान नहीं हुआ, परन्तु फिर भी यह स्पष्ट है कि अंशधारी को लाभांश की राशि (आय) प्राप्त हुई है तथा कम्पनी को अपने ऋण का भुगतान प्राप्त हुआ है।

आय की प्राप्ति से तात्पर्य प्राप्तकर्ता द्वारा उस प्रथम स्थान से है जब उसने उस **आय पर प्रथम बार नियन्त्रण पाया** है। यदि एक बार एक आय प्राप्त हो गई है तो उसका दूसरी जगह हस्तान्तरण कर फिर प्राप्त करना 'प्राप्ति' नहीं कहलायगा। **कर के उद्देश्य के लिए प्रथम प्राप्ति ही प्राप्ति के वर्ष एवं स्थान को निर्धारित करती है**। एक अनिवासी अपनी विदेशी आय पर तभी कर के लिए दायी होगा जबकि उसे वह भारत में प्राप्त हुई हो, अर्थात भारत में उसे वह 'प्रथम प्राप्ति' हो। यदि यह आय उसे पहले ही भारत के बाहर प्राप्त हो गई है और वह उसे भारत भेजता है तो उस पर भारत में कर नहीं लगेगा।

प्राप्त हुई मानी जाने वाली आय (Income Deemed to be Received)

'भारत में प्राप्त हुई मानी गई आय' में ऐसी आय सम्मिलित की जाती है जो वास्तव में तो प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु फिर भी कानून द्वारा प्राप्त हुई मानी जाती है। धारा ७ के अन्तर्गत **निम्न आय ऐसी आय हैं जो भारत में प्राप्त हुई मानी जाती हैं**—

(१) एक कर्मचारी, जोकि प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड का सदस्य है, के खाते में **वार्षिक वृद्धि** (Annual accretion)। कर्मचारी के खाते में व्याज तथा अंशदान द्वारा वृद्धि को वार्षिक वृद्धि कहते हैं।

(२) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में **स्थानान्तरित शेष** (Transferred balance)। इसे अगले अध्याय में समझाया जायगा। Transferred

(३) एक कम्पनी द्वारा घोषित किया गया **लाभांश** (Dividend) अंशधारियों की स्थिति में यह समझा जाता है कि उन्हें उसी गत वर्ष में प्राप्त हो गया है जिसमें वह घोषित किया गया था। इसी प्रकार अन्तरिम लाभांश अंशधारी द्वारा उस गत वर्ष में प्राप्त हुआ माना जाता है जिसमें कि ऐसा लाभांश बिना किसी शर्त के अंशधारी को दिया जाना तय कर लिया जाय और वह अंशधारी को मिल सके।

उपार्जित या अर्जित आय (Income Accruing or Arising) Arising

'उपार्जित' तथा 'अर्जित' दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, परन्तु इसका अर्थ 'प्राप्ति' से बिल्कुल भिन्न है। जब आय करदाता के हाथों में अथवा उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पहुँच जाती है तब यह कहा जायगा कि करदाता को वह आय प्राप्त हो गई है। परन्तु यदि करदाता को ऐसी **आय की केवल प्राप्ति का अधिकार ही प्राप्त होता है तो यह आय 'उपार्जित' अथवा 'अर्जित' आय कहलायेगी।**

यदि करदाता को किसी गत वर्ष में किसी आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाय तो ऐसी आय उसी गत वर्ष में करयोग्य होगी।

धारा ५ के अनुसार आय का उपार्जन अथवा अर्जन होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि आय-कर के लिए यह भी आवश्यक है कि हिसाब में वह केवल गत वर्ष में ही उदय मान ली गई हो। आय का उपार्जन तब होता है जबकि यह पहली बार अस्तित्व में आती है, लेकिन यह उदय हुई तब कही जाती है जबकि हिसाब की पद्धति के द्वारा इसे आय के रूप में माना जाय। जब हिसाब-किताब रोकड़ी-पद्धति से रखे जाते हैं तब आय एक गत वर्ष में उपार्जित हो सकती है,

लेकिन यह आय उस गत वर्ष में, जिसमें कि वह वास्तव में प्राप्त की गई है, उदय होगी। हिसाब-किताब की महाजनी पद्धति में आय तब उदय हुई मानी जाती है जबकि किताबों में उचित प्रविष्टियाँ कर ली जाती हैं।

उपार्जित या अर्जित हुई मानी जाने वाली आय
(Income Deemed to Accrue or Arise)

भारत में उपार्जित या अर्जित मानी गई आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जोकि कानून द्वारा उपार्जित हुई मानी गई है, जबकि वास्तव में वह उपार्जित नहीं हुई है। **निम्न आय भारत में उपार्जित या अर्जित हुई मानी जाती है—**

(१) निम्न साधनों से उपार्जित या अर्जित समस्त आय :

(अ) भारत में कोई व्यापारिक सम्बन्ध, (ब) भारत में कोई जायदाद, (स) भारत में कोई सम्पत्ति या आय का साधन, (द) कोई रकम जो ब्याज पर चढ़ाई गई तथा ब्याज की राशि जो भारत में लाई गई ; अथवा (य) भारत में हस्तान्तरित पूँजी सम्पत्ति।

इन आयों को अगले अध्याय में जोकि अनिवासियों के कर-निर्धारण से सम्बन्धित है, समझाया जायगा।

(२) भारत में की गई सेवाओं पर कमाया गया वेतन।

(३) भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को भारत से बाहर की गई सेवाओं के सम्बन्ध में वेतन।

(४) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश।

व्यापारिक आय की उपार्जित तिथि (Date of Accrual of Business Income)—सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार व्यापारिक आय की उपार्जित तिथि वह होती है जिसको वह देय हो जाती है। यदि एक व्यापार के खाते ३१ दिसम्बर को समाप्त किये जाते हैं तो उस व्यापार की आय उस तिथि को उपार्जित होगी उससे पहले किसी अन्य तिथि को नहीं।

आय किस व्यक्ति द्वारा उपार्जित की जाती है ? (Person to Whom Income Accrues)—जिस व्यक्ति के पक्ष में कोई राशि उपार्जित होने की तिथि को देय होती है अथवा जिसे भुगतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है, आय उस व्यक्ति द्वारा अर्जित होती है।

उदाहरण

एक अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता M को परिवार की ओर से किसी फर्म के २५% लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। साझेदारी अनुबन्ध के अनुसार फर्म के खाते प्रत्येक वर्ष कलैण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। १ अक्टूबर, १९७६ को परिवार का विभाजन हुआ और फर्म के हिस्से का बँटवारा M के पक्ष में हुआ।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ (३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष) के लिए परिवार के कर-निर्धारण में आय-कर अधिकारी ने १-१-७६ से ३०-९-७६ तक फर्म के लाभ के हिस्से को परिवार की आय में सम्मिलित करने का विचार प्रकट किया। M का विचार था कि फर्म के हिस्से का समस्त लाभ उसके कर-निर्धारण में सम्मिलित किया जाना चाहिये। विरोधी दावों की परीक्षा कीजिये।

M का विचार उचित है। फर्म के हिस्से का लाभ ३१-१२-७६ को अर्जित हुआ और इसे फर्म से प्राप्त करने का अधिकार M का था। अत: फर्म के हिस्से के लाभ पर कर का दायित्व M का होगा और आय-कर अधिकारी के विचार के अनुसार नहीं होगा।

आय के उपार्जित होने का स्थान (Place of Accrual of Income)

आय के उपार्जित होने के स्थान का महत्व कम हो गया है। एक निवासी करदाता को सम्पूर्ण विश्व में अपनी अर्जित की गई आय पर कर देना पड़ता है। एक असाधारण निवासी करदाता की स्थिति में किसी ऐसे व्यापार अथवा व्यवसाय की आय, जिसका नियन्त्रण अथवा स्थापना भारत में हुई हो, उपार्जन का स्थान पूर्णतया अनावश्यक है।

केवल एक अनिवासी करदाता की स्थिति में आय के उपार्जन स्थान का महत्व है। किन्तु धारा ९ (१)(*i*) के अन्तर्गत अनिवासी करदाता के लिए भी उपार्जन स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं है जिसके अनुसार कुछ विदेशी आय को भारतवर्ष में अर्जित एवं उदित हुई माना जाता है।

व्यापार की आय के उपार्जन स्थान के निश्चय के लिए कोई सामान्य रूप से जाँच करना सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ न्यायालय सम्बन्धी निर्णयों के आधार पर व्यापार की **आय के उपार्जन स्थान के लिए निम्न नियम लागू किये जा सकते हैं—**

(१) यदि किसी व्यापार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय ही सम्मिलित किया जाता है तो सामान्यतया वस्तुओं के **विक्रय स्थान** को ही उपार्जन स्थान माना जाता है, यदि वस्तुओं को भारतवर्ष के बाहर खरीद कर भारतवर्ष में बेचा जाय तो बेचने से समस्त लाभ भारत में उपार्जित होंगे।

(२) अन्तिम रहतिये के मूल्यांकन से यदि लाभ होता है तो यह कहना गलत है कि जहाँ रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है, लाभ का उपार्जन उस स्थान पर होता है। लेखा वर्ष के अन्त में अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन व्यापारिक परिणाम जानने के लिए आवश्यक होता है और बिना बिके रहतिये (Stock) के मूल्यांकन के लाभ को लाभ नहीं माना जा सकता है। व्यापार के लाभ का साधन नि:संशय व्यापार ही है और **जिस स्थान पर व्यापार का संचालन किया जाता है लाभ का उपार्जन वहीं होता है।**

(३) व्यापार के नियन्त्रण एवं संचालन के स्थान पर लाभ अर्जित नहीं होता। लाभ वास्तव में उसी स्थान पर अर्जित होता है जहाँ वास्तव में व्यापार किया जाता है। C.I.T. *vs.* Chunnilal Mehta के निर्णय में करदाता भारत में व्यापार करता था किन्तु व्यापारिक व्यवहारों का नियन्त्रण एवं निर्देश भारत के वाहर से होता था। भारत के बाहर किये गये व्यापारिक व्यवहारों के लाभ को प्रीवि-काउन्सिल द्वारा भारत में उपार्जित एवं उदय हुआ नहीं माना गया। इस विवाद में भारत में ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था जिसके अन्तर्गत लाभ उपार्जित अथवा उदय हुआ माना जाता।

(४) ऐसे किसी व्यापार के, जिसके समस्त व्यवहार भारत में नहीं किये जाते, वह लाभ जो केवल भारत में किये गये व्यापारिक व्यवहारों से सम्बन्धित हो सकते हैं, वही भारत में उपार्जित अथवा उदय हुये माने जाते हैं। यदि वस्तुओं का निर्माण एक स्थान पर होता है और विक्रय दूसरे स्थान पर तो इसके विक्रय से होने वाले लाभ का विभाजन निर्माण तथा विक्रय क्रियाओं में किया जायगा। इस लाभ के कुछ भाग को वस्तुओं के निर्माण के स्थान पर तथा कुछ को विक्रय के स्थान पर उपार्जित माना जायगा। यह अभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय C.I.T. *vs.* Ahmad Bhai Umar Bhai & Co. (*18 I. T. R. 472*) तथा Anglo French Textile Co. Ltd. *vs.* C.I.T. (*25 I. T. R. 27*) के द्वारा निर्धारित हुआ है।

(५) सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि वस्तुओं अथवा उनसे सम्बन्धित रेलवे रसीद को वी. पी. पी. द्वारा भेजा जाता है तो डाकघर वस्तुओं की वसूली के लिए विक्रेता का एजेन्ट होता है। वस्तुओं की सुपुर्दगी मूल्य के भुगतान होने पर की जाती है। अतः आय क्रेता के स्थान पर उपार्जित एवं प्राप्त मानी जाती है।

उदाहरण

(१) इंगलैंड के एक आभूषण विक्रेता के भारत में कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं थे। वह वी. पी. प . द्वारा अपनी वस्तुएँ भारत में ग्राहकों को बेचता है। इन विक्रयों पर लाभ कहाँ अर्जित होता है ?

जबकि वस्तुओं को वी. पी. पी. द्वारा भेजा जाता है डाकघर-विक्रेता-केन्द्र माल के मूल्य वसूल करने के लिए एजेन्ट है। अतः लाभ भारतवर्ष में अर्जित एवं प्राप्त हुआ है जहाँ मूल्य प्राप्त हुआ और वस्तुओं की सुपुर्दगी दी गई।

(२) एक करदाता ने, जो बम्बई में दलाल का कार्य करता है, वम्बई में ही दलाली का कार्य करने वाली दूसरी फर्म S & Co. की न्यूयार्क एक्सचेन्ज पर करदाता की ओर से रुई के क्रय-विक्रय के लिए आदेश दिया। इन व्यवहारों पर

लाभ हुआ जिसका भुगतान S & Co. ने करदाता को कर दिया। करदाता ने यह राशि न्यूयार्क में ही रहने दी। यह विदित हुआ कि करदाता और न्यूयार्क के दलाल के बीच कोई अनुबन्ध नहीं हुआ था और करदाता के लिए केवल S & Co. ही उत्तरदायी थी।

यह लाभ कहाँ अर्जित हुआ ?

यह लाभ भारतवर्ष में ही अर्जित हुआ है क्योंकि यह बम्बई की S & Co. द्वारा भारत में हुए तथा भुगतान किये अनुबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अतः भुगतान के स्थान का महत्व नहीं है।

भारतीय आय

यह वह आय है जो :

(*i*) भारत में उपार्जित या अर्जित हो,
(*ii*) भारत में प्राप्त की गई हो,
(*iii*) भारत में उपार्जित या अर्जित हुई मानी जाने वाली आय,
(*iv*) भारत में गत वर्ष में प्राप्त हुई मान ली गई है।

विदेशी आय

यह वह आय है जो :

(*i*) भारत से बाहर उपार्जित या अर्जित, पर भारत में उपार्जित या अर्जित नहीं मानी जाय,

(*ii*) भारत में प्राप्त न की गई हो अथवा भारत में गत वर्ष में न प्राप्त हुई मान ली गई है।

उदाहरण १—गत वर्ष १९७६-७७ में ओमप्रकाश की निम्नलिखित आयें रही हैं—

(अ) आगरा के व्यापार से प्राप्त आय	२१,०००
(ब) पाकिस्तान में स्थित जमीन की आय	१०,०००
(स) न्यूयार्क में स्थित व्यापार से लाभ	५,०००
(द) इंगलैंड में स्थापित व्यापार की आय। यह आय भारत में नहीं लाई गई। व्यापार का संचालन भारत से होता है।	१८,०००
(य) भारत में स्थापित पेशे से इंगलैंड में उपार्जित आय	१०,०००
(र) नैपाल में स्थित कृषि भूमि पर कृषि करने से आय	३,०००

यदि ओमप्रकाश, (*i*) निवासी, (*ii*) असाधारण निवासी या, (*iii*) अनिवासी है तो उनकी करयोग्य आय क्या होगी ?

हल

Taxable Income of Sri Om Prakash for the Previous Year 1976-77

S. N.	Kinds of Incomes	(i) Resident	(ii) Not-ordinary Resident	(iii) Non-Resident
(1)	*Income received in India* :			
	(i) Income from business at Agra	21,000	21,000	21,000
(2)	*Income derived from a business controlled from India and profession set up in India* :			
	(ii) Income from business established in England but controlled from India	18,000	18,000	
	(iii) Income accrued in England from a profession established in India	10,000	10,000	-
(3)	*Income accruing or arising outside India* :			
	(iv) Income from land in Pakistan	10,000	--	
	(v) Income from business in New York	5,000	—	--
	(vi) Income from Agriculture in Nepal	3,000	—	—
	Total Taxable Income	67,000	49,000	21,000

उदाहरण २—गत वर्ष १९७६-७७ में श्री महेशप्रसाद सक्सैना की निम्न आयें हैं—

(क)	देहली में उपार्जित व प्राप्त वेतन (करयोग्य)	१५,०००
(ख)	इंगलैण्ड के व्यापार की आय भारत में प्राप्त	१०,०००
(ग)	लखनऊ के व्यापार की उपार्जित आय इंगलैड में प्राप्त	८,०००
(घ)	अमेरिका में चल रहे व्यापारों की आय (इनमें से २०,००० की आय ऐसे व्यापार की है जिसका संचालन भारत से होता है तथा १०,००० रु० की आय ऐसे पेशे की है जो भारत में स्थापित है)	५०,०००

(च) भारत में उपार्जित किन्तु नैपाल में प्राप्त आय ४,०००
(छ) भूतकाल की बिना कर लगी विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई ३,०००
(ज) इंगलैण्ड में नौकरी करने से प्राप्त वेतन (यह वेतन भारत में प्राप्त हुआ) ५,०००
(झ) बैंकांक से व्यापार के लाभ, (इसमें से ५,००० रु० के लाभ गत वर्ष में लाये गये) १०,०००
(ट) इंगलैण्ड में विनियोजित राशि से आय (इसमें से १,००० रु० भारत में लाये गये) ३,०००
(ठ) भारत में स्थित मकान सम्पति से आय (यह आय इंगलैण्ड में प्राप्त की) ५,०००

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए श्री महेश प्रसाद सक्सैना की कुल ाय की गणना कीजिए, यदि वह (*i*) निवासी है, (*ii*) असाधारण निवासी है, *iii*) अनिवासी है।

ल

Total Taxable Income of Sri M. P. Saxena
for the Assessment Year 1977-78

N.	Kinds of Income	(i) Resident	(ii) Not-ordinary Resident	(iii) Non-Residents
1)	*Income received in India* :			
	(i) Salary accrued and received in Delhi	15,000	15,000	15,000
	(ii) Income from business in England	10,000	10,000	10,000
	(iii) Income from salary in England	5,000	5,000	5,000
2)	*Income accrued or earned in India* :			
	(iv) Income from business in Lucknow	8,000	8,000	8,000
	(v) Income received in Nepal	4,000	4,000	4,000
	(vi) Income from house situated in India	5,000	5,000	5,000
3)	*Incomes accrued outside India from a business controlled from India and a profession set up in India* :			

(vii) Income from business and profession in U. S. A.	30,000	30,000	—
(4) *Incomes accrued or earned outside India :*			
(viii) Profits from business in U.S.A. (50,000—30,000)	20,000	—	—
(ix) Profits from a business in Bangkok	10,000	—	—
(x) Income from Investments in England	3,000	—	—
(5) *Past Untaxed Foreign Income brought in India :*			
Rs. 3,000	—	—	—
Total Taxable Income	1,10,000	77,000	47,000

उदाहरण ३—वित्तीय वर्ष १९७६-७७ में मि० 'अ' ने निम्न आयें कमाई—

	रु०
(अ) कानपुर में कमाया गया तथा देय वेतन	१२,०००
(ब) बैंकाक में चल रहे व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित होता है। (२०,००० रु० में से १२,००० रु० भारत लाया गया)	२०,०००
(स) यू० के० में कृषि आय (सम्पूर्ण आय बच्चों की शिक्षा पर लन्दन में व्यय कर दी गई है)	४,०००
(द) न्यूयार्क के व्यापार से लाभ जो भारत से नियन्त्रित नहीं है। (इस राशि में से ११,००० रु० भारत भेज दिये गए हैं)	१५,०००
(य) बिना कर लगी भूतकालीन विदेशी आय जो गत वर्ष भारत लाई गई	५,०००

कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए मि० 'अ' की कुल आय की गणना कीजिए यदि वह—

(*i*) निवासी है (*ii*) असाधारण निवासी है, (*iii*) अनिवासी है।

[आगरा, एम० कॉम०; १९६५]

प्रश्न

१. एक करदाता का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? पूर्ण रूप से समझाइए ।

How is the residential status of an assessee determined ? Explain fully.

२. निवास स्थान के आधार पर करदाता को आप किन प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे ? प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त नियम समझाइए ।

In what categories would you divide an assessee on the basis of his residence ? Discuss each of it in short.

३. आय-कर का भार (Incidence) एक व्यक्ति के निवास स्थान पर निर्भर करता है । समझाइए ।

The incidence of Income-Tax depends upon the residential status of a person. Explain.

४. एक निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी की कौन-कौन सी आयें कर योग्य हैं ? एक अनिवासी को किन-किन आयों पर कर नहीं देना होता ?

Wherein Incomes are taxable in the hands of a Resident, Not-ordinary Resident and Non-Resident ? Which incomes are not taxable in the hands of Non-Residents ?

५. बताइए कि क्या निम्नलिखित आयें भारत में कर के लिए दायी हैं—

(अ) वेतन शीर्षक की आय जो सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के बदले में देय है ।

(ब) वेतन शीर्षक की आय यदि यह भारत में कमाई गई है ।

(स) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर देय लाभांश ।

(द) भारत में व्यापार से उपार्जित व उदय हुई आय ।

5. State if the following will be liable to tax in India :

(*a*) Income chargeable under the head "Salaries" payable by the Government to a citizen of India for services outside India.

(*b*) Income chargeable under the head 'Salaries' if it is earned in India.

(*c*) Dividend paid by an Indian Company outside India.

(*d*) Income accruing of arising through any business connection in India.

संकेत (Hint)—उपरोक्त सभी आयें भारत में उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आयें हैं । अतः सभी प्रकार के करदाताओं, निवासी, असाधारण निवासी व अनिवासी के यहाँ करयोग्य हैं ।

६. एक कर्मचारी की ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न आयों में से कौन-कौन सी आयें करयोग्य होंगी, यदि वह (*i*) निवासी है, (*ii*) असाधारण निवासी है, तथा (*iii*) अनिवासी है ?

	रु०
(अ) देहली में उपार्जित व प्राप्त वेतन	५,०००
(ब) नेपाल में उपार्जित व देहली में प्राप्त वेतन	५,०००
(स) देहली में उपार्जित व नेपाल में प्राप्त वेतन	५,०००
(द) नेपाल में उपार्जित व प्राप्त वेतन	५,०००
(य) नेपाल में उपार्जित व प्राप्त वेतन किन्तु यह गत वर्ष में भारत में लाया गया	५,०००
(र) ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में नेपाल में उपार्जित व प्राप्त वेतन किन्तु यह वेतन ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में लाया गया	५,०००

6. In case of an employee which of the following salaries would be liable to tax if he were : (*i*) Resident, (*ii*) Not-ordinary resident, and (*iii*) A non-resident for the previous year ended 31st March 1977.

(*a*) Salary earned in Delhi and paid there Rs. 5000
(*b*) Salary earned in Nepal and paid in Delhi Rs. 5000
(*c*) Salary earned in Delhi and paid in Nepal Rs. 5000
(*d*) Salary earned in Nepal and paid there Rs. 5000
(*e*) Salary earned and paid in Nepal, but brought to Delhi during the previous year Rs. 5000
(*f*) Salary earned and paid in Nepal in year ended 31st March 1976 but remitted to Delhi in March 1977 Rs. 5000

संकेत (Hint)—निवासी (25,000), असाधारण निवासी (15,000), अनिवासी (15,000)

७. ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न व्यक्तियों का निवास स्थान निर्धारित कीजिए—

(अ) 'ब' एक भारतीय नागरिक को १ अप्रैल, १९७६ से एक कम्पनी द्वारा लन्दन में उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उसी दिन से वह लन्दन में था और १५ जनवरी, १९७७ को भारत वापिस आया।

(ब) 'स' सर्वप्रथम ३० जून, १६७० को अमेरिका से भारत आया वह यहाँ पर तीन वर्ष तक रहा और १ जुलाई, १६७३ को जापान चला गया। १ अप्रैल, १६७४ को वह भारत वापस आया और यहाँ पर ३१ जुलाई, १६७५ तक रहा। तदुपरान्त वह अमेरिका चला गया। २५ जनवरी, १६७७ को वह फिर एक अमेरिकी संस्था में, जो बम्बई में थी, नौकरी करने वापिस आ गया।

(स) आगरा निवासी 'द' उच्च अध्ययन हेतु भारत से इंगलैण्ड १ अगस्त, १६७३ को चला गया। जितने समय में वह बाहर रहा उसने आगरा में अपने रहने का मकान बनाये रखा। सर्दियों की छुट्टियों में वह दो बार भारत वापिस आया, एक बार २० दिसम्बर, १६७४ को तथा दूसरी बार २० दिसम्बर, १६७५ को और अपने आगरा निवास पर प्रत्येक बार ४० दिन रहा। ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में वह भारत में बिल्कुल नहीं आया।

7. What is the residential status of the following persons for the previous year ended 31st March, 1977 :

(*a*) B, is an Indian National who was appointed by a company as its representatives in London with effect from 1st April 1976. Since that date he was in London and returned to India on 15th January, 1977.

(*b*) C, came to India for the first time from U.S.A. on 30th June 1970. He stayed here for three years and left for Japan on 1st July 1973. He returned to India on 1st April 1974 and remained in India till 31st July 1975. Then he went back to U.S.A. He again came to India on 25th. January 1975 as the employee of an American concern in Bombay.

(*c*) D, a resident of Agra, left India for England for higher studies on 1st. August 1973. He, however, maintained a dwelling place for him at Agra throughout the period when he was abroad. During the winter vacation he came to India twice, once on 20th December 1974 and again on 20th December 1975 and stayed at the dwelling place at Agra for 40 days in each year. During the year ended 31st. March 1977 he did not come to India at all.

संकेत (Hint)—(अ) निवासी, (ब) असाधारण निवासी, (स) अनिवासी।

८. वित्तीय वर्ष १६७६-७७ के लिए श्रीकृष्णकान्त की निम्न आयें हैं—

(अ)	डेनमार्क में स्थित सम्पत्ति से आय	१०,०००
(ब)	जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन	१५,०००

(स) सिंगापुर में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियन्त्रित हैं — २५,०००

(द) भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन — ५,०००

(य) भूतकाल की बिना कर लगी विदेशी आय जो गत वर्ष भारत में लाई गई — २०,०००

(र) कानपुर के व्यापार से कमाए गये लाभ — ८,०००

कर निर्धारण वर्ष १९७६-७७ के लिए श्री कृष्णकान्त की आय की गणना कीजिए, यदि वह—

(*i*) निवासी है, (*ii*) असाधारण निवासी है, (*iii*) अनिवासी है।

[आगरा, एम० कॉम०, १९७०]

8. Followings are the Income of Sri Krishna Kant for the financial year 1976-77 :

(*a*)	Income from property situated in Denmark	10,000
(*b*)	Salary received in India for services rendered in Japan	15,000
(*c*)	Income from business of Singapore. The business is controlled from India	25,000
(*d*)	Salary received in Canada for services rendered in India	5,000
(*e*)	Past untaxed foreign income which was brought in India	20,000
(*f*)	Profits earned in business of Kanpur	8,000

Find out the Income of Sri Krishn a Kant for the assessment year if he is :

(*i*) Resident, (*ii*) Not-ordinary resident, (*iii*) and Non-resident.

Hint—(*i*) 62,000 रु० (*ii*) 52,000 रु० (*iii*) 27,000 रु०।



आय के मद-वेतन

(*Heads of Income-Salary*)

भारतीय आय-कर अधिनियम १९६१ की धारा १४ के अनुसार एक करदाता की निम्न स्रोतों की आय पर आय-कर लगाया जाता है—

(१) वेतन (Salaries)

(२) प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Securities)

(३) मकान सम्पत्ति से आय (Income from House Property)

(४) व्यापार एवं पेशे के लाभ व प्राप्तियाँ (Profits & Gains of Business or Profession)

(५) पूँजी लाभ (Capital Gains)

(६) अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)

करदाता की कोई भी आय उपरोक्त छः स्रोतों में से किसी न किसी स्रोत में अवश्य आनी चाहिए। प्रत्येक स्रोत की आय की गणना उस स्रोत के लिए आय-कर अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार की जाती है। **आय-कर अधिनियम १९६१ व आय-कर परिनियमों** (Income-Tax Rules) **में प्रत्येक स्रोत के लिए मुख्य रूप से दो बातें स्पष्ट की गई हैं—**

(A) प्रत्येक स्रोत में कौन-कौन सी आयें सम्मिलित होंगी। [Incomes to be included in a Specific Head]

(B) प्रत्येक स्रोत में सम्मिलित समस्त आयों में से कौन-कौन सी कटौतियाँ दी जायेंगी। [Deductions to be made out of the income of a Specific Head]

प्रत्येक स्रोत की शुद्ध आय ['A' में से 'B' को घटाकर] ज्ञात कर ली जाती है और **समस्त स्रोतों की शुद्ध आय के जोड़ को सकल कुल आय** (Gross Total Income) **कहा जाता है**। इस सकल कुल आय में से आय-कर अधिनियम की धारायें १० से १०(३०) तक व ८०(c) से लेकर ८०(vv) तक दी गयी कटौतियों (Deductions)

को घटाने के बाद प्राप्त आय ही करयोग्य आय कहलाती है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने योग्य है कि प्रत्येक आय केवल सम्बन्धित स्रोत (Head) में ही लिखी जानी चाहिए। यदि कोई आय धारा १४ में दिये गये किसी विशेष स्रोत (Specific Head) में आती है तो वह किसी अन्य स्रोत में केवल इसलिये करयोग्य नहीं होगी क्योंकि वह आय अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे स्रोत से सम्बन्धित है। [Supreme Court Decision : *42 ITR 49*]

इस पुस्तक में प्रत्येक स्रोत की शुद्ध आय एवं करयोग्य आय निकालने से सम्बन्धित नियमों एवं परिनियमों का विवेचन **वित्तीय अधिनियम** १९७६ व ७७ एवं **आय-कर नियम १९६२ के** [Income-Tax (Fourth Amendment) Rules 1976 सहित] अनुसार किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में 'वेतन' शीर्षक की करयोग्य आय निकालने की विधि समझाई गई है।

वेतन (Salaries)

आय-कर अधिनियम १९६१ की धारा १५ के अनुसार 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत निम्न आय सम्मिलित की जाती है—

(अ) **प्राप्य वेतन** (Salary Due)—कोई भी वेतन जो करदाता को गत वर्ष में अपने वर्तमान एवं भूतपूर्व मालिक से प्राप्य (Due) हो, चाहे वह प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं ;

(ब) **प्राप्त वेतन** (Salary Received)—कोई वेतन जो करदाता को गत वर्ष में अपने वर्तमान या भूतपूर्व मालिक से प्राप्त हो, चाहे वह देय (Due) हुआ हो अथवा नहीं ;

(स) **बकाया वेतन** (Arrears of Salary)—वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकायी गई वेतन की कोई भी बकाया राशि (Arrears) बशर्ते कि इस राशि पर गत वर्षों में आय-कर न लग चुका हो।

यदि करदाता की गत वर्ष की आय में कोई **अग्रिम वेतन** (Advance Salary) सम्मिलित कर लिया गया है तो यह वेतन 'करदाता' की आय में उस समय सम्मिलित नहीं किया जायेगा जबकि वेतन देय (Due) होगा।

वेतन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातें

(१) **वेतन का त्याग** (Surrender) **व प्रयोग** (Application)—यदि करदाता अपने वेतन का कोई भाग स्वेच्छा से त्याग देता है तो यह त्याज्य वेतन उसकी आय या वेतन का प्रयोग माना जायेगा और इस प्रकार करयोग्य वेतन में सम्मिलित किया जायेगा। यदि वेतन का कोई भाग **न्यायालय की आज्ञा से रोक लिया गया है** तो भी यह वेतन का प्रयोग माना जायेगा और करयोग्य होगा।

(२) **नियोक्ता व कर्मचारी का सम्बन्ध** (Employer & Employee Relation ship)—इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी प्राप्ति पर तब तक कर नहीं लग सकता जब तक कि भुगतान करने वाले व पाने वाले में, ऐसे भुगतान के लिए, मालिक व कर्मचारी का सम्बन्ध न हो। अतः संसद-सदस्य को प्राप्त वेतन एवं अध्यापकों को प्राप्त परीक्षा पारिश्रमिक आदि 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक मे करयोग्य है न कि वेतन शीर्षक में।

नियोक्ता से अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के नियोक्ता से है जैसे सरकार, विदेशी सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी, सार्वजनिक संस्था, साझेदारी फर्म तथा कोई भी वैयक्तिक मालिक।

(३) **नियोक्ता से ऋण** (Loan from Employer)—यदि करदाता ने कोई पेशगी ऋण के रूप में (जैसे, कार खरीदने या मकान बनवाने आदि) प्राप्त की है तो ये पेशगी राशि वेतन में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(४) **वेतन के अर्जित होने का स्थान** (Place of Accrual of Salary)—वेतन उस स्थान पर अर्जित हुआ माना जाता है जहाँ पर वह सेवा की जाय जिसके लिए वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार यदि भारत में नियुक्त एक व्यक्ति छुट्टी पर जापान चला जाता है तथा छुट्टी का वेतन वहाँ प्राप्त करता है तो इस प्रकार चुकाया गया छुट्टियों का वेतन भारतीय आय है क्योंकि यह भारत में की गई सेवाओं के बदले में है। इसी प्रकार भारत में नियुक्त एक व्यक्ति अवकाश प्राप्त करके इंगलैण्ड में रहने लगता है तो उसे इंगलैण्ड में दी गई पेंशन भारतीय आय है क्योंकि यह उसके द्वारा भारत में की गई सेवा के बदले में है। **लेकिन** यदि एक कम्पनी द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उस कम्पनी की इंगलैण्ड शाखा को हो जाता है तो उसको इंगलैण्ड में जो वेतन प्राप्त या प्राप्य होगा वह इंगलैण्ड में अर्जित आय है, भारत में अर्जित आय नहीं क्योंकि वह वेतन उसकी इंगलैण्ड में की गई सेवाओं के बदले में है।

इस नियम का एक अपवाद है

यदि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है तो ऐसी सेवाओं के बदले में भारत के बाहर चुकाया गया वेतन भारत में अर्जित आय माना जाता है। यद्यपि कुछ समय तक भारत के बाहर सेवा करते रहने पर वह अनिवासी हो जाता है फिर भी उसकी वेतन शीर्षक की आय करयोग्य मानी जाती है। किन्तु यदि उस कर्मचारी को भारत के बाहर सेवा करने के लिए जो भत्ते व अन्य सुविधायें दी जाती हैं उन पर आय-कर नहीं लगता है अतः इन्हें कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

[**धारा ९(i) (iii)**]

वेतन में क्या सम्मिलित है ?

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 'वेतन' शीर्षक में निम्न आयें करयोग्य हैं—

धारा १७(१) के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा अपने **मालिक से प्राप्त निम्न राशियाँ** करयोग्य वेतन में सम्मिलित की जाती हैं—

(*i*) मजदूरी (Wages),

(*ii*) कोई वार्षिकी या पेंशन (Annuity or Pension),

(*iii*) कोई उपहार (Gratuity),

(*iv*) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ (Perquisites) या वेतन के स्थान पर अथवा वेतन के अतिरिक्त लाभ,

(*v*) वेतन की कोई पेशगी,

(*vi*) कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि (Annual Accretion) अर्थात् कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक मालिक का चन्दा तथा फण्ड पर ब्याज ७·५% वार्षिक एवं वेतन के १/३ से अधिक भाग,

(*vii*) कर्मचारी के अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में **हस्तान्तरित** शेष (Transferred Balance) अर्थात् अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में हस्तान्तरित राशि में मालिक का चन्दा व उस पर ब्याज।

मालिक द्वारा **कर्मचारी की सेवा के लिए दी गई वार्षिकी**, उपहार या पेंशन का भुगतान भी धारा १५ के अन्तर्गत करयोग्य है चाहे यह भुगतान स्वेच्छा से किया गया हो अथवा किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत। मालिक द्वारा कर्मचारी की सेवा के लिए दिया गया **बोनस या अन्य भुगतान भी करयोग्य** है। लेकिन **वैयक्तिक आधार पर दी** गई कोई भेंट वेतन में सम्मिलित नहीं की जायेगी। जैसे जन्मदिवस व विवाह की वर्षगांठ पर भेंट।

भत्ते (Allowances)

एक करदाता को उसके नियोक्ता द्वारा गत वर्ष में दिये गये समस्त भत्ते, यदि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त नहीं है, वेतन शीर्षक में करयोग्य है। कुछ **विशिष्ट भत्तों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं**—

१. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)—इस भत्ते की सम्पूर्ण राशि करयोग्य नहीं होती है। केवल एक निश्चित सीमा से अधिक भत्ता **ही करयोग्य** माना जाता है और वेतन में सम्मिलित किया जाता है। **भत्ते की करमुक्त सीमा निम्न की न्यूनतम राशि** (whichever is less) है—

(*i*) वेतन का १/१० भाग; लेकिन यदि मकान आगरा, अमृतसर, अहमदाबाद, इन्दौर, इलाहाबाद, कोचीन, कोइमबटूर, जबलपुर, जयपुर,

लखनऊ, मदुराई, नागपुर, पटना, शोलापुर, बड़ौदा, बनारस, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास तथा पूना आदि में स्थित है तो वेतन का १/५ भाग; अथवा

(*ii*) चुकाये गये किराये का वेतन के १/१० से आधिक्य; (यहाँ पर वेतन का १/१० से आधिक्य ही लिया जायेगा चाहे भले ही मकान उपरोक्त बड़े शहरों में स्थित है)। अथवा

(*iii*) मकान किराया भत्ते की प्राप्त वास्तविक राशि ; अथवा

(*iv*) ४०० रु० प्रति माह।

उपरोक्त चारों राशियों में से जो सबसे कम राशि होगी वही मकान किराया भत्ता का करमुक्त भाग होगा। **वास्तविक प्राप्त किराया भत्ता में से करमुक्त भत्ता घटाकर जो राशि प्राप्त होगी वही वेतन में जोड़ी जायेगी। यहाँ पर वेतन का आशय 'मूल वेतन' से है। अर्थात् वेतन में मँहगाई भत्ता (यदि वह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत है) तो जोड़ देंगे, अन्य भत्ते व अनुलाभ नहीं।**

(२) **विशेष भत्ता** (Special Allowance)—विशेष भत्ते से आशय उस भत्ते से है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी विशेष कर्तव्यपालन के लिए दिया जाता है। जैसे ; यात्रा भत्ता। इस प्रकार के भत्तों का वह भाग जो करदाता द्वारा कर्तव्यपालन के लिए व्यय कर दिया जाता है करमुक्त है और शेष कर योग्य है। किन्तु यदि इस भत्ते की राशि का व्यय किया भाग प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो सम्पूर्ण प्राप्त भत्ता कर्तव्यपालन में व्यय किया माना जायेगा, अतः करमुक्त होगा।

(३) **विदेश भत्ता** (Foreign Allowance)—भारतीय नागरिक को विदेश में की गई उसकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई भी भत्ता उस कर्मचारी की वेतन आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह भत्ता आय-कर से पूर्णतया मुक्त है।

(४) **मनोरंजन भत्ता** (Entertainment Allowance)—एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सम्पूर्ण मनोरंजन भत्ता उसके वेतन में जोड़ दिया जायेगा। किन्तु यदि कर्मचारी कुछ निश्चित शर्तें पूरी करता है तो इस **भत्ते का एक निश्चित भाग वेतन में से कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।** इसके नियम इसी **अध्याय** में आगे दिये गये हैं।

(५) **मंहगाई भत्ता** (Dearness Allowance)—मंहगाई भत्ते की सम्पूर्ण राशि वेतन में सम्मिलित की जाती है। वैसे तो मंहगाई भत्ता अन्य भत्तों की तरह ही एक भत्ता है, अतः मूल वेतन (Basic Salary) का अंग नहीं माना जाता है। **किन्तु निम्न दो दशाओं में मंहगाई भत्ता 'मूल वेतन'** (Basic Salary) **का अंग माना जाता है—**

(अ) यदि मंहगाई भत्ते का मिलना **सेवा की शर्तों** के अन्तर्गत है; अथवा

(ब) यदि करदाता की **सुपरएन्युएशन या अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं के मूल्यांकन** के लिए मंहगाई भत्ता वेतन में जोड़ा जाता है।

इस प्रकार उक्त दोनों दशाओं में **'मूल वेतन' का आशय है—वेतन+मंहगाई भत्ता।**

(६) **नगर क्षतिपूरक भत्ता** (City Compensatory Allowance)—कर्मचारी को किसी विशेष शहर में नियुक्त करने के कारण उसका जो अधिक व्यय होगा उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से यह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाता है।

अनुलाभ (Perquisites)

अनुलाभ शब्द का अर्थ वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य आकस्मिक पारिश्रमिक (Casual Emolument) से है। बहुत-सी स्थितियों में अनुलाभ स्वेच्छा (Voluntary) से किये गये भुगतान होते हैं, लेकिन उनको चुकाने के लिए कानूनी दायित्व (Legal Obligation) भी हो सकता है।

सामान्यतया वे सुविधायें जो मुद्रा में नहीं दी जाती हैं, अनुलाभ मानी जाती हैं। आय-कर अधिनियम की धारा १७ के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं (चाहे वह वस्तु के रूप में है या सेवा के रूप में) का मूल्यांकन अनुलाभ माना जाता है और करयोग्य है। आय-कर की दृष्टि से इस बात का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अनुलाभ स्वेच्छा से दिये गये हैं या कानूनी दायित्व के अन्तर्गत।

एक कर्मचारी को प्राप्त समस्त अनुलाभों को सुगम अध्ययन की दृष्टि से **तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है**—

I. सामान्य अनुलाभ (General Perquisites)
II. विशिष्ट अनुलाभ (Special Perquisites)
III. करमुक्त अनुलाभ (Tax-Free Perquisites)

I सामान्य अनुलाभ (General Perquisites)

वे अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में करयोग्य है चाहे वह कर्मचारी किसी भी पद पर हो तथा उसका कितना भी वेतन हो। दूसरे शब्दों में **निम्नलिखित अनुलाभों का मूल्यांकन प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जायेगा**—

(१) मालिक द्वारा दिया गया **किराये से मुक्त निवास** (Rent-Free Accommodation)।

(२) मालिक द्वारा **रियायती किराये** पर दिया गया मकान (Concessional Rent-Free House)।

(३) मालिक द्वारा कर्मचारी के ऐसे **दायित्व का भुगतान** जिसे यदि मालिक न करता तो कर्मचारी को स्वयं करना पड़ता। उदाहरणार्थ—

मालिक द्वारा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के खर्च व कर्मचारी के क्लब व होटल के बिलों का भुगतान आदि ।

(४) मालिक द्वारा कर्मचारी के **जीवन पर कराये गये बीमे के प्रीमियम का भुगतान** । किन्तु यदि यह प्रीमियम कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड या सुपरएनुएशन फण्ड में से दिया जाता है तो यह अनुलाभ नहीं माना जायेगा ।

II विशिष्ट अनुलाभ (Special Perquisites)

वे अनुलाभ जोकि करदाता के वेतन में तभी जोड़े जायेंगे जबकि वह आय-कर अधिनियम की धारा १७(२)(iii) में दी गई निम्न तीन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो—

(अ) वह व्यक्ति अनुलाभ प्रदान करने वाली कम्पनी का **संचालक** है ; या

(ब) उस व्यक्ति का अनुलाभ प्रदान करने वाली कम्पनी में **सारवानहित** (Substantial Interest) है अर्थात् वह कम्पनी के साधारण अंशों के २०% का **स्वामी** है ; या

(स) इस व्यक्ति के वेतन शीर्षक की कुल आय (उन लाभों को छोड़कर जिनका मुद्रा में भुगतान नहीं होता) **१८,००० रु० से अधिक है** ।

यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त तीनों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है और उसको विशिष्ट अनुलाभ दिये जाते हैं तो इनका मूल्यांकन उसकी आय में नहीं जोड़ा जायेगा और इस प्रकार उस व्यक्ति के लिए ये अनुलाभ करमुक्त हो जायेंगे ।

अगर एक **संचालक** एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है तो कम्पनी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन उसके 'वेतन' शीर्षक में कर-देय होगा। किन्तु यदि वह कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं करता और उसका पारिश्रमिक 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-देय है तो उस संचालक की सुविधाओं का मूल्यांकन 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में ही कर-देय होगा । आय-कर अधिनियम १७(२)(iii) **की धारा के अन्तर्गत विशिष्ट अनुलाभ कुछ निम्न हैं— मोटर-कार, गैस, बिजली व पानी, शिक्षा, निःशुल्क यातायात, झाड़ देने वाला, चौकीदार एवं अन्य वे समस्त सुविधायें जो सामान्य अनुलाभ नहीं हैं ।**

III करमुक्त अनुलाभ (Tax-Free Perquisites)

नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रदत्त निम्न सुविधायें करमुक्त हैं, अतः इनका मूल्यांकन वेतन में नहीं जोड़ा जायेगा—

(१) करदाता व उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त निःशुल्क **चिकित्सा** सुविधायें (अर्थात् नियोक्ता के **स्वयं** के चिकित्सालय में) ।

(२) कर्मचारी के **चिकित्सा सम्बन्धी व्ययों की क्षति-पूर्ति** बशर्ते वे उसने किये हैं।

(३) कर्मचारी को प्राप्त **मनोरंजन की सुविधायें** जैसे ; खेलकूद, सिनेमा, तैरना आदि।

(४) एक कर्मचारी को दी गई **नाश्ते की सुविधा**।

(५) एक कर्मचारी के निवास पर लगे **टेलीफून के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान** भले ही टेलीफून कर्मचारी द्वारा निजी प्रयोग में लाया जाता है।

अनुलाभों का मूल्यांकन
(Valuation of Perquisites)

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) द्वारा बनाये गये Income-Tax Rules 1962 के नियम ३ (Rules 3) के अनुसार एक कर्मचारी को प्रदत्त विभिन्न अनुलाभों **का मूल्यांकन निम्न विधि से किया जायेगा**—

(१) किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of Rent-free Accommodation as Perquisite)

किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए वेतनभोगी करदाताओं को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—

(१) **सरकारी कर्मचारी** (Government Employees)—इस श्रेणी में वे वेतनभोगी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं या वे सरकारी अधिकारी जिनकी सेवायें सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं अथवा उद्योगों को उधार दे दी गई हैं।

यदि ये कर्मचारी ऐसे मकान में रहते हैं जो उनको सरकार द्वारा आवंटित किये गये हैं या जो सरकार द्वारा ऐसी संस्था या उद्योग को आवंटित कर दिये गये हैं जिनमें ये कर्मचारी कार्यरत हैं तथा संस्था या उद्योग ने इनको ये मकान दे रखे हैं। इन रिहायसी सुविधाओं का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा—

(अ) **असुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Unfurnished House)—असुसज्जित मकान की दशा में रिहायसी मकान का मूल्यांकन वह राशि होती है **जो सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है**। सरकार अपने अधिकारियों को दिये गये मकान के किराये निर्धारित करने के लिए नियम बनाती है। उन्हीं नियमों के अनुसार असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन किया जायेगा।

(ब) **सुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Furnished House)—यदि मकान सुसज्जित है तो उसका मूल्यांकन सर्वप्रथम असुसज्जित मकान

की भाँति किया जायेगा। तदुपरान्त उस मूल्यांकन में मकान में लगे फर्नीचर की लागत का १०% जोड़ दिया जायेगा, किन्तु यदि फर्नीचर किराये का है और सरकार या संस्था व उद्योग उसका किराया देता है तो फर्नीचर का वास्तविक किराया जोड़ दिया जायेगा।

संक्षेप में मूल्यांकन का सूत्र निम्न है—

असुसज्जित मकान = सरकार द्वारा निर्धारित किराया

सुसज्जित मकान = सरकार द्वारा निर्धारित किराया + फर्नीचर की लागत का १०%

या

= सरकार द्वारा निर्धारित किराया + फर्नीचर का किराया

नोट—सुसज्जित मकान का आशय उस मकान से है जिसमें टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रीजेरेटर, फर्नीचर, बिजली व अन्य प्रकार का घरेलू सामान तथा वातानुकूलित संयन्त्र आदि सब या इनमें से कुछ लगे हुए हैं। ये समस्त या केवल कुछ वस्तुएँ नियोक्ता (सरकार अथवा संस्था अथवा उद्यम) की स्वयं की भी हो सकती हैं या किराये पर प्राप्त की गई भी हो सकती हैं।

(२) **अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी**—इस श्रेणी में वे वेतनभोगी कर्मचारी आते हैं जो रिजर्व बैंक या केन्द्रीय या राज्यीय कानून द्वारा स्थापित निगम या ऐसी संस्थाएँ या उद्यम या समिति जिनको पूर्णतया या मुख्यतया सरकार द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है, अथवा ऐसी कम्पनी जिसके कम से कम ४०% अंश सरकार ने ले रखे हैं आदि में कार्यरत है।

यदि ऐसे कर्मचारियों को सम्बन्धित नियोक्ता की ओर से निःशुल्क रहने के मकान मिले हुए हैं तो **इनकी सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा—**

(अ) **असुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Unfurnished House)—जिस अवधि के लिए उसके पास मकान रहा है उस अवधि के लिए उसको देय वेतन का १०% उस मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगा।

(ब) **सुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Furnished House)—यदि मकान सुसज्जित है (अर्थात् उपर्युक्त वर्णित फर्नीचर आदि उसमें विद्यमान हैं) तो सर्व प्रथम इसका मूल्यांकन असुसज्जित मकान की भाँति किया जायेगा (अर्थात् देय वेतन का १०%, तदुपरान्त उसमें फर्नीचर की लागत का १०% जोड़ दिया जायेगा (यदि फर्नीचर नियोक्ता का है) और यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो वेतन के १०% भाग में फर्नीचर का किराया जोड़कर ही सुविधा का मूल्यांकन ज्ञात किया जायेगा।

संक्षेप में मूल्यांकन का सूत्र निम्न है—

असुसज्जित मकान का मूल्यांकन = वेतन का १०%

सुसज्जित मकान का मूल्यांकन=वेतन का १०%+फर्नीचर की लागत का १०%

या

वेतन का १०%+फर्नीचर का किराया।

(३) **अन्य कर्मचारी**—वे वेतनभोगी कर्मचारी जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते, इस तृतीय श्रेणी में सम्मिलित किये जाते हैं। इस श्रेणी में सामान्यतया वे कर्मचारी आते हैं जो निजी संस्थाओं आदि में कार्यरत हैं। **इस श्रेणी के कर्मचारियों को प्रदत्त निःशुल्क मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा**—

(अ) **असुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Unfurnished House)—जिस अवधि के लिए कर्मचारी के पास मकान रहा है उस अवधि के लिए उसको देय वेतन के १०% के बराबर राशि उस मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगी। यदि आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि वेतन का १०% भाग मकान के उचित किराये से अधिक है तो मकान का मूल्यांकन '**उचित किराया**' ही होगा। अर्थात् नियम यह है कि **वेतन का १०% या उचित किराया जो भी दोनों में से कम है।**

किन्तु यदि मकान का उचित किराया उसके सामान्य मूल्यांकन (वेतन के १०%) के दुगुने से अधिक है तो उसके सामान्य मूल्यांकन में उचित किराये का वेतन के २०% से अधिक भाग को जोड़ दिया जायेगा। **संक्षेप में;** यदि उचित किराया वेतन के २०% से अधिक है तो २०% से आधिक्य भाग को वेतन के १०% भाग में जोड़कर जो राशि आयेगी वही असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगी।

किन्तु यदि मकान बम्बई, कलकत्ता, देहली और मद्रास आदि शहरों में स्थित है तो वेतन के १०% भाग में उचित किराये का वेतन के ३०% से आधिक्य भाग ही जोड़ा जायेगा।

(ब) **सुसज्जित मकान की दशा में** (In Case of Furnished House)—सुसज्जित मकान का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम मकान का मूल्यांकन एक असुसज्जित मकान की भाँति किया जाता है, तदुपरान्त उसमें फर्नीचर की लागत का १०% (यदि फर्नीचर नियोक्ता का है) या फर्नीचर का वास्तविक किराया (यदि फर्नीचर किराये का है) जोड़ दिया जायेगा।

संक्षेप में मूल्यांकन का सूत्र निम्न प्रकार है—

असुसज्जित मकान का मूल्यांकन=वेतन का १०% या उचित किराया।
(जो दोनों में कम हो)

या

वेतन का १०%+उचित किराये का वेतन के २०% से आधिक्य भाग

या

वेतन का १०%+'उचित किराये' का वेतन के ३०% से आधिक्य भाग (यदि मकान बम्बई, कलकत्ता, देहली व मद्रास में है)

सुसज्जित मकान का मूल्यांकन = असुसज्जित की तरह मूल्यांकन+ फर्नीचर की लागत का १०%

या

असुसज्जित की तरह मूल्यांकन+ फर्नीचर का किराया

उचित किराया (Fair Rent)—तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए असुसज्जित मकान का 'उचित किराया' वह राशि है जो निम्न दो में से अधिकतम है—

(i) उसी क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य मकानों से प्राप्त किराया ; अथवा
(ii) नगरपालिका मूल्यांकन।

वेतन (Salary)—इस सुविधा का मूल्यांकन करते समय 'वेतन' से आशय उस वेतन से है जिसमें वेतन के साथ-साथ अन्य भत्ते, बोनस या कमीशन जिनका मासिक या अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान होता हो, शामिल है किन्तु इसमें निम्न सम्मिलित नहीं हैं—

(*i*) **मंहगाई भत्ता** (Dearness Allowance)—जब तक कि यह कर्मचारी के सुपरएनुएशन (Superannuation) या अवकाश सम्बन्धी सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए सम्मिलित न किया जाता हो। अर्थात् यदि मंहगाई भत्ता कर्मचारी की उपरोक्त सुविधाओं के मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित किया जाता है तो यह वेतन का भाग माना जायेगा।

(*ii*) करदाता के प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में **मालिक का चन्दा** (Employer's Contribution)

(*iii*) **आयकर से मुक्त भत्ते** (Exempted Allowances)

(*iv*) मनोरंजन भत्ते का वह भाग जो वेतन शीर्षक में कटौती योग्य है अर्थात् **मनोरंजन भत्ते का कटौती योग्य भाग।**

उदाहरण—'अ' आगरा की एक निजी कम्पनी में ३००० रु० प्रति माह पर कार्यरत है। उसको कम्पनी की ओर से एक असुसज्जित रहने का मकान मिला हुआ है जिसका कम्पनी ९०० रु० प्रति माह किराया देती है। किराये से मुक्त मकान का मूल्यांकन क्या होगा ?

An employee in Agra getting a salary of Rs. 3,000 per month is in occupation of an unfurnished house for which his employer pays a rent of Rs. 900 per month. What is the value of this rent-free accommodation ?

Solution

		Rs.
Valuation will be as under—		
Yearly Salary	=3,000 × 12=36,000	
Fair Rent	= 900 × 12=10,800	
Valuation	=10% of Salary *i. e.* (10% of Rs. 36,000)	3,600
	Excess of Rs. 10,800 over 20% of Salary *i. e.* (10,800—7,200)	3,600
	Valuation	7,200

उदाहरण—एक देहली के कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किराये से मुक्त रहने का मकान मिला हुआ है। मकान का वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन १५,००० रु० है और फर्नीचर की लागत ८,००० रु० है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर्मचारी का वेतन (बोनस, कमीशन आदि को सम्मिलित करके) ६०,००० रु० है। किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

An employee in Delhi is provided with rent-free quarters by his employer. The annual municipal valuation of the quarters is Rs. 15,000 and the cost of furniture was Rs. 8,000. For the previous year ended 31-3-1977 the employee's salary (including bonus and commission) was Rs. 60,000. Work out the value of the rent-free accommodation.

Solution

	Rs.
Annual municipal valuation *i. e.* the fair valuation	15,000
10% of Rs. 60,000	6,000
Excess of Rs. 15,000 over Rs. 18,000 being 30% of Rs. 60,000	Nil
Annual value of unfurnished house	6,000
Add 10% of the cost of furniture *i. e.* 10% of Rs. 8,000	800
Annual value of rent-free house	6,800

(२) रियायती दर पर प्राप्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of Concessional Rent-free House)

जब नियोक्ता ने कर्मचारी को रियायती दर पर रहने के मकान की सुविधा दे रखी है अर्थात् कर्मचारी से नियोक्ता रियायती दर पर किराया वसूल करता है तो ऐसे रियायती किराये पर मिले हुए मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है—

(*i*) सर्वप्रथम मकान की सुविधा का मूल्यांकन उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि यह निःशुल्क मकान है। उपरोक्त समझाये गये नियमों के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

(*ii*) तदुपरान्त इस मूल्यांकन में से करदाता द्वारा चुकाये गये किराये की राशि घटाकर दिया जायेगा । शेष राशि ही रियायती किराये पर मिले मकान की सुविधा का मूल्य होगा ।

उदाहरण ३—श्री रामप्रकाश बम्बई की एक कम्पनी में सेवारत है । वह निम्न आयें प्राप्त करता है—

	रु०
वेतन @ १००० रु० प्रति माह	१२,०००
बोनस	१,२००
मंहगाई भत्ता (सुपरएनुएशन व अवकाश सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए नहीं जोड़ा जाता)	३,०००

अनुलाभ—

उसको एक निःशुल्क किराये का मकान निवास के लिए मिला हुआ है । नियोक्ता श्री रामप्रकाश से ६०० रु० माह वसूल करता है । मकान का उचित किराया ३,००० रु० है । रियायती किराये के मकान का मूल्यांकन कीजिए ।

Sri Ram Prakash is an employee of a company in Bombay. He receives the following incomes—

	Rs.
Salary @ Rs. 1,000 per month	12,000
Bonus	1,200
Dearness Allowance (not eligible for computation of superannuation or retirement benefits)	3,000

Perquisites—

He is provided with a rent-free house by the employer at concessional rate of which he pays Rs. 600 as rent to the employer. The fair rent of the house given to her is Rs. 4,320.

Calculate the value of concessional rent-free accommodation.

Solution

		Rs.
Perquisite will be valued as follows :		
10% of Salary *i. e.*, Salary + Bonus		1,320
Add Excess of fair rent over the 30% of Salary *i. e.*	4320 —3960	360
Value of Rent-free accommodation		1,680
Less rent paid by employee		600
Value of concessional rent-free accommodation		1,080

(३) मोटर-कार आदि की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of Motor-Car as perquisite)

(I) **कार मालिक की है तथा व्यय भी मालिक करता है**—यदि कर्मचारी को दी गई कार मालिक की है और उसका व्यय भी मालिक ही करता है तो इस सुविधा का मूल्यांकन विभिन्न **दशाओं में निम्न प्रकार किया जायेगा**—

(*i*) **केवल कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिये प्रदत्त कार** (Car Provided for private use of employer)—यदि नियोक्ता ने अपनी कार कर्मचारी को **केवल निजी प्रयोग** के लिए दे रखी है तथा उसके रख-रखाव, संचालन, ह्रास आदि के समस्त व्यय नियोक्ता स्वयं ही वहन करता है तथा यदि कार का ड्राइवर भी दिया हुआ है और ड्राइवर का वेतन भी मालिक देता है तो इस कार की सुविधा का **मूल्यांकन मालिक द्वारा व्यय की गई सम्पूर्ण राशि** (ड्राइवर के वेतन सहित) तथा **सामान्य ह्रास की राशि का योग होगी।** [Rule 3(c) (*i*)]

(*ii*) **निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग**—यदि मोटर कार मालिक ने कर्मचारी को अंशत-निजी प्रयोग के लिए तथा अंशतः व्यापारिक प्रयोग के लिए दे रखी है और सम्पूर्ण व्यय मालिक द्वारा ही वहन किया जाता है तो सम्पूर्ण व्यय (ड्राइवर के वेतन सहित) व रख-रखाव के व्यय का वह भाग जो कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए हो, सुविधा का मूल्यांकन होगा।

किन्तु यह निश्चित करना यदि कठिन हो कि कितना व्यय निजी प्रयोग के लिए है तथा कितना व्यापारिक प्रयोग के लिए तो कार की सुविधा का मूल्यांकन **निम्न नियमों के अधीन होगा**—

१६ हा. पा. तक की मोटर-कार की सुविधा का मूल्य—३०० रु० प्रति माह
१६ ,, ,, से अधिक ,, ,, ,, —४०० रु० ,, ,,

यदि कार के साथ-साथ नियोक्ता ने ड्राइवर भी दे रखा है तो ड्राइवर की सुविधा के लिए १५० रु० प्रतिमाह और जोड़ दिया जायेगा। [Rule 3(c)(ii)]

नोट—यदि मालिक ने किराये पर कार लेकर दे रखी है तो भी उपरोक्त नियम ही लागू होगा।

(II) **मोटर-कार मालिक की है व्यय कर्मचारी करता है**—यदि मालिक की मोटर कार किसी कर्मचारी को केवल निजी अथवा निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों के लिए दे रखी है किन्तु निजी कार्यों के प्रयोग के समस्त व्यय स्वयं कर्मचारी करता है तो कार की सुविधा का मूल्यांकन निम्न में से कोई एक राशि होगी—

१६ हा. पा. तक	....	....	१०० रु० प्रति माह
१६ हा. पा. से अधिक	....	....	१५० रु० प्रति माह

[Rule 3(c) (ii)]

(III) **मालिक की एक से अधिक कारों का प्रयोग**—यदि मालिक की स्वयं की एक या अधिक कारें हैं या मालिक ने एक या अधिक कारें किराये पर ले रखी हैं और करदाता को उनमें से किसी एक या सभी कारों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यापारिक दोनों के प्रयोग में प्रस्तुत करने का अधिकार है तो इस सुविधा का मूल्यांकन उपर्युक्त Rule 3 (c) (ii) में समझाए गये नियमों के अनुसार होगा।

करदाता द्वारा प्रयुक्त समस्त कारों में यदि कोई भी कार १६ हा. पा. से अधिक है तो इस सुविधा का मूल्यांकन यह माना जायेगा कि नियोक्ता ने करदाता को १६ हा. पा. से अधिक की एक कार प्रयोग के लिए दे रखी है।

जब करदाता दो या दो से अधिक कारों के प्रयोग के लिए अधिकृत है और इनमें से किसी भी कार को चलाने के लिए ड्राइवर भी दे रखा है तो सुविधा का मूल्यांकन १५० रुपये प्रति माह (ड्राइवर की सुविधा का मूल्यांकन) से बढ़ा दिया जायेगा। [Rule 3 (c) (iii)]

(IV) **मोटर-कार करदाता की है और व्यय मालिक करता है**—

(*i*) **केवल निजी कार्य के लिए प्रयोग**—यदि करदाता अपनी स्वयं की कार को केवल अपने निजी प्रयोग में लाता है किन्तु उसके सम्पूर्ण व्यय (ड्राइवर के वेतन सहित) मालिक वहन करता है तो मालिक द्वारा वहन किए गये सम्पूर्ण व्यय की राशि ही सुविधा का मूल्यांकन होगी। [Rule 3 (c) (iv)]

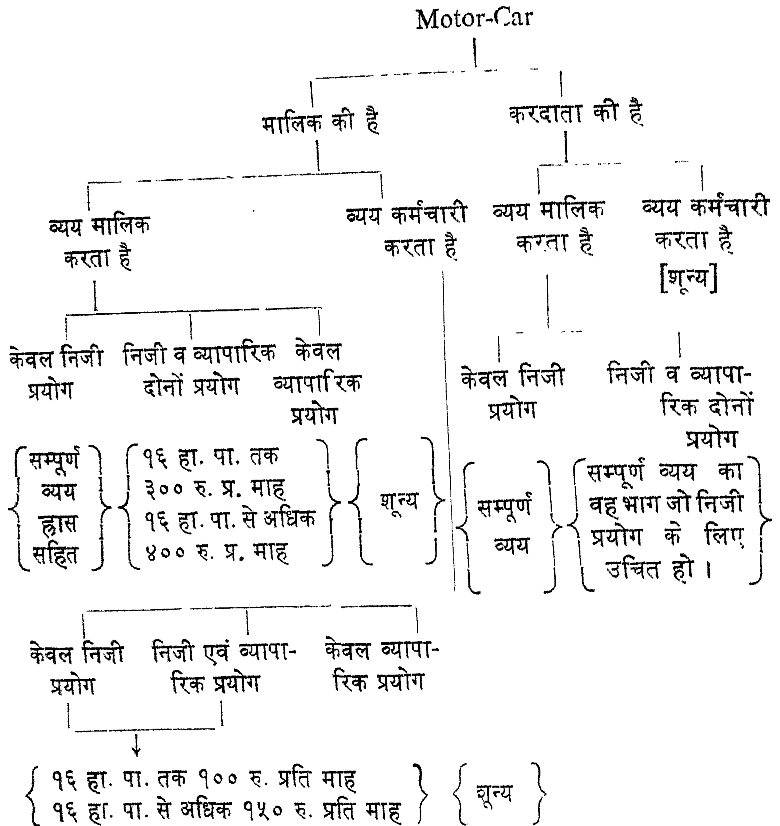
(*ii*) **निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग**—यदि कर्मचारी की मोटर-कार उसके निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है और उसको चलाने, रखने आदि के सम्पूर्ण व्यय (ड्राइवर के वेतन सहित) मालिक वहन करता है तो इस सुविधा का मूल्यांकन वह राशि होगी जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में करदाता के निजी प्रयोग के लिए उचित है। [Rule 3 (c) (iv)]

(V) **करदाता द्वारा रियायती दर पर कार या कारों का प्रयोग**—यदि नियोक्ता ने अपनी कार या कारों को प्रयुक्त करने का अधिकार करदाता को (निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोग के लिए) रियायती दर पर दे रखा है तो इस सुविधा का मूल्यांकन सर्वप्रथम उपर्युक्त नियमों के अनुसार किया जायेगा। तदुपरान्त उसमें से करदाता द्वारा नियोक्ता को देय राशि को घटा दिया जायेगा। शेष बची राशि ही सुविधा का मूल्यांकन होगी। [Rule 3 (c) (v)]

(VI) **अन्य किसी वाहन का प्रयोग**—यदि नियोक्ता द्वारा दिए गये कार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के वाहन का कर्मचारी द्वारा निःशुल्क प्रयोग किया जाता है तो कर्मचारी के लिए इस अनुलाभ का मूल्य वह राशि होगी जो आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण से नियोक्ता द्वारा इस प्रकार के वाहन पर कर्मचारी के प्रयोग के लिए सामान्य टूट-फूट सहित व्यय की गई है।

नोट—वाहन भत्ता एवं मोटर-कार की सुविधा का मूल्यांकन दोनों ही 'वेतन' शीर्षक की आय में जोड़े जाते हैं फिर भी अधिकतम Standard Deduction १००० रु० तक अनुमोदित है।

कार की सुविधा के मूल्यांकन को निम्न चार्ट से समझाया जा सकता है—



नोट—यदि नियोक्ता ने ड्राइवर भी दे रखा है तो उपर्युक्त प्रकार से कार की सुविधा का मूल्यांकन करने के उपरान्त उसमें १५० रु० प्रति माह और जोड़ दिया जायेगा। तब जो मूल्य होगा वही कार की सुविधा का मूल्यांकन होगा।

उदाहरण ४—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में नियोक्ता ने कर्मचारी को २० हा० पा० की एक मोटर कार दे रखी थी जो कर्मचारी द्वारा अपने निजी व व्यावसायिक दोनों ही प्रयोगों में प्रयुक्त की जाती थी। नियोक्ता ने कार के रख-रखाव आदि पर ४००० रु० व्यय किया। कार नियोक्ता

की है और उसका अपलिखित मूल्य १ अप्रैल, १९७६ को २०,००० रु० था। आय-कर अधिकारी यह समझता है कि कार को चलाने के व्यय का ६०% भाग व्यायसायिक प्रयोग में व्यय हुआ। अनुलाभ का मूल्यांकन क्या होगा ?

During the previous year ended 31st March 1977 an employee was provided a 20 h. p. motor-car by his employer both for private and business purposes, the running and maintenance expenses incurred by the emloyer being Rs. 4,000. The car is owned by the employer and its written-down value on 1-4-1976 was Rs. 20,000. It is conceded by the Income-Tax Officer that 60% of the running of car is for official purposes. What would be the value of this perquisite ?

Solution

	Rs.
Motor-car expenses (40% for private use)	1,600
Depreciation for private use 40% of (12% of Rs. 20,000)	1,600
Value of the Perquisite	3,200

नोट—इस प्रश्न में मोटर-कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जा सकता है किन्तु यदि सूचना के अभाव में मूल्यांकन करना सम्भव न हो तो अनुलाभ का मूल्यांकन ४०० रु० प्रति माह अर्थात् ४,८०० रु० प्रति **वर्ष** होगा।

(४) गैस, बिजली अथवा पानी आदि की सुविधा का मूल्यांकन
(Valuation of Gas, Electricity or Water etc.)

यदि मालिक ने अपने कर्मचारी को नि:शुल्क गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधायें प्रदान कर रखी हैं तो इनकी सुविधा का मूल्यांकन करते समय यह देखा जायेगा कि ये सुविधायें मालिक कहाँ से प्रदान करता है। ये सुविधायें मालिक—

(*i*) स्वयं के स्रोत से; अथवा

(*ii*) बाहरी स्रोत से क्रय करके प्रदान कर सकता है।

(*i*) **स्वयं के स्रोत से**—यदि मालिक ने ये सुविधायें स्वयं के स्रोत से प्रदान की हैं (अर्थात् गैस, बिजली व पानी कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधायें), तो इन सुविधाओं का **मूल्यांकन शून्य होगा**।

(*ii*) **बाहरी स्रोत से क्रय करके**—यदि मालिक ने ये सुविधायें बाहरी स्रोत या एजेन्सी से क्रय करके प्रदान की हैं तो इसका मूल्यांकन निम्न नियमों के अधीन किया जायेगा—

(अ) केवल कर्मचारी के **व्यक्तिगत प्रयोग** के लिए दी गई सुविधा का मूल्यांकन वह मूल्य होगा जिस पर मालिक ने यह सुविधा बाहरी स्रोत या एजेन्सी से प्राप्त की है।

(आ) केवल **व्यापारिक कार्य** के लिए प्रदान की गई सुविधा का मूल्यांकन **शून्य होगा**, क्योंकि इस सुविधा का कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं होता है।

(इ) **व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों प्रयोग** के लिए प्रदान की गई सुविधा का मूल्यांकन **निम्न दो में से न्यूनतम राशि मानी जायेगी**—

सुविधा का क्रय मूल्य अथवा वेतन का $6\frac{1}{4}\%$। **यहाँ पर वेतन का आशय 'मूल वेतन' से है।** [Rule 3 (d)]

(५) निःशुल्क शिक्षा (Free Education)

यदि मालिक ने कर्मचारी के घर के किसी सदस्य या उसके आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा सुविधायें प्रदान की हैं तो इस सुविधा का मूल्यांकन करते समय यह देखा जायेगा कि निःशुल्क शिक्षा किस स्रोत से प्रदान की गई है—

(*i*) यदि शिक्षा किसी ऐसी शिक्षा संस्था में प्रदान की गई है जहाँ पर कि नियोक्ता को व्यय करना पड़ता है तो निःशुल्क शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन नियोक्ता द्वारा **वास्तव में व्यय की गई राशि है।**

(*ii*) किन्तु यदि **नियोक्ता द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थान** में कर्मचारी के बच्चों व आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तो इस सुविधा का मूल्य वह उचित रकम होगी जोकि करदाता अपने बच्चों को किसी ऐसे ही विद्यालय में पढ़ाने में उचित रूप से व्यय करता।

[Rule 3 (e)]

(६) निःशुल्क या रियायती दर पर यातायात (Free or Concessional Transport)

यातायात के व्यापार में लगी किसी कम्पनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की गई निःशुल्क या रियायती दर की यातायात सुविधाओं, जो उसकी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों के लिए हो सकती हैं, का मूल्यांकन शून्य होगा। [Rule 3 (f)]

(७) नियोक्ता द्वारा प्रदत्त घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of Home Servants provided by the Employer)

यदि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को दिये गये रहने के मकान की देख-रेख के लिए (चाहे वह मकान मालिक का हो या कर्मचारी का, चाहे किराये पर लिया गया हो या पट्टे पर) झाड़ू देने वाला, माली, चौकीदार व अन्य किसी सेवक आदि की

व्यवस्था कर दी है और इनको **देय मजदूरी नियोक्ता द्वारा वहन की जाती है** तो यह कर्मचारी के लिए अतिरिक्त सुविधा या अनुलाभ है। **इस अनुलाभ का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा—**

(*i*) **झाड़ू देने वाला** (Sweeper)—वास्तविक मजदूरी का ७५% या ६० रु० प्रति माह, जो भी दोनों में कम हो।
(Vide C.B.D.T. Circular Letter No. 40/25/69-IT(AI) dated 12-1-70)

(*ii*) **चौकीदार** (Watchman)—वास्तविक मजदूरी का ५०% या ६० रु० प्रति माह, जो भी दोनों में कम हो।
(Vide Board's Circular No. 40/25/69-IT (AI) dated 12-1-70)

(*iii*) **माली** (Gardener)—माली के सम्बन्ध में बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा प्रदत्त माली की सुविधा को अनुलाभ नहीं माना जाता है। अतः माली को देय वेतन करदाता की करयोग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

(Vide Circular No. 130 (F. No. 142/4/74-TPL) dated 16-3-74)

(*iv*) **अन्य सेवक** (Other Servant)—आय-कर अधिकारी जो भी राशि उचित समझे।

(८) होटल के कर्मचारियों को प्रदत्त आवासीय व भोजन की सुविधा (Lodging and Boarding Facilities to Hotel Employees)

यदि नियोक्ता होटल में अपने कर्मचारियों को रहने व खाने की सुविधायें प्रदान करता है तो ये सुविधायें कर्मचारी के लिये अनुलाभ हैं। इनका **मूल्यांकन निम्न नियमों के अधीन किया जायेगा—**

(अ) **आवासीय** (Lodging)—असुसज्जित के लिए वेतन का १०% तथा सुसज्जित के लिए वेतन का १२%।

(ब) **भोजनादिक** (Boarding) होटल की वास्तविक लागत मय ऊपरी खर्चों के।

(९) बॉयलर, रेफ्रीजेरेटर व हीटर आदि की सुविधा (Perquisite of Boilor, Refrigerator, Heater etc.)

यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को ये सुविधायें प्रदान करता है और ये सभी नियोक्ता की स्वयं की हैं तो इनकी लागत का १५% कर्मचारी की करयोग्य आय में जोड़ा जायेगा अर्थात् यह एक करयोग्य अनुलाभ है।

(१०) अन्य सुविधायें (Other Perquisites)

अन्य किसी सुविधा का मूल्य जोकि मालिक द्वारा कर्मचारी को दी गई है, वह राशि होगी जो आय-कर अधिकारी की सम्मति में उचित हो। [Rule 3 (g)]

वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in Lieu of Salary)

धारा १७(३) के अनुसार वेतन के स्थान पर **लाभों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—**

(१) **प्राप्त क्षति-पूर्ति की राशि**—कर्मचारी द्वारा अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से प्राप्त अथवा प्राप्य (Due) कोई क्षति-पूर्ति की रकम, चाहे वह नौकरी की समाप्ति पर देय हो अथवा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन के कारण देय हो। क्षति-पूर्ति किसी भी कारण से प्राप्त हो, यह वेतन के स्थान पर लाभ माना जायेगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि क्षति-पूर्ति स्वेच्छा से प्राप्त हुई है या कर्मचारी ने अधिकार बतौर प्राप्त की है। धारा ८९(१) के अन्तर्गत क्षति-पूर्ति की राशि के सम्बन्ध में कर्मचारी को कुछ छूट प्राप्त हैं।

(२) **नियोक्ता से प्राप्त अन्य कोई भुगतान**—कर्मचारी द्वारा अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से प्राप्त कोई भुगतान। यह भुगतान नौकरी समाप्त होने के पश्चात् भी प्राप्त हो सकता है किन्तु यह भुगतान नौकरी के कारण ही मिलना चाहिए। भुगतान नौकरी के पश्चात् हुआ है अथवा नौकरी से पूर्व। इस बात का कोई प्रभाव इसकी करयोग्यता पर नहीं पड़ता।

किन्तु यदि वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक अपने कर्मचारी को व्यक्तिगत भेंट के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है तो यह राशि कर्मचारी के लिए करयोग्य नहीं होगी क्योंकि यह भुगतान नौकरी के कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण दिया गया है, किन्तु यदि मालिक कर्मचारी को उसकी सेवाओं की प्रसन्नता के रूप में कोई भुगतान करता है तो ऐसी राशि कर्मचारी की आय होगी। अतः करयोग्य होगी। (*41 ITR 481*)

(३) **अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त या प्राप्य** (Due) **राशि**—कर्मचारी को अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड या अन्य फण्ड (जो अनुमोदित सुपर-एनुएशन फण्ड नहीं) से प्राप्य व प्राप्त राशि जिसमें उसका स्वयं का अंशदान व उस पर ब्याज सम्मिलित न हो। संक्षेप में, **मालिक का चन्दा व उस पर ब्याज ही करदाता के लिए योग्य** है। यह महत्वहीन है कि यह भुगतान नौकरी समाप्त होने के बाद या नौकरी के दौरान प्राप्त हो।

सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में कर्मचारी के स्वयं के अंशदान पर प्राप्त ब्याज करमुक्त नहीं है। यह वेतन शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि यह वेतन के स्थान पर लाभ नहीं है। यह **'अन्य स्रोतों से आय'** शीर्षक में करयोग्य है। (*80 ITR 177*)

अपवाद (Exceptions)—कर्मचारी द्वारा प्राप्त **निम्न राशि को वेतन के स्थान पर लाभ के अन्तर्गत नहीं जोड़ा जाता है**—

(१) धारा १० (१०) के अनुसार **एक कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी** (Gratuity) **की राशि को निम्न प्रकार प्रयुक्त किया जाता है**—

(अ) सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों व स्थानीय सरकारों के कर्मचारियों को प्राप्त **'मृत्यु व अवकाश उपहार'** (Death-cum Retirement Gratuity) की सम्पूर्ण प्राप्त राशि पूर्णरूप से कर-मुक्त है।

(ब) उपहार अधिनियम १९७२ (Gratuity Act 1972) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूर्ण राशि करमुक्त है।

(स) अन्य कर्मचारियों को, जो Gratuity Act 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, प्राप्त Gratuity **की राशि निम्न सीमा तक करमुक्त है**—

(*i*) प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए $\frac{1}{2}$ माह का वेतन;

या

(*ii*) २० माह का वेतन;

या

(*iii*) ३०,००० रु० (इन तीनों में जो भी राशि सबसे कम हो)।

'वेतन'—इसकी गणना के लिए वेतन का आशय मूल वेतन है जिसमें मंहगाई भत्ता तो शामिल है, यदि यह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत हो, किन्तु अन्य कोई भत्ता आदि सम्मिलित नहीं होगा। १/२ **माह का या २० माह का वेतन** ज्ञात करने के लिए हम **निम्न मासिक औसत वेतन को आधार मानेंगे**—

$$\frac{\text{जिस वर्ष में Gratuity का भुगतान होता है उससे पूर्व के तीन वर्षों में करदाता को प्राप्त कुल वेतन}}{३६}$$

यह छूट तभी प्राप्त होती है जबकि करदाता को इसका भुगतान अवकाश ग्रहण करने पर या कार्य करने के अयोग्य होने पर या मृत्यु के समय अथवा नौकरी समाप्त होने के समय प्राप्त हुआ हो।

(२) सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा वैधानिक प्रमण्डल के कर्मचारियों को **पेंशन के बदले में प्राप्त एकत्रित राशि** (Commutation of Pension)।

(३) **अन्य किसी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन की एकत्रित राशि**; यदि यह १९ अगस्त, १९६५ से पूर्व प्राप्त हो गई है तो असीमित राशि तक करमुक्त है। किन्तु यदि यह राशि १९ अगस्त, १९६५ को या इसके बाद प्राप्त की गई है तो **यह अग्र सीमा तक करमुक्त है**—

(*i*) यदि कर्मचारी अपने मालिक से Gratuity भी प्राप्त करता है तो पेंशन की एकत्रित राशि का १/३ तक;

(*ii*) यदि कर्मचारी अपने मालिक से कोई Gratuity प्राप्त नहीं करता है तो पेंशन के आधे भाग (१/२) की एकत्रित राशि तक।

(४) कोई भी **छँटनी क्षतिपूरक राशि** (Retrenchment Compensation) जो किसी श्रमिक को प्राप्त हो, **निम्न सीमातक कर मुक्त है**—

(*i*) औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ के अनुसार निकाली गई राशि, अथवा

(*ii*) २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो)।

(५) **सरकारी प्रॉविडेन्ट फण्ड** या **वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड** से प्राप्त कोई भी राशि।

(६) **प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड** के एकत्रित शेष में से कर्मचारी को प्राप्त कोई राशि एक निश्चित सीमा तक।

(७) एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा दिया गया **विशेष मकान किराया भत्ता** जो ४०० रु० प्रति माह से अधिक न हो। इसका विस्तृत वर्णन पीछे किया जा चुका है।

उदाहरण ५—श्री राधेलाल ४२ वर्ष की नौकरी करने के उपरान्त एक कम्पनी से २८ फरवरी, १९७६ को अवकाश ग्रहण करते हैं। उनको ४२,००० रु० ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। १९७५, १९७४ एवं १९७३ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का उसका मासिक वेतन क्रमशः १४००, १२०० एवं १००० रु० रहा है। वे १९७४ में दो माह व १९७५ में ३ माह के अवकाश पर रहे हैं और इस दौरान उनको केवल आधा वेतन दिया गया है। ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना कीजिए।

Sri Radhey Lal retires from the services of a company on 28th Feb. 1976 after putting in 42 years service. He was paid Rs. 42,000 as gratuity amount. His monthly salaries during the years 1975, 1974 and 1973 have been Rs. 1,400 ; Rs. 1,200 ; and Rs. 1,000 respectively. He was on leave for 2 months in 1974 and for 3 months in 1975 and during this period he was paid half of the salaries. Calculate the exempted gratuity.

Solution

			Rs.
Average salary will be calculated as below :			
Salary for 1975	9 × 1,400	12,600	
	3 × 700	2,100	14,700
Salary for 1974	10 × 1,200	12,000	
	2 × 600	1,200	13,200

Salary for 1973	12 × 1,000	12,000	12,000
Total salary received during 3 years			39,900

$$\text{Average salary} = \frac{39,900}{36} = 1108{\cdot}33$$

Exempted gratuity will be 21 month's salary (1/2 month's salary for each year's completed service) not exceeding 20 month's salary or Rs. 30,000, whichever is less.

As 20 month's salary is less than 21 month's salary, therefore, we shall compare only

	Rs.
20 month's salary	22,167
or	or
Rs. 30,000 *i. e.* (whichever is less)	30,000

As 22,167 is less than Rs. 30,000. Hence it is the exempted amount.

	Rs.
Taxable gratuity received	42,000
Exempted gratuity	22,167
Taxable Gratuity	19,833

उदाहरण ६—मिस्टर R दिल्ली की एक संस्था में 1200/- प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत हैं। वेतन के अतिरिक्त उनको निम्न भत्ते और सुविधाएँ संस्था द्वारा प्रदान की जाती हैं।

1. बोनस 2000/- प्रतिवर्ष
2. मंहगाई भत्ता (वेतन का 10% यह भत्ता सेवाओं की शर्तों के अन्तर्गत दिया जाता है)
3. मकान किराया भत्ता—3000/- प्रतिवर्ष (मकान का वास्तविक किराया 350 रु० प्रति माह है)
4. यात्रा भत्ता—2000/- (कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पालन के लिए व्यय की गई राशि 1800/-)
5. उसके चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति की राशि—1500/-

इसके अतिरिक्त कर्मचारी को मालिक की ओर से 11 हा० पा० की एक कार मिली हुई है जिसको वह अपने निजी व व्यापारिक दोनों प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त करता है। इसका सम्पूर्ण व्यय मालिक द्वारा किया जाता है। मालिक ने कर्मचारी के निम्न व्यक्तिगत व्ययों का भुगतान स्वयं किया।

		Rs.
(अ)	गैस बिल	200
(ब)	बिजली व पानी का बिल	250

(स) कर्मचारी के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन का बिल 600

(द) चौकीदार का वेतन 800

(य) माली का वेतन 400

उपरोक्त विवरण के आधार पर R का सकल वेतन ज्ञात कीजिए।

Mr R is in the service of a concern of Delhi and getting Rs. 1200 p. m. He is provided by the concern the following allowances and perquisites—

		Rs.
1.	Bonus	2000 Per year
2.	Dearness Allowance (10% of Salary. It is given under the terms of employment.)	
3.	House rent Allowance (Actual rent of the house being Rs. 350 p. m.)	3000 per year
4.	Conveyance Allowance (Amount spent by the employee for employment Purposes being Rs. 1800)	2000
5.	Re-imbursement of his medical Expenses	1500

Beside, he is also provided with a 11 H. P. car by his employer which he uses for personal as well as employment purposes. The employer also paid the following personal expenses of the employee—

		Rs.
A.	Gass Bills	200
B.	Elecric & water bills	250
C.	Telephone bill installed at employees residence	600
D.	Salary of chowkidar	800
E.	Gardener's Salary	400

Calculate Mr. R's Gross salary on the basis of the above items.

Solution

		Rs.
Salary	@ Rs. 1200 p. m.	14,400
Dearness Allowance @ 10% of Salary		1,440
Bonus		2,000
Travelling Allowance (2,000—1,800)		200

House Rent Allowance	384
Valuation of Perquisites	
Car @ Rs. 300 p. m.	3,600
Gass Bills	200
Electricity and water bills	250
Salary of chowkidar (50% of Rs. 800 or Rs. 60 p. m. whichever is less)	400
Gross Salary	22,874

Notes :—

1. Taxable House Rent Allowance has been Calculated as below—
   Lowest of the followings is tax free
   1/5 of Salary (As house happens to be in a big city) *i. e.* 1/5 of (14,400 + 1440) = 3168
   or
   Actual rent paid exceeding 1/10 of salary (*i. e.*, 4200—1584) = 2616
   or
   Actual Allowance = 3,000
   or
   Rs. 400 p. m. = 4,800
   Hence Rs 2616 (being the lowest) is exempted
   Taxable allowance being 3,000—2616 = 384

वेतन से कटौतियाँ
(Deductions From Salary)

वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना निम्न कटौतियाँ घटाने के बाद ही की जाती है—

(१) **वैधानिक कटौती** (Standard Deduction)—धारा १६ (i) के अनुसार वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए करदाता द्वारा अपने कार्य (Employment) के सम्बन्ध में किये गये व्ययों के लिए निम्न वैधानिक छूट प्रदान की जाती है—

(अ) यदि प्राप्त वेतन की राशि १०,००० रु० से अधिक नहीं है ; वेतन २०%

(ब) यदि प्राप्त वेतन की राशि १०,००० रु० से अधिक है ; — प्रथम १०,००० रु० का २०% तथा शेष का १०% या ३,५०० रु० (जो भी दोनों में कम हो)

संक्षेप में, वेतन में से स्वीकृत वैधानिक कटौती अधिकतम ३,५०० रु० हो सकती है। किन्तु निम्न दशाओं में अधिकतम वैधानिक कटौती केवल १,००० रु० होगी—

(*i*) **वाहन भत्ता मिलने की दशा में**—यदि करदाता को नियोक्ता की ओर से कोई वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) प्राप्त होता हो; या

(*ii*) **व्यक्तिगत व निजी प्रयोग के लिए कार व अन्य वाहन**—यदि करदाता को नियोक्ता की ओर से अपने सेवा कार्यों (Employment Purposes) के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए कोई मोटर-कार, मोटर-माइकिल, स्कूटर व अन्य ऐसी ही कोई सवारी प्राप्त हो ; या

(*iii*) **व्यक्तिगत व निजी प्रयोग के लिए स्वामी की कार का प्रयोग**—यदि करदाता का नियोक्ता एक या अधिक मोटर-कारों का स्वामी है या उसने एक या अधिक मोटर-कारें किराये पर ले ली हैं और उसने अपने कर्मचारी को (जो करदाता है) उसमें से किसी एक या सभी को सेवा कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रयोग के लिए अनुमति दे रखी है।

नोट—(अ) वैधानिक कटौती के लिए **वेतन का आशय सकल वेतन से है** जिसमें वेतन, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ, भत्ते, फीस, कमीशन, बोनस आदि सब तो सम्मिलित हैं किन्तु वे राशियाँ सम्मिलित नहीं हैं जो विशेषतया करमुक्त हैं।

(ब) वैधानिक कटौती सब दशाओं में दी जाती है भले ही कर्मचारी ने सेवा के सम्बन्ध में कोई व्यय किया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में, वैधानिक कटौती की माँग करते समय करदाता को यह **सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि उसने वास्तव में सेवा के सम्बन्ध में कोई व्यय किया है।**

(स) **करयोग्य पेंशन** की गणना करते समय वैधानिक कटौती नहीं दी जायेगी क्योंकि पेंशन प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाला पेंशन सेवा कार्य से प्राप्त वेतन के समान नहीं माना जा सकता।

(द) यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को निजी व व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई

कार या अन्य सवारी दे रखी है तो एक ओर तो इस सुविधा का मूल्यांकन करके उसके वेतन शीर्षक की करयोग्य आय में जोड़ा जायेगा और दूसरी ओर इसके लिए वैधानिक कटौती केवल १,००० रु० तक ही दी जायेगी।

(य) यदि नियोक्ता अपने किसी वाहन द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को उनके निवास से कार्य-स्थल व कार्य-स्थल से वापस उनके निवास तक छोड़ने की व्यवस्था कर देता है तो यह कर्मचारियों के लिए अनुलाभ न होगा। अतः इस दशा में कर्मचारियों की करयोग्य आय निकालते समय वैधानिक छूट की अधिकतम राशि ३,५०० रु० ही होगी।

(र) किन्तु यदि नियोक्ता ने घर से कार्य-स्थल व कार्य स्थल से घर छोड़ने की सुविधा कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप में अलग साधन द्वारा प्रदान की है तो यह उस कर्मचारी के लिए अनुलाभ है। अतः इसका मूल्यांकन करयोग्य वेतन में जोड़ा जायेगा तथा वैधानिक छूट १,००० रु० तक की ही दी जायेगी।

(२) **मनोरंजन भत्ता** (Entertainment Allowance)—आय-कर अधिनियम १९६१ की धारा १६ (ii) के अनुसार यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की प्रकृति का कोई भी भत्ता दिया जाता है तो उस कर्मचारी की वेतन शीर्षक की करयोग्य आय निकालते समय सर्वप्रथम इस भत्ते की राशि को वेतन शीर्षक की आय में जोड़ लिया जायेगा। किन्तु इसके बाद इसके सम्बन्ध में **निम्न कटौती स्वीकृत होती है**—

(*i*) **सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में**—मूल वेतन का १/५ भाग अथवा ५,००० रु० अथवा वास्तविक भत्ता, जो भी दोनों में कम हो।

(*ii*) **गैर-सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में**—इस श्रेणी में वैधानिक निगम तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन कर्मचारियों को प्राप्त मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में **कटौती तभी स्वीकृत होगी** जबकि इन कर्मचारियों को यह भत्ता—

(*a*) **१ अप्रैल, १९५५ के पूर्व से;**

(*b*) **वर्तमान स्वामी या नियोक्ता से;**

(*c*) **लगातार प्राप्त हो रहा हो।**

अर्थात् यदि भत्ता १ अप्रैल, १९५५ के बाद मिलना शुरू हुआ है या यदि मिल तो १ अप्रैल, १९५५ के पूर्व से रहा है किन्तु नियोक्ता में परिवर्तन हो गया है और या यह लगातार नहीं मिलता रहा है तो मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

यदि उपरोक्त (*a*), (*b*) तथा (*c*) तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो मनोरंजन भत्ता के सम्बन्ध में निम्न कटौती स्वीकृत होगी—

An employee with 17 years good continuous service in a firm resigned on 1-2-77. The employer accepted his resignation and agreed to pay, in a view of his past services, four months' salary. *i. e.*, up to 31st May 1977 and also a gratuity of Rs. 25,000. The four months' salary and the gratuity were paid to him on 3-2-1977. The employee's salary was as follows :

	Rs.
Year ended 31-3-74	1,700 per month
31-3-75	1,800 ,, ,,
31-3-76	1,900 ,, ,,
31-3-77	2,000 ,, ,,

Compute the employee's salary income for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Salary for 10 months @ Rs. 2,000 p. m.	20,000
Advance salary received for 4 months	8,000
Gratuity as calculated below	9,700
Gross Salary	37,700
Less Standard deduction (Maximum)	3,500
Salary Income	34,200

Note : Taxable gratuity has been calculated as below—

Average salary for three years immediately preceding the year in which the gratuity paid is 1,700 + 1,800 + 1,900/3 = Rs. 1,800 p. m. Exempted Gratuity

8½ months salary not exceeding 20 months salary or Rs. 20,000 (whichever is less)

Hence 8½ months salary *i. e.* Rs. 15,300 will be exempted

Taxable gratuity will be

Gratuity Paid	25,00(
Exempted Gratuity	15,30(
	9,70(

उदाहरण ६—A Ltd. ने 'एक्स' को ६,००० रु० प्रति माह पर नौकरी दें का प्रस्ताव किया। कम्पनी ने 'एक्स' को यह स्वतन्त्रता दी कि वह या तो बम्बई i कम्पनी की ओर से एक निःशुल्क सुसज्जित मकान ले सकता है जिसका किराय

(१,००० रु० प्रति माह है तथा जिसमें १२,००० रु० की लागत का फर्नीचर लगा है) स्वयं कम्पनी द्वारा दे दिया जायेगा और या वह कम्पनी से १,००० रु० प्रति माह मकान किराया भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकता है और स्वयं अपने द्वारा लिये गये मकान में रह सकता है। 'एक्स' ने नकद मकान किराया भत्ता लेना स्वीकार किया तथा बम्बई में एक सुसज्जित मकान ८०० रु० माहवार किराये पर लेकर रहने लगा।

आय-कर की दृष्टि से बताइए कि क्या 'एक्स' का निर्णय बुद्धिमतापूर्ण है ?

X is offered an employment by A Ltd. on a consolidated salary of Rs. 6,000 per month. The company gives X the option either to take a rent-free furnished accommodation at Bombay for which the company would bear directly the rent (which is Rs. 1,000 p. m. The cost of furuiture being Rs. 12,000) or to accept a cash house allowance of Rs. 1,000 per month and find his own accommodation. X decides to accept the cash house-rent allowance and takes a furnished house at Bombay on a rent of Rs. 800 per month.

Examine from the income-tax point of view whether X has made a wise choice.

Solution

		Rs.
Salary Income at First Option :		
Salary		72,000
Perquisite or rent-free house :		
10% of 72,000	7,200	
Add 10% of the cost of furniture	1,200	8,400
		80,400
Less Standard deduction (Maximum)		3,500
Salary Income		76,900
Salary Income Under the Second Option :		
Salary		72,000
House rent allowance calculated as below		9,600
Gross Salary		81,600
Less Standard deduction (Maximum)		3,500
Salary Income		78,100

Under the second option he has to pay tax on Rs. 1200 more, and it looks that he has not made a wise choice. But that is not so, because he receives Rs. 12,000 as house rent allowance and pays only Rs. 9,600 and thus saves Rs. 2,400 annually.

The amount of income-tax payable on Rs. 1,200 additional income is much less than Rs. 2,400. Therefore, he has made a wise choice by accepting house rent allowance.

Note : Exempted position of house rent allowance is the lowest of the followings—

	Rs.
(*a*) Actual allowance	12,000
(*b*) Actual rent paid exceeding 1/10 of salary (9,600—7,200)	2,400
(*c*) 1/5 of salary (as the house is situated in Bombay)	14,400
(*d*) Rs. 400 per month	4,800

Lowest of all is Rs. 2,400

Hence taxable allowance will be 12,000—2,400 = 9,600.

उदाहरण १०—एक्स १९५४ से एक कम्पनी में ३,७५० रु० प्रति माह पर सेवारत है। उसको १-४-१९७६ से ८०० रु० प्रति माह के हिसाब से मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। १ अप्रैल, १९५५ से पूर्व उसको ७०० रु० प्रति माह की दर से मनोरंजन भत्ता मिलता था। उसके पास अपनी कार है जिसको वह सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करता है। उसने व्यवसाय-कर के रूप में २५० रु० भुगतान किया तथा ३१-३-१९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए १,५०० रु० बोनस के प्राप्त किये। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिये।

X, an employee of a company since 1954, is drawing a salary of Rs 3,750 and an entertainment allowance of Rs. 800 per month from 1-4-1976. Prior to 1-4-1955 his entertainment allowance was Rs. 700 per month. He owns a motor-car which he uses for the purpose of his employment. He paid Rs. 250 as profession-tax and received Rs. 1,500 as bonus for the year ended 31-3-1977. compute his salary income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
Salary as such		45,000
Bonus		1,500
Entertainment allowance		9,600
Gross Salary		56,100
Less Standard deduction (Maximum)	3,500	
Enrertainment allowance as below	7,500	11,000
Salary Income		45,100

Note :

1. Deductible entertainment allowance is the lowest of the followings—

		Rs.
(*a*)	Amount drawn before 1-4-1955	8,400
(*b*)	1/5 of basic salary	9,000
(*c*)	Actual allowance	9,600
(*d*)	Rs. 7.500 p. a.	7,500

2. No-deduction is allowed in respect of Professional-Tax paid.

उदाहरण ११—एक बैंक मैनेजर को ५,००० रु० प्रति माह वेतन तथ ५,००० रु० प्रति वर्ष मनोरंजन भत्ता, जो १ अप्रैल, १९५४ से दिया जाता है, मिल रहा है। ५-१२-१९७६ को उसने एक मोटर-कार खरीदी जिसे वह अपने सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करता है।

(अ) उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

(ब) यदि वार्षिक मनोरंजन भत्ता ८,००० रु० मिलता तो उसकी वेतन शीर्षक की आय में क्या अन्तर पड़ता ?

The manager of a bank has been paid a monthly salary of Rs. 5,000 and an annual entertainment allowance of Rs. 5,000 since 1st April 1954. On 5-12-1976 he purchased a motor-car which he uses for purpose of his employment.

(*a*) Work out his salary income for the assessment year 1977-78.

(*b*) Would it make any difference if the annual entertainment allowance received by him were Rs. 8,000.

Solution

			Rs.
(*a*)	Salary for the year		60,000
	Entertainment allowance		5,000
	Gross Salary		65,000
	Deductions :		
	Standard deduction (Maximum)	3,500	
	Entertainment allowance as below	5,000	8,500
	Salary Income		56,500

(*b*)	Salary for the year		60,000
	Entertainment allowance		8,000
	Gross Salary		68,000
	Less Standard deduction (Maximum)	3,500	
	Entertainment allowance	7,500	11,000
	Salary Income		57,000

Note :

Deductible entertainment allowance is the lowest of the followings—

	(*a*)		(*b*)
1/5 of Salary	12,000		12,000
or			
Actual Allowance	5,000		8,000
or			
Allowance before 1-4-1955	5,000		8,000
or			
Rs. 7,500	7,500		7,500
Hence	5,000	&	7,500

उदाहरण १२—एक्स, एक कालेज के प्राचार्य, १,००० रु० प्रति माह वेतन व १०० रु० प्रति माह मंहगाई भत्ते पर कार्यरत हैं। २०-७-१९७६ को उन्होंने एक कार खरीदी जिसको वे सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। १-१२-१९७६ को अपनी लड़की की शादी के खर्चों की पूर्ति के लिए उसने दो माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया तथा अपने नियोक्ता से ५,००० रु० का ऋण प्राप्त किया। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ को उसकी वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

X, the principal of a college, draws a monthly salary of Rs. 1,000 and a dearness allowance of Rs. 100. On 20-7-1976 he purchased a motor-car which he uses for the purpose of his employment. On 1-12-1976 in order to meet the expenses of his daughter's marriage, he received an advance of two months' salary and also took a loan of Rs. 5,000 from his employer for the purpose. What is his Salary income for the assessment year 1977-78 ?

Solution

	Rs.
Salary	12,000
Dearness allowance	1,200
Advance salary for 2 months, including D. A.	2,200
Gross Salary	15,400

Less Standard Deduction		
On 1st 10,000 @ 20%	2,000	
On Next 5,400 @ 10%	540	2,540
Salary Income		12,860

Note :

(*a*) It is presumed that advance of 2 months salary is not paid for during the previous year 1976-77.

(*b*) The loan of Rs. 5,000 taken from the employer for his daughter's marriage is not taxable as salary.

उदाहरण १३—एक्स एक कम्पनी में प्रबन्धक है। वह ३,००० रु० प्रति माह वेतन, १५० रु० प्रति माह कार भत्ता तथा शुद्ध लाभों पर १% कमीशन पाने का अधिकारी है। उसको असुसज्जित मकान भी कम्पनी की ओर से प्राप्त है। गत वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ २,००,००० रु० के थे। भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसको ३०० रु० प्रति माह पेंशन के भी प्राप्त होते हैं। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

As the manager of a company, X is getting a monthly salary of Rs. 3,000, a commission of 1% on the net profits and a motor-car allowance of Rs. 150 per month. He is also provided with a free unfurnished house. The profits of the company for the year were Rs. 2,00,000. As an ex-employee of Government he is also getting a pension of Rs. 300 per month. Compute his salary income for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Salary	36,000
Pension	3,600
Commission	2,000
Value of rent-free unfurnished accommodation 10% of (Rs. 36,000 + 2,000)	3,800
Gross Salary	45,400
Less Standard deduction (Maximun)	1,000
Salary Income	44,400

Note : It is presumed that motor car Allowance is fully spent for employment purposes. Hence it is totaly exempt from Tax.

उदाहरण १४—मि० एक्स एक फर्म में शाखा प्रबन्धक हैं। वे २,००० रु० प्रति माह वेतन तथा १०% मंहगाई भत्ता व ३,००० रु० प्रति वर्ष बोनस प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें फर्म की ओर से सुसज्जित बंगला, जिसमें फर्म का

२५,००० रु० का फर्नीचर इत्यादि लगा है, भी मिला हुआ है। बंगले का उचित किराया ७,००० रु० प्रति वर्ष है। फर्म की ओर से उसे एक २० हा० पा० की कार भी मिली हुई है जिसे वह सेवा कार्य एवं निजी कार्य दोनों के लिये प्रयुक्त करता है। फर्म की कार को फर्म का ड्राइवर ही चलाता है। बंगले की देखरेख के लिये फर्म की ओर से एक माली व एक चौकीदार भी प्राप्त है जिनका वेतन क्रमशः ८० रु० व १०० रु० प्रति माह है, जो फर्म द्वारा ही दिया जाता है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए मि० एक्स की वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

Mr. X is the branch manager in a firm. He draws Rs. 2,000 p. m. as Salary, 10% Dearness Allowance and Rs. 3,000 per annum as Bonus. Besides, he is also provided with a rent-free furnished bungalow, equipped with a furniture of Rs. 25,000 of the firm. The fair rent of the bungalow is Rs. 7,000 per year. He is also provided with a 20 h. p. car of the firm which he uses for private as well as business purposes. Firm's car is being driven by the firm's driver. Firm has also provided to Mr. X a Gardener and a chowkidar whose salaries are Rs. 80 and Rs. 100 p. m. respectively. The salaries of these persons are given by the firm.

Compute Mr. X's income from salary for the year ended 31st March, 1977.

Solution

	Rs.
Salary	24,000
Dearness allowance	2,400
Bonus	3,000
Valuation of perquisites	
Rent-free furnished bungalow calculated as below :	8,050
Car @ Rs. 550 p. m. with driver *i. e.* (400 + 150)	6,600
Chowkidar 50% of pay or Rs. 60 p. m. (whichever is less)	600
Gross Salary	44,650
Less Standard deduction (Maximum)	1,000
Salary Income	43,650

Note :

(*a*) Valuation of rent-free furnished bungalow is as follows—
10% of salary (24,000 + 3,000) *i. e.* 2,700 + excess of fair rent

over 20% of salary (7,000—5,400) *i. e.*, 1,600=4,300+15% of the cost of furniture *i. e.*, 3,750=8,050.

(*b*) Payment by employer to Gardener kept for employee house is not regarded as taxable perquisite Vide Circular No. 130 (F. No. 142/4/74—TPL) dated 16-3-1974.

प्रॉविडेन्ट फण्ड
(Provident Fund)

'**प्रॉविडेन्ट फण्ड**' का आशय एक कर्मचारी के भविष्य के लिए प्रावधान करने से है। यह एक विधि है जिससे प्रत्येक कर्मचारी आवश्यक रूप से अपने भविष्य के लिए बचत कर लेता है। इस बचत करने के प्रयास में नियोक्ता (स्वयं फण्ड में चन्दा देकर) तथा सरकार (इस बचत के सम्बन्ध में आय-कर की छूट देकर) दोनों ही सहायता करते हैं। एक वेतन पाने वाला **कर्मचारी जिन-जिन प्रॉविडेन्ट फण्डों का सदस्य हो सकता है वे निम्न हैं**—

(१) वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (Statutory Provident Fund)
(२) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)
(३) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड (Unrecognised Provident Fund)
(४) सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड (Public Provident Fund)
(५) स्वीकृत सुपरएन्युएशन फण्ड (Approved Superannuation Fund)

इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है—

(१) **वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड** (Statutory Provident Fund)—ये वे प्रॉविडेन्ट फण्ड हैं जिन पर प्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट १९२५ (Provident Fund Act 1925) लागू होता है। ये फण्ड सरकारी (केन्द्रीय व राज्यीय) कार्यालयों, अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों सरकारी निगमों, बैंकों आदि में रखे जाते हैं। ये प्रॉविडेन्ट फण्ड उक्त एक्ट की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रखे जाते हैं।

(२) **प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड** (Recognised Provident Fund)—यह वह फण्ड है जो आय-कर कमिश्नर (Commissioner of Income-Tax) द्वारा स्वीकृत होता है। यह प्रॉविडेन्ट फण्ड सामान्यतया निजी संस्थाओं व कम्पनियों में रखा जाता है और संस्था या कम्पनी आय-कर कमिश्नर के यहाँ इस फण्ड को स्वीकृत करा लेती है। इस फण्ड को रखने व स्वीकृत कराने सम्बन्धी सभी नियम आय-कर अधिनियम १९६१ की अनुसूची ४ के भाग 'अ' में वर्णित हैं। इनमें वे फण्ड भी शामिल होते हैं जो Employees Provident Fund Act 1952 के अन्तर्गत बनाये जाते हैं।

(३) **अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड** (Unrecognised Provident Fund)—वह फण्ड जो निजी कम्पनियों व संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए रखा जाता है,

किन्तु यह फण्ड आय-कर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित या प्रमाणित नहीं होता। अतः यह अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड कहलाता है।

(४) **सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड** (Public Provident Fund)—यह सर्वसाधारण के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रॉविडेन्ट फण्ड है जो १ जुलाई, १९६८ से प्रारम्भ किया गया। केवल नौकरी वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि स्वयं पेशे वाले व्यक्ति, जैसे डाक्टर, वकील इन्जीनियर्स आदि अथवा व्यापारी एवं व्यवसायी लोग भी इस फण्ड के सदस्य हो सकते हैं। वास्तव में यह फण्ड सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए बचत करने का एक साधन है। इस फण्ड में जमा की गई राशि को कुछ आय-कर की छूटें भी प्राप्त हैं।

इसमें १०० रु० से लेकर १५,००० रु० तक की राशि एक वर्ष में जमा कराई जा सकती है। इसको किसी भी स्टेट बैंक व उसकी सहायक बैंकों में खोला जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी राशि ५ रु० के गुणन में जमा करा सकता है। इसमें जमा कराई गई सम्पूर्ण धनराशि १५ वर्ष बाद ही निकाली जा सकती है। इस पर १ अप्रैल, १९७० से ५% की दर से ब्याज भी मिलता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पूर्ण जमाराशि उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। कुछ शर्तों के अन्तर्गत आंशिक रूप से रुपये निकाले जा सकते हैं एवं ऋण की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

इस फण्ड में शेष धन को किसी भी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता। इस फण्ड के सदस्य को कर से वे सब छूटें उपलब्ध हैं जो एक वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड के सदस्य को प्राप्त हैं।

(५) **स्वीकृत सुपरएन्युएशन फण्ड** (Approved Superannuation Fund)—यह वह फण्ड है जो चौथी अनुसूची के भाग 'ब' में दिये गये नियमों के अन्तर्गत आय-कर कमिश्नर (Commissioner of Income-Tax) द्वारा स्वीकृत किया गया है एवं स्वीकृत किया जाता रहा है।

इस फण्ड में दिया गया कर्मचारी का स्वयं का अंशदान कुल आय की गणना करने में कटौती योग्य होता है। इससे प्राप्त कोई भी भुगतान, जोकि हितकारी (Beneficiary) की मृत्यु पर होता है या वार्षिकी (Annuity) के बदले या एकमुश्त में या हितकारी की मृत्यु पर अंशदान की वापिसी के रूप में किया जाये, कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

प्रॉविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी आय-कर की छूट के नियम—आय-कर की छूट ज्ञात करने के लिए प्रॉविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी समस्त नियमों का विस्तृत विवेचन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि **प्रॉविडेन्ट फण्ड में क्या-क्या सम्मिलित होता है?** अग्र राशियों से युक्त फण्ड ही प्रॉविडेन्ट फण्ड होता है—

(*i*) **कर्मचारी का अंशदान** (Employees Contribution)—प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन का कुछ भाग कटवा कर प्रत्येक माह अपने प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा करवाता है। प्रत्येक कर्मचारी का एक अलग प्रॉविडेन्ट फण्ड खाता नियोक्ता के यहाँ खुला होता है जिसमें कर्मचारी के वेतन से प्रति माह काटी जाने वाली राशि जमा कर दी जाती है।

(*ii*) **नियोक्ता का अंशदान** (Employer's Contribution)—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कर्मचारी के प्रॉविडेन्ट फण्ड द्वारा बचत करने के प्रयास में नियोक्ता भी योगदान करता है। अतः नियोक्ता भी प्रति माह कर्मचारी के अंशदान के बराबर या इससे कम या अधिक उसके प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा करता है। इस प्रकार **प्रत्येक कर्मचारी के प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में उसका स्वयं का अंशदान व उसके नियोक्ता का अंशदान प्रति माह जमा हो जाता है।**

(*iii*) **प्रॉविडेन्ट फण्ड पर ब्याज** (Interest on Provident Fund)—प्रॉविडेन्ट फण्ड में एकत्रित प्रत्येक माह की सम्पूर्ण राशि को विशेष शर्तों व नियमों के अधीन विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है। ऐसे विनियोग से प्राप्त ब्याज की राशि भी प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में जमा कर दी जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में उसका स्वयं का अंशदान व उसके नियोक्ता का अंशदान व उस पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित होती है।

इनके सम्बन्ध में आय-कर के नियम निम्न तालिकाओं की मदद से समझाये जा सकते हैं।

(I) वे राशियाँ जो कर्मचारी (करदाता) की कुल आय में जोड़ी जाती हैं

विवरण	वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड
(i) **कर्मचारी का अंशदान**	प्रत्येक कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में से दिया जाता है अतः उसकी कुल आय में उसका सम्पूर्ण वेतन लिखा जाता	कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में जुड़ा रहता है।	कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में जुड़ा रहता है।

	है। इसका आशय है कि कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन में जुड़ा रहता है।		
(ii) नियोक्ता का अंशदान	यह कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।	नियोक्ता के अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के १०% से अधिक है, उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है।	यह कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।
(iii) फण्ड पर ब्याज	इस फण्ड पर प्राप्त ब्याज कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ी जाता	इस फण्ड पर प्राप्त ब्याज का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के १/३ से अधिक है अथवा ७·५% की दर से अधिक है, उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है। संक्षिप्त में इस फण्ड पर प्राप्त ब्याज दो सीमाओं के अन्तर्गत होनी चाहिए— (अ) वेतन के १/३ भाग तक। (ब) ब्याज की दर ७·५% से अधिक न हो। जो भी राशि इन दोनों सीमाओं से या दोनों में से किसी एक सीमा से अधिक होगी, वहीं कुल आय में जोड़ दी जायेगी।	इस फण्ड पर प्राप्त ब्याज कर्मचारी की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता।

(II) कटौती योग्य राशि व उसकी अधिकतम सीमा (Amount Qualifying For Deduction and Maximum Limit)

विवरण	वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड
(i) कर्मचारी का अंशदान	इसमें किया गया कर्मचारी का सम्पूर्ण अंशदान कटौती योग्य है। अंशदान की कटौती योग्य राशि करदाता की सकल कुल आय के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए।	इस फण्ड में किया गया कर्मचारी का अंशदान उसके वेतन का १/५ भाग अथवा १०,००० रु० (दोनों में जो भी राशि कम हो) तक ही कटौती योग्य है, बशर्ते कि यह उसकी सकल कुल आय के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए।	इस फण्ड में किया गया कर्मचारी का अंशदान कटौती योग्य नहीं है।
(ii) एक कर्मचारी द्वारा किये गये निम्न कुछ व्यय— (अ) अपने, अपनी पत्नी या पति के, अपने बच्चोंके जीवन पर ली गई पृथक या संयुक्त जीवन बीमा पालिसी के लिए दिया गया बीमा प्रीमियम बशर्ते कि प्रीमियम की राशि पालिसी की राशि के १०% के अधिक न हो। (ब) अपने, अपनी पत्नी या पति के व	यदि कोई कर्मचारी अपने अंशदान के अतिरिक्त (अ) से लेकर (ल) तक वर्णित व्यय भी करता है तो उसकी कटौती योग्य राशि में ये समस्त व्यय भी जोड़ दिये जायेंगे। किन्तु इन सब व्ययों को जोड़कर भी कटौती योग्य राशि अधिकतम सकल कुल आय के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) तक हो सकती है। अर्थात् कर्मचारी का अंशदान	यदि कोई कर्मचारी अपने अंशदान के अतिरिक्त (अ) से लेकर (ल) तक वर्णित व्यय भी करता है तो उसकी कटौती योग्य राशि में ये समस्त व्यय भी जोड़ दिये जायेंगे। किन्तु इन सब व्ययों को जोड़ कर भी कटौती योग्य राशि सकल कुल आय के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् कर्मचारी का अंशदान	यदि कोई कर्मचारी (अ) से लेकर (ल) तक वर्णित व्ययों को करता है तो इन समस्त व्ययों का योग कटौती के योग्य राशि होगी, किन्तु इन सबका योग सकल कुल आय के ३०% या २०,०००रु० (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् कर्मचारी द्वारा किये गये समस्त व्यय G.T.I के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो)

बच्चों के लिए ली गई आगामी वार्षिकी (Deferred Annuity) के लिए भुगतान। (स) सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड में दिया गया अंशदान। (द) डाकखाने के १० वर्षीय या १५ वर्षीय (संचयी समय जमा) बचत खाते में जमाराशि। अधिकतम ५०० रु० प्रति माह तक जमा की गई राशि। (य) अनुमोदित सुपरएन्युएशन फण्ड में अंशदान। (र) Unit Link Insurance Plan में हिस्सेदारी के लिए स्वयं का अंशदान। (ल) सरकार द्वारा उसके वेतन से उसके लिए व उसके जीवन साथी व बच्चों के लिए आगामी वार्षिकी (Deferred annuity) खरीदने के लिए दी गई कटौती की राशि।	व समस्त व्यय सकल कुल आय (G.T.I) के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) तक कटौती योग्य राशि है।	व समस्त व्यय G.T.I. के ३०% या २०,००० रु० (जो भी दोनों में कम हो) तक कटौती योग्य राशि है। **नोट**—इस फण्ड के लिए वेतन का आशय मूल वेतन से है जिसमें मंहगाई भत्ता शामिल हो सकता है यदि वह सेवा की शर्तों के अन्तर्गत है, किन्तु अन्य भत्ते व अनुलाभ आदि सम्मिलित नहीं होंगे।	तक कटौती योग्य राशि है।
(iii) **मालिक का अंशदान व फण्ड पर ब्याज।**	इसके लिए कोई कटौती नहीं दी जाती।	कोई कटौती नहीं दी जाती है।	कोई कटौती नहीं दी जाती है।

(III) कटौती योग्य राशि के सम्बन्ध में कुल आय में से की जाने वाली कटौती (Deduction From Total Income in Respect of Qualifying Amount)

कटौती योग्य राशि (उपर्युक्त वर्णित व गणित) का निम्न भाग करदाता की कुल आय में से घटा दिया जायेगा—

कर-निर्धारण वर्ष	**१६७७-७८ के लिए**
प्रथम ४,००० रु० की राशि तक	१००% कटौती
अगले ६,००० रु० की राशि तक	५०% कटौती, एवं
शेष राशि की	४०% कटौती दी जायेगी।

अतः यदि कटौती योग्य राशि ८,००० रुपये है तो कटौती ६,००० रु० होगी जो निम्न प्रकार निकाली जायेगी—

प्रथम	४,०००	का	१००%	४,०००
द्वितीय	४,०००	का	५०%	२,०००
			कुल	६,०००

इसी प्रकार **यदि कटौती योग्य राशि** २०,००० रु- है तो कटौती ११,००० रु० होगी जो निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी—

प्रथम	४,०००	१००%	४,०००
द्वितीय	६,०००	५०%	३,०००
शेष	१०,०००	४०%	४,०००
		कुल	११,०००

इस प्रकार धारा ८०c में दी जाने वाली अधिकतम कटौती की राशि एक व्यक्ति (Individual) के लिए **११,००० रु० तक** हो सकती है।

अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी छोड़ने पर इन फण्डों से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में आय-कर के नियम —

(१) **वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड** से, अवकाश ग्रहण करते समय या नौकरी छोड़ते समय, प्राप्त राशि **पूर्णतया करमुक्त** है। अर्थात् यह राशि न तो कुल आय में जोड़ी जाती है और न इस पर आय-कर लगता है।

(२) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त राशि भी **पूर्णतया करमुक्त** है बशर्ते कि करदाता निम्न शर्तें पूरी करता हो—

(*i*) उसने कम से कम ५ वर्ष लगातार सेवा करने के बाद अवकाश ग्रहण किया है या नौकरी छोड़ी है।

वेतन एवं प्रॉविडेन्ट फण्ड (संक्षेप में)
[Salary and Provident Fund (in brief)]

(अ) वेतन (Salary)

वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है—

1. Salary @ Rs.... ....p. m............	....	....
2. Allowances :		
(i) वे भत्ते जो सर्वप्रथम जोड़ दिये जाते हैं बाद में उन पर कटौती मिलती है। जैसे मनोरंजन भत्ता आदि।	....	
(ii) वे भत्ते जो पूर्णतया कर योग्य हैं। जैसे मँहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, बोनस, कमीशन आदि।	....	
(iii) वे भत्ते जिनका कुल भाग कर मुक्त है तथा कुछ भाग कर-योग्य जैसे मकान किराया भत्ता, Death cum Retirement Gratuity आदि। इन भत्तों का करयोग्य भाग ही वेतन शीर्षक की आय में जोड़ा जाता है।	....	
(iv) वे भत्ते जो पूर्णतया कर मुक्त हैं जैसे सवारी भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि। इनको वेतन शीर्षक की आय में नहीं जोड़ा जाता।	....	
	...	....
3. Perquisites :		
(i) Valuation of rent free house		
(ii) Valuation of Concessional rent free house		
(iii) Payment of employer's obligation by the employer	....	
(iv) Life Insurance Premium paid by employer on employee's life	....	
(v) Valuation of car, Free water, Gass, electricity, Chowkidar Sweeper etc.	....	
[यदि करदाता पृष्ठ ५६ पर वर्णित तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है]	....	
		...

4. Profits in lieu of Salary :		
(*i*) Compensation for Loss of service or change in terms and conditions of service.	....	
(*ii*) Transferred balance being employer's Contribution and Interest thereon.	....	
(*iii*) Any other payment by employer for Good Services.		....
5. Employer's Contribution to P. F. : In excess of 10% of salary [केवल Recognised P. F. की दशा में]	....	....
6. Interest on Provident Fund : In excess of 1/3 of Salary or 7·5% rate of Interest [केवल Recognised P. F. की दशा में]	....	....
Gross Salary		
Less :		
1. Standard Deduction Gross Salary के प्रथम १०,००० रु० तक २०% शेष राशि का १०% या ३,५०० रु० [कुछ दशाओं में १,००० रु०] (जो भी दोनों में कम है)	....	
2. Entertainment Allowance [restricted to 1/5 of Salary or Rs. 7,500 (whichever is less)]	....	
Net Salary Income being Gross Total Income		
Deductions : In respect of P. F. Contribution & life Premium etc. Q. A. के प्रथम ४,००० रु० का १००% ... Q. A. के अगले ६,००० रु० का ५०%.... Q. A. के शेष भाग का ४०%....	. ..	....
Taxable Income		

(*ii*) यदि उसने ५ वर्ष तक सेवा नहीं की है तो उसका अवकाश ग्रहण व नौकरी से त्याग **निम्न में से किसी भी कारण से होना चाहिए**—

(अ) उसकी बीमारी के कारण ;

(ब) नियोक्ता द्वारा व्यवसाय को संकुचित करने के कारण ;

(स) अन्य कोई भी कारण जो कि कर्मचारी की शक्ति के बाहर हो ।

(३) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त राशि का वह भाग जो कर्मचारी का अंशदान व उस पर ब्याज घटाने के बाद आयेगा, करयोग्य है । अर्थात् **कर्मचारी का अंशदान व उस पर ब्याज पूर्णतया कर मुक्त है, जबकि नियोक्ता का अंशदान व उस पर ब्याज उसकी कुल आय में जोड़ा जायेगा** । अतः यह **करयोग्य** है ।

(ब) प्रॉविडेन्ट फण्ड के नियमों का सारांश

(Summary of Provident Fund Rules)

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एवं व्यावहारिक प्रश्नों (Practical Questions) के हल को सरल बनाने के लिए प्रॉविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित सभी नियमों को संक्षेप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं :—

विवरण	वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड	सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड
१. कर्मचारी (करदाता) का अंशदान	**सर्वप्रथम** वेतन में जोड़ा जाता है । सामान्यतया यह वेतन में जुड़ा रहता है ।	वेतन में जोड़ा जाता है । सामान्यतया यह वेतन में जुड़ा रहता है ।	वेतन में जोड़ा जाता है । सामान्यतया यह वेतन में जुड़ा रहता है ।	वेतन में जुड़ा रहता है ।
	बाद में यह सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य राशि (Qualifying amount) में जोड़ दी जाती है	यह सम्पूर्ण राशि निम्न सीमा तक कटौती योग्य राशि में जोड़ी जाती है— (अ) वेतन का १/५ या (ब) ८,००० रु० (जो भी दोनों में कम है)	इस अंशदान की राशि का कोई भी भाग कटौती योग्य राशि में नहीं जोड़ा जायेगा ।	यह सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य राशि (Q.A.) में जोड़ दी जायेगी ।
२. मालिक का अंशदान	करमुक्त	वेतन के १०%	करमुक्त	NIL

		तक कर मुक्त। वेतन के १०% से अधिक भाग के कर योग्य आय में जोड़ा जाता है।		
३. फण्ड पर ब्याज	करमुक्त	वेतन के १/३ भाग तक अथवा ७·५% की दर तक करमुक्त वह ब्याज जो वेतन के १/३ से अधिक है अथवा ७·५% की दर से अधिक है, कर योग्य आय में जोड़ा जाता है।	करमुक्त	करमुक्त
४. फण्ड से भुगतान	सम्पूर्ण राशि करमुक्त है।	सम्पूर्ण भुगतान करमुक्त है, यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता है — (अ) ५ वर्ष तक सेवा करली है। या (ब) नौकरी से किसी ऐसे कारण से हटाया गया है जो करदाता की शक्ति में नहीं है।	भुगतान में मालिक का अंशदान व उस पर ब्याज कर योग्य है।	सम्पूर्ण राशि करमुक्त है।

(स) कटौती योग्य राशि (संक्षेप में)

[Qualifying Amount (In brief)]

Employee's Contribution to P. F.
(Recognised & Statutory Only) ....

Add

(*i*) Life Insurance Premium ....
(*ii*) Deferred Annuity के लिए भुगतान ....
(*iii*) Unit Link Insurance Plan के लिए अंशदान ....
(*iv*) 10 years or 15 years cumulative Time Deposite Scheme में भुगतान ....
(*v*) Approved Superannuation Fund में अंशदान ....
(*vi*) Public Provident Fund में अंशदान ....

Total

यह Total **सकल कुल आय** (Gross Total Income) *i. e.*, Net Salary+other net incomes, के ३०%

या

२०,००० रु० (जो भी दोनों में कम है)

से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि उक्त सीमा से अधिक है तो उक्त सीमा तक की राशि ही कटौती योग्य राशि मानी जायेगी।

धारा ८६ (i) के अन्तर्गत छूट

यदि निम्न में से किन्हीं कारणों से किसी करदाता की वेतन शीर्षक की आय पर कुछ अधिक दर से कर लगता है तो करदाता आय-कर अधिकारी को आवेदन देकर धारा ८६ (i) के अन्तर्गत प्रदत्त छूट मांग सकता है। आय-कर अधिकारी करदाता के आवेदन पर इस प्रकार की छूट प्रदान करेगा—

(*i*) यदि पुरानी बकाया वेतन की राशि प्राप्त हो या अग्रिम के रूप में वेतन प्राप्त हो;

(*ii*) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसे १२ माह से अधिक का वेतन प्राप्त हुआ हो;

(*iii*) यदि उसने वेतन के स्थान पर अन्य लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कोई भुगतान प्राप्त किया हो। जैसे अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड से प्राप्त संकलित राशि (नियोक्ता के भुगतान व उस पर व्याज सहित)।

स्थानान्तरित शेष (Transferred Balance)—जब प्रॉविडेन्ट फण्ड किसी विशेष वर्ष में प्रथम बार स्वीकृत किया जाय तो वह शेष जो स्वीकृति की तिथि तक पुराने प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में हो तथा जिसे प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में ले जाया जाय, स्थानान्तरित शेष कहलाता है। इस शेष में से कर्मचारी के अपने **अंशदान की राशि घटाकर जो राशि बचती है वह कर्मचारी की उस वर्ष की वेतन की आय मानी जाती है जिस वर्ष में प्रॉविडेन्ट फण्ड को स्वीकृति मिली है।**

नोट—प्रॉविडेन्ट फण्ड, जीवन बीमा प्रीमियम व अन्य सब व्ययों की छूट कुल आय में से घटाई जाने वाली छूट है, वेतन शीर्षक की नहीं। वेतन शीर्षक में केवल दो कटौतियाँ हैं जिनका वर्णन किया जा चुका है। यह कटौती सकल कुल आय में से घटायी जाती है।

उदाहरण १५—'पी' देहली विश्वविद्यालय के एक कॉलिज में प्रोफेसर हैं और १,००० रु० प्रति माह वेतन अर्जित करते हैं। इसमें से वे १०% अंशदान एक ऐसे प्रॉविडेन्ट फण्ड में देते हैं जिस पर प्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट १९२५ लागू होता है।

३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने अपनी २०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर २,५०० रु० प्रीमियम का भुगतान किया। १ जून, १९७६ को उसने एक डाकखाने में १५ वर्षीय संचयी जमा खाता खोला जिसमें उसने १०० रु० प्रति माह जमा किये।

यह मानते हुए कि 'पी' की और कोई आय नहीं है, उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए।

P is employed as a professor in a college of the Delhi University drawing a monthly salary of Rs. 1,000, out of which he contributes 10% to a provident fund to which the Provident Funds Act of 1925 applies.

During the year ended 31st March 1977 he paid Rs. 2,500 as premium on his life policy for Rs. 20,000 and on 1st June 1976 he opened a 15-year cumulative time deposit account at the post-office by depositing Rs. 100 per month.

Assuming that he has no other source of income, compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

			Rs.
Salary			**12,000**
Less Standard deduction			
1st 10,000	20%	2,000	
Next 2,000	10%	200	**2,200**

Net Salary being Gross Total Income		9,800
Deduction for P. F. contribution, Life Insurance Premium etc. 100% of the Qualifying Amount calculated as below :		2,940
Total Income		6,860

Qualifying Amount :

Employee's contribution	1,200
Life premium restricted to 10% of the policy amount	2,000
Payment to 15-years cum-time deposit scheme for 10 months from 1st June to 31st March	1,000
	4,200

This qualifying amount should not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 (whichever is less) *i. e.*, Rs. 2,940. Hence maximum qualifying amount would be only Rs. 2,940.

उदाहरण १६—एक्स ५०० रु० प्रति माह वेतन व १०० रु० प्रति माह मंहगाई भत्ते पर कार्यरत है। वह अपने वेतन व मंहगाई भत्ते का १०% एक प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान करता है। उसमें नियोक्ता का अंशदान १२% है। उसको नियोक्ता की ओर से निःशुल्क रहने का मकान मिला हुआ है। उसको गत वर्ष में १,००० रु० वोनस का भी भुगतान किया गया।

उसके प्रॉविडेन्ट फण्ड खाते में गत वर्ष का ब्याज ७·५% प्रति वर्ष की दर से ४०० रु० जमा किया गया।

उसने अपनी अवयस्क लड़की की १५,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर २,००० रु० प्रीमियम का भुगतान किया। उसकी कोई अन्य स्रोत की आय नहीं है।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए एक्स की करयोग्य आय की गणना कीजिए, यदि प्रश्न में दिया गया प्रॉविडेन्ट फण्ड (i) वैधानिक अथवा (ii) प्रमाणित एवं (iii) अप्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड है।

X is in receipt of a monthly salary of Rs. 500 and a dearness allowance of Rs. 100. He contributes 10% of his salary and dearness allowance to a provident fund to which his employer conributes 12%. He is provided with a rent-free unfurnished house by his employer and he was paid Rs. 1,000 as bonus.

The amount of interest credited to his provident fund account for the year at 7·5% p. a. amounted to Rs. 400.

He paid Rs. 2,000 as premium on a policy on the life to his minor daughter for Rs. 15,000. He has no other source of income.

Work out the amount of his total income for the assessment year 1977-78 if the provident fund in question is, (*i*) a provident fund to which the provident Funds Act of 1925 applies, (*ii*) a recognised provident fund, and (*iii*) an unrecognised provident fund.

Solution

		Rs.	
(*i*)	Salary and D.A.	7,200	
	Bonus	1,000	
	Value of rent-free house being 10% of Rs. 8,200	820	
	Gross Salary	9,020	
	Less Standard deduction being 20% of Rs. 9,020	1,804	
	Salary income being Gross Total Income	7,216	
	Deduction for P. F. contribution etc. 100% of Rs. 2,165	2,165	
	Taxable Income	5,051	or 5,050
	Qualifying Amount :		
	Employees' contribution to P. F.	720	
	Life premium restricted to 10% of policy amount	1,500	
	This amount should not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 whichever is less *i. e.* 2,164·80 or Rs. 2,165	2,220	
(*ii*)	Salary and D. A.	7,200	
	Bonus	1,000	
	Employer's contribution in excess of 10% *i. e.* 2% of 7,200	144	
	Valuation of rent-free house being 10% of Rs. 8,200	820	
	Gross Salary	9,164	
	Less Standard deduction being 20% of Rs. 9,164	1,833	
	Salary Income being Gross Total Income	7,331	
	Deduction for P. F. contribution etc. 100% of Rs. 2,199	2,199	
	Taxable Income	5,132	or 5,130

Qualifying amount :

Employee's contribution to P. F.	720
Life Insurance premium restricted to 10% of policy amount	1.500
This amount should not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 (whichever is less) *i. e.* 30% of Rs. 7,331 being Rs. 2,199·30	2,220

(*iii*) Salary and D. A.	7,200
Bouns	1,000
Value of rent-free house being 10% of Rs. 8,200	820
Gross Salary	9,020
Less Standard deduction being 20% of Rs. 9,020	1,804
Salary Income being Gross Total Income	7,216
Deduction for insurance premium etc. 100% of Rs. 1,500	1,500
Taxable Income	5,716
Rounded off	5,720

Qualifying Amount :

Employee's contribution to P. F.	Not to be included
Life premium restricted to 10% of the policy amount	1,500
This does not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 (whichever is less)	1,500

उदाहरण १७—'ब' एक निवासी व्यक्ति है जो कानपुर की एक मिल में इन्जीनियर पद पर कार्यरत है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वह अपनी आय के सम्बन्ध में **निम्न सूचनायें प्रदान करता है**—

वेतन (इसमें दो माह का १०,००० रु० वह सम्मिलित है जो उसको इटली में दिया गया, जहाँ पर वह नियोक्ता के व्यापार हेतु गया था)	६०,०००
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में उसका स्वयं का चन्दा	७,५००

प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का चन्दा	७,५००
फण्ड में जमा किया गया ६·५% की दर से ब्याज	६,५००
मनोरंजन भत्ता जो १६५४ से लगातार उसी नियोक्ता द्वारा दिया जा रहा है।	५,०००

उसके नियोक्ता ने 'ब' को अपना सुसज्जित मकान निःशुल्क दे रखा है। इस मकान का सकल नगरपालिका मूल्यांकन १५,००० रु० प्रति वर्ष है। फर्नीचर की लागत १५,००० रु० है। नियोक्ता ने निम्न व्यय भी किये—

(*a*) माली का वेतन १,२०० रु०, (*b*) झाड़ू वाले का वेतन ७२० रु०,
(*c*) खाना बनाने वाले व वेयरे का वेतन १,८०० रु०, (*d*) मकान की मरम्मत ५,००० रु०।

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

B, a resident individual working as an engineer in a mill at Kanpur, gives the fallowing particulars of his income and other benefits form his empoyer during the year ended 31st March 1977 :

	Rs.
Salary (out of which Rs. 10,000 being salary for two months was paid to him in Italy where he had gone on employer's business)	60,000
His own contribution to recognised provident fund	7,500
Equal amount contributed by employer	7,500
Interest credited to provident fund at 9·5% p. a.	9,500
Entertainment allowance paid since 1954 by the same employer	5,000

His employer provided him with a rent-free furnished house belonging to the former, the gross municipal valuation of which is Rs. 15,000 per annum. Cost of furniture is Rs. 15,000.

The following expenses were met by the employer—(a) Pay of Mali Rs. 1,200 ; (b) Pay of Sweeper Rs. 720 ; (c) Pay of Cook and Waiter Rs. 1,800 ; (d) Repairs to house Rs. 5,000.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
Salary as such		60,000
Employer's contribution to P. F. in excess of 10% of salary		1,500
Interest on P. F. in excess of 7·5% p. a.		2,000
Vaule of rent-free house as given below :		
Municipal valuation being fair rent	15,000	

10% of Salary	6,000	
Add Excess of fair rent over 20% of salary		
i. e. (15,000—12,000)	3,000	
Value of unfurnished house	9,000	
Add 10% of the cost of furniture		
i. e. 10% of Rs. 15,000	1,500	10,500
Value of other Perquisites :		
Pay of Sweeper 75% of his salary		
or Rs. 60 p. m. (whichever is less)		
i. e. 75% of Rs. 720		540
Pay of Cook and Waiter		1,800
Entertainment allowance		5,000
Gross Salary		81,340
Less Standard deduction (Maximum)	3,500	
Entertainment allowance as below :	5,000	8,500
Salary Income being G. T. I.		72,840
Deduction for P. F. contribution and		
Life premium		
100% of first Rs. 4,000	4,000	
50% of next Rs. 3,500	1,750	5,750
Taxable Income		67,090

Qualifying Amount :

	Rs.
Employee's contribution of P. F. restricted to 1/5 of salary or Rs. 8,000 whichever is less i. e.,	7,500
Life premium & others	Nil
This does not exceed 30% of G.T.I. or Rs. 20,000 whichever is less.	7,500

Notes :

1. Salary for 2 months earned outside India is taxable as the assessee is resident.
2. Repairs to house belonging to the employer is not a perquisite given to B.
3. Payment by employer to Cook or Waiter is regarded as payment of employee's obligation by the employer. Hence it is taxable in B's Income in full.
4. Deductible amount in respect of entertainment allowance has been found out as follows—

	Rs.
1/5 of Salary i. e.	12,000

or	
Actual allowance *i. e.*	5,000
or	
Allowance received before 1st April 1955	5,000
or	
Rs. 7,500 p. a.	7,500

Minimum of all the four is Rs. 5,000. Hence it is deductible.

5. Salary of Gardener paid by employer is not perquisite as explained in valuation of perquisite.

उदाहरण १८—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मि० एम, जो केसी लिमिटेड में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं, ने निम्न सूचनायें प्रदान की हैं—

११ माह का कार्यशील वेतन २,००० प्रति माह की दर से	२२,०००
जून का अवकाश वेतन	२,०००
४०० रु० प्रति माह की दर से मंहगाई भत्ता	४,८००
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा	३,०००
प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का चन्दा	३,०००
फण्ड में जमा किया गया १०% की दर से ब्याज	२,०००
सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड में चन्दा	१,०००

अवकाश ग्रहण की सुविधाओं की गणना करते समय मंहगाई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाता।

उसको कम्पनी की ओर से किराये से मुक्त सुसज्जित मकान मिला हुआ है। फर्नीचर की लागत ६,००० रु० है। उसने गत वर्ष में निम्न भुगतान भी किये—

(अ) अपने १०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम १,५०० रु०।

(ग) डाकखाने के १५ वर्षीय संचयी जमा खाते में १,२०० रु० जमा किये।

(स) व्यावसायिक कर दिया २५० रु०।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए।

M, Chief Accountant of Kaycee Ltd. has furnished the following particulars in respect of his income for the previous year ended 31st March 1977.

	Rs.
Duty pay for 11 months at Rs. 2,000 per month	22,000
Leave salary for June	2,000
Dearness allowance at Rs. 400 per month	4,800
Contribution to recognised provident fund	3,000
Employer's contribution to provident fund	3,000
Interest credited at 10% p. a. to provident fund	2,000
Contribution to public provident fund	1,000

The dearness allowance does not enter into computation of his retirement benefits.

He is provided by the company with rent-free furnished accommodation. Cost of furniture is Rs. 6,000.

The following payments were made by him during the previous yea :

(*a*) Rs. 1,500 premium on his life policy for Rs. 10,000.

(*b*) Rs. 1,200 placed in a 15-year cumulative time deposit at the post office.

(*c*) Profession-tax paid Rs. 250.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
Salary for the year		24,000
Dearness allowance		4,800
Employer's contribution to P. F. in excess of 10% of Rs. 24,000		600
Interest on P. F. in excess of 7·5% p. a.		500
Value of rent-free furnished house as calculated below :		
10% of Salary of Rs. 24,000	2,400	
Add 10% of the cost of furniture *i. e.* 10% of Rs. 6,000	600	3,000
Gross Salary		32,900
Less Standard deduction (Maximum)		3,500
Salary Income being G. T. I.		29,400
Deduction for P. F. Contribution, Insurance Premiums etc.		
100% of the 1st 4,000 of Q. A.	4,000	
50% of the next 2,200 of Q. A.	1,100	5,100
Taxable Income		24,300

Qulifying Amount :

Employee's contribution to provident fund	3,000
Contribution to public provident fund	1,000
Insurance premium limited to 10% of the sum assured	1,000
15 years time deposit at post office	1,200
	6,200

This should not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 whichever is less *i. e.* 30% of 29,200 being 8,760. Hence full Q. A. is Allowable.

उदाहरण १६—मि० 'पी' बम्बई की एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के १-४-१६५४ से प्रबन्ध संचालक हैं। १-४-१६७६ से वे ३,००० रु० प्रति माह वेतन प्राप्त करते हैं। उनको कम्पनी की ओर से किराये से मुक्त रहने का सुसज्जित मकान भी दिया हुआ है। फर्नीचर की लागत ७,२०० रु० है। ३१ मार्च, १६७६ को समाप्त होने वाले ३ वर्षों का उसका वेतन क्रमशः २,७०० रु०, २,८०० रु० एवं २,६०० रु० प्रति माह रहा है।

खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने १-१-१६७७ को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। कम्पनी ने उसकी गत वर्षों की सेवाओं के प्रतिफल में ४ माह का वेतन (*i.e.*, ३०-४-१६७७ तक का) तथा ३०,००० रु० की ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया। उसने निःशुल्क मकान १-१-१६७७ को छोड़ दिया।

नौकरी के दौरान उसे कम्पनी से २५० रु० प्रति माह का वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) तथा ३०० रु० प्रति माह के हिसाब से मनोरंजन भत्ता भी प्राप्त होता था। १-४-१६५५ से पूर्व उसको केवल १०० रु० प्रति माह का मनोरंजन भत्ता ही मिलता था।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की वेतन शीर्षक की आय की गणना कीजिए।

P, the managing director of a limited company in Bombay since 1-4-1954 was getting a salary of Rs. 3,000 per month from 1-4-1976 and was provided with a rent-free furnished house by the company. Cost of furniture is Rs. 7,200. In the three years ended 31-3-1976 his salary was Rs. 2,700, Rs. 2,800 and Rs. 2,900 per month respectively.

Owing to ill-health he resigned his post from 1-1-1977 on which date the company paid him in view of his past services, four months salary(*i. e.*, up to 30-4-1977) and also a gratuity of Rs. 30,000. He vacated the rent-free house on 1-1-1977.

While in service he was getting from the company a conveyance allowance of Rs. 250 per month and an entertainment allowance of Rs. 300 per month. The entertainment allowance received by him before 1-4-1955 was only Rs. 100 per month.

Compute his salary income for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Salery for 9 months	27,000
Advance salary for 4 months	12,000

[1]Value of rent-free furnished house		3,600
Entertainment allowance for 9 months		2,700
[2]Gratuity as calculated below		600
[3]Conveyance allowance		Nill
Gross Salary		45,900
Less Standard deduction (Maximum)	1,000	
[4]Entertainment allowance	900	1,900
Salary Income		44,000

Notes :

1. *Valuation of Rent free house* :

10% of Salary for 9 months + Taxable portion of eniertainment allowance (*i. e.* 27,000 + 1,800 = 28,800)	2,880
Add 10% of the cost of furniture *i. e.* 10% of 7,200	720
Valuation	3,600

2. *Taxable Gratuity* is as below :

Lowest of the followings is exempted gratuity—

Actual Gratuity	30,000
or	
20 month's salary *i. e.* 2,800 × 20 = 56,000	56,000
or	
Rs. 30,000	30,000
or	
1/2 months salary for each years completed service *i. e.* 10 1/2 months salary being 10·5 × 2,800	29,400

3. It is presumed that Conveyance allowance is fully spent for employment purposes. Hence it is fully exempt from Income Tax.

Hence 29,400 is the exempted amount.
Taxable amount will be 30,000—29,400 = Rs. 600

4. *Deductible entertainment allowance is the lowest of the following* :

	Rs.
1/5 of Salary for 9 months	5,400
or	
Actual Allownce	2,700

or

Allowance before 1st April 1955 900

or

Rs, 7,500 7,500

Hence Rs. 900 is the deductible amount.

उदाहरण २०—जेम्स लि० ने अपना व्यापार १-१-१९७३ को भारत में स्थापित किया और उसी तिथि को जैकब (इंगलैण्ड का निवासी, जो भारत में १९६० से लगातार रह रहा है) को बम्बई के ऑफिस का मैनेजर नियुक्त किया।

निम्न विवरणों से जैकब की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए—

१. जैकब का वेतन २,५०० रु० प्रति माह था। ३१-३-१९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसे ५,००० रु० बोनस व ११,००० रु० कमीशन का दिया गया। उसके पूर्व नियोक्ता (स्मिथ एण्ड क० बम्बई) उसको ४,००० रु० प्रति वर्ष का मनोरंजन भत्ता देते थे। जेम्स लि० ने भी वही भत्ता देना जारी रखा।

२. जेम्स लि० ने जैकब को किराये से मुक्त सुसज्जित मकान भी दे रखा है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन १४,००० रु० था। मकान में लगे फर्नीचर व रेफ्रीजेरेटर आदि की लागत १५,००० रु० है।

३. कम्पनी ने जैकब को निजी व व्यापारिक प्रयोग के लिए १२ हा० पा० की एक कार भी दे रखी है।

४. कम्पनी ने जैकब के ४०० रु० के गैस के बिलों का भुगतान किया।

५. जैकब ने प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में ७,००० रु० का अंशदान दिया। कम्पनी भी इतनी ही राशि देती है। उसने अपनी जीवन बीमा पालिसी पर ३,००० रु० का भुगतान भी किया।

James Ltd. set up its business in India on 1-1-1973 and Jacob (an Englishman who had been continuously in India since 1960) was employed as the manager of its office in Bombay from the same date.

From the following particulars compute the total income of Jacob for the assessment year 1977-78 :

(1) Jacob's salary was Rs. 2,500 per month. For the previous year ended 31-3-1977 he was also paid a bonus of Rs. 5,000 and a commission of Rs. 11,000. His previous employers (Smith & Co., Bombay) were paying him an entertainment allownce of Rs. 4,000 per annum and the same practice was continued by James Ltd. who paid him a like sum.

(2) Jacob was also provided with a rent-free furnished house by James Ltd. The annual municipal valuation of the house was Rs. 14,000 and the cost of furniture, refrigerator etc. was Rs. 15,000.

(3) The company provided Jacob with a 12 h. p. motor-car for both official and private use, but the running expenses for private use were to be met by him.

(4) The company paid Jacob's gas bills of Rs. 400 and supplied him free electricity generated in its own factory.

(5) Jacob contributed Rs. 7,000 towards provident fund (recognised), the company cotributing a similar amount. He also paid Rs. 3,000 as premium on his life policy.

Solution

यह स्पष्ट है कि ३१-३-१९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए जैकब भारत का निवासी है। अत: उसकी करयोग्य आय कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए निम्न होगी—

Salary as such		30,000
Bonus		5,000
Commission		11,000
Employer's contribution to P. F. in excess of 10% of Rs. 30,000		4,000
Entertainment allowance (*a*)		4,000
Value of free furnished house (*b*)		6,500
Gas bills by employer		400
Valuation of the Motor-car provided for private as well as for office use @ Rs. 300 P. M., the car being less than 16 H. P.		3,600
Gross Salary		64,500
Less Standard deduction (Maximum)	1,000	1,000
Salary Income being G. T. I		63,500
Deduction for P. F. and Insurance Premium as below :		
100% of 1st Rs. 4,000 of Q. A.	4,000	
50% of Next Rs. 5,000 of Q. A.	2,500	6,500
Taxable Total Income		57,000

Qualifying Amount :

Employee's contribution to P. F. restricted to 1/5 of salary	6,000
Life insurance premium	3,000
This does not exceed 30% of G.T.I. or Rs. 20,000 whichever is less.	9,000

Notes :

(*a*) No deduction will be allowed for entertainment allowance as it is not being received by the assessee *regularly* from his *present employer* from a date before 1*st April* 1955.

(*b*) The value of rent-free furnished house is calculated as under :

	Rs.
Municipal valuation being fair value	14,000
10% of salary (including bonus, commission and taxable entertainment allowance) of Rs. 50,000 (30,000+5,000+11,000+4,000)	5,000
Add Excess of fair rent over 30% of salary (as the house is located in Bombay so instead of 20% excess over 30% will be added to normal valuation of 10%)	Nil
Valuation of unfurnished house	5,000
Add 10% of the cost of furniture, refrigerators etc. *i. e.* 10% of Rs. 15,000	1,500
Valuation of rent-free furnished house	6,500

उदाहरण २१—उपरोक्त उदाहरण न० २० में जेम्स लिमिटेड अपने भारतीय व्यापार ३१-१२-१९७६ को बन्द कर देता है और जैकब की सेवायें समाप्त कर देता है तथा उसको १०,००० रु० ग्रेच्युटी के तथा ४५,००० रु० प्रॉविडेन्ट फण्ड के शेष के भुगतान कर देता है। बताइए कि क्या जैकब को प्राप्त उपरोक्त राशियाँ करयोग्य होंगी ? यदि उसका गत वर्षों का वेतन २,५०० रु० प्रति माह ही रहा था।

In the above example No. 20 if James Ltd. closes down its Indian business on 31-12-1976 and terminates the services of Jacob on that date, paying him Rs. 10,000 as gratuity and also Rs. 45,000 being the balance of his provident fund, will these amounts be taxable in the hands of Jacob, whose salary from James Ltd. was Rs. 2,500 per month throughout the period of his employment.

Solution

The assessee joined the service on 1-1-1973 and left on 31-12-1975. Thus completing his 3 year's service in the present employment. As he gets Rs. 10,000.

The exempted amount of gratuity will be as gratuity. $1\frac{1}{2}$ months salary (1/2 months salary for each year's completed service) being 3,750 as the average salary during the preceding years have been Rs. 2,500 p. m. Hence the taxable gratuity will be 10,000—3,750 =6,250. It will be taxed in the assessment year 1977-78.

Accumulated balance of Rs. 45,000 of his P. F. a/c is not taxable.

Although he has not completed 5 years continuous service in the present employment. Yet he will have not to pay tax on it as his services are being terminated on the ground of the close of business of employer in India.

उदाहरण २२—मि० वाई एक निजी कम्पनी में प्रबन्ध संचालक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें कम्पनी से निम्न भुगतान प्राप्त होते हैं—

वेतन ३,००० रु० प्रति माह, मंहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अन्तर्गत) ३०० रु० प्रति माह, मकान किराया भत्ता ४०० रु० प्रति माह, क्षतिपूरक भत्ता, (Compensatory Allowance) १०० रु० प्रति माह व कमीशन ५,००० रु० प्रति वर्ष। गत वर्ष में उन्होंने अपने जीवन पर ५०,००० रु० का बीमा कराया जिसका प्रीमियम ७,००० रु० प्रति वर्ष था, कम्पनी की ओर से देना स्वीकार हुआ। कम्पनी ने वाई को एक १० हा० पा० की कार भी दे रखी है जिसको रखने व चलाने के व्यय स्वयं वाई ही करते हैं किन्तु कम्पनी ने कार का ड्राइवर दे रखा है। वाई मकान का किराया ६५० रु० प्रति माह देते हैं। वाई एक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड के सदस्य हैं जिसमें वे ७,००० रु० प्रति वर्ष अंशदान करते हैं। कम्पनी भी इतना ही अंशदान करती है। वाई की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की करयोग्य आय निकालिए।

Mr. Y is working as Managing Director in a private company. He receives the following amounts from the company :

Salary Rs. 3000 p. m., dearness allowance (under the terms of employment) Rs. 300 p. m., house rent allowance Rs. 400 p. m., city compensatory allowance Rs. 100 p. m. and a commission of Rs. 5,000 a year. He secured a Life Insurance Policy for Rs. 50,000 the premium of which, which comes to Rs. 7,000 p. a. is paid by the company. The company has provided Mr. Y with a car of 10 H. P. whose running and maintenance cost is being born by Mr. Y, but the company bears the cost of driver. Y pays Rs. 650 p. m. as the rent of the house. He is also a member of recognised provident fund in which he contributes Rs. 7,000 a year. The company contributes an equal amount.

Calculate Y's taxable income for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Salary for the year	36,000
Dearness allowance	3,600
Compensatory allowance	1,200
Commission	5,000
House rent allowance[1]	960
Valuation of perquisites—	
Life premium paid by employer on	

the employee's life		7,000
Car being less than 16 H. P. @ Rs. 100 p. m. + 150 p. m. for driver		3,000
Employer's contribution in excess of 10% of salary *i. e.* 7,000—3,960		3,040
Gross Salary		59,800
Less Standard deduction[2] (Maximum)		1,000
Salary Income being G. T. I.		58,800
Deduction for P. F. Contribution and Premiums etc.		
100% of the 1st Rs. 4,000 of Q.A.	4,000	
50% of the next Rs. 6,000 of Q.A.	3,000	
40% of the rest Rs. 2,000 of Q.A	800	7,800
Taxable Income		51,000

Qualifying Amount :

Employees contribution to P. F. being less than 1/5 of salary or Rs. 10,000 whichever is less	7,000
Life premium restricted to 10% of policy amount *i. e.*	5,000
This amount does not exceed the prescribed limit *i. e.* 30% of G.T.I. or Rs. 20,000 whichever is less	12,000

Notes :

1. Taxable amount of house rent allowance has been calculated as below :

   Lowest of the following items is exempted house rent allowance—

	Rs.
1/10 of Salary (including D. A.) *i. e.*	3,960
or	
Actual rent paid exceeding 1/10 of salary *i. e.* (7,800 − 3,960)	3,840
or	
Actual Allowance *i.e* @ Rs. 400 p. m.	4,800
or	
Rs. 400 p. m.	4,800

   Hence 3,840 is totally exempt.

   Allowance taxable will, therefore, be 4,800—3,840=960.

2. As the employee has been provided with a car by the employer he is entitled for a standard deduction up to a maximum amount of Rs. 1,000 only.

उदाहरण २३—श्री रामप्रसाद एक सरकारी कर्मचारी हैं। वह २,००० रु० प्रति माह वेतन तथा १०% मंहगाई भत्ता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उसे १०० रु० प्रति माह नगर प्रतिकर भत्ता तथा ३०० रु० प्रति माह मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। यह भत्ता १९७३-७४ से मिलना प्रारम्भ हुआ है। उसे सरकार की ओर से एक नौकर भी प्राप्त है जो उसके निजी कार्य करता है। सरकार उसको २०० रु० प्रति माह देती है। उसे रहने के लिए एक निःशुल्क निवास भी मिला हुआ है जिसका किराया सरकारी नियमों के अनुसार ४०० रु० प्रति माह है। निवास में सरकार का १५,००० रु० की लागत का फर्नीचर भी लगा हुआ है। सरकार की ओर से उसके तीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है जिस पर सरकार को अनुमानतया १२५ रु० प्रति माह व्यय करना पड़ता है। सरकार ने उसको निःशुल्क गैस सुविधायें भी प्रदान की हुई हैं जिसे वह अपने निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों में प्रयुक्त करता है। सरकार ने गत वर्ष के १,६०० रु० के गैस बिलों का भुगतान किया। रामप्रसाद अपने वेतन का १२% एक प्रॉविडेन्ट फण्ड में हस्तांतरित करते हैं। सरकार भी इतना ही हस्तांतरित करती है।

रामप्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

Sri Ram Prasad is a government servant. He receives Rs. 2,000 p. m. as salary and 10% dearness allowance. Besides he receives Rs. 100 p. m. as city compensatory allowance and entertainment allowance of Rs. 300 p. m. This allowance is payable to him since 1973-74. He is also provided with a servant for his personal work, by the government. The Govt. pays Rs. 200 p. m. to the servant. He is provided with a rent-free house, rent of which according to Govt. rules is Rs. 400 p. m. The house is equipped with the furniture owned by the Govt. The cost of furniture is Rs. 15,000. His three children are getting free education. The cost of eduction paid by the Govt. is Rs. 125 per month. Govt. has also provided him free gas for his personal and official purposes. Gas bills paid by the Govt. are Rs. 1,600 only. Ram Prasad transfers 12% of his salary to a provident fund to which the Govt contributes an equal amount.

Calculate taxable income of Sri Ram prasad for the assessment year 1977-78

Solution

	Rs,
Salary	24,000
D. A. 10% of salary	2,400
City compensatory allowance	1,200
Entertainment allowance	3,600

Valuation of Perquisite :		Rs.
Rent-free furnished house[1]		6,300
Free education @ Rs. 125 p. m.		1,500
Free servant @ Rs. 200 p. m.		2,400
Free gas restricted to $6\frac{1}{4}\%$ of salary		1,500
Gross Salary		42,900
Less Standard deduction (Maximum)	3,500	
Entertainment allowance not exceeding 1/5 of salary or Rs. 5,000 whichever is less	3,600	7,100
Salary Income being G.T.I.		35,800
Deductions for P. F. contribution[2] 100% of Rs. 2,880		2,880
Taxable Income		32,920

Notes :

1. *Value of rent-free house* :

Fair rent as fixed by Govt.	4,800
Add 10% of the cost of furniture *i. e.* 10% of Rs. 15,000	1,500
Valuation	6,300

2. *Qualifying Amount* :

Employee's contribution to P. F.	2,880
Life premium	Nil
This does not exceed 30% of G.T.I. or Rs. 20,000 whichever is less	2,880

उदाहरण २८—कलकत्ता के मि० 'अ' एक कम्पनी में १-५-१९६० से कार्यरत हैं। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उनकी आयें निम्न हैं—

	रु०
वेतन १,२५० रु० प्रति माह	१५,०००
मनोरंजन भत्ता	१,२००
बोनस	१,५००
मंहगाई भत्ता	२,४००
प्रॉविडेन्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान	१,४००
बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता (बच्चे डिग्री कालेज से कम के हैं)	१,२००
पानी व बिजली के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान	२००

१२ हा०पा० की कार, निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों में प्रयुक्त	रु०
होती है, के व्यय, जो नियोक्ता ने किये।	६,०००
नि:शुल्क मकान (नगरपालिका मूल्यांकन)	४,८००
नियोक्ता द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय	६००
होटल बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान	१००
'अ' का प्रॉविडेन्ट फण्ड में भुगतान	१,४००
जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	४,०००
सेवा कार्य के लिए आवश्यक पुस्तकों का क्रय	४००
नि:शुल्क मकान में लगे नियोक्ता के फर्नीचर की लागत	१०,५००

'अ' की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

Mr. A of Calcutta is working in a company since 1-5-1960. His incomes for the year ended 31st March, 1977 are as follows—

	Rs.
Salary @ 1,250 per month	15,000
Entertainment allowance	1,200
Bonus	1,500
Dearness allowance	2,400
Employer's contribution to P. F.	1,400
Allowance for children's Education (Children being below degree classes)	1,200
Payment of gas or electric bill by the employer	200
Expenses of car of 12 h. p., used by the employee for private and business uses, incurred by the employer	6,000
Free house (Municipal Valuation)	4.800
Medical expenses incurred by the employer	600
Payment by employer of employee's hotel bills	100
A's contribution to P. F.	1,400
Payment of life insurance premium	4,000
Purchase of books for employment purposes	400
Cost of employer's furniture installed in free residential house	10,500

Calculate taxable income of 'A' for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Salary @ Rs. 1,250 p. m.	15,000
[1]Entertainment allowance	1,200
Bonus	1,500
Dearness allowance	2,400
[2]Education allowance	1,200
Valuation of Perquisites :	
[3]Water and Electricity bills paid by employer	200

Motor-car @ Rs. 300 p. m.		3,600
[4]Rent-free quarter		2,940
[5]Reimbursement of hotel bills		100
Gross Salary		28,140
Less Standard deduction (Maximum)		1,000
Salary Income being G. T. I.		27,140
Deduction for Life Insurance Premium, Provident Fund etc.		
100% of 1st Rs. 4,000	4,000	
50% of Next Rs. 1,400	700	4,700
Taxable Salary		22,440

Qualifying Amount :

A's contribution (not being more than 1/5 of salary or Rs. 10,000 whichever is less)	1,400
Life premium	4,000
This does not exceed the prescribed limit of (30% of G. T. I. or Rs. 20,000)	5,400

Notes :

1. A is not entitled for any deduction for entertainment allowance as he is not getting it regularly from the same employer before 1st *April* 1955.
2. Education allowance for children is taxable perquisite as children are not getting higher education.
3. Water and Electricity bills paid by the employer are regarded as taxable perquisite.
4. Rent free quarter has been valued as follows :

   10% of Salary including taxable allowance + Excess of fair rent over 30% of salary (as the assessee resides in calcutta) + 10% of the cost of furniture *i. e.*

10% of (15,000 + 1,500 + 1,200 + 1,200) *i. e.* 18,900	1,890
Add Excess over 30% of salary	Nil
	1,890
Add 10% of the cost of furniture 10% of 10,500	1,050
Valuation of rent-free furnished quarter	2,940

5. Re-imbursement of hotel bills is taxable perquisite.
6. Separate deduction for books is now withdrawn.

प्रश्न

१. 'वेतन' शीर्षक की करयोग्य आयें कौन सी हैं ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए।
What are the incomes that are chargeable to Income-Tax under the head salaries ? Illustrate your answer.

२. अनुलाभ क्या है ? एक कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में कौन-कौन से अनुलाभ सम्मिलित किये जाते हैं ?
What is a perquisite ? Wherein perquisites are included in the salary income of an employee ?

३. विभिन्न अनुलाभों के मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित समझाइए।
Emplain the methods of valuing the different perquisites. Support your solution with examples.

४. निम्न में से कौन से अनुलाभ एक कर्मचारी की करयोग्य आय में सम्मिलित करने योग्य हैं—

(अ) कानपुर में निःशुल्क किराये का मकान।
(ब) कर्मचारी व उसके परिवार को दी गई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें।
(स) नियोक्ता के मकान की देखरेख के लिए रखे गये माली, चौकीदार व झाड़ू वाले को दिया गया वेतन। मकान में कर्मचारी स्वयं रहता है।
(द) १ अप्रैल, १९५५ से पूर्व दिया जाने वाला मनोरंजन भत्ता ६,००० रु०, कर्मचारी का मासिक वेतन १,००० रु० है।
(य) नियोक्ता द्वारा आफिस में दिया गया लंच।
(र) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मकान से कार्यालय तक के लिए दी गई आवागमन की सुविधायें।

State which items out of the followings are included as perquisites in the hands of an employee—

(*a*) Rent-free quarter in Kanpur.
(*b*) Medical facilities granted free of charge to the employee and his family.
(*c*) Payment by employer of the wages of a gardener, sweeper and night-watch-man employed for the upkeep of the house belonging to the employer but occupied by the employee.
(*d*) Entertainment allowance paid prior to 1-4-1955 Rs. 6,000 annualy, his monthly salary being Rs. 1,000.
(*e*) providing lunch at the office by the employer.
(*f*) Providing transport facilities to the employee from his house to the office.

५. एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को ऐसे कौन से भत्तों का भुगतान करता है जो कि कर्मचारी के कर-निर्धारण के समय उसकी आय में जोड़े जाते हैं। इनसे सम्बन्धित नियमों की व्याख्या कीजिए।

What are the various allowances paid by the employer to the employee which are included in his total income while assessing him. What are the rules relating to these allowances.

६. एक वेतन पाने वाला कर्मचारी किन-किन प्रॉविडेन्ट फण्डों का सदस्य बन सकता है। प्रत्येक के लिए कर से छूटें कौन सी हैं ?

What are the different kinds of provident funds of which a salaried employee may be a member and what are the tax concessions available in the case of each.

७. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।

(अ) वेतन के स्थान पर लाभ।

(ब) किराये से मुक्त सुसज्जित मकान का मूल्यांकन।

(स) जीवन बीमा प्रीमियम एवं प्रॉविडेन्ट फण्ड आदि सम्बन्धी कटौती।

(द) मकान किराया भत्ता।

(य) मनोरंजन भत्ता व उसके सम्बन्ध में छूट।

(र) 'वेतन' शीर्षक कटौतियाँ।

Write short-notes on the followings—

(*a*) Profits in lieu of salary.

(*b*) Valuation of rent-free furnished house.

(*c*) Deduction in respect of life insurance premium provident fund contribution etc.

(*d*) House rent allowance.

(*e*) Entertainment allowance and its deduction.

(*f*) Deductions of 'Salary' head.

८. मि० आर० एक संस्था में १,००० रु० प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। संस्था की ओर से उन्हें बोनस २,००० रु०, कमीशन १,००० रु० तथा मँहगाई भत्ता १०% मिलता है। वह १,००० रु०, प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता भी प्राप्त करता है। उसको संस्था की ओर से निम्न सुविधायें प्रदान की गई हैं—

१. किराये से मुक्त मकान जिसका वार्षिक किराया ४,००० रु० है।

२. एक कार २२ हा. पा. की जिसे वह निजी व व्यापारिक दोनों कार्यों के प्रयोग में लाता है। कार के सम्पूर्ण व्यय ड्राइवर सहित मालिक वहन करता है।

३. निःशुल्क गैस, विजली व पानी की सुविधायें जिन्हें वह अपने निजी व व्यापारिक दोनों प्रयोगों में लाता है। इस मद पर मालिक का २,००० रु० व्यय हुआ।

४. घर पर लगे टेलीफून व्यय का भुगतान ५०० रु०।

५. जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम का मालिक द्वारा भुगतान। प्रीमियम की राशि १,००० रु० है।

६. मालिक द्वारा कर्मचारी के १,००० रु० के होटल बिलों का भुगतान।

७. मालिक ने कर्मचारी को उसकी अच्छी सेवाओं के प्रतिफल में ५०० रु० का नकद इनाम दिया तथा उसके जन्म दिन पर १,००० रु० की व्यक्तिगत भेंट दी।

कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

Mr. R is employed in a concern @ Rs. 1,000 p. m. He gets Rs. 2,000 as Bonus, Rs 1,000 as commission and 10% Dearness allowance from the concern. He also gets an entertainment allowance of Rs. 1,000 per annum. The concern provides him the following other facilities—

1. Rent free house whose annual rental value is Rs. 4,000.
2. 22 H. P. car which he uses for both personal as well as employment purposes. The entire expenses along-with the driver are incurred by the employer.
3. Free Gass, Electricity and water which he uses for personal as well as employment uses. The concern spent Rs. 2,000 on this item.
4. Payment by the employer of the telephone bills, installed at R's residence, of Rs. 500.
5. Payment of Rs. 1,000 as premium on the life of the employee.
6. Payment by the employer of the comployee's hotel bills of Rs. 1000/-
7. The employer gave him a cash reward of Rs. 500/- for good services performed by him and Rs. 1,000 as personal gift on his Date of birth.

Calculate the taxable Salary of the employee.

Ans. Taxable Salary : Rs. 28,750 Value of Rent free House Rs. 2,400/- Value of Free Gass Electricity & water Rs. 750/- limited to $6\frac{1}{4}\%$ of Salary.

९. श्री राम प्रकाश बम्बई की एक कम्पनी में प्रबन्ध संचालक हैं। वह २,००० रु० प्रति माह वेतन व १०% मँहगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अंतर्गत) प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें ५,००० रु० कमीशन, १०,००० रु० बोनस व ६,००० रु० मकान किराया भत्ता भी मिलता है। वह ४५० रु० प्रतिमाह के मकान में रहता है। इसके पास कम्पनी की ओर से ११ हा. पा. की एक कार है जिस पर ड्राइवर भी है। कार व ड्राइवर के सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है। उसने गत वर्ष में ४,००० रु० के चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की। श्री रामप्रकाश को ४,००० रु० प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता भी मिलता है। यह भत्ता उसको २२ वर्ष पूर्व से लगातार मिल रहा है। उस समय यह भत्ता २,००० रु० का था। संचालक के दो बच्चे कम्पनी द्वारा संचालित

शिक्षा संस्था में निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। यदि वे बच्चे किसी अन्य ऐसी ही शिक्षा संस्था में शिक्षा पाते तो करदाता के १,५०० रु० व्यय होते। श्री राम प्रकाश का ७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए करयोग्य वेतन ज्ञात कीजिए।

Sri Ram Prakash is the Managing Director in a company of Bombay. He gets Rs. 2,000 p. m. as salary and 10% D. A. under the termes of employment). Besides he gets Rs. 5,000/- as commission, Rs. 10,000 as Bonus and Rs. 6,000 as House Rent Allowance. He reside in a house of Rs. 450/- p. m. He has been provided by the Company with a 11 H. P. car alongwith the driver. The Company bears all the expenses of car and its driver. He has been re-imbursed with Rs. 4,000 of medical expenses. Sri Ram Prakash also gets Rs. 4,000 p. a. as entertainment allowance. He is getting this allowance since before 22 years regularly. At that time he was getting Rs. 2,000 p. a two children of the director are getting education in an educational institution being run by the company. The normal expenses which the director would have incurred in such a institution would have been Rs. 1,500/-. Calculate the taxable salary of Sri Ram Prakash for the assessment year 1977-78.

Ans. Taxable salary Rs., 52,540, Taxable House Rent Allowance being Rs. 3,240 [(1/5 of Salary (Basic+D. A.)] or Actual rent paid exceeding 1/10 of salary or Actual allowance or Rs. 400 p. m. whichever is less)

१०. भारत के निवासी फिलिप्स, १ जनवरी १९७१ से एक निजी संस्था में ३,००० रु० प्रति माह पर सेवारत हुए। वेतन के अतिरिक्त उसे निम्न राशि प्राप्त होती हैं—बोनस दो माह का वेतन, कमीशन ५,००० रु०, मकान किराया भत्ता ५०० रु० प्रतिमाह तथा वास्तविक देय किराया ६५० रु० प्रतिमाह। मनोरंजन भत्ता ५००० रु० प्रतिवर्ष। गत वर्ष १ सितम्बर को उन्हें भारत के बाहर सेवा करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर सेवा के दौरान उनको २,००० रु० प्रति माह विशेष भत्ते के रूप में दिये गये। उन्होंने अपने जीवन का ८०,००० रु० का बीमा कराया है जिसका प्रीमियम १०,००० रु० प्रतिवर्ष नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। नियोक्ता की ओर से उसे घर से कार्यालय व कार्यालय से घर आने जाने के लिए एक कार की सुविधा प्राप्त है। कार २० हा. पा. की है एवं एक साथ ६ व्यक्तियों को कार्यालय लाने व ले जाने का कार्य करती है। मि० फिलिप्स ने निम्न व्यय किए—

(*i*) अपने पिताजी, जो कि पूर्णरूप से उसके ऊपर आश्रित है, की देखरेख व चिकित्सा पर २,००० रु०

(*ii*) अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर १,५०० रु०

(*iii*) उनका १५ वर्ष का एक बच्चा भारत के बाहर एक विश्वविद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षा पा रहा है जिस पर उसने २,००० रु० व्यय किया।

वह एक प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड का सदस्य है जिसमें वह ४,५०० रु० अंशदान करता है। मालिक का अंशदान भी इतना ही है। गतवर्ष में उसके फण्ड पर मिला ब्याज, जो १०½% की दर से है, २,१०० रु० है।

मि० फिलिप्स की करनिर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कर्योग्य आय की गणना कीजिए।

Resident of India Mr. Phillips is serving in a private concern on a monthly salary of Rs. 3,000/- since 1st Jan., 1971. Besides salary he gets the followings :

Bonus equal to 2 month's salary, commission Rs. 5,000, House Rent allowance Rs. 500 p. m., he pays Rs. 650 p. m. as actual rent of the house. Entertainment allowance Rs. 5,000 p. a. During the previous year he was sent to serve outside India on 1st september where he got Rs. 2,000 as special allowance. He has taken an insurance policy on his life of Rs. 80,000 for which he pays Rs. 10,000 as premium. He has been provided car facilities by his employer for going to and returning from the office along with six persons. The car is of 20 H. P.

Mr. Phillips incurred the following expenses.

(*i*) Rs. 2,000 on his father's nursing and medical expenses. His father is fully dependent on him.

(*ii*) Rs. 1,500 on higher education of his children.

(*iii*) His 15 years old Children is getting full time education in an institution outside India. He spent Rs. 2,000 on his education.

He is a member of recognised Provident Fund to which he contributes Rs. 4,500. His employer contributes an equal amount. Interest received on the accumulated fund amounted to Rs. 2100 @ 10½%.

Calculate the taxable Income of Mr. phillips for assessment year 1977-78.

Ans. Taxable Income Rs. 51,700, Taxable House rent allowance Rs. 1,800 Deductions U/S 80 D and 80 F being Rs. 600 and Rs. 1,500 respectively. No deductions for entertainment allowance & expenses on higher education.

५

प्रतिभूतियों पर ब्याज

(Interest on Securities)

आय-कर अधिनियम १६६१ की धारा १८ के अन्तर्गत गत वर्ष में करदाता को प्राप्य (Due) निम्न राशियों पर '**प्रतिभूतियों पर ब्याज**' शीर्षक में कर लगाया जायेगा—

(१) **केन्द्रीय** अथवा **राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति** पर ब्याज उस ब्याज को **छोड़कर** जो सरकार द्वारा एन्युटी जमा (Annuity Deposites) पर दिया जाता है ;

(२) **स्थानीय सत्ता** जैसे ; नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा निर्गमित **ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों** पर ब्याज ;

(३) **एक कम्पनी** द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज ;

(४) केन्द्रीय व राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी '**वैधानिक निगम**' द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज ।

प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक में कर-निर्धारण सम्बन्धी कुछ नियम

(*i*) भारत सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त **ब्याज भारत में ही अर्जित हुआ माना जायेगा** चाहे उसका भुगतान कहीं बाहर ही क्यों न हुआ हो ।

(*ii*) **प्रतिभूतियों पर ब्याज उसी गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में वह करदाता को देय (Due) हुआ है** चाहे करदाता ने इसे प्राप्त किया है अथवा नहीं । सामान्यतया प्रतिभूतियों पर ब्याज किन्हीं विशिष्ट तिथियों को देय होता है । ये तिथियाँ छमाही, तिमाही व सालाना हो सकती हैं । ब्याज देय (Due) होने की तिथि जिस गत वर्ष में आती है ब्याज उसी गत वर्ष की करयोग्य आय में जोड़ा जाता है चाहे उसे प्राप्त कभी भी किया जाय । **ब्याज देय होते ही करयोग्य हो जाता है भले ही उसे कभी भी प्राप्त** किया जाय ।

(*iii*) **ब्याज उसी व्यक्ति की आय माना जाता है जोकि ब्याज देय होने की तिथि को प्रतिभूति का स्वामी है।** आय-कर की दृष्टि से इस बात का कोई महत्व नहीं है कि करदाता ने प्रतिभूति कब और कितने में खरीदी ? जैसे 'अ' ने २८ जून को कोई प्रतिभूति खरीदी है और उस प्रतिभूति पर ३० जून को ब्याज देय है तो वह ब्याज 'अ' की करयोग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि ब्याज देय होने की तिथि (Due Date) को 'अ' ही प्रतिभूति का स्वामी है।

(*iv*) करदाता की करयोग्य आय में **सदैव सकल ब्याज** (Gross Interest) ही जोड़ा जाता है। **शुद्ध ब्याज** (Net Interest) नहीं। अतः स्पष्ट है कि ब्याज दो प्रकार का होता है—

(अ) **शुद्ध ब्याज** (Net Interest)—वह ब्याज जो करदाता को वास्तव में नकद रूप में प्राप्त होता है। अतः यदि ब्याज का भुगतान करने वाली संस्था ब्याज का भुगतान करते समय उसमें से आय-कर काट लेती है तो कर काटने के बाद जो ब्याज करदाता को प्राप्त होगा वह शुद्ध ब्याज होगा। किन्तु यदि प्रतिभूति का ब्याज बिना कर काटे ही प्राप्त हो जाय तो यही ब्याज शुद्ध ब्याज होगा। कहने का आशय है कि **करदाता को वास्तविक रूप में प्राप्त ब्याज ही शुद्ध ब्याज होता है।**

(ब) सकल ब्याज (Gross Interest)—वह ब्याज जिसे प्राप्त करने का करदाता **अधिकारी है। अर्थात्** प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली कुल वास्तविक आय (Real Income) ही सकल ब्याज कहलाती है।

(*v*) यदि गत वर्ष में पूर्व वर्षों की कोई ऐसी **ब्याज प्राप्त होती** है जिस पर **अभी तक कर नहीं लग पाया** है तो जिस गत वर्ष में यह ब्याज प्राप्त किया जाय उस गत वर्ष की आय में इसे प्राप्त आधार पर जोड़ दिया जायगा।

(*vi*) **विदेशी सरकारों द्वारा निर्गमित** प्रतिभूतियाँ इस धारा के क्षेत्र के बाहर हैं तथा उनसे प्राप्त ब्याज पर या तो 'व्यापार अथवा पेशे से आय' शीर्षक में अथवा **'अन्य साधनों से आय'** शीर्षक में कर लगेगा।

(*vii*) एक कम्पनी के अंशों को प्रतिभूति नहीं माना जाता है। अतः **अंशों पर प्राप्त लाभांश** 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होता है।

प्रतिभूति से आशय व इसके प्रकार

"**प्रतिभूति**" शब्द को आय-कर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि **एक ऋण तब तक प्रतिभूति नहीं है जब तक कि उसका**

भुगतान किसी प्रकार से सुरक्षित न हो। प्रतिभूतियाँ सामान्यतया दो प्रकार की होती हैं--

(१) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)

(२) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities)

(१) **सरकारी प्रतिभूतियाँ** (Government Securities)—वे प्रतिभूतियाँ जो केन्द्रीय अथवा राज्यीय सरकार या स्थानीय सत्ता आदि द्वारा निर्गमित की जाती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं।

(अ) **कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ** (Tax-Free Government Securities)—वे सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन पर प्राप्त ब्याज को सरकार ने 'आय-कर से मुक्त' घोषित कर दिया है, उन प्रतिभूतियों पर बिना आय-कर काटे ही ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। अतः इन पर प्राप्त ब्याज ही सकल ब्याज होता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज करदाता की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है लेकिन उस पर आय-कर की औसत दर या २७.५% जो भी इन दोनों में कम हो, से छूट दी जाती है। इनमें ;

सकल ब्याज = शुद्ध ब्याज = प्राप्त ब्याज = प्रतिशत ब्याज (वह ब्याज जो प्रतिभूति में दी गई दर से निकाला जाता है।)

कुछ ऐसी भी सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं जिनसे प्राप्त ब्याज करदाता की कुल आय में बिलकुल नहीं जोड़ा जाता। अर्थात् निम्न प्रतिभूतियों का ब्याज पूर्णतया करमुक्त है—

(i) डाक-घर के कैश सर्टिफिकेट ;
(ii) राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट ;
(iii) राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट ;
(iv) राष्ट्रीय डिफेन्स बचत सर्टिफिकेट ;
(v) ट्रेजरी डिपाजिट रिसीट्स ;
(vi) ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट ;
(vii) नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट ;
(viii) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ;
(ix) डाक-घर के राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट ;
(x) १२ वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट ;
(xi) १० वर्षीय डिफेन्स डिपाजिट सर्टीफिकेट।
(xii) १२ वर्षीय राष्ट्रीय डिफेन्स सर्टिफिकेट आदि।

(ब) **करयुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ** (Less-Tax Government Securities)—वे सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन पर सरकार को आय-कर देय

है। इनका ब्याज भुगतान करने वाला व्यक्ति ब्याज की राशि में से २३% की दर से आय-कर काटकर शेष राशि का भुगतान प्रतिभूति के स्वामी को करता है। इसीलिए इनको (Less-Tax) प्रतिभूति कहा जाता है। इनमें,

$$\text{सकल ब्याज} = \text{प्रतिशत ब्याज या } \frac{\text{प्राप्त ब्याज} \times १००}{७७}$$

$$\text{शुद्ध ब्याज} = \text{प्रतिशत ब्याज} - २३\% \text{ (आय-कर की कटौती)}$$

या

$$\frac{\text{प्रतिशत ब्याज} \times ७७}{१००}$$

या

प्राप्त ब्याज

(२) **व्यापारिक प्रतिभूतियाँ** (Commercial Securities)—वे प्रतिभूतियाँ या ऋणपत्र जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किये जाते हैं व्यापारिक प्रतिभूतियों के अन्तर्गत आते हैं। ये **भी दो प्रकार की होती हैं**—

(अ) **करमुक्त प्रतिभूतियाँ** (Tax-Free Securities)—गैर सरकारी संस्थाओं को आय-कर से मुक्त प्रतिभूतियाँ निर्गमित करने का अधिकार नहीं है। आय-कर सरकार के प्रति एक दायित्व है और इसको कोई भी निजी संस्था या कम्पनी समाप्त नहीं कर सकती। यदि कोई कम्पनी आय-कर से मुक्त प्रतिभूतियाँ या ऋणपत्र जारी करती है तो इसका आशय यह होता है कि उन प्रतिभूतियों व ऋण-पत्रों का ब्याज पाने वाला व्यक्ति उस ब्याज की राशि पर आय-कर नहीं देगा बल्कि प्रतिभूति या ऋणपत्र निर्गमन करने वाली कम्पनी उस पर आय-कर का भुगतान करेगी। दूसरे शब्दों में, **ऐसे ऋण-पत्रों व प्रतिभूतियों के ब्याज पर लगने वाले आय-कर को कम्पनी स्वयं ऋण-पत्रधारियों एवं प्रतिभूति स्वामियों के लिए चुका देगी**। अतः प्रतिभूति एवं ऋण-पत्रों के स्वामियों को ब्याज का भुगतान बिना आय-कर काटे कर दिया जाता है और कम्पनी उस ब्याज पर आय-कर चुका देती है। ऐसी स्थिति में ऋण-पत्रधारी या प्रतिभूति के स्वामी को न केवल प्राप्त ब्याज पर ही आयकर देना होता है बल्कि कम्पनी द्वारा देय आय-कर की राशि भी उसकी करयोग्य आय में सम्मिलित कर ली जाती है अर्थात् **ऋण-पत्रधारी को न केवल वास्तव में प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि पर बल्कि कम्पनी द्वारा वहन** (Borne)

की गई आय-कर की राशि पर भी आय-कर देना होता है क्योंकि कम्पनी द्वारा वहन किया गया आय-कर भी तो ऋण-पत्रधारियों को ऋण-पत्रों से प्राप्त आय का ही एक भाग है। इनमें ;

शुद्ध ब्याज = प्रतिशत ब्याज

$$\text{सकल ब्याज} = \frac{\text{प्रतिशत ब्याज} \times १००}{७७}$$

उदाहरण १—एक कम्पनी ने १,००० रु० वाले ६·५% १,००० करमुक्त ऋण-पत्र निर्गमित किये। 'एक्स' के पास ऐसे १०० ऋण-पत्र हैं। बताइए कि 'एक्स' की 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की करयोग्य आय क्या होगी ? यदि उद्‌गम स्थान पर आय-कर की कटौती की दर २३% है।

A company has issued 1,000 6½% tax-free debentures of Rs. 1,000 each. X holds 100 such debentures. What is his income from interest on securities if the rate of income-tax to be deducted at source from such interest is 23% ?

Solution

यहाँ पर 'एक्स' ने वास्तव में कम्पनी से ६,५०० रु० का ब्याज प्राप्त किया है जो निम्न प्रकार है—

$$\frac{१०० \times १,००० \times ६·५}{१००} = ६,५००$$

क्योंकि उद्‌गम स्थान पर कटौती की दर २३% है। अतः इस प्राप्त ब्याज को निम्न प्रकार से सकल बनाया जायेगा—

$$\frac{\text{प्राप्त ब्याज} \times १००}{७७} \text{ or } \frac{६,५०० \times १००}{७७} = ८,४४२ \text{ रु०}$$

Thus gross up interest, which shall be added to Mr. X's taxable income, shall be Rs. 8,442, only.

(ब) **करयुक्त प्रतिभूतियाँ** (Less-Tax Securities)—ये प्रतिभूतियाँ उसी प्रकार की होती हैं जैसी कि करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ। इनका ब्याज आय-कर काटकर दिया जाता है, अतः इनमें ;

$$\text{सकल ब्याज} = \text{प्रतिशत ब्याज या } \frac{\text{प्राप्त ब्याज} \times १००}{७७}$$

$$\text{शुद्ध ब्याज} = \text{प्राप्त ब्याज या } \frac{\text{प्रतिशत ब्याज} \times ७७}{१००}$$

संक्षेप में सकल ब्याज निम्न होता है—		
(*i*) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	=	प्रतिशत ब्याज
(*ii*) करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ	=	$\frac{\text{प्रतिशत ब्याज} \times १००}{७७}$
(*iii*) करयुक्त व्यापारिक एवं सरकारी प्रतिभूतियाँ	=	प्रतिशत ब्याज या $\frac{\text{प्राप्त ब्याज} \times १००}{७७}$

कटौतियाँ (Deductions)

'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक में करयोग्य आय **निम्न कटौतियाँ घटाने** के बाद निकाली जाती है—

(१) वसूली व्यय (Collection Charges)—धारा १६(i) के अन्तर्गत यदि करदाता ने ऐसे ब्याज को वसूल करने में कुछ उचित व्यय किया है तो 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की करयोग्य आय निकालने के लिए सकल ब्याज में से ऐसे **उचित वसूली व्ययों की राशि को घटा दिया जायेगा।** यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जब कि करदाता ने वास्तव में ऐसा व्यय किया है। यदि वह स्वयं ही ब्याज वसूल करता है तो वह इस कटौती की मांग नहीं कर सकता।

(२) विनियोग के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज (Interest on Money Borrowed for the Purpose of Investment)—धारा १६(ii) के अनुसार यदि करदाता ने प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए कोई राशि उधार ली है तो उधार ली गई राशि पर देय ब्याज की राशि **'प्रतिभूतियों पर ब्याज'** शीर्षक की करयोग्य आय निकालने के लिए सकल ब्याज की राशि में से घटा दी जायेगी। यह ध्यान रखना चाहिए कि **उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज तभी कटौती के रूप में स्वीकृत होगा जबकि पूँजी प्रतिभूतियों में विनियोग के लिए ही उधार ली गई है।** यदि कोई राशि किसी अन्य कार्य के लिए उधार ली है किन्तु वह कार्य न होने के कारण उसको प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया है तो इस उधार राशि पर देय ब्याज कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। (*56 ITR 77*)

यदि ऋण करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए लिया गया है तो ऐसे ऋण पर देय ब्याज की राशि को करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज में से ही घटाया जायेगा और यदि देय ब्याज प्राप्त ब्याज से अधिक है तो हानि को किसी भी अन्य आय में से नहीं घटाया जायेगा।

यह सम्भव हो सकता है कि 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की सकल आय

इसी शीर्षक की कटौतियों से कम है अर्थात् कटौतियाँ घटाने के बाद इस शीर्षक में हानि आती है तो ऐसी हानि को अन्य शीर्षकों की आयों से पूरा किया जा सकता है।

अपवाद—धारा २१ के अनुसार यदि प्रतिभूतियाँ खरीदने को लिये गये ऋण पर देय ब्याज भारत के बाहर किसी व्यक्ति को चुकाया जाता है और ब्याज का भुगतान करते समय उसमें से आय-कर की राशि नहीं काटी जाती है तथा ब्याज पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा एजेन्ट व प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है जिससे उक्त ब्याज पर आय-कर वसूल किया जा सके तो ऐसे दिये गये ब्याज को इस शीर्षक की कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक में करयोग्य आय को चुकाने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी आय का भुगतान करते समय ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में से चालू दरों से आय-कर की कटौती कर ले।

एक व्यक्ति को, जोकि भारत का निवासी है तथा जिसकी आय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है, विनियोग की सुविधा देने के लिए आय-कर विधान में यह आयोजन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के ब्याज पर, उद्गम के स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति यह घोषित कर देता है कि उस वर्ष में उसके द्वारा रखी जाने वाली प्रतिभूतियों पर देय कुल ब्याज की राशि २,५०० रु० से अधिक नहीं है तथा उससे पूर्व के गत वर्षों में उस पर कर नहीं लगा एवं यह घोषित कर देता है कि गत वर्ष में उसकी कुल आय की राशि न्यूनतम करयोग्य राशि की सीमा से कम है।

यदि किसी व्यक्ति की ब्याज की राशि में से आय-कर काट लिया जाता है तो उसको आय-कर काटने के आशय का एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है जिसको दिखाकर वह आय-कर विभाग से आय-कर के समायोजन की मांग कर सकता है।

निम्न ब्याज की देय राशियों पर आय-कर की कटौती नहीं की जाती अर्थात निम्न प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की राशि प्राप्तकर्ता को बिना आय-कर काटे ही दे दी जाती है—

(*i*) एक व्यक्ति, जो अनिवासी न हो, को देय ४$\frac{3}{4}$% **राष्ट्रीय सुरक्षा बॉण्ड** १९७२ पर ब्याज ; अथवा

(*ii*) एक व्यक्ति को ४$\frac{1}{4}$% **नेशनल डिफेन्स लोन,** १९६८ या ४$\frac{3}{4}$% **नेशनल डिफेन्स लोन** १९७२ पर देय ब्याज ; अथवा

(*iii*) **नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट** (प्रथम निर्गमन) पर देय ब्याज ; अथवा

(*iv*) ७ **वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र** [National Savings Certificates (IVth Issue)] पर देय ब्याज ; अथवा

(*v*) निम्न द्वारा निर्गमित किये गये **ऋण-पत्रों** पर देय ब्याज—

(अ) **सहकारी समिति** (Co-operative Land Mortgage Bank व Co-operative Land Development Bank को सम्मिलित करके) ।

(ब) कोई भी **अन्य संस्था** या **अधिकारी,** जिसके लिए राष्ट्रीय सरकार ने गजट में इसके लिए अधिकृत घोषित कर दिया हो ।

(*vi*) ६½% **गोल्ड बॉण्ड, १९७७** या ७% **गोल्ड बॉण्ड १९८०** पर देय ब्याज यदि ये बॉण्ड एक ऐसे व्यक्ति (Individual) के पास है, जो अनिवासी नहीं है तथा जो ब्याज का भुगतान करने वाले के पास इस आशय की लिखित घोषणा दे देता है कि उस गत वर्ष में, जिसके लिए उसे यह ब्याज प्राप्य है, १०,००० रु० से अधिक के अंकित मूल्य के गोल्ड बॉण्ड्स नहीं थे ।

(*vii*) यदि किसी व्यक्ति के पास, जो अनिवासी नहीं है, केन्द्रीय व राज्यीय सरकार की कोई भी और प्रतिभूतियाँ हों तो उन प्रतिभूतियों पर प्राप्य (Due) ब्याज का भुगतान बिना आय-कर काट कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह निम्न घोषणा लिखित रूप में ब्याज का भुगतान करने वाले के सम्मुख कर दे—

(अ) कि वह अभी तक इस अधिनियम या आय-कर अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत करदाता नहीं हुआ है ।

(ब) जिस गत वर्ष के ब्याज देय हैं उस गत वर्ष में उसकी कुल आय न्यूनतम करयोग्य सीमा से अधिक नहीं होगी ; तथा

(स) गत वर्ष में उसके पास (या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास) २,५०० रु० से अधिक की प्रतिभूतियाँ नहीं थीं ।

ब्याज सहित प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय (Purchase and Sale of Securities Cum-Interest)

प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन-प्रतिदिन अर्जित (Accrue) हुआ नहीं माना जाता है ; बल्कि यह निश्चित तिथियों को ही अर्जित (Accrue) होता है । जब प्रतिभूतियाँ ब्याज-सहित क्रय की जाती हैं तो चुकाये गये मूल्य में ब्याज चुकाने की पिछली तिथि से क्रय की तिथि तक का 'शुद्ध अर्जित ब्याज' (Net Accrued Interest) भी सम्मिलित होता है । लेकिन अगली ब्याज तिथि पर क्रेता को उस पर देय सब

ब्याज पर ही कर देना होता है और उसे विक्रेता को चुकाये गये 'शुद्ध अर्जित ब्याज' को घटाने का अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार ब्याज-सहित प्रतिभूतियों के विक्रेता पर क्रेता से प्राप्त 'शुद्ध अर्जित ब्याज' की राशि पर कर नहीं लगता है।

साधारण नियम यह है कि आय-कर उद्देश्य के लिए ब्याज उसी व्यक्ति की आय है जोकि उस तिथि को प्रतिभूतियों का मालिक है जिस तिथि को ब्याज का भुगतान देय (Due) होता है।

यह सामान्य नियम तब भी लागू होता है जब ब्याज की राशि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद देय (Due) होती है। मृत्यु की तिथि तक ऐसे ब्याज के भाग को ही मृतक की आय नहीं मान लिया जाता है।

'शुद्ध अर्जित ब्याज' (Net Accrued Interest) वाक्यांश का अर्थ, पिछली ब्याज तिथि से क्रय या विक्रय की तिथि तक प्रतिभूतियों पर अर्जित (Accrued) लेकिन देय (Due) न हुई ब्याज की राशि में से उस पर लगने वाले उद्‌गम स्थान पर कर-कटौती को घटाने के बाद बचने वाली राशि से है।

उदाहरण २—एक्स लिमिटेड, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, के पास १ अप्रैल, १९७६ को १०,००० रु० की ३% सरकारी प्रतिभूतियाँ थीं, जिन पर १ जनवरी व १ जुलाई को ब्याज देय था।

१ अक्टूबर, १९७६ को उसने सभी प्रतिभूतियों को ब्याज-सहित (Cum-Interest) बेच दिया। बताइये कि कम्पनी क्रेता से कितना शुद्ध अर्जित ब्याज (Net Accrued Interest) प्राप्त करेगी। उद्‌गम पर आय-कर कटौती की दर २३% है।

X Ltd., whose accounting year ends on 31st March, held on 1st April 1976 Rs. 10,000 3% government securities, interest on which is payable on 1st January and 1st July.

On 1st October 1976 it sold all these securities cum-interest. Work out the amount of net accrued interest it will receive from the purchaser if the rate of income-tax to be deducted at source is 23%.

Solution

The last date of the Payment of interest before the sale of securities, was	1st July 1976
The date of the sale of securities	1st Oct. 1976

Difference between the two being 3 months. Hence 3 months interest *i. e.* Rs. 75 (1/4 of Rs. 300) is the accrued interest. The tax to be deducted at source will be 23% *i. e.* Rs. 17·25. The Net accrued interest would be 75—17·25=Rs. 57·75.

उदाहरण ३—'वाई' प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है। उसके लाभ-हानि खाते में प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज की राशि ३,१३,६०० रु० जमा की गई है

जिसमें प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज ४,००० रु० सम्मिलित है तथा प्रतिभूतियों के क्रय पर क्रेता को दिया गया २,४०० रु० का शुद्ध ब्याज घटाया हुआ है।

उसकी कुल आय में गणना की जाने वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए। उद्गम पर कटौती की दर २३% है।

Y is a dealer in securities. His profit and loss account has been credited with interest on securities Rs. 3,13,600 (net) after including interest received on sale of securities Rs. 4,000 (net) and after deducting interest paid to seller on purchase of securities Rs. 2,400 (net).

Work out his income from interest on securities which is to be included in his total income, the rate of income-tax deductible at source being 23%.

Solution

	Rs.
Net Amount credited to P. & L. a/c	3,13,600
Add Interest paid on purchase of securities	2,400
	3,16,000
Less Interest received on sale of securities	4,000
Net Interest On Securities	3,12,000
Income from interest on securities	$\frac{3,12,000 \times 100}{77}$
or Gross Interest	4,05,195

Therefore, the income from interest on securities to be included in total income of Y is Rs. 4,05,195.

प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि (Profit or Loss on Sale of Securities)

जब एक करदाता प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय का व्यापार करता है तो प्रतिभूतियाँ उसके पास व्यापारिक स्कन्ध (Stock-in-Trade) की तरह हैं तथा उनकी बिक्री पर होने वाली लाभ या हानि आगम लाभ या हानि है जो व्यापार मद में करयोग्य है। उसके व्यापार के लाभ या हानि की गणना करने के लिए हिसाबी अवधि से अन्त में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एक-से आधार (Uniform Basis) पर व्यापारिक स्कन्ध की तरह होना चाहिए।

दूसरी ओर, जब एक करदाता के पास प्रतिभूतियाँ विनियोग (Investment) की तरह हों तो विनियोगों में परिवर्तन करने के लिए किये गये विक्रय से होने वाली लाभ या हानि पूँजीगत लाभ या हानि होगी।

उदाहरण ४—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'अ' के विनियोग निम्न थे—

	रु०
(अ) ३½% सरकारी प्रतिभूतियाँ	४०,०००
(ब) ५% नगरपालिका ऋण-पत्र	२०,०००
(स) ४½% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	६०,०००

उसकी बैंक ने ब्याज संग्रहीत करने के लिए ४० रु० कमीशन के वसूल किये। उसने पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड क्रय करने के लिए प्राप्त ऋण पर ७०० रु० ब्याज दिया।

उसकी 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

A's investments during the year ended 31st March 1977 consisted of the following :

(*a*) Rs. 40,000 3½% government securities.
(*b*) Rs. 20,000 5% municipal debentures.
(*c*) Rs. 60,000 4½% port trust bonds.

His bank charged Rs. 40 as commission for collecting interest and he paid Rs. 700 as interest on a loan which he had taken for the purpose of purchasing the trust bonds.

Calculate his income from interest on securities.

Solution

Statement showing Income of Mr. A from Interest on Securities for 1977-78

		Rs.
(*a*) 3½% Government securities		1,400
(*b*) 5% Municipal debentures		1,000
(*c*) 4½% Port trust bonds		2,700
Gross Interest		5,100
Deductions :		
Collection charges	40	
Interest on loan taken to purchase port trust bonds	700	740
Net Interest or Income from Securities		4,360

उदाहरण ५—१ अप्रैल, १९७६ को X के पास निम्न प्रतिभूतियाँ थी—

	रु०
(अ) ३% सरकारी ऋण	९०,०००
(ब) ५% इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट ऋण-पत्र	८०,०००
(स) ५% ऋण-पत्र एक कम्पनी के	३०,०००

१ अगस्त, १९७६ को उसने २०,००० रु० की ३% सरकारी ऋण ९२½% ब्याज-सहित खरीदे। ब्याज १ जून व १ दिसम्बर को देय है।

ब्याज को संग्रहीत करने का बैंक का कमीशन ७५ रु० था। ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसकी प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

On 1st April 1976, X held the following investments :

		Rs.
(*a*)	3% government loan	90,000
(*b*)	5% improvement trust debentures	80,000
(*c*)	5% debentures of a company	30,000

On 1st August 1976 he purchased Rs. 20,000 3% government loan at 92½% cum-interest, interest being payable on 1st June and 1st December.

The bank commission for collecting interest was Rs. 75. What is his income from interest on securities for the previous year ended 31st March 1977 ?

Solution

Statement Showing Income of Mr. A. from Interest on Securities for 1977-78

		Rs.
(*a*)	3% Government loan[1]	2,700
(*b*)	5% Improvement trust debentures	4,000
(*c*)	5% Debentures of a company	1,500
(*d*)	3% Government loan purchased on 1st August 1976	300
	Gross Interest	8,500
	Deduct bank commission	75
	Income from Interest on Securities	8,425

Notes :

(1) 3% Govt. loan purchased on 1st August will accrue only half year's interest as he was the owner of it on 1st December 1976.

(2) Cum-interest or Ex-interest transactions of securities does not at all affect the interest on securities Income.

उदाहरण ६—१ अप्रैल १९७६ को Y के विनियोग निम्न थे—

		रु०
(अ)	४% यू० पी० स्टेट लोन	६०,०००
(ब)	५% इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट-ऋण पत्र	३०,०००
(स)	५% एक चीनी मिल के ऋण-पत्र	२०,०००
(द)	९% एक कम्पनी के पर्वाधिकार अंश	१५,०००

१ सितम्बर, १९७६ को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्र ७५० रु० के लाभ पर बेचे और ४०,००० रु० के ४% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड क्रय किये। इनके लिए उसने २०,००० रु० ९% प्रति वर्ष की ब्याज पर उधार लिया। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए बैंक कमीशन ½% और ब्याज संग्रहीत करने के व्यय ५० रु० थे। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए। प्रतिभूतियों पर ब्याज १ जनवरी एवं १ जुलाई को देय है।

On 1st April 1976 Y's investments were as follows :

(*a*)	4% U. P. State loan	60,000
(*b*)	5% improvement trust Debentures	30,000
(*c*)	5% debentures of a sugar mill company	20,000
(*d*)	9% preference shares in a company	15,000

On 1st September 1976 he sold his sugar mill debentures at a profit of Rs. 750 and purchased Rs. 40,000 4% port trust bonds, having borrowed Rs. 20,000 for this purpose for his bank at 9 per cent per annum. The bank commission for buying and selling securities was 1/2% and for collecting interest Rs. 50.

Find out his income from interest on securities for the previous year ended 31st March 1977, such interest being payable in each case on 1st January and 1st July.

Soultion

Income from Interest on Securities' of Mr. Y
for the Assessment Year 1977-78

			Rs.
(*a*)	Interest on 4% U. P. state loan for one year		2,400
(*b*)	Interest on 5% improvement trust debentures for one year		1,500
(*c*)	Interest on 5% sugar mill debentures for half year due on 1-7-1976		500
(*d*)	Interest on 4% port trust bonds for half year due on 1-1-1977		800
	Gross Interest		5,200
	Less Collection charges	50	
	Interest on loan for 7 months since 1st Sep. 1976 to 31-3-1977	1,050	1,100
	Income from 'Interest on Securities'		4,100

Notes :

1. The bank commission for buying and selling securities is not allowable as a deduction, as it is a capital expenditure.
2. As the securities are held as investments, the profit on the sale of sugar mill debentures is a capital gain.
3. Devident on preference shares is not taxable under the head 'Interest on Securities'.

उदाहरण ७—गत वर्ष १९७६-७७ की मि० 'अ' की 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक में निम्न ब्याज प्राप्त हुआ—

	रु०
(अ) ३% (करमुक्त) सरकारी प्रतिभूतियाँ	५०,०००
(ब) ५% (करमुक्त) कम्पनी के ऋण-पत्र	३०,८००
(स) ३½% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र	३०,०००
(द) ७% बॉम्बे गवर्नमेन्ट लोन	२५,०००
(य) ४½% (करयुक्त) सरकारी लोन	१०,०००
(र) ३% पूर्वाधिकार अंश	१०,०००
(ल) उसके कम्पनी के ऋण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज	१,५४०

ब्याज को संग्रहीत करने के लिए 'अ' ने १५० रु० कमीशन बैंक को दिया। 'अ' ने करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए ५०,००० रु० का ऋण ७%की ब्याज पर प्राप्त किया था जिस पर गत वर्ष का ब्याज ३,५०० रु० देय है। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए अ की 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

Mr. A received the following interests under the head 'Interest on Securities' for the previous year 1976-77.

	Rs.
(*a*) 3% (Tax-Free) Govt. securities	50,000
(*b*) 5% (Tax-Free) Debentures of a company	30,800
(*c*) 3½% Municipal debentures	30,000
(*d*) 7% Bombay Govt. loan	25,000
(*e*) 4½% (Less-Tax) Govt. loan	10,000
(*f*) 3% Preference shares	10,000
(g) Interest received on debentures of a company	1,540

A paid Rs. 150 as commission to bank for collecting interest. A took a loan of Rs. 50,000 @ 7% p. a. to purchase Tax-Free Govt. Securities. Interest due on this loan for the previous year is Rs. 3,500. Calculate A's Income from the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1977-78.

Solution

Income from 'Interest on Securities' of Mr. A for the Assessment Year 1977--78

			Rs.
(a)	Interest on 3% (Tax-Free) government securities	1,500	
	Less Interest on loan taken to purchase these securities	3,500	nil
(b)	Interest on 5% (Tax-Free) debentures of a company		2,000
(c)	Interest on 3 1/2% Muuicipal debentures		1,050
(d)	Interest on 7% Bombay Govt. loan		1,750
(e)	Interest on 4 1/2% (Less-Tax) Govt. loan		450
(f)	Interest on debentures of a company (Gross up)		2,000
	Gross Interest		7,250
	Less Collection charges	150	150
	Income from Interest on Securities		7,100

Notes :

1. Interest on loan taken to purchase (tax-free) government securities is deductible from the interest received on such securities. Any deficiency of interest paid is not deductible from any other interest.

2. Interest on (tax-free) debentures of a company has been grossed up as follow :

$$\frac{1,540 \times 100}{77} = 2,000 \text{ Rs.}$$

3. Interest received on the debentures of a company will be grossed up as follow :

$$\frac{1,540 \times 100}{77} = 2,000 \text{ Rs.}$$

4. Dividend on preference shares is not taxable under this head. It is taxable under the head 'Income from Other Sources.'

उदाहरण ८—गत वर्ष १९७६-७७ में श्री गोपाल के विनियोग निम्न थे—

	रु०
(अ) ४% सरकारी ऋण	२५,०००
(ब) ३% आगरा म्यूनिसिपल ऋण	२०,०००
(स) ५½% (करमुक्त) सरकारी प्रतिभूतियाँ	२०,०००

(द) ६% (करमुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ	१५,४००
(य) ५% एक पेपर मिल के ऋण-पत्र	४०,०००
(र) ६% बोम्बे गवर्नमेन्ट ऋण	२०,०००
(ल) ४½% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड	५,०००

१ अगस्त, १९७६ को उसने ५% पेपर मिल कम्पनी के ऋण-पत्र ४५,००० रु० में बेच दिये और गोआ सरकार की १,००,००० रु० के मूल्य की ७% वाली प्रतिभूतियाँ १,०५,००० रु० में क्रय कर ली। क्रय करते समय दलाल का १५० रु० कमीशन तथा १,१०० दलाली के भी दिये। गोआ सरकार की प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए उसने बैंक से ३०,००० रु० का ऋण ९½% की ब्याज पर प्राप्त किया। शेष ३०,००० रु० उसने एक अन्य ऋण का प्रयुक्त किया जो उसने कार क्रय करने के लिए १०% की ब्याज पर लिया था किन्तु कार क्रय न करने के कारण इस रुपये को इन प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया। ६% बोम्बे गवर्नमेन्ट ऋण उसने ३० जून, १९७६ को क्रय किये थे। समस्त प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज बैंक द्वारा वसूल किया जाता है। बैंक इस कार्य के लिए २½% कमीशन वसूल करती है। ब्याज की राशि १ जुलाई व १ जनवरी को देय होती है।

श्री गोपाल की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए **'प्रतिभूतियों से ब्याज'** शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

Investments of Sri Gopal for the previous year 1976-77 were as below :

	Rs.
(*a*) 4% Government loan	25,000
(*b*) 3% Agra municipal loan	20,000
(*c*) 5½% (Tax-Free) Govt. securities	20,000
(*d* 6% (Tax-Free) Commercial securities	15,400
(*e*) 5% Debentures of paper mill	40,000
(*f*) 6% Bombay Govt. loan	20,000
(*g*) 4½% Port trust bond	5,000

He sold 5% debentures of paper mill on 1st August, 1976 for Rs. 45,000 and purchased 7% securities of Goa Govt. for Rs. 1,05,000, the nominal value of securities being only Rs. 1,00,000. The broker charged Rs. 150 as commission and Rs. 1,100 as brokerage for purchasing the securities. He took a bank loan @ 9½% of Rs. 30,000 to purchase Goa Govt. securities. The balance of Rs. 30,000 was diverted of a loan @ 10% which he took to purchase a car which, as the car was not purchased, was diverted for investment in securities. He purchased 6% Bombay Government loan on 30th June, 1976. The interest on all the securities is collected by bank for which bank

charges a commission of $2\frac{1}{2}\%$. Interest is payable on 1st January and 1st July.

Compute income of Sri Gopal from the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1977-78.

Solution

Income of Sri Gopal from 'Interest on Securities' for the Assessment Year 1977-78

			Rs.
(a)	Interest on 4% Govt. loan for one year		1,000
(b)	,, ,, 3% Agra municipal loan for one year		600
(c)	,, ,, $5\frac{1}{2}\%$ (Tax-Free) Govt. Securities for one year		1,100
(d)	,, ,, 6% (Tax-free) Commercial securities for one year		1,200
(e)	,, ,, 5% Debentures of a paper mill for half year		1,000
(f)	,, ,, 6% Bombay Govt. loan for one year		1,200
(g)	,, ,, $4\frac{1}{2}\%$ Port trust bonds for one year		225
(h)	,, ,, 7% Goa Govt. securities for six months		3,500
	Gross Interest		9,825
	Less Collection charges on Rs. 7,818 @$2\frac{1}{2}\%$	195	
	Interest on loan taken to purchase srcurities for 8 months on Rs. 30,000@ $9\frac{1}{2}\%$	1,900	2,095
	Income from Interest on Securities		7,730

Notes :

1. Profit of Rs. 5,000 on the sale of 5% paper mill co. is capital gain, hence not taxable under this head.
2. Loss of Rs. 5,000 on the purchase of 7% Goa government securities is a capital loss and not adjustable under this head.
3. Payment of commission and brokerage of Rs. 150 and Rs.1.100 respectively to the broker is capital expenditure hence not allowed as deduction.
4. Interest on loan of Rs. 30,000 taken for purchase of car but invested in securites is not allowed as deduction as the loan was not taken specifically to purchase the securities.
5. Bank commission for collecting interest has been calculated as follows :

	Rs.
Total Gross Interest	9,825
Less Net Interest on Tax-free Govt. securities	1,100
Other Gross Interest	8,725

$$\text{Net Interest received} = \frac{8,725 \times 77}{100} + 1,100$$

$$= 6,718{\cdot}25 + 1,100 = 7,818$$

$$\frac{7,818 \times 5}{2 \times 800} = \text{Rs. } 195$$

दिखावटी लेन-देन (Bond Washing Transaction)

जैसा कि इनके नाम से प्रकट है ये लेन-देन वास्तविक नहीं होते हैं। ये सब बनावटी होते हैं और इनका उद्देश्य आय-कर बचाना होता है। इसी अध्याय में पहले बताया गया है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन-प्रतिदिन उदय नहीं होता बल्कि उन विशेष तिथियों को उदित हुआ माना जाता है जिन पर प्रतिभूतियों का ब्याज देय होता है। अतः कुछ चालाक करदाता ब्याज देय होने की तिथि से पूर्व अपनी प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित अपने किसी मित्र को बेच देते हैं और ब्याज देय तिथि के बाद उन प्रतिभूतियों को ब्याज-रहित (Ex-Interest) खरीद लेते हैं। जिस व्यक्ति को प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं वह या तो आय-कर देने को दायी नहीं होता है क्योंकि उसकी आय न्यूनतम करयोग्य सीमा से कम है या फिर यदि वह आय-कर देता भी है तो बहुत कम आय पर देता है। इस प्रकार उन प्रतिभूतियों का ब्याज उस दूसरे व्यक्ति की आय में जुड़ जाता है और हस्तान्तरण करने वाला उनके ब्याज पर आय-कर देने से बच जाता है। उस दूसरे व्यक्ति को उस ब्याज पर या तो आय-कर देना ही नहीं पड़ता और यदि देना भी पड़ता है तो बहुत कम दर से जो उसको विक्रेता द्वारा व्यक्तिगत रूप में दे दिया जाता है। यदि यही ब्याज विक्रेता की आय में जुड़ता तो उसको अपेक्षाकृत अधिक दर से आय-कर देना पड़ता। इस प्रकार इन लेन-देनों के कारण आय-कर विभाग को अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।

इस प्रकार के व्यवहारों को रोकने के लिए आय-कर अधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वह यह देखता है कि करदाता आय-कर बचाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों का बनावटी क्रय-विक्रय कर रहा है तो वह करदाता को समस्त आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य कर सकता है। वह इन प्रतिभूतियों के ब्याज को उसी व्यक्ति की करयोग्य आय में जोड़ सकता है जिसने इनको हस्तांतरित करके आय-कर से बचना चाहा था।

प्रश्न

१. 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक में कौन सी आयें करयोग्य हैं। इस प्रकार की आय की गणना करते समय कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं ?

Which income is chargeable under the head 'interest on securities' and what deductions are allowed in computing such income ?

२. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(अ) ब्याज सहित व ब्याज-रहित व्यवहार

(ब) करमुक्त व करयुक्त प्रतिभूतियाँ

(स) दिखावटी लेन-देन

Write short notes on the followings—

(*a*) Cum-Interest and Ex-Interest transaction.

(*b*) Tax-free and Less-tax securities.

(*c*) Bond washing transaction.

३. एक करदाता की गत वर्ष १९७६–७७ सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित है :—

(अ) ३०,००० रु० की ५% कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ,

(ब) २०,००० रु० के ६% यू० पी० राज्य विद्युत परिषद के बॉण्ड,

(स) ४०,००० रु० की ५% केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ,

(द) २०,००० के ६% कम्पनी के कर मुक्त ऋणपत्र,

(य) ३०,००० रु० के ८% सीमेन्ट कम्पनी के अधिमान अंश,

(र) १,००० रु० एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश,

(ल) १०,००० रु० के ७% एक कम्पनी के ऋणपत्र १०२ रु० के मूल्य पर "लाभांश सहित" ३०-११-७६ को क्रय किए। ब्याज हर १ जनवरी तथा १ जुलाई को देय है।

करदाता के निम्नलिखित व्यय हुए :

(अ) वसूली व्यय ३०० रु०,

(ब) कर-मुक्त प्रतिभूति क्रय करने हेतु ऋण पर १,००० रु० ब्याज दिया।

'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की करदाता की आय की गणना कीजिए।

The following are the particulars in respect of an assessee for the previous year 1976-77

(*a*) Rs. 30,000 5% Tax free Govt. Securities.

(*b*) Rs. 20,000 6% U. P. State Electricity Board's Loan.

(*c*) Rs. 40,000 5% Central Govt. Securities.

(*d*) Rs. 20,000 6% tax free debentures of a company.

(e) Rs. 30,000 8% Preference shares of a cement-company.

(f) Rs. 1000 received as dividend from a co-operative society.

(g) Rs. 10,000 7% debentures of a company purchased on 30-11-76 cum-dividend at Rs. 102, interest payable 1st January and 1st July every year.

The following are his expenses :

(a) Rs. 300 collection charges.

(b) Rs. 1,000 interest on loan taken for purchasing tax-free securities.

Find out his income under the head 'Interest on Securities.'

Ans. Income from securities Rs. 5,308. Dividend of Rs. 2,400 from cement company and a dividend of Rs. 1,000 from co-operative society is not taxable under this head.

४. १९७६-७७ में श्री महेश प्रसाद के निम्नांकित विनियोग थे।

		रु०
(अ)	४% मध्यप्रदेश राज्य ऋण	३०,०००
(ब)	५% बोम्बे पोर्ट ट्रस्ट ऋण-पत्र	१५,०००
(स)	५% एक चीनी मिल के ऋण-पत्र	१०,०००
(द)	६% एक कम्पनी के पूर्वाधिकार अंश	७,५००

१ सितम्बर को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्र ३७५ रु० लाभ पर बेचे और २०,००० रु० के ४% पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड क्रय किए। इस उद्देश्य के लिए उसने अपने बैंक से १०,००० रु० का ऋण ९% की दर से लिया। प्रतिभूतियों के क्रय व विक्रय करने का बैंक कमीशन १ प्रतिशत और ब्याज एकत्रित करने का बैंक कमीशन २५ रु० है।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय की गणना कीजिए। ब्याज १ जनवरी व १ जुलाई को देय होता है।

Investments of Sri Mahesh Prasad were as follows during the year 1976-77.

(a)	4% M. P. Govt. Loan	Rs. 30,000
(b)	5% Bombay Port Trust debentures	Rs. 15,000
(c)	5% Debentures of a Sugar mill company	Rs. 10,000
(d)	6% Preference Shares of a company	Rs. 7,500

On 1st September he sold sugar mill debentures at a profit of Rs. 375 and purchased 4% Port Trust Bonds for Rs. 20,000 for this purpose he took a loan of Rs. 10,000 from his bank @ 9%.

Bank Charges commission @ 1% on the sale and purchase of securities and Rs. 25 for collecting interest.

Calculate his income under the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1977-78. Interest is payable on 1st January and 1st July in every case.

Ans. Interest on Securities Rs. 2,050. Interest on loan is chargeable for 7 months.

५. गत वर्ष १९७६-७७ के लिए श्री विष्णुकुमार की आय का निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

		रु०
(अ)	२% सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ	७०,०००
(ब)	६% कम्पनी के पूर्वाधिकार अंश	३०,०००
(स)	४% कर-युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ	५०,०००
(द)	५% एक कम्पनी के कर-मुक्त ऋणपत्र	१५,४००
(य)	४% यू० पी० सरकार का ऋण	२०,०००
(र)	६% इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी के ऋण-पत्र	४०,०००
(ल)	एक सहकारी समिति के ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज	६००

उसने ७०,००० रु० की २% कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए हुए ऋण-पत्र पर १,५०० रु० ब्याज दिया।

ब्याज को संग्रह करने का बैंक का कमीशन १२५ रु० दिया।

कर-निधारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

The following are the particulars of the income of Sri Vishnu Kumar for the previous year 1976-77.

		Rs.
(*a*)	2% Tax free Govt. Securities	70,000
(*b*)	6% Preference shares of a company	30,000
(*c*)	4% Less tax Govt. securities	50,000
(*d*)	5% Tax free debentures of a company	15,400
(*e*)	4% U. P. Govt. Loan	20,000
(*f*)	6% Debentures of Imperial Trading Company	40,000
(*g*)	Dividend received from a co-operative society	600

He took a loan for purchasing Rs. 70,000 2% tax-free Govt. securities. The interest paid on this loan amounted to Rs. 1,500.

He paid Rs. 125/- as commission for collecting bank interest .

Calculate his taxable income from the head 'Interest on Securities' for the assessment year 1977-78.

Ans. Income from 'Interest on Securities' Rs. 6,675. Interest on loan taken to purchase tax free Govt. securities is deductible only from interest received on such sucurities. Any excess Interest paid on such loan is not deductible from elsewhere. In this case Interest on tax free securities is received Rs. 1,400 and Interest paid on Loan amounts to Rs. 1,500. Hence Rs. 1,500 will be deducted from Rs. 1400, taxable income from this security being nil. Rs. 100 will not be deducted from any other Income.

६

मकान सम्पत्ति से आय

(Income from House Property)

आय-कर अधिनियम की धारा २२ के अनुसार, **"करदाता द्वारा मकान सम्पत्ति से आय" शीर्षक में ऐसे मकानों अथवा उनसे लगी जमीनों के 'वार्षिक मूल्य' पर आय-कर देना होता है जिनका कि करदाता स्वामी है तथा जिनको वह अपने किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयुक्त नहीं करता जिनके लाभ करयोग्य हैं।"**

इस धारा के विश्लेषण से निम्न महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होते हैं—

(*i*) **मकान अथवा उनसे लगी जमीन**—अधिनियम की धारा २२ के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि केवल मकानों की आय ही नहीं बल्कि उनसे लगी जमीनों की आय भी 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में करयोग्य है। मकान से लगी जमीन या तो सहन (Courtyard) या बरामदे (Compound) के रूप में, जोकि मकान का ही एक अंग हो सकती है। किन्तु यदि बिल्कुल खुली जमीन (Purely Open Land), जो किसी मकान सम्पत्ति का अंग नहीं है, से आय प्राप्त होती है तो वह इस शीर्षक में करयोग्य न होकर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगी।

(*ii*) **वार्षिक मूल्य**—इस शीर्षक में मकान अथवा उनसे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य (Annual Value) पर आय-कर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य नगरपालिका मूल्य अथवा किराया मूल्य से भिन्न होता है। इसका विस्तृत विवरण आगे समझाया गया है।

(*iii*) **करदाता का स्वामित्व**—इस शीर्षक में केवल उन्हीं मकानों अथवा उनसे लगी जमीनों की आय पर कर दायित्व होता है जिनका कि करदाता स्वामी है। यदि करदाता ने **पट्टे पर भूमि लेकर** मकान का निर्माण किया है तो वह उस भूमि का स्वामी माना जायेगा।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी **अन्य व्यक्ति की भूमि पर मकान बनाता है** तो भी वह ही मकान का स्वामी रहता है। किन्तु पट्टे पर मकान ले लेने से कोई व्यक्ति मकान का स्वामी नहीं हो सकता, अतः इस पर 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार यदि किसी किरायेदार द्वारा उस मकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे दिया जाय अथवा शिकमी किरायेदार रख लिया जाय तो उससे प्राप्त होने वाली किराये की आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगी।

मकान सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होने पर भी कर-निर्धारण को नहीं रोका जाता है। आय-कर अधिकारी मकान सम्पत्ति की आय पर कर-निर्धारण करने के उद्देश्य से उसका स्वामित्व भी तय कर सकता है।

आय-कर अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत **निम्न व्यक्तियों को मकान सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है**—

(अ) यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित प्रतिफल के अपनी किसी मकान सम्पत्ति को अपनी **पत्नी अथवा पति के नाम हस्तांतरित** कर देता है और यह हस्तांतरण पति-पत्नी के अलग-अलग रहने के प्रसंविदे के अन्तर्गत नहीं हुआ है या यह हस्तांतरण विवाहित पुत्री के अतिरिक्त किसी अन्य **बच्चे के नाम** किया गया है तो ऐसी दशा में हस्तांतरणकर्ता ही **मकान सम्पत्ति का स्वामी माना जायेगा।**

(ब) किसी **अविभाज्य सम्पत्ति** (Impartiable Estate) **के धारक** को पूर्ण सम्पत्ति का व्यक्तिगत स्वामी माना जाता है।

(स) एक **सहकारी समिति का ऐसा सदस्य** जिसे समिति ने अपनी भवन निर्माण योजना में मकान बनाकर आबंटित (Allot) कर दिया है या पट्टे पर दे दिया है तो वह सदस्य उस मकान का स्वामी माना जाता है।

(iv) **मकान सम्पत्ति को व्यापार व पेशे के लिए प्रयुक्त न करना**—अधिनियम की धारा २२ में यह स्पष्ट निर्देश है कि करदाता उन्हीं मकानों व उनसे लगी जमीनों की आय पर कर देगा जिन्हें वह अपने किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयुक्त नहीं करता है जिसके लाभों पर आय-कर देय है।

यदि करदाता मकान सम्पत्ति को अपने **व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग कर** रहा है तो ऐसी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर इस धारा के अन्तर्गत कर नहीं लगेगा और न ही करदाता को व्यापार अथवा पेशे से आय निकालने के लिए ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में काल्पनिक किराये (Notional Rent) की राशि को कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा।

यदि करदाता की ऐसी मकान सम्पत्ति का जोकि व्यापार में प्रयोग की जाती है, कोई भाग व्यापार के किसी **ऐसे कर्मचारी को किराये पर दे दिया जाय** जिसका वहाँ पर रहना व्यापार के कुशल कार्य-संचालन के लिए आवश्यक है तो उस कर्मचारी से प्राप्त किराया 'व्यापार अथवा पेशे से आय' मद के अन्तर्गत करयोग्य होगा न कि मकान सम्पत्ति से आय मद में। इस प्रकार किराये पर उठाई गयी सम्पत्ति पर ह्रास तथा अन्य खर्चे (जैसे—मरम्मत, अग्नि बीमा, जमीन किराया आदि) व्यापार के लाभ-हानि खाते में ले आये जा सकते हैं।

वार्षिक मूल्य
(Annual Value)

धारा २२ के अन्तर्गत कर मकान सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले वास्तविक किराये पर नहीं बल्कि मकान सम्पत्ति के 'वार्षिक मूल्य' पर लगता है।

इस धारा के लिए **वार्षिक मूल्य का आशय निम्न से है**—

(अ) वह राशि जिस पर उस सम्पत्ति को प्रत्येक वर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता हो ; अथवा

(ब) यदि सम्पत्ति किराये पर उठी हुई है और उसके स्वामी को उससे प्राप्त (Received) या प्राप्त होने वाला (Receivable) वार्षिक किराया उपरोक्त वर्णित उचित किराये से अधिक है तो इस प्रकार से प्राप्त या प्राप्त होने वाला किराया।

संक्षेप में, वार्षिक मूल्य **निम्न दो में अधिकतम मूल्य है**—

(*i*) सम्पत्ति का उचित वार्षिक किराया ; अथवा

(*ii*) सम्पत्ति का वास्तविक प्राप्त या प्राप्त होने वाला किराया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि :

'वार्षिक मूल्य' से तात्पर्य मकान सम्पत्ति के मालिक द्वारा प्राप्त वास्तविक किराये से नहीं है बल्कि ऐसे काल्पनिक किराये की राशि से है जोकि एक परिकल्पित किरायेदार (Hypothetical Tenant) उस मकान के लिए दे। यदि मकान सम्पत्ति को किराये पर उठा रखा है तो वार्षिक मूल्य निश्चित करने के लिए वास्तविक

किराये को भी ध्यान में रखा जाता है, परन्तु प्रत्येक अवस्था में प्राप्त किराये की राशि को ही वार्षिक मूल्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि मकान कम किराये पर भी उठाया जा सकता है तथा अधिक पर भी। दूसरे, हो सकता है कि जो किराया उस मकान से प्राप्त हो रहा है वह अब से १० या १५ वर्ष पहले निश्चित किया गया हो। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं व्यापारिक सम्बन्धों के कारण भी मकान सस्ते किराये पर उठाया जा सकता है। नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये को भी वार्षिक मूल्य नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में, **वार्षिक मूल्य वह आय है जो कि एक मकान सम्पत्ति से प्राप्त होनी चाहिए।**

किसी मकान का वार्षिक मूल्य निश्चित करने में जिन प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, वे निम्नलिखित हैं—

(*i*) किराये की प्राप्त वास्तविक राशि (Rent Received or Receivable)।

(*ii*) नगरपालिका मूल्यांकन (Municipal Valuation)।

(*iii*) उस इलाके में उसी प्रकार के मकान के लिए चुकाई जाने वाली किराये की राशि अथवा उचित वार्षिक किराया।

विभिन्न परिस्थितियों में वार्षिक मूल्य
(Annual Value in Different Circumstances)

वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए मकान सम्पत्ति को निम्न तीन श्रेणियों में बाँटा गया है—

(१) किराये पर उठे मकानों का वार्षिक मूल्य।

(२) मालिक द्वारा निवास के लिए प्रयुक्त मकानों का वार्षिक मूल्य।

(३) उन मकानों का वार्षिक मूल्य जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है।

(१) **किराये पर उठे मकानों का वार्षिक मूल्य** (Annual Value of Property Let Out)—किराये पर उठे मकानों का वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए सम्पत्ति के उचित वार्षिक किराये (नगरपालिका मूल्यांकन या उसी इलाके के इसी प्रकार के अन्य मकान का किराया) की तुलना प्राप्त किराये से की जाती है। इन दोनों राशियों में जो भी राशि अधिकतम होती है उसमें से मकान के स्वामी द्वारा वहन किया जाने वाला स्थानीय सत्ता द्वारा लगाया गया कर घटा दिया जाता है। शेष राशि ही मकान का वार्षिक मूल्य है। स्थानीय सत्ता (Local Authority) द्वारा लगाये गये करों में गृह-कर, जल-कर, भूमि भवन-कर और शिक्षा-कर आदि सम्मिलित हैं। ये कर उसी सीमा तक घटाये जायेंगे जिस सीमा तक कि ये मकान सम्पत्ति के स्वामी द्वारा वहन किये जाते हैं। संक्षेप में, किराये पर उस मकान का **वार्षिक मूल्य इस प्रकार होगा—**

	Rs.
Rental Value or Fair Rent (Whichever is higher)	—
Less Municipal Taxes paid and borne by the owner	—
Annual value of the house let	—

नये बने मकानों के सम्बन्ध में छूट (Concession for Newly Constructed Properties)—जो सम्पत्तियाँ किराये पर उठाई हुई हैं और जिनका निर्माण नया है उनके सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य निकालते समय **निम्न छूटें और दी जायेंगी**—

(अ) उन मकानों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से हैं, और जिनका **निर्माण कार्य १ अप्रैल, १६६१ के बाद प्रारम्भ** हुआ है और **१ अप्रैल १६७० से पूर्व समाप्त** हो गया है, उनका बनना समाप्त होने की तिथि से **तीन वर्ष तक निम्न कटौती दी जायेगी**—

(*i*) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वार्षिक मूल्य ६०० रु० से अधिक नहीं है तो **सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य** ;

(*ii*) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वार्षिक मूल्य ६०० रु० से अधिक है तो **केवल** ६०० रु० ।

संक्षेप में, १ अप्रैल १६६१ से १ अप्रैल १६७० तक बने मकानों के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य या ६०० रु० (जो भी दोनों में कम हो) उपर्युक्त प्रकार से गणित वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जायेगा ।

जैसे–

	Rs.
Rental Value or Fair Rent (Whichever is higher,)	—
Less Municipal-Tax paid by the owner	—
Annual Value	—
Less Full of the Annual Value or Rs.600 (Whichever is less) (for three years)	—
Net Annual Value	—

(ब) उन मकानों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से हैं और जिनका **निर्माण कार्य १ अप्रैल १६६१ के बाद प्रारम्भ** हुआ **है और ३१ मार्च, १६७० के बाद समाप्त** हुआ है, उनका बनना समाप्त होने की तिथि से **पाँच वर्ष तक निम्न कटौती दी जायेगी**—

(*i*) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वार्षिक मूल्य १,२०० रु० से अधिक नहीं है तो **सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य** ;

(*ii*) किसी ऐसे रिहायसी हिस्से के लिए जिसका वार्षिक मूल्य १,२०० रु० से अधिक है तो केवल १,२०० रु० ।

संक्षेप में, १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९७० के बाद तक बने मकानों के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य या १,२०० रु० (जो भी दोनों में कम हो) उपर्युक्त प्रकार से गणित वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जायेगा।

जैसे—

	Rs.
Rental Value or Fair Rent (Whichever is higher)	—
Less Municipal-Tax paid by the owner	—
Annual Value	—
Less Full of the Annual Value or Rs. 1,200	---
(Whichever is less) (For five years)	—
Net Annual Value	—

नोट—१. यह ६०० रु० या १,२०० रु० की छूट मकान के प्रत्येक रिहायसी हिस्से के लिए अलग-अलग दी जायेगी। यदि मकान में ४ रिहायसी हिस्से हैं तो चारों के लिए यह छूट अलग-अलग दी जायेगी।

२. यह छूट केवल किराये पर उठे रिहायसी हिस्से के लिए ही दी जायेगी। यदि मकान का कोई हिस्सा व्यापार के लिए किराये पर उठा दिया है या उसमें स्वयं मकान मालिक रहता है तो उस हिस्से के सम्बन्ध में यह छूट नहीं दी जायेगी।

३. तीन या पाँच वर्ष के लिए दिये जाने वाले कर की छूट के समय को कर-'अवकाश लाभ' (Tax-Holiday Benefit) के नाम से पुकारा जा सकता है।

४. किसी भी दशा में ऐसे नये रिहायसी मकानों से प्राप्त आय इस छूट के कारण हानि में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात् ऐसे मकानों पर यदि ६०० रु० या १,२०० रु० की हानि है तो यह कटौती अप्रभावी हो जायेगी।

उचित वार्षिक किराया (Fair Rent)—उचित वार्षिक किराये से आशय निम्न में अधिकतम राशि से है—

(*i*) नगरपालिका का मूल्यांकन (Municipal Valuation)।

(*ii*) क्षेत्रीय किराया (Locality Rent)।

(२) **मालिक द्वारा निवास के लिए प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य** (Annual Value of the Property Occupied by the Owner for his own residence)—स्वामी द्वारा अपने रहने के लिए प्रयुक्त मकान का वार्षिक मूल्य सर्वप्रथम ठीक उसी प्रकार ज्ञात किया जायेगा जैसे कि मानो यह सम्पत्ति किराये पर उठी हुई हो (अर्थात् वार्षिक किराये आदि में से स्थानीय-कर घटाकर) और फिर इस प्रकार ज्ञात किये गये मूल्य में से इसका आधा अथवा १,८०० रु० (जो भी राशि

कम हो) घटा दिया जायेगा। शेष बची राशि ही इस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य होगा किन्तु शर्त यह है कि यह वार्षिक मूल्य स्वामी की कुल आय के १०% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वार्षिक मूल्य कुल आय के १०% से अधिक है तो १०%से अधिक भाग को छोड़ दिया जायेगा अर्थात् केवल **कुल आय के १०% भाग को ही सम्पति का वार्षिक मूल्य माना जायेगा।**

उस उद्देश्य के लिए कुल आय का आशय मालिक की उस आय से है जिसमें इस मकान सम्पत्ति की आय को सम्मिलित न किया गया हो तथा जिसमें से कुल आय की गणना में होने वाली कटौतियाँ आदि नहीं घटाई गई हों।

जैसे—

	Rs.
Rental Value or Fair Value (Whichever is higher)	—
Less Municipal taxes paid by owner	—
Annual Value	—
Less $\frac{1}{2}$ of Annual Value or Rs. 1,800 (Whichever is less)	—
Net Annual Value of Self-Occupied Property (This should not exceed 1/10 of the Total Income)	—

नोट—१. यदि करदाता की किसी सम्पत्ति मे उसका कोई सम्बन्धी **बिना किराये के रह रहा** हो तो मकान करदाता के स्वयं के रहने का मकान नहीं माना जायेगा।

२. यदि करदाता के पास ऐसे दो या दो से अधिक मकान हैं जिन्हें वह अपने रहने के लिए प्रयुक्त करता है तो उपरोक्त छूट **केवल उस एक ही मकान के सम्बन्ध में दी जायेगी** जिसे करदाता ने ऐसी छूट के लिए चुन लिया है। शेष मकानों का वार्षिक मूल्य किराये पर उठे मकानों के वार्षिक मूल्य की भाँति निकाला जायेगा।

३. यदि ऐसी नई मकान सम्पत्ति जिसमें एक या अधिक रिहायसी हिस्से हैं और जिसका **निर्माण कार्य १ अप्रैल, १६६१ के बाद से प्रारम्भ** होकर ३१ मार्च १६७० के बाद तक पूर्ण हुआ है और वह मकान स्वयं मालिक के निवास के लिए प्रयुक्त होता है तो ऐसे मकान के सम्बन्ध में ६०० रु० या १,२०० रु० की छूट नहीं दी जायेगी।

४. **यदि स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान गत वर्ष में खाली रहता है—** यदि सम्पत्ति में केवल एक ही रहने का मकान है और उसे मकान मालिक अपने रहने के लिये रखता है किन्तु मकान मालिक के बाहर काम पर जाने के कारण यह मकान **पूरे गत वर्ष में खाली रहता है तथा** उस दूसरे स्थान

पर मकान मालिक एक किराये के मकान में रहता है तो उसके **मकान का वार्षिक मूल्य 'कुछ भी नहीं'** (Nil) **माना जायेगा** । किन्तु यदि इस मकान में गत वर्ष में कुछ समय के लिए निवास किया है तो उस मकान का वार्षिक मूल्य रहने वाले समय के लिए आनुपातिक (Proportionate) होगा । यह छूट किराये पर उठे मकानों के सम्बन्ध में नहीं दी जायेगी और न उन मकानों के लिए दी जायेगी जिनसे स्वामी ने कोई और लाभ प्राप्त किया हो । **किसी भी दशा में ऐसी सम्पत्ति से हानि का नक्शा नहीं भरा जा सकता ।**

(३) **उन मकानों का वार्षिक मूल्य जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता है और कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है** (Annual Value of House Properties Partly Occupied by the Owner and Partly let Out)—उन मकानों का वार्षिक मूल्य, जिनके कुछ भाग में स्वयं मालिक रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है, निकालने के लिए **सर्वप्रथम** किराये पर उठे भाग का वार्षिक मूल्य ठीक उन्हीं नियमों व शर्तों के अधीन ज्ञात किया जायेगा जो किराये पर उठे मकान के सम्बन्ध में पीछे वर्णित है । तदुपरान्त मालिक द्वारा निवास के लिए प्रयुक्त हिस्से का वार्षिक मूल्य भी ठीक उन्हीं नियमों के अधीन निकाला जायेगा जो ऐसे मकानों के सम्बन्ध में पीछे वर्णित हैं । दोनों हिस्सों के निकाले गये वार्षिक मूल्य को जोड़कर ही सम्पूर्ण मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जायेगा ।

नोट—निम्न उदाहरण अति महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इसको ध्यानपूर्वक समझकर करें ।

उदाहरण १—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष एवं कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए निम्न परिस्थितियों में **मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए**—

(i) 'अ' ने एक मकान १९५९ में बनवाया और उसे एक किरायेदार को रहने के लिए ३०० रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया । इनमें नगरपालिका कर ३०० रु० के हैं ।

(ii) 'ब' ने एक मकान ३१-३-१९७६ को खरीदा । दूसरे दिन उसने इसको एक किरायेदार को रहने के लिए ३०० रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया, नगरपालिका कर ३०० रु० है ।

(iii) 'स' ने एक मकान ३१-३-१९७६ को बनवाया । दूसरे दिन से उसने इसे एक किरायेदार को होटल चलाने के लिए ३०० रु० प्रति माह पर उठा दिया । नगरपालिका कर ३०० रु० है ।

(iv) 'ई' ने एक मकान जुलाई, १९७४ में बनवाया और उसे एक किरायेदार को रिहायसी उद्देश्य के लिए ३०० रु० प्रति माह पर उठा दिया । नगरपालिका कर ३०० रु० है ।

(v) 'जी' ने एक मकान १-७-१९७६ को बनवाया और उसे एक किरायेदार को रिहायसी उद्देश्य के लिए १०० रु० महीने पर उठा दिया। इसका नगरपालिका कर ६० रु० है।

(vi) 'एच' ने एक मकान १९७३ में क्रय किया जिसको वह स्वयं अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन ३,००० रु० है और नगरपालिका कर ३०० रु० है।

(vii) 'जे' के स्वामित्व में तीन मकान 'अ' 'ब' और 'स' हैं। अन्तिम मकान १-७-१९७६ को बनवाया गया। इन मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन क्रमश: ८,००० रु०, ६,००० रु० व ४,००० रु० है और इनके सम्बन्ध में दिया जाने वाला नगरपालिका कर क्रमश: ७०० रु०, ५०० रु० व ३०० रु० हैं। वह इन तीनों मकानों को अपने स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त करता है किन्तु छूट के लिए उसने 'अ' मकान को चुना है।

(viii) 'के' के पास आगरा में केवल एक रहने का मकान है। वह बम्बई में नौकरी करता है जहाँ पर वह किराये के मकान में रहता है। गत वर्ष में वह लम्बे समय की छुट्टी पर रहा और वह आगरा के मकान में ४ माह तक रहा। उसने आगरा के मकान से और कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। इस मकान का नगरपालिका कर मूल्यांकन ४,००० रु० है तथा नगरपालिका कर ४०० रु०।

In the following cases compute the annual value of house property for the assessment year 1977-78, the previous year ending on 31st March 1977 :

(*i*) A built a house in 1959 and has let it to a tenant for residential purposes on a monthly rent of Rs. 300, the municipal taxes paid being Rs. 300.

(*ii*) B purchased a house on 31-3-1976 and the next day he let it to a tenant for residential purposes on a monthly rent of Rs. 300, the municipal taxes paid being Rs. 300.

(*iii*) C built a house on 31-3-1976 and the next day he let it to a tenant for running a hotel on a monthly rent of Rs. 300, the municipal taxes paid being Rs. 300.

(*iv*) E built a house in July 1974 and has let it to a tenant for residential purposes on a monthly rent of Rs. 300, the municipal taxes paid being Rs. 300.

(*v*) G built a house on 1-7-1976 and let it to a tenant for residential purposes on a monthly rent of Rs. 100, the municipal taxes paid being Rs. 60.

(*vi*) H purchased a house in 1973 which he occupies for his own residence, the municipal valuation thereof

being Rs. 3,000 and the municipal taxes paid being Rs. 300.

(*vii*) J owns three houses A, B and C, the last having been constructed on 1-7-1976. The municipal valuation of these houses are Rs. 8,000, Rs. 6,000 and Rs. 4,000 respectively and the municipal taxes paid in respect thereof are Rs. 700, Rs. 500 and Rs. 300. He uses all the three houses for his own residence but he has selected houses A and B for the purposes of self-occupation concession.

(*viii*) K has only one residential house at Agra. He is employed in Bombay where he lives in a rented house. During the previous year he was on long leave and occupied his Agra house for four months. He did not derive any other benefit from the Agra house, the municipal valuation of which is Rs. 4,000 and the municipal taxes paid are Rs. 400.

Solutions

		Rs
(*i*)	Annual rental value	3,700
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Annual Value	3,300
	No Tax-holiday benefit because the house was constructed before 1-4-1961.	
(*ii*)	Annual rental value	3,600
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Annual Value	3,300
	No Tax-holiday benefit as the house is purchased and not constructed.	
(*iii*)	Annual rental value	3,600
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Annual Value	3,300
	No Tax-holiday benefit as the house was not let for residential purposes.	
(*iv*)	Annual rental value	3,600
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Annual Value	3,300
	Less Statutory allowance (Full of the AV or Rs. 1,200 whichever is less)	1,200
	Net Annual Value	2,100

Five year's period of tax-holiday will expire in the assessment year 1979-80.

		Rs.
(v)	Rental value of 9 months	900
	Less Municipal taxes paid by the owner	60
	Annual Value	840
	Less Statutory allowance (Full of the AV or Rs. 900 for 9 months)	840
	Net Annual Value	Nil
	The tax-holiday benefit will be available for four years and 3 months more to be given in next five assessment years.	
(vi)	Annual municipal value	3,000
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Annual Value	2,700
	Less Self occupation all owance ($\frac{1}{2}$ of AV or Rs. 1,800 whichever is less)	1,350
	Net Annual Value	1,350
	(A)	
(vii)	Municipal value	8,000
	Less Municipal taxes paid by the owner	700
	Annual Value	7,300
	Less Self-occupation allowance	1,800
	Net Annual Value	5,500
	It is presumed that this does not exceed 1/10 of Total Income	
	(B)	
	Municipal value	6,000
	Less Municipal taxes paid by the owner	500
	Net Annual Value	5,500
	(C)	
	Municipal value for 9 months	3,000
	Less Municipal taxes paid by the owner	300
	Net Annual Value	2,700

As 'C' house is not let out, the tax-holiday benefit will not be given in this case. This house is used by 'c' for his own residence. This benefit is available when the house is let out to tenants. Hence it is not available in this case.

(*viii*)	Annual Municipal valuation	4,000
	Less Municipal-tax	400
	Annual Value	3,600
	Less Self-occupation allowance (being $\frac{1}{2}$ of AV or Rs. 1,800 whichever is less)	1,800
	Net Annual Value	1,800
	But only the proportionate value for four months will be taken as annual value. Hence annual value will be $\frac{1}{3}$ of Rs. 1,800	600

कटौतियाँ (Deductions)

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालने के लिए वार्षिक मूल्य में से धारा २४(१) के अन्तर्गत निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं।

(१) **मरम्मत-खर्च** (Repairs)—वार्षिक मूल्य के १/६ भाग की एक निश्चित कटौती मरम्मत खर्च के लिए दी जाती है, चाहे मरम्मत पर कुछ खर्चा हुआ हो अथवा नहीं। यह कटौती उस स्थिति में भी पूरी ही दी जाती है जहाँ पर मकान खाली रहने से छूट (Vacancy Allowance) स्वीकार की जाती है।

हाँ, जहाँ किरायेदार ने मरम्मत का खर्चा स्वयं सहन करना स्वीकार कर लिया है वहाँ मरम्मत की छूट वार्षिक मूल्य और वास्तव में चुकाये गये किराये के अन्तर तक ही सीमित है, लेकिन वह वार्षिक मूल्य के छठे भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात् वार्षिक मूल्य का वास्तविक किराये पर आधिक्य या वार्षिक मूल्य का १/६ (जो भी दोनों में कम हो)।

उदाहरण २—एक करदाता एक बंगले का स्वामी है जिसका नगरपालिका अभिलेख के अनुसार मूल्यांकन ६,००० रु० है। यह एक किरायेदार को ५,००० रु० वार्षिक किराये पर उठाया हुआ है। किरायेदार मरम्मत की लागत भी वहन करेगा। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय नगरपालिका कर ६०० रु० है।

मरम्मत के लिए स्वीकृत कटौती की राशि ज्ञात कीजिए।

An assessee owns a bungalow, the annual value of which according to municipal records is Rs. 6,000. It is let out on an annual rent of Rs. 5,000 to a tenant who has also undertaken to bear the cost of repairs. The municipal taxes paid in respect of this property amounted to Rs. 600.

Work out the admissible allowance for repairs.

खाली रहा था। यदि सम्पत्ति के स्वामी ने जान-बूझ कर खाली रखा या किराये पर नहीं उठाया है तो यह कटौती नहीं दी जायेगी।[1]

(९) **वसूल न होने वाले किराये की राशि** (Unrealised Rent)—यदि कोई किराया वसूल न हो पाये तो उस किराये की राशि को, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार, कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसके लिए निम्न शर्तें पूरी होना आवश्यक है :

(*i*) **किरायेदारी वास्तविक** हो।

(*ii*) दोषी किरायेदार ने **मकान खाली कर** दिया हो और यदि खाली नहीं किया है तो खाली कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई हो ;

(*iii*) दोषी किरायेदार करदाता की किसी **अन्य मकान सम्पत्ति में न रह** रहा हो।

(*iv*) करदाता ने किराया वसूल करने के लिए **आवश्यक कानूनी कार्यवाही** की हो अथवा आय-कर अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दिया हो कि कानूनी कार्यवाही बेकार सिद्ध होगी ; तथा

(*v*) सम्पत्ति का वह वार्षिक मूल्य जिसके सम्बन्ध में किराये की राशि का भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, (अर्थात् जोकि इस कटौती के रूप में स्वीकार किया जाना है) उस गत वर्ष में जिसमें यह अर्जित हुआ था करदाता की करयोग्य आय में जोड़ लिया गया था तथा उस पर कर चुका दिया गया था।

इस प्रकार से स्वीकृत कटौती की यह राशि, इस कटौती की राशि को घटाये बिना, कुल वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् कुल वार्षिक मूल्य में से अन्य सब कटौतियाँ (न० ८ तक की) घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है न० ९ की कटौती उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् इस कटौती के कारण 'मकान सम्पत्ति शीर्षक' की आय हानि में परिवर्तित नहीं हो सकती। इस कटौती की गणना निम्न प्रकार की जाती है—

(*i*) सर्वप्रथम करदाता की सभी मकान सम्पत्तियों की करयोग्य आय ज्ञात करते हैं।

---

1. *Liquidator of Mahmudabad Properties. Ltd. Vs. Commissioner of Income-Tax.* 'The court held in this case that if a property remains vacant during the full previous year, no vacancy allowance is permissible. Vacancy allowance, according to Calcutta High Court, is admissible only where property has been let out at least for some time during the previous year in question.'

(*ii*) तदुपरान्त करदाता की उस सम्पत्ति की करयोग्य आय ज्ञात करते हैं जिसके सम्बन्ध में यह कटौती दी जानी है। इस सम्पत्ति की कर-योग्य आय इस कटौती को घटाने से पूर्व ज्ञात की जाती है।

(*iii*) उपर्युक्त दोनों प्रकार से गणित वार्षिक मूल्यों को जोड़ दो। **यह कटौती इस योग से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

संक्षेप में

कटौती = न वसूल हुए किराये की राशि अथवा **'मकान सम्पत्ति शीर्षक' की सम्पूर्ण करयोग्य आय** (इस कटौती से पूर्व)
(जो भी दोनों में कम है)

नोट—निम्न कटौतियाँ तब ही स्वीकार की जायेंगी जबकि वह वास्तव में व्यय कर दी जायें, चाहे उनका भुगतान नहीं किया गया है—

(अ) वार्षिक भार की राशि ;
(ब) जमीन किराये की राशि ; तथा
(स) सम्पत्ति को खरीदने, बनवाने, मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज।

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि

अगर स्वीकृत कटौतियों का योग मकान सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य से अधिक होता है तो 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि दिखलाई जा सकती है एवं करदाता इस हानि को अपने अन्य मदों के अन्तर्गत हुई आय से पूरी कर सकता है। परन्तु जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है, दो ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें इस मद के अन्तर्गत हानि नहीं दिखाई जा सकती।

कटौती के रूप में स्वीकार न की जाने वाली राशियाँ (Amount not Deductible)

यदि वार्षिक भार या ब्याज, जिस पर भारतीय आय-कर लगता है, बिना आय-कर काटे हुए भारत से बाहर चुका दिया गया हो तो उसे कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा। परन्तु सम्पत्ति का मालिक उस अनिवासी के, जिसको भुगतान किया गया है, एजेण्ट के रूप में कर लगवाने को तैयार हो तो उसे कटौती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

विदेश में मकान सम्पत्ति (Foreign House Property)

विदेश में मकान सम्पत्ति से आय पर केवल निवासियों की स्थिति में ही कर लगता है। जहाँ पर ऐसी विदेशी मकान सम्पत्ति पर कर लगता हो वहाँ पर उसे उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा जैसे कि भारतीय मकान सम्पत्ति से आय निर्धारित की जाती है।

संयुक्त स्वामित्व में सम्पत्ति (Property Owned Jointly)

जबकि मकान सम्पत्ति संयुक्त स्वामित्व में हो तथा सह-स्वामियों (Co-owners) के भाग निश्चित हों, तो सह-स्वामियों पर अन्य जन-मण्डल (Association of Persons) की तरह कर नहीं लगाया जाता बल्कि प्रत्येक सह-स्वामी के भाग को उसकी कुल आय में सम्मिलित करके उस पर कर लगाया जाता है।

मकान सम्पत्ति की आय जिस पर कर नहीं लगता (House Property to Income Which not Liable to Tax)

निम्न स्थितियों में मकान सम्पत्ति की आय पर आय-कर नहीं लगता है—

(१) **कृषि-भूमि के समीप** में ऐसी मकान सम्पत्ति जोकि कृषक के रहने के मकान अथवा स्टोर की तरह प्रयोग की जाये, से आय।

(२) **पुण्यार्थ** (Charitable) या **धार्मिक** (Religious) उद्देश्य हेतु ट्रस्ट रखी गई मकान सम्पत्ति से आय।

(३) करदाता द्वारा अपने **व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गई** मकान सम्पत्ति से आय।

(४) किसी एक ही रिहायसी मकान की स्थिति में जिसमें करदाता वर्ष पर्यन्त बाहर नौकरी या व्यापार के कारण रहने पर वास्तव में नहीं रह पाया हो, उसकी आय।

(५) एक **सहकारी समिति** द्वारा गोदामों को किराये पर देने से होने वाली आय।

(६) एक ऐसी सहकारी समिति को जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक न हो, सम्पत्ति से आय।

(७) वस्तुओं के **विपणन** (Marketing of Commodities) के लिए किसी कानून के अन्तर्गत बनाई गयी ऑथॉरिटी (Authority of Constituted under any Law) को गोदामों को किराये पर देने से होने वाली आय।

उदाहरण ३—श्रीराम आगरा के निवासी व्यक्ति हैं। वह एक मकान के स्वामी हैं जिसका निर्माण कार्य १९७१ में प्रारम्भ किया गया एवं मार्च, १९७४ में समाप्त किया गया। इस मकान का नगरपालिका मूल्यांकन १९,००० रु० तथा वार्षिक किराया मूल्य १८,००० रु० है। इस मकान के सम्बन्ध में निम्न व्यय किये—

अग्नि बीमा का भुगतान किया ३०० रु०; मकान के बनवाने के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज का भुगतान २,००० रु०; वसूली व्यय भुगतान किये १,२०० रु०। इस मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका कर २,००० रु० है। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए श्रीराम की मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय निकालिए।

Sri Ram is a resident of Agra. He own a house, the construction of which was started in 1971 and completed in March 1974. Municipal valuation being Rs. 19,000 and annual letting value being Rs. 18,000. Follows expenses were incurred in connection with this house—

Fire Insurance Premium paid Rs. 300 ; Interest on loan borrowed for construction of house Rs. 2,000 ; Collection charges paid Rs. 1,200 ; Municipal taxes Rs. 2,000. Compute taxable income of Sri Ram for the assessment year 1977-78

Solution

Statement Showing Income from House Property

		Rs.
Municipal value being higher to annual rental value of Rs. 18,000		19,000
Less Muunicipal taxes		2,000
Annual Value		17,000
Less New residential building allowance		1,200
Net Annual Value		15,800
Deductions :		
1/6 for repairs	2,633	
Fire insurance premium	300	
Collection charges limited to 6% of Net annual value	948	
Interest on borrowings	2,000	5,881
Total Income		9,919
Rounded Off		9,920

Note :

Any sum paid to collect rent from the property subject to 6% of net annual value is allowed as deduction from Net annual value. Hence 6% on Rs. 15,800 has been calculated.

नोट—मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालते समय यह मान लिया गया है कि सम्पत्ति १-४-१६६१ से पहले निर्मित की गई थी जब तक कि इसके निर्माण की तिथि वगैरह न दी गयी हो

उदाहरण ४—'एक्स' एक बड़े पुस्तैनी मकान का स्वामी है। इसको वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन ४,००० रु० है। ३१-३-१६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने ५०० रु० नगरपालिका कर और २५० रु० सम्पत्ति कर, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया गया था, दिया। उसके रुपया उधार देने वाले व्यापार की आय १५,००० रु० है।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात कीजिए।

X is the owner of a big ancestral house which he uses for his own residence and of which the municipal valuation is Rs. 4,000. During the year ended 31-3-1977 he paid Rs. 500 municipal tax and Rs. 250 property tax levied by the State Government. His other income from money-lending business is Rs. 15,000.

Compute his income from house property for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement showing Income from House Property

		Rs.
Municipal value of residential house		4,000
Less Municipal tax		500
Annual Value		3,500
Less Self-occupation allowance (being 1/2 of AV or Rs. 1,800 whichever less)		1,750
Net Annual value		1,750
But this should not exceed 1/10 of Gross Total Income *i. e.* 1/10 of Rs. 15,000		1,500
Deductions :		
Repairs 1/6	250	
Property tax levied by state government	250	500
Income from House Property		1,000

उदाहरण ५—एक करदाता दो मकानों का स्वामी है जो निम्न हैं—

(अ) एक कोठी, जिसका वार्षिक मूल्य नगरपालिका लेखों के अनुसार १२,००० रु० है किन्तु यह किसी किरायेदार को १०,००० रु० प्रति वर्ष किराये पर उठाया हुआ है। किरायेदार ने मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है। नगरपालिका कर का ५०० रु० भुगतान किया।

(ब) एक दुकान, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन ५,००० रु० है। यह एक किरायेदार को ३,५०० रु० प्रति माह के किराये पर उठा दी है। मरम्मत का व्यय किरायेदार ही वहन करेगा। इस मकान के लिए २०० रु० नगरपालिका कर दिया।

करदाता की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ की मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

An assessee is the owner of two houses, namely :

(*a*) A kothi, the annual value of which according to municipal records is Rs. 12,000 but which is let out on rent for Rs. 10,000 a year to a tenant who has undertaken to bear the cost of repairs. Municipal taxes paid amounted to Rs. 500.

(*b*) A shop, the annual value of which according to municipal records is Rs. 5,000. It is however let out on an annual rent of Rs. 3,500 to a tenant who has undertaken to bear the cost of repairs. Municipal taxes paid amounted to Rs. 200.

Calculate the assessee's income from house property for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Income from House Property

		Rs.
Annual value of kothi under section 23(1)	12,000	
Less Municipal taxes	500	
Annual value in this case	11,500	
Less Allowance for repairs being the excess of annual value over the rent paid but not exceeding one-sixth of annual value	1,500	10,000
Annual value of shop under section 23(1)	5,000	
Less Municipal taxes	200	
Annual value in this case	4,800	
Less Allowance for repairs, being limited to one-sixth of annual value	800	4,000
Income from House Property		14,000

According to section 24(1)(i)(b), where the tenant undertakes to bear the cost of repairs, the allowance for repairs is the lowest of the following—

(i) Excess of annual value over the rent paid.

(*ii*) 1/6 of annual value.

उदाहरण ६—एक वकील, जिसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है, किसी सम्पत्तियों का स्वामी है। निम्न सूचनाओं से उसकी १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए—

(अ) नगरपालिका लेखों के अनुसार उसके स्वयं के रिहायसी मकान का वार्षिक मूल्य १५,००० रु० है। इस मकान का १/५ भाग वह अपने पेशे के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त करता है। इस मकान के सम्बन्ध में किये गये व्यय थे—मरम्मत ३,००० रु०; भूमि का किराया

२०० रु० ; मकान-कर ८०० रु० ; जल-कर ५०० रु० तथा संरक्षण-कर २०० रु० ।

(ब) हिल स्टेशन के पास स्थित एक मकान, जो हिल स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है, इसलिए वह किराये के लिए नहीं माँगा जाता है । यह सदैव खाली रहा है । केवल १९७२ में खाली नहीं रहा था क्योंकि उस समय मिलिट्री ने इसकी माँग की थी और ६,००० रु० वार्षिक किराये पर इसको अपने पास रखा था । इस मकान के सम्बन्ध में मरम्मत के लिए १,००० रु० एवं इसकी देखभाल के लिए ६०० रु० व्यय हुए ।

A lawyer, whose previous year ends on 31st March, is the owner of some property. From the following information, compute his income from house property for the assessment year 1977-78 :

(*a*) Annual value of his residential house according to municipal valuation is Rs. 15,000, one-fifth of the house being used for professional office purposes. Expenses incurred in connection with this house were : Repairs Rs. 3,000 ; ground rent Rs. 200 ; house tax Rs. 800 ; water tax Rs. 500 and conservancy tax Rs. 200.

(*b*) Annual value of a house on hill-side, six miles distant from a hill station, and therefore not in demand for occupation. It has always remained vacant except for a year in 1972 when the military requisitioned and occupied it on an annual rent of Rs. 6,000. Expenditure on this house consisted of repairs Rs. 1,000 and upkeep Rs. 600.

Solution

Statement of Income from House Property
for the Assessment Year 1977-78

		Rs.
Residential house (4/5 *portion*) :		
Annual value on the basis of municipal valuation		12,000
Less Municipal taxes (4/5 of Rs. 1,500 *i. e.* 800 + 200 + 500)		1,200
Annual Value		10,800
Less Statutory allowance		1 800
Net Annual value in this case		9,000
Less One-sixth for repairs	1,500	
Ground rent (4/5)	160	1,660
Income from House Property		7,340

It is assumed that the annual value (Rs. 9,000) of the self-occupied portion does not exceed 10% of other income.

House on Hill-side :

This house has always remained vacant except for a year in 1972. Being distant from the hill station and out of way, it is not in demand for occupation. Therefore, it cannot be said that it might reasonably be let out from year to year for any sum at all. Its annual value is therefore nil. Allowances for repairs and vacancy, being certain fractions of annual value will also be nil and there is no provision in section 24 for any allowance for upkeep of the house. Hence, the income from his house is nil.

उदाहरण ७—एक करदाता के स्वामित्व वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है—

(अ) वह एक मकान का स्वामी है जिसका वार्षिक मूल्य नगरपालिका लेखों के अनुसार ६,००० रु० है। यह एक किरायेदार को ५,४०० रु० वार्षिक किराये पर उठाया हुआ है। मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी किरायेदार की है। इस मकान के सम्बन्ध में २५० रु० नगर-पालिका कर दिया गया।

(ब) रिहायसी मकान का वार्षिक मूल्य १२,००० रु० है। उसने ५०० रु० भूमि-कर ; ७०० रु० बीमा प्रीमियम तथा १,००० रु० नगरपालिका कर के दिये।

उसकी व्यापार की आय ५५,८०० रु० है। उसकी ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय व कुल आय ज्ञात कीजिए।

The particulars of the house properties owned by an assessee are as follows :

(*a*) He owns a house whose annual value according to municipal records is Rs. 6,000. It is however let out on rent for Rs. 5,400 a year to a tenant who has also undertaken to bear the cost of repairs. The municipal taxes paid in respect of this house amounted to Rs.250.

(*b*) The annual value of his residential house is Rs. 12,000. He paid Rs. 500 for ground rent, Rs. 700 for premium to insure this property against the risk of damage or destruction and Rs. 1,000 for municipal taxes.

His income from business amounted to Rs. 55,800. Calculate his income from house property and his total income for the previous year ended 31st March 1977.

Solution

Statement of Income from House Property

		Rs.
(*a*) Annual value of house let	6,000	
Less Municipal taxes	250	
Annual Value in this case	5,750	

Less Allowance for repairs being the excess of the annual value over the rent paid *i. e.* (5,750—5400)	350		5,400
(*b*) Annual value of residential house		12,000	
Less Municipal taxes		1,000	
Annual Value		11,000	
Less Statutory allowance (Maximum)		1,800	
Net Annual Value in this case		9,200	
Limited to 10% of his other income of Rs. 55,800+Rs. 5,400=Rs. 61,200		6,120	
Less One-sixth for repairs	1,020		
Ground rent	500		
Insurance premium	700	2,220	3,900
Income from House Property			9,300

Statement of Total Income

1.	Income from house property	9,300
2.	Business profit	55,800
	Total Income	65,100

उदाहरण ८—एक सहकारी समिति ने मकान का निर्माण करवाकर अपने एक सदस्य को मकान निर्माण स्कीम के अन्तर्गत पट्टे पर दे दिया। यह मकान सदस्य द्वारा स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उचित वार्षिक किराया १,५०० रु० है। उसने १४० रु० नगरपालिका कर के दिये। सहकारी समिति को गत वर्ष के लिए देय ब्याज १,००० रु० है।

करदाता की 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय निकालिए।

A house built by a Co-operative Society was taken on lease under a house-building scheme by an assessee who is a member of the society and it was used for self-occupation, its fair annual rent being Rs.1,500. He paid Rs. 140 as municipal taxes in respect of this house. Interest of Rs. 1,000 was due to the society for the year.

What is the income of the assessee from this house property ?

27(iii), a member of a co-operative society, to whom a building is leased under a house-building scheme of the society, is deemed to be the owner of that building.

Solution

The income of the assessee from house property will therefore be as follows :

		Rs.
Annual value on the basis of rental value		1,500
Less Municipal taxes		140
Annual Value		1,360
Less Allowance for self-occupation		680
Net Annual value in this case		680
Less one-sixth for repairs	113	
Interest due to Society	1,000	1,113
Loss form House Property		—433

उदाहरण ६—'अ' देहली में स्थित एक मकान का स्वामी है जो ९०,००० रु० वर्ष प्रति किराये पर उठा हुआ है। 'अ' द्वारा इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय नगरपालिका कर ५,००० रु० है लेकिन उसने किरायेदार से यह प्रसंविदा कर रखा है कि यह नगरपालिका कर उसके द्वारा मालिक की ओर से सीधे ही नगरपालिका को दे दिया जायेगा। स्वामी किरायेदार की सुविधा के लिए निम्न व्यय करता है—

जल-कर १,००० रु० ; लिफ्ट रखने के व्यय १,००० रु० ; माली का वेतन १,२०० रु० ; सीढ़ियों की प्रकाश व्यवस्था के लिए किये गये व्यय ८०० रु०। स्वामी निम्न कटौतियों की माँग करता है—

मरम्मत ३०,००० रु० ; भूमि-कर १,००० रु०; वसूली व्यय २,००० रु०।

'अ' की 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

A is the owner of a house property in Delhi which has been let out for Rs. 90,000 a year. The municipal tax payable by A in respect of his property is Rs. 5,000, but he has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay this tax direct to the municipality. The landlord however bears the following expenses on the tenant's amenities :

Water charges Rs. 1,000 ; lift maintenance Rs. 1,000 ; salary of gardener Rs. 1,200 ; lighting of stairs Rs. 800. The landlord claims the following deductions :

Repairs Rs. 30,000 ; land revenue Rs. 1,000 ; collection charges Rs. 2,000.

Compute A's income from this house property.

Solution

Statement of Income from House Property

	Rs.
Rent realised	90,000
Add Tax paid by the tenant on behalf of landlord	5,000
Annual value	95,000

Less Value of tenant's amenities provided by landlord :		
Water charges	1,000	
Lift maintenance	1,000	
Salary of gardener	1,200	
Lighting of stairs	800	4,000
Annual value under section 23(1)		91,000
Less Municipal taxes		5,000
Annual value in this case		86,000
Less One-sixth for repairs	14,333	
Land revenue	1,000	
Collection charges being less than 6% of annual value	2,000	17,333
Income from House Property		68,667

उदाहरण १०—'एक्स' द्वारा दी गई निम्न सूचनाओं से उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय निकालिए—

			रु०
(१) वेतन शीर्षक की आय (स्टैन्डर्ड कटौती काटकर)			११,४००
(२) **मकान सम्पत्ति से आय :**			

		रु०	रु०
प्राप्त किराया : सम्पत्ति ब		६,०००	
सम्पत्ति स		७,२००	१३,२००
घटाओ खर्चे :			
नगरपालिका कर :			
सम्पत्ति 'अ'	६००		
,, 'ब'	६००		
,, 'स'	७००	१,९००	
सम्पत्ति की मरम्मत :			
सम्पत्ति 'अ'	४००		
सम्पत्ति 'स'	३००	७००	
'ब' सम्पत्ति के रहन पर ब्याज		१,२००	

बीमा प्रीमियम :				
सम्पत्ति 'अ'	१००			
सम्पत्ति 'ब'	१५०			
सम्पत्ति 'स'	२००	४५०		
वसूली व्यय		२,४००	६,६५०	६,५५०
				१७,६५०

(अ) करदाता अपनी नौकरी के उद्देश्य से बम्बई में रहने लगा है जहाँ पर वह एक किराये के मकान में रहता है।

(ब) समस्त तीनों सम्पत्तियाँ कलकत्ते में हैं। सम्पत्ति 'अ' को उसने स्वयं के रहने के लिए रखा हुआ है। सम्पत्ति 'ब' और 'स' किराये पर उठा दी हैं।

(स) 'अ' 'ब' और 'स' सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्य क्रमशः ३,००० रु०, ६,००० रु० व ७,२०० रु० है।

(द) ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में करदाता ४ माह की छुट्टी पर रहा। इस अवधि के दौरान वह सम्पत्ति 'अ' में रहा। इस सम्पत्ति से उसने और कोई लाभ प्राप्त नहीं किया।

(इ) 'ब' सम्पत्ति को रहन रखकर २०,००० रु० प्राप्त किये थे। ये रुपये कृषि भूमि खरीदने पर व्यय किये, जिसकी आय आय-कर से मुक्त है।

From the following particulars furnished by X, compute his total income for the assessment year 1977-78.

					Rs.
(1) Income from salary (After Standard Deduction etc.)					11,400
(2) Income from house property :					
Rents receivable :	Property B		6,000		
	Property C		7,200	13,200	
Less Expenses :					
Municipal taxes :					
	Property A	600			
	Property B	600			
	Property C	700	1,900		
Repairs to property :					
	Property A	400			
	Property C	300	700		

Interest on mortgage of property B		1,200		
Insurance premium :				
Property A	100			
Property B	150			
Property C	200	450		
Collection charges		2,400	6,650	6.550
				17,950

(*a*) The assessee has settled in Bombay for the purpose of his employment where he resides in a rented house.

(*b*) All the three properties are at Calcutta. Property A is retained for self-occupation. Properties B and C were let out.

(*c*) The annual values of properties A, B and C are Rs. 3 000, Rs. 6,000 and Rs, 7,200 respectively.

(*d*) The assessee was on leave for 4 months during the previous year ended 31st March 1977. During that period he resided in property A. No other benefit was derived from that property.

(*e*) Rs. 20,000 raised on mortgage of property B was utilised for purchase of agricultural land. Income wherefrom is exempt from Income-Tax.

Solution

Total Income of X for the year 1977-78.

	Rs.
Salary	11,400
Income from house property as computed below	9,087
Total Income	20,487
Rounded Off	20,490

The *income from house property has been computed as under* :

			Rs.
(*a*)	Properties B and C let out :		
	Annual value (Rs. 6,000 + Rs. 7,200)		13,200
	Less Municipal taxes (Rs. 600 + Rs. 700)		1,300
	Annual value in this case		11,900
	Less One-sixth for repairs	1,983	
	Insurance premium (Rs. 150 + Rs. 200)	350	
	Collection charges limited to 6% of Rs. 11,900	714	3,047
			8,853

(b) Property A (self-occupied) :

Annual Value		3,000	
Less Municipal taxes		600	
Annual Value		2,400	
Less Statutory allowance		1,200	
Net Annual value in this case		1,200	
Proportionate annual value for four months		400	
Less One-sixth for repairs	66		
Insurance premium	100	166	234
Income form House Property			9,087

The interest on the loan taken on the mortgage of property B is not an admissible deduction, because the funds raised were not used for repairing, constructing, purchasing or renewing that property.

उदाहरण ११—'एक्स' जिसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है एक बड़ी सम्पत्ति का स्वामी है, जिसका निर्माण कार्य दिसम्बर १९७३ में समाप्त हुआ। सम्पत्ति में तीन हिस्से हैं—'अ' 'ब' एवं 'स'।

भाग 'अ' और 'ब' एक किरायेदार को रहने के लिए उठा दिये हैं जिन पर मासिक किराया क्रमशः ३०० रु० व १०० रु० प्राप्त होता है। भाग 'स' एक हलवाई को दुकान के लिए किराये पर दे दी है।

३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के किए नगरपालिका कर ८०० रु०—३०० रु० 'अ' के लिए, १०० रु० 'ब' के लिए तथा ४०० रु० 'स' के लिए दिया। 'स' के एक भाग को बनवाने के लिए लिये गये ऋण पर दिया गया ब्याज २०० रु० था।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७,७८ के लिए 'एक्स' की 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की करयोग्य आय निकालिए।

X, whose previous year ends on 31st March, is the owner of a large building, the construction of which was completed in December 1973. The building consists of three units A, B and C.

Units A and B are let out to tenants for residential purposes on a monthly rent of Rs, 300 and 100 respectively ; while unit C is let out to a halwai for keeping his shop.

The municipal taxes paid during the year ended 31st March 1977 were Rs. 800—Rs. 300 for unit A, Rs. 100 for unit B and 400 for unit C. Rs. 200 was paid as interest on a loan taken to reconstruct a part of unit C.

Compute X's taxable income from house property for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Income from House Property

		Rs.	Rs.
Annual value of unit A on the basis of rent		3,600	
Less Municipal taxes		300	
Annual value		3,300	
Less Statutory allowance		1,200	
Net Annual value in this case		2,100	
Less One-sixth for repairs		350	1,750
Annual value of unit B on the basis of rent		1,200	
Less Municipal taxes		100	
Annual Value		1,100	
Less Statutory allowance		1,100	
Net Annual value in this case		Nil	
Annual value of unit C on the basis of rent		4,800	
Less Municipal taxes		400	
Annual value in this case		4,400	
Less One-sixth for repairs	733		
Interest on loan	200	933	3,467
Taxable Income from House Property			5,217

In the case of unit B, no deduction is allowed for repairs because this unit cannot show a loss.

In the case of unit C, no statutory allowance is admissible because the unit is not let out for residential purposes. It is let out for keeping a halwai's shop.

It is presumed that the construction of this property began after 1st April, 1961.

उदाहरण १२—श्री एस० राय दो मकानों के स्वामी हैं। उनमें से एक मकान, जिसका नगरपालिका वार्षिक मूल्य २,५०० रु० है, उसने अपने निवास के लिए रख लिया है और दूसरा मकान, जिसका वार्षिक नगरपालिका मूल्य ३,००० रु० है, किराये पर उठा दिया है। मकानों के सम्बन्ध में निम्न व्यय हुए—

	प्रथम मकान	द्वितीय मकान
	रु०	रु०
नगरपालिका कर	२५०	३००
भूमि कर	१००	१००

मकानों के पुनः निर्माण के लिए		
प्राप्त ऋणों पर ब्याज	२००	१००
अग्नि बीमा प्रीमियम	१५०	२००
वसूली व्यय	१५०	४५

यह मानते हुए कि द्वितीय मकान ३ माह के लिए खाली रहा और उसकी वित्तीय वर्ष १९७६-७७ की अन्य साधनों से आय ६,००० रु० थी। श्री एस० राय की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की कर योग्य आय निकालिए।

Sri S. Roy owns two houses. One of the houses, whose municipal annual valuation is Rs. 2,500 is occupied by him for his own residence and the other, whose municipal valuation is Rs. 3,000 annually is let out. The expenses for the houses are—

	1st House Rs.	2nd House Rs.
Municipal taxes	250	300
Land revenue	100	100
Interest on loan taken to reconstruct the houses	200	100
Fire insurance premium	150	200
Collection charges	150	45

Assuming that the second house remained vacant for 3 months and that his income from other sources during the year 1976-77 was Rs. 6,000 ascertaind the income of Sri S. Roy from house property for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Income of Sri S. Roy

from House Property for the Assessment Year 1977-78

		Rs.	Rs.
Municipal value of house let		3,000	
Less Municipal taxes		300	
Annual Value		2,700	
Less Deductions :			
1/6 for Repairs	450		
Land revenue	100		
Interest on loan	100		
Fire insurance premium	200		
Collection charges restricted to 6% of annual value *i. e.*	45		

Vacancy allowance 1/4 of AV *i.e.* 1/4 of Rs. 2,700	675	1,570	1,130
Municipal value of residential house		2,500	
Less Municipal taxes		250	
Annual Value		2,250	
Less Self-occupation allowance (1/2% of AV or Rs. 1,800 whichever is less)		1,125	
Net Annual Value		1,125	
But it is limited to 10% of his other total income *i.e.* 10% of (1,130+6,000= Rs. 7,130)		713	
Less Deductions :			
1/6 Repairs	119		
Land revenue	100		
Interest on loan	200		
Fire premium	150	569	147
Income from House Property			1,277

उदाहरण १३—वित्तीय वर्ष १९७६-७७ में अमरनाथ चार मकानों के स्वामी हैं। उनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः ५,००० रु०, ६,००० रु०, ५,५०० रु० एवं १०,००० रु० है। नगरपालिका इन पर १०% कर लगाती है। प्रथम मकान उसने अपने स्वयं के निवास के लिए रख लिया है। द्वितीय मकान में श्री रामनाथ ६०० रु० माह किराये पर रहते हैं। तृतीय मकान एक व्यापारिक संस्थान के पास है जिसका वार्षिक किराया ६,६०० रु० है। चौथे मकान में अमरनाथ अपना स्वयं का व्यापार चलाते हैं जिससे उनको १५,१४५ रु० की करयोग्य आय प्राप्त होती है। द्वितीय व तृतीय मकान १९७४-७५ वित्तीय वर्ष में बनाये गये।

उसने निम्न कटौती माँगी हैं—

प्रथम मकान के रहने पर ब्याज	२०० रु०
तृतीय मकान के सम्बन्ध में माली को दिया गया वेतन	६०० रु०

३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री अमरनाथ की 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

During the financial year 1976-77 Amar Nath owns four houses. Their municipal valuations are Rs. 5,000, Rs. 6,000, Rs. 5,500 and Rs. 10,000 respectively and the municipality levies 10% tax. The first house is occupied by him for his residence. Ram Nath is residing in the second house at a monthly rent of Rs 600. The third house is occupied by a business house at an annual rent of Rs. 6,600. In the fourth house Amar Nath is carrying on his own business which has yielded a net taxable income of Rs. 15,145. The second and third house were constructed during the financial year 1974-75.

He claims the following deductions :

Interest on mortgage of the first house Rs. 200.

Rs 600 paid as salary to a gardener in respect of the third house.

Compute the taxable income from house property for the previous year ended 31st march 1977.

Solution

Income from House Property

First house

Annual value on the basis of municipal valuation		Rs. 5,000	
Less Municipal taxes (10%)		500	
		4,500	
Less Self-occupation allowance		1,800	
Annual value in this case		2,700	
But it is limited to 10% of his other income of Rs. 24,187 (*i.e.* Rs. 15,145 + 4,500 + 4,542)		2,418	
Less One-sixth for repairs	403		
Mortgage interest	200	603	1,815
It is assumed that the mortgage loan was taken to repair the residential house.			

Second house :

Annual value on the basis of rent received	7,200	
Less Municipal taxes (10% of Rs. 6,000)	600	
	6,600	
Less Statutory allowance @ full of the AV or Rs. 1,200 (whichever is less)	1,200	

Annual value in this case		5,400	
Less One-sixth for repairs		900	4,500
Third house :			
Annual value on the basis of rent received after deducting Rs. 600 gardener's salary		6,000	
Less Municipal taxes (10% of Rs. 5,500)		550	
Annual value in this case		5,450	
Less One-sixth for repairs		908	4,542
Fourt house :			
As it was used for carrying on the assessee's own business, its income is not taxable under the head "Income from House Property".			—
	Income from House Property		10,857

The statutory allowance of Rs. 1,200 is not admissible in respect of the third house because it is not for residential purpose ; and this allowance in respect of the second house will be available for two more assessment years, namely : 1977-78 and 1978-79.

उदाहरण १४—एक्स एक सरकारी कार्यालय में २५० रु० प्रतिमाह पर क्लर्क है। उसके पास ४०,००० रु० का ३½% ऋण-पत्र भी है तथा एक बड़े मकान का स्वामी भी है जिसका नगरपालिका का मूल्यांकन ८०० रु० है।

उसने मकान के १/३ भाग को ३० रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया और शेष भाग अपने निवास के लिए प्रयुक्त किया। मकान की मरम्मत के खर्चों का भुगतान करने के लिए उसने मकान को गिरवी रख दिया। इस ऋण के सम्बन्ध में ब्याज ३०० रु० है जिसका अभी भुगतान नहीं किया है। इस मकान के सम्बन्ध में दिये गये नगरपालिका कर १५० रु० थे।

उसकी मकान सम्पत्ति शीर्षक की व कुल आय ज्ञात कीजिए।

X is employed as a clerk in Government office on a monthly salary of Rs. 250. He owns Rs. 40,000 3½% debentures and is also the owner of a big house whose municipial valuation is Rs.800.

He has let one-third of the house at Rs.30 per month and occupies the remainder for his own residence. The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of repairing the house. The interest on the mortgage was Rs. 300 for the year which remained unpaid, and the municipal taxes paid in respect of the house were Rs. 150.

Ascertain his income from house property and also his total income for the previous year ended 31st March 1977.

Solution

Statement of Income from House Property

		Rs.
Rent of one-third portion let taken as the annual value under section 23(1)	360	
Less One-third municipal taxes	50	310
Annual value of self-occupied portion on the basis of rent for the portion let	720	
Less Two-thirds of municipal taxes	100	
Annual Value	620	
Less Statutory allowance (one-half of it)	310	310
Annual value of the whole house		620
Less One-sixth for repairs	103	
Mortgage interest	300	403
Income from House Property		217

		Rs.
1.	Salary Income (3,000—20 % of Standard deduction)	2,400
2.	Interest on securities	1,400
3.	Income from house property	217
	Gross Total Income	4,017
	Less deduction U/S 80L	1,400
	Total Income	2,617
	Rounded Off	2,620

Notes :

(1) The annual value of the self-occupied portion of the house is less than 100% of his gross total income.

(2) In order to claim a deduction in respect of interest is not necessary that such interest should have been actually paid during the previous year.

(3) Deduction u/s 80L is in respect of interest on securities etc., which is full interest or Rs. 3,000 whichever is less.

प्रश्न

१. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कौन-कौन सी आय करयोग्य हैं। स्पष्ट कीजिए।

Which income is chargeable under the head 'Income from House Property'. Explain.

२. मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं ? समझाइए।

Explain fully what do you mean by 'Annual Value' of house property.

३. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में करयोग्य आय निकालने के लिए कौन-कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं।

What deductions are allowed in computing the income chargeable under the head 'Income from House Property'.

४. मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या आशय है तथा 'मकान सम्पत्ति की आय निकालने के लिए क्या कटौतियाँ स्वीकृत हैं। करदाता के स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे।

What do you mean by annual value of property and what deductions are allowed to arrive at the income from house and property ? How would you calculate the annual value of a house occupied by an assessee for his own residence.

५. किन-किन परिस्थितियों में मकान सम्पत्ति की आय करयोग्य नहीं होती।

State the cases in which income from house property is not liable to income tax.

६. मि० 'अ' एक मकान के स्वामी हैं। इसका वार्षिक किराया ८,१०० रु० है। गतवर्ष में इसे एक किरायेदार को ४५० रु० प्रतिमाह किराये पर ८ माह के लिए उठा दिया था। किरायेदार ३ माह का किराया न देने का दोषी है। इस किराये की वसूली के लिए न्यायालय में कानूनी कार्यवाही चलाई गई। कानूनी कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है। अ निम्न व्ययों का दावा किया है :—

(अ) नगरपालिका कर	२,४०० रु०
(ब) किराया वसूल करने के सम्बन्ध में कानूनी व्यय	६०० रु०
(स) सौतेली माँ को चुकता परिरक्षण भत्ता जो कि उसके पिता की वसीयत के अनुसार इस सम्पत्ति पर प्रभार है	६०० रु०

कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए अ की मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात कीजिए।

Mr. A is the owner of one house. Its annual rent is Rs. 8100. During the previous year it was let out to a tenant for 8 months on a monthly rent of Rs. 450/-. The tenant could not pay rent for three months. He instituted legal proceedings in court of law for collecting rent. This proceeding is still in process. A claims for the following expenses :—

	Rs.
(a) Municipal taxes	2,400
(b) Legal expenses in connection with collecting rent	600
(c) Maintinance allowance of Rs. 900 to his step mother. He has to give this amount according to his father's Will as an annual charge on property.	

Calculate the Income of Mr. 'A' from the head "Income from House Property, for the assessment year 1977-78.

Ans. Income from house property Rs. 3,978. Legal Expenses to be deducted upto 6% of annual value as reduced by vacancy allowance. *i. e.* 6% of Rs. 3,800(5,700-1,900)= Rs. 228.

७. ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सुकुमार राय ने अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया—

			रु०
(*i*) प्राप्त वेतन (सकल)			६,०००
(*ii*) मकान सम्पत्ति से आय			
प्राप्त किराया—	रु०		
सम्पत्ति 'अ' (९ माह)	१,८००		
सम्पत्ति 'ब'	१,८००		
सम्पत्ति 'स'	१,२००		४,८००
			१०,८००
घटाओ—			
चारों सम्पत्तियों 'अ', 'ब', 'स' और 'द' पर नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार उनके वार्षिक मूल्य पर २०% चुकाया गया नगरपालिका कर		१६००	
सम्पत्ति 'अ' बनवाने हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज		६००	
सम्पत्ति 'ब' पर वार्षिक प्रभार		७२०	
सम्पत्तियों की मरम्मत पर व्यय—			
'अ' सम्पत्ति	१५०		
'ब' सम्पत्ति	४००		
'स' सम्पत्ति	५००	१०५०	

भूमि किराया—

सम्पत्ति 'अ'	१०		
सम्पत्ति 'ब'	८		
सम्पत्ति 'स'	१०	२८	३,९९८
			६८०२

(अ) सम्पत्ति 'अ' और 'स' का निर्माण कार्य अप्रैल १९७३ में प्रारम्भ किया गया तथा अक्टूबर १९७५ में पूर्ण हो गया था।

(ब) सम्पत्ति 'अ' कार्यालय भवन हेतु बनाई गई है तथा वह २०० रु० प्रति माह पर १-७-७६ से मै० आनन्द ट्रेडर्स को किराये पर दे दी है।

(स) सम्पत्ति ब तथा स निवास हेतु किराये पर दी गयी है जब कि सम्पत्ति द में श्रीराम स्वंय निवास करते हैं।

(द) नगरपालिका अभिलेखों के अनुसार सम्पत्ति 'अ' ,व' 'स' और 'द' का वार्षिक मूल्यांकन क्रमशः ३,००० रु०, १,६०० रु० १,००० रु० तथा २,४०० रु० है।

(य) श्रीराय ने अपनी ४०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर ४,२०० रु० बीमा प्रीमियम के चुकाये।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात कीजिए।

Sri Sukumar Rai has produced the following particulars of his income for year ending on 31st March, 1977.

			Rs.
(i)	Salary Received (Gross)		6,000
(ii)	Income from House Property		
	Rent Received		
	Property A (9 months)	1,800	
	Property B	1,800	
	Property C	1,200	4,800
			10,800

Less :

Municipal taxes on all the four property as per municipal records Payable @ 20% of municipal annual value	1,600
Int. on Loan taken to construct Property A	600
Annual charge on Property B	720

Expenses on repairs of property :			
Property A	150		
Property B	400		
Property C	500	1050	
Land Revenue—			
Property A	10		
Property B	8		
Property C	10	28	3,998
			6,802

(a) Construction work of property A and C started in April 1973 and completed in October 1975.

(b) Property A has been constructed for the purpose of office building and has been let out at Rs. 200 p. m. since 1. 7. 76 to M/s Anand Traders.

(c) Property B and C have been let out for residential purposes whereas property D is used by Sri Rai for his own residential purpose.

(d) Annual value of all the four properties according to municipal records are A Rs. 3,000 ; B Rs. 1,600 ; C Rs. 1,000 ; and D Rs. 2,400.

(e) Sri Rai paid an insurance premium of Rs. 4,200 on a policy of Rs. 40,000.

Calculate his taxable income for the assessment year 1977-78.

Ans. Properties A 790 Rs, ; B 505 ; C nil and D 498. Total income from properties Rs 1,793 ; Total taxable Income Rs. 4,615.

८. श्री कृष्णन त्रिवेन्द्रम सहकारी मकान बनाने वाली सम्पत्ति का सदस्य है। उसने मकान बनाने की योजना के अंतर्गत एक मकान किराया क्रय पद्धत्ति के अंतर्गत लिया। महापालिका ने इस मकान का वार्षिक किराया मूल्य ७,००० रु० निर्धारित किया तथा इस पर स्थानीय कर ७५० रु० है। निम्न व्यय और किए गये हैं—

अग्नि बीमा प्रीमियम २०० रु०, समिति को देय ब्याज ८०० रु०। उसकी अन्य आयें ४२,००० रु० है। श्रीकृष्णन की मकान सम्पत्ति से आय के शीर्षक में करयोग्य आय की गणना कीजिए।

Sri Krishnan Trivendram is the member of a Co-operative House Constructing Society. He took a house under a construction scheme on instalment basis. Annual value according to municipal records is Rs. 7,000 and local taxes being Rs. 750. Following expenses were incurred. Fire Insurance Premium Rs. 200 ; Interest payable to the

society Rs. 800. His other incomes are of Rs. 42,000. Calculate the taxable income of Sri Krishnan from house property.

Ans. Income from house property Rs. 2,500.

९. श्री मुरारी लाल तीन मकानों के स्वामी है और अपने रामपुर के बंगले में निवास करते हैं। शेष तीनों मकान आगरा में स्थित हैं और वे किराये पर उठा दिये गये हैं। इन तीनों सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्य ३०,००० रु० है तथा बंगले का वार्षिक मूल्य १०,००० रु० है। स्वामी द्वारा वहन किए गये अन्य व्यय निम्न हैं—

	रु०
(अ) नगरपालिका कर	८,०००
(ब) भूमि किराया दिया	५७२
(स) मालगुजारी दी	५९०
(द) एक सम्पत्ति की मरम्मत कराने के लिए प्राप्त ऋण पर देय ब्याज	१,८००
(गत तीन वर्षों से कोई ब्याज नहीं दिया गया है)	
(य) गत वर्ष में अग्नि बीमा का भुगतान	१,८००
(जिसमें ९०० रु० गत वर्ष का भुगतान था)	
(र) वसूली व्यय	१,०००
(ल) बकाया किराये की वसूली पर व्यय किए गये कानूनी व्यय	४५०
(ज) एक किरायेदार पर इस गत वर्ष का ८०० रु० का किराया बाकी है जिसको देने में वह असमर्थ है।	

बंगले के सम्बन्ध में निम्न व्यय किए गये—

(अ) नगरपालिका कर	१,८५०
(ब) बीमा	४५०
(स) भूमि का किराया	५०

श्री मुरारीलाल ५% सरकारी प्रतिभूतियों के भी स्वामी हैं। जिन पर उन्होंने गत वर्ष में १,५४० रु० का ब्याज प्राप्त किया। वह मै० आगरा बुक स्टोर में प्रबन्धक का कार्य भी करते हैं। इस संस्था से मुरारीलाल को १५,००० रु० पारिश्रमिक का प्राप्त हुआ।

मुरारीलाल की ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Sri Murari Lal owns three houses and resides in his own Bungalow at Rampur. All the three houses are located at Agra

and are let out to tenants. The annual value of all the three properties is Rs. 30,000 and annual value of Bungalow is Rs. 10,000. Other expenses to be borne by the owner are as follows—

		Rs.
(a)	Municipal taxes	8,000
(b)	Ground rent paid	572
(c)	Land revenue paid	590
(d)	Interest payable on loan taken to repair the properties. (No interest has been paid for the last three years.)	1,800
(e)	Fire insurance premium paid during the previous year. (Including Rs. 900 for the previous year.)	1,800
(f)	Collection charges	1,000
(g)	Le al Expenses for recovery of arrear rent	450
(h)	One of the tenants is in arrears of rent amounting to Rs. 800 in respect of this previous year and is unable to pay it.	

The expenses in connection with the Bungalow are as follows—

(a)	Municipal taxes	1,850
(b)	Insurance	450
(c)	Ground rent	50

Sri Murari Lal owns 5% Government securities on which he has received an interest of Rs. 1,540. He is also employed in M/s. Agra Book Store as its Manager and he received Rs. 15,000 as his remuneration.

Calculate the taxable income of Sri Murari Lal for the year ending on 31st March, 1977.

Ans. Taxable income 26,489 ; Gross Total Income 28,489 Salary 12,500, Securities, 2,000 Property let 12,351 and Bungalow Rs. 1,638.

७

व्यापार अथवा पेशों के लाभ

(*Profits of Business or Profession*)

व्यापार अथवा पेशों के लाभों की गणना आय-कर अधिनियम की धारा १८ से ४३ 'अ' के अन्तर्गत की जाती है। अधिनियम की धारा २८ के अनुसार किसी भी **व्यापार अथवा पेशे के लाभ करयोग्य होते हैं बशर्ते कि व्यापार अथवा पेशा गत वर्ष में कर दाता द्वारा चलाया जाता है।** **व्यापार** और **पेशा** शब्द आय-कर अधिनियम में निम्न प्रकार से परिभाषित है—

व्यापार से आशय किसी भी ऐसी क्रिया से है जो लाभ कमाने के लिए की जाती है। व्यापार में कोई व्यापार, निर्माण कार्य तथा अन्य कोई भी व्यवहार, जो लाभ कमाने के लिए किया गया है, सम्मिलित हैं। केवल व्यापार की आय ही 'व्यापार अथवा पेशे' की आय में सम्मिलित नहीं की जाती, बल्कि लाभ कमाने के लिए किये गये व्यवहार की आय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।

व्यवसाय (Profession) शब्द में 'पेशा' (Vocation) भी सम्मिलित है। व्यवसाय एक ऐसा धन्धा होता है जोकि मुख्य रूप से बौद्धिक कुशलता से किया जाता हो अथवा जो शारीरिक श्रम से किया जाता हो और शारीरिक श्रम बौद्धिक कुशलता द्वारा नियन्त्रित होता हो, जैसे; वकील, एकाउन्टेन्ट, डॉक्टर और लेखक इत्यादि का व्यवसाय।

'पेशे' में नौकरी सम्मिलित नहीं है। व्यवसाय की भाँति यह भी एक ऐसा धन्धा है जो जीविका उपार्जन हेतु किया जाता है। जैसे, दलाल, गायक, नर्तक इत्यादि का पेशा।

धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी पेशों में सम्मिलित की जाती है। अतः किसी धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार धर्म के पुरोहित को भेंट में प्राप्त आय पेशे की आय के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

ऐसा व्यवहार जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है (Adventure in the Nature of Trade)—कोई व्यवहार व्यापार की प्रकृति का है अथवा

नहीं यह तय करने के लिए कोई विशेष आधार नहीं है। यह तो व्यवहार के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। **सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न के निर्णय के लिए निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं—**

(१) **क्या क्रेता एक व्यापारी था?** और उसके द्वारा वस्तुओं का क्रय-विक्रय सम्बन्धी व्यवहार यदि उसके व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित सामान्य व्यवहार थे तो वे व्यवहार लाभ कमाने के लिए थे, किन्तु यदि कोई व्यवहार या व्यवहारों की श्रंखला केवल **आकस्मिक** थे तो वे लाभ कमाने के लिए किये गये व्यवहार नहीं माने जायेंगे।

(२) **किस प्रकार की वस्तुओं** का क्रय-विक्रय किया गया है तथा उनके क्रय-विक्रय की **मात्रा** कितनी है। यदि क्रय की गई वस्तुएँ सामान्यतया व्यापार से सम्बधित हैं और इसे बहुत अधिक मात्रा में क्रय किया गया है तो यह व्यवहार व्यक्तिगत उद्देश्य का व्यवहार नहीं माना जायेगा।

(३) क्या क्रेता ने वस्तुओं को खरीदने के उपरान्त उसकी **किस्म में सुधार** के उद्देश्य से कोई कार्य किया है और उन्हें **शीघ्रविक्रय योग्य बनाया** है। यदि ऐसा है तो यह व्यवहार लाभ कमाने के लिए किया गया है।

(४) क्या उन वस्तुओं के क्रय--विक्रय के **व्यवहार बार-बार किये गये** है। यदि हाँ तो ये लाभ कमाने के लिए किये गये हैं।

(५) क्या क्रेता ने किसी वस्तु को एक बार क्रय करने के उपरान्त उसे अपने पास रखने में **गौरव एवं संतोष का** अनुभव किया है? यदि हाँ तो यह लाभ कमाने के लिए किया गया व्यवहार नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई सुन्दर चित्र खरीदता है और अपने पास रखता है। अपने पास रखने में उसे गौरव एवं संतोष का अनुभव होता है किन्तु बाद में उसे बहुत अधिक कीमत पर बेच देता है, यह व्यापार का लाभ नहीं है।

(६) यदि किसी वस्तु को **विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया** जाता है तो यह व्यवहार व्यापार की प्रकृति का व्यवहार माना जायेगा।

'व्यापार या पेशे से आय' शीर्षक को करयोग्य आयें

(Incomes Taxable under the Head 'Income from Business or Profession'।

अधिनियम की धारा २८ के अनुसार **'व्यापार अथवा पेशे से आय' शीर्षक में निम्न आयें करयोग्य हैं—**

(१) **करदाता द्वारा संचालित व्यापार अथवा पेशे की आय** (Business or profession Carried on by the Assessee)—गत वर्ष में करदाता

द्वारा किसी भी समय किये गये व्यापार अथवा पेशे के लाभ इस **शीर्षक** के अन्तर्गत करयोग्य हैं। व्यापार अथवा पेशे की सभी लाभगत प्राप्तियाँ चाहे वे आकस्मिक हों अथवा बार-बार प्राप्त होने की प्रकृति की हों, करयोग्य मानी जाती हैं। अधिनियम की धारा ४४ A. A. के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को, जो काननी (Legal) चिकित्सा सम्बन्धी (Medical), इन्जीनियरिंग या आरटीटेक्चर्स का पेशा या एकाउन्टेंसी का पेशा या तकनीकी सलाह देने का पेशा, अथवा आंतरिक साज-सजावट का पेशा करता है, अपनी प्राप्तियों के सम्बन्ध में खाता पुस्तकें रखनी पड़ेंगी। इसी प्रकार **अवैध व्यापार** भी आय-कर की दृष्टि से व्यापार माना जाता है और इसके लाभ करयोग्य होते है। जैसे तस्कर के माल का क्रय-विक्रय अवैध व्यापार के लाभ कमाने के लिए किये गये आवश्यक व्यय भी आय-कर की दृष्टि से स्वीकृत होते हैं। जब अवैध व्यापार के लाभ करयोग्य होते हैं तो अवैध व्यापार की हानियों को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। (*69 ITR 1*)।

(२) **प्राप्त अथवा प्राप्य** (Due) **क्षतिपूर्ति** (Compensation Received or Receivable)—निम्न में से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्राप्य (Due) **क्षतिपूर्ति या अन्य कोई राशि** व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में करयोग्य होती है—

(अ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी भारतीय कम्पनी का समस्त या लगभग समस्त प्रबन्ध करता है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, उसकी **प्रबन्धकीय स्थिति के समापन पर** अथवा उसकी **शर्तों व दशाओं में परिवर्तन करने पर ;**

नोट—३ अप्रैल १९७० से मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा समाप्त कर दी गई है।

(ब) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत में किसी भी कम्पनी का समस्त या लगभग समस्त प्रबन्ध करता है चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, उसके **प्रबन्ध कार्य के समापन पर** या प्रबन्ध कार्य की **शर्तों व दशाओं में परिवर्तन** करने पर ;

(स) किसी व्यक्ति, जिसके पास कोई एजेन्सी है, को उसकी **एजेन्सी के समापन पर अथवा उसकी शर्तों में** परिवर्तन करने पर।

(३) **प्रबन्धकीय क्षतिपूर्ति** (Management Compensation)—सरकार द्वारा किसी करदाता के व्यवसाय अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने की दशा में उस व्यक्ति अथवा करदाता द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जाने वाली कोई क्षतिपूर्ति या अन्य भुगतान आय-कर के उद्देश्य से व्यापार के लाभ की भाँति करयोग्य होगा।

(४) **व्यापारिक संघ की आय** (Income of Trade Association)—व्यापारिक संघ से आशय एक ऐसे संघ से है जो व्यापारी वर्ग के सामान्य अधिकारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया जाता है जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि। ऐसे संघों द्वारा अपने सदस्य के सामान्य हितों के लिए प्रदान सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त आय करयोग्य होती है।

(५) **सुविधा या अनुलाभ का मूल्यांकन** (Value of Benefit or Perquisite)—यदि किसी व्यापार अथवा पेशे के दौरान प्राप्त कोई सुविधा या अनुलाभ, जिसका चाहे मुद्रा में मूल्यांकन हो अथवा नहीं, का मूल्य व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में करयोग्य है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय या पेशा चलाने वाले को कोई ऐसा भुगतान या सुविधा देता है जो उसका दायित्व नहीं है तो यह सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापार व पेशे के लाभ शीर्षक में करयोग्य होगी।

(६) **सट्टे का व्यापार** (Speculation Business)--धारा २८ के अनुसार यदि कोई करदाता सट्टे के कुछ ऐसे व्यवहार करता है जो व्यापार की प्रकृति के हैं, तो यह सट्टे का व्यापार उसके द्वारा चलाये जाने वाले अन्य व्यापारों से भिन्न समझा जायगा।

धारा ४३(५) के अनुसार सट्टे के व्यवहार का अर्थ ऐसी वस्तु (शेयर एवं स्टॉक सहित) की खरीद व बिक्री के प्रसविदे से है जिसका हिसाब (Settlement) एक निश्चित अवधि पर बिना वास्तविक माल की सुपुर्दगी लिये दिये हो जाय।

जहाँ पर माल की वास्तविक सुपुर्दगी हो अथवा अंशों का हस्तान्तरण हो वहाँ पर वह व्यवहार सट्टे का व्यवहार नहीं है, चाहे वास्तव में वह कितना ही सट्टे से मिलता-जुलता क्यों न हो।

हैजिंग प्रसंविदों (Hedging Contracts) को सट्टे का व्यवहार नहीं माना जा सकता है। हैजिंग व्यवहार से अभिप्राय एक ऐसे व्यवहार से है जिसमें मूल्यों के उतार-चढ़ाव के कारण मौजूद स्टॉक में होने वाली हानि से बचने के लिए वस्तुएँ एवं शेयर भावी सुपुर्दगी के लिए बेचे जाते हैं।

व्यापार अथवा पेशों के लाभों पर कर लगाने के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त

धारा २८ के अन्तर्गत **करयोग्य आय पर लागू होने वाले नियम संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं**—

(१) धारा २८ के अन्तर्गत **केवल वही व्यक्ति कर चुकाने के लिए दायी है जो व्यापार करता है।** परन्तु 'व्यापार अथवा पेशे' से आय पर देय कर के सम्बन्ध में इस बात का महत्त्व है कि व्यापार किस व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार स्वयं करदाता के हाथों से चलाया गया हो बल्कि

यदि वह व्यापार चलाने का केवल अधिकार मात्र ही रखता है तो भी व्यापार अथवा पेशे की आय उसी व्यक्ति के हाथों में करयोग्य होगी जो व्यापार चलाने का अधिकार रखता था।

(२) **व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में किसी भी समय करदाता द्वारा चलाया जाना चाहिए।** यह आवश्यक नहीं है कि वह वर्ष पर्यन्त चलाया गया हो। यदि कोई व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में बिलकुल भी नहीं चलाया गया है तो ऐसे व्यापार के समापन पर सम्पत्तियों की वसूली से होने वाले लाभ को 'व्यापार अथवा पेशे से आय' नहीं माना जायगा तथा उस पर कर नहीं लगेगा।

इस नियम का एक अपवाद है, यदि कोई व्यवसाय (व्यापार नहीं) किसी गत वर्ष में बन्द कर दिया जाता है तो अगले गत वर्ष अथवा गत वर्षों में उस व्यवसाय से सम्बन्धित राशि की प्राप्ति प्राप्तकर्ता की आय मानी जायगी तथा उस पर उस वर्ष में कर लगेगा जिसमें वह प्राप्त हुई है।

(३) धारा २८ में लगने वाला कर प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे के अलग-अलग लाभों पर नहीं है, बल्कि **करदाता द्वारा चलाये सभी व्यापारों तथा पेशे के लाभों पर एक साथ मिलकर लगता है।** जब करदाता कई व्यापार चलाता है तो वह अपने एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार के लाभों से पूरा (Set-off) कर सकता है।

(४) व्यापार में न केवल **कानूनी स्वामित्व** (Legal Ownership) को ही देखा जाता है, बल्कि **इसके हितकारी स्वामित्व** (Beneficial Ownership) को भी देखा जाता है। व्यापार की आय पर उस व्यक्ति के हाथों में कर लगेगा जिसे कि उस आय को पाने का अधिकार है।

(५) **व्यापार के लाभ सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर ज्ञात किये जाते हैं।** व्यापारिक ज्ञान के सामान्य सिद्धान्तों को आय-कर अधिकारी केवल इसलिए नहीं भुला सकते क्योंकि उनका उल्लेख आय-कर अधिनियम में नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यापारिक लाभों पर कर लगाना है तथा व्यापारिक लाभ वे लाभ हैं जो व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किये जाएँ। ऐसा हो सकता है कि आय-कर अधिनियम में कोई व्यय की या हानि की मद स्वीकार न की जाय। लेकिन फिर भी व्यापार के सच्चे लाभों को पता लगाने के लिए उसे स्वीकार करना हो।

(६) यदि करदाता कर बचाने के उद्देश्य से **कोई कृत्रिम व्यवहार करता है** तो ऐसे व्यवहारों से होने वाले लाभ भी उसके व्यापार की आय में सम्मिलित किये जायेंगे।

(७) **सट्टे के व्यापार के लाभों पर अलग से कर निर्धारण होता है।** सट्टे के व्यापार की हानियों को सट्टे के व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है।

माना जाने वाला लाभ (Deemed Profits)

निम्न परिस्थितियों में होने वाली आय एक व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाती है, चाहे उस वर्ष में जिसमें यह आय उदय हुई है, ऐसा व्यापार अथवा पेशा चालू हो अथवा नहीं—

(१) यदि करदाता को किसी गत वर्ष में हुई हानि, खर्च अथवा दायित्व की राशि के लिए गत वर्ष की करयोग्य आय की गणना करते समय छूट दी जा चुकी है तो ऐसी हानि खर्च अथवा दायित्व के लिए भविष्य में प्राप्त राशि को प्राप्त होने वाले वर्ष में व्यापार से आय माना जायगा। इस आयोजन का मुख्य अभिप्राय **घटौती के रूप में स्वीकार की गई राशि की पुनः प्राप्ति पर कर लगाना है।**

(२) यदि एक करदाता अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग किये जाने वाले मकान, प्लाण्ट, मशीन अथवा फर्नीचर को व्यापारिक प्रयोग से हटा देता है और उस सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग को बेच देता है तो विक्रय मूल्य एवं अवशेष मूल्य को मिलाकर आई राशि का उसके **अपलिखित मूल्य से आधिक्य** (उस सम्पत्ति पर दी गई ह्रास की छूट की राशि तक) **उस व्यापार अथवा पेशे की आय माना जायगा।**

(३) जब कोई सम्पत्ति जिस पर ह्रास स्वीकृत है, बेची, तोड़ी या नष्ट की जाती है तब ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त **बिक्री की राशि का उस सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य पर जो आधिक्य प्राप्त होता है** वह व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में करयोग्य होगा, यदि ऐसी राशि गत वर्ष में प्राप्य है।

(४) वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये पूंजीगत व्यय से खरीदी गई सम्पत्ति, जोकि किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं की गई है, यदि बेच दी जाती है और **विक्रय से प्राप्त राशि एवं उसके सम्बन्ध में स्वीकार की गयी छूट की कुल राशि पूँजीगत व्यय की राशि से अधिक है तो यह आधिक्य अथवा स्वीकृत छूट की राशि, इनमें से जो भी कम हो** उस व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जायेगी। वह आय उस गत वर्ष में हुई मानी जायगी जिसमें सम्पत्ति बेची गयी है।

(५) यदि किसी अप्राप्य ऋण के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकार की जा चुकी है तथा बाद में **वह ऋण वसूल हो जाता है** तो यह प्राप्ति उस व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जायगी। यह आय उस गत वर्ष में हुई मानी जायगी जिसमें यह ऋण वसूल हुआ है।

(६) यदि गत वर्ष में पेटेण्ट अधिकार अथवा मुद्रण अधिकार बेचे गये हैं तथा बिक्री से प्राप्त राशि इनके **पुस्त-मूल्य** (जोकि अभी तक अपलिखित नहीं किया गया है) **से अधिक है तो पुस्त-मूल्य से आधिक्य** (पिछले वर्षों में छूट के लिए स्वीकृत राशि तक) उस गत वर्ष में जिसमें बिक्री हुई है, व्यापार की आय के रूप में करयोग्य होगा।

व्यापारिक लाभों का निर्धारण

(Computation of Business Profits)

आय-कर उद्देश्य के लिए व्यापार एवं पेशे के लाभ केवल वे ही नहीं होते जोकि व्यापारी अपने लाभ-हानि खाते द्वारा दिखलाते हैं । लाभ कमाने से सम्बन्धित कुछ व्ययों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है ; ह्रास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही स्वीकार किया जाता है; पूँजीगत प्राप्तियों तथा पूँजीगत व्ययों को छोड़ दिया जाता है तथा वैयक्तिक प्रकृति के अथवा दान की प्रकृति के खर्चे स्वीकार नहीं किये जाते हैं । लाभ-हानि खाते में प्रदर्शित लाभ की राशि से करयोग्य लाभ निकालने के लिए इन सब प्रकार के मदों के लिए समायोजन करने होते हैं ।

धारा २८ के अनुसार **आय-कर व्यापार अथवा पेशे की सकल प्राप्तियों** (Gross Receipts) **पर नहीं, बल्कि लाभों पर लग जाता है** । धारा ३० से ३९ तक उन समस्त व्ययों का व्यौरा है जिन्हें व्यापार अथवा पेशे की करयोग्य लाभ निकालने के लिए कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

यदि किसी ऐसी व्यय या हानि की कटौती की माँग की जाती है जिसका धारा ३० से ३९ में स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, तो वह तभी स्वीकार की जायेगी जबकि वह व्यापार अथवा पेशे को चलाने के दौरान हुई हो एवं उससे सम्बन्धित हो ।

कटौतियों के सम्बन्ध में निम्न कुछ सामान्य नियम हैं—

(१) कर-दाता द्वारा **लगातार अपनाई गई हिसाब की पद्धति के अनुसार लाभों की गणना करनी चाहिए,** बशर्ते कि ऐसी पद्धति से सच्चे लाभों का पता लग सके । हिसाब की विभिन्न पद्धतियाँ इस अध्याय में आगे समझाई गयी हैं ।

(२) **स्पष्टतः स्वीकार करने योग्य व्ययों को सकल प्राप्तियों से घटा देना चाहिए,** जबकि **स्पष्टतः अस्वीकृत व्ययों को इस प्रकार नहीं घटाना** चाहिए ।

(३) कुछ आवश्यक **व्ययों** (जिन्हें स्पष्ट रूप से न तो स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकृत किया गया है) तथा **व्यापारिक हानियों को** (चाहे स्पष्टतः स्वीकृत नहीं किया गया हो) **सकल प्राप्तियों से घटा देना चाहिए** बशर्ते कि ऐसे खर्चे या हानियाँ न तो पूँजीगत प्रकृति की हैं और जो व्यापार से आवश्यक रूप से सम्बन्धित हैं ।

(४) केवल उन्हीं व्ययों एवं हानियों की कटौती स्वीकार की जाती है जो कि **सम्बन्धित गत वर्ष में हुए हैं** । वार्षिक लाभ निकालने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने में एक पूरी अवधि है जिससे लाभ एवं खर्चे देखे जायेंगे । गत वर्ष से पहले या बाद में हुए खर्चों को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा ।

(५) गत वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले **बन्द हुए व्यापार के खर्चों को इस समय अस्तित्व में जो पृथक व्यापार है, उसके लाभों से नहीं घटाया जा सकता है।** बन्द कर दिये गये व्यापार के खर्चे पूँजीगत हानि हो जाते हैं।

व्यापारिक हानियाँ (Trade Losses)—हालाँकि व्यापारिक हानियों को स्पष्ट रूप से कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार लाभों की गणना करने के लिए इसको कटौती के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। कोई भी हानि तभी घटाई जा सकेगी जबकि वह करदाता के व्यापार के सम्बन्ध में हो।

संक्षेप में, **व्यापार या पेशे के करयोग्य लाभों की गणना करने के लिए निम्न प्रारूप अपनाया जा सकता है**—

Balance of profit as per P & L a/c			(Profit)
Add	(*i*)	ExPenses expressly disallowed but debited to P & L a/c	
	(*ii*)	Incomes or receipts taxable under this head but not credited to P & L a/c	
	(*iii*)	Capital expenses debited to P & L a/c	
	(*iv*)	Personal expenses debited to P & L a/c	
Less	(*i*)	Expenses expressly allowed but not debited to P & L a/c	
	(*ii*)	Incomes or receipts not taxable under this head but credited to P & L a/c	
	(*iii*)	Capital receipts credited to L & a/c	
		Profits or Gains Taxable under Income-Tax Act	

नोट—यदि लाभ-हानि या प्राप्ति व व्यय खाते का शेष हानि है तो उपरोक्त घटाने वाली मदों को जोड़ा जायेगा तथा जोड़ने वाली मदों को घटा दिया जायेगा।

स्पष्टतः स्वीकृत कटौतियाँ

(Deductions Expres sly Allowed)

नोट—स्वीकृत कटौतियों के सम्बन्ध में 'चुका दिया' शब्द का अर्थ हिसाब की पद्धति के अनुसार **चुका देने या चुका देने का आयोजन** दोनों से है।

व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करने के लिए सकल प्राप्तियों में से निम्न कटौतियाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती हैं—

(१) भवन के लिए खर्चे (Expenses for Premises)

(अ) जहाँ करदाता ने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग करने के लिए भवन को किराये पर ले रखा है वहाँ पर **चुकाया गया किराया** और यदि उसी ने मरम्मत करने का दायित्व ले लिया हो तो **ऐसी मरम्मत** की राशि।

(ब) करदाता के स्वामित्व में भवन की **चालू मरम्मत की राशि।**

(स) भवन को खतरों से बचाने के लिए कराये गये **बीमे का प्रीमियम।**

(द) भवन के सम्बन्ध में **देय कर व दर की राशि।** [धारा ३०]

(२) मशीनरी आदि के लिए खर्चे (Expenses for Machinery etc.)

(अ) व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग में लाई गई **मशीन**, **प्लाण्ट** अथवा **फर्नीचर** पर **चालू मरम्मत की राशि**।

(ब) ऐसी सम्पत्तियों को खतरे से बचाने के लिए कराये गये बीमे का **प्रीमियम**। **[धारा ३१]**

(३) ह्रास एवं प्रारम्भिक ह्रास (Depreciation and Initial Depreciation)

करदाता के व्यापार के लिए प्रयुक्त सम्पत्तियों जैसे इमारत, मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर आदि के सम्बन्ध में स्वीकृत ह्रास की राशि। ह्रास निर्धारण की दरें व ह्रास स्वीकार करने की शर्तें अगले अध्याय में विस्तार से समझाई जाएँगी। **[धारा ३२]**

(४) विनियोग छूट (Investment Allowance)

वित्त अधिनियम १९७६ के द्वारा प्रारम्भिक ह्रास पद्धति को विनियोग छूट से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह विकास सम्बन्धी छूट की ही भाँति कुछ सम्पत्तियों —जैसे जहाज (पानी व हवाई) मशीनरी व प्लाण्ट आदि पर दी जाती है। इसको अगले अध्याय में विस्तार से समझाया जायगा। **[धारा ३२A]**

(५) विकास सम्बन्धी छूट (Development Rebate)

धारा ३३ के अन्तर्गत, विकास सम्बन्धी छूट के लिए कटौती दी जाती है। इससे सम्बन्धित कानून को एक अगले अध्याय में पूरी तरह समझाया जायगा। **[धारा ३३]**

(६) विकास सम्बन्धी भत्ता (Development Allowance)

यह भत्ता केवल उन करदाताओं के सम्बन्ध में दिया जाता है जो चाय उत्पादन एवं निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे करदाताओं द्वारा अपनी जमीन पर चाय के पौधे लगाने के लिए किये गये व्ययों के सम्बन्ध में यह भत्ता स्वीकृत किया जाता है। **[धारा ३३ A]**

(७) पुनर्वास भत्ता (Rehabilitation Allowance)

जब किसी औद्योगिक संस्थान, जिसका व्यापार गत वर्ष में उसकी इमारत, मशीनरी, प्लाण्ट या फर्नीचर की अत्यधिक क्षति या विनाश होने के कारण बन्द हो गया है, को उक्त गत वर्ष के बाद तीन वर्ष में पुनः स्थापित, पुर्नसंगठित एवं पुनः जीवित किया जाय तो इस प्रकार से पुर्नस्थापित एवं पुर्नसंगठित लागत संतुलित ह्रास के ६०% के बराबर छूट उसी गत वर्ष के लाभों में से घटा दी जायेगी जिस गत वर्ष में व्यापार पुनः चालू किया गया है। क्षति या विनाश निम्न कारणों से हो सकता है।

(अ) बाढ़ तूफान, आँधी, चक्करदार आँधी, भूकम्प व अन्य ऐसी प्राकृतिक विपदा।

(ब) नागरिक उपद्रव व झगड़े।

(स) अचानक आग लगना या विस्फोट।

(द) युद्ध की स्थिति या बगैर युद्ध के सीमा के झगड़ों के कारण क्षति आदि।

नोट—यह छूट केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थानों को मिलेगी जो विजली या अन्य शक्ति के उत्पादन व वितरण में अथवा जहाजों के निर्माण या खानों के सामान के निर्माण या प्रक्रिया में लगे हुए हैं। **[धारा ३३ B]**

(८) **वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी व्यय** (**Expenditure on Scientific Research**)

(अ) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर समस्त **आयगत व्यय**। यदि किसी व्यक्ति द्वारा की गई Research के लाभ प्राप्त करने के लिए कोई व्यय किया जाय तो यह इस धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकार नहीं होगी। भले ही यह धारा ३७ के अंतर्गत कटौती योग्य हो।

यदि व्यापार प्रारम्भ करने से ठीक पूर्व तीन वर्ष के अन्दर कोई व्यय उन लोगों के वेतन पर किया गया है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं या ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक सामान आदि पर हुआ है तो इन सब व्ययों का योग उस गत वर्ष की आय में से घटा दिया जायेगा जिसमें वह व्यापार प्रारम्भ किया गया। यह कटौती केवल उन खर्चों के सम्वन्ध में दी जायेगी जो ३१-३-१९७३ के वाद किये गये हैं।

(ब) किसी स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था या स्वीकृत शिक्षा संस्था को वैज्ञानिक अनुसन्धान के व्ययों के लिए दी गई राशि चाहे अनुसन्धान करदाता के व्यापार से सम्वन्धित हो अथवा नहीं।

यदि करदाता द्वारा ३१-३-१९७३ के बाद कोई राशि किसी स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को किसी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दी जाय जो करदाता के व्यापार से सम्वन्धित हो तो ऐसे व्यय के सम्बन्ध में व्यय का $1\frac{1}{3}$ कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा। यदि व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व तीन वर्ष के अन्दर ऐसा व्यय किया जाता है तो भी यह कटौती स्वीकृत होगी।

(स) **किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था** (Approved Educational Institution) को करदाता के व्यापार से सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान के व्यय के लिए दी गई राशि यदि ऐसे अनुसन्धान करदाता के व्यापार से सम्बन्धित हो।

(द) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान का १ अप्रैल, १९६७ से पूर्व का पूंजीगत व्यय पाँच लगातार वर्षों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष उस राशि का पाँचवा भाग कटौती के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है।

(य) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान का ३१ मार्च, १९६७ से बाद का पूर्ण पूँजीगत व्यय उसी गत वर्ष में जिसमें वह किया गया है, कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा।

यदि किसी गत वर्ष में वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में कटौती स्वीकार की जा चुकी है, तो ऐसे वर्ष में इसके लिए ह्रास स्वीकार नहीं किया जायगा।

यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये पूँजीगत व्यय को करयोग्य लाभों से कम होने के कारण स्वीकार न किया जा सके तो कटौती के रूप में न स्वीकार की गई राशि को अगले वर्षों में अशोधित ह्रास की भाँति आगे ले जाया जा सकता है।

यदि वैज्ञानिक अनुसन्धान से सम्बन्धित पूँजीगत व्यय से प्राप्त सम्पत्ति बेच दी जाय और विक्रय से प्राप्त राशि एवं इसके लिये कटौती के रूप में स्वीकार की गई राशि का योग सम्पत्ति के पूँजीगत मूल्य से अधिक हो तो ऐसे आधिक्य अथवा कटौती के रूप में स्वीकार की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो, को जिस वर्ष में उस सम्पत्ति की विक्री हुई है, उस गत वर्ष में व्यापार की आय मान कर आय-कर लगा लिया जायेगा, चाहे उस वर्ष में वह व्यापार अस्तित्व में हो अथवा नहीं।

[धारा ३५]

(९) पेटेन्ट तथा स्वत्वाधिकार पर व्यय (Expenditure on Patent and Copy rights)—

करदाता द्वारा अपने व्यापार के लिए पेटेन्ट या स्वत्वाधिकार प्राप्त करने के लिए २८ फरवरी, १९६६ के उपरान्त किये गये पूँजीगत व्यय की राशि को १४ बराबर किस्तों में बाँटकर एक कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है। यह कटौती उस गतवर्ष से प्रारम्भ होगी जिसमें यह व्यय किया जाता है। यदि यह व्यय व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व किया जा चुका है तो १४ वर्ष का समय उस गतवर्ष से गिना जायेगा जिसमें व्यापार प्रारम्भ किया गया। **[धारा २५ A]**

(१०) निर्यात बाजार विकास भत्ता (Export Market Development Allowance) —

यह कटौती घरेलू कम्पनियों और गैर कम्पनी निवासी करदाताओं को उन व्ययों के सम्बन्ध में दी जाती है जो इन्होंने निर्यात सम्बर्द्धन के लिए किया है। यह कटौती २९ फरवरी १९६८ के बाद किए गये लाभगत व्ययों की राशि के $1\frac{1}{3}$ के बराबर दी जाती है। जिन व्ययों के सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकृत

होती है, वे समस्त व्यय निर्यात बाजार के विकासार्थ किए जाते हैं **जो निम्न होते हैं**—

(*i*) विदेशों में विज्ञापन करना

(*ii*) विदेशी बाजारों के बारे में सूचनायें प्राप्त करना

(*iii*) विदेशी बाजारों में वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं का वितरण करना

(*iv*) वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं के निर्यात् विक्रय के प्रोत्साहन के लिए विदेशों में शाखाओं का प्रबन्ध करना

(*v*) विदेशों में वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए टैन्डर भेजना

(*vi*) विदेशों में नमूने (Samples) भेजना तथा तकनीकी सूचनायें प्रदान करना

(*vii*) निर्यात् सम्बर्द्धन के लिए विदेशों में यात्रा करना

(*viii*) भारत के बाहर पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं और सुविधाओं के ठेके को पूरा करने के लिए की गई सेवाओं के सम्बन्ध में व्यय ।

कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७४ से उन घरेलू कम्पनियों के लिए जिनमें जनता का सारवान हित है। इस कटौती की राशि बढ़ाकर १$\frac{१}{३}$ करदी गई है। यह १$\frac{१}{३}$ की भारित छूट उन व्ययों के सम्बन्ध में प्रदान की जाती है जो २८ फरवरी १६७३ के बाद किए गये हैं। **[धारा ३५ B]**

(११) कृषि विकास भत्ता (Agricultural Development Allowance)

धारा ३५ सी के अनुसार ऐसी कम्पनियाँ जो कृषि, डेयरी अथवा मुर्गीपालन से सम्बन्धित उत्पादित वस्तुओं को अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती हैं तो ऐसी कृषि उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों अथवा वस्तुओं के निर्माताओं को वस्तुएँ, सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करवाने के लिए व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में १$\frac{१}{५}$ के बराबर छूट दी जाती है। **[धारा ३५ C]**

(१२) प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करना (Amortisation of Preliminary Expenses)

धारा ३५ डी के अनुसार किसी करदाता द्वारा जो कि एक भारतीय कम्पनी है अथवा अन्य निवासी व्यक्ति है, अपने छूट के योग्य ऐसे प्रारम्भिक व्ययों के १/१० भाग को जोकि ३१ मार्च, १६७० के उपरान्त व्यय किये गये हों, व्यापार प्रारम्भ करने अथवा औद्योगिक संस्थान के विस्तार पूर्ण होने या नवीन औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारम्भ होने के वर्ष से १० वर्ष तक प्रति वर्ष अपलिखित किया जा सकता है।

इस प्रकार अपलिखित किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा योजना लागत (Project Cost) अर्थात् स्थायी सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य की २·५% है। एक भारतीय कम्पनी की दशा में कम्पनी को प्रारम्भिक व्ययों के सम्वन्ध में विनियोगित पूँजी के २·५% के बराबर छूट प्राप्त करने का विकल्प है।

यदि कोई भारतीय कम्पनी जिसे अपने प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करने का अधिकारण है वह किमी एकीकरण की योजना के अन्तर्गत व्ययों के अपलिखित करने की १० वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी अन्य भारतीय कम्पनी को हस्तान्तरित कर दी जाती है तो शेष राशि को शेष अवधि में हस्तान्तरित कम्पनी (Transferee Company) अपलिखित कर सकती है।

इस धारा के अन्तर्गत अपलिखित की जाने वाली राशि को आय-कर अधिनियम के अन्य किसी प्रावधानों के अनुमार अपिलिखिन नहीं किया जा सकता।

[धारा ३५ D]

(१३) खनिज उत्पादन पर हुए व्यय को अपलिखित करना
(Amortisation of Expenditure on Prospecting of Minerals)

धारा ३५ ई० के अनुसार कोई भारतीय कम्पनी अथवा अन्य निवासी व्यक्ति करदाता, जो सातवीं अनुसूची में वर्णित किसी खनिज सम्वन्धी उद्योग मे (प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल के अतिरिक्त) लगा है तो वह खनिज के प्राकृतिक भंडारों या खानों के विकास पर ३१ मार्च १९७० के उपरान्त व्यय की गई राशि को १० वर्षों में अपलिखित कर सकता है। **[धारा ३५ E]**

(१४) अन्य कटौतियाँ (Other Deductions)

आय-कर अधिनियम की **धारा ३६ के** अनुसार व्यापार व्यवसाय के लाभों की गणना करने **के लिए निम्न अन्य कटौतियाँ स्वीकृत हैं**—

(*i*) **बीमा प्रीमियम** (Insurance Premium)—व्यापार व्यवसाय के लिए स्टॉक एवं स्टोर्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में कराये गये बीमे के प्रीमियम की राशि। भवन, मशीनरी तथा फर्नीचर के बीमे के प्रीमियम की छूट धारा ३० तथा ३१ के अन्तर्गत दी जाती है तथा अन्य किसी प्रीमियम के सम्बन्ध में छूट धारा ३७ के अन्तर्गत दी जा मकती है।

(*ii*) **कर्मचारी को बोनस अथवा कमीशन**—कर्मचारी की चुकाई गयी कोई वोनस अथवा कमीशन की कोई राशि जो उस कर्मचारी को, यदि यह बोनस या कमीशन न चुकाया गया होता तो लाभों या लाभांश की तरह उन्हें ही न चुकायी गयी होती। अग्र पृष्ठ पर अंकित वातों का ध्यान रखते हुए स्वीकार की जाने वाली वोनस या कमीशन की राशि उचित होनी चाहिए—

(अ) कर्मचारी का वेतन एवं नौकरी की शर्तें ;

(ब) गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के सामान्य लाभ ; तथा

(स) ऐसे ही व्यापार अथवा पेशे में सामान्य चलन (General Practice)।

औद्योगिक संघर्ष के कारण कर्मचारियों को चुकाया गया बोनस 'सामान्य कटौतियों' में स्वीकार किया जाता है जिन्हें नीचे समझाया जा रहा है—

(*iii*) **उधार ली गई पूँजी पर ब्याज** (Interest on Borrowed Capital)—उधार लेकर व्यापार में लगाई गई पूँजी की ब्याज एक स्वीकार योग्य कटौती है, चाहे इसका भुगतान करना लाभों के कमाने पर ही निर्भर क्यों न हो लेकिन उधार वास्तविक होना चाहिए। उधार पूँजी सम्पत्ति अथवा स्कन्ध को लेने के लिए हों अथवा पुस्त-ऋणों (Book-Debts) को चुकाने के लिए हों। आवश्यक यह है कि उधार व्यापार के लिए लिया गया हो तथा उस पर ब्याज दिया गया हो।

वे सभी खर्चे (जैसे—स्टाम्प की कीमत, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, वकील की फीस, दलाली इत्यादि) जोकि एक करदाता द्वारा ऋण लेने (अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के लिए) के लिए किये गये हैं, आय-कर के लिए स्वीकृत कटौतियाँ हैं।

(*iv*) **प्रॉविडेण्ट फण्ड या सुपरएन्युएशन फण्ड में चन्दा**—करदाता द्वारा मालिक के रूप में किसी प्रमाणित प्रॉविडेण्ड फण्ड में अथवा सुपरए-न्युएशन फण्ड में चन्दे की राशि।

(*v*) **ग्रेच्युटी फण्ड में चन्दा** (Contributions to Gratuity Fund)—करदाता द्वारा मालिक के रूप में ऐसे स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड में जो कि अखण्डनीय ट्रस्ट (Irrevocable Trust) के अन्तर्गत कर्मचारियों की सुविधा के लिए रखा गया हो, चन्दा कटौती के लिए स्वीकार किया जाता है। एक स्वीकृत ग्रेच्युटी फण्ड, एक ऐसा फण्ड है जोकि कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स द्वारा स्वीकृत किया गया था और अभी तक किया जाता रहा है।

(*vi*) **पशुओं पर हानि** (Loss on Animals)—व्यापार अथवा पेशे में प्रयुक्त मृतक अथवा बेकार पशुओं की बिक्री पर हानि।

(*vii*) **डूबत ऋण** (Bad Debts)—किसी ऋण की राशि जो गत वर्ष में डूबत ऋण साबित हुई हो। ऐसी **कटौती निम्न शर्तों के अधीन है**—

(अ) गत वर्ष या इससे पहले ऐसे ऋण को करदाता की आय की गणना करने में ध्यान में रख लिया गया था अथवा यह राशि करदाता के

वैंकिंग या उधार देने के सामान्य व्यापार से सम्बन्धित है ; तथा

(ब) करदाता के गत वर्ष के हिसाब-किताब में ऋण को न वसूल होने वाला (Irrecoverable) मान कर अपलिखित (Write-off) कर दिया गया है।

डूबत ऋण करदाता द्वारा चलाये गये गत वर्ष में सम्बन्धित व्यापार के सम्बन्ध में होना चाहिए तथा यह ऋण व्यापार तथा पेशे से पूर्णतया सम्बन्धित (Incidental) **होना चाहिए**। जहाँ पर करदाता का ऋण, करदाता के व्यापार से पूर्णतया सम्बन्धित न होकर और किसी कारण से है, वहाँ पर ऐसे ऋण के लिए कटौती नहीं माँगी जा सकती और ऐसी हानि को पूँजीगत हानि मानना चाहिए।

अधिनियम में ऐसा स्पष्ट प्रबन्ध है कि आय-कर अधिकारी यह मान सकता है कि ऋण उचित समय से पहले ही अथवा उचित समय के बाद में अपलिखित किया गया है। अगर वह ऐसा मानता है तो किसी अगले वर्ष में ऐसा ऋण छूट के रूप में स्वीकार करेगा, यद्यपि ऐसे बाद के वर्ष में यह ऋण अपलिखित नहीं किया जायगा। अगर वह मानता है कि किसी पूर्व वर्ष में ही यह ऋण संदिग्ध हो गया और ऐसा वह पूर्व वर्ष अभी बीतने वाले खाता वर्ष से पूर्व के चार खाता वर्षों की अवधि के अन्दर ही पड़ता है तो उसे ऐसे पूर्व वर्ष के कर-निर्धारण को ठीक करना होगा।

डूबत ऋण प्राप्ति के वर्ष में अन्तिम समायोजन—डूबत ऋण के लिए छूट वास्तव में अनुमान पर ही आधारित है। अन्त में किसी ऋण का काफी बड़ा या कुछ भाग प्राप्त हो सकता है। ऐसी दशा में निम्न नियम लागू होंगे—

(१) यदि डूबत ऋण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली अन्तिम राशि उस अन्तर से कम है जोकि ऋण में तथा डूबत ऋण की राशि में स्वीकार की गयी राशि में है तो इस कमी को उस गत वर्ष में जबकि वह अन्तिम रूप से प्राप्त हुई है, स्वीकार किया जायगा।

(२) जबकि डूबत ऋण के सम्बन्ध में कटौती दे दी गयी है तथा इस ऋण पर कोई राशि आगे जाकर वसूल हो जाये और यह राशि उस अन्तर से अधिक हो जोकि ऋण में तथा इस प्रकार स्वीकार की गयी राशि में हो तो ऐसा आधिक्य उस गत वर्ष में जिसमें कि वह प्राप्त हुई, करयोग्य है, **चाहे ऐसा व्यापार जिसके सम्बन्ध में यह कटौती स्वीकार की गई थी, उस वर्ष में अस्तित्व में हो अथवा न हो।**

(*viii*) **विशेष संचय को हस्तान्तरण** (Transfer to Special Reserve) ऐसी स्वीकृति वित्तीय संस्थाओं को जो भारत में उद्योग-धन्धों या कृषि के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देती हैं उन्हें कुछ छूट की व्यवस्था करते समय संस्था द्वारा गत वर्ष में विशेष समय में हस्तान्तरित की गई राशि पर दी जाती है।

इस छूट की निम्न सीमाएँ हैं—

(अ) राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत स्थापित वित्त निगमों की दशा में इस प्रकार हस्तान्तरित राशि का ४०%।

(ब) अन्य प्रमाणित वित्त निगमों की दशा में ।

(*i*) यदि चुकता अंश पूँजी ३ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो विशेष संचय को हस्तान्तरित राशि का २५% और

(*ii*) चुकता अंश पूँजी १० करोड़ रु० से अधिक होने पर हस्तान्तरित राशि का १०%।

(*ix*) **परिवार नियोजन पर व्यय** (Expenditure on Family Planning)— एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन करने के उद्द ेश्य से किया गया व्यय कटौती की तरह स्वीकार किया जाता है।

जबकि ऐसा व्यय पूँजीगत प्रकृति का हो तब यह व्यय पाँच वर्षों में बराबर-बराबर स्वीकार किया जायगा।

(१५) सामान्य कटौतियाँ (General Deductions)

धारा ३७ के अन्तर्गत कोई भी व्यय (जो उपर्युक्त ९ शीर्षकों में न हो, एवं जो **पूँजीगत व्यय की** प्रकृति का अथवा करदाता का **वैयक्तिक खर्च न** हो, जो पूर्ण रूप से **केवल व्यापार अथवा पेशे के लिए** ही किया जाय, व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस धारा के अन्तर्गत व्यापार के बहुत से खर्चे सम्मिलित हो जाते हैं।

इस प्रकार की कटौती के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी वर्ष विशेष में कटौती के रूप में स्वीकार किये जाने वाले व्यय से व्यापार में लाभ ही हुआ हो, क्योंकि व्यापार में कुछ इस प्रकार के व्यय भी होते हैं जिनका व्यापार के लाभ पर प्रभाव अगले वर्षों में ही पड़ता है अर्थात जिनसे अगले वर्षों के लाभ में वृद्धि होती है। किसी कर्मचारी को वेतन स्वरूप दी गई अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भुगतान कि गई राशि उसी वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार की जा सकती है जिसमें कि इसका भुगतान किया गया है चाहे यह राशि उस वर्ष में की गई सेवाओं से सम्बन्धित हो अथवा नहीं। इसी प्रकार यदि व्यापार के लिए कोई भवन कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर लिया गया है तथा पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही किन्हीं कारणों से व्यापार बन्द हो जाता है तो धारा ३७ के अन्तर्गत व्यापार बन्द होने के बाद के वर्षों के लिए पट्टे के लिए दी जाने वाली राशि को भी कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है।

इस धारा के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने वाले व्यय को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—

(१) ऐसा व्यय धारा ३० से ३६ तक किसी भी धारा के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किये जाने वाले व्ययों से भिन्न होना चाहिए अर्थात धारा ३७ के

अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय ऐसा होना चाहिए जोकि धारा ३० से ३६ तक किसी भी धारा के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जा सके।

(२) कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय **व्यापारिक वर्ष में ही** किया जाना चाहिए।

(३) ऐसा व्यय करदाता द्वारा चलाये गये **व्यापार के सम्बन्ध में ही होना** चाहिए, जिसके लाभों एवं कर की गणना करनी है और यह व्यय व्यापार चालू करने के बाद ही किया गया होना चाहिए।

(४) कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय **पूँजीगत व्यय अथवा करदाता का वैयक्तिक व्यय नहीं होना चाहिए।**

इसी प्रकार पूँजीगत व्ययों को भी कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, परन्तु कानून के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय ह्रास के रूप में लाभ में से घटाये जाते हैं।

(५) व्यय पूर्ण रूप से केवल **व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य के लिए** किया जाना चाहिये अर्थात व्यापार अथवा व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। व्यय व्यापार चालू करने के पश्चात् ही किया गया होना चाहिए।

इस प्रकार धारा ३७ कुछ ही व्ययों पर लागू होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित है। इस धारा के अन्तर्गत व्ययों की उन सभी मदों को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जिन्हें एक साधारण व्यापारी अपने शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए घटा देता है।

सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार **कोई भी व्यय जिसके लिए धारा ३७ के अन्तर्गत छूट माँगी जाती है, पूर्ण एवं पृथक रूप से व्यवसाय के लिए किया गया है अथवा नहीं, यह व्यापार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निश्चित करने के लिए कि कोई विशेष व्यय कटौती के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं, व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों एवं व्यय के व्यापार के लिए उपयोगिता को ध्यान में रखना पड़ता है।**

(१६) मनोरंजन व्यय (Entertainment Expenditure)

वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष में भारत में अथवा भारत के बाहर हुए मनोरंजन व्ययों को कटौती के रूप में स्वीकार किया जायेगा। किन्तु यदि ऐसे मनोरंजन व्यय निम्न सीमाओं के अन्तर्गत कटौती योग्य हैं—

(*i*) व्यापार अथवा पेशे के प्रथम १० लाख रु० के लाभों (विकास सम्बन्धी छूट एवं मनोरंजन व्यय की राशि को घटाने से पूर्व) पर	१/२% या ५,००० रु० (Whichever is higher)

(*ii*) अगले ४०,००,००० रु० के लाभों पर — १/४%

(*iii*) अगले १,२०,००,००० रु० के लाभों पर — १/८%

(*iv*) शेष पर — nil

इस प्रकार मनोरंजन व्यय के सम्बन्ध में कटौती योग्य सीमा अधिकतम ३०,००० रु० है। **[धारा ३७ (२), ३७ (२A)]**

(१७) विज्ञापन पर किये गये व्यय (Expenditure on Advertisement)

विज्ञापन पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट निम्न सीमाओं से अधिक नहीं होगी—

(अ) उपहार या भेंट के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वीकृत विज्ञापन व्यय भेंट की जाने वाली प्रति वस्तु के ५० रु० तक के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(ब) यदि विज्ञापन व्यय विदेशों में किया जाता है और उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो उतना विज्ञापन व्यय जितने की विदेशी मुद्रा स्वीकृत हो चुकी है, कटौती योग्य माना जाता है।

नोट—(*i*) २५०० रु० से अधिक के एकमुश्त विज्ञापन व्यय यदि क्रॉस चैक या क्रॉस बैंक ड्राफ्ट से नहीं किये जायें तो इनको स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(*ii*) आय-कर अधिकारी किसी भी ऐसे विज्ञापन व्यय को अस्वीकृत कर सकता है जो उसकी दृष्टि में व्यापार की आवश्यकता से अधिक है और वह करदाता के रिश्तेदार या करदाता कम्पनी में सारवानहित रखने वाले व्यक्ति को किया जाय। **[धारा ६ B]**

(१८) वैधानिक एवं अवैधानिक व्यय (Legal and Illegal Expenditure)

यद्यपि धारा ३७ में स्पष्ट रूप से यह नहीं दिया गया है कि कटौती के रूप में स्वीकार किया जाने वाला व्यय वैधानिक होना चाहिए फिर भी परोक्ष रूप से यह दिया गया है कि व्यापार को वैधानिक रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यय ही कटौती के रूप में स्वीकार किये जायेंगे। यदि कुछ व्यय व्यापार को अवैधानिक रूप से चलाने के कारण आवश्यक हो जाय तो ऐसे व्यय की राशि के लिए कटौती स्वीकार नहीं की जायगी। इस प्रकार करदाता द्वारा किसी कानून को भंग करने पर (जैसे—सीमा शुल्क, उत्पादन कर अथवा अन्य किसी नियम के खण्डन करने पर) किये गये सभी खर्चे एवं जुर्माने की राशि के लिए कटौती स्वीकार नहीं की जायगी क्योंकि यह राशि व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से खर्च नहीं की गई है।

तथापि वे सभी हानियाँ एवं सम्बन्धित खर्चे जोकि अवैधानिक व्यापार के करने में हुए हैं, उनकी आय की गणना के लिए कटौती के योग्य हैं।

धारा ३७ के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किये जाने वाले अथवा स्वीकार न किये जाने वाले व्ययों के उदाहरण

(अ) वैधानिक व्यय (Legal Expenses)

(*i*) वे सभी **वैधानिक व्यय जो** व्यापार में **सामान्य रूप से** व्यापारिक **दायित्व से बचने के लिए सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा हेतु** अथवा **अलाभकारी व्यापारिक सम्बन्धों की समाप्ति के लिए** किये जाते हैं—जैसे अवांछनीय कर्मचारियों को पदच्युत करने के लिए किये गये वैधानिक व्यय, धारा ३७ के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं क्योंकि ये सभी वैधानिक व्यय व्यापार के लिए किये जाते हैं।

(*ii*) कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा किये गये वे सभी वैधानिक व्यय जोकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके **डायरेक्टर के चुनाव की वैधानिकता के विरुद्ध** चलाये गये मुकदमे की कार्यवाही हेतु किये गये हैं, स्वीकृत कटौती माने गये हैं क्योंकि वे व्यय डायरेक्टर द्वारा अपनी आय की रक्षा हेतु किये जाते हैं।

(*iii*) वे सभी व्यय जो किसी ऐसे **वाद की प्रतिरक्षा हेतु हैं** जो करदाता के व्यापार की स्थिरता को प्रभावित करता हो, कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किये जाते, क्योंकि इस प्रकार के **व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति के होते हैं।**

(*iv*) एक साझीदार द्वारा **साझेदारी भंग करने** अथवा फर्म का हिसाब माँगने के लिए चलाये गये मुकदमे की कार्यवाही हेतु किये गये व्यय फर्म के लाभ में से नहीं घटाये जा सकते; परन्तु एक कम्पनी की स्थिति में **कम्पनी को बन्द करने के लिए** चलाये गये मुकदमे का विरोध करने के लिए किये गये व्यय कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।

(*v*) दीवानी मुकदमे में किये गये वे सभी व्यय जो **करदाता द्वारा व्यापारी की हैसियत से किये जाते** हैं तथा जो व्यापार अथवा पेशे के लिए आवश्यक हैं, कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं; परन्तु फौजदारी मुकदमों पर किये गये व्यय कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(*vi*) **पूंजीगत सम्पत्ति की प्राप्ति से सम्बन्धित** मुकदमों पर किये गये

वैधानिक व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं, अतः ऐसे व्ययों के लिए **कटौती स्वीकार नहीं की जाती** ; परन्तु वे सभी व्यय जो व्यापार की **पूँजीगत सम्पत्ति की रक्षा हेतु किये गये हैं, कटौती के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं** बशर्ते कि पूँजीगत सम्पत्ति पहले ही प्राप्त की जा चुकी हो ।

(ब) ऋण लेने के लिए किये गये व्यय (Expenditure for Raising Loan)

सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार वे सभी व्यय जिनमें स्टाम्प की लागत, रजिस्ट्रेशन फीस, वकील की फीस, इत्यादि सम्मिलित हैं तथा जो ऋण लेने के लिए किये जाते हैं, कटौती के रूप में स्वीकार किये जाते हैं, चाहे ऋण दीर्घ-कालीन हो अथवा अल्पकालीन । इस प्रकार के व्यय पूँजीगत प्रकृति के नहीं हैं परन्तु ये व्यय व्यापार के लिए किये जाते हैं । **अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में किये गये व्यय कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।**

(स) क्षतिपूर्ति का भुगतान (Compensation Payments)

(*i*) व्यापार को लापरवाही से चलाने के कारण करदाता द्वारा चुकाई जाने वाली **क्षतिपूर्ति की राशि** स्वीकृत कटौती है ।

(*ii*) **एजेन्सी को समाप्त करने के** लिए एजेन्ट को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि भी स्वीकृत कटौती है क्योंकि इसके एक बार भुगतान करने से भुगतान करने वाला वार्षिक भुगतान से छुटकारा पा जाता है ।

(*iii*) किसी **प्रसंविदे की समाप्ति के लिए भुगतान** की गई क्षतिपूर्ति की राशि भी स्वीकृत कटौती है बशर्ते कि प्रसंविदा माल के सम्बन्ध में था न कि पूँजीगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में ।

(द) कर्मचारियों को भुगतान (Payments to Employees)

यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है और जिस प्रसंविदे के अन्तर्गत यह भुगतान किया जाता है वह भी विद्यमान है तो भी आय-कर विभाग को यह अधिकार है कि वह उन अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों की भी जाँच कर सकता है जिसके अन्तर्गत यह भुगतान किया गया है । यह इसलिए है ताकि इस बात को जाना जा सके कि व्यय, जिसकी कटौती स्वीकार की जाती है, का कौन-सा भाग पूर्ण एवं पृथक् रूप से व्यापार के लिए किया गया है ।

(*i*) कर्मचारियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक, यदि यह **भुगतान पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए ही किया गया है**, तो स्वीकृत कटौती है ।

(*ii*) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को उस समय के लिए जिसमें कि

वे किसी **फौजदारी मुकदमे की** जाँच के कारण जेल में थे, भुगतान किये गये वेतन की राशि पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए किये गये भुगतानों की भाँति कटौती के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसी राशि का केवल वह भाग जो उन दिनों के लिए है जबकि वह कर्मचारी उस अवधि में छुट्टी पाने का अधिकारी था, कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा।

(*iii*) धारा ४०(c) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा **डायरेक्टर को** किसी ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी में **समुचित हित रखता** हो अथवा डायरेक्टर या ऐसे व्यक्ति **के सम्बन्धी** को दी गई कोई भी पारिश्रमिक, लाभ अथवा सुविधा की राशि को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक **रूप से अस्वीकृत** किया जा सकता है। यदि आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण से वह व्यय अनुचित अथवा अधिक हो।

(*iv*) कर्मचारियों को उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने तथा नौकरी स्थिर करने के लिए दिया गया **पेंशन, ग्रेच्युटी** अथवा **अन्य कोई भुगतान स्वीकृत कटौती** है, क्योंकि ये व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए किये जाते हैं। परन्तु किसी **एक कर्मचारी को भुगतान की गई ग्रेच्युटी** की राशि की कटौती स्वीकार नहीं की जायगी बशर्ते कि ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यापारी द्वारा सामान्य रूप से किसी भी परिस्थिति में न किया जाता हो।

(*v*) रिटायर होने वाले **साझीदार को स्वेच्छा से किया गया** भुगतान ऐच्छिक प्रकृति एवं पूर्व की सेवाओं के लिए होता है। जब तक कि व्यय की राशि का भुगतान व्यापार के भावी हित के लिए न किया जाय तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए किया गया है। अतः इसके लिए कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायगी।

(*vi*) एक कम्पनी द्वारा अपने **कर्मचारी को, कम्पनी के समापन पर दी गई ऐच्छिक पेंशन** अथवा अन्य भुगतान की राशि के लिए कटौती स्वीकार नहीं की जा सकती।

(*vii*) मालिक द्वारा **श्रमिकों की छँटनी पर** भुगतान की गई **क्षतिपूर्ति की** राशि अथवा नोटिस के अभाव में किये गये भुगतान की राशि जोकि उसे कानूनी तौर पर भुगतान करनी थी तथा जिसे वह व्यापार की समाप्ति से पूर्व करता है, स्वीकृत कटौती है।

(*viii*) **औद्योगिक संघर्ष के कारण कर्मचारियों को दी जाने वाली बोनस की राशि** के लिए उस गत वर्ष में कटौती स्वीकार की जायगी जिसमें यह दायित्व

देय है। इस प्रकार का दायित्व कर्मचारी एवं मालिक के बीच **किसी** प्रसंविदे के कारण अथवा बाद में दोनों के बीच झगड़ा होने पर औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा बोनस अधिनियम पारित किये जाने पर उत्पन्न होती है।

(*ix*) मालिक द्वारा **कर्मचारी को पदच्युत करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति** की राशि स्वीकृत कटौती है बशर्ते कि व्यापार बन्द न हुआ हो।

(*x*) **अवधि से पूर्व प्रबन्ध-संचालक को पदच्युत करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति** की राशि स्वीकृत कटौती है, यदि कम्पनी ने यह कार्य व्यापार के हित में किया हो। आय-कर विभाग द्वारा इस भुगतान को अथवा इसके किसी भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता चाहे न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए किया गया दावा सफल हुआ हो अथवा नहीं।

(*xi*) व्यापार के हित में किसी **कर्मचारी से छुटकारा पाने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि भी स्वीकृत** कटौती है।

(*xii*) किसी कर्मचारी से **प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यापार न करने के लिए किये गये प्रसंविदे के प्रतिफलस्वरूप दी गई राशि पूँजीगत व्यय की राशि** है। अतः इसके लिए कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायगी।

(*xiii*) **श्रमिक कल्याण के लिए** किया गया व्यय जो लाभगत प्रकृति का है, कटौती के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(य) अन्य फुटकर व्यय (Miscellaneous Expenditure)

(*i*) **भवन, प्लाण्ट, मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का बीमा कराने पर इसके** लिए दी जाने वाली प्रीमियम की राशि के लिए धारा ३०,३१ और ३६ के अन्तर्गत कटौती स्वीकार की जाती है। **अन्य किसी प्रकार के बीमे के लिए दी जाने वाली** प्रीमियम की राशि के लिए धारा ३७ के अन्तर्गत कटौती स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार के अन्य **बीमे में निम्न के लिए किये गये बीमे सम्मिलित हैं**—(*i*) अग्नि से क्षति के कारण **व्यापार के लाभ में कमी के बचाव** के लिए किया गया बीमा, (*ii*) ऐसे **कर्मचारी का जीवन बीमा** जिसका व्यापार पर बहुत प्रभाव है तथा जिसकी मृत्यु से व्यापार के लाभ कम होने की आशंका है, अथवा (*iii*) **कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न दायित्वों के लिए** अथवा कर्मचारियों के साथ दुर्घटना के लिए किया गया बीमा।

(*ii*) मालिक द्वारा **कर्मचारी के अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में दिया गया अंशदान स्वीकृत कटौती है**, यदि यह फण्ड एक ऐसे ट्रस्ट का निर्माण

करता है जिसको भंग न किया जा सकता हो तथा मालिक के अंशदान का कोई भी भाग उसके द्वारा वापस प्राप्त न किया जा सकता हो। **यदि यह फण्ड मालिक द्वारा नियन्त्रित होता है तो इसमें उसके द्वारा दिया कोई भी अंशदान कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा बल्कि मालिक के अंशदान का वह भाग जोकि कर्मचारी को सेवा काल के उपरान्त दिया जाता** है तथा ऐसी राशि पर देय सम्पूर्ण ब्याज की राशि को ही कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा, वशर्ते कि ऐसी राशि पर देय आय-कर की राशि को इसमें से घटा दिया गया हो।

(*iii*) एक **व्यापार अथवा पेशे से दिया गया चन्दा** स्वीकृत कटौती है, यदि इस चन्दे का भुगतान व्यापार के लिए अनिवार्य हो अथवा यदि इसका भुगतान व्यापार के विस्तार और भुगतान करने वाले के लाभ के लिए किया गया हो।

(*iv*) **दिवाली, दशहरा, मुहूर्त, नया वर्ष अथवा अन्य अवसर पर उत्पन्न हुए व्यय व्यापार के स्वरूप को देखते हुए कटौती योग्य है।**

(*v*) **बिक्री-कर एक स्वीकृत कटौती** है परन्तु **सम्पत्ति** कर अथवा **सम्पदा शुल्क नहीं**। बिक्री-कर के निर्धारण के लिए तथा उसकी **अपील के लिए वकील अथवा** एकाउण्टेण्ट को दी जाने वाली फीस भी स्वीकृत कटौती है।

(*vi*) **राजनैतिक पार्टियों को अथवा राजनैतिक कारणों से दिया गया चन्दा स्वीकृत कटौती नहीं है।** यह चन्दा करदाता के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हो सकता है परन्तु क्योंकि यह व्यय पूर्ण रूप से केवल व्यापार के लिए नहीं किये जाते। अतः इन्हें कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा।

स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय

(Expenditure Expressly Disallowed)

धारा ४० के अनुसार व्यापार अथवा पेशे से करयोग्य आय निर्धारित करने के लिए निम्न खर्चों को नहीं घटाया जायगा—

(१) किसी भी करदाता की स्थिति में

(अ) कोई ऐसा **ब्याज जिस पर कर लगना है तथा जो कि भारत के बाहर चुकाया गया है** सिवाय उस स्थिति के जबकि कर की कटौती उद्गम स्थान पर कर ली गई है अथवा ऐसे ब्याज के सम्बन्ध में एजेण्ट के रूप में कर लगाने वाला कोई व्यक्ति भारत में है।

(ब) एक व्यापार अथवा पेशे के **लाभों पर लगाया गया कोई कर** ।

(स) 'वेतन' शीर्षक में चार्ज होने वाला कोई भुगतान **यदि वह भारत** के बाहर **चुकाया गया है**, तथा जिस पर कर नहीं चुका दिया गया है अथवा जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काट लिया गया है ।

(द) कर्मचारियों के हितार्थ रखे गये किसी प्रॉविडेण्ट या अन्य फण्ड से कोई भुगतान सिवाय उस स्थिति के जहाँ पर प्रॉविडेण्ट फण्ड से उस भुगतान पर जिस पर 'वेतन' शीर्षक में कर लगना है, उद्गम स्थान पर कर-कटौती का करदाता ने कोई प्रभाव पूर्ण प्रबन्ध कर लिया है ।

(२) किसी फर्म की स्थिति में

फर्म द्वारा फर्म के **साझेदार को ब्याज, वेतन बोनस, कमीशन** अथवा **पारिश्रमिक** (Remuneration) के भुगतान । **फर्म द्वारा इनके अतिरिक्त भुगतान वर्जित नहीं है** । इस प्रकार ऐसे मकान को जो साझेदार का है तथा जिसमें फर्म अपना व्यवसाय चलाती है, यदि फर्म **साझेदार को किराये का भुगतान करती** है **तो यह स्वीकार योग्य कटौती** है । इसी प्रकार साझेदार **को दी गई** Rebate भी एक कटौती है । Rebate तथा Commission में अन्तर है । कमीशन तो सेवा का भुगतान है जबकि **रिबेट कुल प्राप्ति में से एक कटौती** है ।

(३) किसी कम्पनी की स्थिति में

कम्पनी द्वारा उत्पन्न **खर्चे का आयोजन** जो किसी संचालक को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसका कम्पनी में समुचित हित हो अथवा संचालक के या किसी ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार को पारिश्रमिक सुविधा अथवा लाभ के रूप में है अथवा कम्पनी की किसी सम्पत्ति पर कोई खर्चा व छूट, यदि उस सम्पत्ति को ऐसा कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है, तो उस खर्च की राशि तक कटौती के रूप में स्वीकार योग्य नहीं है, अथवा आय-कर अधिकारियों की राय में ऐसा खर्चा या छूट अधिक या अनुचित है ।

इस खर्च और छूट को कटौती के लिए कुल मिलाकर अधिकतम सीमा उस वर्ष में किसी एक संचालक के लिए अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए ७२,००० रुपये है ।

(४) सामान्य

ऊपर के व्ययों के अतिरिक्त, जिन्हें कानून द्वारा स्पष्टतः अस्वीकृत कर दिया गया है, निम्न व्यय, हानियाँ एवं छूट भी व्यापार अथवा व्यवसाय से लाभ की गणना करने में स्वीकार नहीं की जायेंगी—

१. मालिक अथवा साझेदारों के **आहरण** (Drawings) ।

२. मालिक के **व्यक्तिगत व्यय** ।

३. **पूँजीगत** व्यय ।

४. **बट्टे खाते** (Bad Debts) अथवा **करारोपण** (Taxation) के लिए आयोजन ।

५. **संचयों में** हस्तान्तरित **राशियाँ** ; लेकिन एक स्वीकृत वित्तीय संस्था द्वारा विशेष संचय में हस्तान्तरित राशि स्वीकार की जायगी।

६. **दान** के रूप में व्यय।

७. **आय-कर** या आय पर अन्य कोई कर। बिक्री-कर स्वीकार योग्य कटौती है लेकिन **सम्पदा-कर** (Wealth-tax) नहीं।

८. लाभ-हानि खाते में नाम लिखी **पिछले वर्षों की हानियाँ**।

९. स्वीकार की जाने वाली राशि से **अधिक ह्रास की राशि**।

१०. अन्य कोई भी व्यय जो केवल **व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए ही** न किया गया हो।

खर्चों की कटौती पर प्रतिबन्ध

कभी-कभी सम्बन्धियों अथवा सहयोगियों को सामान अथवा सेवाओं के बदले अत्यधिक भुगतान दिखाकर आय-कर दायित्व को कृत्रिम रूप से घटा दिया जाता है। इस प्रकार से आय-कर **बचाने को रोकने के लिए निम्न प्राविधान किये गये हैं**—

(१) यदि किसी व्यापार अथवा पेशे में कुछ ऐसे खर्चे किये गये हैं जिनका **भुगतान करदाता के सम्बन्धी अथवा सहयोगी को किया गया** है तो जितना खर्चा अनुचित अथवा अत्यधिक ममझा जाता है वह कटौती से रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा।

(२) यदि खर्चों **के लिए २,५०० रुपयों से अधिक का भुगतान** किया जाता है तो ऐसा भुगतान कटौती के रूप में तभी स्वीकार किया जायगा, जबकि भुगतान रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट से किया गया है।

(३) एक करदाता द्वारा एक कर्मचारी को **वेतन के भुगतान पर उत्पन्न खर्चा उस सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा जो ५,०००** रुपये प्रति माह या उसके किसी भाग से अधिक है और यह खर्चा कर्मचारी के सेवाकाल में उस सम्बन्धित गत वर्ष में भारत में हुआ है। इसी प्रकार, करदाता द्वारा भूतपूर्व कर्मचारी को वेतन के भुगतान पर उत्पन्न खर्चा उस सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा जो ६०,००० रुपये प्रति वर्ष से अधिक है।

एक करदाता द्वारा **कर्मचारी को दिये गये अनुलाभ पर** उत्पन्न **खर्चा और करदाता की सम्पत्तियों का कर्मचारी द्वारा लाभ** के लिए प्रयोग के सम्बन्ध में छूट अथवा खर्चा उस सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा जोकि निम्न दो में से कम है—

(*i*) ऐसे खर्च का वह भाग जो देय वेतन के २०% से अधिक है।

(*ii*) १,००० रुपये प्रति माह अथवा उस महीने के किसी भाग के लिए।

इस आशय के लिए यह खर्चे अथवा अनुलाभ कर्मचारी के सेवाकाल में उस सम्बन्धित गत वर्ष में भारत में हुआ है।

उपरोक्त दोनों पैराग्राफों में वर्णित अधिकतम सीमा (Ceiling Limits) निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होती—

(अ) भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए एक कर्मचारी को भुगतान।

(ब) ऐसे विदेशी तकनीशियन को भुगतान जिसका पारिश्रमिक आय-कर से मुक्त है।

(स) ऐसे कर्मचारी को भुगतान जिसकी 'वेतन शीर्षक में' आय ७,५०० रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

(४) किसी भी करदाता की करयोग्य निकालते समय नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई ग्रेच्युटी की राशि के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी यदि नियोक्ता ने कोई अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड की स्थापना नहीं की है।

इस प्रकार से स्थापित किये गये ग्रेच्युटी फण्ड में यदि निश्चित समय के अन्तर्गत कोई राशि हस्तांतरित की जाती है तो यह राशि कटौनी के रूप में स्वीकृत होगी।

(५) उन कम्पनियों द्वारा, जो बैंकिग या अन्य वित्तीय कम्पनियाँ नहीं है, जनता से स्वीकार किये गये जमाराशियों पर **कोई ब्याज १५% की दर से दिया जाता है तो यह ब्याज अस्वीकृत** होगा। किन्तु यह प्रतिवन्ध उस ब्याज पर लागू नहीं होगा जो किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में देय है। जैसे I.F.C., I.C.I.C.I., S.T.C. I.D.B.I., U.T.I., L.I.C., etc.

लाभ-हानि खाते से आय का छूट जाना
(Omission of Income from Profit & Loss Account)

यदि कोई आय लाभ-हानि खाते में न दिखलाई जाये (उदाहरणार्थ, वर्ष में एक असामान्य लाभ संचय खाते को या मालिक के पूँजी खाते को स्थानान्तरित कर दिया जाय) तो उस आय की व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया जायगा।

दूसरी ओर, यदि लाभ-हानि खाते में कोई आय की मद है जिस पर 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में कर नहीं लगता है तो उसे व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जायगा। ऐसी आय पर, यदि यह करयोग्य है, उचित शीर्षक में कर लगेगा।

लाभ-हानि खाते से व्यय का छूट जाना
(Omission of Expenditure from Profit & Loss Account)

जबकि कोई स्वीकृत **व्यापारिक व्यय** लाभ-हानि खाते को डेबिट नहीं किया जायें, बल्कि उसे उस उद्देश्य से किये गये आयोजन (Provision) से पूरा कर दिया जाय (उदाहरणार्थ; अपलिखित किये गये डूबन ऋणों को डूबत ऋणों के आयोजन से या श्रम-कल्याण के खर्चों को श्रम-कल्याण संचय खाते से पूरा कर दिया जाय) तो ऐसे खर्चे को व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए घटा लेना चाहिए।

स्कन्ध का मूल्यांकन
(Valuation of Stock)

व्यापार के लाभ निकालने में स्कन्ध के मूल्यांकन का प्रश्न भी उचित होता है। यह शायद ही कभी हो कि माल भर में खरीदा हुआ माल कोई व्यापारी सारे का सारा बेच डाले। इसलिए वर्ष का लाभ-हानि निकालने के लिए न केवल बिक्री को अपितु स्कन्ध के रूप में बच रहने वाले माल, माल भर की खरीद की लागत, पिछले वर्ष के हिसाब से आगे लाये माल का मूल्य भी विचार में लेना जरूरी है।

व्यापारिक स्कन्ध (Stock-in-Hand) का मूल्य किसी भी प्रकार स्थित किया जा सकता है। व्यापारिक हिसाब-किताब की प्रचलित पद्धति के अनुसार स्कन्ध का मूल्य लागत के हिसाब से, बाजार-मूल्य से या लागत या बाजार-मूल्य—इनमें से जो भी कम हो, उसके हिसाब से स्थिर किया जाता है। आय-कर सन्नियम में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है जो स्कन्ध के मूल्यांकन का कोई विशेष ढंग निर्धारित करता हो। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए जिस पद्धति का एक बार अनुसरण किया जा चुका है, आने वाले वर्षों के लिए भी उसी का प्रयोग किया जाये। स्कन्ध के मूल्यांकन की पद्धति में यदि कोई परिवर्तन करना है तो वह इनकम-टैक्स ऑफीसर की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

चाय कम्पनियों के लाभ (Profits of Tea Companies)

एक चाय कम्पनी, जोकि भारत मे चाय उगाती एवं बेचती है, आय व्यापार आय की तरह निर्धारित की जाती है लेकिन **ऐसी आय का केवल ४०% भाग ही करयोग्य शेष है, ६०% भाग को कृषि-आय माना जाता है।**

चीनी मिल कम्पनियों के लाभ (Profits of Sugar Mill Companies)

जब एक चीनी मिल कम्पनी का अपना कृषि फार्म है तथा वह उस पर फैक्टरी में फैक्टरी के लिए गन्ना उगाती है तथा व्यापार से करयोग्य आय की गणना करने के लिए किसी भी कृषि-उत्पादन (विशेषकर गन्ने), जोकि फार्म पर उगाया

गया तथा अपने व्यापार में कच्ची सामग्री की तरह प्रयोग किया गया हो, **के बाजार मूल्य से लाभ-हानि खाते का डेबिट करना चाहिए,** लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के उत्पादन खर्चों को कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायगा। इस प्रकार से फार्म से कृषि-आय को व्यापारिक लाभों के निर्धारण से अलग कर दिया जाता है।

Important Note.

The following illustrations should be worked out after studying the subsequent chapters dealing with :

- (*i*) **Depreciation and development rebate ;**
- (*ii*) **Capital gains ;**
- (*iii*) **Computation of total income ; and**
- (*iv*) **Deductions in computing total income.**

उदाहरण १—एक व्यापारी के ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के अग्र लाभ-हानि खाते से उसके कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के व्यापार के लाभ व कुल लाभ ज्ञात कीजिए—

	रु०		रु०
कार्यालय वेतन	४,८००	सकल लाभ	३५,५३२
सामान्य व्यय	२,५५०	कमीशन	१,२०५
डूबत ऋण अपलिखित हुए	२,१००	छूट	७५१
डूबत ऋण आयोजन	३,०००	विविध प्राप्तियाँ	५२
अग्नि बीमा प्रीमियम	४५०	डूबत ऋण प्राप्त किये	१५०
विज्ञापन	२,५००	सरकारी प्रतिभूतियों से	
आय-कर	२,३७५	ब्याज (सकल)	२,८००
पूँजी पर ब्याज	१,०००	विनियोगों की बिक्री पर	
बैंक ऋण पर ब्याज	१,५५०	लाभ (विनियोग मार्च	
अग्नि से भवन की क्षति		१९७३ में क्रय किये गये)	२,८४०
(यह भवन वीमित नहीं है)	१,५००		
ह्रास	१,२००		
शुद्ध लाभ	२०,३०५		
	४३,३३०		४३,३३०

सामान्य व्ययों में एक शिक्षा संस्था को मार्च १९७७ में दिये गये दान के ५५० रु० सम्मिलित हैं। भवन और फर्नीचर के सम्बन्ध में कटौती योग्य ह्रास की राशि १,००० रु० है। विज्ञापन व्यय में दुकान के लिए एक स्थाई साइनबोर्ड बनवाने पर किये गये व्ययों के १,५०० रु० सम्मिलित हैं।

From the following Profit & Loss Account of a merchant for

the year ended 31st December 1976 ascertain his taxable profits from business and his total income for the assessment year 1977-78.

	Rs.		Rs
Office Salaries	4,800	Gross Profit	35,532
General Expenses	2,550	Commission	1,205
Bad Debts w.itten off	2,100	Discounts	751
Provision for Bad Debts	3,000	Sundry receipts	52
Fire Insurance Premium	450	Bad Debts recovered	150
Advertising	2,500	Interest from Government Securities (gross)	2,800
Income-Tax	2,375		
Interest on Capital	1,000	Profit on Sale of investments (purchased in March 1973)	2,840
Interest on Bank Loan	1,550		
Loss of Building by fire (uninsured)	1,500		
Depreciation	1,200		
Net Profit	20,305		
	43,330		43,330

General expenses include Rs. 550 given in March 1977 as dynation to an educational institution. The amount of depreciation allowable in respect of buildings and furniture is Rs. 1,000. Included in advertising is Rs. 1,500 being the cost of a permanent sign fixed on the shop.

Solution

	Rs.	Rs.
Profit as per Profit & Loss Account		20,305
Add Expenditure not allowed :		
Donation to an educational institution	550	
Provision for bad debts	3,000	
Advertising being capital expenditure	1,500	
Income-tax	2,375	
Interest on capital	1,000	
Fire loss being capital loss	1,500	
Excess depreciation	200	10,125
		30,430
Less interest on securities considered separately	2,800	
Profits on sale of investments being capital profit	2,840	5,640
Taxable Profits of Business		24,790

1.	Interest on Securities	2,800
2.	Profits from Business	24,790

3. Capital Gains (short-term)		2,840
Gross Total Income		30,430
Deductions :		
50% of donation of Rs. 550	275	
Interest on government securities gross	2,800	3,075
Total Income		27,355
Rounded Off		27,360

उदाहरण २—आगरा की एक फर्म जूतों के निर्माण व विक्रय में लगी हुई है। ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का उसका लाभ-हानि खाता निम्न है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्टॉक	१,८३,०००	बिक्री	११,९५,०००
माल का क्रय	४,१०,०००	भारतीय कम्पनी से	
मजदूरी व वेतन	२,५०,०००	लाभांश	५,०००
आगरा विश्वविद्यालय को दान	५,०००	अंतिम स्टॉक	१,९०,०००
कार्यालय व्यय	१,२०,०००		
कानूनी व्यय	५,०००		
विज्ञापन व्यय	७०,०००		
अनुसंधान व्यय	६०,०००		
अंकेक्षण व्यय	१,०००		
ह्रास	७०,०००		
विविध व्यय	९०,०००		
शुद्ध लाभ	१,२६,०००		
	१३,९०,०००		१३,९०,०००

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिए—

(१) विज्ञापन व्यय में से ३०,००० रु० भारत निर्यात के प्रोत्साहन पर व्यय हुए।

(२) अनुसंधान व्यय का २/३ पूँजीगत व्यय है।

(३) कानूनी व्यय में १,००० रु० जमीन के क्रय से सम्बन्धित हैं।

(४) ६०,००० रु० लागत की नई मशीन दिसम्बर १९७६ में क्रय की व स्थापित की।

(५) स्थाई सम्पत्तियों (नई मशीन को छोड़कर) पर स्वीकृत ह्रास ५०,००० रु० ।

(६) भूतकाल में हमेशा लागत मूल्य पर स्टॉक का मूल्यांकन किया गया परन्तु ३१-१२-१९७६ में इसका मूल्यांकन लागत से ५% कम मूल्य पर किया गया ।

A firm of Agra is engaged in the manufacture and sale of shoes. Its Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1976 is given below :

	Rs.		Rs.
Opening Stocks	1,83,000	Sales	11,95,000
Purchases of Materials	4,10,000	Dividends from	
Wages and Salaries	2,50,000	Indian companies	5,000
Donation to Agra		Closing Stocks	1,90,000
University	5,000		
Office Expenses	1,20,000		
Law Charges	5,000		
Advertisement Expenses	70,000		
Research Expenditure	60,000		
Audit Fee	1,000		
Depreciation	70,000		
Miscellaneous Expenses	90,000		
Net Profit	1,26,000		
	13,90,000		13,90,000

After taking the following information into account, compute the total income of the firm for the assessment year 1977-78.

1. Of the advertisement expenses, Rs. 30,000 was incurred outside India for promoting sales of shoes abroad.
2. Two-thirds of research expenditure is capital expenditure.
3. Law charges amounting to Rs. 1,000 were incurred in connection with the purchase of additional land.
4. New Machinery costing Rs. 60,000 was purchased and installed on 21st December 1976.
5. Depreciation allowable on fixed assets (other than new machinery) is worked out at Rs. 50,000.
6. The stock was always valued at cost in the past, but on 31-12-1976 it was valued at 5% below cost.

Solution

	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account	1,26,000
Less Dividends considered separately	5,000
	1,21,000

				Rs.
Add Donation to Agra University			5,000	
Depreciation			70,000	
Law charges being capital expenditure			1,000	
Undervaluation of closing stocks being 1/19 of Rs. 1,90,000			10,000	86,000
				2,07,000
Less Depreciation :	Old assets	50,000		
	New machinery at 10%	6,000	56,000	
Extra one-third of export promotion advertising as the allowance for such expenditure is one and one-third times			10,000	66,000
	Taxable Business Income			1,41,000
1. Business Income				1,41,000
2. Other Sources : Dividends from Indian companies assumed to be gross				5,000

Note : No development rebate is allowable as the assessee does not own small scale industrial undertaking and is not engaged in the manufacture of articles included in the Ninth Schedule.

Gross Total Income		1,46,000
Deductions :		
50% of donation to Agra University	2,500	
in respect of dividends	3,000	5,500
Total Income		1,40,500

उदाहरण ३—'एक्स' एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट है जो निजी प्रैक्टिस करते हैं। वह निजी कोचिंग इन्सटीट्यूट भी चलाते हैं। वह अपनी पुस्तकें रोकड़ पद्धति पर रखते हैं। उनका ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का रोकड़ खाता निम्न है—

	रु०		रु०
शेष लाये	९,५१४	कार्यालय व्यय	४,१५०
अंकेक्षण फीस	१४,७५०	संस्था के व्यय	९०२
अन्य लेखा कार्य से आय	५,४७५	व्यक्तिगत व्यय	३,५१९

संस्था से प्राप्त फीस	२,१००	सदस्यता व प्रमाण-पत्र फीस	१४३
परीक्षक के रूप में फीस	६४५	जीवन बीमा प्रीमियम	१,२५०
विनियोगों पर ब्याज	४,०००	आय-कर	२,४६३
सम्पत्ति से प्राप्त किराया (इस पर कोई स्थानीय कर नहीं लगता)	४,३००	कार-क्रय की	३,४५०
		कार व्यय	४२०
		सम्पत्ति का बीमा	३००
		शेष आगे ले गये	२४,१५७
	४०,७८४		४०,७८४

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी गत वर्ष १९७६-७७ की कुल आय की गणना कीजिए—

(अ) कार्यालय व्ययों में कार्यालय के लिए क्रय की गई तकनीकी पुस्तकों के १७३ रु० सम्मिलित हैं।

(ब) कार के व्यय का १/३ भाग उसके पेशे के कार्य से सम्बन्धित है।

(स) उसके सभी विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में हैं।

(द) कार व फर्नीचर के लिए स्वीकृत ह्रास १,१४२ रु० है।

X is a practising chartered accountant. He also runs a private accountancy coaching institute. He keeps his books on a cash basis, and his summarised cash account for the year ended 31st March 1977 is as under :

	Rs.		Rs.
To Balance b/d	9,514	By Office Expenses	4,150
,, Audit Fees	14,750	,, Institute Expenses	902
,, Income from other accountancy work	5,475	,, Personal Expenses	3,519
,, Institute Fees	2,100	,, Membership and Certificate Fees	143
,, Examiner's Fees	645	,, Life Insurnce Premiun	1,250
,, Interest on investments (net)	4,000	,, Income-Tax	2,493
,, Rent from Property (not subject to any local taxes)	4,300	,, Motor-car purchased	3,450
		,, Motor-car expenses	420
		,, Insurance of Property	300
		,, Balance c d	24,157
	40,784		40,784

Having regard to the following information, compute his total income for the previous ye r 1976-77 :

(*a*) Office expenses included Rs. 173 for technical books purchased for his office.

(*b*) One-third of motor-car expenses is in respect of his professional practice.

(*c*) His investments are all in Government securities.

(*d*) Depreciation allowance for motor-car and furniture is Rs. 1,142.

Solution

		Rs
Gross Professional earnings :		
Audit Fees	14,750	
Income from accountancy work	5,475	
Institute Fees	2,100	
Examiner's Fees	645	22,970
Less Admissible Expenditure :		
Office Expenses	3,977	
Institute Expenses	902	
Membership Fees	143	
Motor-car Expenses (1/3)	140	
Cost of books being less than Rs. 750	173	
Depreciation	1,142	6,477
Income from Profession		16,493
1. Interest on Securities gross, tax deducted at source being 23%		5,195
2. Income from house property :		
Annual Value	4,300	
Less 1/6 for repairs	716	
	3,584	
Less Insurance	300	3,284
3. Income from profession		16,493
Gross Total Income		24,972
nder section 80C : for insurance premium of Rs. 1,250	1,250	
nder section 80L : interest on government securities (maximum)	3,000	4,250
Total Income		20,722
Rounded Off		20,720

The compulsory membership and certificate fees are an allowable deduction.

उदाहरण ४—३० जून, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का एक चीनी मिल का लाभ-हानि खाता निम्न है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	१,८२,३००	विक्री	२६,५०,५००
पेरे गये गन्ने का मूल्य	१२,५७,७००	विविध प्राप्तियाँ	७,७००
उत्पादन व्यय	७,९८,५००	चीनी व अन्य सामान	
मजदूरी व वेतन	२,००,०००	का अन्तिम रहतिया	३,६६,०००
मरम्मत व नवीनीकरण	४०,७००		
स्थापना व्यय	४१,६००		
विक्रय पर कमीशन	६२,५००		
संचालक शुल्क	३,६००		
अंकेक्षण फीस	१,०००		
सामान्य व्यय	१७,८००		
प्रवन्ध संचालक का पारिश्रमिक	७८,६००		
ह्रास	१,३०,७००		
कर के लिए आयोजन	१,००,०००		
शेष ले गये	१,०९,२००		
	३०,२४,२००		३०,२४,२००
सामान्य संचय	१५,०००	शेष लाये	१,०९,२००
प्रस्तावित लाभांश	८०,०००		
शेष चिट्ठे में ले गये	१४,२००		
	१,०९,२००		१,०९,२००

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए—

(अ) पेरे गये गन्ने की लागत में १,५४,००० रु० कम्पनी के फार्म पर पैदा किया गया गन्ना है। इसका औसत बाजार मूल्य १,९६,००० रु० था।

(ब) उत्पादन व्यय में निम्न सम्मिलित हैं—
उत्पादन शुल्क ; ४,२६,००० रु०।

जुलाई १९७५ में स्थापित अनुसंधान लेबोरेटरी का स्थापन व्यय ६७,००० रु० और ११,००० रु० इसके चालू व्यय।

(स) प्रतिस्थापना व्यय में ३,२०० रु० क्षतिपूर्ति के सम्मिलित हैं जो एक ऐसे कर्मचारी को दी गई जिसकी सेवायें अब कम्पनी के हित में अपेक्षित नहीं हैं।

(द) १,००० रु० मूल्य की चीनी एक अनाथ आश्रम को निःशुल्क वितरित की गई।

(य) मरम्मत व नवीनीकरण के व्ययों में १५,००० रु०, जून १९७६ में लगाई गई अतिरिक्त फैक्टरी भवन की लागत के सम्मिलित है।

(र) स्वीकृत ह्रास ९८,२०० रु० है।

Given below is the Profit & Loss Account of a sugar mill company for the year ended 30th June 1976 :

	Rs.		Rs.
Opening Stock of Sugar and Molasses	1,82,300	Sales	26,50,500
Cost of cane crushed	12,57,700	Sundry Receipts	7,700
Mfg. Expenses	7,98,500	Closing Stock of Sugar and Molasses	3,66,000
Wages and Salaries	2,00,000		
Repairs and Renewals	40,700		
Establishment Charges	41,600		
Commission on Sales	62,500		
Directors' Fees	3,600		
Auditor's Fees	1,000		
General Charges	17,800		
Managing Director's Remuneration	78,600		
Depreciation	1,30,700		
Provision for Taxation	1,00,000		
Balance c/d	1,09,200		
	30,24,200		30,24,200
Ganeral Reserve	15,000	Balance b/d	1,09,200
Proposed Dividend	80,000		
Balance carried to B/S	14,200		
	1,09,200		1,09,200

After taking the following information into consideration compute the total income of the company for the assessment year 1977-78 :

(*a*) Cane crushed includes Rs. 1,54,000 being cost of cane grown on the company's own farm, the average market price of such cane being Rs. 1,96,000.

(*b*) Manufacturing expenses include Rs. 4,26,000 for excise duty, Rs. 67,000 capital expenditure on a new scientific research laboratory set up in July 1975 and Rs. 11,000 for its maintenance during the year.

(*c*) Establishment charges include Rs. 3,200 paid as compensation to an employee whom it was not desirable to keep in the service of the company.

(*d*) Sugar worth Rs. 1,000 was given away free to an orphanage.

(*e*) Rs. 15,000 (cost of additions to factory buildings in June 1976 has been charged to repairs and renewals.

(*f*) Admissible depreciation amounts to Rs. 98,200.

Solution

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		1,09,200
Less Agricultural income (Rs. 1,96,000 *less* Rs. 1,54,000) included therein		42,000
		67,200
Add Value of sugar given away as donation not shown in Profit & Loss Account		1,000
		68,200
Add Inadmissible Expenditure :		
Provision for Taxation	1,00,000	
Addition to factory building	15,000	
Excess depreciation	32,500	1,47,500
Total Income		2,15,700

No deduction can be allowed on account of donation of sugar. The donation must be paid in cash.

Compensation paid to an employee whom it is not desirable to keep in the service of the company is an allowable deduction, because his continuing in service is detrimental to the profitable conduct of the company's business.

Capital expenditure incurred after 31st March 1976 on scientific research relating to the business of the assessee is an admissible deduction. It is assumed that the scientific research in this case is related to the business of the company.

उदाहरण ५—'एक्स' एक सामान्य व्यापारी है। उसने भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का व्यापार करके काफी धन कमाया है। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी वैध व्यापार की आय ८,००० रु० तथा अवैध व्यापार

की आय ६०,००० रु० है । बाद वाली आय के सम्बन्ध में वह निम्न कटौतियों की की माँग करता है—

(अ) सीमा पुलिस को लघु राशियों में दी गई राशि, जिन्होंने माल को अवैधानिक तरीके से लाने में कोई रुकावट नहीं डाली, ५,००० रु० ।

(ब) तटकर अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये माल का मूल्य १०,००० रु० ।

(स) भूमि तटकर अधिनियम के खण्डन करने पर लगाया गया जुर्माना २,००० रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए ।

X is a general marchant. He earns a sizeable income from the illegal activity of sumuggling goods on the Indo-Pakistan border. For the assessment year 1977-78 his income from legal business has been computed at Rs. 8,000 but that from illegal business amounts to Rs. 60,000. In connection with the latter income he claims the following deductions :

(*a*) Rs. 5,000 paid as tips in small amounts on various occasions to the members of the border police who, in consequence, allowed him more or less a free hand in pursuing his illegal activities.

(*b*) Rs. 10,000 value of goods which were seized and forfeited by the land customs authorities.

(*c*) Rs. 2,000 cash penalty imposed by the above authorities for breach of Land Customs. Act.

Work out his total income for the assessment year in question.

Solution

The taint of illegality or wrong-doing associated with the income is immaterial for the purpose of taxation under the Income-Tax Act. In other words, the Income-Tax Act does not differentiate between legal and illegal sources of income. Illegal income is as much liable to tax as legal income.

In regard to the three items claimed as deductions from the amount of illegal income, it must be pointed out that what *section* 28 *taxes under* the head "Profits and Gains of Business or Profession" is the real net profit from a business. An illegal business can be run only by incurring certain unlawful losses and expenses. If there is nothing in the Income-Tax Act to take illegal business out of the tax net, there is no prohibition against the allowance of illegal expenses or losses in computing the net profit of an illegal business.

If the assessee's Income from illegal business is to be taxed, the correct amount of that income can be determined only by allowing the deduction of all the losses sustained and expenses incurred in the course of carrying on that business.

His total income for the assessment year 1977-78 will therefore be as follows :

	Rs.	Rs.	Rs.
Income from legal business			8,000
Income from illegal business		60,000	
Less Admissible expenses and losses :			
Tips to police being incurred holly for purposes of business and not for any other purposes	5,000		
Value of goods seized being loss incidental to business	10,000		
Penalty being imposed on him in his character as a trader and not because he was a law-breaker	2,000	17,000	43,000
Total Income			51,000

उदाहरण ६—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी के निम्नलिखित 'लाभ-हानि खाते' से कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी 'व्यापार शीर्षक' की आय तथा उसकी कुल आय की गणना कीजिए :

लाभ-हानि खाता

	रु०		रु०
सामान्य व्यय	३,०००	सकल लाभ	४०,०००
विज्ञापन	१,०००	वसूल हुए अशोध्य ऋण	१००
अग्नि बीमा प्रीमियम	५००	सरकारी प्रतिभूतियों पर	
वेतन	६,०००	ब्याज (सकल)	३,०००
अशोध्य ऋणों के लिए संचय	२,०००		
आय-कर के लिए संचय	१,०००		
ह्रास के लिए संचय	३,०००		
पूँजी पर ब्याज	१,०००		
डाक, तार इत्यादि	४००		
बैंक ऋण पर ब्याज	१,१००		
बिक्री कर	१,०००		
कानूनी व्यय	५००		
शुद्ध लाभ	२२,६००		
	४३,१००		४३,१००

सामान्य व्यय में ३०० रु० सम्मिलित हैं, जोकि एक मान्यता प्राप्त स्कूल को दान में दिये गये थे। वर्ष में वास्तविक अशोध्य ऋण ६०० रु० लिखे गये। वर्ष में १,५०० रु० वास्तव में आय-कर के भुगतान किये गये। स्वीकृत ह्रास २,००० रु० है। विज्ञापन में वे ५०० रु० सम्मिलित हैं जोकि बाजार में नयी दुकान खोलने पर एक 'विशेष विज्ञापन अभियान' पर खर्च हुए थे। कानूनी व्यय ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में हैं। (आगरा, एम० काम०, १९७५)

From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31st March, 1977 find out his income from business and his total income for the assessment year 1977-78.

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
General Expenses	3,000	Gross Profit	40,000
Advertising	1,000	Bad Debts recovered	100
Fire Insurance Premium	500	Interest from Government Securities (Gross)	3,000
Salaries	6,000		
Provision for Bad Debts	2,000		
,, ,, Income-tax	1,000		
,, ,, Depreciation	3,000		
Interest on Capital	1,000		
Postage, Telegram, etc.	400		
Interest on Bank Loan	1,100		
Sales-tax	1,000		
Law Charges	500		
Net Profit	22,600		
	43,100		43,100

General expenses include Rs. 300 given as a donation to a recognised school. Actual bad debts written off during the year amount to Rs. 600. Actual amount of income-tax paid during the year is Rs. 1,500. The amount of depreciation allowable is Rs. 2,000. Advertising expenses include Rs. 500 spent on special Advertising Campaign to open a new shop in the market. Law charges are in connection with a trade mark. *(Agra, M. Com., 1975)*

Solution

	Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		22,600
Add Expenses not allowed :		
Donation to a recognised school	300	
Provision for Bad Debts	2,000	
,, ,, Income-tax	1,000	
,, ,, Depreciation	3,000	

Interest on Capital	1,000	7,300
		29,900
Less Deduction allowed but not charged :		
Bad Debts	600	
Depreciation allowable	2,000	2,600
		27,300
Less Interest from Government Securities not chargeable under the head of business		3,000
Income from Business		24,300

Total Income

			Rs.
1.	Interest on Securities		3,000
2.	Income from Business		24,300
	Gross Total Income		27,300
Less	(*i*) Deductions for donations 50% of Rs. 300	150	
	(*ii*) Deduction for Securities u/s 80L	3,000	3,150
	Total Income		24,150

Note :

Special advertising campaign expenses are admissible deductions.

उदाहरण ७—क्या करदाता द्वारा किये गये निम्न व्यय व्यापार की करयोग्य आय की गणना करते समय घटाये जायेंगे—

(अ) आय-कर की अग्रिम राशि कम जमा करने पर चुकाया गया ब्याज।

(ब) धन-कर चुकाया।

(स) अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान।

(द) धमकी दी गई हड़ताल को वापस लेने के लिए मजदूरों के नेता को गुप्त धन दिया।

(य) राजनैतिक पार्टी को दान।

(र) वेतन पाने वाले विक्रय एजेण्ट को उपहार में दिया गया ट्रांजिस्टर सेट की लागत।

(ल) नया टेलीफून लगवाने का व्यय।

(ह) बिक्री-कर चुकाया।

Are the following expenses incurred by an assessee deductible in computing taxable income from business ?

(*a*) Interest paid on account of inadequate advance payments of tax.

(*b*) Wealth-tax paid.

(*c*) Ex-gratia payment to a retiring employee.

(*d*) Secret payment to a labour leader for calling off a threatened strike.

(*e*) Donation to a political party.

(*f*) Cost of a transistor set presented to a paid selling agent.

(*g*) Cost of a installing a new telephone.

(*h*) Sales-tax paid.

Solution

(*a*) Only interest on capital borrowed for purposes of business is admissible. Penal interest which an assessee pays on account of inadequate advance payments of tax is not of this character. The expenditure is also not admissible under section 37 because it is not incurred for the purpose of the business

(*b*) Wealth-tax is a tax on the value of the net assets owned by an assessee. It is an incidence of the owning of property and it has no connection with the business It is therefore not allowed as a deduction.

(*c*) The ex-gratia payment to a retiring employee is voluntary and for past services. Unless the expenditure is incurred in the future interests of the business, it cannot be said that the payment is laid out for the purposes of the business. It is therefore not admissible as a deduction.

(*d*) The secret payment to a labour leader for calling off threatened strike can be allowed as it is laid out for the purpose of business provided the payment is proved. In practice it is not possible to produce a receipt for such payment Therefore it is disallowed.

(*e*) Donation to a political party is not an expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of the business and is not allowable.

(*f*) The cost of a transistor set is admissible as a deduction as it is a present to an employee.

(*g*) Under executive instructions, the cost of installing a new telephone is an admissible deduction

(*h*) Sales-tax paid is an admissible deduction, as the payment is made for purposes of the business.

प्रश्न

१. 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक में करयोग्य आय कौन-सी हैं और ऐसी आय को संचालित करने वाले सामान्य सिद्धान्त क्या हैं ?

Which income is chargeable under the head 'Profits and Gains of Business or Profession', and what are the general principles governing such income ?

२. 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करते समय

कौन-कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत की जाती हैं ? अस्वीकृत व्ययों का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।

What are the admissible deductions in computing income from 'Profits and Gains from Business or Profession'? Discuss the expenses disallowed.

३. एक करदाता की 'व्यापार अथवा पेशे के लाभ' शीर्षक की करयोग्य लाभों की गणना करने में कौन-कौन से व्यय अस्वीकृत हैं ?

Which expenses of an assessee, are expressly disallowed in computing his income from Business or Profession?

४. व्यापार के लाभों की गणना करते समय क्या निम्न व्यय कटौती योग्य हैं ?

(अ) करदाता फर्म द्वारा एक विधवा के प्रति की गई साख को व्यापार के लिए प्रयुक्त करने के वदले में उसको दिया गया लाभ का ५% भाग ।

(ब) होटल के स्वामी द्वारा होटल के ग्राहक को दिया गया हर्जाना, जो इस कारण देना पड़ा कि उस ग्राहक पर होटल के कमरे की दीवार गिर पड़ी थी ।

(स) विक्रय किये गये माल में दोष होने से ग्राहक द्वारा उठाई गई क्षति की पूर्ति के लिए दिया गया हर्जाना ।

Are the following expenses allowable as a deduction in computing income from business?

(*a*) An assessee firm agreed to pay 5% of its profits to a widow in consideration of being allowed the use of the goodwill of her deceased husband's business.

(*b*) Damages paid by the proprietor of a hotel on account of injuries caused to a visitor staying at the hotel by the falling of a wall.

(*c*) Compensation paid to a customer for injuries caused by a defect in the goods sold.

[Hint : (*a*) Allowable (*b*) Not-allowed (*c*) Allowable]

५. कारण सहित बताइए कि क्या व्यापार की आय निकालते समय निम्न मद कटौती की भाँति स्वीकृत हैं अथवा नहीं—

(अ) एक कर्मचारी द्वारा रोकड़ का गबन ।

(ब) एक कर्मचारी को समय से पूर्व निकालने पर दिया गया हर्जाना ।

(स) एक नई मशीन के स्थापन की देखभाल करने वाले इन्जीनियर को देय तीन माह का वेतन ।

(द) ऋण-पत्रों के निर्गमन पर व्यय

(य) प्रतिबन्धित माल के आयात करने पर तटकर अधिकारियों को दिया गया जुर्माना ।

State, with reasons, whether the following items are admissible as deductions in computing the income from business :

(*a*) Embezzlement of cash by an employee.

(*b*) Compensation paid to an employee for premature termination of his services.

(*c*) Salary paid to an engineer for three months who supervised the erection of a new machinery.

(*d*) Debenture issue expenses.

(*e*) Penalty paid to customes authorities for importing prohibited goods.

६. 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक की करयोग्य आय निकालने के लिए लाभ-हानि खाते के दिये गये लाभों का समायोजन करना आवश्यक है। उदाहरण सहित बताइये कि लाभों का समायोजन कैसे करेंगे ?

Adjustment of profits shown as per Profit & Loss Account is necessary in order to find out the taxable income from 'Business or Profession'. State with examples. How this adjustment is done ?

७. श्री अग्रवाल जयपुर में वकालत करते हैं। वे अपना लेखा नकद पद्धति पर रखते हैं। ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का उनका आय-व्यय खाता निम्नांकित है—

शेष आगे लाए	५,०००	विधि पत्रिका के लिए चन्दा	४००
कानूनी शुल्क	३०,०००	विधि पुस्तकों का क्रय	१,०००
विशेष कमीशन	५००	किराया	१,५००
अर्द्ध-समय विधि प्रवक्ता के रूप में प्राप्त वेतन	२,४००	कार व्यय	२,०००
विश्वविद्यालय परीक्षा पारिश्रमिक	४००	कार्यालय का व्यय	५,०००
सावधि जमा पर ब्याज	३००	बिजली व्यय	१,०००
मकान सम्पत्ति की बिक्री	४०,०००	आयकर	२,०००
सहकारी-समिति से प्राप्त लाभांश	१,०००	लड़की को उपहार	१,०००
संचालक शुल्क	१००	कार्यालय प्रयोग के लिए टाइप-राइटर का क्रय	७००
		अनुमोदित संस्था को दान	१,०००
		कार क्रय की	२२,०००

		जीवन बीमा-प्रीमियम	५,०००
		घरेलू व्यय	१५,०००
		शेष आगे ले गये	२२,१००
	७६,७००		७६,७००

निम्न अन्य विवरण और प्राप्त हुए—

(अ) भवन के आधे भाग में श्री अग्रवाल रहते हैं तथा आधे भाग में कार्यालय चल रहा है। किराया तथा बिजली व्यय इसी भवन का है।

(ब) कार व्यय का आधा भाग व्यक्तिगत प्रयोग के लिए है।

(स) पेशे के प्रयोग के सम्बन्ध में कार का ह्रास २,२०० रु० है।

(द) जीवन बीमा प्रीमियम ४०,००० रु० की पालिसी पर दिया गया है।

(य) करदाता ने अपनी नौकरी की आय में से २०० रु० की तथा पेशे की आय से ८०० रु० की पुस्तकें क्रय की हैं।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए श्री अग्रवाल की पेशे की आय तथा कुल आय ज्ञात कीजिए।

Sri Agarwal is an practicing advocate at Jaipur. He maintains his accounts on cash basis. Following is his receipt and payment a/c for the year ending on 31st March 1977—

Balance b/f	5,000	Contribution for legal Magazine	400
Legal fee	30,000		
Special Commission	500	Purchase of Legal Books	1,000
Salary received as part time lectures of Law	2,400	Rent	1,500
		Car Exp.	2,000
University Examination Remuneration	400	Office Exp.	5,000
		Electricity	1,000
Interest on Fixed time deposites	300	Income Tax	2,000
		Gift to daughter	1,000
Sale of House Property	40,000	Purchase of typewriter for Office use	700
Dividend received from a co-operative society	1,000	Donation to an approved Institution	1,000
Director's Fee	100		
		Car purchased	22,000
		Life Insurance Premium	5,000

		Household Exp.	15,000
		Balance c/f	22,100
	79,700		79,700

Following other informations have also been received—

(*a*) Sri Agarwal resides in 1/2 portion of the building and the remaining 1/2 is used for office. Rent and electricity relates to this building.

(*b*) Half of the Car Expenses relates to personal use.

(*c*) Depreciation of Car connected with the profession amounts to Rs. 2,200.

(*d*) Life Insurance premium is paid on a policy of Rs. 40,000.

(*e*) The Assessee has purchased book worth Rs. 200 from his salaried Income and worth Rs. 800 from his professional Income.

Find out the professional as well as total Income of Sri Agarwal for the assessment year 1977-78.

Ans. Income from profession 19,870 ; Total Income 17,790. Q. A being Rs. 4,000 only restricted to 10% of policy Amount. Depreciation is to be allowed on books @ 10%. Deductions U/Ss 80G, (50% of Rs. 1,000) and 80 L (Rs.1300) are to be allowed while computing total income.

८

नये औद्योगिक संस्थान, आदि

(New Industrial Undertakings, etc.)

धारा 80J का उद्देश्य भारत में नये औद्योगिक संस्थानों, होटलों एवं जहाजरानी को प्रोत्साहित करना है।

इस धारा के अन्तर्गत, जहाँ एक करदाता की कुल सकल आय में (जैसा कि आगे 'कुल आय में से कटौतियाँ' अध्याय में समझाया गया है) नये औद्योगिक संस्थानों, होटलों तथा जलपोतों (जिन पर यह धारा लागू होती है) द्वारा उत्पन्न लाभ सम्मिलित है, तो कुल आय की गणना करते समय, इनमें विनियोजित पूँजी के ६% वार्षिक तक की कटौती, इस प्रकार के लाभ में से छूट योग्य है। इस प्रकार की कटौती को 'कर-अवकाश छूट' ('Tax-holiday' Concession) कहते हैं।

कम्पनी करदाताओं के लिए उसके नये संस्थानों (New Undertaking) की ऐसी आयों के सम्बन्ध में, जो उसे ३१ मार्च, १९७६ के बाद वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने से या कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट चलाने से प्राप्त हुई हो, या उक्त तिथि के बाद जहाज चलाने से या होटल व्यवसाय करने से प्राप्त हुई हो, **'कर-अवकाश छूट'** ('Tax-holiday' Concession) विनियोजित पूँजी के ७½% के बराबर होगी।

अन्य करदाताओं (कम्पनी व सहकारी समिति को छोड़कर) के लिए यह छूट तभी प्राप्त होगी जबकि करदाता ने अपनी खाता पुस्तकों का किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण करा लिया है तथा अंकेक्षित रिपोर्ट आय-कर रिटर्न के साथ दाखिल कर दी

लाभों की गणना (Computation of Profits)

यहाँ पर लाभों का आशय लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभों से नहीं है, बल्कि आय-कर के उद्देश्य से ज्ञात किये गये समायोजित लाभों से है। **ये लाभ अग्र-प्रावधानों के अधीन प्राप्त किये जाते हैं—**

(अ) लाभों का आशय उन लाभों से है जो नये औद्योगिक संस्थान के लाभ हों या जलपोतों (Ships) से प्राप्त लाभ हों या होटल व्यवसाय के लाभ हों। अन्य व्यापारिक क्रियाओं के लाभ इसमें सम्मिलिति नहीं किये जा सकते हैं।

(ब) जब ऐसे व्यवसायों (उक्त वर्णित) के लिए रखा गया माल करदाता द्वारा संचालित किसी अन्य व्यवसाय को हस्तांतरित कर दिया जाता है या अन्य व्यवसाय का माल इन व्यवसायों के लिए हस्तांतरित हो जाता है और ऐसे हस्तांतरण का प्रतिफल खाता पुस्तकों में नहीं लिखा जाता तो 'कर-अवकाश छूट' प्रदान करने के लिए लाभों की गणना करते समय ऐसे हस्तांतरण को बाजार मूल्य पर माना जायेगा। यदि इस विधि से लाभों की गणना नहीं की जा सकती हो तो आय-कर अधिकारी अपने विवेक (Discretion) का प्रयोग करके लाभों की गणना करेगा।

(स) यदि किसी कारण से ऐसे नये औद्योगिक संस्थान के लाभ जा जहाज के लाभ या होटल व्यवसाय के लाभ सामान्य लाभ से अत्यधिक हो गये हों तो आय-कर अधिकारी कर-अवकाश छूट के लिए उचित लाभ तय कर सकता है।

विनियोजित पूँजी (Capital Employed)

विनियोजित पूँजी राशि की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। संक्षेप में, विनियोजित पूँजी वह राशि है जो व्यापारिक वर्ष के आरम्भ की सम्पत्तियों में से दायित्वों को घटाने के बाद बचती है। इसके लिए व्यापारिक वर्ष में सम्पत्ति अथवा दायित्वों में हुई वृद्धि या कमी को ध्यान में नहीं रखा जायगा।

छूट की अवधि (Period of Deduction)

यह छूट (जिसे कर-अवकाश का लाभ कहते हैं) जिस वर्ष में नई औद्योगिक संस्थान उत्पादन प्रारम्भ करती है या कोल्ड स्टोरेज मशीनें चालू करता है या जलपोत को प्रथम बार प्रयोग में लाया जाता है या होटल का कार्य प्रारम्भ किया जाता है, उस वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए, जिसे प्रारम्भिक कर-निर्धारण वर्ष (Initial Assessment year) कहते हैं, तथा उससे अगले चार वर्षों के लिए मिलती है। इस पर कर-अवकाश की अवधि **पाँच** वर्ष है। परन्तु यदि नई औद्योगिक संस्था को सहकारी समिति द्वारा चलाया जाता है तो यह कर-अवकाश की अवधि **सात** वर्ष है।

कर-अवकाश छूट केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थानों को प्राप्त होगी, जो ३१ मार्च, १९८१ तक निर्माण या उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देंगे या उन जलपोतों

के सम्बन्ध में जो उक्त तिथि तक चालू हो जायेंगे। भारतीय कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे अनुमोदित होटलों के लिए यह सीमा नहीं है।

धारा का लागू होना (Applicability of Section)

(अ) **औद्योगिक संस्था—यह धारा उन सभी औद्योगिक संस्थाओं पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरा करती हैं—**

(१) औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी पुराने व्यापार के पुनर्गठन अथवा जोड़-तोड़ द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह शर्त उन औद्योगिक संस्थाओं पर लागू नहीं होती जो धारा ३३B में वर्णित परिस्थितियों एवं अवधि के अन्दर इस प्रकार की संस्था के व्यापार के करदाता द्वारा पुनः स्थापति अथवा पुनर्गठित की गई हों।

(२) ऐसी औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी व्यापार में अथवा किसी भी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में लिये गये भवन, मशीनरी अथवा प्लाण्ट को हस्तांतरण करके नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यदि कोई **ऐसा भवन** जो पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता था अब नये संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो ऐसे भवन का मूल्य विनियोजित पूँजी ज्ञात करने के लिए नहीं ज्ञात किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई मशीन या प्लाण्ट जो पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होती थी, अब हस्तान्तरित कर दी जाती है और इसका मूल्य नये संस्थान की कुल मशीन व प्लाण्ट के मूल्य के २०% से अधिक नहीं है, तो ऐसी संस्था को भी कर की छूट के लिए पूर्ण रूप से मना नहीं किया जाता है, परन्तु यह छूट सम्पूर्ण विनियोजित पूँजी के लिए नहीं दी जाती बल्कि कुल विनियोजित पूँजी में से ऐसी पुरानी सम्पत्ति के मूल्य को घटा लिया जाता है तथा शेष विनियोजित पूँजी पर ही छूट की राशि की गणना की जाती है।

(३) ऐसी औद्योगिक संस्था जो भारत में वस्तु का निर्माण करती हो अथवा कोल्ड स्टोरेज चलाती हो तथा जो १ अप्रैल, १९४८ के पश्चात् ३३ वर्षों के अन्दर-अन्दर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर निर्माण अथवा उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करती है।

(४) यह छूट उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को मिलेगी जो उत्पादन-कार्य, यदि उत्पादन-कार्य में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कम से कम १० श्रमिकों द्वारा करती हैं, अथवा यदि उत्पादन-कार्य में शक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो कम से कम २० श्रमिकों द्वारा करती हैं।

(५) कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ व इसके बाद के वर्षों के लिए यह छूट तभी प्राप्त होगी जबकि कर-दाता (कम्पनी को छोड़कर) ने किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अपने खातों का अंकेक्षण करा लिया है।

(ब) **जलपोत—यह धारा किसी भी ऐसे जलपोत पर लागू होती है जो अग्रलिखित शर्तें पूरी करता है—**

(१) जलपोत किसी भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से इस कम्पनी द्वारा चालू व्यापार के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(२) जलपोत भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त करने से पूर्व भारतीय समुद्री सीमा में किसी अन्य भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा प्रयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए।

(३) जलपोत १ अप्रैल, १९४८ के पश्चात् ३३ वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर किसी भी समय भारतीय कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

(स) होटल—यह धारा ऐसे होटलों पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं—

(१) होटल का व्यापार १ अप्रैल, १९६१ को अथवा इसके पश्चात् और ३१ मार्च, १९८१ से पूर्व प्रारम्भ होना चाहिए। होटल की स्थापना किसी वर्तमान चालू व्यापार के पुनर्गठन अथवा पुनः निर्माण द्वारा नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे होटल की स्थापना किसी वर्तमान होटल अथवा अन्य व्यापार के लिए प्रयोग की गई प्लाण्ट, भवन अथवा मशीनरी का हस्तान्तरण करके भी नहीं की जानी चाहिए। परन्तु यदि प्रयोग में ली गई ऐसी सम्पत्तियों का केवल कुछ ही भाग, जिसकी कुल लागत नये होटल के भवन, मशीन एवं प्लाण्ट के कुल मूल्य के २०% से अधिक नहीं है, हस्तांतरित किया गया है, तो छूट की राशि को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु छूट कुल विनियोजित पूँजी पर नहीं मिलेगी, वरन् विनियोजित पूँजी का निर्धारण करते समय हस्तान्तरित पुरानी सम्पत्ति के मूल्य को घटा दिया जायगा।

(२) होटल भारत में ही पंजीकृत कम्पनी, जिसकी चुकता पूँजी कम से कम ५,००,००० रु० हो, के स्वामित्व में होना चाहिए तथा उसके द्वारा ही चलाया जाना चाहिए।

(३) इस धारा के लिए होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

नोट—(i) औद्योगिक संस्था के लिए कर-अवकाश की छूट प्रत्येक करदाता को मिलती है परन्तु जलपोत या होटल के लिए यह छूट केवल भारतीय कम्पनियों को ही मिलती है।

(ii) कर-निर्धारण **वर्ष** १९७७-७८ से धारा ८०J के अंतर्गत दी जाने वाली '**कर-अवकाश छूट** (Tax-holiday Concession) उस हिन्दू अविभाजित परिवार को नहीं दी जावेगी जिसमें गतवर्ष के दौरान किसी भी समय एक भी ऐसा सदस्य था, जिसकी गतवर्ष की कुल आय ८,००० रु० से अधिक थी।

कर-अवकाश की छूट की कमी को आगे ले जाना (Carry-forward of Deficiency)

यदि किसी औद्योगिक संस्था, जलपोत अथवा होटल की आय उसमें विनियोजित पूँजी (Capital Employed) के ६% या ७½% जैसी भी दशा हो, से कम है

तो यह कमी (Deficiency) **'कर अवकाश छूट की कमी'** (Deficiency of Tax-holiday concession) कहलाती है। इस कमी को करदाता अगले वर्षों के लाभों में से पूरा कर सकता है।

धारा ८०J(३) के अनुसार **'कर-अवकाश छूट की कमी'** कर निर्धारण वर्ष १९६७-६८ व इसके बाद के वर्षों का कर-निर्धारण करते समय आगे ले जाई जायेगी। जिस वर्ष व्यापार प्रारम्भ किया गया है उससे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष से आठवें वर्ष तक यह छूट स्वीकार की जायेगी। यदि यह कमी (Deficiency) अनेक कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में है तो सर्वप्रथम, सबसे पहले कर-निर्धारण वर्ष की कमी को पूरा करेंगे तदुपरान्त उसके बाद वाले कर-निर्धारण वर्ष की कमी को और इसी प्रकार इसको पूरा करते जायेंगे।

यद्यपि **'छूट की कमी'** (Deficiency of Concession) को आठवें कर-निर्धारण वर्ष तक ले जाया जा सकता है फिर भी **'कर अवकाश छूट'** (Tax-holiday concession) केवल ५ या ७ वर्ष तक ही दी जाती है।

उदाहरण १—एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी ने १ जनवरी १९७६ को एक नया औद्योगिक संस्थान (कागज उत्पादन के लिए) जिस पर धारा ८०J लागू होती है, स्थापित किया और इसके खाते ३१ दिसम्बर १९७६ को बन्द हुए।

संस्थान में विनियोजित पूँजी ४ लाख रु० गणित की गई है। नई मशीन, नया फर्नीचर और नये भवन (प्रथम श्रेणी) की लागत क्रमशः २,००,००० ; १०,००० व १,००,००० रु० है। कम्पनी ने एक पुरानी कार १०,००० रु० तथा नया टाइपराइटर और अन्य कार्यालय संयंत्र ५,००० रु० की लागत पर क्रय किये।

फैक्टरी ने पूरे वर्ष दोहरी पारी में कार्य किया।

१९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के कम्पनी के लाभ ह्रास घटाने से पूर्व २० लाख रु० थे।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कम्पनी की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए और बताइए कि यह धारा ८०J में कितनी छूट पा सकती है।

A limited company established on 1st January 1976 a new industry (for the manufacture of paper) to which section 80J applies and it closed its accounts on 31st December, 1976.

The capital employed in the undertaking has been computed at Rs. 4 lakhs. The cost of new machinery is Rs. 2 lakhs, of new furniture Rs. 10,000 and of new buildings (1st class) Rs. 1 lakh. The company also purchased as second-hand motor-car for Rs. 10,000, and new typewriters and other office appliances at a cost of Rs. 5,000.

The factory worked double-shift throughout the year.

The profit of the company for the year 1976 before allowing for depreciation amounted to Rs. 2 lakhs.

Compute the total income of the company for the assessment year 1977-78 and indicate the relief to which it is entiled.

Solution

	Rs.	Rs.
Profit before deducting depreciation and development rebate		2,00,000
Less Depreciation as calculated below	38,750	
Initial depreciation at 20% on Rs 2,00,000 cost of new machinery	40,000	78,750
Gross Total Income		1,21,250
Less 6% per annum of Rs. 4 lakhs capital employed, being tax relief under section 80J		24,000
Total Income		97,250

Depreciation :		
Buildings assumed to be factory buildings at 5% on Rs. 1,00,000		5,000
Machinery :		
Normal depreciation at 10% on Rs. 2,00,000	20,000	
Double-shift allowance being half of normal depreciation	10,000	30,000
Furniture :		
10% on Rs. 10,000		1,000
Typewriters :		
15% on Rs. 5,000		750
Motor-car :		
20% on Rs. 10,000		2,000
		38,750

Note : Tax-holiday concession will be granted at 6% of capital employed as the manufacture has been started before 31st March, 1976.

उदाहरण २—मोटर-कारों का क्रय-विक्रय करने वाली एक कम्पनी का हिसाबी वर्ष प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। इस कम्पनी ने कारों के निर्माण के लिए १ जनवरी, १९७५ को एक नया औद्योगिक संस्थान प्रारम्भ किया।

गत वर्ष १९७५ के लिए नई संस्थान की सम्पत्तियों पर अशोधित ह्रास की राशि, २,४८,४८३ रु० थी।

धारा २९ के अन्तर्गत गणना की गई कम्पनी के १९७६ के लाभ, जिनमें से गत वर्ष का लाया गया अशोधित ह्रास नहीं घटाया गया है, ४,४४,४६२ रु० था जिसमें से २,५३,१९८ रु० नये औद्योगिक संस्थान का था।

१९७६ में नये औद्योगिक संस्थान में लगी पूँजी २० लाख रुपये थी।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'कर-अवकाश छूट' ज्ञात करने के लिए लाभों की गणना कीजिए।

The accounting year of a company, which is engaged in the purchase and sale of motor-cars, ends on 31st December. On 1st January, 1975 it started a new industrial undertaking for the manufacture of motor-cars.

For the previous year 1975 the amount of unabsorbed depreciation in respect of the assets of the industrial undertaking amounted to Rs. 2,48,483.

The entire profits of the company for the year 1976 computed in accordance with section 29 but without allowing the uuabsorbed depreciation brought forward from the preceding year, amounted to Rs. 4,44,462, of which Rs. 2,53,198 was derived from the industrial undertaking.

The capital employed by the company in the industrial undertaking in the vear 1976 amounted to Rs. 20 lakhs.

Work out the amount of profit eligible for tax concession under section 80J for the assessment year 1977-78.

Solution

The profit of Rs. 1,91,264 (Rs. 4,44,462—Rs. 2,53,198), which is derived from trading activities, is not eligible for any tax concession under section 80J.

	Rs.
Profit from industrial undertaking	2,53,198
Less Unabsorbed depreciation c/f from 1975	2,48,483
	4,715

Under section 80J, the company is entited to a deduction of Rs. 1,20,000 (6% per annum of Rs. 20 lakhs capital employed) from the profits of its industrial undertaking. But such profits are only Rs. 4,715. Therefore, Rs. 4,715 out of Rs. 1,20,000 will be deducted from the profits of 1976 leaving nothing to be taxed ; and at the same time the company is entitled to carry-forward the deficiency of Rs. 1,15,285 (Rs. 1,20,000—Rs. 4,715) to the succeeding assessment year (1978-79) to be claimed as a deduction. This period of carry-forward is limited to the 8th year as reckoned from the year in which the undertaking commenced its operations; that is to the, up to the assessment year 1983-84.

प्रश्न

१. एक नये औद्योगिक संस्थान के लाभों के सम्बन्ध में दी जाने वाली 'कर-अवकाश छूट' क्या है ? यह किस सीमा तक व कब तक दी जाती है ? समझाइए।

What is the 'tax-holiday concession' to be given in respect of New Industrial Undertakings ? To what extent and when it is given ? Explain.

२. कौन-कौन से औद्योगिक संस्थानों, जलपोतों व होटलों के सम्बन्ध में 'कर-अवकाश छूट' प्रदान की जाती है ?

In which industrial undertakings, ships and hotels tax-holiday concession is given ?

१

ह्रास एवं विकास-सम्बन्धी छूट

(Depreciation and Development Rebate)

ह्रास
(Depreciation)

आय-कर-विधान में ह्रास शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। यह एकाउन्टैन्सी में प्रयोग होने वाला शब्द है। इसका मुख्य रूप से तात्पर्य सम्पत्ति के मूल्य में प्रयोग एवं टूट-फूट के कारण कमी हो जाने से है। व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए सकल प्राप्तियों से समस्त लाभगत खर्चों को घटाया जाता है लेकिन पूँजीगत खर्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। इसलिए स्थायी सम्पत्तियों पर जोकि पूँजीगत खर्चों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ह्रास की छूट दी जाती है।

ह्रास केवल व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले भवन, मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर पर, जोकि करदाता की सम्पत्ति है, स्वीकार किया जाता है। प्लाण्ट शब्द में जहाज (Ships), **गाड़ियाँ** (Vehicles) **पुस्तकें, वैज्ञानिक सामिग्री** (Scientific Apparatus) **तथा चिकित्सा-सम्बन्धी सामान** (Surgical Equipment) **सम्मिलित हैं।**

जमीन, जिस पर भवन बना है, के लिए ह्रास की छूट नहीं दी जाती। ह्रास की छूट केवल इमारत के लिए ही दी जाती है। **भवन शब्द का अर्थ केवल इमारत से ही है और इसमें जमीन सम्मिलित नहीं है क्योंकि जमीन, जिस पर भवन बना है, का ह्रास नहीं होता।** (C.I.T. Vs. Alps Theatre (1967)65 I.T.R. 377)

ह्रास के लिए छूट किसे मिल सकती है ?

ह्रास के लिए छूट की माँग केवल **व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त पूंजी-**

गत सम्पत्तियों का मालिक ही कर सकता है । किराया क्रय (Hire Purchase) पर प्राप्त पूँजीगत सम्पत्तियों पर कोई ह्रास अथवा विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जाती जब तक कि उस वर्ष में किराया क्रय प्रसंविदे के अन्तर्गत खरीदार उसका मालिक न हो जाय ।

ह्रास की छूट स्वीकार करने के लिए शर्तें

एक करदाता की सम्पत्तियों पर ह्रास के लिए छूट स्वीकार करने से पूर्व निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए ।

(१) **भवन मशीनरी, प्लाण्ट एवं फर्नीचर** ऐसी सम्पत्तियाँ हैं जिन पर ह्रास के लिए छूट स्वीकार की जा सकती है, अत: सम्पत्ति इनमें मे ही होनी चाहिए ।

(२) सम्पत्ति करदाता के **स्वामित्व** में होनी चाहिए ।

(३) करदाता द्वारा सम्पत्ति का **प्रयोग गत वर्ष में अथवा गत वर्ष के अन्दर किसी भी अवधि में उस व्यापार के लिए,** जिसके लाभों पर कर निर्धारण होना है, किया जाना चाहिये । परन्तु यदि किसी गत वर्ष में ऐसी सम्पत्ति को बेच दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, गिरा दिया गया है अथवा अन्य किसी प्रकार से व्यापार के प्रयोग से हटा दिया गया है तो ऐसे गत वर्ष में उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास के लिए कोई भी छूट स्वीकार नहीं की जायगी ।

(४) करदाता द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी निर्दिष्ट विवरण **आय-कर अधिकारी को दे दिये जाने** चाहिए ।

(५) एक सम्पत्ति के लिए प्रारम्भिक ह्रास की राशि सहित कुल **ह्रास की राशि का योग करदाता को उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं होना** चाहिए ।

(६) यदि एक सम्पत्ति, जो किसी कम्पनी के स्वामित्व में है, कम्पनी के संचालक अथवा कम्पनी में समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्धी द्वारा अपने निजी प्रयोग में लायी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास के लिए छूट केवल उसी सीमा तक दी जायगी जिस सीमा तक आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण से उचित हो । आय-कर अधिकारी व्यापार की आवश्यकता एवं कम्पनी द्वारा उस सम्पत्ति से उठाये गये लाभ को ध्यान में रखेगा ।

ह्रास सम्बन्धी छूट

आय-कर विधान की धारा ३२(१) एवं आय-कर नियमावली के अनुसार, करदाता द्वारा रखे तथा उसके व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त भवन, मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर पर ह्रास की निम्न कटौतियाँ स्वीकार की जाती हैं—

(१) **साधारण ह्रास** (Normal Depreciation)—साधारण ह्रास का तात्पर्य उस ह्रास से है जो कि व्यापार के लिए प्रयुक्त सम्पत्तियों पर, आय-कर नियमों में प्रस्तावित दरों से, स्वामी को स्वीकृत होता है । **इसके सम्बन्ध में अग्रांकित नियम** हैं—

(i) भवन, मशीनरी, प्लाण्ट तथा फर्नीचर के **अपलिखित मूल्य** (Written-down Value) पर ह्रास स्वीकार किया जाता है।

(ii) समुद्री जहाजों के लिए (लेकिन आन्तरिक पानी पर जाने वाले जहाजों पर नहीं) ह्रास की छूट उनके वास्तविक लागत (Actual Cost) पर दी जाती है।

(iii) धारा ३२(१) (i) के अनुसार **जलपोतों** के लिए प्रारम्भिक वर्षों में अधिक दर से ह्रास लगाया जा सकता है ताकि जलपोत की लागत को शीघ्रताशीघ्र अपलिखित किया जा सके।

(iv) **यदि किसी मशीनरी अथवा प्लाण्ट की वास्तविक लागत ७५० रु० से अधिक नहीं है तो उस दशा में प्लाण्ट अथवा मशीनरी के वास्तविक लागत मूल्य की पूरी राशि को उस वर्ष में, जिसमें कि वह प्लाण्ट अथवा मशीनरी प्राप्त की गयी है, आयगत खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है। परन्तु ऐसी मशीनरी पर विकास सम्बन्धी छूट दी जायगी।**

(v) २८ फरवरी, १९७५ के पश्चात् भारत के बाहर निर्मित ऐसी किसी भी मोटर-कार पर ह्रास की छूट नहीं दी जायेगी, जो पर्यटकों के लिए किराये पर चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त की जाती हो।

(vi) १ मार्च, १९७५ से पूर्व प्राप्त की गई कोई मोटर-कार यदि २५,००० रु० से अधिक लागत मूल्य पर प्राप्त की गई है तो ह्रास की छूट की राशि निकालते समय लागत मूल्य में से वह राशि जोकि २५,००० रु० से अधिक है, छोड़ दी जायगी तथा ह्रास की छूट (Depreciation Allowance) केवल २५,००० रु० पर ही दी जायगी।

(vii) यदि मोटर-कार ३१ मार्च, १९६७ के बाद प्राप्त की गई है और उसे पर्यटकों के लिए किराये पर चलाने के व्यापार में लगाया गया है तो उस मोटर-कार का लागत मूल्य २५,००० रुपये तक सीमित नहीं होगा।

'वास्तविक लागत' एवं 'अपलिखित मूल्य' (Written-down Value) के अर्थ को तथा ह्रास की कुछ मुख्य प्रस्तावित दरों को इस अध्याय में आगे समझाया गया है।

(२) **अतिरिक्त ह्रास** (Extra Depreciation) — एक भारतीय कम्पनी जो अपनी मकान सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होटल के रूप में प्रयोग करती है, उस मकान सम्पत्ति में लगाई गई प्लाण्ट और मशीनरी पर अतिरिक्त ह्रास (जोकि साधारण ह्रास के आधे के बराबर है) छूट योग्य है।

(३) अतिरिक्त पाली ह्रास (Extra-shift Depreciation) — जहाँ प्लाण्ट और मशीनरी से **दूसरी पाली में** भी काम लिया जाता हो, तो इसके लिए एक 'अति-

रिक्त पाली ह्रास' स्वीकार किया जाता है, जो कि साधारण ह्रास के आधे के बराबर (50 % of normal depreciation) होता है। यदि प्लाण्ट और मशीनरी से **तीसरी पाली में** भी काम लिया जाता है, तो इसके लिए अतिरिक्त छूट साधारण ह्रास के बराबर (100 % of normal depreciation) होती है।

दूसरी और तीसरी पाली में प्लाण्ट और मशीनरी को काम में लेने के लिए अतिरिक्त छूट की गणना अलग-अलग रूप से की जाती है। इसकी गणना संस्था द्वारा गत वर्ष में किये गये कार्य के साधारण दिनों, जिन दिनों में संस्था ने दूसरी और तीसरी पाली में काम किया है, उन दिनों के अनुपात से की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, काम के दिनों की साधारण संख्या गत वर्ष में मान ली गयी समझी जायगी—

(अ) एक मौसमी फैक्टरी अथवा संस्था की स्थिति में, उस फैक्टरी अथवा संस्था द्वारा गत वर्ष में किए गये वास्तविक काम के दिनों की संख्या अथवा १८० दिन, जो भी अधिक है, और

(ब) अन्य किसी दूसरी स्थिति में, उस संस्था द्वारा गत वर्ष में किये गये वास्तविक काम के दिनों की संख्या अथवा २४० दिन, जो भी अधिक है।

उदाहरण १—एक अ-मौसमी फैक्टरी ने गत वर्ष में २७० दिन कार्य किया जिसमें से १३५ दिन तीन पारी काम हुआ और दूसरे ९० दिन दोहरी पारी काम किया। अतिरिक्त पारी का ह्रास भत्ता क्या होगा ?

A non-seasonal factory worked 270 days during the previous year, out of which it worked triple-shift on 135 days and double-shift on another 90 days. What will be the quantum of extra-shift depreciation allowance ?

Solution

The extra-shift depreciation allowance for triple-shift working will be 135/270, *i. e.*, 100 % of the normal depreciation, and that for double-shift-working will be $90/270 \times \frac{1}{2}$ *i. e.* one-half of the normal depreciation.

(४) **अन्तिम ह्रास** (Terminal Depreciation)—यह ह्रास ऐसे भवन, मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के सम्बन्ध में प्रदान किया जाता है जो कि गत वर्ष में बेच दिया जाय, डिस्कार्ड कर दिया जाय, गिरा दिया जाय अथवा नष्ट कर दिया जाय (लेकिन उस गत वर्ष के अतिरिक्त जबकि वह पहली बार प्रयोग में लाया जाय)। यदि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त रकम, उस सम्पत्ति के अवशेष मूल्य सहित उसके अपलिखित मूल्य से कम हो तो यह कमी अन्तिम ह्रास के रूप में स्वीकार कर दी जायगी बशर्ते कि यह कमी करदाता की पुस्तकों में वास्तव में अपलिखित कर दी गयी है।

इस प्रकार **अन्तिम ह्रास** (Terminal Depreciation) की गणना करने का निम्न सूत्र है—

अंतिम ह्रास = क—(ख+ग)

यहाँ पर,

क=अपलिखित मूल्य (Written down value)

ख=सम्पत्ति से प्राप्त राशि (Amount received from property)

ग=अवशेष मूल्य (Scrap value)

इस सम्बन्ध में निम्न महत्वपूर्ण नियम ध्यान देने योग्य हैं :—

(i) ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जो उसी गत वर्ष में खरीदी एवं बेची गयी हों, कोई अन्तिम ह्रास स्वीकार नहीं किया जायगा। इस प्रकार की सम्पत्ति से क्रय एवं विक्रय मूल्य के अन्तर को अल्पकालीन पूँजी हानि माना जायगा और यह हानि करदाता की अन्य आय से पूरी की जा सकती है।

(ii) जब अन्तिम ह्रास की माँग डिस्कार्ड (Discard) करने के कारण की जाय तो यह उसी वर्ष में होनी चाहिए जबकि यह सम्पत्ति प्रयोग से वास्तव में निकाल दी जाय। लेकिन इसके कारण भविष्य में इस डिस्कार्ड की गई सम्पत्ति की वास्तविक बिक्री पर होने वाली अतिरिक्त हानि की माँग को मना नहीं किया जायेगा।

(iii) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर इत्यादि पर अन्तिम ह्रास केवल उसी दशा में स्वीकार किया जा सकता है जबकि ये सम्पत्तियाँ गत वर्ष के किसी भाग में व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग की गई हों। इसके विपरीत, यदि सम्पत्ति का विक्रय मूल्य उसके अपलिखित मूल्य से अधिक है तो यह अन्तर धारा ४१(२) के अनुसार सन्तुलित चार्ज माना जाता है चाहे वह सम्पत्ति गत वर्ष में प्रयोग हुई हो या नहीं तथा चाहे वह व्यापार अथवा पेशा जिसमें ऐसी सम्पत्ति प्रयोग की गयी हो, गत वर्ष में अस्तित्व में हो अथवा न हो।

(iv) अन्तिम ह्रास की रकम की गणना करने के उद्देश्य के लिए 'विक्रय' शब्द में हस्तांतरण अथवा किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से छीन लेना (Compulsory Acquisition) भी सम्मिलित हैं, तथा 'प्राप्त रकम' शब्द में बिक्री से प्राप्त रकम अथवा बीमा अथवा ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि भी सम्मिलित है।

(v) जहाँ १ मार्च, १९७५ से पूर्व प्राप्त की गयी मोटर-कार का वास्तविक मूल्य (Cost) २५,००० रु० से अधिक है वहाँ ह्रास की छूट की राशि निकालते समय वास्तविक मूल्य का वह भाग जो २५,००० रु० से अधिक है, भुला दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार की सम्पत्ति पर अन्तिम ह्रास की राशि की गणना करने के लिए 'प्राप्त रकम' वह रकम मानी जायगी जोकि बिक्री मूल्य का वही अनुपात है जोकि २५,००० रु० वास्तविक मूल्य का अनुपात है।

उदाहरण २—एक मोटर-कार व्यापार के उद्देश्य के लिए ५०,००० रु० में क्रय की। बाद में यह २०,००० रु० में वेच दी। विक्रय के समय इसका अपलिखित मूल्य (जो २५,००० रु० की सीलिंग राशि में से स्वीकृत ह्रास घटाने के बाद आती है) २०,००० रु० है। कार के विक्रय पर अन्तिम ह्रास, यदि कोई है, क्या होगा ?

A motor-car is purchased for the purpose of a business at a cost of Rs.50,000. It is subsequently sold for Rs. 20,000. At the time of its sale, its written-down value (computed by deducting the depreciation allowed from the ceiling amount of Rs. 25,000) is Rs. 20,000. What is the amount of terminal depreciation, if any, on the sale of this motor-car ?

Solution

	Rs.
Written-down value of the motor-car	20,000
Amount of adjusted sale proceeds=25,000/50,000 of Rs. 20,000 or	10,000
Terminal Depreciation	10,000

(५) **प्रारम्भिक ह्रास** (Initial Depreciation)—आय-कर अधिनियम १९६१ की धाराएँ ३२(१) (iv), ३२(१) (v) तथा ३२(१) (vi) के अंतर्गत एक करदाता निम्न दो प्रकार के भवनों पर प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation) पाने का अधिकारी है। यह ह्रास साधारण ह्रास (Normal Depreciation) के अलावा दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में निम्न प्रावधान प्रभावी हैं—

(*i*) **कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त भवन के सम्बन्ध में** (In respect of buildings used for low paid employees)—३१ मार्च १९६१ के बाद नये बनाये गये भवन की वास्तविक लागत का २०% प्रारम्भिक ह्रास के रूप में स्वीकार किया जायेगा बशर्ते कि उस भवन को, उस गत वर्ष में जिसमें वह बनाया गया है, निम्न उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है—

(अ) व्यापार में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के केवल निवास के लिए प्रयुक्त किया गया है जिनकी 'वेतन' शीर्षक में सम्मिलित होने वाली आय १०,००० रु० से अधिक नहीं है; अथवा

(ब) यदि वह भवन एक मात्र या विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे—ऐसे कर्मचारियों के लिए अस्पताल, कैण्टीन, लंचरूम, रैस्टरूम, स्कूल, मनोरंजन केन्द्र अथवा वाचनालय आदि के लिए प्रयुक्त भवन।

(*ii*) **एक भारतीय कम्पनी द्वारा होटल के लिए प्रयुक्त भवन के सम्बन्ध में** (In respect of building used as a hotel by Indian company)—निम्न

शर्तें पूरी होने पर प्रारम्भिक ह्रास की राशि नये भवन के वास्तविक निर्माण व्यय के २५% के बराबर स्वीकार की जायगी—

(अ) भवन ३१ मार्च, १९६७ के बाद बनकर तैयार होना चाहिए।

(ब) भवन एक भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हो तथा होटल के रूप में प्रयोग किया जाय।

(स) होटल केन्द्रीय सरकार से मंजूर हो।

(द) ह्रास की यह छूट उस गत वर्ष के लिए दी जाती है जिसमें भवन बन कर तैयार हो अथवा अगर भवन एकदम अगले वर्ष में प्रथम बार होटल के रूप में प्रयोग में लाया जाय तो उस अगले गत वर्ष के लिए।

नोट : नई मशीनरी व प्लाण्ट एवं जलपोतों के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाने वाला **'प्रारम्भिक ह्रास'** उन मशीनों, प्लाण्टों एवं जलपोतों के लिए स्वीकृत नहीं होगा, जो ३१ मार्च, १९७६ के बाद प्राप्त किए गये हैं। इन पर 'प्रारम्भिक ह्रास' की जगह **'विनियोग भत्ता'** (Investment allowance) स्वीकृत होगा। किन्तु ३१ मई १९७४ से ३१ मार्च १९७६ तक की अवधि में प्राप्त की गई मशीनों, प्लाण्टों व जलपोतों की वास्तविक लागत के २०% के बराबर प्रारम्भिक ह्रास प्रदान किया जायेगा। वशर्ते कि मशीन व प्लाण्ट ९वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक या अधिक वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन हेतु स्थापित की गई है या किसी लघु औद्योगिक संस्थान में किसी अन्य वस्तु के उत्पादन या निर्माण के व्यापार के उद्देश्य से लगाई गई है।

(६) **विनियोग भत्ता** (Investment Allowance)—वायुयानों एवं जलपोतों तथा नई मशीनरी व प्लाण्टों के सम्बन्ध में प्रचलित प्रारम्भिक ह्रास पद्धति को वित्त अधिनियम १९७६ के द्वारा विनियोग भत्ते में प्रतिस्थापित (replaced) कर दिया गया है। यह नई पद्धति विकास सम्बन्धी छूट की ही भाँति है। **इस भत्ते के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के निम्न प्रावधान हैं—**

(*i*) **यह भत्ता निम्न सम्पत्तियों पर प्रदान किया जाता है—**

(अ) **जलपोत एवं वायुयान** (Ships and Aircrafts)—जलपोत एवं वायुयान के संचालन व्यवसाय में लगे करदाताओं द्वारा ३१ मार्च १९७६ के बाद प्राप्त किए गये नये वायुयान या जलपोत यह भत्ता पाने के अधिकारी हैं। इन पर यह भत्ता निम्न नियमों के अधीन मिलता है—

(*a*) ये जलपोत एवं वायुयान **नये होने चाहिए।** विदेशों से आयातित (Imported) पुराने जलपोत व वायुयान, जो गत वर्ष के पूर्व तक भारत में किसी भी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त नहीं किए गये हैं, करदाता की दृष्टि से नये माने जाते हैं।

(*b*) यह भत्ता जलपोत या वायुयान की लागत के **२५% के बराबर** उस गत वर्ष में प्रदान किया जाता है जिस गत वर्ष में ये प्राप्त किए जाते हैं।

(*c*) जिन जहाजों पर धारा ३३ के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी छूट प्रदान की जाती है उन पर यह भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।

(ब) नई मशीनरी एवं प्लाण्ट (New Machinery or Plants)—यह भत्ता **नई मशीनरी या प्लाण्ट की लागत के २५% के बराबर** उस गत वर्ष में प्रदान किया जाता है जिस गत वर्ष में यह लगाई गई है अथवा जिस गत वर्ष में यह सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई हैं। यह भत्ता **३१ मार्च १९७६ के पश्चात् लगाई जाने वाली निम्न मशीनों के सम्बन्ध में प्रदान किया जाता है**—

(अ) प्लाण्ट एवं नई मशीनरी विद्युत या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण के व्यापार में लगी हो।

(ब) नई मशीनरी एवं प्लाण्ट ९ वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक या अधिक वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन हेतु स्थापित की गई है। जैसे लोहा एवं इस्पात, बिजली की मोटरें, मशीन टूल्स, खाद, व्यापारिक वाहन, जलपोत, वायुयान, टायर्स और ट्यूब, कागज, चीनी, कपड़ा और सीमेन्ट आदि।

(स) नई मशीनरी एवं प्लाण्ट एक लघु औद्योगिक संस्थान में किन्हीं वस्तुओं (९ वीं सूची में उल्लखित वस्तुओं सहित) के उत्पादन या निर्माण के व्यापार में लगी हो। लघु औद्योगिक संस्थान (Small Scale Industrial Undertaking) से आशय उस संस्थान से है जिसमें गत वर्ष के अन्तिम दिन मशीनरी एवं प्लाण्ट की लागत का योग (छोटे औजार, नमूने आदि की लागत छोड़कर) १० लाख रुपये से अधिक नहीं है।

नोट : नई मशीनरी एवं प्लाण्ट के अन्तर्गत विदेशों से आयातित (Imported) वे पुरानी मशीनरी व प्लाण्ट भी सम्मिलित हैं जो गत वर्ष के पूर्व तक किसी भी समय भारत के किसी भी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई हैं।

(*ii*) **यह भत्ता निम्न के सम्बन्ध में प्रदान नहीं किया जायेगा—**

(अ) किसी कार्यालय भवन या किसी निवास गृह (अतिथि गृह सहित) में लगी मशीनरी व प्लाण्ट।

(ब) कार्यालय उपकरण (Appliances) और सड़क यातायात वाहन।

(स) कोई भी ऐसी मशीनरी एवं प्लाण्ट जिसके सम्बन्ध में धारा ३३ अन्तर्गत विकास छूट प्रदान की जाती है।

(द) कोई भी ऐसी मशीनरी एवं प्लाण्ट जिसकी सम्पूर्ण लागत, करदाता की गत वर्ष की करयोग्य आय ज्ञात करते समय, कटौती (ह्रास व अन्य) के रूप में स्वीकृत हैं।

(*iii*) **अशोधित विनियोग भत्ता** (Unabsorbed Investment Allowance)—

८ कर-निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। जिस कर निर्धारण वर्ष में यह भत्ता कटौती के रूप में स्वीकृत है यदि उस वर्ष में यह भत्ता पूरा न घटाया जा सके तो शेष राशि को अशोधित विनियोग भत्ता मानकर उसको **अगले आठ कर निर्धारण** वर्षों तक किसी भी वर्ष में घटाया जा सकता है।

(*iv*) **विनियोग भत्ते को प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तें हैं**—

(अ) करदाता द्वारा जलपोतों, वायुयानों व मशीनों या प्लाण्टों के सम्बन्ध में सभी सूचनायें प्रदान कर दी गई हों।

(ब) जलपोतों के सम्बन्ध में विनियोग भत्ते का ५०% तथा अन्य के सम्बन्ध में विनियोग भत्ते का ७५% भाग लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में तथा **'विनियोग भता संचय खाते'** (Investment Allowance Reserve Account) के जमा पक्ष में उस गत वर्ष में हस्तान्तरित कर देना चाहिए जिस गत वर्ष में यह भत्ता स्वीकृत किया जाना है।

(स) विनियोग भत्ता संचय खाता निम्न के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है—

(*a*) जिस गत वर्ष में नई मशीन व प्लाण्ट लगाई गई तथा जलपोत या वायुयान प्राप्त किए गये हैं उस गत वर्ष के बाद १० वर्षों के अन्दर-अन्दर **नये जलपोत, वायुयान या मशीनरी व प्लाण्ट प्राप्त करने के लिए।**

(*b*) **संस्थान के व्यवसाय के लिए।** किन्तु यह संचय लाभांश वितरित करने या भारत के बाहर लाभ के रूप में वितरित करने अथवा भारत के बाहर नवीन सम्पत्ति सृजन करने के लिए प्रयुक्त न होगा।

(७) **किराये या पट्टे पर लिए भवन के सम्बन्ध में ह्रास** (Depreciation on leased or rental premises)—यदि एक करदाता किराये पर कोई सम्पत्ति लेता है और उस पर ३१ मार्च १९७० के बाद उसके किसी निर्माण कार्य, नवीनीकरण व सुधार पर कोई पूँजीगत खर्चा करता है तो वह उस पूँजीगत खर्चे पर आय-कर नियमों की निर्धारित दर से ह्रास पाने का अधिकारी है बशर्ते वह सम्पत्ति व्यापार व पेशे के लिए प्रयुक्त की गई हो तथा वह पूँजीगत व्यय भी व्यापार व पेशे के उद्देश्य से किया गया हो।

जब किरायेदारी की समाप्ति पर यदि यह सम्पत्ति बेची, तोड़ी या नष्ट की जाती है तो करदाता अन्तिम छूट के लिए अधिकारी होगा और यह अन्तिम छूट की राशि अपलिखित मूल्य में से प्राप्त राशि के घटाने के बाद जो राशि बचती है उसके बराबर होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी कमी करदाता की पुस्तकों में वास्तव में अपलिखित कर दी गई है।

(८) **सन्तुलन चार्ज या माने गये लाभ** (Balancing Charge or Deemed Profits)—धारा ४१(२) के अनुसार, जब कोई भवन, मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर जोकि करदाता के पास हो तथा जो उसके व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग किया गया हो, बेच दिया जाय, डिस्कार्ड हो जाय, गिर जाय अथवा नष्ट हो जाय, तब ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त रकम तथा अवशेष मूल्य पर (अगर कुछ हो) यदि उसके अपलिखित मूल्य से अधिक है तब इस आधिक्य का उतना भाग जोकि स्वीकार किये गये ह्रास के बराबर है, उस वर्ष का जबकि धन प्राप्त हुआ है, लाभ मान लिया जायगा। **ऐसे लाभ जिन पर कर लगना है सन्तुलित चार्ज कहलाते हैं।** लेकिन ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त हुई रकम उसके अवशेष मूल्य सहित यदि उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत से अधिक हो, तो वह आधिक्य पूँजी लाभ होगा।

किसी गत वर्ष में पहले ही बन्द हो चुके व्यापार या व्यवसाय के भवन, मशीनरी, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के लिए प्राप्त रकम पर भी, यह मानते हुए कि व्यापार अथवा व्यवसाय गत वर्ष में चालू था, उपरोक्त बातें लागू होंगी।

जहाँ पर मोटर-कार का वास्तविक मूल्य २५,००० रु० से अधिक है वहाँ ह्रास की छूट की राशि निकालते समय, वास्तविक मूल्य का वह भाग जो २५,००० रु० से अधिक है, भुला दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार की सम्पत्ति पर सन्तुलन चार्ज की राशि की गणना करने के लिए 'प्राप्त रकम' वह रकम मानी जायगी जो कि बिक्री मूल्य का वही अनुपात है जोकि २५,००० रु० वास्तविक मूल्य का अनुपात है।

उदाहरण ३—एक मोटर-कार व्यापार के उद्देश्य के लिए ५०,००० रु० की लागत पर क्रय की गई। बाद में यह ४४,००० रु० में बेच दी गयी। विक्रय के समय इसका अपलिखित मूल्य (२५,००० रु० की निश्चित राशि में से स्वीकृत ह्रास घटाकर) २०,००० रु० है। मोटर-कार के विक्रय पर संतुलित ह्रास, यदि कोई है, की राशि क्या होगी ?

A motor-car is purchased for the purpose of a business at a cost of Rs. 50,000. It is subsequently sold for Rs. 44,000. At the time of its sale, its written-down value (computed by deducting the depreciation allowed from the ceiling amount of Rs. 25,000) is Rs. 20,000. What is the amounting of balancing charge, if any, on the sale of this motor-car ?

Solution

	Rs.
Amount of adjusted sale proceeds being 25,000/50,000 of Rs. 44,000 or	22,000
Written-down value of the motor-car	20,000
Balancing Charge	2,000

उदाहरण ४—एक कम्पनी, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, अपना व्यापार नवम्बर १९७५ में बन्द कर देती है। उसके व्यापार में प्रयुक्त एक भवन का मूल्य १,००,००० रु० था और उसमें से अब तक का, कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ को सम्मिलित करके स्वीकृत ह्रास (प्रारम्भिक ह्रास को सम्मिलित करके) ३८,५४८ रु० था। यह भवन मार्च १९७६ में १,५०,००० रु० में बेच दिया गया।

भवन के विक्रय पर करयोग्य लाभ (यदि कोई हो) की गणना कीजिए।

A company whose accounting year ends on 31st December closed down its business in November 1975. A building used for that business cost Rs. 1,00,000 and the depreciation (including initial depreciation) actually allowed in respect thereof up to and including the assessment year 1976-77 amounted to Rs. 38,548. This building was sold in March 1976 for Rs. 1,50,000.

Work out the amount of the profit (if any) liable to tax on the sale of the building.

Solution

The written-down value of the building after taking into account the initial depreciation is Rs. 61,452. The excess of its sale proceeds (Rs. 1,50,000) over the written-down value is Rs. 88,548. Therefore, Rs. 38,548 (equal to depreciation allowed) out of Rs. 88,548 is profit liable to tax in the assessment year 1977-78. It is immaterial that the business in question was not in existence in the previous year 1976 in which the building was actually sold.

The excess of Rs.1,50,000 over the cost of the building (Rs.1,00,000) being Rs. 50,000 is a capital gain also liable to tax in the assessment year 1977-78.

अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)

धारा ३२(२) के अनुसार, यदि किसी व्यापार अथवा पेशे में करयोग्य लाभ की कमी के कारण साधारण ह्रास (अतिरिक्त पाली के लिए दी जाने वाली ह्रास की छूट की राशि सहित) एवं प्रारम्भिक ह्रास की कुल राशि अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार नहीं किया जा सका है तो ह्रास की इस शेष राशि को अशोधित ह्रास कहते हैं। परन्तु ह्रास की वह राशि जिसके लिए किन्हीं अन्य कारणों

से छूट नहीं दी जाती (जैसे आय-कर अधिकारी द्वारा माँगा गया विवरण न पेश करने पर ह्रास की अस्वीकृत राशि), अशोधित ह्रास में सम्मिलित नहीं की जाती है।

किसी भी गत वर्ष के लिए दी जाने वाली **अन्तिम ह्रास की राशि को अशोधित ह्रास की राशि में नहीं जोड़ा जाता बल्कि उसे उस वर्ष की हानि मान लिया जाता है।**

अशोधित ह्रास के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के आवश्यक आयोजन निम्नलिखित हैं—

(१) अशोधित ह्रास को वास्तव में दिये गये ह्रास की तरह माना गया है।

(२) यदि किसी व्यापार के लाभ, व्यापार की सम्पत्तियों पर ह्रास के लिए स्वीकृत छूट की राशि में कम है तो ह्रास की शेष राशि को किसी अन्य व्यापार के लाभ में से घटाया जा सकता है, और यदि अन्य व्यापार में भी लाभ कम रह जाए तो शेष राशि को उस गत वर्ष की अन्य स्रोतों के अन्तर्गत करयोग्य आय में से घटाया जा सकता है।

(३) यदि ह्रास की राशि उस गत वर्ष की आय में से पूर्णरूप से नहीं घट पाती है तो शेष राशि को अगले वर्षों में आगे ले जाया जा सकता है। यह आगे लाई गई अशोधित ह्रास की राशि चालू वर्ष की ह्रास की राशि का ही भाग समझी जायगी और इस प्रकार चालू वर्ष के लाभ में से अशोधित ह्रास की राशि एवं चालू वर्ष के लिए स्वीकार की गई ह्रास की राशि दोनों को ही घटाया जायगा। यदि लाभ कम हों तो कुल को अन्य स्रोतों की आय में से घटा दिया जायगा। इस प्रकार पिछले वर्षों से आगे लाई गई अशोधित ह्रास की राशि को (व्यापारिक हानियों से विपरीत) किसी भी अन्य स्रोत की करयोग्य आय में से घटाया जा सकता है।

(४) यदि करदाता एक पंजीकृत फर्म है अथवा एक ऐसी अपंजीकृत फर्म है जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की भाँति हुआ है तो उपरोक्त सिद्धान्त इसके साझेदारी की आय पर कर-निर्धारण करते समय लागू किये जायेंगे।

(५) अशोधित ह्रास की राशि को अगले वर्षों में आगे ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि उस वर्ष में जिसमें ये ह्रास आगे लाये गये हैं, वह व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके सम्बन्ध में यह अशोधित ह्रास है, चालू रहना चाहिए। यदि अशोधित ह्रास किसी ऐसे व्यापार की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है जो पिछले वर्षों में बन्द हो चुका है तो वह चालू वर्ष की करयोग्य आय में से नहीं घटाया जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि **अशोधित ह्रास की राशि को अगले वर्षों की करयोग्य आय में से घटाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार करदाता द्वारा स्वयं चालू रखना चाहिए।**

(६) यदि किसी चालू वर्ष में अशोधित ह्रास एवं व्यापारिक हानियाँ दोनों ही आगे लायी जाती हैं तो ऐसे वर्ष के लाभ में से सर्वप्रथम व्यापारिक हानियों को

घटाया जायगा तथा बाद में अशोधित ह्रास को। यह आयोजन करदाता के अपने हित में ही है क्योंकि व्यापारिक हानियों को केवल ८ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है जबकि अशोधित ह्रास के लिए इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है।

(७) यदि व्यापार के लाभ (i) आगे लाई गई हानियों (ii) चालू ह्रास और (iii) पूर्व वर्षों के अशोधित ह्रास को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं तो इनको निम्न क्रम से घटाया जायेगा—

सर्वप्रथम ;	चालू ह्रास
तदुपरान्त ;	पिछले वर्षों की लाई गई हानियाँ
तृतीय ;	पिछले वर्षों का अशोधित ह्रास
चतुर्थ ;	पिछले वर्षों की अशोधित विकास दर (Development-rebate)
पंचम ;	चालू विकास दर

सम्पत्ति की वास्तविक लागत (Actual Cost of an Asset)

एक करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी **जोकि वह उसे प्राप्त करने के लिए वास्तव में खर्च करता है और उस लागत में से वह राशि घटा दी जाती है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा चुकाई गई हो।**

यदि करदाता द्वारा प्राप्त की गई एक मोटर-कार की (पर्यटकों के प्रयोग के लिए किराये पर मोटर-कार को छोड़कर) वास्तविक लागत २५,००० रु० से अधिक है तो २५,००० रु० से अधिक राशि को छोड़ दिया जाता है और ह्रास के लिए उसकी वास्तविक लागत २५,००० रु० ही मानी जाती है।

निम्न दशाओं में एक सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य एक काल्पनिक अथवा कृत्रिम राशि है—

(१) जबकि एक सम्पत्ति व्यापार से सम्बन्धित **वैज्ञानिक अनुसंधान** में प्रयोग की समाप्ति के बाद व्यापार में प्रयोग की जाय तो उसकी वास्तविक लागत से इस वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित स्वीकार की गई कटौतियाँ घटा दी जायेंगी।

(२) यदि एक सम्पत्ति करदाता ने **भेंट में या पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त** की हो तो उसकी वास्तविक लागत पिछले मालिक का अपलिखित मूल्य या हस्तांतरण की तिथि पर बाजार मूल्य—जो भी इन दोनों में से कम हो—होगी।

(३) जब करदाता ने कोई ऐसी सम्पत्ति प्राप्त की है जोकि किसी समय किसी **दूसरे व्यक्ति के पास उसके व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग के लिए थी** तथा सम्पत्ति को करदाता को हस्तांतरण करने का मुख्य उद्देश्य ह्रास की अधिक राशि की छूट की माँग करना है तो ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह होगी जोकि आय-कर अधिकारी निर्धारित करे।

(४) जब एक सम्पत्ति किसी समय करदाता की थी तथा उसके व्यापार

अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई थी लेकिन बाद में हस्तांतरण अथवा अन्य किसी कारण से उसकी सम्पत्ति नहीं रही थी और अब करदाता ने इसे दुबारा प्राप्त कर लिया है तो सम्पत्ति की वास्तविक लागत **निम्न दो राशियों में से न्यूनतम राशि होगी**—

(अ) जब उस करदाता ने उस सम्पत्ति को पहले प्राप्त किया था तब उसकी वास्तविक लागत उसे स्वीकार किये गये तमाम ह्रास (अन्तिम ह्रास सहित) को घटाने एवं संतुलित चार्ज को जोड़ने के बाद ; अथवा

(ब) दुबारा प्राप्त करने की वास्तविक लागत ।

(५) यदि एक भवन जिसका कि करदाता पहले से ही स्वामी है, करदाता द्वारा उसके अपने व्यापार के प्रयोग में लिया जाय तो उस भवन की लागत में से भवन को व्यापार के प्रयोग में लाने की तिथि तक के लिए ह्रास की राशि को घटा कर आई राशि को वास्तविक लागत माना जायगा । इस उद्देश्य के लिए ह्रास दर वही लगाई जायगी जोकि व्यापार में भवन को प्रयोग में लिये जाने की तिथि पर है ।

(६) यदि एक सूत्रधारी कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी को अथवा सहायक कम्पनी अपनी सूत्रधारी कम्पनी को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण करती है तो हस्तांतरित की गई पूँजी सम्पत्ति की लागत, हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कम्पनी (Transferee Company) के लिए वही राशि होगी जो कि हस्तांतरण करने वाली (Transferor) कम्पनी के लिए होती, यदि वह सम्पत्ति इस कम्पनी के व्यापार में प्रयुक्त होती रहती । यह नियम तभी लागू होगा जबकि निम्न शर्तें पूरी होती हों —

(अ) सूत्रधारी कम्पनी के पास सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूँजी है; तथा

(ब) हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कम्पनी (Transferee Company) एक भारतीय कम्पनी है ।

(७) यदि किसी एकीकरण की योजना के अंतर्गत एक एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamating company) अपनी कोई पूँजीगत सम्पत्ति एकीकृत कम्पनी (Amalgamated company) को हस्तांतरित कर देती है तो उस हस्तांतरित पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत एकीकृत कम्पनी के लिए वही राशि होगी जोकि एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamating company) के लिए होती, यदि वह कम्पनी अपने व्यापार में इस सम्पत्ति को प्रयुक्त करती रहती ।

उदाहरण ५—एक्स ने १ जनवरी, १९७५ को ८०,००० रु० की एक मशीन क्रय की और उसको कलैण्डर वर्ष १९७५ व १९७६ में व्यापार कार्य में प्रयुक्त किया । इनके सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में इस मशीन पर स्वीकृत ह्रास ८,००० रु० व ७,२०० रु० रहा है । 'एक्स' ने यह मशीन 'वाई' को १ जनवरी १९७७

को दान में दे दी और 'वाई' ने इसको तुरन्त अपने व्यापार के लिए प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

वाई के लिए इस मशीन की वास्तविक लागत क्या है ? यदि इसका बाजार मूल्य १ जनवरी, १९७७ को (*i*) ७०,००० रु० और (*ii*) ६०,००० रु० था।

X purchased machinery on lst January, 1975 for Rs. 80,000 and used it for his business for the calendar years 1975 and 1976. The depreciation allowed to him in the relative assessments amounted to Rs.8,000 and Rs. 7,200 respectively. X made a gift of this machinery to Y on lst January 1977, and Y started using it for his business immediately.

What is the actual cost of this machinery to Y if its market value is (*i*) Rs. 70,000 and (*ii*) Rs. 60,000 as on lst January 1977.

Solution

Where an asset is acquired by the assessee by way of gift or inheritance, the actual cost thereof is its written-down value as in the case of the previous owner or the market value thereof on the date of such acquisition whichever is less.

The written-down value of the machinery gifted to Y is Rs. 80,000—Rs. 15,200=Rs. 64,800. Therefore the actual cost of this machinery to Y Rs. 64,800 in (*a*) and Rs. 60,000 in (*b*).

अपलिखित मूल्य (**Written-down Value**)

एक ह्रास योग्य सम्पत्ति के अपलिखित मूल्य से निम्न अर्थ हैं—

(अ) गत वर्ष में प्राप्त की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता की वास्तविक लागत, तथा

(ब) गत वर्ष से पहले प्राप्त की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता को वास्तविक लागत में से वास्तव में स्वीकार की गई (न कि स्वीकार की जा सकने वाली) ह्रास की राशि को घटाने के बाद आई राशि। अशोधित ह्रास को वास्तव में दिये गये ह्रास की तरह माना गया है। सामान्य तथा अतिरिक्त पाली उपयोग के लिए ह्रास की छूट को अपलिखित मूल्य की गणना करने के लिए स्वीकार किए गये ह्रास की भाँति मानकर वास्तविक लागत में से घटा दिया जायेगा। प्रारम्भिक ह्रास को सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से नहीं घटाया जायगा।

ह्रास की कुछ प्रस्तावित दरें

(Prescribed Rates of Depreciation)

The rates of depreciation have been prescribed by Rule 5 of the Income-Tax Rules, 1962. Some of these rates are as follows :

Buildings :

First class buildings 2½% On W.D.V.
Second class buildings 5% On W.D.V.

Third class buildings 7½% On W.D.V.
Purely temporary erections such as wooden structures (100%)
Double these rates will be taken for factory buildings excluding offices, godowns, officers' and employees' quarters.

Furniture and Fittings :

General rates 10% on W.D.V.
Rate for furniture and fittings used in hotels, restaurants and boarding houses, schools, colleges and other educational institutions libraries, welfare centres, meeting halls, cinema houses, theatres and circuses, and for furniture and fittings let out on hire for use on the occasion of marriages and similar functions 15% on W.D.V.

Machinery and Plant :

General rate 10% on W.D.V. applicable where there is no special rate.
Special rates :
Typewriters, accounting machines, calculating machines and office machinery 15% on W.D.V. but (NESA)
Air-conditioning machinery 15% on W.D.V. but (NESA)
Surgical instruments 15% on W.D.V. but (NESA)
Cycles, motor-cars, motor cycles, scooters and other mopeds 20% on W.D.V. but (NESA)
Printing machines 20% on W.D.V.
X-ray apparatus 20% W.D.V. but (NESA)
Motor buses, motor lorries, motor taxi and motor tractors 30% on W.D.V. but (NESA)
No extra shift allowance is granted in respect of any item of machinery or plant against which the letters "NESA" are given

विकास छूट
(Development Rebate)

धारा ३३(१) के अन्तर्गत, एक करदाता को नये जलपोत (Ships) अथवा प्रतिस्थापित नई मशीन एवं प्लाण्ट (यातायात वाहनों एवं कार्यालय-यंत्रों को छोड़ कर) के लिए जो करदाता के स्वामित्त्व में हैं तथा जोकि पूर्णरूप से करदाता के व्यापार के (पेशे में नहीं) काम में लाई गई हों, विकास छूट मिलती है ।

विकास छूट, ह्रास से बिल्कुल भिन्न है। यह छूट ह्रास के अतिरिक्त दी जाती है।

विकास छूट किस वर्ष में मिलेगी

जिस वर्ष में जलपोत खरीदा जाता है अथवा मशीन, प्लाण्ट स्थापित किया जाता है, अगर उस वर्ष में यह सम्पत्ति व्यापार के काम में लाई जाती है तो विकास छूट की राशि उसी वर्ष कटौती के रूप में स्वीकार की जाती है। परन्तु अगर यह सम्पत्ति व्यापार में प्रथम बार कार्य में तुरन्त अगले वर्ष में ही ली जाती

है, तब छूट इस तुरन्त अगले वर्ष में ही मिलेगी; लेकिन यदि इस सम्पत्ति को तुरन्त अगले वर्ष के पश्चात व्यापार में प्रथम बार कार्य में लाया जायगा तो इस सम्पत्ति पर विकास छूट नहीं मिलेगी ।

विकास छूट देने के लिए आवश्यक शर्तें

एक करदाता को जलपोत, मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास छूट के लिए घटौती तब ही स्वीकार की जायेगी जबकि **निम्न शर्तें पूरी हो जायें**—

(१) सम्पत्ति करदाता के **स्वामित्व में** होनी चाहिए तथा इसका प्रयोग पूर्णरूप से केवल व्यापार (व्यवसाय नहीं) के लिए ही किया जाना चाहिए ।

(२) करदाता ने जलपोत अथवा मशीन अथवा प्लाण्ट के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट का **प्रस्तावित विवरण दे दिया है ।**

(३) उस गत वर्ष में स्वीकार किये जाने वाली विकास छूट की ७५% के बराबर लाभ-हानि खाते को डेबिट करके विकास छूट संचय खाते को क्रेडिट कर दी गई है । यदि लाभ-हानि खाते को डेबिट की गई राशि विकास सम्बन्धी छूट के ७५% से कम है तो कटौती के रूप में कोई विकास छूट स्वीकार नहीं की जायगी ।

(४) करदाता इस संचय को अगले आठ वर्षों की अवधि में अपने व्यापार के उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह इस अवधि में उसे लाभांश या लाभों के बाँटने अथवा भारत से बाहर भेजने अथवा भारत से बाहर किसी सम्पत्ति को प्राप्त करने में नहीं लगा सकता है ।

(५) ऐसी सम्पत्ति जिस पर विकास छूट स्वीकार की गई है, किसी भी व्यक्ति को (सरकार, स्थानीय सत्ता एक वैधानिक नियम अथवा एक सरकारी कम्पनी के अतिरिक्त) उस गत वर्ष के आखिर से जबकि सम्पत्ति प्राप्त की गई थी, अगले आठ वर्षों तक न तो वेची जाये अथवा अन्य किसी प्रकार से विनिमय की जाय अथवा निम्न वर्णित एकीकरण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण हस्तान्तरित की जाय ।

पुरानी सम्पत्तियों पर विकास छूट

अधिनियम की धारा ३३ (1A) के प्रावधानों के अन्तर्गत पुरानी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी विकास की छूट प्रदान की जाती है । यह छूट **तभी प्रदान की जायेगी जबकि उपरोक्त ५ शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तें भी पूरी हों**—

जलपोतों के सम्बन्ध में—

(*i*) जलपोत ३१ मार्च १९७४ के बाद प्राप्त किया गया ।

(*ii*) यह जलपोत प्राप्त तिथि से पूर्व किसी भी तिथि को भारत के निवासी किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं रहा था ।

(*iii*) यह जलपोत करदाता द्वारा संचालित व्यापार में पूर्णरूप से प्रयुक्त किया जाता है।

(*iv*) अन्य शर्तें जो इस विषय में प्रस्तावित की जायें।

प्लॉण्ट व मशीनरी के सम्बन्ध में

(*i*) प्लॉण्ट व मशीनरी, लगाने की तिथि से पूर्व किसी भी समय, भारत में प्रयुक्त नहीं की गई थी।

(*ii*) यह करदाता द्वारा किसी बाहर के देश से आयात (Import) की गई है।

(*iii*) इस प्लॉण्ट व मशीन को करदाता के यहाँ लगाने के पूर्व, इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की ह्रास या विकास छूट वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम १९२२ के अन्तर्गत न तो स्वीकृत की गई है और न स्वीकार करने योग्य है।

(*iv*) यह प्लॉण्ट व मशीन करदाता द्वारा संचालित व्यापार में पूर्णरूप से प्रयुक्त की जाती है।

(*v*) अन्य शर्तें जो इस विषय में प्रस्तावित की जायें।

स्वीकृत विकास छूट को वापस लेना

निम्न दशाओं में पहले से स्वीकार की गई विकास छूट को अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा उस वर्ष के कर-निर्धारण को जिसमें यह छूट प्रदान की गई थी, पुनः किया जायेगा। कर-निर्धारण पर पुनर्विचार (Revision) धारा १५५ (५) के अन्तर्गत **'गलती के सुधार'** (Rectification of Mistake) की तरह किया जायेगा—

(*i*) जब वह सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में विकास छूट स्वीकार की गई है, प्राप्त करने वाले गत वर्ष के अन्त से आठ **वर्षों के अन्दर किसी व्यक्ति को बेच दी गई है** या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर दी गई है। किन्तु यदि उक्त सम्पत्ति सरकार, स्थानीय सत्ता, सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निगम अथवा सरकारी कम्पनी को बेची गई है, अथवा एकीकरण व उत्तराधिकार के अन्तर्गत हस्तांतरित की गई है तो स्वीकृत विकास छूट अस्वीकार नहीं की जायेगी।

(*ii*) जब करदाता द्वारा **विकास संचय में जमा की गई राशि उक्त गत वर्ष के अन्त से आठ वर्षों के अन्तर्गत** निम्न किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है—

(अ) लाभांश या लाभ वितरित करने के लिए ; या

(ब) भारत के बाहर लाभों की भाँति वितरित करने के लिए या भारत के बाहर सम्पत्ति का निर्माण करने के लिए ; या

(स) कोई भी अन्य उद्देश्य जो कि संस्था के व्यापार का उद्देश्य नहीं है।

विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाना

अशोधित विकास सम्बन्धी छूट को आगे ले जाने के नियम केवल एक अन्तर को छोड़कर ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार अशोधित ह्रास को आगे ले जाने के हैं। वह अन्तर है कि **अशोधित ह्रास अनिश्चित काल तक आगे ले जाया जा सकता है परन्तु अशोधित विकास छूट को आठ वर्षों तक ही ले जाया जा सकता है।**

यदि एक करदाता की किसी गत वर्ष की कुल आय (विकास छूट स्वीकार करने से पहले) विकास छूट की पूरी राशि से कम हो तो उस वर्ष के लिए उतनी ही छूट स्वीकार की जायेगी जितनी कि कुल आय है तथा छूट का शेष अगले आठ वर्षों में स्वीकार करने के लिए आगे ले जाया जायेगा।

यदि किसी **कर-निर्धारण वर्ष में एक से अधिक गत वर्षों के लिए विकास छूट स्वीकार करनी है किन्तु उस कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय उन राशियों के योग से जो स्वीकृत करनी है, कम है तो निम्न तरीका अपनाया जायगा—**

(अ) सर्व प्रथम उस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष से पूर्व के गत वर्ष की विकास छूट स्वीकार की जायगी ; तथा

(ब) किन्तु यदि विकास छूट पिछले गत वर्ष से भी अधिक वर्षों से चली आ रही है तो पहले (Earlier) गत वर्षों से आयी छूट को पिछले (Later) गत वर्ष से आयी छूट से पूर्व स्वीकार किया जायेगा।

ऊपर वर्णित उद्देश्य के लिए कुल आय से तात्पर्य (*i*) विकास छूट तथा (*ii*) जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती काटने से पूर्व आयी आय से है।

एकीकरण अथवा उत्तराधिकार (Amalgamation or Succession)—जहाँ एक कम्पनी दूसरी कम्पनी में मिल जाये अथवा एक फर्म कम्पनी में (चाहे पब्लिक हो अथवा प्राइवेट) बदल जाये तथा ऐसी मशीन अथवा प्लॉण्ट, जिन पर पिछले मालिक (Predecessor) को विकास छूट स्वीकार की गई थी, हस्तान्तरित हो जाएँ तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्तियों पर जो विकास सम्बन्धी छूट दी जा चुकी है, उसे वापिस नहीं किया जायगा तथा छूट के न स्वीकार किये गये भाग को भी उत्तराधिकारी कम्पनी को दे दिया जायेगा, बशर्ते कि नई कम्पनी ऊपर की शर्तों को पूरा करे।

अशोधित ह्रास एवं आगे लायी गयी विकास दर में अन्तर (Distinction between Unabsorbed Depreciation and Carried Forward Development Rebate)

इन दोनों में अग्रांकित अन्तर है—

(१) अशोधित ह्रास को असीमित समय तक के लिए आगे ले जाया जा सकता है कि अशोधित विकास दर केवल ८ वर्ष तक ले जाई जा सकती है।

(२) भावी कर-निर्धारण वर्षों की कुल आय ज्ञात करने के लिए पिछले वर्ष का अशोधित ह्रास चालू वर्ष के ह्रास को घटाने के बाद ही घटाया जायेगा किन्तु पिछले वर्षों की लाई गई अशोधित विकास दर चालू विकास दर से पूर्व घटाई जानी है।

विकास छूट को बन्द करना

३१ मई, १६७४ के पश्चात प्राप्त जलपोतों एवं स्थापित मशीनरी व प्लॉण्ट के सम्बन्ध में कोई विकास छूट स्वीकार नहीं की जायेगी। (Under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 2167 dated 28th May, 1971) किन्तु विकास छूट को बंद करने सम्बन्धी यह अधिसूचना निम्न दशाओं में अप्रभावी रहेगी—

(अ) **३१ मई, १६७४ के बाद** किन्तु **१ जनवरी, १६७० से पूर्व प्राप्त किए गये जलपोतों के सम्बन्ध में**, यदि करदाता आयकर अधिकारी को इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करके सन्तुष्ट करदे कि इस जहाज को क्रय करने का प्रसंविदा करदाता ने इसके स्वामी या उत्पादक के साथ १ दिसम्बर, १६७३ से पूर्व कर लिया था।

(ब) कोई भी मशीनरी व प्लॉण्ट जो अग्निश्मक संयंत्र (Coal fired Equipment), अथवा वह मशीनरी व प्लॉण्ट जो तेलश्मक संयंत्र को अग्निश्मक संयंत्र में परिवर्तित करता है (Machinery or Plant which converts oil fired equipment into coal fired equipment) किन्तु यह मशीनरी व प्लॉण्ट **३१ मई, १६७४** के बाद और **१ जून, १६७७ से पूर्व प्राप्त** किया होना चाहिए।

(स) **अन्य कोई भी मशीनरी** व प्लॉण्ट (जो उपर्युक्त (ब) में उल्लखित नहीं है) **जो करदाता द्वारा ३१ मई, १६७४ के बाद** किन्तु **१ जून १६७५ से पूर्व लगाली गई** है, यदि करदाता आयकर अधिकारी को इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करके संतुष्ट करदे कि इस मशीनरी व प्लाण्ट को क्रय करने का प्रसंविदा इसके स्वामी, उत्पादक अथवा विक्रेता के साथ १ दिसम्बर, १६७३ से पूर्व कर लिया था। यदि यह मशीन व प्लॉण्ट करदाता के स्वामित्व वाले किसी संस्थान में उत्पादित हुई है तो उक्त तिथि से पूर्व

विकास छूट की दरें
(Rates of Development Rebate)

(१) नई सम्पत्तियों के लिए—

(A) **नया जलपोत** ४०%

(B) **नई मशीनरी व प्लाण्ट**—

ऐसे उद्योगों को सहायता देने के लिए जो कि भारत के औद्योगिक विकास मे विशेष महत्व रखते हैं तथा जिनका आयात स्थानापन्न (Import substitute) के विकास में विशेष महत्व है, विकास छूट एक विशेष आधार पर दी जाती है। ये दरें निम्न हैं —

(*i*) पाँचवीं अनुसूची में दी हुई किसी वस्तु का निर्माण अथवा उत्पादन करने वाली मशीन व प्लाण्ट की दशा में :

(अ) यदि वह १-४-१९७० से पहले प्रतिस्थापित की गई है ३५%

(ब) यदि वह ३१-३-१९७० के बाद प्रतिस्थापित की जाय २५%

(*ii*) भारतीय कम्पनी द्वारा स्वीकृत होटलों में ३१-३-१९६७ के बाद प्रतिस्थापित मशीन अथवा प्लाण्ट के लिए :

(अ) यदि वह १-४-१९७० से पहले प्रतिस्थापित की गई है ३५%

(ब) यदि वह ३१-३-१९७० के बाद प्रतिस्थापित की जाय २५%

(*iii*) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पूँजीगत व्यय की सम्पत्ति के रूप में ३१-३-१९६७ के बाद प्रतिस्थापित मशीन अथवा प्लाण्ट के लिए :

(अ) यदि वह १-४-१९७० से पहले प्रतिस्थापित की गई है ३५%

(ब) यदि वह ३१-३-१९७० के बाद प्रतिस्थापित की जाय २५%

(*iv*) अन्य किसी मशीन अथवा प्लाण्ट के लिए :

(अ) यदि वह १-४-१९७० से पहले प्रतिस्थापित की गयी है २०%

(ब) यदि वह ३१-३-१९७० के बाद प्रतिस्थापित की जाय १५%

(२) पुरानी सम्पत्तियों के लिए—

(A) **पुराने जलपोत के सम्बन्ध में**—

(*i*) यदि जलपोत इसके निर्माण तिथि से

७ वर्ष के अन्दर -अन्दर प्राप्त किया जाय ३५%

(*ii*) अन्य दशा में २०%

(B) **पुरानी मशीनरी व प्लॉण्ट के सम्बन्ध में—**

(*i*) यदि यह कोयले खानों के व्यापार के लिए
१ अप्रेल १९६६ से पूर्व स्थापित की गई है २०%

(*ii*) अन्य दशाओं में १०%

किसी भी व्यापारिक भवन अथवा निवास स्थान पर (अतिथि गृह सहित) प्रतिस्थापित की गई किसी भी प्लाण्ट अथवा मशीनरी (जैसे—वातानुकूलित करने वाली मशीन, रूम हीटर, बिजली का पंखा, रेफ्रीजेरेटर इत्यादि) के सम्बन्ध में विकास सम्बन्धी छूट नहीं दी जायगी। यह प्रतिबन्ध भारतीय कम्पनी द्वारा एक ऐसे भवन में, जो केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत होटल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, प्रतिस्थापित मशीन व प्लाण्ट पर लागू नहीं होगा।

विकास सम्बन्धी छूट के लिए सम्पत्ति की 'वास्तविक लागत' उसी प्रकार से निर्धारित की जायगी जिस प्रकार कि ह्रास की गणना करने के लिए की जाती है।

उदाहरण ६—एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी, जो जूतों के उत्पादन में लगी है, ३१ मार्च को अपने खाते बन्द करती है। लम्बी हड़ताल के कारण ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में फैक्टरी में केवल २०० दिन कार्य हुआ। गत वर्ष में फैक्टरी में ६० दिन दोहरी पारी और १०० दिन तिहरी पारी काम हुआ।

१ अप्रेल, १९७६ को प्लाण्ट एवं मशीनरी का अपलिखित मूल्य ३,६०,००० रु० है।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए प्लाण्ट एवं मशीनरी पर ह्रास की राशि निकालिए।

A limited company, engaged in the manufacture of shoes, closes its account on 31st March. Owing to a prolonged strike, its factory actually worked for 200 days in the year ended 31st March 1977 when there was double-shift working for 60 days and triple-shift working for another 100 days.

On 1st April 1976 the written-down value of its plant and machinery was Rs. 3,60,000.

Work out the amount of depreciation on plant and machinery allowable for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Normal depreciation at 10% on Rs. 3,60,000	36,000
Double-shift allowance being one-half of 60/240 of normal depreciation	4,500

Triple-shift allowance being 100/240 of normal depreciation	15,000
Depreciation Allowable	55,500

उदाहरण ७—एक कपड़ा मिल ने ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष के लिए निम्न ह्रास की माँग की—

	रु०	दर
भवन :		
प्रथम श्रेणी फैक्टरी :		
अपलिखित मूल्य १-१-१९७६ को	१,००,०००	५%
वृद्धि १-७-१९७६ को	५०,०००	
प्रथम श्रेणी गैर-फैक्टरी :		
अपलिखित मूल्य १-१-१९७६ को	५०,०००	२½%
प्लाण्ट एवं मशीनरी :		
अपलिखित मूल्य १-१-१९७६ को उस मशीन का जो १९७२ में लगाई गई	१,५०,०००	
वृद्धि (नई) १-३-१९७६ को	१,००,०००	१०%
वृद्धि (पुरानी) १-७-१९७६ को	१,००,०००	
फर्नीचर :		
अपलिखित मूल्य १-१-१९७६ को	१०,०००	
वृद्धि २१-१२-१९७६ को	५,०००	१०%

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए ह्रास व विकास दर की राशि ज्ञात कीजिए एवं १-१-१९७७ को अपलिखित मूल्य भी बताइए।

A cotton mill company has furnished the following particulars for its depreciation claim for the accounting year ended 31st December 1976 :

	Rs.	Rate
Buildings :		
First Class Factory :		
W. D. V. on 1-1-1976	1,00,000	5%
Additions on 1-7-1976	50,000	
First Class Non-factory :		
W. D. V. on 1-1-1976	50,000	2½%
Plant and Machinery :		
W. D. V. on 1-1-1976 of machinery installed in 1972	1,50,000	10%
Additions (New) on 1-3-1976	1,00,000	
Additions (Second-hand) on 1-7-1976	1,00,000	
Furniture :		
W. D. V. on 1-1-1976	10,000	10%
Additions on 21-12-1976	5,000	

Work out the amount of development rebate and depreciation allowance for the assessment year 1977-78 and also the W.D.V. as on 1-1-1977.

Solution

	Rs.
Initial Depreciation :	
20% on Rs. 1,00,000 being cost of new additions to machinery on 1-3-1976	20,000

	Depreciation Allowance	
	Normal Depreciation	W. D. V. on 1-1-1976
Factory Buildings :	Rs.	Rs.
5% on Rs. 1,50,000	7,500	1,42,500
Non-factory Buildings :		
2½% on Rs. 50,000	1,250	48,750
Plant and Machinery :		
10% on Rs. 3,50,000	35,000	3,15,000
Furniture :		
10% on Rs. 15,000	1,500	13,500
	45,250	

Note :

New addition of machine on 1-3-1975 is not entitled to development rebate. It is entitled to initial depreciation @ 20%.

उदाहरण ८—एक कागज के व्यापारी ने, जिसका लेखा वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है। १ अक्टूबर, १९७३ को २०,००० रु० की लागत के एक भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया। कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ के लिए ५०० रु० का ह्रास अशोधित था।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए। ह्रास की दर ५% है।

A paper merchant, whose accounting year ends on 31st March, completed the construction of a new building for his business on 1st October, 1973 at a cost of Rs. 20,000. The depreciation for the assessment year 1976-77 was unabsorbed to the extent of Rs. 500.

Calculate the amount of depreciation allowance for the assessment year 1977-78, the rate of depreciation being 5%.

Solution

Assessment year		Rs.
1974-75	Normal at 5% on Rs. 20,000	1,000

1975-76 Normal at 5% on Rs. 19,000		950
1976-77 Normal at 5% on Rs. 18,050	902	
Less Unabsorbed c/f	500	402
1977-78 Normal at 5% on Rs. 17,148 (Rs. 18,050—Rs. 902)	857	
Unabsorbed c/f from 1976-77	500	1,357

Therefore, the depreciation allowance for 1977-78 is Rs. 1,357.

उदाहरण ६—एक व्यक्ति ने १ जुलाई, १९७६ को एक नया व्यापार प्रारम्भ किया और इसके लिए उसने २०,००० रु० की लागत पर एक मशीन दूसरे व्यक्ति से, जो अपना व्यापार बन्द कर रहा था, खरीदी और उसे अपने भवन में लगाई जो कि मई, १९७३ में १०,००० रु० की लागत पर निर्मित की गई।

मशीनरी व भवन के लिए ह्रास की निर्धारित दरें क्रमशः १०% व २½% हैं। उसका हिसाबी वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है।

यदि कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ में करदाता भवन और मशीनरी की लागत पर ह्रास की मांग करता है तो आप उसकी माँग की पूर्ति कैसे करेंगे ?

A person set up a new business on 1st July 1976 and for this purpose he purchased machinery for Rs. 20,000 from another person who was closing down his business and installed it in his own building which was constructed at a cost of Rs. 10,000 in May 1973.

The prescribed rates of depreciation for machinery and buildings are 10% and 2½% respectively. His accounting year ends on 31st March.

If in his assessment for 1977-78 the assessee claims depreciation on the cost of building and machinery, how would you allow the claim ?

Solution

The depreciation allowable for the assessment year 1977-78 will be as under :

	Rs.
Building :	
Normal depreciation at 2½% on Rs. 9,270 taken to be the cost of building as calculated below	232
Machinery :	
Normal depreciation at 10% on Rs. 20,000	2,000
Depreciation Allowance	2,232

Depreciation cannot be allowed on the cost of building (Rs. 10,000), because where a building previously owned by an assessee is brought into

use for purposes of his business, the actual cost thereof to the assessee is the actual cost of the building as reduced by an amount equal to the depreciation that would have been allowable had the building been used for business purposes since the date of its acquisition by the assessee. The effect of this provision is that an assessee who brings into business use a building already depreciated in value cannot claim depreciation on the basis of its original cost.

		Rs.
Original cost in May 1973		10,000
Less Depreciation allowable for 1974-75 at 2½ %	250	
,, ,, ,, 1975-76 at 2½ %	243	
,, ,, ,, 1976-77 at 2½%	237	730
Written-down value on 1-7-1976		9,270

उदाहरण १०—एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी जिसका हिसावी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है, एक मशीन की स्वामी है, जिसकी लागत ५०,००० रु० है। यह मशीन १९७६ में प्रयोग में नहीं रही। उस समय इसका अवशिष्ट मूल्य १०,००० रु० अनुमानित किया गया। अब तक, कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ को सम्मिलित करके, इस मशीन पर २७,००० रु० का ह्रास स्वीकृत हो चुका है। यह मशीन मई, १९७७ में ८,००० रु० में बेच दी गई।

इस मशीन के सम्बन्ध में अन्तिम ह्रास की राशि क्या होगी ? यदि यह मशीन ८,००० रु० के बजाय १२,००० रु० में वेची होती तो स्थिति क्या होती ?

Machinery owned by a limited company, whose accounting year ends on 31st December, cost Rs. 50,000. It was discarded in September 1976 its scrap value being then estimated at Rs. 10,000. The depreciation actually allowed in respect of this machinery up to and including the assessment year 1976-77 was Rs. 27,000. The discarded machinery was actually sold in May 1977 for Rs. 8,000.

What is the amount of terminal depreciation in respect of this machinery and what would be the position if the discarded machinery were sold for Rs. 12,000 instead of Rs. 8,000 ?

Solution

On the basis of the scrap value of Rs. 10,000, a terminal depreciation of Rs. 13,000 can be claimed in the assessment year 1977-78 and on the basis of the sale price of Rs. 8,000, a further terminal allowance of Rs. 2,000 can be claimed in the assessment year 1978-79.

If the discarded machinery is sold for Rs. 12,000, there would be a taxable profit of Rs. 2,000 for the assessment year 1978-79 because on the basis of the scrap value of Rs. 10,000 a terminal depreciation of Rs. 13,000 was claimed in the assessment year 1977-78.

उदाहरण ११—एक मशीन की लागत १,००,००० रु० है इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। इसका अन्तिम ह्रास क्या होगा ? यदि यह मशीन (*a*) ३०,००० रु० (*b*) ४०,००० रु० (*c*) ७०,००० रु० (*d*) १,००,००० रु० व (*e*) १,२०,००० रु० में बेची जाती।

Machinery cost Rs. 1,00,000. Its written-down value is Rs. 40,000. What would be the position as regards terminal depreciation, if it were sold for Rs. 30,000, Rs. 40,000, Rs. 70,000, Rs. 1,00,000 and Rs. 1,20,000 ?

Solution

(*a*) When sold for Rs. 30,000, there is a terminal depreciation of Rs. 10,000.

(*b*) When sold for Rs. 40,000, there is no terminal depreciation and no taxable profit.

(*c*) When sold for Rs. 70,000, there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 30,000.

(*d*) When sold for Rs. 1,10,000 there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 60,000.

(*e*) When sold for Rs. 1,20,000, there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 60,000 and a capital gain of Rs. 20,000.

उदाहरण १२—एक मशीन की लागत १,००,००० रु० है। इसका अपलिखित मूल्य ४०,००० रु० है। यह मशीन बीमित है। यह नष्ट हो जाती है। नष्ट होने पर इसका अवशिष्ट मूल्य १०,००० रु० रह जाता है। अन्तिम ह्रास क्या होगा ? यदि बीमा कम्पनी से (*a*) २०,००० रु० (*b*) ३०,००० रु० (*c*) ६०,००० रु० (*d*) ९०,००० रु० व (*e*) १,१०,००० रु० प्राप्त होते हैं।

Machinery cost Rs. 1,00,000. Its written-down value is Rs. 40,000. It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs. 10,000. What would be the position as regards terminal depreciation, if the insurance moneys received were Rs. 20,000, Rs. 30,000, Rs. 60,000, Rs. 90,000 and Rs. 1,10,000.

Solution

After adding the scrap value to the amount of insurance money received, the position as regards terminal depreciation would be as follows :

(*a*) When insurance moneys received are Rs. 20,000, there is a terminal depreciation of Rs. 10,000.

(*b*) When insurance moneys received are Rs. 30,000, there is no terminal depreciation and no taxable profit.

(*c*) When insurance moneys received are Rs. 60,000, there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 30,000.

(*d*) When insurance moneys received are Rs. 90,000, there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 60,000.

(*e*) When insurance moneys received are Rs. 1,10,000 there is no terminal depreciation, but there is a taxable profit of Rs. 60,000 and a capital gain of Rs. 20,000.

उदाहरण १३—कपड़े का व्यापार करने वाली एक फर्म ने, जिसका हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। १४ जनवरी, १९७६ को एक टेलरिंग व्यवसाय क्रय किया और जब उसको चालू रखना अत्यन्त कठिन हो गया तो उसको जुलाई १९७६ में बन्द कर दिया। १ अक्टूबर, १९७६ को सिलाई की मशीनें १५,००० रु० के नुकसान पर बेच दी गईं।

क्या यह क्षति (१५,००० रु० की) फर्म की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की आय में से घटाने योग्य है ?

A firm of cloth marchants, whose accounting year ended on 31st December, acquired a tailoring business on 14th January 1976 found it difficult to run that business, and closed it in July 1976. In October 1976 the sewing machines were sold at a loss of Rs. 15,000.

Is this loss (of Rs. 15,000) an admissible deduction in computing the firm's income from business for the assessment year 1977-78.

Solution

This loss of Rs. 15,000 is not allowable as a deduction by way of terminal depreciation, because the sewing machines were acquired and sold in the same previous year.

This is a short-term capital loss which can be set off against the assessee's ordinary income.

उदाहरण १४—हिन्द सीमेन्ट कम्पनी की निम्न सम्पत्तियों के लिए कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए, जिसका गत वर्ष कलेण्डर वर्ष है, स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए—

(अ) भवन (प्रथम श्रेणी) जिसका निर्माण १-१-१९७६ को पूरा हुआ और १-२-१९७६ से व्यापार के लिए प्रयुक्त हुआ। इसकी कुल लागत (जमीन की ५०,००० रु० लागत सहित) ३,००,००० रु० है।

(ब) प्लाण्ट एवं मशीनरी :

पुरानी, १-१-१९७६ को अपलिखित मूल्य (पूरे वर्ष प्रयुक्त हुई) २,००,००० रु० है। नई मशीन १-११-१९७६ को ५०,००० रु० की खरीदी।

मशीनों की चार नई इकाईयाँ प्रत्येक ६०० रु० की १५-१२-१९७६ को क्रय कीं।

(स) १-८-१९७६ को नया मोटर-ट्रक ४०,००० रु० में खरीदा।

(द) २२-१२-१९७६ को नई कार ३२,००० रु० में क्रय की।

For the assessment year 1977-78 the previous year being the calendar year, calculate the amount of depreciation admissible in respect of the following assets of Hind Cement Co. Ltd. :

(*a*) Building (1st class), construction completed on 1-1-1976 and used for business from 1-2-1976. Total cost (including cost of land Rs. 50,000) Rs. 3,00,000.

(*b*) Plant and Machinery :

Old—W. D. V. on 1-1-1976 (used for whole year) Rs. 2,00,000.

New machinery purchased on 1-11-1976 Rs. 1,50,000.

Four new different units of machinery of Rs. 600 each purchased on 15-12-1976.

(*c*) New motor-truck purchased on 1-8-1976 Rs. 40,000.

(*d*) New motor-car purchased on 22-12-1976 Rs. 32,000

Solution

Normal Depreciation :	
Building (assumed to be factory building) :	Rs.
5% on Rs. 2,50,000 (Rs. 3,00,000 – cost of land Rs. 50,000)	12,500
Machinery :	
10% on Rs. 2,00,000 + Rs. 1,50,000 = Rs 3,50,000	35,000
Motor-truck :	
30% on Rs. 40,000	12,000
Motor-car :	
20% on only Rs. 25,000	5,000
Investment allowance :	
25% on Rs. 1,50,000	37,500
Depreciation Admissible	1,02,000

Notes :

1. No depreciation will be allowed on the four units of Rs. 600 each. The actual cost will be allowed to be written off as it cost less than Rs. 750 each.
2. The company is not entitled to initial depreciation in respect of new machinery, because it has been acquired after 31st March, 1976.
3. The Company is entitled to investment allowance of 25% on new machine.

उदाहरण १५—एक कागज मिल कम्पनी का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त होता है। उसकी ह्रास योग्य सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

सम्पत्तियों का विवरण	१-१-१९७६ को अपलिखित मूल्य	१९७६ में की गई वृद्धि	ह्रास की दर
मिल का भवन (प्रथम श्रेणी)	१५,४७,३८०	—	५%
गोदाम (द्वितीय श्रेणी)	२,१५,७४०	—	५%

मिल की मशीनरी	३३,१७,६९५	४,४५,९७०	१०%
मोटर-ट्रक	४५,७००	—	३०%
फर्नीचर	२५,१७०	—	१०%

एक गोदाम जिसका १-१-१९७६ को अपलिखित मूल्य १,१५,६०० रु० था, मई १९७६ में अग्नि में पूर्ण रूप से नष्ट हो गया और इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के १,००,००० रु० मिले।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए स्वीकृत ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए की वृद्धि ३० सितम्बर, १९७६ को हुई।

The accounting year of a paper mill company ended on 31st December and the following are the details of its depreciable assets :

Assets	W.D.V. on 1-1-1976 Rs.	Additions in 1976 Rs.	Depreciation Rate
Mill Buildings (1st class)	15.47,380	—	5%
Godown (2nd class)	2,15,740	—	5%
Mill Machinery	33,17,695	4,45,970	10%
Motor-trucks	45,700	—	30%
Furniture	25,170	—	10%

One godown (whose written-down value on 1-1-1976 was Rs. 1,15,600 was completely destroyed by fire in May 1976 and Rs. 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof.

Work out the amount of depreciation allowable for the assessment year 1977-78 assuming that additional machinery was installed on 30th September 1976.

Solution

	Rs.
Investment Allowance :	
25% on Rs. 4,45,970 being cost of new machinery	1,11,493
Depreciation allowance :	
Mill Building : 5% on Rs. 15,47,380	77,369
Godown : 5% on Rs. 1,00,140 (Rs. 2,15,740 − Rs. 1,15,600)	5,007
Mill Machinery : 10% on Rs. 33,17,695 + Rs. 4,45,970 = Rs. 37,63,665	3,76,367
Motor-trucks : 30% on Rs. 45,700	13,710
Furniture : 10% on Rs. 25,170	2,517
Normal depreciation	4,74,970
Terminal depreciation on godown destroyed being Rs. 1,15,600—Rs. 1,00,000	15,600
Depreciation Allowable	4,90,570

Note : Initial depreciation is not allowed on the new machinery acquired on 30th Sept., 1976. But investment allowance @ 25% is allowed on it as it is acquired after 31st March. 1976.

उदाहरण १६—एक करदाता का हिसाबी वर्ष ३१ दिसम्बर, १६७६ को समाप्त हुआ। निम्न विवरणों से कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए स्वीकृत ह्रास व विकास दर की राशि ज्ञात कीजिए—

(अ) मशीनरी व प्लाण्ट का १-१-१६७६ को अपलिखित मूल्य ४,७०,००० रु० था। १-२-१६७६ को एक नई मशीन २,००,००० रु० की लागत पर क्रय की गई जिसकी आधी मशीन लागत मूल्य पर एक अपनी ही संस्था को ७-६-१६७६ को बेच दी गई। कुल पुरानी मशीनें १-४-१६७६ को ४०,००० रु० में बेच दी गई जिनकी मूल लागत ६०,००० रु० थी और जो १५-१२-१६७४ को क्रय की गई थी। क्रय वर्ष में इस सम्पत्ति पर ह्रास स्वीकृत हुआ तथा १२,००० रु० विकास दर के स्वीकृत हुए। विकास दर के लिए एक उचित राशि लाभ-हानि खाते में डेबिट कर दी गई है।

(ब) १-१-१६७६ को फैक्टरी भवन का अपलिखित मूल्य ३,००,००० रु० था। करदाता के स्वामित्व में एक और भवन भी है जो एक किरायेदार को रिहायसी उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से किराये पर उठा हुआ है। १६७६ में भवन में कोई वृद्धि नहीं की गई। यह प्रथम श्रेणी का भवन है और इसका मूल्य १,८०,००० रु० है।

The accounting year of an assessee ended on 31st December 1976. From the following particulars calculate the amount of depreciation and development rebate allowable to him for the assessment year 1977-78 :

(*a*) The W.D.V. of machinery and plant on 1-1-1976 was Rs. 4,70,000. On 1-2-1976 new machinery was purchased for Rs. 2,00,000 of which half the machinery was sold at cost to a sister concern on 7-9-1976. Some old machinery was sold on 1-4-1976 for Rs. 40,000, of which the original cost was Rs. 60,000 and which was purchased and installed on 15-12-1974. Depreciation has been allowed and Rs. 12,000 was allowed as development rebate in the year of purchase. An appropriate amount of development rebate reserve has been debited to the profit and loss account.

(*b*) On 1-1-1976 the W. D. V. of factory buildings was Rs. 3,00,000. The assessee also owned another building which is entirely let out to tenants for residential purposes. There has been no addition to buildings in 1976. The buildings are first class. The value of residential buildings is Rs. 1,80,000.

Solution

Depreciation

		Rs.
Factory buildings : 5% on Rs. 3,00,000, no depreciation being admissible for residential building at it is not used for business purposes		15,000
Plant and Machinery : 10% on Rs. 5,21,400 (Rs. 4,70,000 + Rs. 1,00,000 − Rs. 48,600) W. D. V. of machinery sold as calculated below		52,140
Terminal depreciation on machinery sold on 1-4-1976 :		
Written-down value	48,600	
Less Sale Proceeds	40,000	8,600
		75,740

	Rs.
Written-down value of machinery sold on 1-4-1976 :	
Original cost on 15-12-1974	60,000
Less Depreciation for 1974	6,000
W. D. V. on 1-1-1975	54,000
Less Depreciation for 1975	5,400
W. D. V. on 1-1-1976	48,600

No depreciation for the year of sale 1976.

उदाहरण १७—जेड. लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है जो लोहा व इस्पात के निर्माण का कार्य करती है। यह प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को खाते बन्द करती है :

इसने १ जनवरी, १९७३ को २५ लाख रु० का एक नया स्टील रौलिंग प्लाण्ट खरीदा। यह १ जुलाई, १९७३ को लगाया व प्रयोग में लाया गया। इस प्लाण्ट की लागत का ५ लाख रुपया सरकार से इसी प्लाण्ट को खरीदने के लिए सहायतार्थ प्राप्त हुआ।

कम्पनी की फैक्टरी में १ जून, १९७६ को आग लग गई, जिसमें यह प्लाण्ट नष्ट हो गया। यह एक बीमा कम्पनी के यहाँ बीमित था ; अतः उससे दावे के ३ लाख रुपये १५ अक्टूबर, १९७६ को प्राप्त हुए तथा इसका अवशिष्ट मूल्य बेचने पर ५,००० रु० प्राप्त हुए।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए आय-कर की दृष्टि से लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

Z Ltd. is an Indian company, which carries on the business of manufacture of iron and steel. It closes its accounts every year on 31st December.

It purchased for Rs. 15 lakhs one new steel rolling plant for its factory on 1st January 1973. It was installed and brought into use on 1st July 1973. Out of the cost of this plant a sum of Rs. 5 lakhs was met from the grant received from Government exclusively for the purchase of the plant.

This plant was destroyed by fire which broke out in the company's factory on 1st June 1976. It was insured with an insurance company and Z Ltd. received a claim of Rs. 3 lakhs on 15th October 1976. Z Ltd. also realised Rs. 5,000 from the sale of scraps.

Work out the profit or loss for income-tax purposes for the assessment year 1977-78.

Solution

	Rs.
Written-down value on the date of destruction as calculated below	7,29,000
Less amount received from insurance company and from sale of scraps (Rs. 3,00,000 + Rs. 5,000)	3,50,000
Loss or terminal depreciation	4,24,000

For the purpose of calculating the above amount of terminal depreciation for the assessment year 1977-78 the written-down value of plant destroyed is arrived at as follows :

Total cost to the assessee after deducting the amount of grant received from Government	10,00,000
Depreciation at 10% for 1972	1,00,000
Written-down value on 1-1-1973	9,00,000
Depreciation at 10% for 1973	90,000
Written-down value on 1-1-1974	8,10,000
Depreciation at 10 % for 1974	81,000
Written-down value on 1-1-1975	7,29,000

उदाहरण १८—एक नई मशीन, जो १-१-१९७२ को ४,००,००० रु० की लागत में क्रय की गई व उसी समय लगाकर प्रयोग में लाई गई (जिसमें केवल एक पारी कार्य किया) ३१-७-१९७६ को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर ली गई। यदि करदाता का गत वर्ष कलैण्डर वर्ष होगा तो ह्रास की लागत १०% होगी और सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति ४,५०,००० रु० होगी। सरकार द्वारा अधिग्राही करने का सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा ?

A new machine purchased at a cost of Rs. 4.00,000 on 1-1-1972 and installed and brought into use (working single shift throughout) immediately, is compulsorily acquired by the Government on 31-7-1976. If the calendar year be the previous year of the assessee,

the rates of depreciation be 10% and the compensation received from the Government be Rs. 4,50,000, what is the effect of the acquisition by the Government in the assessment concerned ?

Solution

The compulsory acquisition of machinery by the Government is deemed to be a sale thereof and its effect in the assessment for the assessment year 1977-78 will be as follows :

1. The written-down value of machinery on 1-1-1976 (1972 being the year of acquisition) would be as under :

	Rs.
Actual cost of machinery	4,00,000
Less Depreciation for 1972	40,000
W. D. V. on 1-1-1973	3,60,000
Less Depreciation for 1973	36,000
W. D. V. on 1-1-1974	3,24,000
Less Depreciation for 1974	32,400
W. D. V. on 1-1-1975	2,91,600
Less Depreciation for 1975	29,160
W. D. V. on 1-1-1976 for assessment year 1977-78	2,62,440

The amount of capital gain and the profit chargeable to tax would be as under :

	Rs.
Amount received from the Government	4,50,000
Less Actual cost of machinery	4,00,000
Capital gain (short-term) to be taxed	50,000
Actual cost of machinery	4,00,000
Less W. D. V. on 1-2-1976	2,62,440
Balancing charge equal to depreciation allowed	1,37,560

Rs. 1,37,560 would be taxed as income from business and Rs. 50,000 as short-term capital gain because the interval between the purchase and sale of machinery is less than 60 months.

उदाहरण १६—एक फर्म जो प्लास्टिक के सामान का उत्पादन करती है। लघु उद्योग में लगी है। यह अपने खाते ३१ दिसम्बर को बन्द करती है। १५-३-१९७६ को इसने १,००,००० रु० की लागत पर एक मशीन क्रय की। इस पर लाभ ह्रास की दर ४०% है। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ में व उससे अगले कर-निर्धारण वर्षों में कितनी राशि ह्रास के रूप में लगाई जायेगी ? गणना कीजिए।

A firm manufacturing plastic goods is engaged in a small scale industry. It closes its accounts on 31st December. On 15-7-1976 it acquired machinery costing Rs. 1,00,000, the rate of depreciation applicable being 40%. Work out the amount of depreciation to be allowed for the assessment year 1977-78 and subsequent assessment years.

Solution :

Assessment year		Rs.
1977-78	Initial depreciation at 20%	20,000
	Normal depreciation	40,000
		60,000
1978-79	Normal depreciation at 40% on W. D. V. of Rs. 60,000	24,000
1979-80	Normal depreciation at 40% on W. D. V. of Rs. 36,000	14,400
1980-81	Normal depreciation being equal to the balance of cost *i.e.* Rs. 1,00,000 − (Rs. 20,000 + Rs. 40,000 + Rs. 24,000 + Rs. 14,400) = Rs. 1,600	1,600

One of the conditions for the grant of depreciation is that the total depreciation (including initial depreciation) to be allowed should not exceed the cost of the asset.

उदाहरण २०—मशीन की लागत २,००,००० रु० थी। इसका अपलिखित मूल्य ८०,००० रु० था। इस पर सन्तुलित ह्रास अथवा सन्तुलित प्रभार के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी यदि इसको (*i*) ६०,००० रु० (*ii*) ८०,००० रु० (***iii***) १,४०,००० रु० (*iv*) २,००,००० अथवा (*v*) २,४०,००० रु० में बेचा जाय।

Cost of Machine was Rs. 2,00,000. Its written-down value was Rs. 80,000. What will be the position of Balancing Depreciation or balancing charge if it is sold for (*i*) Rs. 60,000 (*ii*) Rs. 80,000 (*iii*) Rs. 1,40,000 (*iv*) Rs. 2,00,000 or (*v*) Rs. 2,40,000.

(Agra, M. Com., 1976)

Solution :

(*i*) In case it is sold for Rs. 60,000, there will be a balancing depreciation of Rs. 20,000.

(*ii*) In case it is sold for Rs. 80,000, there will be no balancing depreciation and no balancing charge.

(*iii*) In case it is sold for Rs. 1,40,000, there will be a balancing charge of Rs. 60,000.

(iv) In case it is sold for Rs. 2,00,000, there will be a balancing charge of Rs. 1,20,000.

(v) If it is sold for Rs. 2,40,000, there will be a balancing charge of Rs. 1,20,000 and capital gain of Rs. 40,000. As excess of sale price above cost price is capital gain.

प्रश्न

१. ह्रास क्या है ? ह्रास का दावा स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए ?

What is depreciation ? What are the conditions which have to be fulfilled for allowing a claim for depreciation ?

२. सम्पत्ति, जिस पर ह्रास स्वीकृत होना है, की वास्तविक लागत एवं 'अपलिखित मूल्य' से आप क्या समझते हो ?

What do you mean by "actual cost" and "written down value" of an asset on which depreciation is allowable ?

३. एक करदाता की 'व्यापार व पेशे से आय' शीर्षक की करयोग्य आय निकालते समय दिये जाने वाली ह्रास की कटौती कितने प्रकार की है ? समझाइए।

What are the difference types of depreciation allowance granted to an assessee in the computation of his income from business or profession ? Elucidate.

४. विकास दर क्या है ? व्यापार की आय की गणना करते समय यह किस दर पर स्वीकृत की जाती है ?

What is development rebate ? At what rates is it allowed in computing business income ?

५. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो—

(अ) कर-अवकाश छूट।
(ब) अशोधित ह्रास।
(स) सन्तुलित ह्रास।
(द) अन्तिम ह्रास।
(य) अतिरिक्त पारी छूट।
(र) प्रारम्भिक ह्रास।
(ल) विनियोग भत्ता।

Write Short notes on the followings :

(a) Tax-holiday benefit.
(b) Unabsorbed depreciation.
(c) Balancing charge.
(d) Terminal depreciation.
(e) Extra-shift allowance.

(*f*) Initial depreciation.
(*g*) Investment Allowance.

६. विकास सम्बन्धी छूट के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं ? इसको आगे ले जाने के क्या नियम हैं ?

What conditions are to be satisfied for the grant of development rebate ? What are the rules regarding its carry forwards ?

७. 'विनियोग भत्ता' क्या है। यह किस दर से व किन सम्पत्तियों पर स्वीकृत होता है। इसके सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

What is Investment Allowance ? On which Assets and at what rate is it allowed ? Discuss in brief, the different provisions of Income-Tax Act regarding this allowance.

८. नव उद्योग कॉटन मिल्स लिमिटेड ने एक मशीनरी व प्लाण्ट १९७४-७५ में ५ लाख रु० में क्रय किया। क्रय करने के लिए राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग ने १ लाख रु० की वित्तीय सहायता दी। नवम्बर १९७६ में मिल में आग लग जाने से मशीनरी व प्लाण्ट नष्ट हो गया तथा बीमा कम्पनी ने २ लाख रुपये दावे के भुगतान में दिया।

क्षतिग्रस्त मशीनरी व प्लाण्ट को ५,००० रु० में बेच दिया गया। वित्तीय वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६ व १९७६-७७ के लिए ह्रास की गणना कीजिए।

Nav Udyog Cotton Mills Ltd. purchased a Plant & Machinery in 1974-75 for Rs. 5 Lakhs. Small Scale Undertaking Department of State Govt. gave a financial assistance of Rs. 1 lakh for purchasing this Plant & Machinery. This Plant & Machinery got damaged due of fire in mill in Nov., 1976 and Insurance Company paid a claim of Rs. 2,00,000.

Damaged Plant & Machinery was sold for Rs. 5,000. Calculate depreciation for the financial year 1974-75, 75-76 and 1976-77.

[*Agra, B. Com., 1975*]

Ans. Depreciation @ 10% in 1974-75 and 1975-76 being Rs. 40,000 & 36,000 respectively. Balancing depreciation in 1976-77 is Rs 1,19,000

९. एक सीमेण्ट कम्पनी अपने खाते प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त करती है। निम्नलिखित सूचनाओं से १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत-योग्य ह्रास की गणना कीजिए।

३१ दिसम्बर १९७६ तक मशीन की कुल लागत ८,००,००० रु० है जिसमें १-१-७४ को १,००,००० रु० की नई क्रय मशीन तथा १-१-७६ को २,००,००० रु० की क्रय मशीन शामिल है।

१९७६-७७ के कर-निर्धारण वर्ष तक (यह वर्ष भी शामिल है) इस सम्पत्ति पर १,५०,००० रु० का ह्रास स्वीकृत हो चुका है। इस सम्पत्ति पर ह्रास की

दर १० प्रतिशत है। १९७६ में समस्त मशीन पर १०० दिन दूसरी पारी तथा अन्य १०० दिन तीसरी पारी में काम किया।

A cement Company closes its books on 31st December every year. From the following information, work out the amount of depreciation admissible for the assessment year 1977-78.

The total cost of the machinery to 31st, 1976 is Rs. 9,00,000, which includes cost of new machinery purchased on 1-1-74 for Rs. 1,00,000 and on 1-1-76 for Rs. 2,00,000. The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including 1976-77 assessment year is Rs. 1,50,000. The rate of depreciation on the asset is 10%. In the year 1976 the whole of machinery was employed for double shift working for 100 days and triple shift for another 100 days. [*Agra, B. Com., 1977*]

	Rs.
Ans. Normal Depreciation as given	1,50,000
Double Shift Depreciation 50% of Normal Depreciation for 100 days being $\frac{1,50,000 \times 100}{240} \times \frac{1}{2} =$	31,250
Triple Shift Depreciation 100% of Normal Depreciation for 100 days being $\frac{1,50,000 \times 100}{240} =$	62,500
Total Depreciation for the year	2,43,750

१०

पूँजी लाभ
(Capital Gains)

धारा ४५(१) के अन्तर्गत गत वर्ष में पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हुए लाभ "पूँजी लाभ" शीर्षक में करयोग्य हैं तथा यह उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिसमें कि हस्तान्तरण हुआ है।

पूँजी लाभों को **कर-निर्धारण के उद्देश्य से दो भागों में बाँटा जाता है**—

(*i*) **अल्पकालीन पूँजी लाभ** (Short-Term Capital Gains)—वह पूँजी लाभ जो पूँजी सम्पत्ति को उसकी प्राप्ति के ६० माह के अन्दर ही बेच देने पर प्राप्त होता है, अल्पकालीन पूँजी लाभ होता है।

(*ii*) **दीर्घकालीन पूँजी लाभ** (Long-Term Capital Gains)—अन्य पूँजी लाभ जो अल्पकालीन पूँजी लाभ नहीं हैं, दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है अर्थात् पूँजी सम्पत्ति के प्राप्ति के ६० माह बाद बेचने पर होने वाला लाभ ही दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ होता है।

हस्तान्तरण (Transfer)—पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तान्तरण के अन्तर्गत, बिक्री विनिमय, सम्पत्ति को छोड़ देना अथवा किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सम्पत्ति का ले लेना सम्मिलित है।

सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से सम्पत्ति का ले लेना भी हस्तान्तरण है। भूमि का पट्टा एक हस्तान्तरण है तथा पट्टे के लिए सलामी अथवा नजराना पूँजी लाभ की तरह करयोग्य है।

पूँजी सम्पत्ति (Capital Assets)—'पूँजी सम्पत्ति' से आशय करदाता द्वारा रखी गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है, चाहे उसका सम्बन्ध उसके व्यापार अथवा पेशे से हो अथवा नहीं हो लेकिन इसमें निम्न सम्मिलित नहीं हैं—

१. उसके व्यापार अथवा पेशे के लिए रखा गया कोई व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य स्टोर्स अथवा कच्ची सामग्री ;

२. करदाता अथवा उसके परिवार के आश्रित सदस्य द्वारा वैयक्तिक प्रयोग के लिए रखी गई वैयक्तिक सम्पत्तियाँ अर्थात् चल-सम्पत्तियाँ (पहनने के वस्त्र तथा फर्नीचर सहित किन्तु इसमें जेवर सम्मिलित न हो)।

३. भारत में स्थित कृषि-भूमि ;

(*i*) यदि एक व्यक्ति कृषि-भूमि को उस पर मकान बनाने के उद्देश्य से खरीदता है तथा वह भूमि को भवन सहित लाभ पर बेच देता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ लाभ करयोग्य पूँजी लाभ है, क्योंकि उसने वह भूमि कृषि-भूमि की तरह नहीं रखी।

(*ii*) खानों में पट्टे के अधिकार (Leasehold Rights) पूँजी सम्पत्ति है तथा ऐसे अधिकारों को बेचने से प्राप्त हुआ लाभ पूँजी-लाभ है।

(*iii*) यदि कोई कृषि-भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो उसके हस्तांतरण पर होने वाला पूँजीगत लाभ करयोग्य होगा। निम्न सीमाओं के अंतर्गत स्थित कृषि-भूमि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है—

(अ) वह भूमि जो किसी नगरपालिका अथवा छावनी बोर्ड के किसी क्षेत्र मे (अर्थात् सीमाओं में) स्थित है ; बशर्ते कि क्षेत्र की जनसंख्या १०,००० से कम नहीं है।

(ब) वह भूमि जो उल्लखित नगरपालिका अथवा छावनी वोर्ड की सीमाओं के ८ किलोमीटर की दूरी तक स्थित है।

४. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित ६$\frac{1}{2}$% गोल्ड बॉण्डस १६७७ या ७% गोल्ड बॉण्ड १६८० या नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड १६८०।

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता
(Transactions not Regarded as Transfer)

निम्न व्यवहारों का हस्तान्तरण नहीं माना जाता और इसी कारण से उन पर होने वाला कोई लाभ पूँजी लाभ शीर्षक में करयोग्य नहीं है—

(१) एक कम्पनी द्वारा समापन पर अपने अंशधारियों में सम्पत्तियों का वितरण।

(२) हिन्दू अविभाजित परिवार के बँटवारे पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण।

(३) फर्म, व्यक्तियों के समूह अथवा अन्य जन-मण्डल की समाप्ति पर पूँजी सम्पत्तियों का बँटवारा।

(४) भेंट (Gift), वसीयत (Will) अथवा एक अखण्डनीय ट्रस्ट (Irrevocable Trust) में पूँजी सम्पत्तियों का कोई हस्तान्तरण।

(५) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी (Wholly-owned Indian Subsidiary Company) को पूंजी सम्पत्ति हस्तान्तरण।

(६) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा उसकी भारतीय सूत्रधारी (Holding) कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण।

(७) एकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत भारतीय कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति।

(८) एक अंशधारी द्वारा एकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत हस्तान्तरित एक भारतीय कम्पनी के अंश।

(९) मार्च १९७० के पूर्व किया गया ऐसी कृषि-भूमि का हस्तांतरण जो भारत में स्थित है।

(१०) कलात्मक, आर्केलोजीकल एवं वैज्ञानिक कार्य, पुस्तक की हस्तलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ या प्रिंट आदि को सरकार, विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संग्रहालय को या किसी ऐसी संस्था को हस्तान्तरण करे जो सरकार ने गजट में राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित करदी है, या वे राज्यभर में प्रसिद्ध हैं।

उपर्युक्त (४), (५) व (६) के सम्बन्ध में हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी पूंजी लाभ कर से तो मुक्त है लेकिन जिस कम्पनी के पास ये सम्पत्तियाँ हस्तान्तरण होकर आई हैं उनके हाथों में इन पर उसी अपलिखित मूल्य पर ह्रास मिलेगा जो अपलिखित मूल्य हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के हाथों में इनका था, चाहे इस हस्तान्तरण को करते समय आपस में कुछ भी प्रतिफल दिया गया हो।

पूँजी लाभों के निर्धारण का तरीका (Mode of Computation)

'पूँजी लाभ' शीर्षक में आय की गणना करने के लिए पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त पूरी रकम से निम्न राशियाँ घटाई जायेंगी—

(अ) ऐसे हस्तान्तारण के ही सम्बन्ध में पूर्णरूप से किया गया व्यय ; तथा

(ब) पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें किये गये किसी सुधार की लागत।

प्रतिफल की पूरी रकम (Full Value of Consideration)—सामान्य रूप से पूँजी सम्पत्ति का विक्रय मूल्य ही उसके हस्तान्तरण का पूरा प्रतिफल होता है, परन्तु धारा ५२ के अनुसार इस निमय के निम्न दो अपवाद हैं—

(१) निम्न हालतों में आय-कर अधिकारी पूंजी लाभ की गणना करते समय हस्तान्तरण के लिए दिखाये गये प्रतिफल के बदले ऐसा प्रतिफल जोकि सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आधारित हो, ले सकता है—

(अ) जहाँ पर पूँजी सम्पत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति करदाता से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्धित हो ; तथा

(आ) जहाँ पर आय-कर अधिकारी को इस बात का पूरा विश्वास हो कि हस्तान्तरण पूँजी लाभ को बचाने के लिए किया गया है ।

(२) उन दशाओं में भी, जबकि पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण का उद्देश्य कर बचाना नहीं है, यदि आय-कर अधिकारी के विचार में एक पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण की तिथि पर बाजार मूल्य ; सम्पत्ति के प्रतिफल की पूर्ण राशि से, जो करदाता द्वारा घोषित की गई है, कम से कम १५% अधिक है तो ऐसी सम्पत्ति पर लाभ की राशि उसके उचित बाजार-मूल्य को लेकर निश्चित की जायगी ।

प्राप्ति की लागत (Cost of Acquisition)—विभिन्न परिस्थितियों में पूँजी सम्पत्ति की प्राप्ति की लागत निम्न होती है—

(१) यदि करदाता निम्न में से किसी भी प्रकार से पूँजी सम्पत्ति प्राप्त करता है तो प्राप्ति की लागत वह होगी जिस पर सम्पत्ति के पूर्व मालिक ने इसे प्राप्त किया था । इस लागत में पहले मालिक अथवा करदाता द्वारा किये गये सुधार की लागत को भी जोड़ दिया जाता है—

(अ) हिन्दू अविभाजित परिवार के बँटवारे पर सम्पत्तियों के वितरण द्वारा ;

(ब) भेंट अथवा वसीयत के द्वारा ;

(स) उत्तराधिकारी आदि द्वारा ;

(द) एक फर्म, व्यक्तियों के समूह अथवा अन्य जन-मण्डल की सम्पत्ति पर सम्पत्तियों के वितरण द्वारा ;

(य) एक कम्पनी की समाप्ति पर सम्पत्तियों के वितरण द्वारा ;

(र) एक खण्डनीय (Revocable) अथवा अखण्डनीय (Irrevocable) ट्रस्ट को हस्तान्तरण के अन्तर्गत ;

(ल) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कम्पनी को अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा अपनी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण पर ; अथवा

(व) एकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति ।

यदि पिछले मालिक की प्राप्ति की लागत का पता न लगे, तो पिछले मालिक की प्राप्ति की लागत वह होगी जो उस तिथि पर, जिस पर वह पूँजी सम्पत्ति पिछले मालिक को प्राप्ति हुई थी, उस सम्पत्ति का उचित बाजार-मूल्य है ।

(२) यदि एक पूँजी सम्पत्ति करदाता को या पिछले मालिक को १ जनवरी, १९५४ से पहले प्राप्त हुई है तो करदाता को इस बात की छूट दी गई है कि वह पूँजी सम्पत्ति की वास्तविक लागत के स्थान पर उसका १ जनवरी, १९५४ को उचित

बाजार-मूल्य ले सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सम्पत्तियों के मूल्य में जो १ जनवरी, १९५४ तक वृद्धि हुई, उसे बिना कर लगे छोड़ दिया गया है।

(३) यदि पूँजी सम्पत्ति ऐसी है जिसके बारे में करदाता ने किसी वर्ष में ह्रास की छूट प्राप्त की है तो उसकी प्राप्ति की लागत, उसका अपलिखित मूल्य (अन्तिम ह्रास से घटाते हुए अथवा सन्तुलन चार्ज से बढ़ाते हुए) के बराबर ली जायगी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह करदाता की इच्छा पर है कि वह सम्पत्ति की प्रारम्भिक लागत १ जनवरी, १९५४ को उस सम्पत्ति का उचित बाजार-मूल्य मान ले। अगर करदाता इस अधिकार को प्रयोग में लाता है तो १ जनवरी, १९५४ को सम्पत्ति के उचित बाजार-मूल्य में से, इस तिथि के बाद ह्रास की स्वीकार की गई राशि, अगर कुछ है तो घटा दे। इस सम्बन्ध में उससे पहले की ह्रास की राशि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

(४) यदि पूँजी सम्पत्ति का पहले किसी समय हस्तान्तरण के लिए सौदा हो रहा था तथा उसके लिए करदाता को कोई राशि प्राप्त हुई थी जो उसने रोक ली है तो प्राप्ति की लागत निकालने के लिए ऐसी राशि को पूर्ण प्रतिफल की राशि, जिस पर सम्पत्ति खरीदी गई है, अपलिखित-मूल्य अथवा उचित बाजार-मूल्य में से, जैसी भी स्थिति हो, घटा दिया जायगा।

सुधार की लागत (Cost of Improvement)—यदि पूँजी सम्पत्ति पिछले मालिक अथवा करदाता को १ जनवरी, १९५४ से पहले प्राप्त हुई हो और उस तिथि को उसका बाजार-मूल्य ही प्राप्ति की लागत माना जाता हो तो वहां पर सुधार की लागत से तात्पर्य उस तिथि के बाद पिछले मालिक या करदाता द्वारा सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिए किये गये पूँजी-व्यय से है। अन्य किसी भी स्थिति में इसका तात्पर्य उस व्यय से है जो कि उस तिथि के बाद किया जाये जबकि वह उसको प्राप्त हुई हो।

उदाहरण १—निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए—

(अ) 'एक्स' एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है। १ नवम्बर, १९७६ को उसने कुछ मशीनरी ६०,००० रु० में बेची, जिसकी लागत ४०,००० रु० थी तथा जिस पर १५,००० रु० ह्रास के लिए स्वीकृत हो चुके हैं।

(ब) 'एक्स' एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है। ३१ दिसम्बर, १९७५ को उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया और मई १९७६ में उसने कुछ मशीनें, जिनकी लागत ४०,००० रु० थी और जिन पर १५,००० रु० ह्रास के स्वीकृत हो चुके थे, ६०,००० रु० में बेच दीं।

(स) 'एक्स' एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है १ नवम्बर, १९७६ को उसने कुछ मशीनें २०,००० रु० में बेचीं। इनकी लागत ४०,००० रु० थी और इनके सम्बन्ध में १५,००० रु० ह्रास के स्वीकृत हो चुके थे।

(द) 'एक्स' एक निर्माणकर्ता, अपनी पुस्तकें ३१ दिसम्बर को बन्द करता है। १ नवम्बर, १९७६ को उसने कुछ मशीनें ६०,००० रु० में बेचीं। ये मशीनें १९५३ में ४०,००० रु० में खरीदी थीं। १ जनवरी, १९५४ को इनका उचित बाजार-मूल्य ५०,००० रु० था। १ जनवरी, १९५४ के बाद इस मशीन पर २२,००० रु० का ह्रास स्वीकृत हुआ।

In the following cases, work out the amount of income chargeable under the head "Capital Gains" in the Assessment Year 1977-78.

(*a*) X, a manufacturer, closes his books on 31st December. On 1st November 1976 he sold for Rs. 60,000 certain machinery which had cost Rs. 40,000 and in respect of which Rs. 15,000 had been allowed as depreciation.

(*b*) X a manufacturer, closes his books on 31st December. On 31st December 1975 he closed down his business, and in March 1976 he sold for Rs. 60,000 certain machinery which had cost Rs. 40,000 and in respect of which Rs. 15,000 had been allowed as depreciation.

(*c*) X, a manufacturer, closes his books on 31st December. On 1st November 1976 he sold for Rs. 20,000 certain machinery which had cost Rs. 40,000 and in respect of which Rs. 15,000 had been allowed as depreciation.

(*d*) X, a manufacturer, closes his books on 31st December. On 1st November 1976 he sold for Rs. 60,000 certain machinery which had been purchased in 1953 for Rs. 40,000, its fair market value as on 1st January 1954 being Rs. 50,000. Depreciation allowed in respect of this machinery after 1st January 1954 was Rs. 22,000.

Solution

(*a*) The written-down value of machinery sold is Rs. 40,000 − Rs. 15,000 = Rs. 25,000. Thus there is a profit of Rs. 35,000. Therefore in the assessment year 1977-78 Rs. 15,000 out of Rs. 35,000 will be taxed as a balancing charge, while Rs. 20,000 will be taxed as a capital gain.

For the purpose of computing the capital gain of Rs. 20,000, the written-down value of Rs. 25,000, as increased by the balancing charge of Rs. 15,000, becomes the cost of acquisition.

(*b*) The same as in (*a*). It is immaterial that the sale took place after the discontinuance of the business.

(*c*) The written-down value of machinery sold is Rs. 25,000 and the sale proceeds amount to Rs. 20,000. Thus, there is a loss of Rs. 5,000, which will be allowed as terminal depreciation, in the assessment year 1977-78. The written-down value of Rs. 25,000 as reduced by this allowance becomes the cost of acquisition. Therefore, the capital gain in the case is nil.

(d) Assuming that the fair market value of the asset as on 1st January 1954 (*i. e.*, Rs. 50,000) is taken into account at the option of the assessee, its cost of acquisition will be as under :

	Rs.
Fair market value on 1-1-1954	50,000
Less Depreciation allowed after that date	22,000
	28,000
Add Amount taxed as balancing charge	22,000
Cost of acquisition	50,000
Capital gain to be taxed	10,000
Sales price	60,000

करमुक्त पूँजी लाभ

(Capital Gains Exempted from Tax)

निम्न-परिस्थितियों में पूँजी लाभों को करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है—

(१) **हस्तान्तरण न माने जाने वाले व्यवहारों पर पूँजी लाभ**—ऐसे पूँजी लाभ जो उन व्यवहारों से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं माना जाता है, हस्तान्तरणकर्त्ता की कुल आय में नहीं जोड़े जाते ।

(२) **अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ**—किसी एक अथवा अधिक **मकान जायदाद** के, जिससे होने वाली आय पर "मकान सम्पत्ति से आय" के अन्तर्गत कर दिया जाता है, **हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ** करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता, अगर—

(अ) कुल बिक्री-मूल्य २५,००० रु० से अधिक न हो ; एवं

(ब) ऐसी सब मकान सम्पत्तियों का उचित बाजार-मूल्य, जोकि करदाता के स्वामित्व में हो, हस्तान्तरण से ठीक पहले ५०,००० रु० से अधिक न हो ।

मकान सम्पत्ति जिसकी आय पर "मकान सम्पत्ति से आय" के अन्तर्गत कर देय है, वह मकान जायदाद है जो कि करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए काम में नहीं लाया जाता । अत: किसी ऐसी मकान सम्पत्ति की बिक्री से हुआ पूँजी लाभ, जोकि करदाता अपने व्यवसाय व पेशे के लिए प्रयोग में लाता है, उसकी कुल आय में जोड़ने से नहीं छोड़ दिया जायगा ।

(३) **रिहायसी मकान के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ**—एक ऐसे **मकान के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ** जिसमें हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष पहले से करदाता या उसके माता-पिता (Parent) में से कोई रह रहे हों तथा करदाता ने

उस हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद में रहने के लिए नया मकान खरीद लिया है, अथवा उस तिथि के दो वर्ष के अन्दर नया मकान बना लिया है तो केवल वह आधिक्य जोकि पूँजी लाभों का नये मकान की लागत पर है, करयोग्य होगा तथा ऐसे आधिक्य पर उस गत वर्ष की आय मान कर जबकि हस्तान्तरण हुआ है, कर लगाया जायगा।

लेकिन यदि यह नया मकान खरीद या निर्माण के तीन वर्षों के अन्दर ही वेच दिया जाये, तो न केवल उससे होने वाले पूँजी लाभों पर ही बल्कि पुराने मकान के हस्तान्तरण पर होने वाले करमुक्त पूँजी लाभों पर भी उस गत वर्ष की आय मान कर, जबकि इस नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है, कर लगाया जायगा।

इस नियम का उद्देश्य नये मकानों में विनियोग को प्रोत्साहन देना है लेकिन इसने इस बात को उन व्यक्तियों के लिए, जो इसका गलत अर्थ में प्रयोग करें तथा नये मकानों की खरीद या निर्माण की तिथि से तीन साल में बेच दें, इस छूट को पाना असम्भव कर दिया था।

उदाहरण २—निम्न दशाओं में करयोग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए। यह मान लीजिए कि प्रश्न में दिया गया मकान 'एक्स' द्वारा स्वयं के निवास के लिए गत १० वर्षों से प्रयुक्त किया जाता था और उसका गत वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता है—

(अ) १-७-१९७५ को 'एक्स' ने १,००,००० रु० की लागत का मकान १,५०,००० में बेचा लेकिन १-२-१९७५ को उसने ७५,००० रु० में दूसरा मकान खरीद लिया। मान लो कि उसने १-२-१९७५ को क्रय किया हुआ मकान १५-२-१९७७ को ९०,००० रु० में वेच दिया।

(ब) १-७-१९७५ को 'एक्स' ने १,००,००० रु० की लागत का मकान २,००,००० रु० में बेचा और १-३-१९७७ को उसने ७५,००० रु० की लागत का एक मकान स्वयं के रहने के लिए बनवा लिया। मान लो कि यह नया मकान १५-१२-१९७९ को ९०,००० रु० में वेच दिया गया।

(स) १-७-१९७५ को 'एक्स' ने १ लाख रु० की लागत का एक मकान १ लाख ५० हजार में बेच दिया तथा १-१२-१९७५ को उसने अपने रहने के लिए दूसरा मकान ४०,००० रु० में क्रय कर लिया। मान लो कि १-१२-१९७५ को क्रय किया हुआ मकान उसने १-१-१९७९ को ५०,००० रु० में बेच दिया।

(द) १-७-१९७५ को 'एक्स' ने १,००,००० रु० की लागत का मकान २,००,००० रु० में बेच दिया और १-३-१९७७ को अपने निवास के

लिए १,२०,००० रु० की लागत पर दूसरा मकान बनवा लिया। मान लो कि यह नया मकान १-५-१९७९ को १,१०,००० रु० में बेच दिया गया।

(ई) १-७-१९७५ को 'एक्स' ने १,००,००० रु० की लागत का मकान २,००,००० रु० में बेच दिया और १-३-१९७७ को १,२०,००० रु० की लागत पर दूसरा मकान बनवा लिया। मान लो यह दूसरा मकान १-५-१९८० को १,१०, ००० रु० में विक्रय कर दिया गया।

In the following cases, state the amount of capital gains chargeable to tax, assuming that the house in question has been used by X for his own residence for over ten years and that his previous year ends on 31st March.

(*a*) On 1-7-1975 X sold the house costing Rs. 1,00,000 for Rs. 1,50,000, but on 1-2-1975 he had purchased another house for his residence for Rs. 75,000. Assume that the house purchased on 1-2-1975 is sold on 15-2-1977 for Rs. 90,000.

(*b*) On 1-7-1975 X sold a house costing Rs. 1,00,000 for Rs. 2,00,000 and he built a house for his residence on 1-3-1977 at a cost of Rs. 75,000. Assume that the new house is sold for Rs. 90,000 on 15-12-1979.

(*c*) On 1-7-1975 X sold a house costing Rs. 1,00,000 for Rs. 1,50,000 and on 1-12-1975 purchased another house for his residence for Rs. 40,000. Assume that the house purchased on 1-12-1975 is sold on 1-1-1979 for Rs. 50,000.

(*d*) On 1-7-1975 X sold a house costing Rs. 1,00,000 for Rs. 2,00,000 and he built a house for his residence on 1-3-1975 at a cost of Rs. 1,20,000. Assume that the new house is sold for Rs. 1,00,000 on 1-5-1979.

(*e*) On 1-7-1975 X sold a house costing Rs. 1,00,000 for Rs. 2,00,000 and he built a house for his residence on 1-3-1977 at a cost of Rs. 1,20,000. Assume that the new house is sold for Rs. 1,10,000 on 1-5-1980.

Solution

(*a*) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1976-77 but for the assessment year 1977-78 there will be a chargeable capital gain of Rs. 65,000 (*i. e.* Rs. 50,000 old exempted capital gain plus Rs. 15,000 new capital gain).

(*b*) The capital gain is Rs. 1,00,000 but the cost of building the new house is only Rs. 75,000. Therefore, Rs. 25,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1976-77 and 90,000 (Rs. 75,000 old exempted capital gain plus Rs. 15,000 new capital gain) will be the capital gain chargeable in the assessment year 1980-81.

(*c*) The capital gain is Rs. 50,000 but another house is purchased for only Rs. 40,000. Therefore, Rs. 10,000 of this capital gain is chargeable to tax in the assessment year 1976-77. The capital gain chargeable in the

assessment year 1979-80 will be Rs.10,000 being the capital gain on the sale of the new house. As the new house is sold more than three years after its purchase, the old exempted capital gain will not be brought to tax.

(*d*) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1976-77 as the capital gain is less than the cost of the new house. But for the assessment year 1980-81 there will be a chargeable capital gain of Rs. 90,000 (Rs. 1,00,000 old exempted capital gain minus Rs. 10,000 capital loss on the new house).

(*e*) There is no chargeable capital gain for the assessment year 1976-77 as the capital gain is less than the cost of the new house ; nor will there be any capital gain chargeable in the assessment year 1981-82, since the new house is sold at a loss more than three years after its construction. For the assessment year 1981-82 there is a short-term capital loss of Rs. 10,000 which will be set off against his income under another head or carried forward for 8 years.

(४) **कृषि-भूमि के हस्तांतरण पर पूँजी लाभ**—जहाँ पूँजीगत लाभ एक ऐसी **कृषि-भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न होता** है जो हस्तांतरण से दो वर्ष पूर्व करदाता द्वारा प्रयोग की गई हो या उसके किसी एक माता-पिता द्वारा कृषि के उद्देश्य से प्रयोग की गई है और करदाता ने उस तिथि के दो वर्ष के अन्दर कोई अन्य कृषि-भूमि क्रय कर ली है, तब पूँजीगत लाभ का निर्धारण निम्न प्रकार होगा—

(अ) यदि नई कृषि-भूमि की लागत पूँजी लाभ की राशि से कम है तो पूँजी लाभ का नई कृषि-भूमि की लागत पर आधिक्य गत वर्ष की आय की भांति करयोग्य होगा । यदि ऐसी नई भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी गई है, पूँजी लाभ की गणना करने के लिए इसकी लागत शून्य मानी जायगी ।

(ब) यदि नई कृषि भूमि की लागत पूँजी लाभ की राशि से अधिक है तो पूँजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगाया जायगा । यदि ऐसी नई भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी गई है, पूँजी लाभ निर्धारण के लिए इसकी लागत पहले पूँजी लाभ की राशि से कम कर दी जायगी ।

इसका तात्पर्य यह है कि यदि नई भूमि इसके क्रय के तीन वर्ष के अन्तर्गत हस्तांतरित कर दी गई है तो पहले छूट प्राप्त पूँजी लाभ की राशि करयोग्य होगी ।

(५) **अनिवार्य अधिग्रहण के अन्तर्गत हस्तांतरित भूमि-भवन पर पूँजी लाभ**—जहाँ किसी ऐसी **पूँजी सम्पत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के अन्तर्गत** हस्तांतरण से कोई पूँजी लाभ उत्पन्न होता है जोकि करदाता के किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का भवन अथवा भूमि है और जो हस्तांतरण तिथि के तुरन्त पूर्व के दो वर्षों में करदाता द्वारा अपने प्रतिष्ठान के व्यापार के लिए नियुक्त की गई है और करदाता ने उस तिथि के बाद तीन वर्ष के अन्दर उस प्रतिष्ठान को स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से

अथवा कोई अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु क्रय की या बनवाई है तो ऐसा पूँजी लाभ उस सीमा तक करयोग्य न होगा जिस सीमा तक इसका उपयोग ऐसे भवन को क्रय करने अथवा बनवाने में किया गया है। जहाँ पूँजी लाभ की राशि अधिग्रहण या निर्माण की लागत से अधिक है तो केवल आधिक्य की राशि ही कर-योग्य होगी।

यदि करदाता इस नये भवन का हस्तांतरण इसके क्रय अथवा निर्माण की तिथि के तीन वर्ष के अन्तर्गत कर देता है तो उपर्युक्त छूट प्राप्त न होगी।

पूँजी लाभों का कर-निर्धारण

(Taxation of Capital Gains)

एक करदाता की करयोग्य आय की गणना करते समय उसको होने वाले दीर्घकालीन व अल्पकालीन पूँजी लाभों की राशि को उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। **अल्पकालीन पूँजी लाभों को सभी करदाताओं के लिए सामान्य लाभों की भाँति मानकर उन पर कर लगाया जाता है।** किन्तु दीर्घकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में गैर कम्पनी करदाताओं को कुछ कटौतियाँ दी जाती हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

कटौतियाँ

१. गैर कम्पनी करदाताओं की दशा में—

एक गैर कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित दीर्घकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में धारा ८०T के अन्तर्गत निम्न कटौतियाँ प्रदान की जाती हैं—

(i) जब करदाता की सकल कुल आय (दीर्घकालीन पूँजी लाभों को सम्मिलित करके) १०,००० रु० से अधिक नहीं हैं अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं है तो दीर्घकालीन पूँजी लाभों की सम्पूर्ण राशि कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

(ii) अन्य दशाओं में करदाता को निम्न कटौती प्राप्त होगी—

(अ) **भूमि व भवन** एवं उससे सम्बन्धित अन्य अधिकारों से उत्पन्न दीर्घ-कालीन पूँजी लाभों का **प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि तथा शेष का २५%**

(ब) **अन्य पूँजीगत सम्पत्तियों** से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभों का प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि [यदि उपरोक्त (ii) (अ) की कटौती नहीं दी है] तथा शेष का ४०%

(स) उपरोक्त दोनों प्रकार के दीर्घकालीन पूँजी लाभों की दशा में सर्वप्रथम भूमि व भवन से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभों का प्रथम ५,००० रु० तक की सम्पूर्ण राशि ली जायेगी

तदुपरान्त शेषभूमि व भवन लाभों का २५% तथा अन्य लाभों का ४०% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। किन्तु यदि सम्पूर्ण दीर्घकालीन पूँजी लाभों में सम्मिलित भूमि व भवन वाले पूँजी लाभों की राशि ५,००० रु० से कम है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभों में से सर्वप्रथम ५,००० रु० की **राशि** तथा शेष का ४०% कटौती के रूप में दिया जायेगा।

२. कम्पनी करदाता की दशा में—

एक कम्पनी को अल्पकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाती है। हाँ, इन पर धारा ११५ के अन्तर्गत दी गई रियायती दरों से कर लगा दिया जाता है। इसका वर्णन कम्पनियों का कर-निर्धारण अध्याय में किया गया है।

उदाहरण ३—भारत के निवासी श्री लखनबाबू गर्ग की वित्तीय वर्ष १९७६-७७ की निम्न आयें हैं—

व्यापार से आय ३०,००० रु०; वेतन शीर्षक की करयोग्य आय २०,०००रु०; मकान सम्पत्ति से आय ८,००० रु० तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ (भूमि से सम्बन्धित ३,००० रु० के लाभों को सम्मिलित करके) १५,००० रु०।

श्री गर्ग की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की करयोग्य आय की गणना कीजिए।

Followings are the Incomes of Sri Lakhan Baboo Garg, Indian resident, for the financial year 1976-77.

Income from Business Rs. 30,000 ; Taxable Income from salary Rs. 20.000 ; Income from House Property Rs. 8,000 and Long term Capital Gains (including Rs 3,000 belonging to land) Rs. 15,000.

Compute taxable income of Sri Lakhan Garg for the assessment year 1977-78.

Solution

Computation of Taxable Income of Sri Lakhan Garg for the Assessment year 1977-78.

			Rs.
Income from Salary			20,000
Income from House Property			8,000
Income from Business			30,000
Long-Term Capital Gains			
relating to Land	3,000		
relating to other Assets	12,000		15,000
Gross Total Income			73,000
Deductions :			
U/S 80 T. First Rs. 3,000 Full		3,000	
Next upto Rs. 2000 Full		2,000	
Of the Rest 10,000 40%		4,000	9,000
Taxable Income			64,000

उदाहरण ४—फिलिप्स एण्ड कम्पनी के पास मार्शल एन्ड कम्पनी के १०० रु० वाले २५० अंश हैं। मार्शल कम्पनी ने ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष ५ अंशों के धारक को एक बोनस अंश निर्गमित किया। फिलिप्स एण्ड कम्पनी ने ये अंश १४० रु० प्रति अंश की दर से क्रय किये थे। ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में फिलिप्स एण्ड कम्पनी ने मार्शल कम्पनी के १५० अंशों को १७० रु० प्रति अंश की दर से बेच दिया। १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी के पूंजी लाभों की गणना कीजिए और बताइए कि ये कौन-से पूंजी लाभ हैं ?

Phillips & Company owns 250 Shares of 100 each in Marshall & Co. Marshall & Co. has declared a Bonus of one share for a holder of 5 Shares during the year ending on 31st. March. 1977. Phillips Co. purchased these Shares @ Rs. 140 each. Out of his share holidings in Marshall Company Phillips Co. sold only 150 Shares @ Rs. 170 each during the year ending on 31st March 1977. Calculate the taxable capital gains of Phillips Company for the assessment year 1977-78 and ascertain the kinds of capital gains earned by the Co.

Solution :

Phillips Co. Own 300 shares in all (250 original + 50 Bonus shares).		
Cost of Acquisition of 250 shares 250×140	=	35,000
,, ,, ,, of 50 shares	=	Nil
,, ,, ,, of 300 shares being Rs. 117 each	=	35,000

Capital Gains

Transfer Price of 150 Shares 150×170	=	25,500
Less		
Cost of Acquisition of 150 Shares being $\frac{3500}{300} \times 150$	=	17,500
Capital Gains		8,000

This is Short-term Capital Gain as no date of acquisition is given. Presumption lies that the Shares are acquired within 60 months previous to the date of sale.

Note : It is presumed that Phillips Co. held these Shares as asset and not as Stock-in-Trade.

पूँजी हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना
(Set-off and Carry-forward of Capital Losses)

पूँजी हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने के नियमों को अगले अध्याय "कुल आय की गणना" में समझाया गया है।

प्रश्न

१. 'पूँजी लाभ' शीर्षक में कौन-कौन सी आयें करयोग्य हैं ? ऐसी आय की गणना किस प्रकार की जाती है ?
Which income is chargeable under the head 'capital gains' ? How is such income computed ?

२. कौन-कौन से व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें पूँजी लाभों पर कर की गणना करने के लिए हस्तांतरण नहीं माना जाता ?
What are the transactions which are not regarded as transfer for the purpose of levying tax on capital gains ?

३. 'लघुकालीन पूँजी लाभ' एवं 'दीर्घकालीन पूँजी लाभ' को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में करारोपण की दृष्टि से क्या अन्तर है ?
Define a "short-term capital gain" and "long-term capital gain". What is the difference between them for taxation purposes ?

४. कौन-कौन से पूँजी लाभ कर से मुक्त हैं ? समझाइये।
Which capital gains are exempted from tax ? Elucidate.

५. 'पूँजी सम्पत्तियाँ' व 'अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ' क्या हैं ? पूजी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत को समझाइए।
What are 'capital assets' and 'short-term capital assets' ? Elucidate the cost of acquisition of capital assets.

११

अन्य स्रोतों से आय

(Income from Other Sources)

धारा ५६ आय के लिए अवशेष शीर्षक है। इस धारा के अन्तर्गत, प्रत्येक तरह की आय जोकि कुल आय से नहीं छोड़नी है तथा जिस पर आय-कर अन्य पाँच शीर्षकों में नहीं लगा है, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में कर लगेगा।

यदि किसी विशेष आय के लिए एक निर्दिष्ट शीर्षक है तो यह धारा लागू नहीं हो सकती। यदि आय की कोई मद किसी निर्दिष्ट मद में करयोग्य है तो उस आय के किसी भाग पर भी दुबारा कर नहीं लगाया जा सकता।

विशेष रूप से निम्न आय 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य है—

(१) लाभांश (Dividends)।

(२) एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त एन्युटी की वार्षिक राशि।

(३) ऐसी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर से आय जो करदाता की है, लेकिन जो किराये पर दी गई है। यदि इसकी आय व्यापार की आय की तरह करयोग्य नहीं है।

(४) जब एक करदाता मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर और साथ ही भवन भी किराये को देता है तथा भवन को किराये पर देना ऐसी मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर को किराये पर देने के लिए अनिवार्य है तो भवन को ऐसे किराये पर दी गई आय, यदि यह आय व्यापार से आय में करयोग्य न हो।

(५) लॉटरी, उद्धरण पहेली, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल और जुए व शर्त लगाने से होने वाली प्राप्तियाँ।

'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य आय के ये उदाहरण ही पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी आय के निम्न और उदाहरण हैं—

(६) एक वसीयत के अन्तर्गत वार्षिकी (Annuities) एक मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को दी गई वार्षिकी पर 'वेतन' शीर्षक में कर लगता है।

(७) एक व्यक्ति द्वारा अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति से प्राप्त फीस अथवा कमीशन।

(८) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य सब ब्याज; जैसे— बैंक में जमा पर ब्याज, ऋण पर प्राप्त ब्याज, अग्रिम कर पर प्राप्त ब्याज आदि।

(९) भवनों से न लगी हुई भूमि से आय (जो कृषि-आय न हो); उदाहरणार्थ; शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन की सामग्री को संचय करने के लिए किराये पर देने से प्राप्त किराया।

(१०) किसी भूमि का किराया (Ground Rent)।

(११) मकान जायदाद को फिर से किराये पर देने (Sub-letting) से प्राप्त आय।

(१२) रॉयल्टी, संचालक शुल्क (Directors Fees) इत्यादि से आय।

(१३) संचालकों को, कम्पनी को प्रदत्त अधिविकर्ष (overdraft) की सुविधा की प्रतिभूति देने के प्रतिफल में, **देय कमीशन**।

(१४) संचालक द्वारा कम्पनी के अंशों के अभिगोपन करने पर **प्राप्त कमीशन**।

(१५) बाजारों, किश्तियों एवं मछली क्षेत्रों (Fisheries) से प्राप्त आय।

(१६) भारत से बाहर स्थित कृषि-भूमि से आय।

(१७) एक कर्मचारी को प्राप्त ऐसी ब्याज जो उसको अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में दिये गये स्वयं के अंशदान से मिला है।

कटौतियाँ (Deductions)

'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में करयोग्य की गणना निम्न कटौतियाँ करने के बाद होंगी—

(१) (अ) **लाभांश की स्थिति में** करदाता के लाभांश एकत्र करने में बैंक को या अन्य किसी व्यक्ति को कमीशन के रूप में दी गई कोई उचित राशि।

(ब) अंशों को क्रय करने के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज।

नोट: यह कटौती एक विदेशी कम्पनी करदाता को १ जून, १९७६ से स्वीकृत न होगी।

(२) **मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर** और साथ ही भवन को किराये पर देने से हुई आय के सम्बन्ध में, निम्न कटौती उसी प्रकार से दी जायगी, जैसे कि व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने में दी जाती है—

(अ) भवन के लिए चालू मरम्मत।

(ब) भवन के बीमे के लिए प्रीमियम।

(स) मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर की मरम्मत।

(द) मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर के लिए प्रीमियम।

(य) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर ह्रास।

(३) **अन्य कोई भी खर्चा (पूंजीगत खर्चा न हो)** भी कटौती के रूप में जो स्वीकार किया जाता है, यदि वह ऐसी आय को कमाने के लिए पूर्णरूप से व्यय किया जाय। **उदाहरण के लिए**, एक कम्पनी ने दूसरी कम्पनी के २५ लाख रुपये के अंश (Shares) खरीदे और इस उद्देश्य के लिए २० लाख रुपये उधार लिये जिस पर ६५,००० रु० व्याज के देने पड़े जबकि शेयरों से कोई आय नहीं हुई। इस स्थिति में यह निर्णय दिया गया है कि कम्पनी द्वारा उधार ली गई राशि पर ब्याज एक कटौती है, जिसकी पूर्ति अन्य आयों से की जा सकती है, क्योंकि अंशों को आय कमाने के उद्देश्य से खरीदा गया था।

न काटी जाने वाली राशियाँ (Amounts not Deductible)

'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक मद में आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित राशियों की कटौती स्वीकार नहीं की जायगी—

किसी भी करदाता की स्थिति में

(अ) करदाता के कोई **वैयक्तिक खर्चे**।

(ब) **भारतवर्ष के बाहर चुकाया गया ब्याज** जिस पर कर लगना है सिवाय उस स्थिति के जबकि उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ली गई है अथवा भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर उस ब्याज के लिए उस पाने वाले व्यक्ति के एजेण्ट के रूप में कर लगाया जा सकता है।

(स) कोई ऐसा भुगतान जो **'वेतन' शीर्षक** में करयोग्य है ; यदि वह भारत के बाहर चुकाया जाय तथा उस पर न तो कर ही चुकाया गया हो और न ही उस पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की गई हो।

किसी कम्पनी की स्थिति में

व्यय की वे मदें जिन्हें व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, अन्य स्रोतों से आय की गणना करते समय भी कटौती के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

उपरोक्त आयोजन तब भी लागू होता है जबकि अस्वीकृत व्यय की राशि को ऊपर वर्णित व्यक्ति की कुल आय में जोड़ लिया गया है।

कुछ खर्चों की कटौती पर प्रतिबन्ध

जिन आयोजनों के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे के कुछ खर्चे कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किये जा सकने, वे आयोजन अन्य स्रोतों से आय की गणना करते समय भी लागू होते हैं।

लाभांशों पर कर
(Taxation of Dividends)

जैसाकि पहले भी बतलाया गया है कि लाभांश तो 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में ही करयोग्य है, चाहे अंशों को व्यापारिक स्कन्ध की तरह ही क्यों न रखा जाय।

यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि लाभांश उस गत वर्ष की ही आय मानी जायगी जिस गत वर्ष में वे कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा चुका दिये गये हों। इस प्रकार लाभांश पर उसी गत वर्ष की आय मानकर कर लगाना है; जिस गत वर्ष में वह घोषित किया गया, वितरित किया गया अथवा चुकाया गया है।

इसी प्रकार एक कम्पनी द्वारा चुकाया गया अन्तरिम लाभांश उसी गत वर्ष की आय माना जायगा जिसमें कि वह कम्पनी द्वारा उन सदस्यों को जिन्हें उसे पाने का अधिकार है, बिना किसी शर्त के दे दिया गया है।

एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश भारत में अर्जित लाभांश ही माना जाता है। इस प्रकार वह लाभांश जो अनिवासी (Non-resident) अंशधारी ऐसी अनिवासी कम्पनी से (जो भारत में काम कर रही हो) प्राप्त करता है, आय-कर से मुक्त है।

लाभांश का सम्पूर्ण भाग ही अंशधारी के हाथों में करयोग्य है, चाहे कम्पनी के लाभों का कुछ भाग करअयोग्य आय (जैसे कृषि-आय) से ही बना हो। कम्पनी के करअयोग्य लाभों से किया गया कोई वितरण अंशधारी के हाथों में आयगत प्राप्ति है।

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसके द्वारा प्राप्त निम्न लाभांशों को कुल सकल आय में से घटा दिया जाता है—

(१) नये औद्योगिक संस्थापन, जहाजरानी या होटल के उन लाभों से जो कर-अवकाश (Tax-holiday) प्राप्त कर रहे हों, मिला सारा लाभांश।

(२) सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश की पूर्ण राशि।

(३) एक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश की ३,००० रुपये तक की राशि।

(४) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६०% भाग।

(५) विदेशी कम्पनी को एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६५% भाग।

(६) एक भारतीय कम्पनी को एक विदेशी कम्पनी से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त अंशों पर मिले लाभांश की सम्पूर्ण राशि।

यदि कोई विदेशी कम्पनी कोई लाभांश कर काटने के बाद भुगतान करती है जो कर उसने अपने पास रोक लिया है तथा वह कम्पनी विदेशी सरकार को

देने के लिए बाध्य नहीं है तो इस प्रकार काटी गई राशि पर अंशधारी के हाथों में कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह आय उसे उदय हुई नहीं मानी जा सकती है ।

एक अंशधारी उसके द्वारा प्राप्त लाभांश पर आय-कर देने के लिए दायी है, लेकिन उसे उसकी लाभांश की राशि से उद्गम स्थान पर काटे गये आय-कर की राशि की छूट पाने का अधिकार है ।

लाभांश की परिभाषा (Definition of Dividend)

साधारणतया लाभांश से तात्पर्य किसी अंशधारी को उस कम्पनी से, जिसका वह सदस्य है, प्राप्त लाभ की राशि से है । एक अंशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश की वह राशि, जिसे साधारणतया लाभांश कहा जाता है, करयोग्य है । धारा २(२२) में दी गई लाभांश की परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अंशधारियों को निम्न पाँच प्रकार से धन का वितरण भी लाभांश माना गया है—

(अ) **ऐसा वितरण जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्ति घट जाय**—कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों का वितरण, जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्ति घट जाय, लाभांश माना जाता है । यदि वितरण से कम्पनी की सम्पत्ति में कमी न हो तो वह लाभांश नहीं है ।

बोनस शेयर—यदि एक कम्पनी अपने एकत्रित लाभों को पूँजीगत बनाने के लिए साधारण अंशधारियों को बोनस शेयर निर्गमित करे तो इससे कम्पनी की सम्पत्ति नहीं घटती । अतः साधारणतः अंशधारियों को निर्गमित बोनस शेयर लाभांश नहीं माने जाते, परन्तु अधिमान अंशधारियों (Preference Share-Holder's) को निर्गमित किये गये बोनस शेयर, जैसाकि नीचे 'ब' में समझाया गया है, लाभांश माने जाते हैं तथा इन पर कर लगता है ।

(ब) **बोनस ऋण-पत्र**—एक कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को किसी भी रूप में वितरित बोनस ऋण-पत्र अथवा जमा प्रमाण-पत्र उस सीमा तक लाभांश माने जाते हैं जिस तक कि कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हैं । कम्पनी द्वारा अपने अधिमान अंशधारियों को इसी प्रकार निर्गमित बोनस शेयर पर भी यही नियम लागू होता है ।

(स) **कम्पनी के समापन पर वितरण**—किसी कम्पनी के समापन पर उसके अंशधारियों को वितरित किया गया धन अंशधारियों के हाथों में उस सीमा तक जिस तक कि कम्पनी के पास उसके समापन से पूर्व एकत्रित लाभ थे, लाभांश माना जाता है ।

(द) **पूँजी की घटौती पर वितरण**—यदि एक कम्पनी अपनी अंश पूँजी में घटौती करके अंशधारियों को धन का वितरण करती है तो इस प्रकार से वितरित राशि, उस सीमा तक जिस तक कम्पनी के पास एकत्रित हुए लाभ हैं, लाभांश मानी जाती है ।

(य) अंशधारियों को ऋण—किसी ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता समुचित हित नहीं रखती, अपने ऐसे अंशधारियों को जोकि कम्पनी में समुचित हित रखते हों (जो साधारण अंश पूँजी का कम से कम २०% भाग रखते हों)। निम्न तीन प्रकार से किया गया कोई भी भुगतान लाभांश माना जाता है—

(*i*) ऋण अथवा पेशगी के रूप में किया गया भुगतान ;

(*ii*) किसी अंशधारी के लिए किया गया भुगतान ;

(*iii*) किसी अंशधारी के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया भुगतान।

जिस समय इस प्रकार का भुगतान किया जाता है उस समय कम्पनी के पास एकत्रित लाभ होने चाहिए, तथा इस प्रकार से किया गया भुगतान केवल एकत्रित लाभों की राशि तक ही लाभांश माना जाता है।

पूँजीगत लाभों में से भुगतान किया गया लाभांश

यदि एक कम्पनी अपने साधारण लाभांश का, पूँजी सम्पत्ति को बेचने से प्राप्त पूँजीगत लाभ की राशि में से भुगतान करती है तो अंशधारियों को इस प्रकार की आय 'लाभांश से आय' मानी जायगी। चाहे यह भुगतान बोनस के नाम से पुकारा जाता हो अथवा लाभांश के नाम से। अतः इस प्रकार के लाभांश पर कर लगता है।

कृषि-आय से चुकाया गया लाभांश
(Dividend Paid out of Agricultural Income)

१ अप्रैल, १९७२ से पहले एक कम्पनी के अंशधारियों को, उनके अंशों पर लाभांश जो कम्पनी की कृषि-आय से सम्बन्धित भाग पर है और जिस पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आय-कर लागू है, उस पर छूट दी जाती थी।

परन्तु, १ अप्रैल, १९७२ से यह छूट समाप्त कर दी गई है क्योंकि कम्पनी द्वारा देय केन्द्रीय आय-कर का कोई भाग अंशधारियों की ओर से चुकाया हुआ नहीं माना गया है।

अतः एक कम्पनी द्वारा उसकी कृषि-आय पर देय लाभांश की कुल राशि, कृषि आय-कर को ध्यान में रखते हुए इसके अंशधारियों के हाथों में करयोग्य है।

लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियाँ
(Winnings from Lotteries Etc.)

लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियों के सम्बन्ध में आय-कर विधान के अन्तर्गत कर के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थायें हैं—

(१) 'आय' की परिभाषा विस्तृत की गई है ताकि लॉटरी, उद्धरण पहेलियों, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल एवं अन्य किसी भी प्रकार के खेल से या जुए या शर्त लगाने से होने वाली किसी भी प्रकृति की प्राप्तियाँ आय-कर के उद्देश्य से आय में सम्मिलित की जा सकें।

(२) लॉटरी इत्यादि से प्राप्तियों पर कर 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित किया जायगा। इसी प्रकार केवल ऐसी आय प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय (जो पूँजीगत व्यय की प्रकृति के न हों) करयोग्य आय की गणना करते समय छूट योग्य होंगे।

(३) कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओं की दशा में राज्यीय एवं अन्य लॉटरियों से प्राप्तियों पर घटी हुई दर से कर-निर्धारण किया जायगा अर्थात् यदि करदाता की कुल सकल आय १०,००० रु० से अधिक नहीं है या जहाँ पर ऐसी प्राप्तियाँ ५,००० रु० से अधिक नहीं हैं तो कुल आय की गणना करते समय लॉटरी से प्राप्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि की छूट मान्य होगी। अन्य दशाओं में ५,००० रु० और शेष के ५०% की छूट कुल आय की गणना करते समय दी जायगी।

(४) अन्य आकस्मिक एवं बार-बार उपार्जित न होने वाली आयें जो एक वर्ष में १,००० रु० से अधिक हैं, सभी प्रकार के करदाताओं की कुल आय में सम्मिलित की जायँगी और आय-कर की सामान्य दर से करयोग्य होंगी। यह प्रथम १,००० रु० की छूट पूँजीगत लाभ, व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे से प्राप्तियों या पारिश्रमिक में वृद्धि के माध्यम से प्राप्तियों के सम्बन्ध में प्राप्य नहीं होगी।

(५) लॉटरी, उद्धरण पहेलियों, दौड़, ताश के खेल इत्यादि के कारण होने वाली हानियाँ केवल इसी साधन की आय से पूरी की जा सकेंगी, अन्य आय से नहीं। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से प्रत्येक स्रोत आय का एक पृथक् एवं भिन्न साधन माना जायगा—

(अ) लॉटरी,
(ब) उद्धरण पहेलियाँ,
(स) दौड़, घुड़दौड़ सहित,
(द) ताश के खेल,
(य) अन्य किसी भी प्रकार के खेल,
(र) जुआ या शर्त लगाना।

अतः ब्रिज से होने वाली हानि की पूर्ति उसी वर्ष ताश के अन्य खेलों से होने वाली प्राप्तियों से की जा सकती है, अन्य किसी साधन की आय से नहीं।

केवल एक परिस्थिति के अतिरिक्त घुड़दौड़ के घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के रख-रखाव पर हुई हानि को अपनी आगामी चार कर-निर्धारण वर्षों की "दौड़, घुड़दौड़ सहित" स्रोत की आमदनी से पूरा कर सकते हैं। उपर्युक्त स्रोतों से सम्बन्धित हानियाँ अगले किसी वर्ष में पूर्ति के लिए नहीं ले जाई जा सकती हैं।

(६) यदि लॉटरी एवं उद्धरण पहेलियों से प्राप्तियों के सम्बन्ध में भुगतान १,००० रु० से अधिक है तो इसके सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर ३३% (३०% आयकर के लिए व ३% सरचार्ज के लिए) आय-कर काटा जायगा।

(७) कर के अग्रिम भुगतान के उद्देश्य से कुल आय में लॉटरी, उद्धरण पहेलियों, दौड़ (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल, किसी भी प्रकार के अन्य खेल या जुए या बाजी लगाने से होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं की जायँगी।

हिसाब की पद्धतियाँ
(Systems of Accounting)

यदि इन धाराओं को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यापार और अन्य साधनों से कर लगने योग्य आय का हिसाब लगाने हेतु सभी करदाताओं के लिए किसी समान पद्धति की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए प्रत्येक करदाता अपनी सुविधा के विचार से हिसाब की किसी पद्धति को प्रयोग में ला सकता है। इस दशा में केवल निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं—

(अ) हिसाब की जो पद्धति व्यवहार में लायी जाये वह ऐसी हो कि गत वर्ष के लिए करदाता की आय का बिलकुल स्पष्ट पता लग जाये।

(ब) हिसाब की पद्धति ऐसी हो कि उसे करदाता अपने व्यापार का हिसाब रखने के लिए नियमित रूप से व्यवहार में लाये।

यदि करदाता हिसाब रखने के लिए नियमित रूप से एक ऐसी पद्धति को व्यवहार में नहीं लाता, जो उसके गत वर्ष की आय को साफ-साफ प्रगट करे तो ऐसी दशा में उसकी आय ऐसे किसी ढंग से निकाली जायगी जोकि इनकम-टैक्स ऑफीसर की राय में उसे स्पष्टतः प्रकट कर दे। इसलिए करदाता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने हिसाब ऐसे ढंग में प्रस्तुत करे, जो उसकी सच्ची आय बताये और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता, तो इनकम-टैक्स ऑफीसर अपने सम्मुख सामग्री के आधार पर उस आय का यथासम्भव उचित अनुमान निकालेगा और करदाता को यह अनुमान मानना पड़ेगा।

जब कोई करदाता अपना हिसाब रखने की पद्धति बदलने का इच्छुक हो और इसके लिए प्रार्थना-पत्र दे, तो इनकम-टैक्स ऑफीसर को, यदि वह इस परिवर्तन के लिए सहमत है, यह देखना चाहिए कि इस परिवर्तन के कारण कोई आय या लाभ कर लगने से छूट न जाये।

हमारे देश में हिसाब की साधारणतया निम्न तीन पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं—

(१) रोकड़ पद्धति (Cash System)

इस पद्धति के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों और वास्तविक भुगतानों का एक लेखा रखा जाता है। बहियों में रकमें तभी चढ़ायी जाती हैं जबकि कोई रकम सचमुच मिले या किसी को दी जावे। उन व्यापारिक फर्मों के लिए जिनके यहाँ काफी उधार लेन-देन होता है, यह पद्धति बिलकुल अपर्याप्त है। अतः सामान्यतः इस पद्धति के अनुसार व्यापारी लाभ नहीं निकाला करते। फिर भी, यदि कोई छोटा व्यापारी

रोकड़-पद्धति पर अपना हिसाब रखता है और इसके अनुसार अपना लाभ निकालना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करते समय बिना बिके माल के प्रारम्भिक और अन्तिम स्कन्ध को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

डॉक्टर, वकील, एकाउण्टेण्ट आदि व्यक्ति (जो कोई व्यवसाय करते हैं) अपना हिसाब रोकड़ पद्धति के अनुसार सुविधा से चला सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लेन-देन नकद होते है और स्कन्ध का प्रश्न ही नहीं है।

(२) **महाजनी पद्धति** (Mercantile System)

इस पद्धति के अनुसार नकद और उधार दोनों प्रकार के सभी व्यवहारों का लेखा रखा जाता है और वर्ष का सकल लाभ या हानि वर्ष से सम्बन्धित सभी आयों और व्ययों को (चाहे आय की रकम वास्तव में प्राप्त हुई है या नहीं और चाहे व्यय की रकम वास्तव में दी गई है या नहीं) शामिल करते हुए निकाला जाता है ; अर्थात् इस पद्धति से निकाला गया लाभ वह लाभ है जो वास्तव में अर्जित किया गया है भले ही नकद प्राप्त न किया गया हो तथा इस प्रकार निकाली गई हानि वह हानि है जो वास्तव में उठानी पड़ी है, यह आवश्यक नहीं कि वह नकदी में ही चुकाई गई हो।

(३) **मिश्रित पद्धति** (Mixed System)

रोकड़-पद्धति और व्यापारिक पद्धति के अतिरिक्त हिसाब की कई मिश्रित पद्धतियाँ भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ ; कोई व्यवसायी व्यवहारों के एक वर्ग को रोकड़-पद्धति पर और दूसरे वर्ग के लिए महाजनी पद्धति का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार माल की बिक्री और खरीद को वह महाजनी पद्धति पर तथा आय और व्यय को रोकड़-पद्धति पर लिख सकता है।

वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए (कम्पनियों को छोड़कर) हिसाब रखना जरूरी नहीं है। इनकम-टैक्स ऑफीसर के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों में एक प्रमुख कठिनाई करदाता की सही-सही आय निश्चित करना है। यदि करदाता नियमित रूप से और ठीक प्रकार रखा हुआ (यदि सम्भव हो तो किसी शासन-प्राप्त लेखपाल से अंकेक्षित कराया हुआ) हिसाब प्रस्तुत किया करे तो यह कठिनाई बहुत कुछ हल हो सकती है।

प्रश्न

१. कौन सी आयें 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य हैं ? इस शीर्षक की कटौतियाँ कौन-सी हैं ? कौन-कौन व्यय कटौती योग्य नहीं हैं ?

Which income is chargeable under the head 'Income from Other Sources' ? What are the deductions of this head ? What expenses are not so deductible ?

२. आय-कर अधिनियम में वर्णित 'लाभांशों' से आप क्या समझते हो ? आय-कर अधिनियम में लाभांश पर करारोपण करने के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं ?

What do you understand by the term 'Dividend' as explained in Income-Tax Act ? What are the provisions of Income-Tax Act regarding the taxation of dividend income ?

३. लॉटरी के इनाम व उद्धरण पहेलियों से प्राप्तियों के करारोपण से सम्बन्धित आय-कर अधिनियम के प्रावधान क्या हैं ?

What are the provisions of the Income-Tax Act relating to the taxation of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. ?

१२

कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटौतियाँ

(Deductions to be Made in Computing Total Income)

एक करदाता की करयोग्य आय ज्ञात करने के लिए उसकी सकल कुल आय में से अध्याय VIA के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियाँ घटा दी जाती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पंक्तियों में दिया गया है।

सामान्य नियम

अधिनियम की धारा ८०A के अन्तर्गत कुछ ऐसे सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है जो करदाता की कुल आय की गणना करते समय दी जाने वाली कटौतियों से सम्बन्धित हैं। **ये सामान्य नियम निम्न हैं—**

(१) **अध्याय VIA की कटौतियाँ**—एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसकी सकल कुल आय में से इस अधिनियम के अध्याय VIA की धारायें ८० C से ८० VV तक में दी जाने वाली कटौतियाँ घटा दी जाती हैं।

(२) **कटौतियों की कुल सीमा**—इस अध्याय में दी गई समस्त कटौतियों का योग किसी भी दशा में करदाता की सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा।

(३) **फर्म आदि की आय में स्वीकार की जाने वाली कटौतियाँ**—जब किसी फर्म, जनमण्डल अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय की गणना करते समय यदि ८० G, ८० H H, ८० J, ८० J J, ८०K, ८० Q Q, ८० S, ८० T या ८० TT के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत की जा चुकी है तो ऐसी फर्म के साझेदार, जनमण्डल या व्यक्तियों के समूह के सदस्य की आय की गणना करते समय फर्म, जनमण्डल अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभ में उसके अंश की राशि में उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायेगी।

परिभाषाएँ (Definitions)

धारा ८० B में कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गयी हैं जो निम्न प्रकार हैं—

घरेलू कम्पनी (Domestic Company)—घरेलू कम्पनी से आशय किसी ऐसी भारतीय अथवा अन्य कम्पनी से है जो भारत में करयोग्य आय में से अपने लाभांश वितरित करती है।

विदेशी कम्पनी (Foreign Company)—एक ऐसी कम्पनी जो घरेलू कम्पनी नहीं है, विदेशी कम्पनी कहलाती है।

सकल कुल आय (Gross Total Income)—सकल कुल आय से तात्पर्य इस अध्याय में दी गई कटौतियाँ या धारा २८०-O के अन्तर्गत दी गई कटौती आदि घटाने से पूर्व, आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निकाली गई कुल आय से है।

असमर्थ आश्रित की आय (Income of Handicapped Dependent)—असमर्थ आश्रित की आय से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति की सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय से है।

सम्बन्धी (Relative)—एक व्यक्ति (Individual) के लिए सम्बन्धी का तात्पर्य है—

(अ) उस व्यक्ति के माता-पिता, पति या पत्नी ; या
(ब) उस व्यक्ति का लड़का, लड़की, भाई, बहिन, भतीजा, भतीजी ; या
(स) उस व्यक्ति का नाती, नातिनी ; या
(द) उपरोक्त (ब) में उल्लिखित व्यक्तियों का जीवन-साथी।

(I) कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियाँ

(Deductions in Respect of Certain Payments)

१ जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Life Insurance Premium, Contribution to Provident Fund Etc.)—एक करदाता की करयोग्य आय में से इस धारा के अन्तर्गत निम्न मदों पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटौती दी जायेगी—

(*i*) **जीवन बीमा प्रीमियम**; अपने, अपनी पत्नी के या बच्चों के जीवन पर या इनमें किसी के साथ संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पालिसी के सम्बन्ध में दिया गया जीवन बीमा प्रीमियम।

(*ii*) **प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान**; यदि करदाता स्वीकृत प्रॉविडेन्ट फण्ड या वैधानिक प्रॉविडेन्ट फण्ड का सदस्य है तो इसमें दिया गया उसका अंशदान।

(*iii*) **फैमिली पेंशन स्कीम में दिया गया अंशदान।**

(*iv*) **अनुमोदित सुपरएन्युएशन फण्ड में अंशदान।**

(*v*) **दस-वर्षीय या पन्द्रह-वर्षीय डाकखाना बचत बैंक खाते** में संचयी सावधि जमा नियम के अन्तर्गत जमा।

(*vi*) **सार्वजनिक प्रॉविडेन्ट फण्ड** में जमा।

(*vii*) **यूनिट लिंक इन्श्योरेन्स प्लान १९७१** में भाग लेने के लिए अंशदान।

(*viii*) Deferred Annuity **के अन्तर्गत भुगतान**; यदि करदाता ने अपनी पत्नी या बच्चों के deferred annuity प्रसंविदा किया है तो इसके लिए किया गया भुगतान किन्तु यह राशि कटौती की राशियों में तभी जोड़ी जायेगी जबकि करदाता ने प्रसंविदे के अन्तर्गत वार्षिकी के स्थान पर नकद राशि प्राप्त करने का विकल्प प्राप्त न किया हो।

उपर्युक्त कटौतियों की अधिकतम सीमा

इन समस्त राशियों का कुल योग "कटौती योग्य राशि" (Qualifying Amount) कहलाती है। इस राशि की अधिकतम सीमा निम्न है—

एक व्यक्ति के लिए—निम्न राशियों में से जो भी सबसे कम राशि है वही "कटौती योग्य राशि" (Qualifying Amount) है—

(अ) २०,००० रुपये

या

(ब) सकल कुल आय का ३०%

या

(स) उपर्युक्त मदों पर व्यय की गयी वास्तविक राशि

एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो लेखक, नाटक-लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ या अभिनेता हैं तो उसके लिए कटौती राशि की निम्न सीमा होगी—

(अ) ५०,००० रुपये

या

(ब) सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसे पेशे की आय का ४०% + अन्य आयों का ३०%

या

(स) उपर्युक्त मदों पर व्यय की गई वास्तविक राशि (जो भी इन तीनों में कम राशि है)।

हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए—हिन्दू अविभाजित परिवार को केवल अपने परिवार के सदस्यों के जीवन बीमे के सम्बन्ध में चुकाई गई राशि के सम्बन्ध में ही कटौती स्वीकृत होगी। इसकी "**कटौती योग्य राशि**" की निम्न सीमा है।

(अ) ३०,००० रुपये

या

(ब) सकल कुल आय का ३०%

या

(स) वास्तविक भुगतान की गई राशि।

(इन तीनों में जो भी राशि कम है)।

वास्तविक कटौती (Actual Deduction)—उपर्युक्त ज्ञात की गई **"कटौती योग्य राशि"** (Qualifying Amount) के सम्बन्ध में निम्न कटौती स्वीकृत होगी—

कटौती योग्य राशि का प्रथम ४,००० रु० की १००% कटौती
कटौती योग्य राशि के अगले ६,००० रु० पर ५०% कटौती
कटौती योग्य राशि के शेष भाग पर ४०% कटौती। [धारा ८०C]

कुछ महत्त्वपूर्ण बातें—

(*i*) उपर्युक्त राशियों का भुगतान करदाता की करयोग्य आय में से होना चाहिए।

(*ii*) प्रीमियम की राशि बीमित राशि के १०% से अधिक न हो। यदि प्रीमियम बीमित राशि के १०% से अधिक हो तो उपर्युक्त कटौती योग्य राशि में बीमित राशि का १०% तक प्रीमियम ही जोड़ा जायेगा।

(*iii*) जीवन बीमा प्रीमियम करदाता द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पालिसी पर भी दिया जा सकता है। संयुक्त जीवन बीमा पालिसी करदाता के जीवन, उसकी पत्नी के जीवन या उसके किसी भी बच्चे (भले ही अवयस्क हो) के जीवन से सम्बन्धित हो सकती है।

(*iv*) प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में करदाता का अंशदान वेतन के १/५ भाग या १०,००० रु० (जो भी दोनों में कम है) तक ही स्वीकृत है।

(२) **असमर्थ आश्रितों की चिकित्सा पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Medical Treatment of Handicapped Dependents)—यह कटौती निम्न शर्तों के पूर्ण हो जाने पर स्वीकृत होती है—

(*i*) एक निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा यह व्यय **करयोग्य आय में से** किया जाता है।

(*ii*) असमर्थ व्यक्ति करदाता का **रिश्तेदार** है और केवल **करदाता पर ही आश्रित है।**

(*iii*) ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी **शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता** से पीड़ित है जिसे **रजिस्टर्ड चिकित्सक ने प्रमाणित कर दिया है।**

(*iv*) ऐसा व्यय केवल ऐसे किसी **एक व्यक्ति के लिए ही स्वीकृत** हो सकता है।

कटौती की राशि—

(अ) यदि असमर्थ आश्रित १८२ दिन या इससे अधिक अस्पताल में रहा है तो **यह कटौती की राशि २,४०० रु०** तक ही स्वीकृत की जा सकती है।

(ब) अन्य दशा में यह राशि ६०० रु० तक ही स्वीकृत होगी।

किन्तु यदि जिस असमर्थ आश्रित की चिकित्सा के सम्बन्ध में यह कटौती दी जा रही है उस असमर्थ आश्रित की कुछ आय है तो यह २,४०० रु० या ६०० रु० की राशि उस आश्रित को होने वाली आय की राशि से कम कर दी जायेगी।

[धारा ८० D]

(३) **रिटायरमेन्ट वार्षिकी प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतान के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Payment for Securing Retirement Annuities)—यह कटौती निम्न शर्तों के अन्तर्गत मिलती है—

(*i*) करदाता **भारत का नागरिक व निवासी** व्यक्ति है।

(*ii*) करदाता एक ऐसी **रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है** जो चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, सोलिसिटर, वकील अथवा वास्तुशिलपी (Architect) का पेशा करती है या अन्य कोई ऐसा पेशा करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।

(*iii*) वार्षिकी प्रसंविदे के अन्तर्गत देय **प्रीमियम करयोग्य आय में से** दिया जाना चाहिए।

(*iv*) वार्षिकी प्रसंविदा **आय-कर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है**।

(*v*) उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित **बिना अर्जित आय,** (Unearned Income) जैसे प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय या पूँजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से आय, १०,००० रु० से अधिक नहीं है।

कटौती की राशि—

(अ) प्रसंविदा अनुबन्ध के अन्तर्गत देय प्रीमियम (Premium Paid)

या

(ब) करदाता की सकल कुल आय का १/१०

या

(स) ५,००० रु० (जो **भी** तीनों में सबसे कम है) [धारा ८० E]

(४) **शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के लिए दी जाने वाली कटौती** (Deduction in Respect of Educational Expenses in Certain Cases)—शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के सम्बन्ध में निम्न दशाओं में कटौती दी जाती है—

(*i*) **वह व्यक्ति** (Individual) भारत का **नागरिक है** तथा **निवासी** व्यक्ति है।

(*ii*) यह व्यय उसके बच्चे की **पूर्णकालीन शिक्षा** पर किया गया है जो पूर्णतया करदाता पर **आश्रित** है।

(*iii*) वह आश्रित बच्चा २१ वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं है।

(*iv*) वह बच्चा किसी ऐसे विश्वविद्यालय, कालिज या स्कूल में भरती है जो भारत के बाहर स्थित है।

कटौती की राशि—

(अ) यदि ऐसे व्यक्ति का एक बच्चा है तो उसके लिए उसे **१,५०० रु०** की कटौती स्वीकृत होगी।

(ब) यदि ऐसे व्यक्ति के दो बच्चे हैं तो उनके लिए ३,००० रु० की कटौती स्वीकृत होगी।

दो से अधिक व्यक्ति होने की दशा में यह कटौती केवल दो बच्चों के लिए ही दी जायेगी। [धारा ८० F]

(५) **कुछ दशाओं में उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Expenses on Higher Education)—यह कटौती निम्न शर्तों के अधीन मिलती है—

(*i*) वह व्यक्ति (Individual) **भारत का निवासी** है और उसकी सकल **कुल आय १२,००० रु० से अधिक नहीं है।**

(*ii*) ऐसा व्यय उसके **बच्चे, भाई** या **बहिन**, जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, की पूर्णकालीन शिक्षा पर किया गया है।

(*iii*) यदि व्यक्ति ने ऐसा व्यय अपने दो से अधिक आश्रितों पर किया है तो यह कटौती उन **दो बच्चों के सम्बन्ध में** दी जायेगी जिनको करदाता ऐसी कटौती के लिए चुन ले।

कटौती की राशि—

(अ) यदि आश्रित बच्चा मेडीसन या आर्कीटेक्ट या इन्जीनियरिंग या टैक्नोलोजी या व्यवसाय प्रवन्ध की स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो ऐसे बच्चे के सम्बन्ध में १,००० रु० प्रति आश्रित की दर से कटौती दी जायेगी।

(ब) यदि आश्रित बच्चा उपरोक्त नियमों में डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) कर रहा है तो ऐसे प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में **५०० रु०** प्रति आश्रित की दर से कटौती दी जायेगी। [धारा ८० FF]

(६) **दानों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Donations)—एक करदाता द्वारा कुछ विशेष कोषों व पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दानों के सम्बन्ध में उसकी सकल कुल आय में से एक निश्चित राशि की कटौती स्वीकार की जाती है। **यह कटौती निम्न दशाओं में मिलती है**—

(*i*) दान की **राशि २५० रु० से कम** नहीं होनी चाहिए अर्थात् कोई भी दान तभी कटौती योग्य होगा जबकि वह २५० रु० या इससे अधिक है।

(*ii*) दान के लिए "कटौती योग्य राशि" (Qualifying Amount) करदाता की **सकल कुल आय के १०% या २,००,००० रु०** (जो भी दोनों में कम हो) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिकतम सीमा में निम्न को दिये गये दान सम्मिलित नहीं होंगे—

(अ) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (National Defence Fund)

(ब) जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष (Jawaherlal Nehru Memorial Fund)

(स) प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष (Prime-Minister's Drought Relief Fund)

(द) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime-Minister's National Relief Fund)

नोट—यहाँ पर सकल कुल आय से आशय उस कुल आय से है जो इस अधिनियम के अध्याय VIA की कटौतियाँ (इस अध्याय में वर्णित) घटाने के बाद आती हैं।

(*iii*) दान केवल उन **अनुमोदित संस्थाओं या कोषों** के लिए देना चाहिए जो भारत में पुण्यार्थ उद्द्श्यों के लिए स्थापित है और आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

(*iv*) अनुमोदित खेलकूद संस्थाओं या संघों को दिये गये दान पुण्यार्थ संस्थाओं को दिये गये दान माने जायेंगे। अतः कटौती योग्य राशि में शामिल किये जायेंगे।

(*v*) **सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के पुण्यार्थ उद्देश्य** हेतु दिये गये दान भी कटौती योग्य राशि में शामिल किये जायेंगे।

(*vi*) किसी **मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर अथवा अन्य किसी स्थान** (जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक महत्व का अथवा धार्मिक स्थान घोषित कर दिया गया है) की **मरम्मत व नवीनीकरण के** लिए दिये गये दान भी उपर्युक्त कटौती योग्य राशि में सम्मिलित किये जाते हैं।

(*vii*) कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ से **केवल मुद्रा में दिये गये दान ही** कटौती योग्य राशि में शामिल किये जायेंगे अन्य दान जैसे वस्तु के रूप में दिये गये दान नहीं।

(*viii*) यदि करदाता द्वारा दिये गये दानों में सरकार द्वारा स्वीकृत मन्दिरों, मस्जिदों अथवा गुरुद्वारों आदि की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए दिया गया दान भी सम्मिलित है तो दोनों के सम्बन्ध में ज्ञात की जाने वाली **"कटौती योग्य राशि"** की कुल सीमा **१०% of Gross Total Income or Rs. 5,00,000 तक हो जायेगी।**

कटौती की राशि—

सभी करदाताओं (उन हिन्दू अविभाजित परिवारों को छोड़कर जिनमें गतवर्ष में किसी भी समय कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य था जिसकी कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक थी) **के लिए कटौती की राशि निम्न है—**

(*i*) कटौती योग्य दानों का, तथा	५०%
(*ii*) परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आदि को दिये गये दानों का	१००%

उदाहरण १—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की एक व्यक्ति की करयोग्य आय निम्न है—

	रु०
(अ) मकान सम्पत्ति से आय	३६,३७५
(ब) अनरजिस्टर्ड फर्म में लाभ का भाग	२५,०००
(स) भारतीय कम्पनी से लाभांश	३,६२५ (सकल)

वर्ष के दौरान उसने १०,००० रु० प्रॉविडेन्ट फण्ड में तथा ५,००० रु० बीमा का भुगतान किया। यह बीमा उसने अपने लड़कों के जीवन पर किया है। उसने १०,००० रु० आगरा विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दिये।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कुल आय की गणना कीजिए।

The taxable income of an individual for the previous year ended 31st March 1977 was as follows :

	Rs.
(*a*) Income from house property	36,375
(*b*) Share income from an unregistered firm	25,000
(*c*) Dividend (gross) from an Indian company	3,625

During the year he contributed Rs. 10,000 to Public Provident Fund, paid Rs. 5,000 as premium on a policy on the life of his son, and gave a donation of Rs. 10,000 to Agra University.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
1. Income from house property		36,375
2. Business profits : Share income from an unregistered firm		25,000
3. Other sources : Dividend (gross)		3,625
Gross Total Income		65,000
Deductions :		
For P. F. contributions (Rs. 10,000) and insurance premium (Rs. 5,0000) :		
100% of First 4,000 Rs.	4,000	
50% of Rs. 6,000	3,000	

40% of balance Rs. 5,000	2,000	9,000	
50% of Rs. 2,800 qualifying amount of donation as calculated below		1,400	
On account of dividend		3,000	13,400
Total Income			51,600

Rs. 15,000 being the amount of provident fund contribution and life insurance premium is below 30% of gross total income and the ceiling amount of Rs. 20,000.

The deduction of Rs. 3,000 on account of dividend is given under section 80L which is explained later in this chapter.

The maximum amount of donation qualifying for deduction is as follows :

		Rs.
Gross total income		65,000
Less Share of income from unregistered firm	25,000	
Deduction for provident fund and insurance premium	9,000	
Deduction for dividend	3,000	37,000
		28,000

Amount Qualifying for Deduction being 10% of Rs. 28,000=2,800.

यह धारा कहाँ लागू होती है—यह धारा उपरोक्त (२) में वर्णित उद्देश्य हेतु दिये गये दान पर लागू होती है बशर्ते कि फण्ड अथवा संस्था जिसको दान दिया जाता है, पुण्यार्थ उद्देश्य (पुण्यार्थ उद्देश्य में पूर्ण रूप से अथवा प्रमुख रूप से धार्मिक उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता) हेतु भारतवर्ष में स्थापित की गई हो तथा निम्न शर्तें पूरी करती हो—

(अ) यदि फण्ड अथवा संस्था की आय कुल आय में सम्मिलित न की जाती हो अथवा वह कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था हो जोकि वर्तमान में पूर्ण रूप से शिक्षा के उद्देश्य से कार्य कर रही हो, लाभ कमाने के लिए नहीं अथवा वह कोई अस्पताल या चिकित्सा सम्बन्धी संस्था हो जोकि वर्तमान में पूर्ण रूप से पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हो, लाभ कमाने के लिए नहीं।

(ब) उसके नियमों के अन्तर्गत संस्था के लाभ अथवा सम्पत्ति का कोई भी हिस्सा गैर-पुण्यार्थ उद्देश्यों हेतु प्रयोग न किया जाता हो।

(स) वह अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित कबीले या स्त्रियों एवं बच्चों के हित को छोड़कर, किसी विशेष धर्म, जाति अथवा समुदाय के लाभ के लिए न हो।

(द) वह अपनी आय एवं व्यय का नियमित रूप से लेखा रखती हो।

(य) वह (*i*) एक ऐसा ट्रस्ट हो जोकि सार्वजनिक पुण्यार्थ हेतु बनाया गया हो या (*ii*) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट की धारा २५ में रजिस्टर्ड हो अथवा (*iii*) कानून के अन्तर्गत स्थापित किया गया कोई विश्वविद्यालय हो, अथवा (*iv*) अन्य कोई शिक्षण संस्था हो जो सरकार द्वारा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित हो अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो अथवा उस संस्था को सरकार या स्थानीय सत्ता से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो।

पुण्यार्थ दान के लिए यह कटौती तब ही स्वीकार की जा सकती है जबकि दान कुल नकल आय में सम्मिलित आय में से ही दिये गये हों, यदि करयोग्य में से नहीं दिया गया है तो उसके लिए कोई कटौती स्वीकार नहीं की जायगी। यदि करदाता की कुछ आय करयोग्य है तथा कुछ ऐसी है जोकि कर से मुक्त है तथा इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है जो इस बात की ओर संकेत करता हो कि दान कर से मुक्त आय में से ही दिये गये हैं तो ऐसी स्थिति में दान के रूप में दी गई पूरी राशि कटौती के रूप में स्वीकार कर ली जायगी।

(७) **चुकाये गये किरायों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Rents Paid)—यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है—

(*i*) चुकाया गया किराया उसकी कुल आय (इस धारा की कटौती घटाने से पूर्व) के **१०% से अधिक है।**

(*ii*) किराया निम्न स्थानों पर स्थित निवास स्थान के सम्बन्ध में चुकाया जाता है अर्थात् आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कोइम्बटूर, देहली, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुराई, नागपुर, पटना, पूना, शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेन्द्रम, बड़ौदा तथा बनारस।

(*iii*) यह कटौती तभी माँगी जा सकती है जबकि करदाता के या उसके जीवन-साथी के या अवयस्क बच्चे के या जिस हिन्दू अविभाजित परिवार का वह सदस्य है उसके **स्वामित्व में कोई निवास कहीं पर भी नहीं है।**

(*iv*) यदि करदाता कर्मचारी है और वह **मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं** कर रहा है।

कटौती की राशि—

कुल आय का १५% या ३०० रु० प्रति माह (जो भी दोनों में कम हो) [धारा ८० GG]

(II) कुछ आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियाँ

(Deductions in Respect of Certain Incomes)

(८) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक संस्थानों व होटलों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Profits and Gains from Newly Established Industrial Undertakings and Hotels in Backword Areas)—यह कटौती निम्न नये औद्योगिक संस्थानों व होटलों के लाभों पर मिलती है—

उन औद्योगिक संस्थानों के सम्बन्ध में जिनमें निम्न शर्तें लागू होती हैं—

(*i*) इस संस्थान ने किसी पिछड़े क्षेत्र में ३१-१२-१९७० के बाद वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ किया है ।

(*ii*) यह संस्थान किसी ऐसे व्यापार के पुर्नसंगठन से नहीं बनी है जो पहले से ही किसी पिछड़े क्षेत्र में मौजूद था । किन्तु यदि किसी गैर पिछड़े क्षेत्र के व्यापार को पुर्नसंगठित करके पिछड़े क्षेत्र में पुनः स्थापित किया जाय और औद्योगिक संस्थान को गैर पिछड़े क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाय तो ऐसे औद्योगिक संस्थान को यह कटौती मिलेगी ।

(*iii*) यह संस्थान किसी ऐसी मशीन व प्लाण्ट के हस्तांतरण से नहीं बनी हो जिनको हस्तांतरण से पूर्व पिछड़े क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता था । अर्थात् पिछड़े क्षेत्रों में प्रयुक्त प्लाण्ट एवं मशीनरी को यदि किसी नये व्यापार को हस्तांतरित कर दिया जाय तो उस नये व्यापार को यह कटौती नहीं मिलेगी । किन्तु यदि हस्तांतरित की गई प्लाण्ट एवं मशीनरी का मूल्य संस्थान की समस्त प्लाण्ट एवं मशीनरी के कुल मूल्य के २०% से अधिक नहीं है तो इस संस्थान को इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त हो सकेगी ।

(*iv*) यह संस्थान यदि शक्ति द्वारा उत्पादन कार्य करती है तो इसमें १० या इससे अधिक श्रमिक हैं तथा यदि बिना शक्ति (Power) के उत्पादन कार्य किया जाता है तो इसमें २० या इससे अधिक श्रमिक हैं ।

उन होटलों के सम्बन्ध में जिन पर निम्न शर्तें लागू होती हैं—

(*i*) होटल का व्यवसाय किसी पिछड़े क्षेत्र में ३१-१२-१९७० के बाद प्रारम्भ हुआ है ।

(*ii*) होटल की स्थापना किसी भी स्थान पर पहले से मौजूद होटल के विघटन या पुर्नसंगठन के द्वारा नहीं की गई है अर्थात् यह होटल बिल्कुल नया होटल है ।

(*iii*) होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है ।

कटौती की राशि—

(अ) नये औद्योगिक संस्थान या नये होटल के लाभों के सम्बन्ध में सभी करदाताओं को २०% की कटौती मिलेगी। अर्थात् जो भी करदाता ऐसे औद्योगिक संस्थान अथवा होटल के लाभ प्राप्त करेगा उसको लाभ की राशि के २०% के बराबर कटौती दी जायेगी। यह कटौती कार्य प्रारम्भ करने वाले कर-निर्धारण वर्ष को मिलाकर १० कर-निर्धारण वर्षों तक प्राप्त होगी।

(ब) किन्तु यदि औद्योगिक संस्थान ने उत्पादन कार्य अथवा होटल ने अपना व्यवसाय ३१-१२-१९७० के बाद किन्तु १-४-१९७३ से पूर्व प्रारम्भ कर दिया है तो १० कर-निर्धारण वर्षों की अवधि को उतने वर्षों से कम कर दिया जायेगा जितने कर-निर्धारण वर्ष १-४-१९७४ से पूर्व समाप्त हो चुके हों। [धारा ८० HH]

(९) **कुछ दशाओं में नये औद्योगिक संस्थानों, जहाजरानी व होटल व्यवसाय से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Profits of Newly Established Industrial Undertakings, Ship or Hotel Business in Certain Cases)—इस कटौती को अध्याय ८ में अलग से विस्तृत रूप में समझाया गया है। [धारा ८० J]

(१०) **पशु-पालन, कुक्कुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Profits of Live-stock Breeding, Poultry or Dairy-Farming Business)— यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में पशु-पालन, कुक्कुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय से प्राप्त लाभ सम्मिलित हैं तो उसकी कुल आय की गणना करते समय ऐसे व्यवसाय के कुल लाभों का १/३ या १०,००० रु० (जो भी दोनों में अधिक है) उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

नोट—कर-निर्धारण वर्ष १९७५-७६ तक ऐसे व्यवसाय की सम्पूर्ण आय धारा १०(२७) के अन्तर्गत करमुक्त थी। [धारा ८० JJ]

(११) **कम्पनी के करयुक्त अवधि के लाभ में से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौती** (Deduction in Respect of Dividends from the Profits of Tax-exempted Period of a Company)—यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में किसी नई औद्योगिक कम्पनी या जहाजरानी व होटल व्यवसाय के लाभों में से प्राप्त लाभांश की आय सम्मिलित है तो इस **लाभांश का वह भाग जो कम्पनी ने कटौती योग्य लाभों में से वितरित किया है, करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसकी सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।** संक्षेप में, धारा ८० J लागू होने वाली कम्पनी द्वारा करमुक्त लाभों में जो लाभांश वितरित

करती है, करदाता की आय में से ऐसे लाभांश की राशि घटा दी जायेगी। यदि यह लाभांश उसने सकल कुल आय में जोड़ लिया था तो।

किन्तु यदि किसी कम्पनी ने ऐसे लाभों में से लाभांश दिया है, जो कम्पनी को किसी ऐसे नये औद्योगिक संस्थान, जहाजरानी, होटल व्यवसाय से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने ३१-३-१९७६ के बाद उत्पादन प्रारम्भ किया है अथवा जहाज को प्रथम वार प्रयुक्त किया या होटल व्यवसाय चालू किया है, तो **ऐसे लाभांशों के सम्बन्ध में यह कटौती नहीं दी जायेगी।** [धारा ८० K]

(१२) **प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश आदि के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Interest on Securities, Dividends Etc.)—यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में **निम्न से प्राप्त आयें सम्मिलित हैं** तो इसके सम्बन्ध में एक निश्चित राशि की कटौती दी जायेगी—

(*i*) **सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जिसमें निम्न पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित है—**

(*a*) National Savings Certificate IV & V issue.
(*b*) Post-Office Time Deposites Accounts.
(*c*) Post-Office Recurring Deposites Accounts.

(*ii*) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश
(*iii*) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के **यूनिटों पर प्राप्त आय**
(*iv*) **बैंकिंग कम्पनी** के यहाँ जमा पर ब्याज
(*v*) **सहकारी समिति** के सदस्य द्वारा समिति में जमा की गई राशि पर ब्याज
(*vi*) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश
(*vii*) गृह निर्माण बोर्ड (Housing Board) के यहाँ जमा पर ब्याज

कटौती की राशि—

यह कटौती केवल **'एक व्यक्ति'** एवं **'हिन्दू अविभाजित परिवार'** को निम्न सीमा तक दी जाती है—

(अ) उपर्युक्त वर्णित स्रोतों से प्राप्त आय का **सम्पूर्ण भाग अथवा** ३,००० रु० (जो भी दोनों में कम है) करदाता की सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

(ब) यदि करदाता की सकल कुल आय में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के **यूनिटों पर प्राप्त आय भी सम्मिलित है तो ऐसी आय के सम्बन्ध में २,००० रु० तक अतिरिक्त कटौती दी जायेगी** अर्थात् यदि उपर्युक्त सब आयों का योग ३,००० रु० से अधिक है और उन आयों

में यूनिटों की आय भी सम्मिलित है तो कटौती की राशि **निम्न प्रकार होगी—**

Deduction u/s 80L up to Rs. 3,000
Deduction regarding income
of unit trust of India up to Rs. 2,000

इस प्रकार यूनिटों की आयों के सम्बन्ध में कटौती तभी माँगी जा सकती है जबकि उपर्युक्त स्रोतों की कुल आय ३,००० रु० से अधिक है।

(स) यदि करदाता की लाभांश की आय में कोई ऐसा लाभांश भी सम्मिलित है जिसका कुछ भाग धारा ८० K के अन्तर्गत कटौती योग्य है, तो धारा ८० L के अन्तर्गत कटौती के लिए उस लाभांश का वह भाग जोड़ा जायेगा जिसके सम्बन्ध में धारा ८० K की कटौती प्राप्त नहीं है। [धारा ८० L]

(द) कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ से यह कटौती उस हिन्दू अविभाजित परिवार को प्रदान नहीं की जाती जिसमें गत वर्ष में किसी भी समय ऐसा कम से कम एक सदस्य था जिसकी कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक थी।

(१३) **कुछ अन्तर-कम्पनी लाभांशों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Certain Inter-corporate Dividends)— यह कटौती कम्पनी करदाताओं को, चाहे वह भारतीय कम्पनी हो अथवा विदेशी कम्पनी, घरेलू कम्पनी (Domestic Company) से प्राप्त लाभांशों के सम्बन्ध में दी जाती है। **यदि किसी कम्पनी (भारतीय व विदेशी) की सकल कुल आय में किसी घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश सम्मिलित हैं तो ऐसे लाभांशों की निम्न राशि कटौती के रूप में स्वीकृत होगी—**

(अ) यदि करदाता विदेशी कम्पनी है तो ऐसी आय का ६५%

(ब) यदि करदाता घरेलू कम्पनी है, तो

(*i*) २८-२-१९७५ के उपरान्त पंजीकृत किसी ऐसी घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश—जो केवल खाद, कागज पल्प और अखबारी कागज, सीमेन्ट और प्लास्टिक के निर्माण या उत्पादन में लगी है—का १००%

(*ii*) उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों से प्राप्त लाभांश का ६०%

[धारा ८० M]

(१४) **भारत में किसी संस्था से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Royalties Received from Any Concern in India)—एक भारतीय कम्पनी और अन्य निवासी करदाता जिन्होंने किसी भारतीय संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी, फीस, कमीशन या कोई अन्य भुगतान प्रतिफलस्वरूप आय के रूप में प्राप्त किया है तो उनकी कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय के ४०% भाग की कटौती स्वीकृत की जायगी।

उस स्थिति में जबकि करदाता एक कम्पनी अथवा सहकारी समिति नहीं है। यह छूट केवल तभी स्वीकृत की जायगी जबकि उस करदाता ने अपने खातों को एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षित करवा कर उसकी निर्धारित रूप में दी गई रिपोर्ट को आय के नक्शे के साथ संलग्न की हो। [धारा ८० MM]

(१५) **विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभांशों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Dividends Received from Foreign Companies)—यदि किसी भारतीय कम्पनी की सकल कुल आय में विदेशी कम्पनी से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त अंशों पर कोई लाभांश सम्मिलित है तो उस करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे **लाभांश की सम्पूर्ण राशि** कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। यह राशि उस सीमा तक जिस सीमा तक कि ये विदेशी विनिमय नियमों के अन्तर्गत भारत में प्राप्त किये गये हैं अथवा लाये गये हैं।

[धारा ८० N]

उदाहरण २—३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में एक करदाता की कुल आय में निम्न सम्मिलित थीं—

	रु०
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	१,०००
व्यापार से लाभ	२५,०००
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर लाभांश	५००
बैंक जमा पर ब्याज	५००
एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश (इसका ७५% भाग कर-अवकाश लाभों में से है)	८००
एक भारतीय कम्पनी से लाभांश (इसकी ६०% आय कृषि-आय है जिस पर राज्य में आय-कर लगता है)	१,०००
एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश, भारत में अर्जित लाभों में से	१,०००
एक अन्य भारतीय कम्पनी से लाभांश	२,०००
एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश (ये अंश तकनीकी ज्ञान के बदले आवंटित किये गये)	१,०००

भारतीय संस्था को तकनीकी सेवायें प्रदान करने पर

प्राप्त फीस	५,०००

करदाता ने गत वर्ष मे आगरा म्यूनिसिपिल को ५,००० रु० का दान पुण्यार्थ कार्यो मे प्रयोग के लिए दिया ।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की आय ज्ञात कीजिए । यदि करदाता—

(*i*) एक व्यक्ति और (*ii*) एक कम्पनी है ।

For the previous year ended 31st December 1976, the gross total income of an assessee consisted of the following :

Interest on government securities Rs. 1,000
Business profits Rs. 25,000
Dividend from units in the Unit Trust of India Rs 500
Interest on Bank deposits Rs. 500
Dividend Rs 800 from an Indian company, 75% of which is attributable to tax-holiday profits.
Dividend Rs. 1,000 from an Indian company, 60% of whose income is agricultural income subjected to agricultural income-tax in a State
Dividend Rs 1,000 from a non-resident company out of profits earned in India.
Dividend Rs. 2,000 from another Indian company
Dividend Rs 1,000 from a foreign company on shares allotted for the supply of technical know-how
Fees Rs. 5,000 for rendering technical services to an Indian concern

During the previous year the assessee paid a donation of Rs. 5,000 to the Agra Municipal Corporation to be used for a charitable purpose.

Compute the total income for the assessment year 1977-78 if the assessee is (*i*) an individual and (*ii*) an Indian company.

Solution

When the assessee is an individual :

			Rs.
1.	Interest on government securities	—	1,000
2	Business profit	—	25,000
3.	Income from other sources :		
	Dividend from Unit Trust of India	500	
	Interest on bank deposits	500	
	Fees from an Indian concern	5,000	
	Dividends from companies	5,800	11,800
	Gross Total Income		37,800

Less Admissible deduction :		
Under section 80K : full amount of dividend attributable to tax-holiday profits (75% of Rs. 800)	600	
Under section 80L : on account of investment income (interest from government securities, dividend from Unit Trust. Interest on Bank deposits, dividends from Indian Companies Limited to Rs. 3,000 but increased by Rs. 500 being dividend from Unit Trust of India	3,500	
Under section 80G (Donations) 50% of Rs. 5,000	2,500	6,600
Total Income		31,200

When the assessee is an Indian Company :

Gross Total Income as calculated above		37,800
Less Admissible deductions :		
U/S 80G : Donations 50% of Rs. 5,000	2,500	
U/S 80K : Dividends from profits of tax-excepted period	600	
U/S 80M : 60% of dividends from Indian Companies (200 + 1,000 + 2,000 = 3,200)	1,920	
U/S 80MM *i. e.*, Technical services rendered 40% of Rs. 5000.	2,000	
U/S 80N *i. e.*, dividend from foreign Company	1,000	8,020
Total Income		32,280

उदाहरण ३—ब कम्पनी लिमिटेड (भारतीय कम्पनी) की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की सकल कुल आय १०,००,००० रु० है। यह ज्ञात हुआ कि उसने सम्बन्धित गत वर्ष में १,५०,००० रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में तथा १,००,००० रु० देहली यूनिवर्सिटी को दान दिये।

इसके अलावा इस कम्पनी की सकल कुल आय में एक नये संस्थान के ३,००,००० रु० के लाभ भी सम्मिलित हैं। नये संस्थान की लगी पूंजी (आय-कर अधिनियम में वर्णित नियमों के अन्तर्गत गणित) २०,००,००० रु० है और उसने दो वर्ष पूर्व वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

इस कम्पनी के सकल कुल लाभों में एक अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त ५०,००० रु० का लाभांश भी सम्मिलित है।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कम्पनी की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

B Co. Ltd. (an Indian company) has a gross total income of Rs. 1,00,000 for the assessment year 1977-78. It is found that during the relevant previous year it had donated Rs. 1,50,000 to the National Defence Fund and Rs. 1,00,000 to the Delhi University.

Furthermore, the gross total income includes a sum of Rs. 3,00,000 being the profits of a newly established industrial undertaking whose capital employed in the undertaking (computed according to the rules) was Rs. 20,00,000 and which had started producing its goods two years earlier.

Lastly it is found that the company's gross total income included dividends of Rs. 50,000 derived from another Indian company not engaged in a priority industry.

Compute the total income of the company for the assessment year 1977-78 on the basis of the above-noted data.

Solution

		Rs.
Gross Total Income		10,00,000
Less Admissible deductions :		
Under section : 80G : 50% of the qualifying amount of donation as calculated below *i.e.*, 50% of Rs. 2,32,000	1,16,000	
Under section 80J : 7½% of Rs. 20,00,000 capital employed on account of profits of new industrial undertaking	1,50,000	
Under section 80M : 60% of Rs. 50,000 dividend from an Indian company	30,000	2,96,000
Total Income		7,04,000

Qualifying amount of donations :	
Donation to National Defence Fund	1,50,000
Donation to Delhi University restricted to 10% of gross total income of Rs. 10,00,000 as reduced by other deductions of Rs. 1,50,000 and Rs. 30,000 *i. e.*, 10% of Rs. 8,20,000	82,000
Total Amount of donations qualifying for deduction	2,32,000

(१६) विदेशी सरकारों या संस्थानों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in Respect of Royalties Etc. Received from Foreign Governments or Enterprises)—यदि किसी भारतीय कम्पनी ने किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अन्य कोई भुगतान आय के रूप में प्राप्त किया

है तो उसकी कुल आय की गणना करते समय **ऐसी आय की सम्पूर्ण राशि कटौती** के रूप में स्वीकृत की जायगी। [धारा ८० O]

(१७) **सहकारी समिति की आय के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Income of Co-operative Society)—यदि किसी सहकारी समिति की सकल कुल आय में कोई ऐसी आय भी सम्मिलित है जोकि एक स्वीकृत कटौती है तो कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय की सम्पूर्ण राशि को कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जायगा। [धारा ८० P]

(१८) **पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Profits of the Business of Publication of Books)—यदि कोई व्यक्ति जो पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन का कार्य करता है अथवा केवल पुस्तकों के प्रकाशन का व्यवसाय करता है तो उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित **इस व्यापार के लाभों के २०% के बराबर कटौती** पाने का अधिकारी होगा। **यह कटौती १९७१-७२ कर-निर्धारण वर्ष से १९८०-८१ कर-निर्धारण वर्षों** (१० वर्षों) **तक ही मिलेगी।**

यहाँ पर **'पुस्तक'** शब्द में अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, धार्मिक ग्रन्थ, जर्नल, पैम्फलेट अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को सम्मिलित नहीं किया जायगा। [धारा ८० Q Q]

नोट—कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ से यह कटौती उस हिन्दू अविभाजित परिवार को नहीं मिलेगी जिसमें गतवर्ष में किसी भी समय कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य था जिसकी कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक थी।

उदाहरण ४—मोहन प्रकाशन (मोहनलाल एण्ड सन्स नामक हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व की संस्था) पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय करती है। दीवाली १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसका लाभ-हानि खाता निम्न है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्कन्ध	१,२५,०००	विक्रय	५,३५,०००
छपाई व्यय	१,२०,०००	भारतीय कम्पनियों से लाभांश सकल	१८,०००
नई पुस्तकों का कापीराइट क्रय किया	२८,०००	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	५,०००
प्रकाशन पर रॉयल्टी	५० ०००	अन्तिम स्कन्ध	१,००,०००
विज्ञापन	१५,०००		
दान	५,०००		
विविध व्यय	३७,०००		

आय-कर	६०,०००	
ह्रास	१८,०००	
शुद्ध लाभ	२,००,०००	
	६,५८,०००	६,५८,०००

(अ) ह्रास के सम्बन्ध मे स्वीकृत राशि १६,००० रु० है।

(ब) दान मेरठ विश्वविद्यालय के एक कालिज को दिया गया है।

(स) विविध व्ययों मे निम्न सम्मिलित है—

(*i*) परिवार के करदायित्व का निर्धारण करने के प्रतिफल मे एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट को दिये ५०० रु०,

(*ii*) गरीब विद्यार्थियों में छात्रवृत्तियाँ वितरित की २,००० रु०,

(*iii*) एक कर्मचारी की लड़की की शादी के अवसर पर भेंट दी २५१ रु०।

मोहनलाल एण्ड सन्स, हिन्दू अविभाजित परिवार की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय ज्ञात कीजिए।

Mohan Prakashan (owned by the Hindu undivided family of Mohan Lal & Sons) carries on the business of publication of books. Its profits and Loss Account for the year ended Diwali 1976 is as under :

	Rs.		Rs.
Opening Stocks	1,25,000	Sales	5,35,000
Expenses of Printing	1,20,000	Dividends from Indian companies gross	18,000
Purchase of Copyright of new books	28,000	Interest on government securities gross	5,000
Royalty on Publication	50,000	Closing Stock	1,00,000
Advertising	15,000		
Donation	5,000		
Miscellaneous Expenses	37,000		
Income-Tax	60,000		
Depreciation	18,000		
Net profit	2,00,000		
	6,58,000		6,58,000

(*a*) The admissible amount of depreciation is Rs. 16,000.

(*b*) The donation was given to a college of the Meerut University

(*c*) Miscellaneous expenses include (*i*) Rs 500 paid to a chartered accountant for settling the family's tax liability, (*ii*) Rs 2,000 distributed as scholarships to poor students and (*iii*) Rs. 251 gifted on the occasion of the marriage of an employee's daughter

Compute the total income of the Hindu undivided family of Mohan Lal & Sons for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
Net Profit as per profit and loss account	-	2,00,000
Less Income taxable under other heads :		
Dividends	18,000	
Interest on government securities	5,000	23,000
Add Items disallowed but charged to P & L a/c :		1,77,000
Cost of copyright purchased being capital expenditure	28,000	
Donation to a college being application of income	5,000	
Scholarships being application of income	2,000	
Income-tax being application of Income	60,000	
Excess depreciation	2,000	97,000
Less Items allowed but not charged to P & L a/c :		2,74,000
1/14th of the cost of copyright purchased		2,000
Business Profits		2,72,000

Computation of Total Income of Hindu undivided family

			Rs.
1.	Interest on government securities gross		5,000
2.	Business Profits		2,72,000
3.	Other Sources : Dividends gross		18,000
	Gross Total Income		2,95,000
	Deductions :		
	Under section 80G : 50% of donation of Rs. 5,000	2,500	
	Under section 80L : on account of dividends and interest on government securities (maximum allowable)	3,000	
	Under section 80QQ : 20% of business profits of Rs. 2,72,000	54,400	59,900
	Total Income		2,3 ,100

Note : This deduction of 20% under section 80QQ will be available only during the assessment years 1971-72 to 1980-81.

(१९) **प्राध्यापकों द्वारा विदेशों से प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Remuneration from Foreign Sources in the Case of Professors)—**यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है—**

(*i*) करदाता एक व्यक्ति है और भारत का नागरिक है ;

(*ii*) वह भारत के बाहर स्थापित किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था से पारिश्रमिक प्राप्त करता है ;

(*iii*) करदाता एक प्राध्यापक, अध्यापक या शोधकर्त्ता है ।

कटौती की राशि—

करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसे पारिश्रमिक **का ५०% भाग** कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा । यह कटौती सेवा कार्य के **प्रथम** ३६ महीने तक के लिए दी जायगी । [धारा ८० R]

(२०) **विदेशी स्रोतों से प्राप्त पेशे की आय के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Professional Income from Foreign Sources)—यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है—

(*i*) करदाता एक निवासी व्यक्ति (Resident Individual) है ;

(*ii*) वह या तो लेखक, नाटक-लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ अथवा अभिनेता है;

(*iii*) वह अपने उपर्युक्त वर्णित पेशों से कोई आय प्राप्त करता है ।

(*iv*) यह आय या तो विदेशी सरकार से प्राप्त की जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की जाती है जो विदेशी (Non-Resident) है ।

(*v*) यह आय भारत में Foreign Exchange Regulation Act, 1947 के नियमों के अधीन प्राप्त की जाती है या भारत में लाई जाती है ।

कटौती की राशि—

करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित ऐसी आय का २५% भाग कटौती योग्य राशि है । [धारा ८० RR]

(२१) **विदेशी नियोक्ताओं से प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में छूट** (Deduction in Respect of Remuneration from Foreign Employers)—एक निवासी भारतीय नागरिक जो किसी विदेशी सरकार या विदेशी संस्थान या किसी विदेशी समूह या संघ से उसके द्वारा विदेश में प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल में कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह ऐसे **पारिश्रमिक के ५०% के बराबर कटौती पाने का अधिकारी** है ।

यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों एवं तकनीशियनों को दी जाती है । सरकारी कर्मचारी के लिए यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि भारत के बाहर उसकी सेवायें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारूपित (Sponsored) योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई हैं । तकनीशियनों को यह कटौती तभी प्राप्त होगी जबकि विदेशी

नियोक्ता के साथ किया गया सेवा का अनुबन्ध केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित संस्था द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

यह कटौती ३६ माह तक की सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में ही दी जायगी। [धारा ८० RRA]

(२२) **मैनेजिंग एजेन्सी के समापन पर प्राप्त क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Compensation for Termination of Managing Agency)—यदि एक **गैर-कम्पनी करदाता** की सकल कुल आय में कोई ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि सम्मिलित है जोकि "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक में करयोग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौती स्वीकृत होगी—

प्राप्त क्षतिपूर्ति का २५% अथवा १,००,००० रु० (जो भी दोनों में कम है)। किन्तु प्रबन्धकीय क्षतिपूर्ति, जो व्यवसाय की आय की भाँति करयोग्य है, पर यह कटौती प्राप्त नहीं होगी। [धारा ८० S]

(२३) **दीर्घकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Long-Term Capital Gains)—यदि एक गैर-कम्पनी करदाता (अर्थात् एक व्यक्ति, फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का समूह) की सकल कुल आय में दीर्घकालीन पूँजी लाभ सम्मिलित हैं तो उसकी कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौती स्वीकृत की जायेगी—

(*i*) यदि दीर्घकालीन पूँजी लाभ ५,००० रु० से अधिक नहीं है अथवा करदाता की सकल कुल आय (दीर्घकालीन पूँजी लाभों को सम्मिलित करके) १०,००० रु० से अधिक नहीं है तो दीर्घकालीन पूँजी लाभों की सम्पूर्ण राशि उसकी कुल आय की गणना करने में घटा दी जायेगी।

(*ii*) अन्य दशाओं में करदाता निम्न कटौती प्राप्त करने का अधिकारी है—

(अ) **भूमि व भवन से सम्बन्धित पूँजी लाभों के सम्बन्ध में**	प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि तथा शेष राशि का २५%
(ब) **अन्य सम्पत्तियों के पूँजी लाभों के सम्बन्ध में**	प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि तथा शेष राशि का ४०% [धारा ८० T]
(स) **दोनों प्रकार के सम्मिलित पूँजी लाभों के सम्बन्ध में**	(*i*) **यदि भूमि-भवनसे प्राप्त लाभ ५,००० रु० से अधिक है—** सर्वप्रथम भूमि व भवन के पूँजी लाभों में

से ५,००० रु० की कटौती तथा भूमि भवन के शेष लाभों की २५% व अन्य लाभों की ४०%

(*ii*) **यदि भूमि व भवन से प्राप्त पूंजी लाभ ५,००० रु० से कम है—**

तो प्रथम ५,००० रु० तक सम्पूर्ण राशि तथा शेष का ४०%

(२४) **लॉटरी से प्राप्तियों के सम्बन्ध मे कटौती** (Deduction in Respect of Winnings from Lottery)—कर-निर्धारण वर्ष १६७२-७३ तक लाटरी से प्राप्ति आकस्मिक आय मानी जाती थी अत: कुल आय में नहीं जोड़ी जाती थी किन्तु कर-निर्धारण वर्ष १६७३-७४ से यह कुल आय में सम्मिलित की जाती है। हाँ, इसमें में स्रोत पर कटौती (Deduction at Sources) ३३% की दर से की जाती है बशर्ते कि लाटरी की आय १,००० रु० से अधिक हो, यदि एक गैर-कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में लॉटरी से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तो उसकी कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौती स्वीकृत होगी—

(*i*) यदि करदाता की सकल कुल आय १०,००० रु० से अधिक नहीं है या लॉटरी से प्राप्ति ५,००० रु० से अधिक नहीं है तो लॉटरी की सम्पूर्ण आय कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

(*ii*) अन्य किसी दशा में कटौती की राशि निम्न होगी—

५,००० रु० + ५,००० रु० से अधिक प्राप्ति का ५०% भाग

[धारा ८० TT]

उदाहरण ५—निम्न दशाओं में १६७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय की गणना कीजिए—

		रु०
(अ)	मकान सम्पत्ति से आय	२,०००
	अल्पकालीन पूँजी लाभ	२,०००
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	६,०००
(ब)	व्यापार से लाभ	१०,०००
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	४,०००
(स)	व्यापार से आय	२०,०००
	भूमि व भवन से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभ	८,०००
	अन्य सम्पत्तियों से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभ	५,०००

(द) प्रतिभूतियों पर ब्याज २,००० (सकल)
मकान सम्पत्ति से आय ३,०००
व्यापार से आय १५,०००
भूमि व भवन से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूँजी लाभ ३,०००
अन्य पूँजीगत सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ ७,०००

In the following cases, compute the total income of an individual for the assessment year 1977-78 :

(*a*) Income from house property Rs. 2,000
Short-term capital gains Rs. 2,000
Long-term capital gains Rs. 6,000

(*b*) Business income Rs. 10,000
Long-term capital gains Rs. 4,000

(*c*) Business income Rs. 2,000
Long-term capital gains relating to land and buildings Rs. 8,000
Long-term capital gains relating to other capital assets Rs. 5,000

(*d*) Interest on securities Rs. 2,000 (gross)
Income from house property Rs. 3,000
Business income Rs. 15,000
Long-term capital gains relating to land and buildings Rs. 3,000.
Long-term capital gains relating to other capital assets Rs. 7,000.

Solution

		Rs.
(*a*)	Income from house property	2,000
	Short-term capital gains	2,000
	Long-term capital gains	6,000
	Gross Total Income	10,000
	Deduction under section 80T as the Gross total income does not exceed Rs. 10,000	6,000
	Total Income	4,000
(*b*)	Business Income	10,000
	Long-term capital gains	4,000
	Gross Total Income	14,000

Deduction under section 80T as the Long-term capital gains do not exceed Rs. 5,000				4,000
Total Income				10,000
(c) Business Income				20,000
Long-term capital gains relating to land and buildings				8,000
Other Long-term capital gains				5,000
Gross Total Income				33,000
Deduction under section 80T :				
In respect of long-term capital gains relating to land and buildings : First			5,000	
25% of Rs. 3,000			750	
In respect of other long-term capital gains : 40% of Rs. 5,000			2,000	7,750
Total Income				25,250
(d) Interest on government securities gross				2,000
Income from house property				3,000
Business profits				15,000
Long-term capital gains relating to land and buildings				3,000
Long-term capital gains relating to other capital assets				7,000
Gross Total Income				30,000
Deductions :				
Deduction under section 80L in respect of interest on government securities			2,000	
Deduction under section 80T :				
In respect of long-term capital gains relating to land and buildings		3,000		
In respect of other long-term capital gains :				
Rs. 5,000—Rs. 3,000	2,000			
40% of balance of Rs. 5,000	2,000	4,000	7,000	9,000
Total Income				21,000

उदाहरण ६—३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए K की आयों का विवरण निम्न है—

	रु०
गत वर्ष का वेतन	२०,०००
व्यापार से आय	३०,०००

जमीन का किराया	२,०००
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	१,०००
भारतीय कम्पनी से लाभांश (सकल)	३,०००
अल्पकालीन पूँजी लाभ	३,०००
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (भूमि-भवन को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में)	१०,०००

उसने अपने वेतन का १०% प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान किया। उसके स्वामी ने भी इतना ही दिया।

उसने १,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये तथा १०१ रु० का दान राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

Given below are the particulars of the income of K for the previous year ended 31st March, 1977 :

	Rs.
Salary for the year	20,000
Income from business	30,000
Ground rent	2,000
Interest on government securities gross	1,000
Dividends from Indian companies gross	3,000
Short-term capital gains	3,000
Long-term capital gains relating to capital assets other than land and buildings	10,000

He contributed 10% of his salary to a recognised provident fund to which his employer contributed a like amount.

He paid Rs. 1,000 for life insurance premium, and gave a donation of Rs. 101 to National Defence Fund.

Calculate his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
Salary	20,000	
Less Standard deduction	3,000	17,000
Interest on securities gross		1,000
Income from business		30,000
Capital gains : Short-term	3,000	
Long-term relating to assets other than land buildings	10,000	13,000
Other Sources : Ground rent	2,000	
Dividends from Indian companies gross	3,000	5,000
Gross Total Income		66,000

Deductions :

For provident fund contributions (Rs. 2,000) and insurance premium (Rs. 1,000) : Full	3,000	3,000	
For interest on government securities and dividends		3,000	
For long-term capital gains :			
First	5,000		
40 % of balance Rs. 5,000	2,000	7,000	13,000
Total Income			53,000

No deduction is admissible in respect of charitable donation of Rs. 101 as it is less than Rs. 250.

उदाहरण ७—जैड एक सरकारी कार्यालय में ४०० रु० प्रति माह वेतन तथा १०० रु० प्रति माह मँहगाई भत्ता प्राप्त करता है।

३१-३-१९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसने २,००० रु० (सकल) का ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त किया।

वह एक बड़े मकान का स्वामी है जिसमें बराबर-बराबर के तीन रहने के हिस्से हैं। फ्लैट न० १ को वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है। फ्लैट न० २ (मार्च १९७१ में बनवाया) एक किरायेदार को निवास के लिए किराये पर उठा दिया है। फ्लैट न० ३ (जनवरी १९७५ में निर्मित) एक किरायेदार को बुकस्टॉल चलाने के लिए उठा दिया है। किराये पर उठे हुए मकानों का किराया २५० रु० प्रति माह के हिसाब से प्राप्त होता है, नगरपालिका कर किराया मूल्य का १०% है।

अक्टूबर १९७६ में उसने (*i*) दिवाली के दिन ५,००० रु० जुए में गँवाये तथा (*ii*) १,५०० रु० ताश के ब्रिज में प्राप्त किये और (*iii*) १,००,००० रु० राज्य लॉटरी से प्राप्त किये।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

Z is employed in a Government office drawing a salary of Rs. 400 and a dearness allowance of Rs. 100 p. m.

In the previous year ended 31-3-1977 he received Rs. 2,000 gross as interest on government securities.

He is the owner of a big house consisting of three flats of the same size and construction. Flat No. 1 is occupied by him for his residence. Flat No. 2 (built in March 1971) is let out to a tenant for residential purposes. Flat No. 3 (built in January 1975) is let out to a tenant for running a book-stall. The monthly rent of flats let out

is Rs. 250 each and the municipal taxes paid amount to 10% of the rental value.

In October 1976 (*i*) he lost Rs. 5,000 in gambling on the Diwali day, (*ii*) he won Rs. 1,500 in the card game of bridge, and (*iii*) he won Rs. 1,00,000 in a State lottery.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Income from salary :			
	Salary and dearness allowance		6,000	
	Less Standard deduction		1,200	4,800
2.	Interest on securities gross			2,000
3.	Income from house property :			
	Flat No. 1 (self-occupied) :			
	Annual value on the basis of rent received from flats let out	3,000		
	Less Municipal taxes	300		
		2,700		
	Less Self-occupation allowance	1,350		
	Annual value in this case		1,350	
	Flat No. 2 (let out for residence) :			
	Annual value on basis of rent	3,000		
	Less Municipal taxes	300		
	Annual value in this case		2,700	
	Flat No. 3 (let out for a shop) :			
	Annual value on basis of rent	3,000		
	Less Municipal taxes	300		
	Annual value in this case		2,700	
			6,750	
	Less One-sixth for repairs		1,125	5,625
4.	Income from other sources :			
	Bridge winnings (in excess of Rs. 1,000)		500	
	Winnings from a State lottery		1,00,000	1,00,500
	Gross Total Income			1,12,925

Deductions :

Under section 80L, in respect of interest on government securities	2,000	
Under section 80TT, in respect of lottery winnings :		

First	5,000		
50 % of balance of Rs. 95,000	47,500	52,500	54,500
	Total Income		58,425
	Rounded Off		58,430

Notes :

1. In respect of flat No. 3 the five-year tax-holiday benefit of Rs. 1,200 is not available as the flat is not let out for purposes of residence.
2. The loss from gambling can be set off only against income from gambling, and it cannot be carried forward.

(III) अन्य कटौतियाँ

(Other Deductions)

(२५) **पूर्ण रूप से अन्धे या शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in the Case of Totally Blind or Physically Handicapped Persons)—यह कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है—

(*i*) वह व्यक्ति भारत का निवासी है;

(*ii*) वह पूर्ण रूप से अन्धा है;

(*iii*) करदाता स्थाई शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है;

(*iv*) वह अपने प्रथम कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिकारी के सम्मुख अपनी शारीरिक अयोग्यता अथवा अंधेपन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है। यह प्रमाण-पत्र रजिस्टर्ड मैडीकल प्रैक्टिशनर द्वारा अथवा नेत्र विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए।

ऐसे करदाता की **कुल आय की गणना करते समय ५,००० रु० की कटौती स्वीकृत होगी।** [धारा ८० U]

(२६) **कर भुगतान करने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज** (Deduction of Interest on Moneys Borrowed to Pay Taxes)—यदि किसी करदाता ने आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर का भुगतान करने के लिए कोई उधार राशि ली थी और उस पर गत वर्ष में ब्याज दिया है तो यह ब्याज की सम्पूर्ण राशि कटौती के रूप में स्वीकार होगी। [धारा ८० V]

(२७) **आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in Respect of Expenses Incurred in Connection With Certain Proceedings Under Income-Tax Act)—यदि किसी करदाता की कुल आय की गणना करते समय

उसके द्वारा गत वर्ष में किये गये आय-कर अधिनियम से सम्बन्धित निम्न कार्य-वाहियों के लिए कोई व्यय किया है तो **ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि अथवा ५,००० रु०** (जो भी दोनों में कम है) **कटौती के रूप में स्वीकृत होगी—**

(अ) आय-कर अधिकारी के सम्मुख होने वाली कार्यवाही पर किये गये व्यय।

(ब) अपैलेट ट्रिब्यूनल के सम्मुख की जाने वाली कार्यवाही पर होने वाला व्यय।

या

(स) किसी भी न्यायालय के सम्मुख की जाने वाली कार्यवाहियों पर होने वाला व्यय। [धारा ८० VV]

सारांश
(Summary)

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय धारा ८०C से ८०U के अनुसार निम्नलिखित कटौतियाँ दी जायेंगी। **यह कटौतियाँ बहुत ही सावधानी से याद की जानी चाहिये।**

व्यय के सम्बन्ध में कटौतियाँ

(१) **धारा ८०C** के अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी का अंशदान तथा डाकघर के सावधि जमा खाते में जमा की गई कुल योग्य राशि की प्रथम ४,००० रुपयों की सम्पूर्ण राशि तथा अगले ६,००० रुपयों की ५०% राशि तथा शेष मान्य राशि का ४०% भाग कटौती के रूप में स्वीकार किया जायगा।

(२) धारा ८०D के अन्तर्गत एक निवासी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अपाहिज आश्रित की चिकित्सा पर किया गया व्यय, यदि आश्रित १८२ दिन या इससे अधिक समय तक अस्पताल में रहता है तो २,४०० रु० अन्यथा ६०० रु०। इस प्रकार से स्वीकार की जाने वाली कटौती की राशि निकालते समय अपाहिज आश्रित की आय की राशि को इस प्रकार की कटौती की राशि में से घटा दिया जाता है।

(३) **धारा ८०E** के अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जो भारत का निवासी नागरिक है और एक पेशे वाली रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है तो रिटायरमैंट वार्षिकी प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान या ५,००० रु० अथवा कुल सकल आय का १०% भाग (तीनों में से जो भी कम हो) घटा दिया जायगा।

(४) **धारा ८०F** के अन्तर्गत **एक निवासी व्यक्ति, जोकि भारत का नागरिक नहीं है,** द्वारा भारत से बाहर अपने बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय १,५०० रुपये प्रति बच्चे की दर से, परन्तु दो या दो से अधिक बच्चों के लिए अधिकतम सीमा ३,००० रु० है।

(५) **धारा ८०FF भारतीय नागरिक** द्वारा अपने आश्रितों **की उच्च शिक्षा** पर किया गया व्यय अधिकतम **दो के लिए १,००० रु०** प्रति आश्रित (यदि वह चिकित्सा व आर्कीटेक्चर आदि में स्नातक या स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा है) या ५०० रु० प्रति आश्रित (यदि वह अन्य विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा है) के हिसाब से कटौती स्वीकृत होगी।

(६) धारा ८०G के अन्तर्गत करदाता द्वारा दिये गये दान की योग्य राशि का ५०%।

(७) धारा ८० GG स्वयं के कार्य में व्यस्त और वेतन भोगी कर्मचारी यदि अपनी कुल आय के १०% से अधिक किराया देते हैं तो कुल आय के १५% या ३०० रु० **प्रति माह दोनों में जो भी कम** है तक कटौती स्वीकृत होगी।

(८) धारा ८०HH पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नई औद्योगिक संस्थाओं व होटलों के लाभों के सम्बन्ध में २०% की बराबर कटौती मिलती है। यह १० कर निर्धारण वर्ष तक मिलती है।

(९) **धारा ८०J** के अन्तर्गत नये औद्योगिक संस्थानों, होटलों तथा जलपोतों द्वारा उत्पन्न कर-अवकाश लाभ में से उनमें विनियोजित पूँजी के ७½% वार्षिकी की दर से प्राप्त राशि पाँच वर्ष तक छूट योग्य है।

(१०) **धारा ८० JJ** पशु-पालन, कुक्कुट-पालन व दुग्धशाला व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में ऐसे व्यवसाय के लाभों का १/३ अथवा १०,००० रु० (जो भी दोनों में कम है) सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

(११) **धारा ८०K** अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी द्वारा करमुक्त अवधि के लाभों में से प्राप्त लाभांश की पूरी राशि कटौती योग्य है यदि ऐसी कम्पनी किसी नये औद्योगिक संस्थान, होटल तथा जलपोत के व्यापार में लगी हुई है।

(१२) धारा ८०L के अन्तर्गत, एक करदाता द्वारा एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया में किये गये विनियोग से आय तथा बैंकों व सहकारी समितियों में दी गई जमाओं पर ब्याज आदि की आय में से कुल मिलाकर ३,००० रु० की कटौती दी जायगी। **यह कटौती केवल व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवारों को ही स्वीकृत है।** यूनिटों पर प्राप्त ब्याज के सम्बन्ध में २,००० रु० की अतिरिक्त कटौती और स्वीकृत होगी।

(१३) धारा ८०M के अन्तर्गत, अन्तर कम्पनी लाभांश के सम्बन्ध में स्वीकार की जाने वाली कटौती—

(अ) विदेशी कम्पनी को एक भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६५% भाग।

(ब) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दूसरी अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश का ६०% भाग। किन्तु यदि लाभांश देने वाली कम्पनी

खाद, कागज पल्प और अखबारी कागज, सीमेंट और प्लास्टिक के निर्माण में लगी है तो ऐसे प्राप्त लाभांश का १००% भाग।

(१४) धारा ८० MM के अन्तर्गत, एक भारतीय कम्पनी को भारतीय संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के लिए प्राप्त रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अन्य भुगतान की राशि का ४०% भाग।

(१५) धारा ८०N के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी और अन्य निवासी करदाता को विदेशी कम्पनी से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त अंशों पर मिले लाभांश की राशि उस सीमा तक जिस सीमा तक ये विदेशी विनिमय नियमों के अन्तर्गत भारत में प्राप्त किये गये हैं अथवा लाये गये हैं।

(१६) धारा ८८O के अन्तर्गत एक **भारतीय कम्पनी को** विदेशी सरकार अथवा संस्था से तकनीकी ज्ञान अथवा सेवाओं के लिए **प्राप्त रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अन्य भुगतान की सम्पूर्ण राशि।**

(१७) धारा ८०P के अन्तर्गत सहकारी समितियों से प्राप्त कुछ आय कटौती योग्य है।

(१८) धारा ८०QQ के अन्तर्गत पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन के व्यापार से प्राप्त लाभों का २०% भाग कटौती योग्य है। यह कटौती १९७१-७२ कर-निर्धारण वर्ष से आरम्भ होने वाले पाँच वर्षों में मिलेगी।

(१९) धारा ८०R के अन्तर्गत एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक द्वारा, जो कि भारत का नागरिक है, भारत से बाहर सेवायें प्रदान करने पर ३६ महीनों तक प्राप्त पारिश्रमिक का ५०% भाग।

(२०) धारा ८० RR के अन्तर्गत एक लेखक, गायक, कलाकार, संगीतकार अथवा अभिनेता की अपने पेशे की आय जो उसे विदेशी स्रोतों से प्राप्त हुई है। इस प्रकार से प्राप्त पेशे की आय का (जोकि उसके द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में लाई गई है) २५% भाग।

(२१) धारा ८० RRA के अन्तर्गत एक निवासी भारतीय नागरिक को विदेशी नियोक्ताओं से प्राप्त पारिश्रमिक के ५०% के बराबर छूट स्वीकार की जाती है।

(२२) धारा ८०S के अन्तर्गत एजेन्सी आदि समाप्त किए जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि का २५% भाग, परन्तु इस सम्बन्ध में स्वीकार की जाने वाली कटौती की अधिकतम सीमा १,००,००० रु० है।

(२३) धारा ८०T के अन्तर्गत गैर-कम्पनी करदाताओं द्वारा प्राप्त दीर्घ-कालीन पूँजीगत लाभ के सम्बन्ध में स्वीकार की जाने वाली कटौती, जैसाकि इसी अध्याय में पहले समझाया जा चुका है।

(२४) धारा ८० TT के अन्तर्गत गैर-कम्पनी करदाताओं की लॉटरी से प्राप्ति के सम्बन्ध में छूट, जैसाकि पहले समझाया जा चुका है।

अन्य कटौतियाँ

(२५) **धारा** ८० U के अन्तर्गत एक निवासी व्यक्ति की स्थिति जो बिलकुल अन्धा है अथवा पूर्णतः शारीरिक रूप से अयोग्य है, ५,००० रुपये की राशि।

(२६) **धारा** ८० V कर भुगतान के लिए ली गई उधार राशि पर ब्याज की सम्पूर्ण राशि।

(२७) धारा ८० आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली उस कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यय की गई राशि जो आय-कर अधिकारी, अपैलेट ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालय के सम्मुख की गई है। इसकी ५,००० रु० तक की **सम्पूर्ण राशि** कटौती योग्य है।

प्रश्न

1. उन विभिन्न भुगतानों के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए जिनके सम्बन्ध में करदाता की कुल आय की गणना करते समय कटौती दी जाती है।
   Describe briefly the various payments in respect of which a deduction is allowed in computing the total income of an assessee.
२. उन आयों को बताइए जिनके सम्बन्ध में करदाता की कुल आय की गणना करते समय कटौती दी जाती है।
   Name the incomes in respect of which a deduction is allowed in computing the total income of an assessee.
३. एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसकी विनियोजित आय के सम्बन्ध में क्या कटौती स्वीकृत होती है।
   In computing the total income of an assessee, what deduction is allowed in respect of his investment income ?
४. एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय लाभांश से प्राप्त आय के सम्बन्ध में क्या कटौती प्राप्त होती है ?
   What deductions are allowed in respect of dividend income in computing the total income of an assessee ?
५. पुण्यार्थ दान के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौती क्या है ? किन-किन दशाओं में दिये गये दान पुण्यार्थ दान माने जाते हैं ?
   What is the admissible deduction in respect with charitable donations ? Under what circumstances the donations paid are deemed to be charitable donations ?

१३

कुल आय की गणना

(*Computation of Total Income*)

इस अध्याय में निम्न विषयों का, जोकि एक करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए आवश्यक हैं, विवेचन किया गया है—

१. कुल आय की परिभाषा एवं इसकी गणना ।
२. कुल आय का योग ।
३. कुल आय की गणना करते समय स्वीकार की जाने वाली कटौतियाँ ।
४. आय जोकि कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है ।
५. कुल आय में सम्मिलित आय, जिन पर कोई आय-कर देय नहीं है ।
६. अन्य व्यक्तियों की कुल आय जिन्हें करदाता की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है ।
७. हानियों की पूर्ति ।
८. व्यापारिक हानियों का आगे ले जाना ।
९. आय को सुगम अंकों में परिवर्तित करना ।

(१) कुल आय की परिभाषा (Definition of Total Income)

धारा २(४५) के अनुसार, करदाता की कुल आय से **तात्पर्य आय की उस कुल राशि से है जिस पर कि उसे निवास के आधार पर कर देना है तथा जिसकी गणना पिछले अध्यायों में समझाये गये तरीके से की गई है ।**

इसलिए कुल आय (जिसकी परिभाषा ऊपर दी गई है) की गणना निम्न प्रकार की जाती है—

(१) करदाता की निवास-स्थिति का पता लगाकर यह ज्ञात करना चाहिए कि करदाता किन-किन आयों पर कर देने के लिए दायी है ।

(२) करदाता की समस्त करयोग्य आयों को शीर्षक बार छांटकर प्रत्येक शीर्षक की शुद्ध आय ज्ञात कीजिए । अर्थात् प्रत्येक शीर्षक की करयोग्य आयों में से

उस शीर्षक की स्वीकृत कटौतियाँ घटाकर जो आय आती है वही उस शीर्षक की शुद्ध आय होती है।

(३) समस्त शीर्षकों की शुद्ध आयों का योग सकल कुल आय (Gross Total Income) कहलाता है।

(४) सकल कुल आय में से घटाई जाने वाली कुछ स्वीकृत कटौतियाँ घटाकर शुद्ध करयोग्य आय ज्ञात की जाती है। यदि किसी वर्ष करदाता को किसी शीर्षक से हानि है तो वह हानि अन्य शीर्षकों की कुल आयों में से घटा दीजिए और यदि कोई व्यापारिक हानि गत ८ वर्षों से आगे लाई गई है तो उसे भी घटा दीजिए।

इन सब प्रावधानों को करने के बाद जो शुद्ध आय बचेगी वही करदाता की करयोग्य आय होगी।

(५) इस प्रकार से ज्ञात करयोग्य आय को १० के गुणन में सुगम बना लीजिए। अर्थात् आय को ऐसी निकटतम संख्या में परिवर्तित कर दीजिए कि उसे १० से पूरा-पूरा भाग दिया जा सके।

(२) आय का योग (Aggregation of Income)

एक करदाता की कुल आय की गणना करते समय **निम्न आयोजनों का ध्यान रखना चाहिए**—

(१) एक करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए आय की उन राशियों को भी **कुल आय में सम्मिलित कर लेना चाहिए जिन पर आय-कर की छूट** (Rebate) **मिलनी है।**

(२) धारा ६७ एक साझेदार की कुल आय की गणना करने के लिए फर्म की आय के भाग की गणना करने का तरीका बतलाती है। इस तरीके को एक अगले अध्याय 'फर्म का कर-निर्धारण' में समझाया गया है। इस प्रकार से निकाला गया **साझेदार का भाग उसकी कुल आय में जोड़ा जाता है।**

(३) करदाता के गत वर्ष के हिसाबों में पाई गई **न समझाई गई कैश क्रेडिट** (Un-explained Cash Credit) को उस **गत वर्ष** की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है।

(४) धारा ६९, ६९ A और ६९ B के अन्तर्गत यदि किसी वित्तीय वर्ष में यह पाया जाता है कि एक करदाता के स्वामित्व में कोई **विनियोग, धन, सोना-चाँदी, जेवरात या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु है और इनका उस करदाता की पुस्तकों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है,** तो इनके मूल्य को इस प्रकार के **वित्तीय वर्ष** के लिए उस करदाता की **आय मान ली जायगी,** यदि वह करदाता इसके लिए सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है।

(५) धारा ६९ C के अनुसार, यदि करदाता कोई ऐसा **व्यय** करता है जिसके स्रोत के बारे में वह सन्तोषजनक सूचना नहीं दे पाता तो जितनी राशि के बारे में

वह सन्तोषप्रद सूचना नहीं दे पायेगा उतनी राशि उसकी उस गत वर्ष की आय मान ली जायेगी जिस गत वर्ष में यह व्यय हुआ।

(६) धारा ६९ D के अनुसार, यदि कोई हुण्डी या उस पर ब्याज का भुगतान, यदि एकाउण्ट पेई चैक (A/c Payee Cheque) के द्वारा न किया जाकर किसी अन्य प्रकार से किया जाता है तो यह उधार लेने वाले की आय मानी जायेगी। स्मरण रहे कि यदि ऋण लेते समय यह राशि करदाता की आय मान ली जाती है तो इसका भुगतान करते समय इसको करदाता की आय पुनः नहीं माना जायेगा।

(३) कुल आय की गणना करने में कटौतियाँ (Deductions to be Made in Computing Total Income)

इन्हें अगले अध्याय में पूर्णरूप से समझाया गया है।

(४) कुल आय से छोड़ी गई आय (Incomes Excluded from Total Income)

अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति की गत वर्ष की आय की गणना करते समय उसकी कुल आय में निम्न आय सम्मिलित नहीं की जाती है—

(१) **कृषि-आय**—कृषि-आय क्या है, इसे प्रथम अध्याय में ही समझाया जा चुका है। कर-निर्धारण वर्ष १९७४-७५ से पूर्व कृषि-आय पूर्णतया करमुक्त थी किन्तु कर-निर्धारण वर्ष १९७४-७५ से एक व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की कुल आय में कृषि-आय को अकृषि-आय पर कर ज्ञात करने के लिए जोड़ा जाता है। कृषि-आय करदाता की कुल आय में तभी जोड़ी जाती है जबकि उसकी अकृषि-आय ८,००० रु० की न्यूनतम सीमा से अधिक है।

आय-कर की गणना करने के लिए **सर्वप्रथम** एकीकृत (Integrated) कुल आय (कृषि व अकृषि-आय) पर आय-कर ज्ञात किया जायेगा। इसके उपरान्त कर-मुक्त आय (कृषि-आय+८,००० रु०) पर कर की गणना की जायेगी। दोनों का अन्तर देय आय-कर होगा।

(२) **हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्ति**—हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय से मिली कोई राशि। जहाँ हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य ने अपनी निजी सम्पत्ति को पारिवारिक सम्पत्ति में परिवर्तित कर लिया है, तो ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति से होने वाली आय में से उसके हिस्से की आय उसके हाथ में करयोग्य है और ऐसी आय में उसकी पत्नी व अवयस्क पुत्र का हिस्सा भी उसकी कुल आय में जोड़ा जायगा।

(३) **आकस्मिक आय**—लाटरी की आय को छोड़कर अन्य आकस्मिक व बार-बार प्राप्त न होने वाली आयें १,००० रु० तक करमुक्त हैं; बशर्ते कि—

(अ) यह धारा ४५ के अन्तर्गत करयोग्य पूँजी लाभ नहीं है;

(ब) व्यापार अथवा पेशे की प्राप्ति नहीं है; या

(स) कर्मचारी के पारिश्रमिक में होने वाली वृद्धि नहीं है।

आकस्मिक आय के बारे में विस्तृत वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है ।

(४) **अनिवासियों को सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज**—अनिवासी करदाताओं को ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जिनको केन्द्रीय सरकार ने एक नोटीफिकेशन द्वारा स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार या किसी औद्योगिक संस्थान या किसी वित्तीय निगम (जो भारत में कार्यरत है तथा जिसने IBRD या विकास ऋण फण्ड U. S. A. के साथ ऋण प्रसंविदे किये हुए हैं) द्वारा निर्गमित बौण्डों पर ब्याज या उनके भुगतान पर प्राप्त प्रीमियम आदि की राशि ।

(५) **अनिवासियों के खातों पर ब्याज**—यदि भारत में किसी बैंक में किसी अनिवासी के खाते में रुपया जमा है तो उस पर प्राप्त ब्याज की आय ।

(६) **यात्रा व्यय में रियायत या सहायता**—केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्ति को जो **भारत का नागरिक है**—

(अ) १ अप्रैल, १९७० से पूर्व के कर-निर्धारण वर्षों के लिए अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से अपने लिए, अपनी पत्नी व बच्चों के लिए छुट्टियों में अथवा नौकरी की समाप्ति के बाद, भारत में अपने घर जाने के लिए मिला यात्रा व्यय अथवा यात्रा व्यय में सहायता ।

(ब) १ अप्रैल, १९७० के बाद वाले कर-निर्धारण वर्षों के लिए अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व मालिक से अपने लिए अथवा अपने परिवार के लिए छुट्टियों में अथवा नौकरी की समाप्ति के बाद, **भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए मिला यात्रा व्यय या यात्रा व्यय में सहायता** ।

(७) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जोकि **भारत का नागरिक नहीं है**—

(अ) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपने मालिक से प्राप्त, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए एवं बच्चों के लिए छुट्टियों में अथवा उसकी नौकरी की समाप्ति के बाद, **भारत से बाहर अपने घर जाने के लिए मिली यात्रा व्यय की राशि अथवा निःशुल्क यात्रा का मूल्य ।**

(ब) उसके द्वारा विदेशी राज्य (Foreign State) का राजनैतिक प्रतिनिधि (Diplomatic Representative) अथवा ट्रेड कमिश्नर की हैसियत से प्राप्त कोई पारिश्रमिक ।

(स) उसके द्वारा (ब) में वर्णित अफसरों के स्टॉफ का सदस्य होने के नाते मिला पारिश्रमिक । यदि (*a*) स्टॉफ का सदस्य उसी देश का नागरिक है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है ; तथा (*b*) उसका भारत में ऐसा कोई व्यवसाय व पेशा नहीं है जिसके लाभों पर कर लगता है ।

(द) उसके द्वारा विदेशी उद्यम (Foreign Enterprise) के कर्मचारी के रूप में भारत में सेवा करने के लिए, उदाहरणार्थ—(एक विदेशी फर्म द्वारा भारत में लगाया गया एक टैक्नीशियन) प्राप्त पारिश्रमिक, यदि (*i*) विदेशी उद्यम भारत में किसी व्यापार में नहीं लगा है, (*ii*) उसका गत वर्ष में भारत में रहना ६० दिन से अधिक न हो ; तथा (*iii*) ऐसा पारिश्रमिक मालिक की कर लगाने वाली आय से नहीं घटाया जाने वाला है ।

एक विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा, जोकि ३१-३-१६७१ के बाद से भारत में कार्य कर रहा है, प्राप्त किया गया ऐसा पारिश्रमिक जो 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है निम्न सीमा तक कर से मुक्त है—

उसके भारत में आने की तिथि से २४ महीने तक का पारिश्रमिक कर से मुक्त है जोकि अधिक से अधिक ४,००० रु० प्रति माह हो सकता है । इसके अतिरिक्त इस २४ महीने की अवधि में यदि नियोक्ता सरकार को उस तकनीकी विशेषज्ञ के पारिश्रमिक के ४,००० रु० से आधिक्य पर कोई कर चुकाता है तो कर की इस प्रकार चुकाई गई राशि पर तकनीकी विशेषज्ञ को अनुलाभ की भाँति कर नहीं देना होगा ।

यदि ऐसा तकनीकी विशेषज्ञ इस २४ महीने की अवधि के समाप्त होने पर भी भारत में कार्य करने हेतु नियुक्त रहता है और उसके पारिश्रमिक पर कर उसके नियोक्ता द्वारा सरकार को चुकाया जाता है तो पहले वर्णित २४ महीनों से अगले अधिकतम २४ महीनों तक चुकाया गया कर विशेषज्ञ के लिए अनुलाभ की भाँति करयोग्य नहीं होगा ।

यह छूट निम्न शर्तों के पूरा होने पर ही लागू होगी—

(अ) वह विशेषज्ञ भारत आने वाले वर्ष के ठीक पिछले ४ वर्षों में से किसी में भी भारत का निवासी न था, और

(ब) उसकी सेवा का अनुबन्ध केन्द्रीय सरकारद्वारा अनुमोदित है ।

इस छूट के उद्देश्य के लिए 'तकनीकी विशेषज्ञ' का आशय उस व्यक्ति से है जो निम्न में से किसी में विशेष ज्ञान या योग्यता और अनुभव रखता हो और जोकि भारत में ऐसे पद पर नियुक्त है जिसमें ऐसे विशेषज्ञ के ज्ञान व अनुभव का वास्तव में उपयोग होता है—

(*i*) निर्माण या उत्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाएँ,

(*ii*) खनन प्रक्रिया,

(*iii*) विद्युत उत्पादन,

(*iv*) कृषि,

(*v*) पशु-पालन,

(*vi*) डेरी फार्मिंग,

(*vii*) गहरे समुद्र की मछलियाँ पकड़ना,

(*viii*) जहाज-निर्माण ।

किसी भी ऐसे अभारतीय को प्राप्त पारिश्रमिक, जो किसी अनुमोदित विदेशी संघ या संस्था या अन्य किसी संस्थान का कर्मचारी या सलाहकार है, भी करमुक्त है। किन्तु जिस उद्देश्य के लिए भारत में उसकी सेवायें प्राप्त की गई हैं वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अवश्य होना चाहिए ।

(स) एक विदेशी, जोकि भारत का नागरिक नहीं है एवं जो एक विदेशी जहाज पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी सेवायें प्रदान करता है परन्तु जो गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर ९० दिन से अधिक नहीं ठहरता है, का वेतन ।

(द) घूमने आये हुए (Visiting) विदेशी राष्ट्रीयता वाले प्राध्यापकों एवं अध्यापकों का जो वेतन भारत में अर्जित किया गया है एवं जिनकी सेवायें भारत में ही किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा-संस्थान में ली गई हैं, करमुक्त हैं। इस छूट को प्राप्त करने लिए यह आवश्यक है कि सेवा का प्रसंविदा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये। ऐसी छूट तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त होगी एवं इस सम्बन्ध में भी वे ही शर्तें लागू होंगी जोकि विदेशी टैक्नीशियन के वेतन के सम्बन्ध में कर से छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में लागू होती हैं।

(य) किसी अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में अन्वेषणात्मक कार्य को चलाने के लिए विदेशी प्राध्यापकों एवं छात्रों को विदेशी सरकारों या संस्थाओं से प्राप्त वजीफे की राशि अथवा पारिश्रमिक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए दो वर्ष तक के समय के लिए करमुक्त है ।

(र) विदेशी सरकार के आफीसरों द्वारा अपनी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक जो उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त हो ।

(८) **भारत के नागरिक को भारत के बाहर मिले भत्ते व सुविधाएँ**—भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए दिये गये भत्ते अथवा सुविधायें ।

(९) **एक व्यक्ति द्वारा सहकारी तकनीकी प्रोग्राम के अन्तर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक**—यदि कोई व्यक्ति भारत में भारत सरकार व विदेशी सरकार के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत सहकारी तकनीकी कार्यक्रम में कार्य करने आया है, तो ऐसे व्यक्ति की अग्र आयें आय-कर से मुक्त हैं बशर्ते कि प्रसंविदे की शर्तें इसकी अनुमति दें—

(अ) उसके द्वारा प्राप्त वह पारिश्रमिक जो उसे कर्तव्यपालन के लिए उस विदेशी सरकार से प्राप्त हुआ हो।

(ब) कोई भी अन्य आय जो उस व्यक्ति को भारत के बाहर उदय व अर्जित होती है भारत में नहीं और जिसके सम्बन्ध में उस विदेशी सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर दिया है।

(१०) **उपरोक्त (८) में उल्लिखित व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय**—यदि उपर्युक्त ८ में वर्णित व्यक्ति के साथ भारत में कोई उसका परिवार का सदस्य भी आता है तो उस सदस्य की वह आय जो भारत के बाहर उपार्जित व उदय हुई है तथा जिस पर उसने उस विदेशी सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा-कर दिया है।

(११) **मृत्यु एवं अवकाश गृहण ग्रेच्युटी**—नियोक्ता से प्राप्त कोई भी ग्रेच्युटी निश्चित सीमा तक करमुक्त है। इसका विस्तृत विवरण वेतन शीर्षक की आय के अन्तर्गत दिया गया है।

(१२) **पेंशन का भुगतान**—कोई भुगतान जो पेंशन के बदले में प्राप्त हुआ है। इसका भी विस्तृत विवरण वेतन शीर्षक की आय के अन्तर्गत दिया गया है।

(१३) **श्रमिक को प्राप्त क्षतिपूर्ति**—किसी श्रमिक या कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने के समय प्राप्त कोई क्षतिपूर्ति की राशि करमुक्त है। यह राशि Industrial Dispute Act 1947 के अन्तर्गत निकाली गई राशि या २०,००० रु०, जो भी दोनों में कम है, इस सीमा तक ही करमुक्त है।

(१४) **प्रॉविडेण्ट फण्डों से भुगतान**—सरकारी प्रॉविडेण्ट फण्ड, सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड, प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड या ऐसे प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त भुगतान जिस पर प्रॉविडेण्ट फण्ड अधिनियम १९२५ लागू होता है।

(१५) **प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड का एकत्रित शेष**—प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड का एकत्रित शेष जोकि कर्मचारी को, जो उस फण्ड का भागीदार है, देय है अथवा देय हो रहा है। एक निश्चित सीमा तक, जो वेतन शीर्षक में वर्णित है, आय-कर से मुक्त है।

(१६) **अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भुगतान**—अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि एक निश्चित सीमा तक करमुक्त है। इसका विवरण वेतन शीर्षक से आय वाले अध्याय में दिया गया है।

(१७) **मकान किराया भत्ता**—कर्मचारी को अपने मालिक से एक निर्दिष्ट सीमा तक प्राप्त मकान किराया भत्ता। भत्ते की यह राशि ४०० रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे पूर्णरूप से 'वेतन आय' नामक अध्याय में समझाया जा चुका है।

(१८) **विशेष भत्ते व अनुलाभ**—कोई विशेष भत्ता अथवा सुविधा, जोकि मनोरंजन भत्ता या वेतन शीर्षक में करयोग्य अनुलाभ न हों, जिन्हें कार्यालय या

नौकरी के कर्त्तव्यों की पूर्ति हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाय, केवल उस सीमा तक जिस तक उस उद्देश्य के लिए वे वास्तव में खर्च किये गये हों।

यात्रा भत्ता एवं वाहन भत्ता इत्यादि इस छूट के उदाहरण हैं।

(१९) **कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज**—सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त निम्न ब्याज व अन्य भुगतान—

(*i*) १५-वर्षीय एन्युटी सर्टिफिकेट्स पर मासिक भुगतान,

(*ii*) ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट्स पर ब्याज,

(*iii*) पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स पर ब्याज,

(*iv*) पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर ब्याज,

(*v*) नेशनल प्लॉन सर्टिफिकेट्स पर ब्याज,

(*vi*) १२-वर्षीय नेशनल प्लॉन सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर ब्याज,

(*vii*) १०-वर्षीय डिफेन्स डिपाजिट सर्टिफिकेट पर ब्याज,

(*viii*) डाक-घर बचत खाते में जमा पर ब्याज,

(*ix*) सावधि जमा योजना के अन्तर्गत जमा पर मिला बोनस,

(*x*) भारत सरकार के **पाँच वर्षीय जमा** पर ब्याज, यह ब्याज उस जमा पर कर मुक्त है जिसको सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है।
भारत सरकार के पाँच वर्षीय जमा एक आदर्श लघुकालीन विनियोग है जिस पर ५% करमुक्त ब्याज प्राप्त होता है। डाकखाने में या स्टेट बक में व उसकी सहायक बैंकों में ५० रु० के गुणन में यह राशि जमा कराई जा सकती है। एक व्यक्ति २५,००० रु० तथा दो व्यक्ति संयुक्त रूप से २०,००० रु० तक इसमें जमा करा सकते हैं।

(*xi*) नेशनल डिफेन्स गोल्ड बॉण्ड्स १९८० पर वार्षिक भुगतान।

(२०) **छात्रवृतियाँ**—शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृतियाँ।

(२१) **पार्लियामेन्ट के सदस्यों के भत्ते**—संसद सदस्यों अथवा राज्यसभा के सदस्यों या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को या उनकी समितियों को प्राप्त दैनिक भत्ते या अन्य कोई भत्ता जो उसको Member for Parliament (Additional Facilities) Rules, 1975 के अन्तर्गत प्राप्त हुए हों।

(२२) **साहित्यिक, वैज्ञानिक व कलात्मक आदि कार्यों के लिए पुरस्कार**—मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया गया कोई इनाम जो उसे साहित्यिक, वैज्ञानिक व कलात्मक क्षेत्र में उच्चकोटि का कार्य करने के लिए या इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्राप्ति व खोज के लिए या खेल-कूदों में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता हो तथा जो केन्द्रीय या राज्यीय सरकार द्वारा प्रदत्त हो अथवा इनके द्वारा स्वीकृत हो।

(२३) **केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कार**—केन्द्रीय या राज्यीय सरकार द्वारा मुद्रा या वस्तु के रूप में दिया गया कोई भी पुरस्कार किसी भी ऐसे उद्देश्य के लिए जो केन्द्रीय या राज्यीय सरकार अनुमोदित कर दे ।

(२४) **सरकार द्वारा प्रदत्त वीरता पुरस्कार**—नकद या वस्तु के रूप में केन्द्रीय या राज्यीय सरकार द्वारा दिया गया अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई भी वीरता पुरस्कार ।

(२५) **प्रीवि-पर्स की समाप्ति** पर सरकार द्वारा किया गया कोई भुगतान ।

(२६) Indians States (Abolition of Privileges) Act, 1972 के द्वारा २-४-१९७३ से यह हटा दिया गया है । (Privy-Purse)

(२७) **राजाओं के महल का मूल्यांकन**—राजा द्वारा अपने अधिकार में रखे महलों में से किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य करमुक्त है । यदि यह वार्षिक मूल्य Indian States (Abolition of Privileges) Act 1971 के लागू होने से पूर्व करमुक्त था ।

(२८) **स्थानीय सत्ता की आय**—स्थानीय सत्ता की निम्न शीर्षकों की करयोग्य आय—

(अ) प्रतिभूतियों से ब्याज,
(ब) मकान सम्पत्ति से आय,
(स) पूँजी लाभ,
(द) अन्य साधनों से आय,
(य) अपने क्षेत्र व सीमाओं के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं (पानी व बिजली छोड़कर) के व्यापार व व्यवसाय से आय,
(र) अपने क्षेत्र के अन्तर्गत या क्षेत्र (Jurisdiction) के बाहर पानी व बिजली की सेवायें देने से प्राप्त आय ।

(२९) **आवास सत्ता की आय**—शहर, नगर व गाँवों का विकास, आयोजन या सुधार के लिए या आवासीय जगहों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा या किसी कानून द्वारा स्थापित कोई आवासीय बोर्ड या अन्य संस्था की आय ।

(३०) **अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ** की आय ।

(३१) **विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था** की आय ।

(३२) **चिकित्सा संस्था** (Medical Institution)—जैसे अस्पताल आदि की आय ।

(३३) **खेलकूदों को प्रोत्साहन देने वाली संस्था की आय**—खेल-कूद के नियंत्रण, व्यवस्था, विकास व प्रोत्साहन के लिए भारत में स्थापित संस्था अथवा संघ की आय ।

(३४) **कानून व चिकित्सा व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले संघ की आय**—कानून व्यवसाय, चिकित्सा व्यवसाय, लेखा व्यवसाय, इन्जीनियरिंग या आर्कीटैक्चर्स आदि व्यवसायों के नियंत्रण के लिए भारत में स्थापित संघ अथवा संस्था की 'मकान सम्पत्ति की आय', 'विनियोग की आय' व 'विशेष सेवा करने से प्राप्त आय' को छोड़कर अन्य समस्त आयें करमुक्त हैं।

(३५) **खादी या ग्रामीण उद्योग संस्थाओं की आय**—यदि कोई संघ खादी या ग्रामीण उद्योगों के विकास व नियंत्रण के लिए स्थापित है और जो या तो सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है तो ऐसी संस्था या संघ की आय करमुक्त है।

(३६) **किसी भी व्यक्ति द्वारा कुछ कोषों के लिए प्राप्त राशि**—यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्न कोषों के लिए कोई राशि प्राप्त होती है—

(*i*) The Prime Minister's National Relief Fund ; or

(*ii*) The Prime Minister's Fund (Promotion of Folk Art) ; or

(*iii*) The Prime Minister's Aid to Student Fund ; or

(*iv*) कोई और फण्ड जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पुण्यार्थ उद्देश्य वाला घोषित कर दिया जाय।

(*v*) सार्वजनिक धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित कोई अन्य ट्रस्ट।

(३७) **रजिस्टर्ड यूनियनों की आय**—भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ के अनुसार कही जाने वाली रजिस्टर्ड यूनियन की निम्न आयें—

(*i*) प्रतिभूतियों से ब्याज।

(*ii*) मकान सम्पत्ति से आय; एवं

(*iii*) अन्य साधनों से आय।

(३८) प्रॉविडेण्ट फण्ड एक्ट १९२५ के अन्तर्गत प्राप्त **प्रतिभूतियों पर ब्याज**।

(३९) पिछड़ी जाति (Scheduled Tribe) के उस सदस्य की आय जो पिछड़े इलाके (Tribal Area) में रहता है।

(४०) **लद्दाख जिले के निवासी** व्यक्ति की कुछ दशाओं में आय।

(४१) कर जमा पत्रों (Tax Credit Certificates) के सम्बन्ध में प्राप्त या समायोजित की गई राशि।

(४२) **वस्तुओं के वितरण के लिए स्थापित कोई सत्ता**—जो किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई है—की **गोदाम** या **भण्डारखानों** (Godowns or Warehouses) को भण्डार करने अथवा वस्तुओं के वितरण (Marketing or Commodities) में सहायता देने अथवा प्रसंस्करण (Processing) करने के लिए किराये पर उठाने से हुई आय।

(४३) **चाय बोर्ड** (Tea Board) से चाय के पौधे लगाने (Tea Plantation) के लिए **प्राप्त सहायता की राशि**। यह कटौती उन्हीं करदाताओं को प्राप्त होगी जो चाय बागानों के विकास या चाय उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। Tea Board से प्राप्त यह सहायता नये बागान लगवाने या पुराने बागानों का प्रतिस्थापन्न कराने के लिए प्राप्त होती है।

पुण्यार्थ ट्रस्ट (Charitable Trust)

एक ट्रस्ट द्वारा पूर्णतः पुण्यार्थ एवं सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त की गई सम्पत्ति (सम्पत्ति में 'व्यापार' सम्मिलित है) से प्राप्त आय और एक पुण्यार्थ ट्रस्ट या संस्था को कोई ऐच्छिक अंशदान से प्राप्त आय केवल तभी करमुक्त होगी जबकि—

(अ) ऐसी आय का कम से कम ७५% भाग, उस गत वर्ष में जिसमें यह आय उदय हुई या प्राप्त की गई तथा अगले गत वर्षों में, भारत में ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए वास्तव में प्रयुक्त होती है। जब सम्पूर्ण आय या इसका कोई भाग गत वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो यह आय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उस गत वर्ष में व्यय की जा सकती है जिस गत वर्ष में यह प्राप्त हुई हो या इससे ठीक अगले वर्ष में प्रयुक्त की जा सकती है।

(ब) आय का शेष २५% भाग संकलित किया जा सकता है या अलग से रखा जा सकता है। इस प्रकार से संकलित की गई राशि या अलग से से रखी गई राशि को विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजित करने की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छापूर्वक दिये गये अंशदान जो इस निर्देश के साथ दिये जाते हैं कि ये ट्रस्ट की सम्पत्ति का भाग होंगे, ट्रस्ट की आय का भाग नहीं माने जायेंगे। अतः ट्रस्ट की आय का ७५% भाग निकालते समय ऐसे अंशदानों को ट्रस्ट की आय का भाग नहीं माना जाता।

यदि वह आय जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त विकल्प प्रयुक्त किया है (अर्थात् २५% भाग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संकलित किया है) किन्तु वास्तव में यह पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए भारत में निर्धारित समय में प्रयुक्त नहीं होती है, तो ऐसी आय उस व्यक्ति की आय मान ली जायेगी जिसने इसे प्राप्त किया है और इस पर आय-कर देना होगा। ट्रस्टियों को इस आय पर 'व्यक्तियों के समूह' पर लागू आय-कर की दरों से कर देना पड़ेगा।

फिर भी, ट्रस्टीगण विशिष्ट उद्देश्यों (उदाहरणार्थ—स्कूल भवन का निर्माण, सार्वजनिक धर्मशाला का निर्माण, अस्पताल की इमारत का निर्माण आदि) के लिए आय का एक भाग एक निश्चित समय के लिए, जोकि १० वर्ष से अधिक न हो,

संचय कर सकते हैं, यदि वे आय-कर अधिकारी को संचय के उद्देश्य एवं अवधि एवं संचय की राशि की सूचना दे देते हैं और इस तरह संकलित राशि सरकारी प्रति-भूतियों या अन्य अनुमोदित विनियोगों में विनियोजित कर दी गई है।

किन्तु यदि किन्हीं ऐसे कारणों से, जो आय प्राप्त करने वाले के नियन्त्रण से बाहर हैं, संकलित आय (Accumulated Income) उन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं हो पाती है जिनके लिए यह संकलित की गई है और आय-कर अधिकारी की अनुमति से किन्हीं अन्य पुण्यार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कर ली गई है, तो भी कर की यह छूट लागू होगी बशर्ते कि वह उद्देश्य जिसके लिए यह आय प्रयुक्त हुई है, ट्रस्ट के उद्देश्यों से मिलता-जुलता है।

छूट की शर्तें (Conditions for Exemptions)

सम्पत्ति की आय एवं ऐच्छिक अंशदान की आय पर आय-कर की छूट तभी प्राप्त होगी **जबकि निम्न शर्तें पूरी की जाती हों—**

(१) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट अथवा संस्था के आय-कर कमिश्नर के यहाँ पंजीकरण के लिए १ जुलाई, १९७३ से पूर्व अथवा ट्रस्ट के निर्माण या स्थापना के एक वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

(२) जहाँ ट्रस्ट अथवा संस्था की कुल आय किसी वर्ष में २५,००० रु० से अधिक है तो उस ट्रस्ट अथवा संस्था के उस वर्ष के खाते किसी चारटर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा अंकेक्षित होने चाहिए तथा आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय के नक्शे के साथ ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए।

निम्न परिस्थितियों में ऊपर वर्णित छूट वापस रद्द हो जायगी—

(१) जहाँ आय का कोई अंश निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट के अन्तर्गत प्राप्त की गई सम्पत्ति से प्राप्त किया गया है।

(२) जहाँ ३१–३-१९७६ के बाद निर्मित अथवा स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था की कोई आय किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जन-जातियों या किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति की स्त्रियों और बच्चों के लाभार्थ स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था इस प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(३) जहाँ ३१-३-१९७२ के बाद स्थापित किसी ट्रस्ट अथवा संस्था की आय का कोई अंश ट्रस्ट के संस्थापक या संस्थाओं के संस्थापक या उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों या ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों या संस्था के प्रबन्धक (जिस किसी भी नाम से सम्बोधित होता है) के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया है।

जहाँ किसी ट्रस्ट अथवा संस्था की दशा में (जो कभी भी निर्मित अथवा स्थापित हुआ हो) ट्रस्ट आय अथवा सम्पत्ति (१,००० रु० से अधिक) का कोई अंश सम्बन्धित वर्ष में उपरोक्त व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयुक्त या उपयोग किया गया है। किन्तु यह अयोग्यता १-४-१९६२ से पूर्व निर्मित या स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्थाओं पर लागू नहीं होगी यदि ट्रस्ट आय अथवा सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्ट की शर्तों अथवा संस्था के नियमों के अनुरूप ही हुआ है।

यदि उपरोक्त छूट प्रदान करने से पूर्व ट्रस्ट अथवा संस्था की आय न्यूनतम करयोग्य सीमा से अधिक है तो ट्रस्टी धारा १३९(१) के अन्तर्गत स्वेच्छा से आय का नक्शा भरने व अन्य निर्धारित विवरण प्रदान करने के लिए दायी है।

ट्रस्टियों पर कर निर्धारण व्यक्तियों के समूह की भाँति किया जाता है।

राजनीतिक पार्टियाँ (Political Parties)

चूँकि राजनीतिक उद्देश्य एक पुण्यार्थ उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक पार्टियों (जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय हिन्दू महासभा इत्यादि) द्वारा प्राप्त की गई आय, आय-कर से मुक्त है।

एक राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राप्त किया गया दान और चन्दा करमुक्त है क्योंकि ये पूँजी या आकस्मिक प्राप्तियाँ हैं किन्तु उनके द्वारा विनियोगों और सम्पत्ति से प्राप्त की गई आय करयोग्य है।

एक राजनीतिक पार्टी 'व्यक्तियों के समूह' की भाँति कर के लिए दायी होगी।

(५) कुल आय में सम्मिलित आय जिन पर कोई आय-कर देय नहीं है (Incomes Included in Total Income but Entitled to Rebate of Income-Tax)

एक करदाता की कुल आय में सम्मिलित **निम्न आय के लिए पूर्ण अथवा आंशिक छूट दी जाती है—**

(१) एक **अपंजीकृत फर्म के साझीदार को** उसके फर्म के लाभों के भाग पर, जिस पर फर्म द्वारा आय-कर देय है, छूट दी जाती है। यदि वह फर्म एक ऐसी अपंजीकृत फर्म नहीं है जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह हुआ है। यह **औसत दर** से करमुक्त है।

(२) **व्यक्तियों के समूह** (हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी या फर्म के अतिरिक्त) के लाभों में, जिन पर व्यक्तियों के समूह द्वारा आय-कर चुका दिया गया है, उसके सदस्य का भाग। यह भी **औसत दर से** करमुक्त है।

(३) कुल आय में सम्मिलित **करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों** (केन्द्रीय व राज्यीय सरकार) के ब्याज पर करदाता को आय-कर की औसत दर या २७·५%, इनमें से जो भी कम हो, से छूट मिलेगी।

(६) अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में सम्मिलित होती है (Income of Other Persons Included in Assessee's Total Income)

निम्न स्थितियों में, आय तो वास्तव में करदाता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की होती है, लेकिन कर को बचाने के प्रयास को रोकने के लिए उन्हें करदाता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है—

(१) **आय का हस्तांतरण**—एक व्यक्ति को हस्तांतरित की गई ऐसी आय को, जिसमें सम्पत्ति को हस्तांतरित नहीं किया है, हस्तांतरण करने वाले (Transferor) की आय मानकर उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

(२) **सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण**—एक व्यक्ति को सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण (Revocable Transfer) से होने वाली आय को हस्तांतरण करने वाले की आय मानकर उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

हस्तांतरण में सेटिलमेंट, ट्रस्ट, प्रसंविदा (Agreement) अथवा प्रबन्ध (Arrangement) सम्मिलित हैं। सम्पत्ति के हस्तांतरण को खण्डनीय नहीं माना जाता, यदि वह हित प्राप्त करने वाले के जीवनकाल में खण्डनीय न हो।

जहाँ पर सम्पत्तियों का अखण्डनीय (Irrevocable) हस्तांतरण हो वहाँ पर उनसे प्राप्त आय उसी की आय मानी जायगी जिसको सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया है बशर्ते कि हस्तांतरण हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति के जीवन-साथी (Spouse) अथवा नाबालिग बच्चे को नहीं किया गया हो।

बेनामी व्यवहार (Benami Transactions)—'बेनामी' शब्द से अर्थ है बिना नाम का। एक बेनामी व्यवहार वह है जोकि वास्तविक स्वामी के नाम न करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम किया जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति कर को बचाने के दृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित कर सकता है अथवा सम्पत्ति खरीदते समय अपने नाम में न खरीद कर अन्य किसी व्यक्ति के नाम में खरीद सकता है। आय-कर उद्देश्यों के लिए आय-कर अधिकारी सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी का पता लगा सकता है तथा उस सम्पत्ति की आय को वास्तविक स्वामी की कुल आय में सम्मिलित करके कर निर्धारण कर सकता है।

(३) **जीवन-साथी की आय** (Income of Spouse)—करदाता के जीवन-साथी (Spouse) की आय को उसकी आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में धारा ६४ में निम्न प्रावधान दिये गये हैं—

(*i*) **जीवन-साथी की साझेदारी फर्म से आय**—जब व्यापार चलाने वाली [पेशे (Profession) वाली नहीं] किसी फर्म में पति-पत्नी दोनों साझेदार हैं तो उस फर्म में पत्नी की आय का भाग पति की आय के साथ जोड़ दिया जायेगा, यदि पति की अन्य व्यक्तिगत आयें पत्नी की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है। किन्तु यदि पत्नी की अन्य

व्यक्तिगत आयें पति की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है तो फर्म की आय में पति का भाग पत्नी की आय के साथ जोड़ा जायेगा । **संक्षेप में, फर्म के लाभों में पति-पत्नी का भाग दोनों में से उसी की आय में जोड़ दिया जायेगा जिसकी अन्य व्यक्तिगत आयें अधिक हैं ।**

(*ii*) **जीवन-साथी को प्राप्त वेतन व अन्य पारिश्रमिक**—यदि किसी व्यक्ति के जीवन-साथी को किसी ऐसी संस्था, जिसमें उस व्यक्ति का **सारवान-हित है**, से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई वेतन, कमीशन, फीस या अन्य पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होता है तो उसके **जीवन-साथी को प्राप्त ये राशियाँ उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दी जायेंगी ।** किन्तु यदि उस व्यक्ति के जीवन-साथी को यह प्राप्तियाँ उसकी तकनीकी या पेशे के ज्ञान के कारण होती हैं तो इन प्राप्तियों को उस व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायेगा ।

नोट—किसी व्यक्ति का सारवानहित निम्न दशाओं में माना जाता है—

(अ) उस व्यक्ति के पास संस्था के २०% या अधिक साधारण अंश हैं; या

(ब) वह व्यक्ति संस्था के लाभों का २०% या अधिक पाने का अधिकारी है ।

(*iii*) **जीवन-साथी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी को बिना पूर्ण प्रतिफल के अथवा बिना अलग-अलग रहने के प्रसंविदे के प्रतिफलस्वरूप हस्तांतरित कर दी हैं तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायेगी जिसने सम्पत्ति का इस प्रकार हस्तांतरण किया है ।

यदि जीवन-साथी ने ये सम्पत्तियां किसी व्यापार में विनियोजित कर दी हैं तो उस व्यापार से जीवन-साथी को इस सम्पत्ति के कारण प्राप्त लाभ भी हस्तांतरण करने वाले की कुल आय में जोड़ा जायेगा ।

पत्नी से अभिप्राय वैधानिक पत्नी से हैं और उनमें पति और पत्नी का सम्बन्ध न केवल आय की प्राप्ति के समय बल्कि सम्पत्ति के हस्तांतरण के समय भी अस्तित्व में होना चाहिए ।

(४) **अवयस्क का साझेदारी के लाभों में सम्मिलित होना**—यदि किसी अवस्यक को साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो फर्म की आय में उस अवयस्क का भाग या तो उसके पिता की या उसकी माँ की आय के साथ जोड़ दी जायेगी । अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता में उसकी आय में जोड़ी जायेगी जिसकी कुल आय, फर्म की आय में अवयस्क के भाग को छोड़कर,

अधिक है। यदि एक बार अवयस्क की आय किसी एक (माता या पिता) की आय में जोड़ दी जाती है तो बाद में भी वह आय उसी की आय में जोड़ी जाती रहेगी। अर्थात् यदि एक बार अवयस्क का फर्म की आय में भाग पिता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है तो फिर सदैव पिता की आय में ही जोड़ा जायेगा। यदि आय-कर अधिकारी यह चाहता है कि अवयस्क की आय दूसरे (माता) की आय में जोड़ी जाय तो वह उस दूसरे (माता) को अपनी इस इच्छा की सूचना देगा व इतना समय देगा कि उस दूसरे के विचार सुन सके।

(५) **अवयस्क को हस्तांतरित सम्पत्तियां**—एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा अपने नाबालिग बच्चे (लेकिन विवाहित पुत्री नहीं) को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई सम्पत्ति की आय (पूँजी लाभों को सम्मिलित करते हुए) भी सम्मिलित की जाती है, यदि यह हस्तान्तरण पूरे प्रतिफल के लिए न हो।

(६) **पुत्र के अवयस्क बच्चे को या लड़के की पत्नी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—यदि कोई व्यक्ति १-६-१९७३ के उपरान्त अपनी कोई सम्पत्ति अपने लड़के के अवयस्क बच्चे को अथवा लड़के की पत्नी को बिना पूर्ण प्रतिफल के हस्तान्तरित कर देता है तो उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आय होती है वह उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दी जायेगी।

(७) **जीवन-साथी या अवयस्क के लाभ के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा बिना पूरे प्रतिफल के, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति से आय भी सम्मिलित की जाती है, जहाँ पर ऐसी सम्पत्तियों की आय उसके जीवन-साथी अथवा नाबालिग बच्चे (लेकिन विवाहित पुत्री नहीं) अथवा दोनों के वर्तमान अथवा भावी हित के लिए है।

जहाँ पर इस प्रकार से सम्पत्तियाँ हस्तांतरण की जायें, वहाँ पर उसकी आय का सम्पूर्ण भाग उसके जीवन-साथी अथवा नाबालिग बच्चे अथवा दोनों के लिए रखना जरूरी नहीं है। इसलिए हस्तांतरण करने वाले की आय में केवल आय का उतना ही भाग सम्मिलित किया जायगा, जितना कि उसने उन (जीवन-साथी एवं नाबालिग बच्चे अथवा दोनों) के लिए रखा है।

इसी आयोजन के अन्तर्गत आने वाली स्थितियों का साधारण उदाहरण बन्दोबस्त करने वाले के जीवन-साथी अथवा नाबालिग बच्चे के हित में ट्रस्टियों को सम्पत्तियों का हस्तांतरण कर देना है। इस बात से कोई अन्तर नहीं होता कि बन्दोबस्त करने वाला (Settler) अकेला ही ट्रस्टी (Sole Trustee) है।

इसी प्रकार, यदि एक मुस्लिम व्यक्ति एक वक्फ बनाता है तथा कुछ सम्पत्तियाँ अपनी पत्नी तथा बच्चों के हित के लिए अल्लाह को हस्तांतरित कर देता है तो उसकी पत्नी तथा नाबालिग बच्चों की आय उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है।

बच्चे के व्यस्क होने पर—यदि गत वर्ष से कोई बच्चा वयस्क हो जाता है अथवा अवयस्क पुत्री की शादी हो जाती है तो इस प्रकार वयस्क पुत्र अथवा विवाहित पुत्री को उनके लाभ के लिए हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति से आय माता-पिता के हाथों मे करयोग्य नहीं है।

(८) **परिवर्तित सम्पत्ति** (Converted Property)—जब एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में जिसका कि वह सदस्य है, परिवर्तन करने की इस आशय से घोषणा करता है कि यह सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होगी तो **इस प्रकार के परिवर्तन के निम्नलिखित परिणाम होंगे**—

(अ) वह व्यक्ति परिवर्तित सम्पत्ति को परिवार के सदस्यों में हस्तान्तरित किया हुआ माना जायगा और उस सम्पत्ति पर सबका संयुक्त अधिकार होगा।

(ब) इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय होगी वह सम्पूर्ण आय, न कि सम्पत्ति में उसके भाग तक की आय, उस व्यक्ति की आय में जोड़ दी जायेगी। अर्थात् परिवर्तित सम्पत्ति की सम्पूर्ण आय उस व्यक्ति की होगी जिसने उस सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित किया है।

(स) यदि परिवर्तित सम्पत्ति का विभाजन (पूर्ण या आंशिक) होता है तो उस परिवर्तित सम्पत्ति का जो भाग उसके जीवन-साथी या अवयस्क बच्चे को प्राप्त होगा, उस भाग पर जीवन-साथी या अवयस्क बच्चे को प्राप्त आय भी हस्तांतरण करने वाली की आय में जोड़ी जायेगी।

जब एक व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित करता है तो उस सम्पत्ति की परिवार के लिए वही लागत होगी जोकि उस व्यक्ति को थी।

(द) यदि परिवर्तित सम्पत्ति से प्राप्त आय उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल कर ली गई है तो यह आय उस परिवार की, जीवन-साथी की या अवयस्क बच्चे की कुल आय में से घटा दी जायेगी।

उदाहरण १—एक हिन्दू अविभाजित परिवार में 'अ' उसकी पत्नी, 'ब' उसका बड़ा लड़का, 'स' (२३ वर्षीय) उसका छोटा लड़का, 'द' (१५ वर्ष) और उसकी अविवाहित लड़की 'ई' (१२ वर्ष) सम्मिलित हैं।

संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अपने हिस्से के अतिरिक्त 'अ' का अपना स्वयं का एक मकान है जिसका मूल्य ८०,००० रु० है तथा जो उसे अपने नानाजी से दान में मिला था। १ जुलाई, १९७६ को उसने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित सम्पत्ति की करयोग्य आय १६,००० रु० आंकी गई है।

३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष में 'अ' ने संयुक्त परिवार की आय में से ३,००० रु० प्राप्त किये और उसने एक कम्पनी में १,००० रु० प्रतिमाह वेतन प्राप्त किया जिसका वह प्रबन्ध संचालक था।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'अ' की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

A Hindu undivided family consists of A, his wife B, his elder son C (23 years old), his younger son D (15 years old) and his unmarried daughter E (12 years old).

Apart from his share in the joint family property, A is the owner of separate house property valued at Rs. 80,000 which he got as a gift from his nanaji. On 1st July 1976, he converted his separate property into the joint family property. The taxable income from this converted property has been computed at Rs. 16,000.

During the previous year ended 31st March 1977. A received Rs. 3,000 as his share from the joint family income and he earned a salary of Rs. 1,000 per month from a company of which he is the managing director.

Compute the total income of A for the assessment year 1977-78.

Solution

The share of A, B, C and D in the joint family property is one-fourth each. The income from house property for the three months ended 30th June 1976 is Rs. 4,000, while its income for the post-conversion 9 months is Rs. 12,000.

The total income of A for the assessment year 1977-78 will be as follows :

		Rs.
1.	Salary (*Less* Standard deduction of Rs. 2,200)	9,800
2.	Income from house property for 3 months	4,000
3.	Income from Other Sources :	
	Income from converted property	12,000
	Total Income	25,800

(७) हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना

(Set-off and Carry-forward of Losses)

किसी व्यक्ति की करयोग्य आय ज्ञात करते समय यदि किसी स्रोत (Source) या मद (Head) के अन्तर्गत कोई हानि आती है तो उसको पूरा करने अथवा उसको आगे ले जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में अग्र प्रावधान हैं—

हानियों की पूर्ति (Set-off of Losses)—हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख प्रावधान हैं—

(१) **किसी स्रोत** (Source) **की हानि की पूर्ति**—यदि करदाता की आय के किसी एक मद (Head) में दो या दो से अधिक स्रोत हैं तो किसी एक या अधिक स्रोतों की हानि को दूसरे या अधिक स्रोतों के लाभ में से पूरा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—यदि किसी करदाता के दो व्यापार हैं और किसी एक व्यापार में हानि हो तो उस हानि को दूसरे व्यापार के लाभों में से पूरा किया जा सकता है और यदि उसके ४ व्यापार हैं और किसी एक व्यापार में हानि है तो उसको शेष ३ व्यापारों के लाभों में से, यदि २ व्यापारों में हानि है तो उसके शेष २ व्यापारों के लाभों में से तथा यदि ३ व्यापारों में हानि है तो उसको चौथे व्यापार के लाभों में से पूरा किया जा सकता है।

(२) **किसी मद** (Head) **की हानि की पूर्ति**—यदि करदाता की आय के किसी एक मद में (उपर्युक्त प्रकार से पूर्ति करने के उपरान्त) हानि आती है तो उस मद की हानि को उसी वर्ष की अन्य मदों की आय से पूरा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—व्यापार एवं पेशे मद की हानि को 'मकान सम्पत्ति' मद की आय से पूरा किया जा सकता है। **इस सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं**—

(*i*) सट्टे के **व्यापार** की हानियाँ केवल सट्टे के लाभों में से ही पूरी होंगी।

(*ii*) एक करदाता द्वारा **किसी आय के मद** (पूँजी लाभों को छोड़कर) की **हानि** को उसके अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति के **लाभ** से पूरा किया जा सकता है।

(*iii*) अल्प-**कालीन पूँजी सम्पत्ति की हानि को** अन्य आयों से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार अल्प-कालीन पूँजी सम्पत्ति के लाभ अन्य आयों की तरह ही माने गये हैं।

(*iv*) **दीर्घकालीन पूँजी हानि** की पूर्ति उसी कर-निर्धारण वर्ष के दीर्घ-कालीन पूँजी लाभों से की जा सकती है।

(*v*) लॉटरी, **उद्धरण पहेलियों, ताश के खेल** इत्यादि के कारण होने वाली हानियाँ केवल इसी स्रोत की आय से पूरी की जा सकती हैं अन्य आय से नहीं। इस उद्देश्य के लिए निम्न में से प्रत्येक स्रोत आय का एक पृथक एवं भिन्न स्रोत माना जाता है—

(अ) लाटरी,

(ब) उद्धरण पहेलियाँ,

(स) दौड़ एवं घुड़ दौड़,

(द) ताश के खेल,

(य) अन्य किसी भी प्रकार के खेल,

(र) जुआ या **शर्त आदि**। इन सभी स्रोतों के सम्बन्ध में प्रत्येक स्रोत की हानि उसी **स्रोत की आय से** पूरी की जा सकती है। उदाहरणार्थ—घुड़दौड़ में होने वाली हानि घुड़दौड़ की ही आय से पूरी की जा सकती है। जुआ, शर्त या लाटरी की आय से नहीं। इनमें से किसी भी स्रोत की हानि को **अगले वर्षों में पूर्ति के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता** किन्तु केवल एक दशा में ऐसा हो सकता है। घुड़दौड़ के घोड़ों का स्वामी अपने घोड़ों के रख-रखाव पर हुई हानि को अपनी आगामी चार कर-निर्धारण वर्षों की "घुड़दौड़ सहित" स्रोत की आय से पूरा कर सकता है।

(३) **रजिस्टर्ड फर्म की हानि की पूर्ति**—यदि करदाता एक रजिस्टर्ड फर्म है अथवा रजिस्टर्ड फर्म की तरह करयोग्य एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी आय की एक मद की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में उसकी अन्य मदों की आय से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार भी यदि सम्पूर्ण हानि की पूर्ति न हो तो न पूरी हुई हानि को साझेदारों में बाँट दिया जाता है तथा प्रत्येक साझेदार अपनी हानि के भाग को उसी वर्ष की किसी भी मद की आय से पूरा कर सकता है।

(४) **अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि की पूर्ति**—यदि करदाता एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी आय की एक मद की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में केवल उसकी (फर्म की) अन्य मदों की आय से पूरा किया जा सकता है। किसी भी दशा में अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार फर्म की हानि को अपने वैयक्तिक कर-निर्धारण में उसे पूरा नहीं कर सकता।

हानियों को आगे ले जाना (Carry-forward of Losses)—हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि केवल व्यापारिक या पूँजीगत हानियों को ही आगे ले जाया जाता है। अन्य मदों में होने वाली हानियों को आगे ले जाने के विषय में आय-कर अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। **व्यापारिक व पूँजीगत हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में निम्नलिखित नियम हैं—**

(१) **व्यापार एवं पेशे की हानियाँ**—यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में 'व्यापार अथवा पेशे से आय' शीर्षक की आय की गणना करते समय हानि आती है तथा इस हानि की पूर्ति 'पूँजी लाभ' को छोड़कर अन्य किसी मद से नहीं की जा सकती है तो इस हानि की पूर्ति अगले कर-निर्धारण वर्षों में किसी ऐसे 'व्यापार अथवा पेशे' की आय से की जा सकती है जो करदाता द्वारा चलाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में **निम्न नियम प्रमुख हैं**—

(*i*) किसी भी कर-निर्धारण वर्ष की हानि को अधिक से अधिक अगले ८ वर्षों के लाभों में से पूरा किया जा सकता है।

(*ii*) हानि को तभी तक आगे ले जाया जा सकता है जब तक कि वह

'व्यापार व पेशा', जिसके सम्बन्ध में यह हानि है, चालू रहता है। यदि एक व्यापार जो कि 'एकाकी व्यापार' में के रूप में चलाया जाता है बाद में साझेदारी में परिवर्तित करके चालू रखा जाता है तो व्यापार चालू माना जायेगा। ऐसा इसलिए है कि यदि कोई व्यापार साझेदारी से चलाया जाता है तो यह माना जाता है कि फर्म का प्रत्येक साझेदार उस व्यापार को चलाता है।

(२) **सट्टे के व्यापार की हानियाँ**—यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में सट्टे के व्यापार की हानियों को सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा नहीं किया जा सके तो उस हानि को अगले वर्षों के सट्टे के लाभों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक ८ वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

(३) **अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति की हानियाँ**—अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में होने वाली कोई हानि, जिसे आय के किसी शीर्षक में उसी कर-निर्धारण वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है, अगले वर्षों में अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जाई जा सकती है। ऐसा आगे ले जाना केवल ८ कर-निर्धारण वर्षों तक सीमित है।

(४) **दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति की हानि**—यदि किसी वर्ष दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति की हानि को उसी वर्ष के दीर्घकालीन पूँजीगत लाभों से पूरा नहीं किया जा सका है तो उसको भावी दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक अगले ४ कर-निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। किन्तु इस नियम का एक अपवाद है—गैर-कम्पनी करदाता की स्थिति में दीर्घकालीन पूँजी हानि को तब तक आगे नहीं ले जाया सकता जब तक कि यह हानि ५,००० रु० से अधिक न हो।

(५) **रजिस्टर्ड फर्म की हानि**—एक रजिस्टर्ड फर्म की हानि, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, यदि उसी वर्ष में फर्म की अन्य आयों से पूरी नहीं की जा सकी है तो उसको उसी वर्ष में साझेदारों में बाँट दिया जाता है जिसे वे सभी अपनी-अपनी अन्य आयों में से पूरा कर सकते हैं। यदि सभी या कोई भी साझेदार अपनी इस हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में पूरा न कर पायें तो वे इस हानि को अपनी भावी आयों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक आठ वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं। **स्मरण रहे कि रजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि को स्वयं आगे नहीं ले जा सकती बल्कि इसके साझेदार इस हानि को व्यक्तिगत रूप से अपनी अन्य आयों में से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकते हैं।**

(६) **अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि**—एक अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी कर-निर्धारण वर्ष की हानि को (जो फर्म के किसी भी स्रोत की आय में से पूरी नहीं की जा सकी है) भावी लाभों में से पूरा करने के लिए अधिक से अधिक आठ वर्षों तक

आगे ले जा सकती है। स्मरण रहे कि अनरजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि को स्वयं आगे ले जाती है। रजिस्टर्ड की भाँति इसकी हानि इसके साझेदारों में नहीं बांटी जाती।

(७) **फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म की हानि**—फर्म के संगठन में परिवर्तन निम्न दो दशाओं में माना जाता है—

(*i*) जब एक या अधिक साझेदार न रहे अथवा एक या अधिक नये साझेदार प्रवेश कर ले जिसमें पुराने साझेदारों में कम से कम एक बना रहे।

(*ii*) जब समस्त ही साझेदारों या उनमें से कुछ साझेदारों के लाभ के अनुपात में परिवर्तन हो जाय।

जब फर्म के संगठन (Constitution) में कोई परिवर्तन हो जाये, तो फर्म अपने भावी लाभों से हानि की पूर्ति करने के लिए एक रिटायर्ड या मृतक साझेदार की हानि के भाग को आगे नहीं ले जा सकती और न ही किसी साझेदार को यह अधिकार है कि वह अपने लाभों के भाग से अन्य साझेदार की हानि के भाग को पूरा करने के लिए ऐसी हानि के भाग को आगे ले जाये।

(८) **स्वामित्व परिवर्तन पर फर्म की हानि**—जब एक स्वामित्व से व्यापार अथवा पेशा दूसरे स्वामित्व में चला जाता (Succeeded) है तो जिस व्यक्ति को गया है, उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वह पहले मालिक द्वारा उठाई गई हानि को आगे ले जाकर पूरा कर सके ; क्योंकि सामान्य नियम यह है कि ऐसे व्यक्ति को यह माना जाता है कि उसने नया व्यापार ही स्थापित किया है। इस नियम का केवल एक अपवाद उत्तराधिकार (Inheritance) द्वारा चला जाना है। उत्तराधिकारी (Heir) को इस बात का अधिकार है कि वह पुराने मालिक द्वारा उठाई गई व्यापारिक हानि को पूरा करने के लिए आगे ले जा सके।

हानियों के लिए नक्शा भरना (Submission of Return for Losses)—जब तक करदाता हानि का नक्शा न भरे एवं उस पर कर-निर्धारण न हो जाये तब तक किसी भी हानि को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।

हानि की सूचना (Submission of Loss)—किसी करदाता के कर-निर्धारण में जब यह तय हो जाये कि व्यापार में हानि है जिसे करदाता आगे ले जा सकता है तो इनकम-टैक्स ऑफीसर उसके द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि को करदाता को लिखित में सूचित करेगा। वह भविष्य में हानि को राशि के बारे में मतभेद को दूर करने के लिए है। यदि इनकम-टैक्स ऑफीसर ऐसा आदेश नहीं कर पाता है तो भी करदाता का आगे ले जाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

सारांश

उस स्थिति में, जहाँ एक करदाता ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट दोनों के

लिए अधिकारी है, यह प्रश्न उठता है कि पहले किसकी कटौती की जानी चाहिए। विधान के अनुसार, हानियों एवं छूटों की निम्न क्रम में कटौती की जानी चाहिए, यदि इन म क्षों शोधित करने के लिए लाभ अपर्याप्त हैं—

(१) चालू ह्रास,
(२) पिछले वर्षों की आगे लायी गई व्यापारिक हानियाँ,
(३) पिछले वर्षों का अशोधित ह्रास,
(४) पिछले वर्षों की अशोधित विकास सम्बन्धी छूट,
(५) चालू विकास सम्बन्धी छूट।

(८) आय का सुगम अंकों में परिवर्तन (Rounding-off of Income)

यदि कुल आय १० रु० से विभाजित नहीं होती है तो ऐसी आय को निकटतम १० तक विभाजन होने वाले अंकों में परिवर्तित करने के लिए सुगम बना देना चाहिए। इसे सुगम बनाने के लिए यदि अन्त में ५ रु० से कम का अंक है तो छोड़ दिया जाता है, परन्तु यदि इकाई का अंक ५ रु० या इससे अधिक है तो उसे १० मान लिया जाता है और इस प्रकार सुगम अंकों में परिवर्तित आय ही कुल आय मानी जायेगी।

Note : **The following illustrations are very important. These should be worked out carefully after studying the next chapter.**

उदाहरण २—'एक्स' कलकत्ता की एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के पूर्ण समय के प्रबन्ध संचालक हैं। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उन्होंने निम्न विवरण प्रस्तुत किये हैं—

१. उसने वर्ष के दौरान ४,००० रु० प्रति माह वेतन और ६,००० रु० बोनस के प्राप्त किये।

२. उसे शहर में एक किराये से मुक्त (असुसज्जित) निवास भी मिला हुआ है। यह निवास गृह कम्पनी के स्वामित्व में है और इसका उचित किराया १,५०० रु० प्रति माह है।

३. उसको कम्पनी की ओर से १८ हा० पा० की एक कार भी मिली हुई है जिसको वह व्यक्तिगत एवं कार्यालय दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकता है। कार के रख-रखाव व चलाने के व्यय स्वयं कम्पनी वहन करती है।

४. वर्ष में उसका प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान ६,००० रु० था और कम्पनी ने भी ६,००० रु० का ही अंशदान किया।

५. उसने अपने जीवन बीमा प्रीमियम के २,००० रु० दिये और कम्पनी ने भी उसके लाभ के लिए एक जीवन पॉलिसी ले रखी थी जिस पर कम्पनी ने भी १,००० रु० प्रीमियम दिया।

६. उसने निम्न राशियाँ प्राप्त कीं—

(*i*) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश ५०० रु०, (*ii*) एम० लि० से लाभांश १,००० रु०, इसका आधा भाग कर-अवकाश लाभों में से है, (*iii*) सरकारी प्रतिभूतियों स ब्याज १,००० रु०, (*iv*) पी० लिमिटेड से लाभांश ३,००० रु० ।

'एक्स' की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए ।

X is employed as a wholetime director of a limited company in Calcutta. He has furnished the following particulars for the previous year ended 31-3-1977 :

1. He drew salary of Rs. 4,000 p. m. during the year and received a bonus of Rs. 6,000.
2. He was provided with rent-free quarters (unfurnished) in the city. The accommodation is owned by the company and its fair rental value is Rs. 1,500 p. m.
3. He was provided a car of 18 h. p. for personal as well as business purposes, the expenses of its maintenance and running being met by the company.
4. His contribution to the recognised provident fund was Rs. 6,000 during the year, and the company made a matching contribution of Rs. 6,000.
5. He paid life insurance premium of Rs. 2,000 and the company also paid Rs. 1,000 as premium on a policy taken on his life and for his benefit.
6. He received (*i*) Rs. 500 dividend from the Unit Trust of India, (*ii*) Rs. 1,000 dividend from M Ltd., half of which was attributable to the tax-holiday profits of the company, (*iii*) Rs. 1,000 interest from government securities, and (*iv*) Rs. 3,000 dividend from P Ltd.

Compute the total income of X for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.	Rs.
1. Income from Salary :			
Salary as such		48,000	
Bonus		6,000	
Employer's contribution to provident fund in excess of 10% of salary of Rs. 48,000 (Rs. 6,000—Rs. 4,800)		1,200	
Life insurance premium paid by company		1,000	
Value of free quarters :			
10% of Rs. 54,000	5,400		

Excess of fair rent (Rs. 18,000) over 30% of salary (Rs. 16,200)	1,800	7,200	
Value of free car @ Rs. 400 p. m.		4,800	68,200
Less Standard deduction (maximum) as he has been provided with a car			1,000
			67,200
2. Interest on securities			1,000
3. Other Sources :			
Dividend from Unit Trust of India		500	
Dividend from M Ltd.		1,000	
Dividend from P Ltd.		3,000	4,500
Gross Total Income			72,700
Deductions :			
Under sections 80C :			
P. F. contribution	6,000		
Life insurance premiums	3,000		
	9,000		
100% of First 4,000 Rs.	4,000		
50% of next Rs. 5,000	2,500	6,500	
Under section 80K (dividend from M Ltd.) half		500	
Under section 80L :			
Dividend from M Ltd. half	500		
Dividend from Unit Trust of India	500		
Interest on government securities	1,000		
Dividend from P Ltd.	3,000		
	5,000		
Limited to Rs. 3,000 but increased by Rs. 500 being the dividend from U.T.I.		3,500	10,500
Total Income			62,200

It is assumed that interest on securities and dividends is all gross.

उदाहरण ३—एक पुर्तगाली निवासी (जिसको डेरी-फार्म का विशिष्ट ज्ञान है) पंजाब के एक डेरी-फार्म पर ६,००० रु० प्रतिमाह वेतन पर तकनीकी विशेषज्ञ

होकर सर्वप्रथम १ नवम्बर १९७६ को भारत में आया। केन्द्रीय सरकार ने उसके प्रसंविदे को १२ दिसम्बर, १९७६ को अनुमोदित कर दिया। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की उसकी अन्य आयें निम्न थीं—

(क) भारतीय सरकार की ३% प्रतिभूतियों के २५,००० रु० पर ६ माह का ब्याज १ जनवरी, १९७७ को देय हुआ। ये प्रतिभूतियाँ उसने १ दिसम्बर, १९७६ को हालैण्ड से लाये हुए रुपये से क्रय की थीं।

(ब) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश २,००० रु०।

(स) हालैण्ड स्थित डेरी-फार्म से आय १०,००० रु० जिसका आधा भाग उसने दिसम्बर १९७६ में भारत में प्राप्त किया।

उसने एक ब्रिटिश कम्पनी से अपना £ ५,००० का बीमा कराया हुआ है जिसका प्रीमियम £ २०० वह लन्दन में अपनी विदेशी आय से चुकाता है।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

A Dutch national (having specialised knowledge and experience in dairy farming) came to India for the first time on Ist November 1976 to take up the post of a technician in a large dairy farm in Punjab on a monthly salary of Rs. 6,000. His contract of service was approved by the Central Government on 12th December 1976. His other income for the year ended 31st March 1977 was as under :

(*a*) Six months interest on Rs. 25,000 3 % Indian Government securities due on 1st January 1977. These securities were purchased by him on 1st December 1977 with money brought from Holland.

(*b*) Dividend from an Indian company Rs. 2,000.

(*c*) Rs. 10,000 income from a dairy-farm in Holland, half of which was received by him in India in December 1976.

He is insured for £ 5,000 in a British insurance company and he paid in London £ 200 as premium out of his foreign income.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

The assessee is non-resident for the previous year ended 31st March 1977. As he is a foreign technician employed in India under a contract of service approved by the Central Government, his salary for 24 months (up to Rs 4,000 per month) is to be excluded from his total income. Also Rs. 5,000 income from dairy-farming received in India is to be so excluded.

His total income for the assessment year 1977-78 will be as under :

	Rs.	Rs.
1. Salary for 5 months in excess of Rs. 4,000 . m.	10.000	

Less Standard Deduction for expenditure	2,000	8,000
2. Interest on government securities		375
3. Dividend from an Indian company		2,000
Gross Total Income		10,375
Deduction for interest on government securities and dividend		2,375
Total Income		8,000

As the life insurance premium has been paid out of foreign income not chargeable to tax in India, no deduction can be allowed in respect there of.

उदाहरण ४—एक करदाता द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य लाभ या आगे ले जाई जाने योग्य हानियों का निर्धारण कीजिए—

	रु०
(१) १९७०-७१ की लायी गई हानि	२,००,०००
(२) १९७१-७२ की लायी गयी हानि	३०,०००
१९७१-७२ का स्वीकृत ह्रास आगे लाया गया	१०,०००
(३) १९७२-७३ की लायी गयी हानि	२०,०००
१९७२-७३ का लाया गया स्वीकृत ह्रास	१०,०००
(४) १९७३-७४ की लायी गयी हानि	१०,०००
१९७३-७४ का लाया गया स्वीकृत ह्रास	५,०००
(५) १९७४-७५ की लायी गयी हानि	१०,०००
१९७४-७५ का लाया गया स्वीकृत ह्रास	५,०००
(६) १९७५-७६ का लाभ	३०,०००
१९७५-७६ का ह्रास	१०,०००
(७) १९७६-७७ का लाभ	१,००,०००
१९७६-७७ का ह्रास	२०,०००
(८) १९७७-७८ का लाभ	२,२०,०००
१९७७-७८ का ह्रास	२०,०००

From the following particulars furnished by an assessee determine assessable profits or the loss to be carried forward, as the case may be, for the assessment year 1977-78 :

	Rs.
(1) Loss for 1970-71 carried forward	2,00,000

(2)	Loss for 1971-72 carried forward	30,000
	Depreciation allowance for 1971-72 carried forward	10,000
(3)	Loss for 1972-73 carried forward	20,000
	Depreciation allowance for 1972-73 carried forward	10,000
(4)	Loss for 1973-74 carried forward	10,000
	Depreciation allowance for 1973-74 carried forward	5,000
(5)	Loss for 1974-75 carried forward	10,000
	Depreciation allowance for 1974-75 carried forward	5,000
(6)	Profit for 1975-76	30,000
	Depreciation due for 1975-76	10,000
(7)	Profit for 1976-77	1,00,000
	Depreciation due for 1976-77	20,000
(8)	Profit for 1977-78	2,20,000
	Depreciation due for 1977-78	20,000

Solution

Assessment year		Loss Rs.	Unabsorbed Depreciation Rs.
1970-71	Amount carried forward	2,00,000	—
1971-72	do	30,000	10,000
1972-73	do	20,000	10,000
1973-74	do	10,000	5,000
1974-75	do	10,000	5,000

Computation of Total Income
for Assessment Year 1977-78

Asst. year		Rs.
1975-76	Profit	30,000
	Less Depreciation due	10,000
		20,000
	Less Rs. 2,00,000 being the Loss of 1970-71 set off leaving Rs. 1,80,000 c/f with losses for other years	20,000
	Total Income	Nil
1976-77	Profit	1,00,000
	Less Depreciation due	20,000
		80,000

Less Rs. 1,80,000 being the Loss of 1970-71 set off leaving Rs. 1,00,000 c/f with losses for other years	80,000
Total Income	Nil
1977-78 Profit	2,20,000
Less Depreciation due	20,000
	2,00,000
Less Losses of 1970-71 to 1974-75 set off	1,70,000
	30,000
Less Unabsorbed depreciation of 1971-72 to 1974-75 set off	30,000
Total Income	Nil

Thus there is "nil" total income for the assessment year 1977-78 nor is there any loss or unabsorbed depreciation carried forward.

उदाहरण ५—एक आय-कर अधिकारी ने एक करदाता की आय निम्न प्रकार से तय की—

		रु०
करयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज		१०,०००
करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	५,०००	
Less व्यापारिक हानियाँ	७,०००	—२,००० (हानि)
कुल आय		८,०००

करदाता ने माँग की कि ७,००० रु० की हानि करयुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज से अपलिखित होनी चाहिए करमुक्त के ब्याज से नहीं। अर्थात् आय का निर्धारण निम्न प्रकार से होना चाहिए—

करयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	१०,०००	
Less व्यापारिक हानि	७,०००	
		३,०००
करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज		५,०००
कुल आय		८,०००

क्या करदाता का दावा स्वीकार योग्य है। कारण सहित बताइए।

An Income-Tax Officer determined the income of an assessee in the following manner :

		Rs.	
Interest on Securities taxed		10,000	
,, on tax-free Securities	5,000		
Less Business loss	7,000	−2,000	(Loss)
Total Income		8,000	

The assessee, on the other hand, claims that the loss of Rs. 7,000 should be set off against the interest on taxed securities and income determined as under :

		Rs.
Interest on securities taxed	10,000	
Less Business loss	7,000	3,000
Interest on tax-free securities		5,000
Total Income		8,000

Is the assessee's claim admissible ? Give reasons.

Solution

The assessee's claim is correct. Section 71 does not indicate that a particular mode of set-off should be followed. In the absence of any such indication, the general rule to be followed in all fiscal enactments is that where words used are neutral in import, construction most beneficial to the assessee should be adopted. Therefore, to mode of set-off claimed by the assessee should prevail.

उदाहरण ६—कर-निर्धारण वर्ष १९७६-७७ के लिए 'एक्स' के कर-निर्धारण में २०,००० रु० की कपड़े के व्यापार की हानि प्रदर्शित होती है जो कि आगे ले जाई जायेगी। इसके साथ-साथ वह १०,००० रु० का अशोधित ह्रास भी आगे ला रहा है।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी आय निम्न प्रकार निर्धारित की गई—

	रु०	रु०	रु०
मकान सम्पत्ति			५,०००
कपड़े का व्यापार			
ह्रास से पूर्व लाभ		२०,०००	
Less ह्रास १९७७-७८ का	१५,०००		
अशोधित ह्रास १९७६-७७ का	१०,०००		
		२५,०००	
व्यापार की शुद्ध हानि			—५,०००
कुल आय			Nil

१९७६-७७ की २०,००० रु० की व्यापारिक हानि आगे ले जायी जायेगी।
बताइए कि क्या उपर्युक्त गणनायें सही हैं ?

The assessment of X for the year 1976-77 showed a loss of Rs. 20,000 under cloth business to be carried forward and also unabsorbed depreciation of Rs. 10,000.

For the assessment year 1977-78 his income was computed as under :

	Rs.	Rs.	Rs.
Property			5,000
Cloth Business :			
Profit before allowing depreciation		20,000	
Less Depreciation for 1977-78	15,000		
Unabsorbed depreciation b/f from 1976-77	10,000	25,000	
Net loss under business			—5,000
Total Income			Nil

Business loss of 1976-77 to be carried forward=Rs. 20,000.

Discuss whether the above computation is correct.

Solution

In this case both business loss and unabsorbed depreciation are carried forward from the assessment year 1976-77. However it is the business loss carried forward which is to be given effect to first in preference to unabsorbed depreciation. The computation given is not, therefore, correct. it should be as follows :

		Rs.
Income from House Property	5,000	
Less Unabsorbed depreciation of 1976-77	5,000	—
Cloth Business :		
Profit before depreciation	20,000	
Less Depreciation for 1977-78	15,000	
	5,000	
Less Business loss b/f from 1976-77 set off	5,000	—
Total Income		Nil

Business loss of 1976-77 c/f=Rs. 15,000.

Unabsorbed depreciation of 1976-77 c/f=Rs. 5,000.

उदाहरण ७—एक हिन्दू अविभाजित परिवार का १,००,००० रु० का अशोधित ह्रास पूर्व के किसी एक कर-निर्धारण वर्ष से लाया गया। चालू वर्ष में

परिवार की शुद्ध व्यापारिक आय (चालू वर्ष का ह्रास घटाकर) ७५,००० रु० है। इसके अतिरिक्त इस आय में बनावटी रोकड़ जमा की ५०,००० रु० की राशि भी अन्य स्रोतों से आय मानकर जोड़ दी गई।

परिवार की चालू कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना कीजिए।

In the case of a Hindu undivided family, unabsorbed depreciation of Rs. 1,00,000 was carried forward from an earlier year's assessment. In the current assessment the net business income of the family is determined at Rs. 75,000 after deducting current year's depreciation. Besides this, cash credits representing bogus loans amounting to Rs. 50.000 were added as income from other sources.

Compute the total income of the family for the current assessment year.

Solution

			Rs.
1.	Business income after deducting current year's depreciation		75,000
	Less Unabsorbed depreciation brought forward from an earlier year to the extent of profits		75,000
			Nil
2.	Income from other sources	50,000	
	Less Balance of unabsorbed depreciation brought forward	25,000	25,000
	Total Income		25,000

The unabsorbed depreciation of the past years is to be added to the depreciation of the current year, and the aggregate depreciation can be deducted from the income of the current year under any head.

उदाहरण ८ — ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक व्यक्ति की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

भारतीय आय

(अ) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ५०० रु० और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर १,००० रु० (सकल)।

(ब) 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि १,००० रु०।

(स) अपंजीकृत फर्म में लाभ में हिस्सा १५,००० रु०।

(द) लाभांश (सकल) १,६०० रु० और बैंक जमा पर ब्याज ४०० रु०।

(य) हिन्दू अविभाजित परिवार की सहायता से प्राप्त लाभ में भाग १,००० रु०। परिवार की आय पर कर नहीं लगता।

विदेशी आय

(अ) अफ्रीका के रुपया उधार देने वाले व्यवसाय की आय जो भारत में प्राप्त की ५,००० रु०।

(ब) भारत से नियन्त्रित व्यापार से ईरान में उदित आय १०,००० रु० एवं मकान सम्पत्ति से आय २,००० रु० ।

(स) जापान में अर्जित व प्राप्त बैंक ब्याज जो गत वर्ष में भारत में भेजा गया ५,००० रु० ।

(द) अफ्रीका में उदित गत वर्षों का बिना कर लगा लाभ जो गत वर्ष में भारत में लाया गया १०,००० रु० ।

गत वर्ष में उसने अपनी बूढ़ी माँ के इलाज पर ३,००० रु० व्यय किये । माँ ७ माह तक अस्पताल में भरती रही । उसने अपनी ६०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर १०,००० रु० प्रीमियम भुगतान किया ।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए । यह मानते हुए कि वह (*i*) निवासी है ; (*ii*) असाधारण निवासी है ; और (*iii*) अनिवासी है ।

The details of the income of an individual for the previous year ended 31st March 1977 are given below :

Indian Income :

(*a*) Interest from tax-free government securities Rs. 500 and from other government securities Rs. 1,000 (gross).

(*b*) A loss of Rs. 1,000 has been computed under the head "Income from House Property".

(*c*) Share income from an unregistered firm Rs. 15,000.

(*d*) Dividends (gross) Rs. 1,600 and interest on bank deposits Rs 400.

(*e*) Share of income from a Hindu undivided family as a member thereof Rs. 1,000, the family not being liable to tax.

Foreign Income :

(*a*) Income from money-lending business in Africa but received in India Rs. 5,000.

(*b*) Income arising in Iran from a business (controlled in India) Rs. 10,000 and from house property Rs. 2,000.

(*c*) Income earned from bank interest in Japan and received there, but remitted to India in the previous year Rs. 5,000.

(*d*) Rs. 10,000 brought into India during the previous year out of untaxed income arising in Africa before the previous year.

During the previous year he spent Rs. 3,000 on the medical treatment of his old mother who remained as an in-patient in a hospital in Bombay for seven months. He also paid Rs. 10,000 as premiums on his life policies for Rs. 90,000.

Compute his total income for the assessment year 1977-78 on the footing that (*i*) he is resident (*ii*) he is resident not ordinarily resident, and (*iii*) he is not resident in India.

Solution

	(*i*) Rs.	(*ii*) Rs.	(*iii*) Rs.
Indian Income :			
1. Interest on securities taxed	1,000	1,000	1,000
,, ,, Tax-free	500	500	500
2. Loss from house property	– 1,000	– 1,000	– 1,000
3. Business income (share from unregistered firm	15,000	15,000	15,000
4. Income from other sources :			
Dividends (gross)	1,600	1,600	1,600
Interest on bank deposits	400	400	400
	17,500	17,500	17,500
Foreign Income :			
1. Income from money-lending business in Africa but received in India	5,000	5,000	5,000
2. Income arising in Iran from a business controlled in India Rs. 10,000 and from house property Rs. 2,000	12,000	10,000	—
3. Income earned from bank interest in Japan and received there	5,000	—	—
Gross Total Income	39,500	32,500	22,500

	(*i*) Rs.	(*ii*) Rs.	(*iii*) Rs.
Deductions from G. T. I. :			
For insurance premium as calculated below	6,500	6,500	5,375
For expenditure on medical treatment of mother (maximum admissible)	2,400	—	—
For interest on government securities dividends and bank interest	3,000	3,000	3,000
Total Deductions	11,900	9,500	8,375
Gross Total Income calculated as above	39,500	32,500	22,500
Less Deductions as above	11,900	9,500	8,375
Total Income	27,600	23,000	14,125
Rounded off	27,600	23,000	14,130

Qualifying amount limited to 10% of the sum assured (Rs. 90,000) and not exceeding 30% of gross total income	9,000	9,000	6,750
100% of First Rs. 4000	4,000	4,000	4,000
50% of the balance being less than Rs. 6,000.	2,500	2,500	1,375
	6,500	6,500	5,375

Notes :

1. Any income earned outside India in any year prior to the previous year but remitted to India in the previous year, is not included in the total income of any assessee.

2. Income earned and received outside India from any source and remitted to India in the previous year is includible in the total income of a resident only.

3. The deduction on account of expenditure on the medical treatment of a handicapped dependant is allowed only in the case of resident assessees.

उदाहरण ६—'अ' ने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक कम्पनी से ३,००० रु० प्रति वर्ष का वेतन कमाया। आय-कर के लिए कर-निर्धारण की हुई एक अपंजीकृत फर्म में उसके लाभ का भाग ३३,००० रु० है। उसके स्वामित्व में एक मकान भी है जिसके आधे भाग में उसका लड़का बिना किराये के रहता है तथा आधा भाग २०० रु० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है। उसने अपनी बीमा पॉलिसियों पर ८,००० रु० प्रीमियम का भुगतान किया।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिए और बताइए कि वह किस आय पर छूट पाने का अधिकारी है ?

A earned a salary of Rs. 3,000 per annum from a company during the year ended 31st March 1977. His share of profit from an unregistered firm, itself assessed to income-tax, is Rs. 33,000. He owns a house, one-half of which is occupied by his son free of rent, and the other half is let out at Rs. 200 per month. He paid Rs. 8,000 as premium on his life policy.

Compute his total income for the assessment year 1977-78 and indicate the relief to which he is entitled.

Solution

			Rs.
1.	Salary	3,000	
	Less Standard deduction for expenditure	600	2,400
2.	Income from house property as calculated below		4,000

3. Income from business, being share of profit from an unregistered firm assessed to income-tax		33,000
Gross Total Income		39,400
Less Deduction on account of insurance premium of Rs. 8,000 :		
100% of first Rs. 4,000	4,000	
50% of next Rs. 4,000	2,000	6,000
Total Income		33,400

Income from House Property. As one-half of the assessee's house is occupied by his son, it cannot be considered to be self-occupied. Its income is therefore computed as follows :

	Rs.
Annual value of the whole house on the basis of rent received for one-half portion	4,800
Less One-sixth for repairs	800
Income from House Property	4,000

Relief. He is entitled to a rebate of income-tax on Rs. 33,000 share of profits from an unregistered firm.

उदाहरण १०—एक भारतीय नागरिक ने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्न सूचनायें प्रदान की—

(अ) भारत सरकार से ८ माह का वेतन २४,००० रु०

(ब) भारत सरकार से विदेश में (चीन में) सेवा करने के प्रतिफल में प्राप्त ४ माह का वेतन १६,००० रु०। जिसमें से २,००० रु० प्रति माह उसने लखनऊ में निवास कर रही अपनी पत्नी को भेजा।

(स) विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश (जिसमें से विदेशी सरकार द्वारा काटा गया २,००० रु० का आय-कर घटाया हुआ है) ४,००० रु० जो भारत में भेज दिया गया।

उसकी करयोग्य कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह (*i*) निवासी है और (*ii*) अनिवासी है।

An Indian citizen furnished the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 1977 :

(*a*) Salary from Government of India for 8 months Rs. 24,000.

(*b*) Salary from Government of India for foreign service (in China) for 4 months Rs. 16,000, out of which Rs. 2,000 per month was remitted to his wife resident in Lucknow.

(*c*) Dividend from a foreign company (after deduction of Rs. 2,000 on account of income-tax in that country) Rs. 4,000 which was remitted to India.

Compute his total income if (*a*) he is a resident, and (*b*) he is a non-resident.

Solution

	(*a*) Rs.	(*b*) Rs.
1. Salary earned in India and China, as in the case of government servants salary for services rendered outside India is deemed to arise in India, after making the standard deduction of Rs, 3,500.	36,500	36,500
2. Dividend from a foreign company	4,000	—
Total Income	40,500	36,500

Notes :

1. The foreign Income of a non-resident, even if it is remitted to India' does not attract tax in India.

2. When a foreign company pays a dividend after deducting an amount of tax therefrom, the amount of tax so deducted cannot be brought to tax in the hands of the shareholder since it cannot be said to have accrued or arisen to him.

उदाहरण ११—निम्न आयें एक व्यक्ति से सम्बन्धित हैं जो ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निवासी है—

(अ) मासिक वेतन ३,००० रु० । वह चार माह के लिए भारत के बाहर छुट्टी पर रहा । २ माह का वेतन भारत के बाहर प्राप्त किया और शेष भारत लौटने पर प्राप्त किया । वह अगले वर्ष में भारत लौटकर आया ।

(ब) उसके स्वामित्व में एक मकान भी है (१९५९ में निर्मित) जिसका १/४ भाग वह अपने निवास के लिए प्रयुक्त करता है तथा शेष ४०० रु० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है । उसका एजेन्ट किराये का १/६ भाग कमीशन के रूप में वसूल करता है । मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका कर १,६०० रु० थे ।

(स) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश ७,१६६ रु० (सकल) ।

(द) सट्टे के व्यापार की हानि ५,००० रु० ।

उसकी कर निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य आय ज्ञात कीजिए ।

The following information relates to the income of an individual who is resident for the year ended 31st March 1977 :

(*a*) Monthly salary Rs. 3,000. He was on leave for 4 months ex-India. Two months' leave salary was drawn ex-India and the balance of leave salary was drawn in India on return from leave during the following year.

(*b*) He owns a house (constructed in 1959) one-forth of which is used for his residence and the remainder is let at Rs. 400 per month. His agent charged one-sixth of the rent as his commission. Municipal taxes in respect of the house were Rs. 1,600.

(*c*) Dividends received from Indian companies Rs. 7,166 (gross).

(*d*) A loss from speculation business Rs. 5,000.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

				Rs.
1.	Salary for the year		36,000	
	Less Standard deduction for expenditure		3,500	32,500
2.	Income from house property :			
	Rent from house let out		4,800	
	Less Municipal taxes ($\frac{3}{4}$)		1,200	
	Annual value in this case		3,600	
	Annual value of property occupied for residence	1,600		
	Less Municipal taxes ($\frac{1}{4}$)	400		
		1,200		
	Less Allowance for self-occupation being $\frac{1}{2}$ of A. V. or Rs. 1800 whichever is less.	600		
	Annual value in this case		600	
	Annual value of the whole house		4,200	
	Less One-sixth for repairs	700		
	Collection charges limited to 6% of Rs. 3,600	216	916	3,284
3.	Income from other sources :			
	Dividend gross			7,166
	Gross Total Income			42,950
	Deduction for dividend			3,000
	Total Income			39,950

Notes :

1. The annual value of self-occupied portion of the house is taken on the basis of rent received for the portion let. When three-fourths of the house is let for Rs. 4,800 a year, the value of one-fourth portion is Rs. 1,600.

2. The loss of Rs. 5,000 from speculation business cannot be set off against the above income. It will however be carried forward for 8 assesment years to be set off against future speculation profits.

उदाहरण १२—एक व्यक्ति, जिसकी केवल मकान सम्पत्ति शीर्षक की ही आय है, का लाभ-हानि खाता ३४,७३२ रु० के शुद्ध लाभ प्रदर्शित करता है। यह शुद्ध लाभ ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष का है और ९९,८७६ रु० किराये की सकल आय में से निम्न व्यय घटाकर ज्ञात किया गया है—

		रु०
(१)	भवन के ९,००,००० रु० के अपलिखित मूल्य पर २½% से ह्रास	२२,५००
(२)	लिफ्ट के रख-रखाव पर व्यय (लिफ्टमैन की मजदूरी सहित)	३,८७६
(३)	लिफ्ट के ३,५०० रु० के अपलिखित मूल्य पर १०% ह्रास	३५०
(४)	नगरपालिका कर व दर	६,०००
(५)	खाली रहने की छूट	८,०००
(६)	मरम्मत	१६,६४६
(७)	दरवान का वेतन	७२०
(८)	माली का वेतन	७२०
(९)	बैंक व्यय	३३२
(१०)	कानूनी व्यय	६,०००

आय-कर प्रतिवेदन (Return) में भरी जाने वाली करदाता की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की आय ज्ञात कीजिए।

The Profit & Loss Account of an individual, whose income is only from house property, disclosed a net profit of Rs. 34,732 for the year ended 31st March 1977 after deducting from the gross rental income of Rs. 99,876 the following expenses :

		Rs.
1.	Depreciation @ 2½% on Rs. 9,000 being written-down value of the building	22,500
2.	Maintenance charges of the lift including the pay of liftman	3,876
3.	Depreciation @ 10% on Rs. 3,500 being written-down value of the lift	350

4.	Municipal rates and taxes	6,000
5.	Vacancy	8,000
6.	Repairs	16,646
7.	Pay of durwan	720
8.	Pay of gardner	720
9.	Bank charges	332
10.	Legal charges	6,000

Compute the assessee's income from house property for the purpose of inclusion in the return to be submitted for the assessment year 1977-78.

Solution

As a separate head of income is provided for the income from house property, the income from house property should be computed under section 22 and not as income from business. The income from house property will therefore be as follows :

		Rs.
Rental Value of House Property as below		94,560
Less Municipal taxes and rates		6,000
Annual value of house property		88,560
Less Admissible deductions :		
1/6 for repairs	14,760	
Vacancy allowance	8,000	
Banks & Legal charges (assumed to be collection charges restricted to 6% of Annual value	5,314	28,074
Income from House property		60,486
Rounded off		60,490

Notes :

1. Rental Value has been calculated as below :

		Rs.
Gross Rental value		99,876
Less Salary of Durwan	720	
Pay of Gardener	720	
Maintenance charge of lift & pay of liftman	3,876	5,316
Rental Value		94,560

The rental value of Rs. 99,876 is due to the above expenses. If the owner would not be doing the above expenses, his gross rental would certainly be less. Hence it has been deducted from gross Rental. Rental value of the House Properties will be the amount as reduced by the above

उदाहरण १३—एक्स १९७५ में सरकारी नौकरी से अवकाशित हुआ। १-१-१९७६ को उसने एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी में वेतनभोगी संचालक की भाँति कार्य प्रारम्भ किया। उसकी पत्नी ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले पूरे वर्ष में कम्पनी की कर्मचारी थी। उसको ५०० रु० प्रति माह दिया जाता था। ३१-३-१९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में उसने निम्न राशियाँ प्राप्त कीं—

१. ५०० रु० प्रति माह की पेंशन सरकार से।
२. २४,०८५ रु० सरकारी प्रॉविडेन्ट फण्ड की संकलित राशि (ब्याज सहित)।
३. कम्पनी से २,००० रु० प्रति माह वेतन।
४. कम्पनी से २०० रु० प्रति माह मँहगाई भत्ता।
५. कम्पनी से ४,००० रु० बोनस।
६. कम्पनी से अग्रिम वेतन ४,००० रु०।
७. कम्पनी से ६०० रु० प्रति माह की दर से 'मकान किराया भत्ता' (वह मकान का किराया ९०० रु० प्रति माह देता था)।
८. बच्चों के शिक्षा व्ययों की कम्पनी द्वारा पूर्ति १,००० रु०।
९. भारतीय कम्पनी से लाभांश ५,००० रु० (सकल)।
१०. जीवन बीमा निगम से सावधि बीमा पॉलिसी के १५,००० रु० प्राप्त किये।

उसने प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में ४,००० रु० का अंशदान किया। कम्पनी भी इतना ही अंशदान करती है।

उसने अपनी १०,००० रु० की जीवन बीमा पॉलिसियों पर १,६०० रु० प्रीमियम के दिये और २२०० रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अंशदान किये।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'एक्स' की कुल आय की गणना कीजिए।

X retired from Government service in 1975 and on 1-1-1976 he joined a limited company of a salaried director. His wife was a salaried employee of the company throughout the year ended 31-3-1977 and she was paid Rs. 500 per month. He received the following amounts during the year ended 31-3-1977 :

1. Pension of Rs. 500 per month from Government.
2. Rs. 24,085 Government provident fund accumulation (including interest).
3. Salary of Rs. 2,000 per month from the company.
4. Dearness allowance of Rs. 200 per month from a company.
5. Bonus of Rs. 4,000 from the company.
6. Advance of pay of Rs. 4,000 from the company.
7. House rent allowance of Rs. 600 per month from the company (rent paid by him for the house was Rs. 900 per month).

8. Rs. 1,000 from the company being reimbursement of educational expenses of his children.
9. Dividend from an Indian company Rs. 5,000 gross.
10. Rs. 15,000 from the L. I. C. being proceeds of an endowment policy.

He contributed Rs. 4,000 to a recognised provident fund to which the company contributed an equal amount.

He paid Rs. 1,600 as premium on his life policy for Rs. 10.000 and contributed Rs. 2.200 to the National Defence Fund.

Compute X's total income for the assessment year 1977-78.

Solution

				Rs.
1.	Income from salary :			
	Pension from Government		6,000	
	Salary from company		24,000	
	Dearness allowance from company		2,400	
	Bonus		4.000	
	Advance pay (not to be assessed on becoming due)		4.000	
	House rent allowance (restricted to 10% of salary in this case. Therefore excess of Rs, 7,200 over 2,400)		4,800	
	Perquisite of educational expenses		1,000	
	Employer's contribution to recognised provident fund in excess of 10% of salary (assuming that according to the terms of employment dearness allowance is not to be included in salary) *i. e.*, Rs. 4,000 – Rs. 2.400		1,600	
			47,800	
	Less Standard deduction for expenditure (Max.)		3,500	44,300
2.	Other Sources : Dividend form an Indian company gross			5,000
	Gross Total Income			49,300
	Deductions :			
	For providend fund contributions (Rs. 4,000) and insurance premium (Rs. 1,000) :			
	100% of First Rs. 4000	4,000		
	50% of balance of Rs. 1,000	500	4,500	

For donation to N. D. F. : 50% of Rs. 2,200	1,100	
For dividend U/S 80L	3,000	8,600
Total Income		40,700

Notes :

(a) Rs. 24,085 Government provident fund accumulations are exempt.

(b) Rs. 25,000 being proceeds of an endowment life policy is not income

(c) Rs. 6,000 being wife's salary cannot be included in M's total income.

उदाहरण १४—'पी' बम्बई की एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के प्रबन्धक हैं। ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उन्होंने निम्न सूचनायें प्रेषित की हैं—

(१) वेतन २४,००० रु०, मँहगाई भत्ता ३,००० रु०, मकान किराया भत्ता ६,००० रु०, मनोरंजन भत्ता ७,५०० रु० तथा बोनस १,००० रु०।

(२) उसने कम्पनी के अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में ५,००० रु० का अंशदान दिया।

(३) भारतीय कम्पनियों से लाभांश ५,००० रु० (सकल)।

(४) उसने कम्पनी में १-४-१९७१ से कार्य प्रारम्भ किया और अभी तक लगातार काम करता आ रहा है।

(५) उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार मँहगाई भत्ता उसके वेतन का भाग नहीं है।

(६) उसे एक राज्य की लॉटरी से ५०,००० रु० प्राप्त हुए।

(७) उसने ६५० रु० प्रति माह का मकान किराया दिया।

(८) उसने व्यवसाय प्रबन्ध की पुस्तकें खरीदने पर ६०० रु० व्यय किये।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

P, the manager of a limited company in Bombay, has furnished the following particulars and other information regarding his income for the previous year ended 31-3-1977.

1. Pay Rs. 24,000. Dearness allowance Rs. 3,000. House rent allowance Rs. 6,000. Entertainment allowance Rs. 7,500. Bonus Rs. 1,000.
2. He contributed Rs. 5,000 to the company's approved superannuation fund.

3. Dividends from Indian companies Rs. 5,000 gross.
4. He joined the company on 1-4-1971 and is with it continuously thereafter.
5. According to terms of his employment dearness allowance does not form part of salary.
6. He won Rs. 50,000 from a State lottery.
7. He pays house rent Rs. 650 per month.
8. He spent Rs. 600 for purchase of books on business management.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

			Rs.
1. Income from salary :			
Salary as such		24,000	
Bonus		1,000	
Dearness allowance		3,000	
House rent allowance (see note below		1,200	
Entertainment allowance		7,500	
		36,700	
Less Standard deduction (Maximum)		3,500	33,200
2. Other Sources :			
Dividends from Indian companies gross		5,000	
Winning from a State lottery		50,000	55,000
Gross Total Income			88,200
Deductions :			
For contribution to approved superannuation fund : 100% of first Rs. 4,000	4,000		
50% of Rs. 1,000	500	4,500	
For dividends Maximum		3,000	
For winning from State lottery :			
First Rs. 5,000 full	5,000		
50% of Rs. 45,000	22,500	27,500	35,000
Total Income			53,200

Note.

1 The taxable amount of house rent allowance is as follows :

	Rs.
Actual allowance	6,000
Excess of rent paid over 10% of salary or Rs. 24,000. *i. e.*, Rs. 7,800 — Rs. 2,400	5,400

1/5 of salary as the city is Bombay	4,800
Rs. 400 per month	4,800

The least of these four amounts (Rs. 4,800) is exempt. Therefore the amount taxable is Rs. 6,000 − Rs. 4,800 = Rs. 1,200.

2. No deduction will be allowed for entertainment allowance as it was not received from a date before 1-4-1955.

3. No Separate deduction is allowed for purchase of goods by the assessee.

उदाहरण १५—'एम' एक प्रकाशक फर्म का १ अप्रैल, १९५२ से प्रबन्धक है। निम्न सूचनाओं से उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य आय ज्ञात कीजिए—

(१) १-४-१९७६ से वह ८०० रु० प्रति माह वेतन पाता है।

(२) फर्म ने एक अप्रमाणित स्टॉफ प्राविडेण्ट फण्ड रखा हुआ है जिसमें वह अपने वेतन का ८% अंशदान करता है। फर्म भी इतना ही अंशदान करती है।

(३) वह अपनी सेवा से ३१-१२-१९७६ को अवकाश ग्रहण करता है। उस समय उसको निम्न भुगतान किये गये—

(*i*) दिसम्बर १९७६ माह का उसका वेतन।

(*ii*) १-४-१९७६ से ३१-१२-१९७६ तक के समय का बोनस १,५०० रु०।

(*iii*) १० माह के वेतन के बराबर उसकी ग्रेच्युटी ७,५०० रु०।

(*iv*) प्राविडेण्ट फण्ड खाते में १४,००० रु० का संकलित शेष जिसमें उसके अंशदान व उस पर ब्याज के क्रमशः ६,००० रु० व १,००० रु० सम्मिलित हैं।

(४) वह अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन ३,००० रु० है। इस पर देय वार्षिक नगरपालिका कर ३०० रु० है।

(५) १-७-१९७६ को उसने १५-वर्षीय C.T.D. खाता डाकखाने में खोला जिसमें वह २०० रु० प्रति माह जमा कर रहा है।

(६) उसने २५,००० रु० का अपना बीमा करवा लिया है जिसका प्रीमियम वह २,००० रु० वार्षिक देता है।

(७) मई १९७६ में उसने अपने नानाजी से ५,००० की भेंट प्राप्त की।

M has been the manager of a firm of publishers since 1-4-1952. From the following information compute his total income for the assessment year 1977-78 :

1. From 1-4-1976 he is drawing a salary of Rs. 800 per month.

2. The firm maintains an unrecognised staff provident fund to which he contributes 8% of his salary and the firm contributes an equal amount.
3. He retired from service on 31-12-1976 when he was paid :
   (*i*) His salary for the month of December 1976 ;
   (*ii*) Bonus of Rs. 1,500 for the period 1-4-1976 to 31-12-1976 :
   (*iii*) A gratuity of Rs. 7,500 equal to 10 months' salary ; and
   (*iv*) Rs. 14,000 accumulated balance in his provident fund account, which included Rs. 6,000 his own contributions and Rs. 1,000 interest thereon.
4. He lives in his own house, the municipal valuation of which is Rs. 3,000 the annual municipal taxes paid being Rs. 300.
5. On 1-7-1976 he opend a 15-year C. T. D. account at the post-office, in which he is depositing Rs. 200 per month.
6. He is insured for Rs. 25,000 and pays Rs. 2,000 as annual premium.
7. In may 1976 he received a gift of Rs. 5,000 from his *nanaji*.

Solution

			Rs.
1.	Salary : As such for 9 months	7,200	
	Bonus	1,500	
	Gratuity is exempt	—	
	Balance of provident fund account after deducting his own contributions and interest thereon	7,000	
		15,700	
	Less Standard deduction	2,570	13,130
2.	Income from house property :		
	Annual value of residential house	3,000	
	Less Municipal taxes	300	
		2,700	
	Less Self-occupation allowance	1,350	
	Annual value in this case	1,350	
	Less one-sixth for repairs	225	1,125
3.	Income from other sources :		
	Interest on his own contributions to unrecognised providend fund		1,000
	Gross Total Income		15,255

Deduction for life insurance premiums etc (Rs. 2,000) and C. T. D. (Rs. 1,800) : Full	3,800
Total Income	11,455
Rounded Off	11,460

Notes :

1. The gift of Rs. 5,000 is not income liable to tax.
2. Exempted portion of the gratuity is as below :
   $\frac{1}{2}$ month's salary for each year's completed service *i. e.*, $12\frac{1}{2}$ month's salary

   or

   20 month's salary

   or

   Rs. 30,000

   or

   Actual gratuity
   (whichever is less)

   As Actual gratuity is Rs. 7,500 only (minimum of all the four), it is fully exempt.

उदाहरण १६—'ब' मेरठ विश्वविद्यालय के एक कालेज में प्रवक्ता है। उसकी ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की प्राप्तियाँ व खर्चे निम्न हैं—

(१) वेतन १,००० रु० प्रति माह और मँहगाई भत्ता १०० रु० प्रति माह।

(२) उसने अपने वेतन (मँहगाई भत्ते को छोड़कर) का ८% एक प्रॉविडेण्ट फण्ड में जमा किया जिसके सम्बन्ध में प्रॉविडेण्ट फण्ड एक्ट १६२५ लागू होता है।

(३) बैंक में स्थाई जमा पर ब्याज २,१०० रु०।

(४) उसने घुड़दौड़ में २,५०० रु० जीते व ५०० रु० क्रासवर्ड पजिल्स में इनाम में जीते।

(५) आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक (परीक्षक के रूप में) ८०० रु०।

(६) अपनी लड़की की शादी में दहेज देने के उद्देश्य से खरीदे गये अंशों पर लाभांश १,००० रु० (सकल)।

(७) पढ़ाने के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय करने पर ३०० रु० व्यय किये।

(८) उसके पास अपनी मोटर-साइकिल है जिसे वह अपने कर्तव्यपालन में प्रयुक्त करता है।

(९) उसने अपनी ८०,००० रु० की जीवन बीमा पॉलिसी पर ५,००० रु० प्रीमियम दिया।

(१०) उसने १९६६ में ४०,००० रु० की ज्वैलरी अपनी पत्नी के लिए क्रय की थी। यह ज्वैलरी जुलाई १९७६ में ८०,००० रु० में बेच दी गई। विक्रय से प्राप्त राशि को एक कम्पनी के अंश खरीदने में व्यय कर दिया जिन पर उसे मार्च १९७७ में २,५०० रु० का अंतरिम लाभांश मिला।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए।

B is a professor in a college of the Meerut University. The following information is available regarding his income and outgoings etc. for the previous year ended 31-3-1977 :

1. Salary Rs. 1,000 p. m. and dearness allowance of Rs. 100 p. m.
2. He contributed 8% of his salary (excluding dearness allowance) to a provident fund to which the Provident Fund Act, 1925 applies.
3. Interest on fixed deposits at bank Rs. 2,100.
4. He won Rs. 2,500 in a horse race and got a prize of Rs. 500 from a crossword puzzle.
5. Examiner's remuneration received from the Agra University Rs. 800.
6. Dividend on shares purchased with the intention of giving them in dowry in his daughter's marriage Rs. 1 000 gross
7. Rs. 300 spent on the purchase of books required for his teaching purposes.
8. He owns a motor-bicycle which he uses for the purpose of his employment.
9. He paid Rs. 5,000 as premium on his life policy for Rs. 80,000.
10. He held jewellery purchased in 1966 and valued Rs. 40,000 for the personal use of his wife. This jewellery was sold for Rs. 80,000 in July 1976. The consideration received was utilised for purchasing shares in a company from which an interim dividend of Rs. 2,500 was received in March 1977.

Work out the total income of B for the assessment year 1977-78.

Solution

		Rs.
1. Income from salary :		
Salary as such	12,000	
Dearness allowance	1,200	
	13,200	

			Rs.
Less Standard deduction		2,320	10,880
2. Capital gains :			
Long-term capital gain on sale of jewellery			40,000
3. Income from other sources :			
Interest from Bank		2,100	
Casual income from horse races and from crossword puzzles Rs. 2,500 +Rs. 500	3,000		
Less Exempt amount	1,000	2,000	
Dividend from shares (assumed to be in Indian companies)	1,000		
Interim dividend from shares in a company (assumed to be an Indian company)	2,500	3,500	
Examinership remuneration		800	8,400
Gross Total Income			59,280
Deductions :			
For provident fund contribution (Rs. 960) and insurance premium (Rs. 5,000) *i. e.*, Rs. 5,960 :			
100% of First Rs. 4000	4,000		
50% of the balance *i.e.*, Rs. 1960	980	4,980	
For bank interest and dividends (maximum allowable)		3,000	
For long-term capital gains relating to assets other than land and building :			
First Rs. 5,000 Full	5,000		
40% of balance of Rs. 35,000	14,000	19,000	26,980
Total Income			32,300

Note :

For Expenses on books and maintenance of Motor-Cycle he is entitled for no other deduction.

उदाहरण १७—'एम' कलकत्ता में एक लिमिटेड कम्पनी का महा-प्रबन्धक है। यह व्यापार पहले फर्म द्वारा चलाया जाता था किन्तु १६६६ में इसको सार्वजनिक कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। 'एम' पहले फर्म में सेवारत था, वाद में वह कम्पनी में सेवारत हुआ। इस प्रकार वह अब तक ३० वर्ष नौकरी कर

चुका है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी प्राप्तियाँ व खर्चे निम्न हैं—

		रु०
(१)	वेतन	७०,०००
(२)	'एम' का प्रमाणित प्रॉविडेन्ट फण्ड में अंशदान	९,०००
(३)	कम्पनी का फण्ड में चन्दा	९,०००
(४)	फण्ड में ८½% की दर से व्याज जमा किया	८,५००
(५)	मकान किराया भत्ता ६०० रु० प्रति माह। जिस मकान में वह रहता था उसका किराया उसने ९०० रु० दिया।	
(६)	मनोरंजन भत्ता ५०० रु० प्रति माह। यह उसको १९५४ से ही मिल रहा है। पहले फर्म देती थी और अब कम्पनी।	
(७)	१५ अगस्त, १९७६ के दिन (स्वतन्त्रता दिवस) कम्पनी ने उसको उसकी सेवाओं की प्रशंसा में ५,००० रु० दिये।	
(८)	बैंक में स्थाई जमा पर व्याज (यह धन उसने अपनी दो लड़कियों की शादी के लिए अलग से बैंक में रखा है)।	१,५००
(९)	भारतीय कम्पनियों के अंशों पर लाभांश। ये अंश उसने अपनी लड़कियों की शादी में दहेज में देने के लिए खरीदे थे।	४००
(१०)	व्यवसाय प्रबन्ध का पर्चा बनाने व उसकी कापियाँ जाँचने के प्रतिफलस्वरूप कलकत्ता के व्यापार प्रबन्ध संस्थान से प्राप्त पारिश्रमिक।	१,०००
(११)	३,००,००० रु० की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान।	१५,०००
(१२)	'एम' श्रमिकों में बहुत लोकप्रिय है। उसने श्रमिकों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के ध्येय से उसने १९७४ में कम्पनी को एक लिखित घोषणा पत्र अपने हस्ताक्षर से युक्त दिया जिसके अंतर्गत उसने श्रमिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र बनाने हेतु अपने वेतन में से ५०० रु० प्रति माह ५ वर्ष तक कटवाने की घोषणा की।	६,०००

(१३) उपरोक्त फण्ड पर कम्पनी ने ब्याज जमा किया। १,०००

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए 'एम' की कुल आय ज्ञात कीजिए।

M is the general manager of a limited company at Calcutta. The business was formerly carried on by a firm which was converted into a public company in 1969. M had been employed with the firm and then with the company and he has been in service with them for 30 years. The following information is available regarding his income and outgoings etc. for the year ended 31-3-1977.

		Rs.
1.	Salary	70,000
2.	M's contribution to recognised provident fund	9,000
3.	Company's contribution to his provident fund	9,000
4.	Interest credited to provident fund account at $8\frac{1}{2}\%$.	8,500
5.	House rent allowance at Rs. 600 per month. He actually paid a monthly rent of Rs. 900 for the house in which he lived.	
6.	Entertainment allowance at Rs. 500 p. m. This has been paid at the same rate right from 1954 first by the firm and then by the company.	
7.	On Independence Day 15th August 1976, the company gave him a cash gift of Rs. 5,000 in appreciation of his services.	
8.	Interest on fixed deposit with bank on money kept apart for the marriage of two daughters.	1,500
9.	Dividend on shares in Indian companies purchased with the intention of giving them in dowry to the two daughters (before deduction of tax at source).	400
10.	Honorarium received from the Institute of Business Management, Calcutta. for setting a question paper on business management and for valuing the answer-books of candidates.	1,000
11.	Life insurance premium on his policy for Rs. 3,00,000.	15,000
12.	M is very popular with the workers. In order to maintain good relations he made a declaration in writing and told the company in 1974 to deduct a sum of Rs. 500 per month from his salary for a period of five years. The amount is to be spent for setting up a free dispensary for the families of the workers at their coloney.	6,000

13. Interest credited by the company on the above fund 1,000

Work out the total income of M for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income of M for Assessment Year 1977-78

			Rs.
1.	Income from salary :		
	Salary as such	70,000	
	Company's contribution to provident fund in excess of 10% of Rs. 70,000	2,000	
	Interest on provident fund account in excess of $7\frac{1}{2}\%$.	1,000	
	House rent allowance as calculated below	3,400	
	Entertainment allowance.	6.000	
	Cash gift in appreciation of services rendered by him being profit in lieu of salary	5,000	
		87,400	
	Less Standard deduction (Maximum)	3.500	83,900
2.	Income from other sources :		
	Interest on Bank deposit	1,500	
	Dividend gross	400	
	Honorarium received as examiner, not being casual income	1,000	2,900
	Gross Total Income		86,800
	Deductions :		
	For P. F. Contribution & Life Premium etc. calculated as below :		
	100% of First Rs. 4,000 — 4,000		
	50% of next Rs. 6,000 — 3,000		
	40% of balance of Rs. 10,000 — 4,000	11,000	
	For bank interest and dividend being less than Rs. 3,000	1,900	12,900
	Total Income		73,900

Q.A. for Life Premium & P. F. Contribution is as below :

For contribution to provident fund limited to 1/5 of salary subject to maximum of Rs. 10,000 — 9,000

Life insurance premium	15,000
	24,000
This should not exceed 30% of G. T. I. or Rs. 20,000 (which ever is less). Hence	20,000

Notes :

1. The exempt amount of house rent allowance is as under :

	Rs.
Amount of allowance	7,200
20% of salary	14,000
Excess of rent paid over 10% of salary (*i. e.*, Rs. 10,800 − Rs. 7,000)	3,800
Rs. 400 per month	4,800

Therefore the lowest of the above amounts, namely : Rs. 3,800 is exempt, while the balance (7200 − 3,800) of Rs. 3,400 is taxable.

2. Deduction of Rs. 500 per month from salary for setting up a free dispensary is merely application of income and is not allowable as a deduction.
3. Interest of Rs. 1,000 credited to the fund by the company is not taxable as income because it does not arise to the assessee.
4. No Deduction will be given for Entertainment allowance as he is not getting it from the present employer before 1st April 1955.

उदाहरण १८—'अ', एक निवासी व्यक्ति, ने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित आयों का विवरण प्रस्तुत किया—

		रु०
(*i*)	प्राप्त वेतन	१६,०००
(*ii*)	नियोक्ता द्वारा स्रोत पर की गई कटौती	२,०००
(*iii*)	प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में स्वयं का अंशदान जो नियोक्ता द्वारा काट लिया गया	२,४००
(*iv*)	नियोक्ता का अंशदान	२,४००
(*v*)	प्रॉविडेण्ट फण्ड के एकत्रित शेष पर ब्याज (९% की दर से)	३,६००
(*vi*)	मनोरंजन भत्ता	६००

'अ' को नियोक्ता की ओर से १४ हा० पा० की एक कार प्रयोग के लिए दे रखी थी, जिसे वह व्यक्तिगत व कार्यालय दोनों प्रयोग में लाता है। कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं।

मनोरंजन भत्ता सर्वप्रथम ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में दिया गया और तब से यह लगातार दिया जा रहा है।

गत वर्ष की अन्य आयों का विवरण निम्न है—

प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	३,५००
मकान सम्पत्ति से आय (गणना की गई)	१२,०००
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	४,५००
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश	५,०००
भारतीय कम्पनियों से अन्य लाभांश (सकल)	६२५

'अ' ने निम्न सूचनायें और दी हैं—

अपना जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान किया १०,००० रु० ; उसने एक असमर्थ आश्रित की देखरेख व चिकित्सा पर ३,००० रु० व्यय किये। वह आश्रित ७ माह अस्पताल में भर्ती रहा। उसकी कुछ विनियोगों से व्यक्तिगत आय १,००० रु० थी।

'अ' की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

A, a resident individual, gives the following particulars of his income earned from employment during the year ended 31st March, 1977 :

		Rs.
(*i*)	Salary actually received	16,000
(*ii*)	Tax deducted at source by the employer	2,000
(*iii*)	Own contributions to recognised provident fund deducted by the employer	2,400
(*iv*)	Employer's contribution to provident fund	2,400
(*v*)	Interest on accumulated balance of P.F. (9%)	3,600
(*vi*)	Entertainment allowance.	600

A was given throughout the year free use of a 14 h.p. motor-car for both purposes of employment and for private purposes, all expenses being borne by the employer.

The entertainment allowance was given for the first time in the year ended 31-3-1975 and was continued since then.

Particulars of other incomes of 'A' for the year are as under—

Interest on securities (Gross)	3,500
Income from house property (Computed)	12,000
Long-term Capital Gains	4,500
Dividends from Unit Trust of India	5,000
Other dividends from Indian Companies (Gross)	625

A has also furnished the following informations :—

Premium paid on life insurance policies Rs. 10,000. Expenditure of Rs. 3,000 on medical treatment of a handicapped dependent

relative in a hospital who was admitted to hospital for seven months. His personal income during the year from certain investments was Rs. 1,000.

Compute A's total income for the assessment year 1977-78.

Solution

Total Income of Mr. 'A' for the Assessment Year 1977-78

				Rs.
I.	Salaries :			
	Salary (16,000 + 2,000 + 2,400)			20,400
	Employer's contribution to R.P.F. in excess of 10% of salary (2,400 − 2,040)			360
	Interest credited to P.F. in excess of 7·5%			600
	Entertainment allowance			600
	Car @ Rs. 300 p. m.			3,600
				25,560
	Less Standard deduction (Maximum)			1,000
				24,560
II.	Interest on Securities (Gross)			3,500
III.	Income from House Property			12,000
IV.	Capital Gains (Long-term)			4,500
V.	Income from Other Sources :			
	Dividend from U.T I.		5,000	
	Dividend from Indian Companies		625	5,625
	Gross Total Income			50,185
Less Deductions :				
	U/S 80C First 4,000 100%	4,000		
	Next 6,000 50%	3,000		
	Next 2,400 40%	960	7,960	
	U/S 80D Handicapped dependent : Exp. 3,000—1,000 income of handicapped=deductible amount Rs. 2,000 this should not exceed Rs. 1,400		1,400	
	U/S 80L UTI & Dividend :		5,000	
	U/S 80T Long-term capital gains :		4,500	18,860
	Total Income			31,325
	Rounded Off			31,330

Qualifying Amount :

Employee's Contribution to P. F.	2,400
Life Insurance Premium	10,000
This does not exceed 30 % of G. T. I. or Rs. 20,000 (whichever is *Less*).	12,400

प्रश्न

१. संक्षिप्त में उन आयों को बताइये जो एक करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती हैं।

Enumerate very briefly the various incomes which are not to be included in the total income of an assessee.

२. पुण्यार्थ और धार्मिक ट्रस्ट एवं संस्थाओं के आय-कर सम्बन्धी दायित्वों के सम्बन्ध में आय-कर-अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

Describe the provisions of the Income-Tax Act relating to the income-tax liability of charitable and religious trusts and institutions.

३. किन-किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय के साथ जोड़ दी जाती है।

Under what circumstances the income of an individual is treated as the income of another.

४. हानियों को उसी कर-निर्धारण वर्ष में अपलिखित करने सम्बन्धी क्या नियम हैं ?

What are the rules governing the set-off of losses in the same assessment year.

५. आय-कर अधिनियम की व्यापारिक हानियों को आगे ले जाने सम्बन्धी प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।

State briefly the provisions of the Income-Tax Act relating to the carry forward of business losses.

६. किन परिस्थितियों में अवयस्क बच्चे तथा करदाता के जीवन-साथी व करदाता की पुत्र-वधू की आय करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है।

Under what circumstances the incomes of minor child and the spouse of the assessee and the wife of assessee's son, are included in the total income of the assessee ?

७. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(अ) आकस्मिक आय।

(ब) कुल आय में जोड़ी जाने वाली किन्तु छूट पाने वाली आयें।

(स) व्यक्तिगत सम्पत्ति को हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में संविलयन करने के परिणाम।

(द) कुल आय को परिभाषा व ज्ञात करने की विधि।

(इ) विदेशियों की भारतीय आयें जो उनकी कुल आय में नहीं जोड़ी जातीं।

(फ) भारत सरकार के पाँच-वर्षीय जमा।

(ज) विदेशी तकनीशियन को भारत में आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली कर की छूटें।

Write short notes on the followings :

(*a*) Casual Income.

(*b*) Incomes to be included in total income but entitled to rebate.

(*c*) Consequences of the conversion of separate property into Hindu undivided family's property.

(*d*) Definition of total income and mode of computing it.

(*e*) Incomes earned by foreigners in India but not included in his total income.

(*f*) Five-year deposites of Government of India.

(*g*) Tax concessions given to attract foreign skill to India.

१४

कर-निर्धारण की कार्यविधि

(Procedure for Assessment)

आय का नक्शा

(Return of Income)

धारा १३९ (१) के अन्तर्गत, यदि किसी व्यक्ति की गत वर्ष में कुल आय अधिकतम करमुक्त आय सीमा से बढ़े तो उसे प्रस्तावित फार्म में अपनी स्वेच्छा से अपनी आय का नक्शा भरना चाहिए। आय के नक्शे को प्रस्तुत करने के लिए समय की सीमा निम्न प्रकार से है—

(अ) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित है। नक्शा गत वर्ष की समाप्ति के चार माह की अवधि की समाप्ति से पहले अथवा कर-निर्धारण वर्ष ३० जून तक, जो भी दोनों में से बाद में हो, प्रस्तुत हो जाना चाहिए।

(ब) अन्य किसी व्यक्ति की स्थिति में, नक्शा कर-निर्धारण वर्ष में ३० जून तक प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

यदि प्रस्तावित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो आय-कर अधिकारी अपनी राय में आय का नक्शा जमा कराने की तिथि को बढ़ा सकता है, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई तिथि तक ब्याज देय होगा।

अपवाद—धारा १३९ (1A) के अन्तर्गत यदि एक करदाता की कुल आय में केवल 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय या उस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय व धारा ८०L(१) में वर्णित आय सम्मिलित है तो एक व्यक्ति के लिए अपनी आय का नक्शा स्वेच्छा से भरना अनिवार्य नहीं है। यह अपवाद केवल तभी लागू होगा जबकि **अग्र शर्तों की पूर्ति की गई हो**—

(अ) यदि सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी समय गत वर्ष में किसी कम्पनी में सेवारत रहा है तो वह कम्पनी का संचालक नहीं था और न ही उसका कम्पनी में कोई सारवानहित था।

(ब) उस व्यक्ति का वेतन (मौद्रिक भुगतान के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई अन्य सभी अनुलाभों एवं सुविधाओं का मूल्य छोड़ते हुए) १८,००० रु० से अधिक नहीं था।

(स) उस व्यक्ति की धारा ८०L(१) में वर्णित प्रकार की कुल आय ३,००० रु० से अधिक नहीं थी।

(द) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय पर उद्गम स्थान पर काटा जाने वाला कर काट लिया गया है।

आय-कर अधिकारी द्वारा नोटिस—यदि कोई करदाता अपनी आय का नक्शा नहीं भरता एवं आय-कर अधिकारी की राय में वह करयोग्य है तो आय-कर अधिकारी उस कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व उस एक व्यक्ति को इस बात का नोटिस देगा कि वह नोटिस प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर अपनी आय का नक्शा भरे [धारा १३९ (२)]।

प्रार्थना-पत्र देने पर आय-कर अधिकारी नक्शा प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ा सकता है पर प्रारम्भ में नियत अथवा बढ़ाये हुए समय के कारण यदि नक्शा भरने की तिथि कर-निर्धारण वर्ष के ३० सितम्बर के बाद पड़ती है तो धारा १३९(१) के अन्तर्गत चुकाया जाने वाला ब्याज चुकाना होगा।

उदाहरण १—

(अ) कपड़े का व्यापार करने वाली फर्म ने १५ मार्च, १९७७ को अपने खाते बन्द किये। इस फर्म को १५ जुलाई, १९७७ से पूर्व आय का नक्शा दाखिल करना चाहिये।

(ब) जूते के उत्पादन में लगी एक कम्पनी का लेखा वर्ष ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होता है। इस कम्पनी को अपना नक्शा ३० जून, १९७७ से पूर्व दाखिल करना चाहिए।

(स) एक पुस्तक विक्रेता का गत वर्ष ३० जून, १९७६ को समाप्त होता है। उसको अपनी आय का नक्शा ३० जून, १९७७ से पूर्व दाखिल करना चाहिए।

(द) एक कालिज प्रोफेसर का गत वर्ष ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होता है। उसे अपनी आय का नक्शा ३० जून, १९७७ से पूर्व दाखिल कर देना चाहिए।

(*a*) A firm of cloth merchants closed its accounts on 15th March 1977. It must file its return of income before 15th July 1977.

(*b*) The accounting year of a company engaged in the manufacture of shoes ended on 31st December 1976. It must file its return of income before 30th June 1977.

(*c*) The previous year of a bookseller ended on 30th June 1976. He must file his return of income before 30th June 1977.

(*d*) The previous year of a college professor ended on 31st March 1977. He must file his return of income before 30th June 1977.

आय का नक्शा देर से भरना (Belated Return of Income)—कोई व्यक्ति जो धारा १३६ (१) व धारा १३६ (२) में दिये गये समय में नक्शा नहीं भरता है तो कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी भी गत वर्ष के लिए निर्धारित समय में नक्शा भर सकता है।

१ अप्रैल, १९६७ के पहले शुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए यह निर्धारित समय ४ वर्ष है; कर-निर्धारण वर्ष १९६८-६९ के लिए ३ वर्ष है और किसी भी अगले कर-निर्धारण वर्ष के लिए २ वर्ष है।

आय का संशोधित नक्शा (Revised Return of Income)—यदि कोई व्यक्ति, जिसने धारा १३९ (१) अथवा धारा १३९ (२) में नक्शा भर दिया है, उसमें कोई गलती पाता है, तो वह कर-निर्धारण करने से पहले किसी भी समय एक संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर सकता है। जान-बूझकर भरे गये गलत नक्शे का अपराध संशोधित नक्शा भर देने पर समाप्त नहीं हो जाता।

हानि का नक्शा (Return of Loss)—धारा १३९ (३) के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को, जिसे धारा १३९ (२) में नोटिस नहीं दिया गया है, जो व्यापारिक हानि या "पूँजी लाभ" शीर्षक में हुई हानि को आगे ले जाने की माँग करता है तो उसे धारा १३९ (१) के अन्तर्गत स्वीकार किये गये समय में, अथवा उस समय में जिसकी आय-कर अधिकारी अनुमति प्रदान कर दे, आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह समय में वृद्धि प्रदान कर सके, हानि का नक्शा प्रस्तुत करना चाहिये। नक्शा इस प्रकार प्रस्तुत न किये जाने पर करदाता हानि को आगे ले जाने का अधिकारी न होगा।

स्थाई खाता संख्या (Permanent Account Number)—"स्थाई खाता संख्या" से आशय उस संख्या से है जो आय-कर अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आंवटित करता है ताकि उस करदाता विशेष की उस संख्या की मदद से पहचान की जा सके। प्रत्येक वह व्यक्ति, जिसकी करयोग्य आय है, और प्रत्येक वह व्यक्ति, जो व्यापार चला रहा है तथा जिसकी व्यापारिक बिक्री ५०,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक है तथा जिसको अभी तक "स्थाई खाता संख्या" नहीं दी गई है, को चाहिए कि वह स्थाई खाता संख्या प्राप्त करने के ध्येय से आय-कर अधिकारी को निर्धारित

समय में आवेदन करे। आय-कर अधिकारी यह संख्या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसने कर का भुगतान किया है, भी आंबटित कर सकता है। आय-कर विभाग द्वारा Taxation Laws (Amendment) Act 1975 से पूर्व आंवटित की गयी "स्थाई खाता संख्या" बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में नोटीफिकेशन जारी करके सही "स्थाई खाता संख्या" घोषित की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति को "स्थाई खाता संख्या" आंबटित कर दी गई है तो उसको यह संख्या अपने सभी नक्शों में जो आय-कर अधिकारी के यहाँ दाखिल किये जायें, सभी चालानों, पत्रों, प्रपत्रों, अन्य प्रलेखों में, जो आय-कर विभाग के हित के हों, देनी चाहिये। यदि स्थाई खाता संख्या जारी कर दी गई है तो करदाता को अपने पते, नाम व व्यवसाय की प्रकृति आदि के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना आय-कर अधिकारी को देनी चाहिए।

ब्याज देना

धारा १३९ (८) के अनुसार यदि कोई करदाता अपनी आय का नक्शा आय-कर अधिकारी के पास जमा नहीं करता या देर में जमा करता है तो उसको १२% वार्षिक की दर से ब्याज देना पड़ता है।

यह ब्याज निम्न समय का लिया जाता है :

(अ) यदि कोई नक्शा जमा नहीं किया है तो जमा करने की तारीख के अगले दिन से और उस दिन तक जब उसका नियमित कर-निर्धारण हो।

(ब) यदि नक्शा देर से जमा किया है तो जमा करने की तारीख के अगले दिन से और उस दिन तक जब नक्शा जमा किया हो। यह ब्याज इसी समय पर लगेगा चाहे नक्शा जमा करने की तारीख को आय-कर अधिकारी ने बढ़ा दिया हो।

(स) यह ब्याज उस आय-कर की राशि पर लिया जाता है जोकि नियमित कर-निर्धारण के अनुसार देय है। किन्तु इस कर की राशि में से अग्रिम कर की राशि अथवा 'स्रोत पर काटी गई राशि' को घटा दिया जायगा।

(द) रजिस्टर्ड फर्म या वह अन-रजिस्टर्ड फर्म जिसका रजिस्टर्ड फर्म की भाँति कर-निर्धारण हुआ है, की दशा में आय-कर की राशि जिस पर ब्याज की गणना की जायगी वह होगी जो कि उस फर्म को अन-रजिस्टर्ड होने की दशा में देनी पड़ेगी।

यदि कोई व्यक्ति आय-कर का नक्शा भरने में देर करता है अथवा नक्शा भरता नहीं है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निर्धारित परिस्थितियों में ब्याज की राशि को कम कर दे अथवा छोड़ दे।

उदाहरण २—निम्न दशाओं में करदाता से कितना ब्याज वसूल किया जा सकता है—

(अ) एक कपड़े का व्यापार करने वाली फर्म ने जिसका हिसाबी वर्ष १५ मार्च, १९७७ को समाप्त हो गया था, अपनी आय का नक्शा १५ सितम्बर, १९७७ को दाखिल किया। १९७७-७८ का उसका कर-निर्धारण १ अक्टूबर, १९७७ को पूर्ण हुआ और देय कर की राशि २०,००० रु० वर्णित की गई।

(ब) जूते के व्यवसाय में लगी एक कम्पनी का खाता वर्ष ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त हो गया। इसको नक्शा दाखिल करने के लिए एक माह की वृद्धि प्रदान कर दी गई। नक्शा २५ जुलाई, १९७७ को दाखिल हुआ। १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष का कर-निर्धारण १ सितम्बर, १९७७ को सम्पन्न हुआ और ४०,००० रु० आय-कर की मांग की गई।

(स) एक निजी प्रैक्टिस में लगे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का गत वर्ष ३० जून, १९७६ को समाप्त होता है। उसने कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कोई नक्शा दाखिल नहीं किया। उसका एक पक्षीय कर-निर्धारण १ सितम्बर, १९७७ को सम्पन्न हुआ और देय आय-कर की राशि १२,००० रु० ज्ञात की गई।

(द) एक कालेज प्रोफेसर, जिसका गत वर्ष ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त हो गया, ने अपनी आय का नक्शा १ अगस्त, १९७७ को दाखिल किया। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ का कर-निर्धारण पूर्ण होने पर उससे ५,००० रु० आय-कर की माँग की गई।

In the following cases, calculate the amount of interest chargeable from the assessees :

(*a*) A firm of cloth merchants, whose accounting year ended on 15th March 1977 filed its return of income on 15th September 1977. Its assessment for 1977-78 was completed on Ist October 1977 and the amount of tax payable was found to be Rs. 20,000.

(*b*) The accounting year of a company engaged in the manufacture of shoes ended on 31st December 1976. It was granted an extension of one month for the filing of its return of income. The return was filed on 25th July 1977. Its assessment for 1977-78 completed on Ist September 1977 resulted in a demand of Rs. 40,000.

(*c*) The previous year of a practising chartered accountant ended on 30th June 1976. He did not file any return of income for the assessment year 1977-78. His ex-parte

assessment was completed on 1st September 1977 and the amount of income-tax payable was assessed at Rs. 12,000.

(*d*) A college professor, whose previous year ended on 31st March 1977, filed his return of income on 1st August 1977. On completion of assessment for 1977-78, income tax of Rs. 5,000 was found to be payable.

Solution

(*a*) The due date for the filing of return of income is 15th July 1977. There is a delay of two months. Interest at 12% p. a. on Rs. 20,000 for two months is Rs. 400.

(*b*) The due date for the filing of return of income is 30th June 1977 but the return was filed on 25th July 1977. Therefore interest is chargeable at 12% p. a. on Rs. 40,000 for 24 days and it comes to Rs. 320.

(*c*) The due date for the filing of return of income is 30th June 1977 ; but no return has been filed. Therefore interest is chargeable on Rs. 12,000 at 12% p. a. for two months (July and August 1977) The interest chargeable comes to Rs. 240.

(*d*) The due date for the filing of return of income is 30th June 1977 and there is a delay of one month. Therefore interest on Rs. 5,000 at 12% p. a. for one month will be chargeable and it comes to Rs. 50,

निरीक्षण का अधिकार (Power of Survey)—अधिनियम की धारा १३३ A के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी (या कोई भी आय-कर इन्सपैक्टर जो आय-कर अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत हो) या इन्सपैक्टिंग असिस्टैन्ट कमिश्नर और असिस्टैन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्सपैक्शन, अपने क्षेत्र (Jurisdiction) की किसी भी ऐसी इमारत या भवन में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें करदाता कोई व्यापार या पेशा चलाता आ रहा है। वे किन्हीं भी पुस्तकों व प्रपत्रों (Documents) का निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें से नकल उतार सकते हैं। उन पर पहचान का कोई चिह्न छोड़ सकते हैं या रोकड़, स्टॉक या अन्य बहुमूल्य वस्तुयें जो भी व्यापारिक भवन में पाये जाते हैं—आदि की पूरी जाँच कर सकते हैं तथा व्यापारिक भवन में जो भी व्यक्ति उपस्थित हों उनका वक्तव्य अभिलिखित कर सकते हैं।

आय-कर अधिकारी करदाता को ऐसी सूचनायें प्रदान करने को बाध्य कर सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली किसी कार्यवाही के लिए आवश्यक हैं। करदाता का यह कर्तव्य है कि वह आय-कर अधिकारी को वे सब स्थान देखने की सुविधायें प्रदान करे जहाँ पर करदाता के कथनानुसार उसके व्यापार की कुछ पुस्तकें, प्रपत्र, रोकड़, स्टॉक आदि रखे हुए हैं।

यदि किसी भी अगले वर्ष के कर-निर्धारण कार्य-विधि से पूर्व करदाता ने कोई कार्यक्रम, उत्सव या आयोजन भली-भाँति पूर्ण सम्पन्न किया है और आय-कर अधिकारी इस सम्मति का है कि उक्त आयोजन, उत्सव या कार्यक्रम में व्यय की गई राशि को देखते हुए उसके बारे में सूचनायें एकत्रित करना आवश्यक है तो वह ऐसी सूचनायें एकत्रित करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के वक्तव्य अभिलिखित करने आदि के लिए अधिकृत है। यह अधिकार आय-कर पदाधिकारियों को इसलिए दिया गया है ताकि आय-कर पदाधिकारी किसी उत्सव में अनाप-शनाप किये गये व्ययों के बारे में उत्सव के बाद गवाहियाँ या जानकारियाँ एकत्रित कर सकें।

स्वयं कर-निर्धारण

(Self Assessment)

धारा १४० A के अनुसार यदि किसी करदाता को कोई नक्शा दाखिल करने से पूर्व उसके आधार पर कोई कर की राशि चुकानी है तो चुकाये गये कर की राशि को ध्यान में रखकर (यदि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर चुकाया गया है) शेष कर की राशि नक्शा दाखिल करने से पूर्व चुका देनी चाहिए और इसकी रसीद नक्शे के साथ दाखिल करनी चाहिए।

जब नियमित कर-निर्धारण हो जाता है तो इस प्रकार से चुकाई गई राशि इस कर-निर्धारण के लिए चुकाई गई राशि मानी जाती है।

यदि करदाता उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत देय राशि चुकाने में त्रुटि करता है या उक्त राशि का कोई भाग चुकाने में त्रुटि करता है तो आय-कर अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे कर या उसके भाग (न चुकाये गये कर की राशि व उसका भाग) के २०% के बराबर का जुर्माना प्रत्येक माह की त्रुटि के लिए दिया जाय। ऐसी दशा में करदाता को त्रुटि के समय तक के लिए उक्त दण्ड देना पड़ेगा।

अस्थाई कर-निर्धारण

(Provisional Assessment)

कोई भी अस्थाई कर-निर्धारण कर की माँग के लिए नहीं किया जा सकता; परन्तु हाँ, कर वापिसी की स्वीकृति के लिए अस्थाई कर-निर्धारण किया जा सकता है।

यह धारा १४१ A के अन्तर्गत, जबकि करदाता यह कहता है कि उसके द्वारा अग्रिम कर के रूप में भुगतान की गई तथा उद्गम स्थान पर काटी गई कर की कुल राशि उसके द्वारा देय कर की राशि से अधिक है तो आय-कर अधिकारी को ऐसी स्थिति में यह अधिकार दिया गया है कि वह नक्शे में दी गई आय अथवा हानि के आधार पर अस्थाई कर-निर्धारण कर दे। ऐसा करते समय आय-कर

अधिकारी की स्वीकृत कटौतियों के लिए छूट देनी चाहिए तथा माँगी गई अस्वीकृत कटौतियों के लिए कोई छूट नहीं देनी चाहिए तथा गत वर्षों से आये अशोधित ह्रास, अशोधित विकास सम्बन्धी छूट एवं हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए। वापिसी के लिए किया जाने वाला अस्थाई कर-निर्धारण नक्शा दाखिल करने के ६ माह के अन्दर किया जाना चाहिए।

जब नियमित कर-निर्धारण करने में आय का नक्शा प्राप्त करने की तिथि से छः माह तक की देरी हो गयी है तो आय-कर अधिकारी अस्थाई कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य है और करदाता को वापस की जाने वाली राशि को स्वीकार करना होगा।

नियमित कर-निर्धारण
(Regular Assessment)

धारा १४३ या १४४ के अन्तर्गत किया गया कर-निर्धारण नियमित कर-निर्धारण कहलाता है, जोकि—

(अ) नक्शे के आधार पर संक्षिप्त कर-निर्धारण हो सकता है;

(ब) दिये गये साक्ष्य (Evidence) के आधार पर कर-निर्धारण हो सकता है; अथवा

(स) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर (Best Judgment Assessment) कर-निर्धारण हो सकता है।

कर-निर्धारण से पूर्व पूछताछ—कर-निर्धारण करने के लिए आय-कर अधिकारी किसी भी उस व्यक्ति पर, जिसने आय का नक्शा भरा है, ऐसे हिसाब-किताब एवं प्रलेख प्रस्तुत करने एवं अन्य ऐसी सूचनायें देने के लिए, जिन्हें आय-कर अधिकारी चाहे, धारा १४२ (१) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी कर सकता है। आय-कर अधिकारी गत वर्ष के पहले तीन वर्षों से सम्बन्धित कोई हिसाब प्रस्तुत करने को नहीं कह सकता।

किसी व्यक्ति की आय अथवा हानि के सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए आय-कर अधिकारी धारा १४२ (२) के अन्तर्गत ऐसी पूछताछ कर सकता है, जिन्हें वह उचित एवं आवश्यक समझता है तथा करदाता को एकत्र की गई एवं कर-निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री पर कहने का अवसर देगा।

धाराएँ १४२ (२ A) से (२ H) के अन्तर्गत, यदि आय-कर अधिकारी इस सम्मति का है कि व्यापार की प्रकृति या जटिलता को देखते हुए यह आय-कर विभाग के हित में है कि खातों का अंकेक्षण होना चाहिए तो वह आय-कर कमिश्नर की पूर्व अनुमति से करदाता को निर्देश कर सकता है कि वह अपने खातों का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से कराये तथा उसकी रिपोर्ट प्रस्तावित विधि से प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट आय-कर अधिकारी के सम्मुख एक निर्धारित समय के

अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए। यह समय आय-कर अधिकारी द्वारा करदाता के आवेदन पर बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि इसके लिए करदाता उचित व पर्याप्त कारण प्रस्तुत करे। किन्तु फिर भी पूर्व में निर्धारित समय तथा बढ़ाया गया समय १८० दिन से अधिक नहीं हो सकता।

संक्षिप्त कर-निर्धारण (Summary Assessment)

यदि धारा १४३ (१) के अन्तर्गत आय अथवा हानि का नक्शा प्रस्तुत किया जाय तथा आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि बिना करदाता की उपस्थिति के अथवा उसके द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना नक्शा सही तथा पूरा है तो वह करदाता की कुल आय तथा हानि का इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण करेगा। ऐसा करते समय आय-कर अधिकारी को स्वीकृत कटौतियों के लिए छूट देनी चाहिए तथा माँगी गई अस्वीकृत कटौतियों के लिए कोई छूट नहीं देनी चाहिए तथा गत वर्षों में आये अशोधित ह्रास, अशोधित विकास सम्बन्धी छूट एवं हानि को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इसके पश्चात् आय-कर अधिकारी करदाता द्वारा देय अथवा करदाता को वापस होने वाली कर की राशि की गणना करेगा।

साक्ष्य के आधार पर कर-निर्धारण

धारा १४३ (२) के अन्तर्गत नोटिस—निम्नलिखित परिस्थितियों में आय-कर अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा, जिसमें कि करदाता को नोटिस में दी गई तिथि पर उसके द्वारा पेश किये गये नक्शे पर विश्वास दिलाने के लिए या तो उसे स्वयं आय-कर अधिकारी के ऑफिस जाना होगा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कारण देना होगा।

(अ) जब संक्षिप्त कर-निर्धारण किया गया है और करदाता आय-कर अधिकारी को संक्षिप्त कर-निर्धारण के प्रतिवाद (Objection) के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है।

(ब) जब आय-कर अधिकारी नक्शे की शुद्धता की जाँच के लिए ऐसा आवश्यक समझता है।

धारा १४३ (३) के अन्तर्गत कर-निर्धारण—आय-कर अधिकारी द्वारा उपरोक्त नोटिस में दिये गये दिन को, करदाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अन्य साक्ष्य (जोकि आय-कर अधिकारी विशेष परिस्थितियों में माँग सकता है) को सुनने के बाद आय-कर अधिकारी एकत्र की गई सम्बन्धित विषय सामग्री को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(अ) ऐसी स्थिति में, जब संक्षिप्त कर-निर्धारण नहीं किया गया है, तो आय-कर अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा करदाता की कुल आय अथवा हानि पर कर का निर्धारण करेगा और ऐसे कर-निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा देय अथवा करदाता को वापस की

जाने वाली राशि को निश्चित करेगा। यह धारा १४३ (३) के अन्तर्गत **प्रथम** नियमित कर-निर्धारण है।

(ब) ऐसी स्थिति में, जब संक्षिप्त कर-निर्धारण किया गया है, परन्तु यदि यह कर-निर्धारण करदाता द्वारा प्रतिवादित किया गया है, अथवा आय-कर अधिकारी की राय में ऐसा कर-निर्धारण गलत है, तो वह लिखित आज्ञा द्वारा करदाता की कुल आय अथवा हानि पर **नया कर-निर्धारण** करेगा और इस कर-निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा देय अथवा करदाता को वापस की जाने वाली राशि को निश्चित करेगा। यह धारा १४३ (३) के अन्तर्गत **नया** (Fresh) नियमित कर-निर्धारण है।

अधिकृत प्रतिनिधि—यह आवश्यक नहीं है कि कर-निर्धारण के लिए करदाता को स्वयं व्यक्तिगत रूप से आय-कर ऑफिस में जाना पड़े। वह अपने लिये निम्न में से किसी भी व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है—

(क) अपने किसी सम्बन्धी को।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो उसका नियमित कर्मचारी है, जैसे—मुनीम।

(ग) वकील।

(घ) चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट।

(ङ) आय-कर सलाहकार।

(च) ऐसे अनुसूचित बैंक का कोई अफसर जिसके साथ वह करदाता नियमित रूप से व्यवहार रखता हो।

इस प्रकार से नियुक्त किये गये व्यक्ति को करदाता द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया जाना चाहिए।

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण (Best Judgment Assessment)

एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण ऐसा कर-निर्धारण है जो आय-कर अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर तैयार करता है जोकि सूचना प्रदान करने में त्रुटि करता है। आय-कर अधिकारी को बेईमानी से या दण्डात्मक रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। उसे प्रत्येक दशा में सर्वोत्तम निर्णय देना चाहिए। उसे उन्हीं राशियों पर कर-निर्धारण करना चाहिये जिन्हें वह ईमानदारी से कर-निर्धारण का उचित अनुमान समझता है। वह करदाता को उसके द्वारा की गई गलती के लिए दण्ड देने के विचार से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

एक सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण करते समय आय-कर अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी साक्ष्य के या बिना किसी सूचना के केवल अनुमान पर ही कार्य करे। कर-निर्धारण के लिए केवल शक से ऊपर भी कोई वस्तु होनी चाहिये।

धारा १४४ के अन्तर्गत निम्न तीन दशाओं में से किसी एक में आय-कर अधिकारी अनिवार्य रूप से सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण करने के लिए बाध्य होगा—

(अ) जब एक व्यक्ति धारा १३९ (२) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस पर भी नक्शा प्रस्तुत नहीं करता है और न ही वह बाद में अथवा संशोधित नक्शा ही प्रस्तुत करता है।

(ब) जब एक व्यक्ति धारा १४२ (१) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की समस्त शर्तों को पूरा नहीं करता ; अथवा

(स) जब एक व्यक्ति नक्शा तो भरता है पर धारा १४३ (२) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की समस्त शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(द) जब करदाता आय-कर अधिकारी के नामांकित अंकेक्षण द्वारा अनिवार्य अंकेक्षण कराने सम्बन्धी निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है या आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं देता है।

इन परिस्थितियों में आय-कर अधिकारी कुल आय अथवा हानि का अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण करता है तथा ऐसे कर-निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा वापस होने वाली (Refundable) कर की राशि की गणना करता है।

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किये गये कर-निर्धारण के परिणाम—यदि कर-निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया जाय तो इसके निम्न परिणाम होंगे—

(क) करदाता पर दण्ड अथवा मुकदमा लगाया जा सकता है।

(ख) यदि करदाता एक फर्म है तो आय-कर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह ऐसी फर्म का पंजीकरण करने से मना कर दे अथवा यदि फर्म पहले से ही पंजीकृत है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दे।

(ग) निर्धारित की गई आय की राशि के विरुद्ध अपील किये जाने पर करदाता अपील अधिकारी के सामने कोई नया तथ्य नहीं ला सकता है।

सर्वोत्तम निर्णय के कर-निर्धारण को खोलना (Reopening)—एक करदाता जिस पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण किया गया है धारा १४६ के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी से कर-निर्धारण को रद्द करने की प्रार्थना कर सकता है। माँग के नोटिस की प्राप्ति के बाद ऐसी प्रार्थना एक माह के अन्दर ही करनी चाहिए। सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण को केवल अग्र कारणों से ही रद्द कर सकते हैं—

(अ) धारा १३९ (२) में माँगे गये नक्शे को करदाता उचित कारणों से नहीं भर सका; अथवा

(ब) उसे धारा १४२ (१) अथवा धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किया गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ; अथवा

(स) उसे धारा १४२ (१) अथवा धारा १४३ (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस को पूरा करने के लिए उचित अवसर नहीं था अथवा पर्याप्त कारणों की वजह से वह पूरा नहीं कर पाया।

इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माँग-नोटिस दिये जाने के १ माह के अन्दर-अन्दर दिया जाना चाहिए। कर-निर्धारण को रद्द करने के लिए दिया गया आवेदन ९० दिन के अन्तर्गत सुन लिया जाना चाहिए व उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। किन्तु इस समय-सीमा में करदाता द्वारा की गई देरी शामिल नहीं की जायगी।

ये कारण दिखलाना करदाता का काम है तथा यह देखना है कि ये पर्याप्त कारण हैं, आय-कर अधिकारी का कार्य है। यदि इनसे आय-कर अधिकारी सन्तुष्ट हैं तो वह सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण को रद्द करके धारा १४३ या १४४ के आयोजनों के अन्तर्गत नया कर-निर्धारण कर सकता है।

कर-निर्धारण के लिए समय

कर-निर्धारण निम्नलिखित समय के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाना चाहिए—

आय के छिपाव की स्थिति में धारा १४३ अथवा १४४ के अन्तर्गत कर-निर्धारण सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद ८ वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाना चाहिए।

अन्य स्थितियों में जहाँ आय का छिपाव नहीं है, कर-निर्धारण सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर पूरा हो जाना चाहिये।

कर-निर्धारण वर्ष १९६७-६८ और उससे पहले के वर्षों के लिए यह निर्धारित समय ४ वर्ष है; १९६८-६९ कर-निर्धारण वर्ष के लिए ३ वर्ष और किसी भी अगले कर-निर्धारण वर्ष के लिए २ वर्ष निर्धारित समय है।

प्रत्येक स्थिति में इस धारा के अन्तर्गत एक वर्ष की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। यह बढ़ोत्तरी नक्शा अथवा संशोधित नक्शा फाइल करने की तिथि से होगी।

भूल सुधार
(Rectification of Mistake)

धारा १५४ के अन्तर्गत, रिकार्ड से स्पष्ट किसी गलती को सुधारने के दृष्टिकोण से—

(अ) आय-कर अधिकारी किसी कर-निर्धारण के, अथवा रिफण्ड के, अथवा उसके द्वारा दिये गये किसी अन्य आदेश को बदल (Amend) सकता है ;

(ब) अपैलेट असिस्टैण्ट कमिश्नर उसके द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश को बदल सकता है; तथा

(स) इसपैक्टिंग असिस्टैण्ट कमिश्नर अपने द्वारा पास किये गये किसी भी ऐसे आदेश में जिसमें उसके द्वारा दण्ड लगाया गया हो, संशोधन कर सकता है।

(द) कमिश्नर उसके द्वारा रिवीजन में दिये गये किसी आदेश को बदल सकता है।

ऐसी गलती को सुधारने के लिए सम्बद्ध अधिकारी अपने आप सुधार कर सकता है तथा उसे ऐसा सुधार उस स्थिति में करना ही होगा जबकि ऐसी गलती करदाता उसे बताये तथा जहाँ पर सम्बद्ध अधिकारी अपैलेट असिस्टैण्ट कमिश्नर हो, वहाँ पर आय-कर अधिकारी भी उसको ऐसी गलती बता सकता है।

जब इस धारा के अन्तर्गत सुधार किया जाये, तो सम्बद्ध आय-कर अधिकारी लिखित में एक आदेश जारी करेगा।

यदि भूल-सुधार से कर-निर्धारण घट जाता है, तो करदाता द्वारा दिए गए अधिक कर की वापसी उसे हो जायगी, लेकिन जहाँ सुधार से कर-निर्धारण बढ़ता है अथवा रिफण्ड घटता है, वहाँ पर करदाता पर माँग का नोटिस जारी किया जायगा।

इस धारा के अन्तर्गत जिस आदेश का सुधार चाहा गया है, उसकी तिथि से चार वर्ष की समाप्ति के बाद कोई सुधार नहीं किया जायगा।

आय-कर अधिकारी द्वारा दिए गए इस धारा के अन्तर्गत आदेश की अपील हो सकती है।

माँग का नोटिस

(Notice of Demand)

जब आय-कर अधिनियम के अनुसार पास किए गए आदेश के अन्तर्गत कोई कर, ब्याज, पैनल्टी, जुर्माना या अन्य कोई राशि चुकानी है, तो आय-कर अधिकारी करदाता पर एक प्रस्तावित फार्म में माँग का नोटिस, जिसमें चुकाए जाने वाले धन का उल्लेख होगा, जारी करेगा धारा (१५६)।

धारा २८९ के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार चुकाई गई या वसूल की गई राशि के लिए रसीद दी जायगी।

चूक के परिणाम—यदि माँग के नोटिस में दी गई कर की राशि का भुगतान निर्धारित समय में नहीं हो पाता है तो करदाता अग्रलिखित दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा—

(१) वह माँग के नोटिस में दिये गए समय के बाद से ९% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज चुकाने के लिए दायी होगा। भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि की गणना प्रस्तावित ढंग से की जाती है तथा यह राशि दण्ड की राशि के अतिरिक्त चुकानी पड़ती है।

(२) कर की बकाया राशि एवं ब्याज की राशि के अतिरिक्त वह दण्ड की राशि, जोकि लगातार चूक की स्थिति में समय-समय पर कर की बकाया राशि तक बढ़ाई जा सकती है, को चुकाने के लिए दायी होगा।

यदि आय-कर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि गलती सही और सन्तोषप्रद कारणों के लिए थी, तो करदाता पर कोई दण्ड देय नहीं होगा।

(३) करदाता के विरुद्ध वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। वसूली के तरीकों को एक अगले अध्याय में समझाया गया है।

प्रश्न

१. 'सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण' के क्या अर्थ है ? यह किन दशाओं में किया जाता है ? क्या ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास कोई उपाय है ?
What is best judgment assessment ? When is it done ? Is there any remedy with the assessee against such assessment ?

२. आय का नक्शा दाखिल करने सम्बन्धी आय-कर अधिनियम के कौन-कौन से प्रावधान हैं ?
What are the provisions of the Income-Tax Act regarding the filing of returns of Income ?

३. यदि आय का नक्शा समय से नहीं भरा जाय तो इसके क्या परिणाम होंगे ?
What are the consequences of failure to file a return of income in time ?

४. यदि आय का नक्शा दाखिल नहीं किया जाय या निर्धारित तिथियों के बाद दाखिल किया जाय तो करदाताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज के सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान हैं ?
What are the provisions for charging interest from assessees who do not furnish any return or who furnish their returns after the prescribed dates ?

५. विभिन्न प्रकार के कर-निर्धारण कौन-कौन से हैं ? समझाइए।
What are the different types of assessments ? Discuss.

६. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(अ) आय का नक्शा देर से भरना।

(ब) आय का संशोधित नक्शा।

(स) संक्षिप्त कर-निर्धारण।

(द) नियमित कर-निर्धारण।

Write short notes on the followings :
(a) Belated return of income.
(b) Revised return of income.
(c) Summary assessment.
(d) Regular assessment.

७. माँग का नोटिस क्या है ? मांगे गये कर को चुकाने में त्रुटि करने पर क्या परिणाम होते हैं ?

What is a notice of demand ? What are the consequences of default in paying the tax demanded ?

८. एक पक्षीय कर-निर्धारण क्या है ? यह किन परिस्थितियों में किया जा सकता है तथा ऐसे कर-निर्धारण के क्या परिणाम होते हैं ? ऐसे कर-निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित कराने के उपायों का भी वर्णन कीजिए।

What is an ex-parte assessment ? In what circumstances can it be made and what are the consequences that flow from such an assessment ? Also state the remedies open to an assessee to get such an assessment set-aside or modified ?

१५

अपील तथा पुनर्विचार

(Appeals and Revision)

अपील
(Appeals)

आय-कर अधिकारी भी अन्य मनुष्यों की भाँति गलती कर सकता है। कभी-कभी वह अपने विचारों को ही ईमानदारी के साथ यह समझता है कि वे कानून के अनुसार हैं। अत: करदाता एवं आय-कर अधिकारी के मध्य कानून (Law) तथा तथ्य (Facts) के सम्बन्ध मे ईमानदारी के साथ विचार-भेद हो सकते हैं। यदि एक करदाता एवं आय-कर अधिकारी के विचारों में मतभेद है तो करदाता उसके निर्णय के विरुद्ध या तो अपील कर सकता है अथवा कमिश्नर को उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रार्थना कर सकता है।

एक करदाता को अपील के निम्न अधिकार दिये गये हैं।

सहायक अपैलेट कमिश्नर को अपील

सबसे पहले करदाता आय-कर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सहायक अपैलेट कमिश्नर को अपील कर सकता है। जिस निर्णय अथवा माँग के नोटिस के विरुद्ध अपील करनी है, उसकी प्राप्ति के पश्चात् ३० दिन के अन्दर-अन्दर अपील कर देनी चाहिए। लेकिन सहायक अपैलेट कमिश्नर इस अवधि के बीत जाने पर भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी के पास अपील को समय पर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण हैं।

कर-निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध असिस्टैण्ट अपैलेट कमिश्नर के यहाँ तब तक अपील नहीं की जा सकती जब तक कि अपील के समय स्वीकृत कर की राशि को अपील दाखिल करने से पूर्व चुका न दिया जाय। असिस्टैण्ट अपैलेट कमिश्नर यदि चाहे तो करदाता को इस प्रावधान (कर जमा करने का प्रावधान)

से मुक्त कर सकता है किन्तु ऐसा वह केवल उचित मामले में ही करेगा और इसके लिए उसे लिखित में कारण देने पड़ेंगे।

अपील की प्रार्थना की प्राप्ति पर सहायक अपैलेट कमिश्नर अपील सुनने के लिए तिथि एवं स्थान निश्चित करेगा तथा करदाता को इस तिथि एवं स्थान की सूचना दे दी जायगी। करदाता चाहे तो स्वयं सहायक अपैलेट कमिश्नर के सामने उपस्थित हो सकता है अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है।

करदाता एवं आय-कर अधिकारी को सुनने के बाद सहायक अपैलेट कमिश्नर पुराने निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उसमें दिये गये दायित्व को घटाते-बढ़ाते अथवा समाप्त करते हुए अथवा जैसा वह उचित समझे, अपना निर्णय देगा। ऐसे निर्णय की एक प्रति करदाता को एवं एक प्रति कमिश्नर को भेज दी जाती है।

धारा २९५ A के अन्तर्गत बोर्ड को **निम्न से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है—**

(*i*) विशेष पेशेवर व्यक्तियों (Professionals) व अन्य व्यवसायियों की **खाता पुस्तकों के रख-रखाव** से सम्बन्धित नियम।

(*ii*) धारा ८० GG में दी जाने वाली वेतनभोगी व्यक्ति को, **मकान किराये की कटौती** से सम्बन्धित नियम।

(*iii*) आय के नक्शे में दिखाई गई **सम्पत्तियों की प्रकृति एवं मूल्यांकन**, व्यय का मद एवं अन्य से सम्बन्धित नियम।

(*iv*) **स्थाई खाता संख्या** के लिए आवेदन देने का समय बढ़ाना।

(*v*) धारा १४२ (२ A) के अन्तर्गत दी जाने वाली **अंकेक्षित रिपोर्ट** का प्रारूप व विवरण सम्बन्धी नियम; तथा

(*vi*) सिनेमा की **फिल्में निर्माण करने वालों** द्वारा आय-कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण (Statement) से सम्बन्धित नियम आदि।

अपैलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) को अपील

अपैलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसा मण्डल है जिसे विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। अपैलेट ट्रिब्यूनल में एकाउण्टेण्ट एवं न्यायायिक सदस्यों की संख्या बराबर होती है तथा इन सदस्यों में से एक सदस्य प्रधान नियुक्त किया जाता है। ट्रिब्यूनल विभिन्न बैंचों में कार्य करता है तथा प्रत्येक बैंच में एक न्यायायिक सदस्य तथा एक एकाउण्टेण्ट सदस्य होता है।

यदि करदाता द्वारा १३१ A, २५० अथवा २७१ के अन्तर्गत सहायक अपैलेट कमिश्नर के निर्णय अथवा धारा २७४ (२) के अन्तर्गत सहायक इंस्पैक्टिंग कमिश्नर के निर्णय अथवा धारा २६३ के अन्तर्गत कमिश्नर के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह निर्णय प्राप्त करने के पश्चात ६० दिन के अन्दर-अन्दर अपैलेट

ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। अपील करने की फीस १२५ रु० है और यह अपील के साथ ही जमा करनी पड़ती है। यदि कमिश्नर सहायक कमिश्नर के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह धारा २५० के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी को अपैलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कह सकता है।

आय-कर अधिकारी अथवा करदाता इस नोटिस की प्राप्ति पर कि सहायक अपैलेट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध दूसरे पक्ष द्वारा अपील कर दी गयी है, सहायक अपैलेट कमिश्नर के निर्णय के किसी भाग के विरुद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा उठाये गये प्रश्नों के विपरीत एक लेखा ३० दिन के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे लेखे को ट्रिब्यूनल द्वारा यह समझकर कि अपील प्रस्तावित समय जोकि ६० दिन है, के अन्दर ही अन्दर की गई थी, निवटाया जायगा।

अपैलेट ट्रिब्यूनल ऊपर निर्दिष्ट समय के वीत जाने पर भी अपील स्वीकार कर सकता है अथवा क्रॉस-ऑबजेक्शन के लेखे को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि वे किन्हीं विशेष कारणों से लेखे को समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

अपैलेट ट्रिब्यूनल अपील के दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के बाद जैसा उचित समझे वैसा निर्णय दे सकता है। ट्रिब्यूनल को कर अथवा दण्ड बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह तथ्यों (Facts) की अपील करने के लिए अन्तिम न्यायालय नहीं है। यदि ट्रिब्यूनल को इस राशि को बढ़ाने का अधिकार दे दिया जाता तो प्रार्थी को इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में विचार कराने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता।

अपैलेट ट्रिब्यूनल अपने द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति करदाता को तथा एक कमिश्नर को भेज देगा।

हाईकोर्ट को निर्देश (Reference to High Court)

यदि अपैलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय में कोई कानून का प्रश्न सन्निहित है तो करदाता अथवा कमिश्नर ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट को निर्देश करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूनल को प्रार्थना-पत्र की तिथि की अवधि ट्रिब्यूनल से ऐसे निर्णय की प्राप्ति के पश्चात् ६० दिन तक रखी गई है। ट्रिब्यूनल को दिया जाने वाला यह प्रार्थना-पत्र एक प्रस्तावित फार्म पर होना चाहिए तथा यदि प्रार्थना करदाता द्वारा की गई है तो इसके साथ १२५ रु० की राशि, जोकि प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने की फीस है, भी भेजी जानी चाहिए।

अपैलेट ट्रिब्यूनल से मुकदमे के विवरण की प्राप्ति पर हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा तथा उसमें उठाये गये कानून के प्रश्न का निर्णय करेगा।

हाईकोर्ट के निर्णय की एक प्रति अपैलेट ट्रिब्यूनल को भेजी जायगी। अपैलेट ट्रिब्यूनल इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देगा।

निर्देश की प्रार्थना पर यदि अपैलेट ट्रिब्यूनल यह समझता है कि कानूनी प्रश्न पर हाईकोर्ट के निर्णयों में मतभेद है, तो यह अच्छा है कि निर्देश सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाय। इसके लिए ट्रिब्यूनल एक विवरण बनायेगा जिसमें मुकदमे से सम्बन्धित समस्त बातें दी हुई होती हैं। इस विवरण को वह अपने प्रधान (President) के द्वारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भेज देगा।

सर्वोच्च न्यायालय को अपील (Appeal to the Supreme Court)

हाईकोर्ट के किसी निर्णय के विरुद्ध, जिसको हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उचित समझती है, अपील की जा सकती है। यदि अपील करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को परिवर्तित अथवा समाप्त कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट के निर्णय में परिवर्तन करना होगा।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार
(Revision by Commissioner)

ऐसे निर्णयों पर जो राज्य की आय के विरुद्ध हैं, पुनर्विचार
(Revision of Orders Prejudicial to Revenue)

यदि कमिश्नर आय-कर अधिकारी के निर्णय को यह समझता है कि वह राज्य की आय के विरुद्ध है, तो वह किसी भी लेखे की माँग कर सकता है तथा उनका निरीक्षण कर सकता है। वह करदाता को उचित सुनवाई का अवसर देकर एवं आवश्यक जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय दे सकता है, जिसमें वह कर-निर्धारण को बढ़ा सकता है तथा उसमें सुधार अथवा उसे रद्द कर सकता है तथा नये कर-निर्धारण की आज्ञा दे सकता है।

कमिश्नर ऐसे किसी भी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जो—

(अ) धारा १४७ के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण का आदेश हो, अथवा

(ब) वास्तविक निर्णय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद कर-निर्धारण में संशोधन से सम्बन्धित हो।

ऐसा कोई भी निर्णय जो (अ) धारा १४७ के अन्तर्गत किये गये कर-निर्धारण में संशोधन करने अथवा, (ब) वास्तविक निर्णय की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद संशोधन करने से सम्बन्धित है, नहीं दिया जा सकता।

एक करदाता को कमिश्नर के इस संशोधित निर्णय से हानि हुई है, तो इस निर्णय के विरुद्ध अपैलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है।

अन्य निर्णयों पर पुनर्विचार (Revision of other Orders)

उपरोक्त नियम लागू न होने वाले निर्णयों की स्थिति में कमिश्नर या तो अपने आप अथवा करदाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रार्थना किये जाने पर दिये गये

निर्णय से सम्बन्धित कार्यवाहियों के लेखों की माँग एवं आवश्यक जाँच कर सकता है, तथा उस पर जैसा उचित समझे वैसा निर्णय दे सकता है।

यदि निर्णय दिये हुए एक वर्ष व्यतीत हो चुका है तो कमिश्नर ऐसे निर्णय पर स्वयं पुनर्विचार नहीं करेगा। करदाता द्वारा पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र निर्णय की प्राप्ति के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर ही दे दिया जाना चाहिए। परन्तु यदि प्रार्थना-पत्र इस अवधि में नहीं दिया जाता है और कमिश्नर इस बात से संतुष्ट है कि किन्हीं विशेष कारणों से उसके द्वारा प्रार्थना नहीं की गई है, तो वह एक वर्ष की अवधि के उपरान्त भी प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है। करदाता द्वारा पुनर्विचार के लिए हर प्रार्थना-पत्र के साथ फीस के लिए २५ रु० भी भेजे जाने चाहिए।

कमिश्नर निम्न स्थितियों में किसी निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता—

(क) यदि निर्णय के विरुद्ध सहायक अपैलेट कमिश्नर या अपैलेट ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है, लेकिन अभी तक नहीं की गई है, यद्यपि अपील करने का समय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अथवा ट्रिब्यूनल में अपील के लिए करदाता ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा है; अथवा

(ख) यदि सहायक अपैलेट कमिश्नर के यहाँ की गई अपील का कोई भी निर्णय नहीं दिया गया है ; अथवा

(ग) यदि निर्णय के विरुद्ध अपैलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर दी गई है।
करदाता कमिश्नर के यहाँ आय-कर अधिकारी अथवा सहायक अपैलेट कमिश्नर के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में कमिश्नर का आदेश अन्तिम होगा।

निबटारा आयोग
(Settlement Commission)

केन्द्रीय सरकार ने श्री सी० सी० गनपथी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-युक्त आयोग की स्थापना की है। इस आयोग के दो पार्ट-टाइम सदस्य होंगे। इस आयोग में ईमानदार, प्रत्यक्ष करों व खातों के विशेष जानकर व्यक्ति ही होंगे।

यह आयोग करदाता को ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा कि वह अपनी कार्यवाही के दौरान किसी भी समय अपने विवाद पर समझौता करने अथवा उसका निबटारा करने के लिए इस आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सके।

प्रश्न

१. एक करदाता को अपील करने के कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? उनका विस्तृत वर्णन कीजिए।

What are the rights of appeal available to an assessee? Explain them fully.

२. एक करदाता को आय-कर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील करने का क्या अधिकार है? ऐसी अपील के निबटारे की क्या विधि है?

What is the first right of appeal given to an assessee against the orders of the Income-Tax Officer? Describe the procedure for disposing of such an appeal.

३. अपैलेट असिस्टैण्ट कमिश्नर के आदेश के खिलाफ अपैलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने की क्या विधि है? इसकी प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

Describe briefly the procedure for filing an appeal to the Appellate Tribunal against the orders of an Appellate Assistant Commissioner.

४ आय-कर अधिनियम मे कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार के क्या अधिकार हैं और इसकी क्या सीमायें हैं? क्या कमिश्नर द्वारा रिवीजन मे पास किये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल की जा सकती है?

What are the revisional powers of the commissioner of income-tax under the Income-Tax Act and what are their limitations? Does any appeal lie against an order passed in revision by the commissioner?

१६

कर वसूल करना

(Collection of Tax)

किसी आय पर नियमित कर-निर्धारण बाद के किसी कर-निर्धारण वर्ष में में ही किया जाता है, लेकिन ऐसी आय पर कर या तो उद्गम स्थान पर कटौती के अथवा पेशगी भुगतान के द्वारा चुकाया जा सकता है।

उद्गम स्थान पर कर कटौती

(Deduction of Tax at Source)

विभिन्न प्रकार की आयों की स्थिति में उद्गम स्थान पर कर की कटौती के निम्न नियम हैं—

वेतन

भुगतान करते समय 'वेतन' शीर्षक में चार्ज होने वाली आय से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। यह कटौती कर्मचारी को होने वाली वेतन से अनुमानित आय पर लागू होने वाली दरों से, न कि उसकी कुल आय पर लागू होने वाली दरों से की जाती है। चाहे कर्मचारी निवासी हो अथवा अनिवासी।

जिस वर्ष में वेतन का भुगतान किया गया है उस वर्ष में वित्त अधिनियम द्वारा लागू होने वाली दर से वेतन में से कर की कटौती कर ली जाती है।

यदि कर के लिए पहले की गई कटौती कम अथवा अधिक है या पहले बिल्कुल भी कर की कटौती नहीं की गई है तो मालिक इसका समायोजन करने के लिए चालू वर्ष में कर के लिए कटौती की राशि को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

सरकार सहित मालिक को हर वर्ष ३१ मार्च के बाद ३० दिन के अन्दर-अन्दर आय-कर ऑफीसर को ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में चुकाये गये

अथवा चुकाये जाने वाले ऐसे कर्मचारियों की जिन्हें एक प्रस्तावित वेतन की राशि देय थी तथा उस पर काटे गये कर की राशि का एक रिटर्न उन कर्मचारियों के नाम एवं पते देते हुए देना होगा।

मालिक कर्मचारी के वेतन में से उस पर देय आय-कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है और यह दायित्व कर्मचारी द्वारा आय-कर की राशि को वैयक्तिक रूप से जमा कराने पर भी समाप्त नहीं होता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज

'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक में करयोग्य आय को चुकाने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी आय का भुगतान करते समय ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में से चालू दरों से आय-कर की कटौती कर ले।

एक व्यक्ति को, जोकि भारत का निवासी है तथा जिसकी आय आय-कर विधान के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है। विनियोग की सुविधा देने के लिए आय-कर विधान में यह आयोजन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी जाने वाली प्रति-भूतियों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति यह घोषित कर देता है कि उस वर्ष में उसके द्वारा रखी जाने वाली प्रति-भूतियों पर देय कुल ब्याज की राशि २,५०० रु० से अधिक नहीं है तथा उससे पूर्व के गत वर्षों में उस पर कर नहीं लगा एवं यह भी घोषित कर देता है कि गत वर्ष में उसकी कुल आय की राशि न्यूनतम करयोग्य राशि की सीमा से कम है।

लाभांश

कम्पनी का प्रधान अफसर भारत में लाभांश (पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश सहित) चुकाने से पहले उस पर लागू होने वाली प्रस्तावित दरों से आय-कर की राशि की कटौती करने के लिए दायी है।

जब कोई अंशधारी (जो कम्पनी न हो) आय-कर अधिकारी से लिखित में इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले कि उसकी कुल आय करयोग्य न्यूनतम आय से कम है, तो उस अवधि में जिससे प्रमाण-पत्र चालू रहेगा, कम्पनी लाभांश का भुगतान बिना किसी कर की कटौती के कर देगी।

प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज

धारा १९४A के अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज की राशि में से कर की कटौती से सम्बन्धित आयोजनों को बतलाया गया है। इस धारा के मुख्य आयोजन निम्नलिखित हैं—

(अ) यह धारा १ अक्टूबर, १९६७ से पूर्व जमा अथवा भुगतान किये गये ब्याज पर लागू नहीं होती।

(ब) यह धारा व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा भुगतान अथवा जमा किये गये ब्याज पर लागू नहीं होती, अर्थात् यह धारा कम्पनी, फर्म,

व्यक्तियों की संस्था, स्थानीय सत्ता तथा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति द्वारा भुगतान अथवा जमा किये गये ब्याज पर लागू होती है।

(स) यह धारा केवल निवासी करदाता को भुगतान अथवा जमा किये गये ब्याज पर ही लागू होती है। अनिवासी करदाताओं के सम्बन्ध में अलग से आयोजन हैं। जिसे नीचे समझाया गया है।

(द) कर की राशि, ब्याज को करदाता के खाते में जमा करते समय अथवा नकदी के रूप में या अन्य तरीके से उसका भुगतान करते समय (दोनों में से जो भी क्रिया पहले हो उस समय) काट लेनी चाहिए।

(य) व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों की संख्या तथा अपंजीकृत फर्म जिनकी कुल आय आय-कर योग्य नहीं है तथा जो इस बात की लिखित रूप में घोषणा कर देते हैं, अपनी ब्याज की आय उद्गम स्थान पर कर कटौती कराये बिना ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(र) उद्गम स्थान पर कर की कटौती केवल तब ही की जानी है जबकि जमा अथवा भुगतान की गई राशि १,००० रु० से अधिक हो।

(ल) कर की कटौती निम्न दरों से की जानी है—

(*i*) कम्पनी करदाता की स्थिति में २१% की दर से;

(*ii*) गैर-कम्पनी करदाता की स्थिति में १०% की दर से।

लॉटरी तथा क्रॉसवर्ड पजलस से आय

जो व्यक्ति किसी को ऐसी आय का १,००० रु० से अधिक का भुगतान करता है तो उसको भुगतान की राशि से ३३% की दर से आय-कर काट लेना चाहिए।

ठेकेदारों का भुगतान

जब कोई व्यक्ति सरकार या स्थानीय सत्ता या वैधानिक कार्पोरेशन या किसी कम्पनी या किसी सहकारी समिति की ओर से किसी निवासी ठेकेदार को कोई भुगतान करता है तो उसको भुगतान की राशि से २% आय-कर काट लेना चाहिए।

यदि कोई ठेकेदार (जो एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं है) किसी निवासी छोटे ठेकेदार को कोई भुगतान करता है तो उसे भुगतान की राशि से १% आय-कर काट लेना चाहिए।

यदि कोई ठेका ५,००० रुपये से अधिक का नहीं है तो भुगतान की राशि से कोई आय-कर नहीं काटा जायगा।

बीमा कमीशन (Insurance Commission)

धारा १९४ D के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी निवासी को बीमा कमीशन या उसके बीमा व्यवसाय करने के प्रतिफल में कोई पारिश्रमिक देने के लिए

उत्तरदायी है। उसका कर्तव्य है कि वह ऐसी आय में से चालू दर से आय-कर काटे। यह कटौती इस प्रकार की आय के जमा करने (At the Time of Credit) या भुगतान करने के समय (जो भी दोनों में पहले हो) की जावे।

1 जून, १९७३ से पूर्व जमा या भुगतान की गई ऐसी आय में कोई कटौती नहीं की जाती है।

अनिवासियों को अन्य भुगतान (Other Payments to Non-Residents)

अनिवासी व्यक्ति (कम्पनी के अतिरिक्त) को चुकाई गई करयोग्य आय में से प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभांश के अतिरिक्त) इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित दरों से आय-कर की कटौती करनी चाहिए। ये भुगतान ब्याज, रॉयल्टी, कमीशन, किराया इत्यादि हो सकते हैं। कर की कटौती उस स्थिति के अतिरिक्त जबकि वह स्वयं भुगतान पाने वाले अनिवासी के प्रतिनिधि के रूप में कर लगवाने को तैयार है, वह व्यक्ति करेगा जो भुगतान करने का उत्तरदायी है।

अन्य आयोजन (Other Provisions)

एक करदाता की आय की गणना करने के उद्देश्य के लिए उद्गम स्थान पर काटे गये कर को उसके द्वारा प्राप्त हुई आय माना जायगा।

उद्गम स्थान पर काटे गये कर को सरकार को चुका देना चाहिए। उद्गम स्थान पर काटे गये कर को जोकि सरकार को चुका दिया गया है, यह माना जायगा कि यह करदाता के लिए चुकाया गया है तथा उसकी उसके कर-निर्धारण में जमा कर दी जायगी।

जब उद्गम स्थान पर कर की कटौती होनी हो तब करदाता से काटे गये कर की सीमा तक कर को चुकाने को नहीं कहा जायगा।

चूक के परिणाम (Consequences of Default)

यदि कोई व्यक्ति जोकि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, कर की कटौती नहीं करता अथवा कटौती करने के पश्चात इसे सरकारी कोष में जमा नहीं कराता तो धारा २०१ के अनुसार इसके निम्न परिणाम होंगे—

(१) वह कर के लिए दोषी करदाता माना जायगा तथा कर का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यदि वह बिना किसी विशेष कारण के कर की कटौती नहीं कर पाया है तो वह दण्ड के लिए भी उत्तरदायी है।

(२) यदि कर की कटौती करने के पश्चात् उसे सरकारी कोष में जमा नहीं कराया गया है तो ब्याज की राशि सहित कर की कुल राशि ऐसे व्यक्ति की समस्त सम्पत्तियों पर प्रभार होगी परन्तु अन्य प्रभार पर इस प्रभार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(३) वह उस तिथि, जिस पर उसे कर की कटौती करनी थी, से कर जमा की जाने की तिथि तक के लिए कर की राशि पर १२% प्रति वर्ष की दर से साधारण व्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति कर की कटौती नहीं करता अथवा करने के पश्चात् उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करता है, यदि कर की राशि १ लाख रुपये से अधिक है तो वह ७ वर्ष तक के कठोर कारावास व अर्थ-दण्ड का भागी होगा और यदि कर की राशि १ लाख रुपये से अधिक नहीं है तो वह ३ वर्ष के कठोर कारावास या दण्ड अथवा दोनों का भागी होगा।

कर कटौती का प्रमाण-पत्र (Certificate of Tax Deduction)

उपर्युक्त नियमों के अनुसार कर काटने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसे कर काट कर भुगतान किया गया है, इस आशय का कि कर काट लिया है, काटी गई कर की राशि, कर काटने की दर तथा अन्य प्रस्तावित विवरण देते हुए एक प्रमाण-पत्र देगा।

करमुक्त का प्रमाण-पत्र (Exemption Certificate)

धारा १९७ के अन्तर्गत, यदि करदाता (कम्पनी करदाता को छोड़कर) को किसी आय का भुगतान करते समय अथवा उसे खाते में जमा करते समय उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जानी है परन्तु आय-कर ऑफीसर इस बात से सन्तुष्ट है कि आय प्राप्तकर्ता की कुल आय पर कर की कटौती कम दर से की जानी है अथवा बिलकुल नहीं की जानी है तो ऐसी स्थिति में करदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आय-कर ऑफीसर उसे जैसा भी उचित समझे उसी प्रकार का प्रमाण-पत्र दे देगा।

यदि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है तो आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति जब तक कि आय-कर ऑफीसर द्वारा वह प्रमाण-पत्र रद्द न कर दिया जाय, तब तक उसमें दी गई दरों से ही कर कटौती करेगा अथवा यदि प्रमाण-पत्र में यह दिया गया है कि कोई कर नहीं काटा जाना है तो कोई कटौती नहीं करेगा।

१९७७-७८ में कर की कटौती करने के लिए चालू दरें

वेतन आदि से आय

वित्त वर्ष १९७७-७८ में वेतन शीर्षक में करयोग्य आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के लिए वही दरें लागू होंगी जो वित्त वर्ष १९७७-७८ में कर के पेशगी भुगतान की गणना करने के लिए हैं। यह दरें इसी अध्याय में कर की पेशगी भुगतान के बाद दी गई हैं।

अन्य आय से कटौती

१९७७-७८ वित्तीय वर्ष में प्रतिभूतियों से ब्याज, अन्य ब्याज, लॉटरी व क्रॉसवर्ड पजलन की आय, बीमा कमीशन की आय, लाभांश तथा अन्य आय पर निम्न दरों से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायगी।

१. कम्पनी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को दी जाने वाली आय पर :

(अ) यदि वह निवासी है ;

(*i*) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर	१०% की दर से
(*ii*) लॉटरी व क्रॉसवर्ड पजलन की आय पर	३३% की दर से
(*iii*) बीमा कमीशन की आय	१०% की दर से
(*vi*) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय को छोड़कर शेष समस्त आय पर	२३% की दर से

(ब) यदि वह अनिवासी है ;

(*i*) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि को छोड़कर शेष अन्य आय पर।	३३% अथवा औसत दर दोनों में जो भी कम हो।
(*ii*) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि पर	१६·५% की दर से

२. घरेलू कम्पनी को दी जाने वाली आय पर :

(*i*) कम्पनी को प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज पर	२१% की दर से
(*ii*) कम्पनी की करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज की आय को छोड़कर शेष अन्य आय पर	२३% की दर से

३. यदि कम्पनी घरेलू कम्पनी नहीं है तो उसकी आय पर :

(*i*) घरेलू कम्पनी द्वारा देय लाभांश पर	२५%
(*ii*) भारतीय संस्था द्वारा देय रॉयल्टी पर, यदि रॉयल्टी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रसंविदे के अन्तर्गत देय है और	
(अ) रॉयल्टी प्रसंविदा ३१-३-१९७१ से ३१-३-१९७८ तक हो चुका है	५२·५%

(ब) यदि प्रसंविदा ३१-३-१९७६ के बाद हुआ है तो	
(*a*) यदि प्राप्त आय खोज, पेटेण्ट आदि से सम्बन्धित है	२०%
(*b*) अन्य	४०%
(*iii*) भारतीय संस्था द्वारा देय फीस। यदि यह फीस केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रसंविदे के अन्तर्गत देय है और—	
(अ) यदि प्रसंविदा २९ फरवरी, १९६४ से ३१-३-१९७६ तक	५२·५%
(ब) यदि प्रसंविदा ३१-३-१९७६ के बाद किया गया है	४०·०%
(*iv*) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर	४६·२%
(*v*) अन्य किसी आय पर	७३·५%

कर का पेशगी भुगतान
(Advance Payment of Tax)

ऐसी आय की स्थिति में, जिसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है (जैसे मकान सम्पत्ति अथवा व्यापार से आय) धारा २०७ से २१९ आय-कर विभाग को उस वित्त वर्ष में उपार्जित आय पर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दरों से कर को किस्तों में पेशगी एकत्रित करने का अधिकार देती है (जैसाकि इस अध्याय में आगे समझाया गया है)।

पेशगी करयोग्य आय—धारा २०७ के अन्तर्गत, पूँजी लाभ तथा लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजलस या घुड़दौड़ या ताश के खेल या दूसरे खेल या जुआ या शर्त लगाने से प्राप्त आय को छोड़कर अन्य आय पर पेशगी कर देय है। इस प्रकार यह आय वह आय है जिस पर पेशगी कर लगता है।

अग्रिम कर के भुगतान का दायित्व—धारा २०८ के अन्तर्गत, एक करदाता द्वारा कर उस वित्त वर्ष में पेशगी देय है जिसमें कि उसकी कुल आय (पूँजी लाभों तथा लॉटरी इत्यादि की आय को छोड़ते हुए) जिसका नियमित कर-निर्धारण सबसे अन्त में हुआ हो अथवा उस वित्तीय वर्ष के लिए अन्तिम अस्थायी अथवा स्वयं कर-निर्धारण के अनुसार निर्धारित हो अथवा उसके द्वारा दिया गया चालू आय का अनुमान निम्नलिखित सीमाओं तक कर के निर्धारण से मुक्त है—

(अ) एक कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता की स्थिति में	२,५०० रुपये
(ब) एक पंजीकृत फर्म की स्थिति में	३०,००० ,,

(ग) अन्य किसी व्यक्ति की स्थिति में :

(*i*) यदि व्यक्ति अनिवासी है ५,००० रु०

(*ii*) अन्य स्थितियों में १०,००० ,,

पेशगी कर का निर्धारण (Computation of Advance Tax)—एक करदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में चुकाये जाने वाले पेशगी कर की राशि का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जायगा—

(१) उसके नियमित कर-निर्धारण के अनुसार अन्तिम गत वर्ष की आय को लीजिए (अगले स्वयं कर-निर्धारण अथवा अस्थायी कर-निर्धारण? यदि यह अधिक हों तो उन्हें लीजिए। अथवा उसके द्वारा वित्तीय वर्ष की आय के अनुमान को लीजिए।

(२) ऐसी कुल आय में यदि कोई पूँजी लाभ या लॉटरी आदि की आय शामिल है तो उसे घटाकर जो रकम शेष बचेगी उस पर उस वित्तीय वर्ष की लागू दरों से आय-कर निकाला जायगा।

(३) इस प्रकार निकाले हुए आय-कर की रकम में से उस वित्तीय वर्ष में उसकी कुल आय में सम्मिलित किसी आय से उद्गम स्थान पर कटने वाली आय-कर की रकम घटा दी जायगी। इस प्रकार शेष बची हुई शुद्ध आय-कर की रकम अग्रिम कर के रूप में देय होगी।

आय-कर अधिकारी का आदेश (Order by Income-Tax Officer)—यदि एक व्यक्ति पर नियमित कर-निर्धारण द्वारा पहले कर-निर्धारण हो चुका है तो आय-कर अधिकारी वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल को या उसके बाद में एक लिखित आदेश के द्वारा ऊपर के नियम के अनुसार निर्धारित की गई पेशगी कर की राशि को चुकाने के लिए कहेगा। माँग का नोटिस उन किस्तों को जिनमें पेशगी कर चुकाना है, निर्दिष्ट करेगा।

पेशगी कर की किस्त (Instalments of Advance Tax)—पेशगी कर का उस वित्तीय वर्ष में तीन बराबर किस्तों में भुगतान करना होता है। इन किस्तों की भुगतान तिथियाँ निम्नलिखित हैं—

(*i*) उस स्थिति में जहाँ एक व्यक्ति की पेशगी कर लगने योग्य आय ७५% या इससे अधिक है और जहाँ पर आय के स्रोत के लिए करदाता का गत वर्ष ३१ दिसम्बर अथवा इससे पहले बन्द होता है।	१५ जून १५ सितम्बर और १५ दिसम्बर
(*ii*) अन्य किसी स्थिति में	१५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च

यदि आय-कर अधिकारी के निर्णय के अनुसार माँग का नोटिस इन निर्दिष्ट तिथियों में से किसी एक तिथि के बाद प्राप्त हो तो पेशगी कर माँग के नोटिस के

प्राप्त होने के पश्चात् आने वाली निर्दिष्ट तिथियों पर बराबर-बराबर की किस्तों में चुकाया जायगा तथा यदि माँग का नोटिस १५ दिसम्बर के बाद प्राप्त हो तो सम्पूर्ण राशि १५ मार्च को एक किस्त में चुकानी होगी।

करदाता द्वारा अनुमान (Estimate by Assessee)—निम्न परिस्थितियों में एक करदाता पेशगी कर के लिए अपनी आय का अनुमान दे सकता है—

(१) यदि वह यह समझता है कि उस वित्तीय वर्ष की उसकी कुल आय आय-कर अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय से कम है तो वह अपना अनुमान भेज सकता है तथा उस अनुमान के अनुसार आने वाली निर्दिष्ट तिथियों पर पेशगी कर की राशि बराबर की किस्तों में देगा अथवा वह करदाता पेशगी देय कर का संशोधित अनुमान किसी एक निर्धारित तिथि से पहले भेज सकता है और किसी चुकायी गई किस्त के सम्बन्ध में कमी अथवा आधिक्य को अगली किस्त में समायोजित कर सकता है।

(२) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका पहले नियमित कर-निर्धारण नहीं हुआ है, प्रत्येक वित्त वर्ष में पेशगी कर का भुगतान करने की अन्तिम किस्त की तिथि से पहले आय-कर अधिकारी के पास अपनी कुल आय का अनुमान भेजना जरूरी है। यदि उसकी चालू आय के, उस पर लागू आय सीमा से बढ़ने की सम्भावना है और उस पर लगने वाले कर को उन निर्दिष्ट तिथियों पर, जो समाप्त नहीं हुई हैं, चुका देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वह परिशोधित अनुमान भी प्रस्तुत कर सकता है।

(३) धारा २१० के आदेश के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों से पेशगी कर माँगा गया है और वे अपनी कुल चालू आय का अनुमान करके यह समझते हैं कि उस चालू आय पर आय-कर ज्यादा होगा तो यदि यह कर माँगे गये पेशगी कर के १/३ भाग से अधिक है तो इस स्थिति में उनको अपना अनुमान आय-कर अधिकारी को भेजना जरूरी है और जो भी आय-कर की राशि अधिक है उसको बाकी किस्तों में देना है।

अग्रिम कर के लिए क्रेडिट (Credit for Advance Tax)

करदाता द्वारा अग्रिम कर की भाँति जमा कराई गई कोई राशि (दंड या ब्याज के अतिरिक्त) के भुगतान की भांति समझी जाती है, अतः उसे इसके लिए नियमित कर-निर्धारण में दी जाती है।

कर की वापसी
(Refund of Tax)

यदि कोई व्यक्ति आय-कर अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि किसी कर-निर्धारण वर्ष में उसके द्वारा या उसके लिए चुकाये गये कर की राशि उस

राशि से अधिक है जोकि वास्तव में उस पर थी, तो वह ऐसे आधिक्य को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

करदाता द्वारा वापिस की माँग निम्नांकित स्थितियों में की जा सकती है—

(अ) जब करदाता की कुल आय पर लागू होने वाली दरों से अधिक दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाये।

(ब) जब कर के लिए पेशगी भुगतान की गई राशि नियमित कर-निर्धारण के समय निर्धारित की गई कर की राशि से अधिक हो।

(स) जब अपील अथवा संशोधन के कारण करदाता की कुल आय को घटा दिया जाये।

(द) जब त्रुटि सुधार के कारण निर्धारित कर की राशि को कम कर दिया जाये।

(य) जब दोहरे कर के लिए कोई छूट देनी बाकी हो।

जहाँ तक 'ब', 'स' और 'द' का सम्बन्ध है, कर की वापसी के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं देना पड़ता क्योंकि आय-कर अधिकारी स्वयं ही कर की वापसी के लिए आज्ञा दे देगा।

वापसी की माँग करने का तरीका (Procedure for Claiming Refund)—वापसी की माँग करने वाले करदाता द्वारा आय-कर अधिकारी को एक प्रस्तावित फार्म पर एक प्रार्थना-पत्र देना चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय इस प्रकार है—

(अ) यदि वापसी की माँग १९६७-६८ कर-निर्धारण वर्ष तक के सम्बन्ध में है तो ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से ४ वर्ष के अन्दर;

(ब) यदि वापसी की माँग १९६८-६९ कर-निर्धारण वर्ष तक के सम्बन्ध में है तो ऐसे १९६८-६९ कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से ३ वर्ष के अन्दर;

(स) यदि वापसी की मांग १९६८-६९ के बाद के किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में है तो ऐसे कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से २ वर्ष के अन्दर।

वापसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी की कुल आय का नक्शा तथा उद्गम स्थान पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र भी संलग्न होना चाहिए। यदि प्रार्थी निवासी है तो यह प्रार्थना-पत्र उस आय-कर अधिकारी को दिया जाना चाहिए जिसके कार्य-क्षेत्र में करदाता आता है। अनिवासी व्यक्तियों की स्थिति में, जिनकी कुल आय पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जा चुकी है, वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र आय-कर अधिकारी, अनिवासी सर्किल, बम्बई को दिया जाना चाहिए। अन्य स्थितियों में यह प्रार्थना-पत्र उस आय-कर अधिकारी को दिया जाना है जिसके कार्य-क्षेत्र में ऐसे अनिवासी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि आते हैं।

वापसी पाने का अधिकारी कौन है ? (Who is Entitled to Refund)—केवल आय का स्वामी जोकि वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र देता है, कर को वापिस पाने का अधिकारी है, परन्तु यदि एक व्यक्ति की आय को किसी दूसरे व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाता है, तथा इस कुल आय पर दूसरे व्यक्ति के हाथों में ही कर लगता है, तो वह व्यक्ति ही, जिसके हाथों में आय पर कर लगता है, वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। मृतक करदाता के लिए उसकी सम्पत्ति का निष्पादक, प्रवन्धक अथवा अन्य कानूनी प्रतिनिधि, दिवालिया के लिए रिसीवर अथवा ट्रस्टी, कम्पनी के समापन पर उसका परिसमापक (Liquidator) तथा अवयस्क के लिए उसके संरक्षक, वापसी के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

वापसी का भुगतान (Issue of Refund)—यदि आय-कर अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वास्तव में करदाता को कर की वापसी देय है तो वह वापसी की राशि का एक वाउचर निर्गमित कर देता है। इस वाउचर का भुगतान रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी सरकारी खजाने या सहायक खजाने से किया जाता है। यदि प्रार्थी 'निवासी' है तथा वापसी की राशि भी कम ही है तो यह राशि करदाता को सरकार के खर्चे से मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकती है। अनिवासी व्यक्ति को यह राशि, यदि उसने भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है, तो उसके खर्चे पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी जाती है।

अपील—यदि आय-कर अधिकारी आय-कर की वापसी की माँग को अस्वीकार कर देता है अथवा कम राशि वापस करने का आदेश देता है तो उसके इस आदेश के विरुद्ध सर्वप्रथम सहायक अपैलेट कमिश्नर को तथा इसके पश्चात् आय-कर अपैलेट ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है।

यदि कोई व्यक्ति कर की वापसी प्राप्त करने के लिए झूठा प्रार्थना-पत्र देता है तो सिद्ध होने पर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा कम से कम ६ माह तथा अधिक से अधिक दो वर्ष के सख्त कारागार का दण्ड दिया जा सकता है।

आय-कर की वापसी में देरी पर ब्याज (Interest on Delayed Refund)—यदि आय-कर अधिकारी नीचे दिये गये समय के अन्दर करदाता को वापस की जाने वाली राशि को स्वीकृत नहीं करता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा १२% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिया जायगा। परन्तु यह ब्याज नीचे दी गई अवधि के तुरन्त तीन माह की समाप्ति के बाद से लेकर वापसी की स्वीकृति तक की अवधि पर ही दिया जायगा—

(अ) ऐसी स्थिति में जबकि करदाता की कुल आय केवल प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभांश से अथवा दोनों से है तो जिस महीने की तिथि को वापसी की माँग की गई है उस महीने के अन्त से;

(ब) अन्य दूसरी स्थितियों में, जिस माह में करदाता की कुल आय की गणना की गई है उस माह के अन्त से ।

धारा २४४ (१ A) के अन्तर्गत यदि कर वापसी किसी ऐसी राशि के सम्बन्ध में मांगी जा रही है जो करदाता द्वारा ३१-३-१६७५ के उपरान्त किसी कर-निर्धारण अथवा दण्ड के अधीन जमा किया जा चुका है तो इस राशि पर ब्याज की राशि की गणना ऐसे विवादग्रस्त राशि के भुगतान के दिन से वापसी मिलने के दिन तक की जायगी किन्तु अपील वगैरह में आदेश होने के बाद ९ माह तक का ब्याज छोड़ दिया जायगा ।

करमुक्ति का प्रमाण-पत्र (Exemption or Abatement Certificate)—यदि किसी करदाता की आय पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है तो ऐसे कर की वापसी की माँग की आवश्यकता को दूर करने के लिए करदाता आय-कर अधिकारी से एक प्रमाण-पत्र ले सकता है इस प्रमाण-पत्र के द्वारा आय-कर अधिकारी इस बात को प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्त्ता की कुल आय करयोग्य सीमा से कम है अथवा उस पर कम दर से कर लगता है । ऐसा प्रमाण-पत्र एक निश्चित अवधि के लिए ही दिया जाता है अथवा तब तक ही मान्य होता है जब तक कि वह आय-कर अधिकारी के द्वारा रद्द न कर दिया जाय । लाभांश आय के सम्बन्ध में इस प्रकार कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता ।

वापसी की पूर्ति (Set-off of Refund)—यदि किसी व्यक्ति को कर की वापसी देय है तो आय-कर अधिकारी, सहायक अपैलेट कमिश्नर अथवा कमिश्नर वापसी का भुगतान न करके उस राशि को उस व्यक्ति द्वारा चुकाये जाने वाले कर की राशि से पूरा कर सकते हैं परन्तु ऐसा करने के लिए करदाता को लिखित रूप में सूचित किया जायगा ।

प्रश्न

१. वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है ?

   What are the circumstances in which deduction of tax at source is compulsory under the Income-Tax Act ?

२. यदि कर की कटौती करने वाला कर की कटौती नहीं करता अथवा कटौती करने के बाद उसका सरकार को भुगतान नहीं करता है तो इसके क्या परिणाम होते हैं ।

   What are the consequences, if a person responsible for deduction of tax does not deduct it or after deducting fails to pay it to Government ?

३. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब कर की वापसी की माँग की जाती है और संक्षिप्त में कर वापसी माँग की विधि बताइए।

State the circumstances in which a claim for refund of tax may arise and describe briefly the procedure for claiming a refund.

४. कर के अग्रिम भुगतान से आप क्या समझते हैं ? यह क्यों लागू किया गया ? इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रमुख आयोजनों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।

What do you understand by the term advance payment of tax ? Why was it introduced ? State clearly the important provisions of the Income-Tax Act regarding it.

१७

व्यक्तियों का कर-निर्धारण

(*Assessment of Individuals*)

'व्यक्ति' शब्द में विशेष रूप से मानव मात्र (Human Being) का ही बोध होता है। इनके अन्तर्गत एक स्त्री, पुरुष, अवयस्क एवं एक पागल व्यक्ति भी सम्मिलित है।

व्यक्ति पर आय-कर उसकी कुल आय की राशि के अनुसार विभागीय दरों (Graded Scale of Rates) से लगता है। व्यक्ति पर पृथक् रूप से कर लगाया जाता है चाहे वह ऐसी अन्य इकाइयों में से, जिन पर कर लगाया जाता है, ही क्यों न हो। एक व्यक्ति पर इन परिस्थितियों में कर का दायित्व निम्न प्रकार है—

(१) **संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य**—संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय में से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि उसके हाथों में करमुक्त है चाहे परिवार ने अपनी आय पर कर न चुकाया हो। यह प्रावधान परिवर्तित सम्पत्ति (Converted Property) से होने वाली आय पर लागू नहीं होता है। लेकिन यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय में उसकी अपनी आय भी सम्मिलित है तो इस आय पर उसके हाथों में एक व्यक्ति की भाँति कर लगेगा।

(२) **अपंजीकृत फर्म के लाभ का भाग**—अपंजीकृत फर्म के साझीदार को फर्म के लाभ में अपने हिस्से पर, यदि कर फर्म के ऊपर लगाया जा चुका है, कर नहीं देना पड़ता है। किन्तु आय-कर की दर निकालने के लिए लाभ के भाग की यह राशि उस साझीदार की कुल आय में अवश्य जोड़ी जायगी। यदि **फर्म की कुल आय पर करयोग्य सीमा से कम आय होने के कारण कर नहीं लगता है तो प्रत्येक साझीदार को अपने-अपने लाभ के भाग पर आय-कर देना पड़ेगा।**

(३) **पंजीकृत फर्म के लाभ का भाग**—एक पंजीकृत फर्म को, यदि फर्म की कुल आय १०,००० रु० से अधिक है, स्वयं अपनी कुल आय पर आय-कर चुकाना

पड़ता है, फिर भी ऐसी फर्म के साझेदार को फर्म से लाभ के भाग पर अन्य आय के साथ कर देना होगा परन्तु उसे फर्म द्वारा चुकाये गये आय-कर में उसके भाग की राशि पर आय-कर की औसत दर से छूट पाने का अधिकार है।

(४) **अन्य जन-प्रमण्डल के लाभ का भाग**—करदायित्व के दृष्टिकोण से किसी अन्य जन-प्रमण्डल के सदस्य की भी वही स्थिति है जोकि एक अपंजीकृत फर्म के साझेदार की है।

(५) **कम्पनी के अंशधारी के रूप में**—एक कम्पनी के लाभ पर पृथक् रूप से कर-निर्धारण किया जाता है क्योंकि कम्पनी अपना प्रृथक् अस्तित्व रखती है तथा यह अपने करदायित्व को पूरा करने के लिए ही कर चुकाती है, अंशधारियों के कर-दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं। एक अंशधारी को उसके द्वारा प्राप्त लाभांश पर आय-कर देना होता है तथा उसके हाथों में सम्पूर्ण लाभांश करयोग्य होता है चाहे उस लाभांश का कुछ भाग कम्पनी के हाथों में करमुक्त आय (जैसे कृषि-आय) ही क्यों न हो।

कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने से पूर्व सकल वितरित लाभांश की राशि में से उस पर देय आय-कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर लेनी होती है और इस प्रकार से काटी गई कर की राशि को प्रत्येक अंशधारी के कर-निर्धारण के समय उसके द्वारा देय आय-कर की राशि में से घटा दिया जाता है।

कुल आय में सम्मिलित होने वाली दूसरों की आय

निम्न स्थितियों में व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की आय को कर के बचाव को रोकने के लिए व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है—

(१) **आय का हस्तांतरण**—यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण किये बिना ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय को ही हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसी आय को हस्तान्तरण करने वाले की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

(२) **सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण**—यदि सम्पत्ति का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाता है कि हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति उसके स्वामित्व में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरित सम्पत्ति की आय को हस्तांतरणकर्त्ता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। यदि लाभ प्राप्तकर्त्ता अथवा हस्तांतरी के जीवन-काल में हस्तांतरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार का हस्तांतरण परिवर्तनीय नहीं माना जाता है।

(३) **जीवन-साथी की आय**—करदाता के जीवन-साथी की आय को उसकी आय में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में धारा ६४ में अग्र प्रावधान दिये गये हैं—

(i) **जीवन-साथी की साझेदार फर्म से आय**—जब व्यापार चलाने वाली [पेशे (Profession) वाली नहीं] किसी फर्म में पति-पत्नी दोनों साझेदार हैं तो उस फर्म में पत्नी की आय का भाग पति की आय के साथ जोड़ दिया जायगा। यदि पति की अन्य व्यक्तिगत आयें पत्नी की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है। किन्तु यदि पत्नी की अन्य व्यक्तिगत आयें पति की अन्य व्यक्तिगत आयों से अधिक है तो फर्म की आय में पति का भाग पत्नी की आय के साथ जोड़ा जायगा। संक्षेप में, फर्म के लाभों में पति-पत्नी का भाग दोनों में से उसी की आय में जोड़ा जायगा जिसकी अन्य व्यक्तिगत आयें अधिक हैं।

(ii) **जीवन-साथी को प्राप्त वेतन व अन्य पारिश्रमिक**—यदि किसी व्यक्ति के जीवन-साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी ऐसी संस्था, जिसमें उस व्यक्ति का **सारवानहित** है, से कोई वेतन, कमीशन, फीस या अन्य पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होता है तो उसके जीवन-साथी को प्राप्त ये राशियाँ उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ दी जायेंगी। किन्तु यदि उस व्यक्ति के जीवन-साथी को यह प्राप्तियाँ उसके तकनीकी ज्ञान या पेशे के ज्ञान के कारण होती हैं तो इन प्राप्तियों को उस व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायगा।

नोट—किसी व्यक्ति का सारवानहित निम्न दशाओं में माना जाता है—

(अ) उस व्यक्ति के पास संस्था के २०% या अधिक साधारण अंश है।

(ब) वह व्यक्ति संस्था के लाभों का २०% या अधिक पाने का अधिकारी है।

(iii) **जीवन-साथी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी को बिना पूर्ण प्रतिफल के अथवा बिना अलग-अलग रहने के प्रसंविदे के प्रतिफलस्वरूप हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आय उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ी जायगी जिसने सम्पत्ति का इस प्रकार हस्तांतरण किया है।

यदि जीवन-साथी ने ये सम्पत्ति किसी व्यापार में विनियोजित कर दी है तो उस व्यापार से जीवन-साथी को इस सम्पत्ति के कारण प्राप्त लाभ भी हस्तांतरण करने वाले की कुल आय में जोड़ा जायगा।

पत्नी से अभिप्राय वैधानिक पत्नी से है और उनमें पति और पत्नी का सम्बन्ध न केवल आय प्राप्ति के समय बल्कि सम्पत्ति के हस्तांतरण के समय भी अस्तित्व में होना चाहिए।

(४) **अवयस्क का साझेदारी के लाभों में सम्मिलित होना**—यदि किसी अवस्यक को साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो फर्म की आय में उस अवयस्क का भाग या तो उसके पिता की या उसकी माता की आय के साथ जोड़ दी जायगी। अवयस्क की आय माता-पिता में से उसकी आय में जोड़ी जायगी जिसकी कुल आय फर्म की आय में अवयस्क के भाग को छोड़कर अधिक है। यदि एक बार अवयस्क की आय किसी एक (माता या पिता) की आय में जोड़ दी जाती है तो बाद में भी वह आय उसी आय में जोड़ी जाती रहेगी। अर्थात् यदि एक बार अवयस्क का फर्म की आय में भाग पिता की कुल आय में जोड़ दिया जाता है तो फिर सदैव पिता की आय में ही जोड़ा जायगा। यदि आय-कर अधिकारी यह चाहता है कि अवयस्क की आय दूसरे (माता) की आय में जोड़ी जाय तो वह उस दूसरे (माता) को अपनी इस इच्छा की सूचना देगा व इतना समय देगा कि आय-कर अधिकारी उसके विचार सुन सके।

(५) **अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—एक व्यक्ति की कुल आय में उसके द्वारा अपने नाबालिग बच्चे (विवाहित पुत्री नहीं) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई सम्पत्ति की आय (पूँजी लाभों सहित) भी सम्मिलित की जाती है, यदि यह हस्तांतरण पूरे प्रतिफल के लिए न हो।

(६) **पुत्र के अवयस्क बच्चे को अथवा पुत्र की पत्नी को हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—यदि कोई व्यक्ति १-६-१९७३ के उपरान्त अपनी कोई सम्पत्ति अपने लड़के के अवयस्क बच्चे को अथवा लड़के की पत्नी को बिना पूर्ण प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है तो उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय हस्तांतरणकर्त्ता की कुल आय में जोड़ दी जायगी।

(७) **जीवन-साथी व अवयस्क के लाभ के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियाँ**—उस समस्त आय को भी उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है जोकि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को हस्तांतरित की गई ऐसी सम्पत्तियों से प्राप्त होती है जोकि उसके जीवन-साथी, नाबालिग बच्चे (विवाहित पुत्री नहीं) अथवा दोनों के वर्तमान अथवा भावी हितों के लिए हो।

(८) **परिवर्तित सम्पत्ति से आय**—जब एक व्यक्ति ३१ दिसम्बर, १९६९ के बाद किसी भी समय अपनी सम्पत्ति का हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में, जिसका कि वह सदस्य है, परिवर्तन करता है, तो इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय होगी उसमें उस व्यक्ति का जितना हिस्सा संयुक्त परिवार की उस सम्पत्ति में है, उस हिस्से तक की आय उसकी स्वयं की आय मानी जायगी, परिवार की नहीं

इसके आगे इस परिवर्तित सम्पत्ति से जो आय होगी उसमें उस व्यक्ति के जीवन-साथी (पति/पत्नी) और अवयस्क बच्चे का जितना हिस्सा संयुक्त परिवार की उस सम्पत्ति में है, उस हिस्से तक की आय उसकी पत्नी/पति और अवयस्क बच्चे की आय मानी जायगी। जो सम्पत्तियाँ उस व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी अथवा अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित की हैं उनकी आय उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य होगी।

मृत्यु की स्थिति में कर निर्धारण (Assessment in Case of Death)

एक मृतक व्यक्ति की आय का कर-निर्धारण उसके कानूनी प्रतिनिधि अथवा निस्तारक के द्वारा किया जाना है। मृतक व्यक्ति का कर-निर्धारण करते समय केवल उसकी मृत्यु के समय तक की आय को ही ध्यान में रखा जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद होने वाली आय का कर-निर्धारण तो उसके उत्तराधिकारियों (Heirs) पर किया जाना होता है।

उदाहरण १—१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष की एक व्यक्ति की आय निम्न है—

	रु०
(अ) व्यापारिक लाभ (जिसमें से १२,००० रु० विश्वविद्यालय को दिये गये दान व २,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम के घटा दिये हैं)।	२४,०००
(ब) एक अन-रजिस्टर्ड फर्म में आधा भाग जिसमें वह कार्य-शील साझेदार था।	४,०००
(स) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	४,०००
(द) लाभांश (सकल)	३,५००

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी करयोग्य आय ज्ञात कीजिए और बताइए कि वह कितनी राशि पर आय-कर की छूट (Rebate) पाने का अधिकारी है ?

The income of an individual for the previous year ended 31st March 1977 consisted of the following:

(*a*) Business profits (after setting off Rs. 12,000 paid as donation to a University and Rs. 2,000 as life insurance premium) Rs. 24,000.

(*b*) One-half share from an unregistered firm in which he was not an active partner Rs. 4,000.

(*c*) Interest on tax-free government securities Rs. 4,000.

(*d*) Dividends Rs. 3,500 gross.

Compute his total income for the assessment year 1977-78 and state the amount on which he is entitled to a rebate of income-tax.

Solution

Statement of Total Income

			Rs.
1.	Interest on tax-free government securities		4,000
2.	Business profits :		
	Own business (Rs. 24,000 + Rs. 12,000 + Rs. 2,000)		38,000
	Share Income from an unregistered firm		4,000
3.	Other Sources : Dividends (Gross)		3,500
	Gross Total Income		49,500
	Deductions :		
	For insurance premium of Rs. 2,000	2,000	
	For donation : 50% of Rs. 3,650 (being qualifying amount as calculated below)	1,825	
	Dividend U/S 80L (Maximum)	3,000	6,825
	Total Income		42,675
	Rounded Off		42,680

Qualifying amount of donation :

Gross Total Income		49,500
Less Tax-free interest	4,000	
Share income from unregistered firm	4,000	
Deduction for premium	2,000	
Deduction for dividend	3,000	13,000
Reduced gross Total Income		36,500
10% Thereof		3,650

Note :

1. Rs. 4,000 tax-free interest on government securities is entitled to rebate of income-tax at the average rate or at 27·5%, whichever is less.

2. Share income of Rs 4,000 from unregistered firm is entitled to rebate of income-tax at the average rate.

उदाहरण २—एक निवासी व्यक्ति की आयें ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न हैं—

(अ) वेतन ८०० रु० प्रति माह।

(ब) उसने ७२० रु० प्रॉविडेण्ट फण्ड (Provident Fund Act, 1925 द्वारा संचालित) में अंशदान किया। उसके नियोक्ता ने भी उतना ही अंशदान किया। गत वर्ष के लिए प्रॉविडेण्ट फण्ड पर ब्याज की राशि ५८० रु० थी।

(स) वह दो मकानों का स्वामी है जिसमें से एक (जो १ अक्टूबर, १९७१ को निर्मित हुआ) १४० रु० प्रति माह किराये पर उठाया हुआ है तथा दूसरा (जिसका वार्षिक मूल्य ८५० रु० है) उसने स्वयं के निवास के लिए रखा हुआ है। उसने प्रथम व द्वितीय मकानों के सम्बन्ध में क्रमशः १५० रु० एवं २१० रु० भूमि भवन कर चुकाया। दोनों मकानों पर क्रमशः २०० रु० व १५० रु० स्थानीय कर के लगते हैं।

(द) उसने सरकारी प्रतिभूतियों पर २५० रु० सकल ब्याज के प्राप्त किये तथा १,४८० रु० (सकल) एक भारतीय कम्पनी से लाभांश प्राप्त किया।

उसने अपना बीमा कराया हुआ है जिस पर वह २,३५० रु० प्रीमियम का भुगतान करता है। उसकी जीवन बीमा पालिसियाँ २५,००० रु० की हैं।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसकी आय ज्ञात कीजिये।

The following are the particulars of the income of a resident individual for the previous year ending on 31st March 1977 :

(*a*) Salary Rs. 800 per month.

(*b*) He contributed Rs. 720 to a provident fund (governed by the provident Fund Act, 1925), his employer contributing an equal amount. Interest on his provident fund account for the year amounted to Rs. 580.

(*c*) He owns two houses, one of which (constructed on 1st October 1971) is let at Rs. 140 per month and the other (whose annual value is Rs. 850) is occupied by him for his own residence. He pays Rs. 150 per year as ground rent in respect of the first house and Rs. 210 per year in respect of the second. The two houses are subject to local taxes of Rs. 200 and Rs. 150 per year respectively.

(*d*) He received Rs. 250 gross interest from government securities and Rs. 1,480 (gross) as dividend from an Indian company.

He is insured and pays annual premium of Rs. 2,350 on his life policies for Rs. 25,000.

Ascertain his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income

		Rs.
1.	Salary (after standard deduction of Rs. 1,920)	7,680
2.	Interest on government securities	250

3. Income from house property :				
Annual value of house let		1.680		
Less Local taxes		200		
		1,480		
Less Statutory allowance		1,200		
Annual value in this case		280		
Less 1/6 for repairs	46			
Ground rent	150	196	84	
Annual value of house occupied		850		
Less Local taxes		150		
		700		
Less Statutory allowance		350		
Annual value in this case		350		
Less 1/6 for repairs	58			
Ground rent	210	268	82	166
4. Income from other sources :				
Dividend (gross)				1,480
Gross Total Income				9,576
Deductions :				
For life Premium & P. F. contribution 10% of Q. A. *i. e.* Rs. 2,873			2,873	
U/S80L For interest on securities & Dividend		1,730	1,730	4,603
Total Income				4,973
Rounded Off				4,980

Notes :

1. Rs. 350 being the annual value of self-occupied house is less than 10% of Rs. 10,814 being the total income without including the income from such property and before making any deductions for provident fund contribution etc.

2. Qualifying Amount is as follows—
P. F. Contribution Rs. 720
Life Premium Rs. 2,350 restricted to 30% of G.T.I. *i. e.* Rs. 2,873.

उदाहरण ३—एक निवासी व्यक्ति की ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की आयों का ब्यौरा अग्र है—

(१) वर्ष के प्रथम ६ माह का वेतन ३०० रु० प्रति माह की दर से। वह इसका १०% अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान करता है।
(२) १-१०-१९७६ को उसकी नौकरी से छटनी कर दी गयी। उस तिथि को उसने निम्न राशियाँ प्राप्त कीं—
(अ) प्रॉविडेण्ट फण्ड खाते का शेष १०,००० रु० (जिसमें ४,००० रु० उसका स्वयं का अंशदान व १,००० रु० उस पर ब्याज सम्मिलित है)।
(ब) छटनी क्षतिपूर्ति ५,००० रु०।
(३) १-२-१९७७ से उसने २५० रु० प्रति माह की दूसरी नौकरी प्राप्त की।
(४) वर्ष के दौरान उसने निम्न प्राप्तियाँ कीं—

	रु०
(*i*) समयावधि बीमा पालिसी से	१०,०००
(*ii*) भारतीय कम्पनी से लाभांश (नकद)	२,५००
(*iii*) डाकघर बचत खाते पर ब्याज	१००
(*iv*) संचालक फीस	५००
(*v*) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा	२,०००
(*vi*) आगरा जिले में स्थित कृषि भूमि से किराया	३५०
नेपाल में स्थित कृषि भूमि से किराया	१,०००
(*vii*) अन-रजिस्टर्ड फर्म के लाभों में १/३ भाग	५,०००

(५) उसने स्टर्लिंग प्रतिभूतियों पर ५,००० रु० का ब्याज अर्जित किया जिसका आधा भाग उसने भारत में प्राप्त किया तथा शेष भाग लन्दन में पुनः विनियोजित कर दिया।
(६) उसने अपनी जीवन बीमा पालिसियों पर ५,००० रु० प्रीमियम के चुकाये।

उसकी कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की कुल आय ज्ञात कीजिए। यदि वह असाधारण निवासी हो तो इसकी कुल आय क्या होगी?

The details of the income of a resident individual for the year ended 31st March 1977 are given below:

1. Salary Rs. 300 per month for the first six months of the year, 10% of which he contributed to an unrecognised provident fund maintained by his employer.
2. On 1-10-1976 he was retrenched and on that date he received (*i*) the balance of his provident fund Rs. 10,000 (which included Rs. 4,000 his own contribution and Rs. 1,000 interest thereon) and (*ii*) Rs. 5,000 by way of retrenchment compensation.

3. From 1-2-1976 he secured another job on Rs. 250 per month.
4. He received during the year :
   (*i*) Rs. 10,000 the amount of an endowment insurance policy.
   (*ii*) Rs. 2,500 an dividend (gross) from an Indian company.
   (*iii*) Rs. 100 interest from the post office savings bank account.
   (*iv*) Rs. 500 as director's fees.
   (*v*) Rs. 2,000 as his share from the income of a Hindu undivided family.
   (*vi*) Rs. 350 as rent from his agricultural land in Agra District and Rs. 1,000 as rent from his agricultural land in Nepal.
   (*vii*) Rs. 5,000 as one-third share of profits from an unregistered firm.
5. He earned Rs. 5,000 interest from his sterling securities, one-half of which was received in India and the balance was reinvested in London.
6. He paid Rs. 5,000 as premium on his life policies.

Compute his total income for the assessment year 1977-78. What would be his total income if he was not-ordinarily resident in India ?

Solution

			Rs.
1.	Salary income :		
	Salary from former employer	1,800	
	Balance of unrecognised provident fund (less his own contributions and interest thereon)	5,000	
	Salary from present employer	1,000	
		7,800	
	Less Standard deduction for expenditure	1,560	6,240
2.	Business income : Share from unregistered firm		5,000
3.	Other sources :		
	Dividend from an Indian company	2,500	
	Director's fees	500	
	Rent from agricultural land in Napal	1,000	
	Interest on sterling securities	5,000	
	Interest on his own contributions to unrecognised provident fund	1,000	10,000
	Gross Total Income		21,240

Deductions :

In respect of insurance premium (Rs. 5,000) :			
100 % of First Rs. 4,000	4,000		
50 % of Rs. 1,000	500	4,500	
In respect of dividend		2,500	7,000
Total Income			14,240

Notes :

1. The assessee is entitled to a rebate of income-tax at the average rate on Rs. 5,000 share income from an unregistered firm.

2. Rent received from agricultural land in Nepal is not agricultural income as the land is not in India.

3. If the assessee were not ordinarily resident in India. Rs. 2,500 (being interest on sterling securities reinvested in London would not be included in his total income.

4. Retrenchment compensation is except from tax up to @ Rs. 20,000 or the amount calculated according to the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 whichever is less).

उदाहरण ४—जोन्स (ब्रिटिश नागरिक) देहली की एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी में प्रबन्ध संचालक नियुक्त किया गया। उसने १ अप्रैल, १६७६ को अपने पद का भार सम्हाला। उसने कम्पनी के साथ पाँच वर्ष की सेवा का प्रसंविदा किया। ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसने निम्न सूचनायें प्रेषित की है—

(अ) कम्पनी से प्राप्त वेतन ६०,००० रु० ।

(ब) लन्दन में देय ग्रेच्युटी जो स्टर्लिंग में चुकायी जायगी। देहली कम्पनी के साथ हुए प्रसंविदे के अधीन वह कम्पनी से ३,००० रु० प्रति वर्ष ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी है जो यूनाइटेड किंगडम में चुकाई जायगी।

(स) आसाम की एक चाय कम्पनी से लाभांश २०,००० रु० । यह कम्पनी इंगलैण्ड में रजिस्टर्ड हुई है तथा वहीं पर लाभांश घोषित करती है। यह लाभांश इंगलैण्ड में ही एकत्रित किया गया तथा वहीं पर एक बैंक में जमा कर दिया गया।

(द) अप्रैल, १६७७ में उसने एक भारतीय कम्पनी से ७,५०० रु० का लाभांश प्राप्त किया जिसकी घोषणा ५ मार्च, १६७७ को कर दी थी।

कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए उसकी करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

Jones (a British national) was appointed as the managing director of a limited company in Delhi. He jointed his post on 1st April 1976 to serve the company on a contract for five years. He has furnished the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 1977 :

(*a*) Salary received from the company Rs. 60,000.

(*b*) Gratuity payable in the U.K. in sterling. Under his contract with the Delhi company, in addition to salary, he is entitled to an annual gratuity of Rs. 3,000 payable in the U. K.

(*c*) Rs. 20,000 dividend from a tea company in Assam registered in the U.K. and declaring dividends there. The dividend was collected in London and was credited to his bank account there.

(*d*) Rs. 7,500 dividend from an Indian company received in April 1977 which was however declared on 5th March 1977.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

Solution

Mr. Jones is the Not-Ordinary resident in India.

			Rs.
1.	Salary including gratuity	63,000	
	Less Standard deduction	3,500	59,500
2.	Other sources :		
	Dividend from an Indian company (assumed to be gross)		7,500
	Gross Total Income		67,000
	Deduction U S 80 L on account of dividend		3,000
	Total Income		64,000

Notes :

1. The gratuity payable in the U.K. is income arising in India as it is paid for service rendered in India.

2. The dividend of Rs. 20,000 from a tea company in Assam registered in U. K. is income arising outside India. It is, therefore, not taxable in the hads of the assessee who is not-ordinary resident in India.

उदाहरण ५—एक व्यक्ति नें ३१ मार्च, १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में अग्र सूचनायें दी जो सही पायी गयीं—

(अ) उसे अग्र कटौतियों के बाद १४,००० रु० का शुद्ध वेतन प्राप्त हुआ—

(*i*) मकान किराया १,२०० रु०; (*ii*) आय-कर १,४३५ रु०; और (*iii*) प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में चन्दा १,२०० रु० ।
नियोक्ता ने भी प्रॉविडेण्ट फण्ड में १,२०० रु० का चन्दा दिया। उसके प्रॉविडेण्ट फण्ड खाते में ६% प्रति वर्ष की दर से ४०० रु० ब्याज का जमा किया गया।

(ब) वर्ष में उसने निम्न आयें प्राप्त कीं— रु०

(*i*) बैंक के स्थाई जमा पर ब्याज	५००
(*ii*) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश	१,०००
(*iii*) भारतीय कम्पनी से लाभांश	१,०००
(*iv*) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	१,०००

उसके पास एक स्कूटर है जिसको वह सेवा कार्य के लिए प्रयुक्त करता है। उसने २०,००० रु० की पालिसियों पर २,५०० रु० जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया।

करदाता की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

For the previous year ended 31st March 1977 an individual gave the following informations which were found to be correct :

(*a*) He received a net salary of Rs. 14,000 after deduction of : (*i*) house rent Rs. 1,200 ; (*ii*) income-tax Rs. 1,435 ; and (*iii*) contribution to a recognised provident fund Rs. 1,200. The employer also contributed Rs. 1,200 to his provident fund. Interest at 6 , p. a. credited to his provident fund account amounted to Rs. 400.

(*b*) He received during the year :

(*i*) Rs 500 interest on fixed deposit with a bank.
(*ii*) Rs. 1,000 dividend from the Unit Trust of India.
(*iii*) Rs. 1,000 dividend from an Indian company.
(*iv*) Rs. 1,000 interest from government securities.

He owns a scooter which he uses for the purpose of his employment. He paid life insurance premium of Rs. 2,500 on a policy on his life for Rs. 20,000.

Compute the total income of the assessee for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income

			Rs.
1.	Salary after adding back house rent, income-tax and provident fund contribution	17,835	
	Less Standard deduction	2,784	15,051

2.	Interest on securities		1,000
3.	Income from other sources :		
	Interest on bank deposit	500	
	Dividend from Unit Trust of India	1,000	
	Dividend from an Indian Company	1,000	2,500
	Gross Total Income		18,551
Deductions :			
	For P. F. contribution (Rs. 1,200) and Insurance Premium (Rs. 2,000) : Full	3,200	
	U/S 80L for interest and dividends (Rs. 3,000 as increased by Rs. 500 for dividend from U.T.I.	3,500	6,700
	Total Income		11,851
	Rounded Off		11,850

Notes :

1. Interest and dividends are assumed to be gross.

2. The employer's contribution to recognised P. F. Rs. 1,200 being less than 10% of the employee's salary and interest on provident fund account being 6% p. a. (*i. e.* below 7·5% p. a. and 1/3 of salary) are not to be included in the total income.

उदाहरण ६—पी०, एक सरकारी कर्मचारी, ने अपने नक्शे में कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए निम्न सूचनायें दीं—

(अ) वेतन ३६,००० रु०

(ब) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) ३,००० रु०

(स) मकान सम्पत्ति (वार्षिक मूल्य) ६,००० रु०

(द) लाभांश (सकल) १०,५०० रु०

उसने निम्न दावे प्रस्तुत किये—

(*i*) प्रॉविडेण्ट फण्ड में अंशदान ६,००० रु० और अपनी पत्नी के जीवन बीमा पर चुकाया गया प्रीमियम ५,००० रु०।

(*ii*) ६०० रु० की पुस्तकें खरीदीं जो उसके कर्तव्यपालन के लिए आवश्यक थीं।

मकान में वह स्वयं रहता है। यह १९४८ में बनवाया गया है। इस पर देय नगरपालिका कर १,२०० रु० थे।

करदाता ने अपने नक्शे में ६,००० रु० मनोरंजन भत्ते के, जो उसने सरकार से प्राप्त किया, नहीं दिखाये थे क्योंकि वह इसको करमुक्त मानता था।

पी० की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

P, a Government employee, showed the following figures in this return of income for the assessment year 1977-78.

(*a*) Salary Rs. 36,000.

(*b*) Interest on government securities (gross) Rs. 3,000.

(*c*) House property (annual value) Rs. 6,000.

(*d*) Dividends gross Rs. 10,500.

The following claims are made :

(*i*) Rs. 6,000 contribution to provident fund and Rs. 5,000 life insurance premium on a policy of the life of his wife.

(*ii*) Purchase of books costing Rs. 600 which was necessary for his duties.

The house is self-occupied. It was constructed in 1948, municipal taxes paid being Rs. 1,200.

The assessee has not shown in the return Rs. 6,000 entertainment allowance received from Government, claiming it to be exempt.

Compute the total income of P for the assessment year 1977-78.

Solution

				Rs.
1.	Salary :			
	Salary as such		36,000	
	Entertainment allowance		6,000	
			42,000	
	Less Standard deduction (Max.)	3,500		
	Entertainment allowance	5,000	8,500	33,500
2.	Interest on securities (gross) :			3,000
3.	Income from house property :			
	Annual value of residential house		6,000	
	Less Municipal taxes		1,200	
			4,800	
	Less Allowance for self-occupation		1,800	
	Annual value in this case		3,000	
	Less One-sixth for repairs		500	2,500
4.	Income from other Sources :			
	Dividend (gross)			10,500
		Gross Total Income		49,500

Deductions :

In respect of Rs. 11,000 provident fund contribution and insurance premium :

100 % of First Rs. 4,000	4,000		
50% of Rs. 6,000	3,000		
40% of Rs. 1,000	400	7,400	
In respect of interest on government securities and dividend (Maximum)		3,000	10.400
Total Income			39,100

Note : The contribution to Government provident fund is less than one-fifth of P's salary, and the amounts of such contribution and insurance premium taken together are less than 30% of gross total income of Rs. 49,500 or Rs. 20,000 whichever is less Therefore, the qualifying amount is Rs. 11,000.

उदाहरण ७—श्री के० जी० घोष एक व्यापारिक कार्यालय में १,००० रु० प्रति माह पर नौकर हैं। उनके पास ३०,००० रुपये की ५% करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। उनके पास एक बड़ा मकान भी है, जिसका नगरपालिका मूल्य १,२०० रुपये है। इन्होंने मकान के आधे भाग को ७५ रुपये प्रति माह के हिसाब से किराये पर उठा रखा है तथा शेष आधे भाग में वह स्वयं रहते हैं। अपनी लड़की की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए मकान को बन्धक पर रख दिया गया है, बन्धक पर देय ब्याज ४०० रुपये प्रति वर्ष है तथा मकान के सम्बन्ध में दिये गये स्थानीय कर २०० रुपये थे।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए आप श्री घोष की करयोग्य आय की गणना कीजिये। (*Agra, B. Com., 1968*)

Sri K. G. Ghosh is employed in a business office at Rs. 1,000 p. m. He owns Rs. 30,000, 5% tax-free govt. securities. He owns a big house, the municipal valuation of which is Rs. 1,200. He has let out one-half of the house at Rs. 75 p. m. and the remaining half is occupied by him for his own residence. The house has been given on mortgage to meet the cost of his daughter's marriage. The interest on mortgage amounted to Rs. 400 p. a. and the local taxes paid in respect of the house amounted to Rs. 200.

Find out taxable income of Mr. Ghosh for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income

Income from Salary :		Rs.	Rs.
Salary for the year		12,000	
Less : Statutory deduction :			
(*i*) 20% of first 10,000	2,000		
(*ii*) 10% of next 2,000	2,00	2,200	9,800

Income from Interest on Securities :		
Interest on (Tax-free) Govt. Securities		1,500
Income from House Property :		
Rent received of 1/2 portion being let out	900	
Less 1/2 of the Municipal taxes	100	
Annual Value	800	
Municipal value of the residential portion	900	
Less 1/2 of the Municipal taxes	100	
Annual Value	800	
Less Statutory allowance for self occupation (1/2 of A. V. or Rs. 1,800 whichever is less)	400	
Net Annual Value	400	
Annual value of the whole house (800 + 400)	1,200	
Less : Deduction allowed— 1/6th for Repairs	200	1,000
Gross Total Income		12,300
Deductions :		
U/s 80 L interest on securities		1,500
Tatal Income		10,800

Note : Interest on mortgage will not be allowed as deduction from house property as the loan has not been taken for repairing, constructing of house. It has been taken for some personal purpose. Hence it is disallowed.

उदाहरण ८—श्री सी० के० टाटा एक्स-वाई कम्पनी लि० के कार्यकारी संचालक थे, जिसका प्रधान कार्यालय कानपुर में तथा शाखायें बम्बई एवं कलकत्ता में हैं। उनकी सेवा का अनुबन्ध १-४-१९७३ से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष के लिए था। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उसने निम्न विवरण प्रस्तुत किया—

	रु०
(i) वेतन ३,००० प्रति माह	३६,०००
(ii) यात्रा भत्ता ३०० रु० प्रति माह	३,६००
(iii) बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता २०० रु० प्रति माह	२,४००
(iv) बिजली व्यय, जिसकी कम्पनी ने पूर्ति की	१,२००
	४३,२००

घटाया—		रु०	
(अ)	उनकी कार को रखने तथा टूट-फूट का व्यय, जिसका प्रयोग कार्यालय के उद्देश्य से होता है	२,०००	
(ब)	कम्पनी के ग्राहकों के लिए किया गया मनोरंजन व्यय	२,०००	
(स)	गान्धी राष्ट्रीय स्मारक कोष में दान	१,०००	५,०००
			३८,२००

इस बारे में निम्नलिखित विवरण प्राप्त हैं—

(*i*) कम्पनी के भवन के आधे भाग में मिस्टर टाटा रहते हैं। भवन का वार्षिक किराया २४,००० रु० है।

(*ii*) स्वीकृत प्रॉविडेण्ट फण्ड में उन्होंने ६,००० रु० अंशदान दिया तथा ४०,००० रु० की एक पॉलिसी पर उन्होंने कुल ५,००० रु० प्रीमियम दिया।

(*iii*) मार्च १९७७ में उसने ६,००० रु० अग्रिम वेतन लिया।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए उनकी करयोग्य आय की गणना कीजिए। **(पंजाब, बी० काम०, १९७४)**

Mr. C. K. Tata was the executive director of XY Co. Ltd., a company having its head office at Kanpur and branches at Bombay and Calcutta. His contract of employment was for a period of three years from 1-4-1973. For the assessment year 1977-78 he submitted the following return :

			Rs.
(*i*)	Salary @ Rs. 3,000 p. m.		36,000
(*ii*)	Conveyance allowance @ Rs. 300 p. m.		3,600
(*iii*)	Education allowance for children @ 200 p. m.		2,400
(*iv*)	Cost of electricity reimbursed by the Company		1,200
			43,200
Less:			
(*a*)	Maintenance and wear and tear of his car used for his official purposes	2,000	
(*b*)	Entertainment expenditure incurred on the customers	2,000	

(c) Donation to Gandhi National Memorial Fund	1,000	5,000
		38,200

The following particulars are available on record :

(i) Mr. Tata has kept in his occupation free of rent half portion of the company's permises. Annual rent of the building is Rs. 24,000.

(ii) He has contributed Rs. 6,000 to a Recognised Provident Fund and has paid premiums amounting to Rs. 5,000 on a policy of Rs. 40,000.

(iii) He took an advance salary of Rs. 9,000 in March 1977.

Compute his taxable income for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income of Mr. C. K. Tata

	Rs.	Rs.
Salary @ Rs. 3,000 p. m.		36,000
Excess conveyance allowance (3,600—2,000)		1,600
Education allowance for children		2,400
Value of rent-free accommodation : (Fair value being ½ of 24,000 = 12,000)		
10% of salary (36,000 + 1,600 + 2,400)	4,000	
Add Excess over 20% of salary	4,000	8,000
Cost of electricity		1,200
Advance salary		9,000
Gross Salary		58,200
Less Standard deduction restricted to Rs. 1,000 as he is getting conveyance allowance		1,000
Net Salary being G. T. I.		57,200
Less Deduction u/s 80C for P. F. etc.		
100% on 1st 4,000	4,000	
50% on next 6,000	3,000	7,000
Total Income		50,200

(Qualifying Amount)

Contribution to R. P. F.	6,000

	Rs.
Life insurance premium restricted to 10% of amount insured	4,000
	10,000

Note : Donation to Gandhi Memorial Fund is not qualified for deduction as it is not an approved fund.

उदाहरण ९—निम्न सूचना से श्री Y की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए कुल आय निकालिए :

(*i*) १,५०० रु० प्रति माह की दर से वेतन ।

(*ii*) वह अपने वेतन का १२% एक प्रमाणित भविष्य निधि में योगदान करता है जिसमें उसका नियोक्ता उतना ही अंशदान करता है ।

(*iii*) ९% प्रतिवर्ष की दर से भविष्य निधि में जमा की गई ब्याज १,२०० रु० ।

(*iv*) लाभांश (सकल) ६,००० रु० ।

(*v*) भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूनिटों से आय ५,००० रु०

(*vi*) चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम ४,००० रु०

(*vii*) उसने एक ऐसी धर्मार्थ संस्था को २,००० रु० का दान दिया जिस पर धारा ८० G लागू होती है ।

From the following information compute the total income of Mr. Y for the assessment year 1977-78.

(*i*) Salary at Rs. 1,500 per month.

(*ii*) He contributes 12% of his salary to a recognised provident fund to which employer contributes an equal amount.

(*iii*) Interest credited to the provident fund at 9% per annum, Rs. 1,200.

(*iv*) Dividends (Gross) Rs. 6,000.

(*v*) Income from Units of Unit Trust of India, Rs. 5,000

(*vi*) Life Insurance premium paid Rs. 4.000.

(*vii*) He paid Rs. 2,000 as donation to a charitable institution to which section 80 G applies.

Solution

Statement of Total Income of Mr. Y

Income from Salary :	Rs.
Salary @ Rs. 1,500 p. m.	18,000
Employer's contribution to R. P. F. in excess of 10% of salary	360

Interest deposited to P. F. in excess of 7·5%	200
Gross Salary	18560
Less	
Standard Deduction : 20% of first Rs. 10,000=Rs. 2,000 10% of Rest Rs. 8,560=Rs. 856	2,856
	15,704
Income from other sources : Dividends (Gross) Rs. 6,000 Dividends for Units Rs. 5,000	11,000
Gross Total Income	26,704
Deductions	
On respect of Life Premium & P. F. 100% of first Rs. 4,000=Rs. 4,000 50% of the Rest Rs. 2,160=Rs. 1,080 U/S 80L in respect of Dividends Rs.=5,000 50% of the qualifying Donations calculated as blow : 831	10,911
Total Income	15,793

Notes :

1. *Qualifying Amount* :

Employers Contribution to P. F.	2,160
Life premium paid	4,000
This does not exceed 30% of G. T. I.	6,160

2. *Qualifying Donations* :
10% of G.T.I. (after deduction of Rs. 10,080) *i. e.* 10% of Rs. 16,624 being Rs. 1,662 only,

उदाहरण १०—३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में आर० बी० एस० कालिज आगरा के प्रोफेसर अग्रवाल की आयों का निम्न विवरण है—

(*i*) वेतन १३०० रु० प्रतिमाह। इसमें से ८% भविष्य निधि के लिए चन्दा कट जाता है। कालिज १२% का अंशदान करता है।

(*ii*) किराये से मुक्त मकान जिसका वार्षिक किराया १२०० रु० है।

(*iii*) प्रोक्टर भत्ता ६०० रु० प्रति वर्ष।

(*iv*) खेल-कूद इन्चार्ज भत्ता ६०० रु० प्रति वर्ष
(*v*) ५% कर मुक्त सरकारी ऋण-पत्रों पर ब्याज ५०० रु०
(*vi*) मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया २,४०० रु०
(*vii*) परीक्षक के रूप में कार्य करने का पारिश्रमिक १,००० रु०
(*viii*) पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी ६,००० रु०
(*ix*) डाकघर बचत बैंक में जमा पर ब्याज ५०० रु०
(*x*) प्रीमियम प्राईज बॉड से प्राप्ति १,००० रु०

उसने अपने ५०,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर ७,००० रु० प्रीमियम का दिया। प्रोफेसर अग्रवाल की कुल आय की गणना कीजिए।

Following is the statement of incomes of Prof. Agrawal of R. B. S. College, Agra for the year ending on 31st March 1977.

(*i*) Salary Rs. 1,300 p. m. 8% of it is being contributed to provident fund. The College contributes 12%.
(*ii*) Rent free house annual rent being Rs. 1,200
(*iii*) Proctor's Allowance Rs. 900 p. a.
(*iv*) Games Incharge Allowance 600 p. a.
(*v*) Interest on 5% Tax free Govt. Debentures 500 Rs.
(*vi*) Rent received from house property 2,800 ,,
(*vii*) Remuneration as examinership 1,000 ,,
(*viii*) Royalty from Books 4,000 ,,
(*ix*) Interest on Post Office Saving Bank A/c 500 ,,
(x) Receipt from Premium Prize Bond 1,000 ,,

He paid Rs. 7,000 as premium on a policy of Rs. 50,000. Compute Prof. Agrawal's total income.

Solution

Statement of Total Income of Prof. Agrawal

Income from Salary :

	Rs.	Rs.
Salary @ Rs. 1300 P. M.	15,600	
Proctors Allowance	900	
Games Incharge Allowance	600	
Value of rent free house being fair rent	1,200	
Gross Salary	18,300	
Less :		
Standard Deduction :		
20% of Rs. 10,000=Rs. 2000		
10% of Rs. 1,300=Rs. 180	2,830	15,470

		Rs.
Interest On Securities :		
50% Taxfree Govt. Debentures		500
Income from House Property :		
Rent from House Property	2,400	
Less 1/6 for Repairs	400	2,000
Income from Other Sources :		
Examinership	1,000	
Royalty	6,000	7,000
Gross Total Income		24,970
Deductions :		
In respect of Life Premium etc.		
100% of first Rs. 4,000 of Q. A.=Rs. 4,000		
50% of next Rs. 2,248 of Q. A.=Rs. 1,124		
U/S 80L Interest on Securities =Rs. 500		5,624
Total Income		19,346
Rounded off		19,350
Qualifying Amount :		
Employee's Contribution to P. F.=Rs. 1,248		
Life Insurance Premium (restricted to 10% of Policy amount)		5,000
This does not exceed the Prescribed limit of 30% of G.T.I. or Rs. 20,000 (whichever is less)		6,208

Notes :

1. No part of Employer's Contribution to P. F. will be added to salary as the provident fund in question is Statutory P. F.
2. Interest on post office Savings Deposite and receipts from Premium Prize Bonds are totally exempted Incomes. Hence these have not been added to total Income.

उदाहरण ११—३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री एक्स की निम्न आयें हैं :

	रु०
(*i*) व्यापार के लाभ	५०,०००
(*ii*) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पूँजी लाभ	१२,०००
(*iii*) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पूँजी सम्पत्तियों	

(भूमि तथा भवनों से सम्बन्धित नहीं) के सम्बन्ध में पूँजी लाभ — रु० १,८००

(*iv*) दिल्ली राज्य लाटरी से विजित राशियाँ — १,००,०००

१९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक्स की कुल आय की गणना कीजिए।

Mr. X has the following incomes for the previous year ended 31st March, 1977 :

(*i*) Business profits Rs. 50,000.

(*ii*) Capital Gains in respect of short-terms capital assets Rs. 12,000.

(*iii*) Capital Gains in respect of capital assets other than short term capital assets (not pertaining to land and Building) Rs. 18,000 : and

(*iv*) Winnings from Delhi state Lottery Rs. 1,00,000.

Compute Mr. X's total income for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income of Mr. X

			Rs.
Income from Business :			50,000
Capital Gains:			
Short term Capital Gains	Rs. 12,000		
Long term Capital Gains	Rs. 18,000		30,000
Income from Other Sources :			
Winnings for Lottery			1,00,000
Gross Total Income			1,80,000
Deductions :			
In respect of Long term Capital Gains :			
100% of first Rs. 5,000	=Rs. 5,000		
40% of Rest Rs. 13,000	=Rs. 5,200	10,200	
In respect of Lottery :			
First Rs. 5,000 full	=Rs. 5,000		
Rest Rs. 95,000 50%	=Rs. 47,500	52,500	62,700
Taxable Income			1,17,300

उदाहरण १२—डॉ० गुप्ता आर० बी० एस० कालिज आगरा में प्रवक्ता है। इनकी ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्न है—

१. वेतन—१,२०० रु० प्रतिमाह

२. मँहगाई भत्ता वेतन का ४०% जिसका आधा भाग 'अतिरिक्त उपलब्धियों की अनिवार्य जमा योजना, में जमा हो जाता है।

३. वैधानिक भविष्य निधि में डॉ० गुप्ता अपने वेतन का ८% अंशदान करते हैं। कालिज का अंशदान भी इतना ही है।

४. भविष्य विधि खाते पर १०½% की दर से १,०५० रु० ब्याज का जमा हुआ।

५. डॉ० गुप्ता को २,००० रु० रॉयल्टी व ५०० रु० विश्वविद्यालय से 'शोष पर्यवेक्षक' भत्ता प्राप्त हुआ।

६. डॉ० गुप्ता को एक कम्पनी के अंशों पर १,५४० रु० एवं सहकारी समिति से १,५०० रु० लाभांश के प्राप्त हुए।

७. डॉ० गुप्ता एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं जिसमे उनको ५,००० रु० प्राप्त हुए।

८. हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में डॉ० गुप्ता का भाग २,००० रु० है।

६. उन्होंने २५,००० रु० की जीवन बीमा पालिसी पर ३,३०० रु० का प्रीमियम दिया।

१०. उन्होंने २,५०० रु० मकान का किराया दिया।

उपरोक्त विवरण से डॉ० गुप्ता की कर-निर्धारण वर्ष १६७७-७८ के लिए कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Dr. Gupta is a lecturer in R. B. S. College, Agra. Particulars of his incomes for the year ended on 31st March, 1977 are as follows—

1. Salary—Rs. 1,200 p. m.
2. Dearness Allowance—40% of salary, Half of it is deposited under 'Additional Emoluments Compulsory deposit Act;
3. Dr. Gupta Contributes 8% of his salary to statutory P. F. College contributes an equal amount.
4. Interest deposited in P. F. a/c @ 10% of is Rs. 1,050.
5. Dr. Gupta received Rs. 2,000 as royalty and Rs. 500 as allowance for his being a research supervisor from the University.
6. Gupta received Rs. 1,540 and Rs. 1,500 as dividends on shares of a Company and cooperative society respectively.
7. Dr. Gupta is partner in a registered firm. His share in the

8. He also received Rs. 2,000 as his share in Income of Joint Hindu Family.
9. He paid Rs. 3,300 as premium on a policy of Rs. 25,000.
10. He also paid Rs. 2,500 as rent of house.

From the above particulars Compute the total income of Dr. Gupta for the assessment year 1977-78.

Solution

Statement of Total Income of Dr. Gupta

		Rs.	Rs.
Income from Salary :			
Salary		14,400	
Dearness Allowance		5,760	
		20,160	
Less Deposit under Additional Emoluments Compulsory Deposit Act		2,880	
Gross Salary		17,280	
Less Standard Deduction			
20% of First Rs. 10,000	=2,000		
10% of Rest Rs. 7,280	= 728	2,728	14.552
Profits and Gains of Business :			
Share of Registered Firm			5,000
Income from Other Sousre :			
Royalty		2,000	
Research Supervisor Allowance		500	
Dividend (Gross) from a company		2,000	
Dividend from cooperative Society		1,500	6,000
Gross Total Income			25,552
Deductions			
100% of Q. A.		3,652	
U/S 80 GG for rent paid		610	
U/S 80L for Dividends		3,000	7,262
			18,290
Qualfying Amount			
Employee's Contribution to P. F.			1,152

Life premium (restricted to 10% of Policy Amount)	2,500
This does not exceed 30% of G.T.I.	3,652

Notes :

1. Dividend received from a company has been grossed up as below :

$$\frac{1540 \times 100}{77} = 2{,}000$$

2. Dividend from Cooperative Society has been received without deduction at source. Hence it is gross Interest.
3. Share in Hindu undivided Family is totally exempted.
4. Deduction U/S 80 GG in respect of rent paid is allowed when the rent paid exceeds 10% of Total Income. In this case rent paid exceed 10% of Total Income, Hence deduction will be allowed as below :

   Total Income = (Total Income—All the deduction except this one)
   = 25,552—6652 (3652 – 3000)
   = 1890 10%

5. Amount Deposited under Additional Emoluments Compulsory Deposit Act, will be deducted from salary.

   deduction—rent paid—10% of total Income This should not exceed 15% of Total Income or Rs. 300 (whichever is less)
   = 2500—1890
   = 610 This does not exceed the above prescribed limit.

प्रश्न

१. एक व्यक्ति का कर-निर्धारण आप कैसे करेंगे ? संक्षिप्त विवरण दीजिए।

How you will assess an individual ? Describe in brief.

२. एक व्यक्ति की कुल आय में अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आयें कौन-सी हैं ? समझाइए।

What incomes of other persons are included in the total income of an assessee individual ? Elucidate.

३. ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विशाखापटनम के एक कम्पनी के अफसर ने निम्न विवरण दिया। आप उसकी आय के विवरण की गणना कीजिए :

१. वेतन १,६०० रु० प्रतिमाह; दो माह की वेतन का बोनस।

२. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में उसका अंशदान वेतन का ८%, कम्पनी ६% अंशदान करती है।

३. ७½% प्रतिवर्ष की दर से वर्ष में २,५७५ रु० ब्याज प्रॉविडेण्ट फण्ड में जमा किया।

४. उसे ३०० रु० मासिक कम्पनी से मनोरंजन भत्ता मिलता है जो वह दावा करता है कि उसे पूर्ण खर्च करना पड़ता है। उसे भत्ता १ अप्रैल, १९६५ से २०० रु० प्रति माह मिलता था।

५. उसे किराये से मुक्त एक रहने का असुसज्जित मकान मिला हुआ है जिसका उचित वार्षिक मूल्य ४,८०० रु० है।

६. वह जीवन-बीमा इस प्रकार देता है—अपने जीवन पर ली गई १५,००० रु० की पालिसी पर १,६०० रु०; तथा अपने वयस्क पुत्र के जीवन पर २०,००० रु० की पालिसी पर ८५० रु०।

७. वह १०० रु० प्रति माह डाकखाने के १० वर्षीय जमा खाते में अंशदान करता है।

८. उसे निम्न आयें भी प्राप्त होती हैं।

	रु०
भारतीय कम्पनियों से लाभांश (शुद्ध)	१,५४०
अनुसूचित बैंकों में स्थाई जमा पर ब्याज	१,८००
भारतीय यूनिट ट्रस्टों से लाभांश	२,६००

The following particulars are furnished to you by a company official at Visakhapatnam in regard to the year ended 31st March, 1977. You are to compute his return of income :

1. Salary Rs. 1,600 per month, Bonus two month's salary.
2. Contribution to Recognised Provident Fund, 8% of salary, the company contributing 6%.
3. Interest credited to provident fund at $7\frac{1}{2}$% per annum amounted to Rs. 1,575 during the year.
4. He is in receipt of entertainment allowance from the company at Rs. 300 p. m. which he claims he has to spend in its entirety. He was allowed such an allowance at Rs. 200 per month from 1st April, 1965.
5. He is provided with a rent-free unfurnished accommodation, the fair annual value of which is Rs. 4,800.
6. He pays life insurance-on own life Rs. 1,600 on a policy of Rs. 15,000 and on his major son's life Rs. 850 on a policy of Rs. 20,000.
7. He contributes Rs. 100 per month to a post-office Ten-Years Time Deposit.
8. He derives the following incomes from :

	Rs.
Dividend from Indian companies (Net)	1,540
Interest on fixed Deposit with scheduled Banks	1,800
Dividend from Unit Trust of India.	2,600

Ans.
Taxable salary Rs. 25,100 :
G. T. I. Rs. 31,500 :
Total Income Rs. 21,960.

२. मि० 'अ' जो भारत के निवासी हैं, ३१ मार्च १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं :—

१. वेतन २,००० रु० मासिक; मँहगाई भत्ता ५०० रु० मासिक; बोनस ५,००० रु० ।
२. इनको २० हा० पा० की एक कार कम्पनी द्वारा दी गई है जिसका प्रयोग मि० 'अ' एकमात्र अपने लिए करते हैं तथा इसके लिए उन्हें कुछ भी देना नहीं पड़ता है । कम्पनी द्वारा कार का चालक भी दिया गया है ।
३. कम्पनी द्वारा किराये से मुक्त मकान की व्यवस्था की गई है । मकान का किराया ३०० रु० मासिक है जो कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है ।
४. मि० 'अ' वर्ष में दो माह की छुट्टी पर रहे व कर्निल विश्वविद्यालय के वाणिज्य स्कूल में व्याख्यान दिये जिससे उनको १०,००० रु० पारिश्रमिक के प्राप्त हुए ।
५. मि० 'अ' को चाय बागान से निम्न आय प्राप्त हुई—
   (अ) आसाम की अनरजिस्टर्ड फर्म में $\frac{1}{3}$ भाग; फर्म की कुल आय ४५,००० रु० ।
   (ब) श्री लंका में १०,००० रु० ।
६. लाभांश (सकल) की प्राप्ति इस प्रकार हुई—
   (अ) यूनिट ट्रस्ट से ३,००० रु०,
   (ब) सहकारी समिति से १,००० रु०,
   (स) अन्य कम्पनियों से २,५०० रु० ।
७. 'अ, अपने वेतन का १०% प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान देते हैं तथा कम्पनी का अंशदान भी इतना ही है । इस पर ९% की दर से ब्याज प्राप्त करता है । ब्याज की राशि ५०० रु० है ।
८. 'अ' ने ५०,००० रु० की बीमा पालिसी पर ५,००० रु० जीवन बीमा प्रीमियम दिया ।

'अ' के करयोग्य आय की गणना कीजिए ।

Ans. Taxable Income Rs. 59,200, G.T.I. Rs. 74,900

१८

फर्मों का कर-निर्धारण

(*Assessment of Firms*)

'फर्म', 'साझीदार' तथा 'साझेदारी' का वही अर्थ है जोकि भारतीय साझेदारी अधिनियम, १६३२ में क्रमशः लिया जाता है। केवल एक अन्तर यह है कि ऐसा नावालिग व्यक्ति, जोकि साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, भी फर्म का साझीदार ही माना जाता है।

साझेदारी प्रसंविदे से उदय होती है न कि स्थिति (Status) से। इसलिए एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य जोकि परिवार का व्यापार चला रहे हों, व्यापार में साझेदार नहीं हैं। यह बात दूसरी है कि एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य परिवार के व्यापार को बाँट लें तथा वाद में व्यापार को साझेदारों के रूप में चलायें।

करारोपण के उद्देश्य के लिए एक फर्म पंजीकृत अथवा अपंजीकृत हो सकती है। पंजीकृत फर्म से अर्थ ऐसी फर्म से है जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा एक अपंजीकृत फर्म एक ऐसी फर्म है जोकि पंजीकृत फर्म नहीं है।

फर्म का पंजीकरण

(Registration of Firm)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत फर्म का पंजीकरण भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा भारतीय साझेदारी अधिनियम में पंजीकरण से भिन्न है।

एक पंजीकृत फर्म को यह सुविधा दी गई है कि इस पर एक अपंजीकृत फर्म से कम दर पर कर-निर्धारण होता है। यदि एक फर्म इस लाभ को प्राप्त करना चाहती है तो इसे पंजीकरण के सम्बन्ध में कानून की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक फर्म को पंजीकृत कराने के लिए धारा १८४ के अन्तर्गत अग्र आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी—

(अ) यदि (*i*) साझेदारी एक प्रलेख के अनुसार बनी है तथा (*ii*) साझीदारों के भाग उस प्रलेख में स्पष्ट रूप में लिखे हैं, तो फर्म के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र आय-कर अधिकारी को दिया जा सकता है।

(ब) ऐसा प्रार्थना-पत्र फर्म के जीवन काल में अथवा इसकी समाप्ति पर दिया जा सकता है।

(स) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित फार्म पर होना चाहिए तथा अवयस्क को छोड़कर शेष सभी साझीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए फर्म को पंजीकृत कराना है, उस गत वर्ष की समाप्ति से पहले साझेदारी प्रलेख एवं उसकी एक प्रति सहित प्रस्तुत करना चाहिए।

पंजीकरण का तरीका (Procedure for Grand of Registration)—धारा १८५ के अन्तर्गत फर्म के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर आय-कर अधिकारी फर्म के औचित्य (Genuineness) तथा इसके संगठन (Constitution) पर पूछताछ करेगा और (*i*) यदि वह सन्तुष्ट है तो वह कर-निर्धारण वर्ष के लिए लिखित में पंजीकरण का आदेश दे देगा अथवा (*ii*) यदि वह सन्तुष्ट नहीं है तो वह फर्म के पंजीकरण को मना करते हुए लिखित में आदेश दे देगा।

यदि एक फर्म का कोई एक साझेदार किसी बाहरी व्यक्ति का अप्रकट बेनामीदार है और किसी एक या अधिक साझेदारों को इस तथ्य की जानकारी है और उस जानकार साझेदारों में से किसी ने भी आय-कर अधिकारी को यह जानकारी प्रस्तावित विधि में नहीं दी है तो ऐसी फर्म को एक आदर्श फर्म नहीं माना जायगा।

आय-कर अधिकारी पंजीकरण की प्रार्थना को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता क्योंकि प्रार्थना-पत्र ठीक तरह से नहीं है, बल्कि उसे इस कमी की सूचना फर्म को देनी होगी तथा ऐसी सूचना के १ माह के अन्दर इस गलती को सुधारने का फर्म को अवसर देना होगा। यदि यह गलती इस समय में न सुधार ली जाय, तो आय-कर अधिकारी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक फर्म पंजीकृत हो जाती है, तो आय-कर अधिकारी उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए फर्म पंजीकृत हुई है, फर्म के साझीदार प्रलेख पर यह प्रमाणित कर देगा कि फर्म उस वर्ष के लिए पंजीकृत हो गई है।

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म द्वारा ऐसी चूक हो गई है जिससे कर-निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया हो तो आय-कर अधिकारी उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकृत करने से मना कर सकता है।

पंजीकरण का प्रभाव (Effect of Registration)—जब फर्म का किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए पंजीकृत स्वीकार किया जाता है, तो अगले हर कर-निर्धारण वर्ष पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यदि—

(अ) फर्म के संगठन अथवा साझीदारों के भागों में कोई परिवर्तन नहीं है; तथा

(ब) फर्म उस कर-निर्धारण वर्ष में आय के नक्शे के लिए दिये गये समय के व्यतीत होने से पूर्व (चाहे यह समय प्रारम्भ से ही नियत है अथवा बढ़ाया गया है), यदि एक प्रस्तावित फार्म पर निर्धारित किये गये ढंग से उस आशय का घोषण-पत्र देती है।

यदि गत वर्ष में ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो फर्म को उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए नये पंजीकरण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

पंजीकरण को समाप्त करना (Cancellation of Registration)—यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म को पंजीकृत कर दिया गया है तो उस वर्ष के लिए पंजीकरण को निम्न स्थितियों में आय-कर अधिकारी रद्द कर सकता है—

(अ) जहाँ पर आय-कर अधिकारी के दृष्टिकोण से पंजीकृत कोई फर्म गत वर्ष में अस्तित्व में नहीं है, अथवा

(ब) जहाँ पर फर्म से ऐसी कोई चूक हुई है जिसके कारण सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण हो सकता है।

फर्म की कुल आय का निर्धारण

(Computation of Firm's Total Income)

फर्म साझेदारों से पृथक एक इकाई मानी जाती है। अतः फर्म आय-कर अधिनियम में अलग से करदाता मानी जाती है। फर्म की **कुल आय ज्ञात करने के लिए ठीक वही विधि व प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो व्यापार अथवा पेशे के कर-योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए ज्ञात की जाती है अर्थात्**—

(अ) फर्म के लाभ-हानि खाते के शेष को उसी प्रकार समायोजित करेंगे, जैसा कि 'व्यापार पेशे के लाभ' शीर्षक में समझाया गया है।

(ब) तदुपरान्त उसमें फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया वेतन, बोनस, ब्याज, कमीशन, अथवा अन्य कोई पारिश्रमिक जोड़ दिया जायगा।

इस प्रकार से ज्ञात राशि ही फर्म की कुल आय होगी।

साझेदार के भाग का निर्धारण

(Computation of a Partner's Share)

फर्म के लाभ व हानि में साझेदारों का भाग निकालने का तरीका अग्रलिखित है—

(१) सर्वप्रथम साझेदारों को फर्म से प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन व अन्य पारिश्रमिक आदि को प्रत्येक साझेदार की आय में पृथक्-पृथक् जोड़ दो।

(२) तदुपरान्त **फर्म के लाभ-हानि में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा** ज्ञात करके प्रत्येक के हिस्से को उनकी आय में जोड़ दो। फर्म के लाभ-हानि में मिलने वाले प्रत्येक साझेदार के हिस्से को फर्म से उसे प्राप्त वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन आदि में जोड़ देने पर जो राशि आयेगी, वही प्रत्येक साझेदार की फर्म के लाभ में भाग होगा। **फर्म के लाभ-हानि में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा निम्न प्रकार से ज्ञात** किया जाता है—

(अ) उपरोक्त प्रकार से ज्ञात फर्म की कुल **आय में से फर्म द्वारा साझेदारों को देय वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन व अन्य पारिश्रमिक की राशि घटा दो।**

(ब) यदि फर्म पंजीकृत है अथवा ऐसी अपंजीकृत है जिसका पंजीकृत की भाँति कर-निर्धारण हुआ है, तो **फर्म द्वारा अपनी कुल आय पर देय आय-कर की राशि भी घटा दो।**

(स) शेष बची राशि को फर्म के समस्त साझेदारों में उनके **लाभ-हानि के अनुपात में वितरित कर दो।**

इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार को प्राप्त कुल भाग, लाभ-हानि में हिस्सा + वेतन, ब्याज, बोनस आदि ही एक साझेदार का फर्म की आय में भाग होगा।

नोट—फर्म की अथवा साझेदारों की कुल आय, आय के विभिन्न मदों के अनुसार की जानी चाहिए। आय के विभिन्न मदों द्वारा आय की गणना न करने की आदत आय-कर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ठीक नहीं समझी जाती।

एक साझेदार को फर्म से प्राप्त आय के हिस्से में से मिलने वाली कटौतियाँ—एक साझेदार फर्म के लाभ में अपने हिस्से में से उन खर्चों के सम्बन्ध में कटौती पाने का अधिकारी है जो उसने पूर्णतया अपने हिस्से के लाभ को कमाने के उद्देश्य से किये हैं। धारा ६७ (३) के अनुसार किसी साझेदार द्वारा फर्म में विनियोग करने के उद्देश्य से उधार ली गई पूँजी पर चुकाये गये ब्याज को उसकी फर्म से प्राप्त आय के सम्बन्ध में उसकी आय की गणना करने के लिए घटाया जायगा।

उदाहरण १—'अ', 'ब', 'स' एक फर्म में साझेदार हैं और २ : २ : १ के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष का फर्म का लाभ-हानि खाता अग्रलिखित है—

		रु०		रु०
विविधि व्यापारिक व्यय		५०,०००	सकल लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर ब्याज :	अ	३,०००	प्रतिभूतियों पर	
	ब	२,०००	ब्याज	५,०००
	स	१,०००		
वेतन	ब	६,०००		
कमीशन	स	३,०००		
शुद्ध लाभ		८५,०००		
		१,५०,०००		१,५०,०००

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए और इसको तीनों साझेदारों में विभाजित कीजिए।

A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportions of 2, 2 and 1 respectively. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st December 1976 is as under.

		Rs.		Rs.
Sundry Trade Expenses		50,000	Gross Profit	1,45,000
Interest on Capital :	A	3,000	Interest on Securities	5,000
	B	2,000		
	C	1,000		
Salary to	B	6,000		
Commission to	C	3,000		
Net Profit		85,000		
		1,50,000		1,50,000

Compute the Total income of the firm and allocate it amongst the three partners.

Solution

Computation of firm's total income :

			Rs.	
1.	Business Profits :			
	Net Profit as per Profit & Loss Account		85,000	
	Add Expenditure disallowed :			
	Interest on capital	6,000		
	Partner's Salary	6,000		
	Partner's Commission	3,000	15,000	
			1,00,000	
	Less Interest on securities not being business profits		5,000	95,000

2. Interest on securities gross	5,000
Firm's Total Income	1,00,000

	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.
Interest on capital	3,000	2,000	1,000
Salary	—	6,000	—
Commission	—	—	3,000
Balance of business income 2, 2 and 1	32,000	32,000	16,000
Income from business	35,000	40,000	20,000
Interest on securities gross	2,000	2,000	1,000
	37,000	42,000	21,000

उदाहरण २—'अ', 'व', और 'म' एक फर्म में वरावर के साझेदार है। ३१ दिसम्बर, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष का उनका लाभ-हानि खाता निम्न है—

		रु०		रु०
सामान्य व्यय		१५,०००	सकल लाभ	१,१०,०००
विज्ञापन व्यय		१०,०००	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	१०,०००
पूंजी पर ब्याज :	अ	३,०००	ऋण-पत्रों पर ब्याज (सकल)	६,०००
	व	३,०००	सम्पत्ति का किराया प्राप्त किया	१२,०००
	म	३,०००	लाभाश कम्पनी के अंशों पर (सकल)	४,०००
वेतन	स	२,०००	लाभांश यूनिटों पर (सकल)	२,०००
कमीशन	म	१,०००		
बोनस	अ	२,०००		
	व	२,५००		
	म	५००		
नगरपालिका कर		१,२००		
ह्रास		२,५००		
संचय (डूवत ऋण)		१,५००		
संचय (आय-कर)		१०,०००		
शाखा कार्यालय का किराया 'अ' को दिया		१,०००		
कार व्यय		१,०००		
'सकी पुत्री की शादी पर 'व' को फर्म द्वारा सहायता		२,०००		

शुद्ध लाभ :

अ	२७,६००			
ब	२७,६००			
स	२७,६००			
		८२,८००		
		१,४४,०००		१,४४,०००

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा इसको साझेदारों में विभाजित कीजिए।

A, B and C are partners to a firm sharing profits and losses in equal rates. The profit & loss a/c of the firm for the year ending 31st December 1976 is as follows :

	Rs.		Rs.
General Expenses	15,000	By Gross Profit	1,10,000
Advance Expenses	10,000	" Interest on Government Securities (Gross)	10,000
Interest on Capital A	3,000		
B	3,000	" Interest on Debentures (Gross)	5,000
C	3,000		
Salary to C	2,000	" Rent from Property received	12,000
Commission to C	1,000		
Bonus A	2,000	"Dividend on Co. Shares (Gross)	4,000
B	2,500		
C	500	" Dividend on Units (Gross)	2,000
Municipal Tax	1,200		
Depreciation	2,500		
Reserve (Bad Debts)	1,500		
Reserve (Income-Tax)	10,000		
Rent of Branch Office paid to A	1,000		
Car Expences	1,000		
Financial help by firm to B on his dughter's marriage	2 000		
Net Profit A 27,600			
B 27,600			
C 27,600	82,800		
	1,44,000		1,44,000

Compute the total income of the firm and allocate it among the three partner's.

Solution

Computation of Firm's Business Income

			Rs.
	Business Profits as per P & L a/c		82,800
Add	Expenditures disallowed :		
	Interest on Capital	9,000	
	Salary of partner	2,000	
	Commission to Partner	1,000	
	Bonus to Partner	5,000	
	Municipal Taxes	1,200	
	Reserves	11,500	
	Financial help to a Partner	2,000	31,700
			1,14,500
Less	Incomes for other heads :		
	Interest on securities (Gross		
	Government securities	10,000	
	Debentures	6,000	
	Rent from property	12,000	
	Dividends on :		
	Company's Shares (Gross)	4,000	
	Units	2,000	34,000
	Taxable Business Profits of firm		80,500

Firm's Total Income

			Rs.
1.	*Interest on Securities* :		
	Interest on Govt. Securities	10,000	
	Interest on Debentures	6,000	16,000
2.	*Income from House Property* :		
	Rent from property	12,000	
	Less Municipal taxes	1,200	
	Annual value	10,800	
	Deduct :		
	1/6 for Repairs	1,800	9,000
3.	*Income from Business or Profession* :		
	Firm's Business Income as above		80,500
4.	*Income from Other Sources* :		
	Dividends from Company	4,000	
	Dividend from Units	2,000	6,000
	Taxable Income of Firm		1,11,500

its Allocation Among Partners

		A Rs.	B Rs.	C Rs.
1.	Interest on Securities	5,333	5,333	5,334
2.	Income from House Property	3,000	3,000	3,000
3.	Income from Business or Profession	25,500	28,000	27,000
4.	Income from Other Sources	2,000	2,000	2,000
		35,833	38,333	37,334

Allocation of Business Income Among Partners has been done as Follows

	A	B	C
Interest on Capital	3,000	3,000	3,000
Salary	—	—	2,000
Commission	—	—	1,000
Bonus	2,000	2,500	500
Receipt at Marriage	—	2,000	—
Balance of Business Income in equal ratio *i. e.* 80,500—19,000=61,500/3	20,500	20,500	20,500
	25,500	28,000	27,000

उदाहरण ३—R, S और T एक फर्म में २ : २ : १ के साझेदार हैं। ये तीनों साझेदार फर्म से क्रमशः २,००० , ४,००० एवं ३,००० रु० ब्याज तथा ४,०००, ६,००० एवं २,००० रु० बोनस और २,००० रु० प्रत्येक कमीशन का प्राप्त करते हैं। ३१ मार्च १६७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म ने आय-कर अधिकारी के सम्मुख अपना नक्शा दाखिल किया जिसमें फर्म ने १०,००० रु० की हानि (आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निकाली गई) प्रदर्शित की। आय-कर अधिकारी ने फर्म के नक्शे को मान लिया। बताइए कि आप फर्म के साझेदारों में वितरित किस प्रकार करेंगे।

R, S and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 2 : 1. All the partners drew Rs. 2,000, 4,000 and 3,000 respectively as interest on capital and Rs. 4,000, 6,000 and 2,000 as Bonus and Rs. 2,000 each a commission. The firm filed its return for the year ending 31st March, 1977 before the Income-Tax Officer and showed a loss of Rs. 1000 (Calculated according to Income-Tax Act provision) which was accepted by Income-Tax Officer. State how you will allocate it among the partners ?

Solution

As the firm shows a net loss of Rs. 10,000. It means that interest on Capital, Bonus and Commission paid to partners have not been debited to

firm's P & L a/c. Before allocating the firms net profit or loss the firm's net loss will be increased by the amount of Capital. Interest, Bonus and Commission etc. in the following manner :

		Rs.	Rs.
Firm's net loss			10,000
Interest on Capital	R.	2,000	
	S.	4,000	
	T.	3,000	9,000
Bonus	R.	4,000	
	S.	6,000	
	T.	2,000	12,000
Commission	R.	2,000	
	S.	2,000	
	T.	2,000	6,000
Firms total loss after charging the above			37,000

Allocation Among Partners

	R Rs.	S Rs.	T Rs.
Interest on capital	2,000	4,000	3,000
Bonus	4,000	6,000	2,000
Commission	2,000	2,000	2,000
Share in firm's loss (3 : 2 : 1)	—14,800	—14,800	—7,400
Net Share of Firms Loss	—6,800	—2,800	—400

पंजीकृत फर्मों का कर-निर्धारण

(Assessment of Registered Firms)

आय-कर की दरें

एक पंजीकृत फर्म को अपनी आय पर कर तभी देना होता है जबकि फर्म की आय १०,००० रु० से अधिक हो। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए जिन दरों से आयकर देना होता है, वे निम्न हैं—

(१) ऐसी पंजीकृत फर्मों की स्थिति में जिनकी व्यवसाय से आय कुल आय के ५१% से कम न हो, आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं। व्यवसाय से तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, वकील, इन्जीनियर व डाक्टर इत्यादि पेशों से है।

First Rs. 10,000 of total income	Nil
Next Rs. 15,000 of total income	4%

Next Rs. 25,000 of total income	7%
Next Rs. 50,000 of total income	13%
Balance of total income	22%

The income-tax at the above rates is to be increased by a surcharge of 10% thereof.

(२) **अव्यावसायिक फर्मों की स्थिति में आय-कर की दरें निम्न प्रकार हैं—**

First Rs. 10,000 of total income	Nil
Next Rs. 15,000 of total income	5%
Next Rs. 25,000 of total income	7%
Next Rs. 50,000 of total income	15%
Balance of total income	24%

The income-tax of the above rates is to be increased by a surcharge of 10% thereof.

कर-निर्धारण (Assessment)

धारा १८२ के अन्तर्गत तक पंजीकृत फर्म की कुल आय को निर्धारित करने के पश्चात् फर्म द्वारा दिये जाने वाली कर की राशि की गणना की जाती है तथा ऐसी फर्म की आय में हर साझीदार के भाग को उसकी (साझेदार की) कुल आय में सम्मिलित करके उस पर कर लगाया जाता है।

यदि साझीदार का ऐसा भाग हानि है, तो उसे अन्य आय से पूरा किया जायगा अथवा उसे आगे ले जाया जायगा। इस तरीके को पिछले एक अध्याय 'कुल आय की गणना' में समझाया गया है।

जब एक रजिस्टर्ड फर्म का कोई साझीदार अनिवासी (Non-resident) है तो फर्म की आय में से उसको देय भाग पर फर्म को कर देना होता है, लेकिन दर वे ही लागू होती हैं जोकि यदि उस (साझेदार) पर वैयक्तिक रूप से कर लगता, तब लागू होतीं।

एक पंजीकृत फर्म को यह अधिकार प्राप्त है कि वह साझीदार द्वारा कर के भुगतान की जमानत के रूप में प्रत्येक साझीदार के भाग की आय का ३०% भाग रोक ले। यदि साझीदार अपना कर नहीं चुका सकता है तो इस तरह रोकी गई राशि में से लगने वाली कर की राशि तक सरकार को चुकाना होगा। इस नियम से कठिनाई भी दूर होगी तथा साथ ही साझेदार द्वारा कर के तुरन्त भुगतान को भी सुलभ बनाया जायगा।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, एक पंजीकृत फर्म या अपंजीकृत फर्म (जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह होता है) का साझेदार अपनी उस आय पर जिस पर फर्म ने आय-कर दिया है, आय-कर में से कटौती पाने का अधिकारी है।

लाभों का गलत विभाजन (Wrong Distribution of Profits)

जब एक पंजीकृत फर्म के लाभों को साझेदारी के प्रलेख में दिखलाये गये

साझेदारों के भाग के अतिरिक्त अन्य प्रकार से साझेदारों को बाँटे गये हों तथा किसी साझेदार ने उसी कारण से अपनी आय का नक्शा अपनी वास्तविक आय से कम का प्रस्तुत किया हो तो ऐसे साझेदार पर आय-कर या अपैलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर पैनल्टी लगा सकता है तथा इस कारण से और कोई साझेदार किसी वापसी अथवा अन्य समायोजन की माँग नहीं कर सकता है।

उदाहरण ४—एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की पंजीकृत फर्म में अ और ब दो साझेदार हैं जो १ : २ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए फर्म की कुल आय निम्न प्रकार निकाली गई है—

		रु०	रु०
मकान सम्पत्ति से आय			५०,०००
पेशे की आय		१,००,०००	
जोड़ो : 'अ' का वेतन	१२,०००		
'ब' का ब्याज	१८,०००	३०,०००	१,३०,०००
			१,८०,०००

फर्म द्वारा देय आय-कर की राशि ज्ञात कीजिए तथा फर्म की आय में साझेदारों का हिस्सा भी ज्ञात कीजिए।

A Registered firm of chartered accountants has two partners A and B sharing profits and losses in the proportion of 1 : 2. The total income of the firm for the assessment year 1977-78 has been computed as below :

			Rs.
House property			50.000
Profession		1,00,000	
Add A's salary	12,000		
B's interest	18,000	30,000	1,30,000
			1,80,000

Work out the amount of income-tax payable by the firm and the shares of partner in the income of the firm.

Solution

(a) *Income-tax payable by the firm* :

	Rs.
On first Rs. 10,000	—
On next Rs. 15,000 at 4%	600
On next Rs. 25,000 at 7%	1.750
On next Rs. 50,000 at 13%	6.500
On balance of Rs. 80,000 at 22%	17.600

		26,450
10% surcharge		2,645
	Tax Payable by the firm	29,095

(b) *Share Income of partners* :

	A Rs.	B Rs.
Salary	12,000	—
Interest		18,000
Balance of business income before Tax (1 : 2)	33,333	66,667
	45,333	84,667
Less Share of firm's tax	9,698	19,397
Income from business	35,635	65,270
Income from house property	16,667	33,333
Share Income from Firm	52,302	98,603

उदाहरण ५—कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८। ३० जून, १९७६ को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष। प्रकाशक की पंजीकृत फर्म में तीन साझेदार 'अ', 'ब' और 'स' हैं जो २ : २ : १ के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। फर्म की व्यापार से कुल आय निम्न को ध्यान में रखने के बाद १,००,००० निर्धारित की गई। 'अ' को देय वेतन १५,००० रु०, 'ब' को देय ब्याज ६,००० रु०, 'स' को देय कमीशन ९,००० रु०।

फर्म द्वारा देय आय-कर की गणना कीजिए तथा प्रत्येक साझेदार का आय में भाग निकालिए।

Assessment year 1977-78. Accounting year ended 30th June 1976. A registered firm of publishers consists of three partners A, B and C who share profits in the ratio of 2 : 2 : 1. The firm's total income from business is assessed at Rs. 1,00,000 after considering the following : Salary paid to A Rs. 15,000 ; interest paid to B Rs. 6,000 ; commission paid to C Rs. 9,000.

Calculate the tax payable by the firm and the share income of each partner.

Solution

Income-tax payable by the firm :

	Rs.
On the first Rs. 10,000	—
On the next Rs. 15,000 at 5%	750
On the next Rs. 25,000 at 7%	1,750

On the next Rs. 50.000 at 15%	7.500
	10,000
Add 10% surcharge	1,000
Tax Payable by the firm	11.000

Share Income of partners :

	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.
Salary	15.000	—	—
Interest	—	6.000	
Commission	—	—	9.000
Balance of business Income before tax (2: 2: 1)	28.000	28,000	14,000
	43.000	34.000	23.000
Less Share of firm's tax	43.356	4.356	2.178
Share income	38,644	29.644	20.822

Each partner's share income is business income.

अपंजीकृत फर्मों का कर-निर्धारण
(Assessment of Unregistered Firms)

एक अपंजीकृत फर्म की स्थिति में आय-कर अधिकारी या तो (*i*) फर्म पर उसकी कुल आय के आधार पर चुकाये जाने वाले कर का निर्धारण कर सकता है, अथवा (*ii*) वह अपंजीकृत फर्म का कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह कर सकता है, यदि ऐसा राज्य के लिए लाभप्रद हो।

एक अपंजीकृत फर्म की कुल आय की राशि पर एक व्यक्ति की तरह आय-कर के लिए कर-निर्धारण होता है। यदि फर्म की कुल आय करयोग्य सीमा से कम है तो फर्म द्वारा कोई कर देय नहीं होता है।

एक ऐसी अपंजीकृत फर्म (जिसका कर-निर्धारण पंजीकृत फर्म की तरह नहीं हुआ है) के साझेदार को फर्म की आय में से अपने हिस्से पर, जिस पर फर्म ने आय-कर चुका दिया है, कोई आय-कर नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यह उसकी कुल आय में दर के उद्देश्य से सम्मिलित किया जायेगा।

यदि फर्म की कुल आय करयोग्य सीमा से कम है, अथवा फर्म आय-कर नहीं दे पाती है, तो फर्म की आय में से साझेदार के भाग पर उनके हाथों में कर लगाया जाता है।

धारा १८३ (b)—यदि आय-कर अधिकारी यह पाता है कि फर्म द्वा देय कर, यदि उसका एक पंजीकृत फर्म की तरह उसके साझेदारों द्वारा व्यक्तिग रूप से देय कर को फर्म द्वारा देय कर में सम्मिलित करते हुए कर-निर्धारण किये जा पर कर की कुल राशि से उसका अपंजीकृत फर्म की तरह उसके साझेदारों द्वार व्यक्तिगत रूप से देय कर को एवं फर्म द्वारा देयकर को सम्मिलित करते हुए कर निर्धारण किये जाने पर देय कर की कुल राशि पंजीकृत फर्म द्वारा देय कर की कु राशि से अधिक है तो आय-कर अधिकारी उस फर्म का कर-निर्धारण एक रजिस्टड फर्म की तरह करेगा।

यदि आय-कर अधिकारी धारा १८३ (b) का तरीका अपंजीकृत फर्म प लगता है तो उसमें अपंजीकृत फर्म की स्थिति में लगने वाले निम्न नियम ला होंगे—

(अ) हानियों की पूर्ति करना एवं आगे ले जाना।

(ब) एक अनिवासी साझीदार के लिए कर-निर्धारण।

(स) साझीदार द्वारा कर भुगतान की जमानत के रूप में हर एक साझीदार का फर्म की आय के भाग से ३० प्रतिशत को रोकने का अधिकार।

यदि अपंजीकृत फर्म के साझेदारों की कुल आय, फर्म की कुल आय की अपेक्षा वहुत अधिक है तो फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपंजीकृत रहे। इसलिए धारा १८३ (b) के अन्तर्गत ऐसी कर की चोरी को रोकने के लिए नियम बनाये गये हैं।

जब किसी पंजीकृत फर्म का अथवा धारा १८३ (b) में एक अपंजीकृत फर्म का कर-निर्धारण हो, तो आय-कर अधिकारी फर्म को लिखित में एक आदेश द्वारा उस पर कर-निर्धारण की गई कुल आय की राशि की एवं विभिन्न साझीदारों में उसके विभाजन की सूचना देगा।

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना (Set-off and Carry-forward of Losses)—एक अपंजीकृत फर्म स्वयं ही अपने द्वारा उठाई गई एक आय के मद की हानि को उसी कर-निर्धारण वर्ष में दूसरे आय के मदों में अपनी आय से पूरा कर सकती है, लेकिन किसी वैयक्तिक साझीदार को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह फर्म की हानि के अपने भाग को उसी वर्ष में अपनी अन्य आय से पूरा कर सके। व्यापारिक हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के नियम लागू होंगे।

रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड फर्म में अन्तर

अंतर का आधार	रजिस्टर्ड फर्म	अनरजिस्टर्ड फर्म
१. कर मुक्त आय	रजिस्टर्ड फर्म की दशा में १०,००० रु० तक की फर्म की आय आय-कर से मुक्त है।	अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म की ८,००० रु० तक की आय कर मुक्त है।
२. आय-कर की दरें	रजिस्टर्ड फर्म की आय पर विशिष्ट दरों से कर लगाया जाता है। फर्म की आय-कर की दरें अलग से दी गई हैं, उन्हीं विशिष्ट दरों से फर्म का कर-निर्धारण होता है।	अनरजिस्टर्ड फर्म की आय पर 'एक व्यक्ति के कर-निर्धारण' पर लागू होने वाली आय-कर की दरों से कर लगाया जाता है।
३. स्थिति में परिवर्तन	रजिस्टर्ड फर्म प्रत्येक स्थिति व दशा में रजिस्टर्ड फर्म ही रहेगी। इसको कभी भी अनरजिस्टर्ड मानकर कर-निर्धारण नहीं किया जाता है।	अनरजिस्टर्ड फर्म को कभी-कभी धारा १८३ (ब) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मानकर कर-निर्धारण किया जा सकता है। यदि एक अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म मानकर आय-कर विभाग लाभान्वित हो सकता है तो उस दशा में आयकर अधिकारी उसको रजिस्टर्ड मान लेता है।
४. अग्रिम आय-कर का भुगतान	फर्म की कुल आय यदि ३०,००० रु० (पूँजी लाभों व लॉटरी के इनाम को छोड़कर) से अधिक है तो फर्म को अग्रिमकर देना अनिवार्य है।	अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म की कुल आय (पूँजी लाभ व लॉटरी के इनाम छोड़कर) १०,००० रु० से अधिक है तो अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ता है।
५. फर्म की आय में साझेदारों के भाग पर करारोपण	रजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म में साझेदारों के लाभ का भाग उनकी अन्य व्यक्तिगत आयों के साथ जोड़ दिया जाता है व उस कर साझेदारों को आय-कर देना पड़ता है।	अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म के लाभों में साझेदारों के भाग को उनकी अन्य व्यक्तिगत आयों में जोड़ दिया जाता है किन्तु बाद में उस भाग पर आय-कर की छूट प्रदान की जाती है। किन्तु यदि फर्म ने अपनी आय पर आय

		कर नहीं चुकाया है तो साझेदारों को फर्म की आय पर भी कर देना पड़ेगा और आय-कर की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
६. फर्म द्वारा देय आय-कर के सम्बन्ध में कटौती	यदि रजिस्टर्ड फर्म अपनी आय पर आय-कर देती है तो फर्म द्वारा देय मान-कर फर्म की कुल आय में से घटा दिया जाता है, और शेष आय ही साझेदारों में उनके अनुपात में विभाजित की जाती है।	अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म की कुल आय (बिना देय आय-कर काटे हुए) को साझेदारों में बांट दिया जाता है और वाद में साझेदार को इस आय के भाग पर **औसत दर से छूट दी जाती है।**
७. हानि की पूर्ति	रजिस्टर्ड फर्म को होने वाली हानि को फर्म स्वयं पूरा करने के लिए आगे नहीं ले जा सकती। फर्म की सम्पूर्ण हानि समस्त साझेदारों में विभाजित कर दी जाती है और साझेदार इस हानि को अपने अन्य किसी भी लाभ से पूरा कर सकते हैं।	अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि को फर्म की ही आय से पूरा किया जा सकता है। फर्म की हानि को फर्म के साझेदार अपनी अन्य आयों से पूरा नहीं कर सकते।
८. हानि को आगे ले जाना	फर्म की हानि को साझेदारों में वितरित कर दिया जायेगा। साझेदार इस हानि को अपनी अन्य आयों से पूरा नहीं कर पायें तो उसको अगले आठ वर्षों तक पूरा करने के लिए आगे ले जा सकते हैं। अर्थात् **हानि को साझेदार आगे ले जायेंगे**	फर्म की हानि यदि फर्म अपनी अन्य आयों से पूरी नहीं कर पाती तो फर्म इस हानि को अगले आठ वर्षों तक अपने लाभों में से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकती है। **हानि को फर्म ही आगे ले जायेगी।**

उदाहरण ६—'अ', 'ब' और 'स' एक फर्म में साझेदार हैं तथा २ : २ : १ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजन करते हैं। ३१ दिसम्बर, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न मदों को ध्यान में रखने के उपरान्त ४०,००० रु० की शुद्ध हानि दर्शाता है—

	A	B	C
	रु०	**रु०**	**रु०**
पूँजी पर व्याज	१,०००	२,०००	३,०००
वेतन	३,०००	—	—
बोनस	२,०००	२,०००	२,०००

'अ' की अन्य स्रोतों की आय १६,००० रु० थी लेकिन 'ब' और 'स' का आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

वताइये कि फर्म का व साझेदारों का कर-निर्धारण किस प्रकार किया जायगा यदि फर्म (अ) रजिस्टर्ड और (ब) अन-रजिस्टर्ड है।

A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportions of 2, 2 and 1. The firm's profit and loss account for the year ended 31st December 1976 showed a net loss of Rs.40,000 after charging the following items :

	A	B	C
	Rs.	Rs.	Rs.
Interest on capital	1,000	2,000	3,000
Salary	3,000	—	
Bonus	2,000	2,000	2,000

A's Income from other sources was Rs. 16,000 while B and C had no other source of income.

State how the assessment of the firm and of the partners will be made if the firm is (*a*) registered, and (*b*) unregistered.

Solution

		Rs.
Net loss as per Profit & Loss Account		40,000
Deduct Payments made to Partners :		
Interest on capital	6,000	
Salary	3,000	
Bonus	6,000	15,000
Loss of the firm		25,000

Share Income of partners :

	Share of firm's loss	Interest on capital	Salary	Bonus	Net result
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
A (2/5)	16,000	1,000	3,000	2,000	10,000 loss
B (2/5)	16,000	2,000	—	2,000	12,000 loss
C (1/5)	8,000	3,000	—	2,000	3,000 loss
	40,000	6,000	3,000	6,000	25,000 loss

If the firm is registered, the firm's loss will be passed on to the partners. A will be assessed on a total income of Rs. 6,000 (Rs. 16,000 his separate income minus Rs. 10,000 share of firm's loss) while B and C will not be liable to tax and their shares of loss in the firm will be carried forward.

If the firm is unregistered, no tax will be due from it, the result being a loss of Rs. 25,000. This loss cannot be passed on to the partners, but will be carried forward in the hands of the unregistered firm itself. Only partner A will be assessed on his separate income of Rs. 16,000.

उदाहरण ७—'एक्स' अ और ब दो अलग-अलग व्यापारों का स्वामी है। उसने अ व्यापार में ५०,००० रु० का लाभ कमाया तथा ब व्यापार में ८०,००० रु० की हानि उठाई। उसने एक अन-रजिस्टर्ड फर्म से ६०,००० रु० अपने लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त किये। एक्स का कर-दायित्व क्या है ?

X is the proprietor of two separate business called A and B. He made a net profit of Rs. 50,000 in business A and suffered a loss of Rs. 80,000 in business B. He also received Rs. 60,000 as his share of profit from an unregistered firm. What is the taxation liability of X ?

Solution

Statement of Total Income of X	Rs.
1. Loss from proprietory business (Rs. 50,000 minus Rs. 80,000)	−30,000
2. Share of profits from an unregistered firm which has been taxed	60,000
Total Income	30,000

As the unregistered firm has been assessed to income-tax, X is not liable to pay tax at all. He is liable to pay income-tax on the loss of Rs. 30,000. As the figure is a loss, it does not matter what the rate of tax is. The tax is nil. The rate is positive rate, but the figure to which it is applied is negative. Therefore, the tax payable is nil.

उदाहरण ८—एक फर्म, जिसमें अ और व दो साझेदार हैं, ने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३०,००० रु० की हानि उठाई जो निम्न प्रकार थी—

	रु०
व्यापारिक लाभ (अ को पूँजी पर १०,००० रु० ब्याज देने के उपरान्त)	५०,०००
मकान सम्पत्ति से हानि	८०,०००
शुद्ध हानि	३०,०००

साझेदार 'अ' की गत वर्ष में मकान सम्पत्ति से २५,००० रु० की आय थी और साझेदार 'ब', जिसकी गत वर्ष में कोई और आय नहीं थी, ने १०,००० रु० हानि का दावा प्रस्तुत किया, जिसको वह अपने व्यक्तिगत कपड़े के व्यवसाय के सम्बन्ध में गत वर्षों से आगे ला रहा था। यह व्यापार ३१ मार्च, १९७६ को बन्द कर दिया गया।

प्रत्येक साझेदार की कुल आय की गणना कीजिए। यह मानते हुए कि फर्म (अ) रजिस्टर्ड है; और (व) न तो रजिस्टर्ड है और न १८३ (b) के अन्तर्गत कर-योग्य है।

A firm having two equal partners A and B suffered a loss of Rs. 30,000 during its accounting year ended 31st March 1977 as under :

	Rs.
Business profit after allowing Rs. 10,000 as interest on capital to partner A	50,000
Loss from house property	80,000
Net Loss	30,000

Partner A had during that year an income of Rs. 25,000 from house property and partner B who had no income that year claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business which had been closed on 31st March 1976.

Compute the total income of each partner assuming the firm to be (*a*) registered, and (*b*) neither registered nor assessable under section 183 (b).

Solution

		Rs.
Firm's Profit as per profit & loss account		50,000
Add interest to partner A		10,000
		60,000
Loss from house property		80,000
	Net Loss	20,000

Allocation of firm's loss between A and B :

	A Rs.	B Rs.
Interest on Capital	10,000	—
Balance of business income	25,000	25,000
	35,000	25,000
Less Loss from house property	—40,000	—40,000
Share of Loss	—5,000	—15,000

(*a*) When the firm is registered. A can set off his share of the firm's loss (Rs. 5,000) against his property income of Rs. 25,000 and his total income will be only Rs. 20,000. B can carry forward for 8 years his share of the firm's loss (Rs. 15,000) for future set-off against his share of the profits from the same firm or against any other business profits. On the discontinuance of B's individual cloth business his right to carry forward the loss from that business died with the business. He cannot be allowed to carry forward that loss.

(*b*) When the firm is unregistered, the firm's loss of Rs. 20,000 will be carried forward for 8 years for set-off against its own future profits and on partners is allowed to set of his share of the firm's loss against his other income, if any. A's total income will therefore be Rs. 25,000 and B's total income will be nil.

फर्मों के संगठन में परिवर्तन
(Change in Constitution of Firms)

निम्न परिस्थितियों में फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाता है—

(अ) जब एक या अधिक साझीदार फर्म को छोड़ दें अथवा एक या अधिक नये साझीदार आ जाएँ लेकिन कम से कम एक पुराना साझीदार रहे; अथवा

(ब) जब समस्त साझीदार रहें; लेकिन उनके भागों में अथवा उनमें से कुछ के भागों में परिवर्तन हो जाय ।

यदि फर्म के संगठन में परिवर्तन हो गया है तो कर-निर्धारण के समय संगठित फर्म पर कर-निर्धारण किया जाता है, लेकिन लाभों का विभाजन गत वर्ष में रहने वाले पुराने साझीदारों में, न कि कर-निर्धारण के समय लाभों के अधिकारी साझीदारों में किया जायगा । इस प्रकार हर साझीदार पर केवल लाभों के उतने भाग पर ही जितना उसे गत वर्ष में मिला है, कर लगेगा । सिद्धान्त यह है कि हर साझीदार को उतना ही कर-भार वहन करना होगा जितना कि गत वर्ष में फर्म की आय में उसका भाग है ।

यदि साझेदार पर लगाया गया कर उससे वसूल न हो सके तो यह कर-निर्धारण के समय संगठित फर्म से वसूल किया जायगा ।

यदि रिटायर्ड अथवा मृतक साझीदार का भार हानि है, तो फर्म की ऐसी हानि को आगे के वर्षों के लाभों से पूरा करने का अधिकार नहीं है । केवल रिटायर्ड अथवा मृतक साझेदार ही उस गत वर्ष की अन्य आय से ऐसी हानि के भाग को पूरा कर सकता है ।

फर्म का भंग होना
(Dissolution of Firm)

यदि एक फर्म भंग हो जाये अथवा इसके द्वारा चलाया गया व्यापार अथवा पेशा बन्द (Discontinued) हो जाये तो फर्म पर कर-निर्धारण, यह मान कर कि फर्म की समाप्ति अथवा व्यापार की समाप्ति नहीं हुई है, किया जायगा तथा कानून के समस्त नियम ऐसे कर-निर्धारण पर उसी प्रकार से लागू होंगे ।

भंग अथवा व्यापार की समाप्ति के समय जो फर्म का साझीदार हो, उस व्यक्ति का अथवा ऐसे मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि का संयुक्त तथा पृथक्

रूप से कर की, दण्ड की अथवा चुकाये जाने वाली अन्य राशि के चुकाने के लिए उत्तरदायित्व है। कानूनी प्रतिनिधि के दायित्व की यह सीमा उस सीमा तक ही है जहाँ तक कि मृतक ने सम्पत्ति छोड़ी है तथा वह सम्पत्ति ऐसे कर दायित्व को पूरा कर पाये।

उदाहरण ६—'अ', 'ब' और 'स' जो साझेदार है, क्रमशः ½ : ¼ : ¼ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। १ अक्टूबर, १९७६ से 'स' फर्म का साझेदार नहीं रहा और अन्य साझेदार अपने लाभ-हानि के अनुपात में परिवर्तन किये बगैर व्यापार चालू रखते हैं।

३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म के शुद्ध लाभ २४,००० रु० के थे जिनमें से 'अ' को दिया गया ३,६०० रु०, 'ब' को दिया गया ३,००० रु० तथा 'स' को दिया गया १,५०० रु० का वेतन एवं 'अ' 'ब' 'स' को दिया गया पूँजी पर ब्याज क्रमशः १,४००; १,०००; व ५०० रु० घटा दिया गया है।

साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए, यदि फर्म अन-रजिस्टर्ड है। साझेदारों की निजी आय इस प्रकार है—अ २०,००० रु०, ब १०,००० रु०, स ५,०००रु०।

A, B and C, who are partners, share profits in the proportions of ½, ¼ and ¼ respectively. C ceased to be a partner with effect from 1st October 1976 and the other partners continued the business without changing their proportion of sharing profits.

The net profits of the firms for the year ended 31st March 1977 amounted to Rs. 24,000 after charging salary of Rs. 36,000 to A, Rs. 3,000 to B and Rs. 1,500 to C and interest on capital Rs. 1,400 to A, Rs. 1,000 to B and, Rs. 500 to C.

Compute the total income of the partners if the firm is unregistered. The private income of the partners is as follows : A Rs. 20,000 : B Rs. 10,000 : C Rs. 5,000.

Solution

Total income of the firm :

Net profit for the year allocated to partners.

			Rs.
A ($\frac{1}{2}$ of $\frac{1}{2}$ plus $\frac{2}{3}$ of $\frac{1}{2}$)		14,000	
B ($\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{2}$ plus $\frac{1}{3}$ of $\frac{1}{2}$)		7,000	
C ($\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{2}$)		3,000	24,000
Add Salary paid to partners :	A	3,600	
	B	3,000	
	C	1,500	8,100

Add Interest paid to partners : A	1,400		
B	1,000		
C	500		2,90[illegible]
			35,00[illegible]

Allocation to partners :

	Profit Rs.	Salary Rs.	Interest Rs.	Tota[illegible] Rs.
A	14,000	3,600	1,400	19,00[illegible]
B	7,000	3,000	1,000	11,000
C	3,000	1,500	500	5,000
	24,000	8,100	2,900	35,000

Total income of partners :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Share income from the firm	19,000	11,000	5,000
Private income	20,000	10,000	5,000
Total Income	39,000	21,000	10,000

उदाहरण १०—X, Y और Z एक स्टेशनरी फर्म में साझेदार हैं जो क्रमशः १/२ : १/४ : के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। ८ माह बाद Z ने फर्म को छोड़ दिया और P ने उसका स्थान साझेदार के रूप में ले लिया। समायोजित लाभ-हानि की दर X६ Y५ और P५ है।

३० जून,१९७६ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए खाता पुस्तकों ने ४४,००० रु० का लाभ प्रदर्शित किया। पुस्तकीय लाभ निम्न को घटाने के वाद ज्ञात किया गया है —(*i*) X को ब्याज का भुगतान किया ४,००० रु०; (*ii*) Y को ६,००० रु० वेतन दिये ; (*iii*) Z को दुकान का किराया दिया ३,००० रु०; (*iv*) P को कमीशन दिया १,५०० रु० ; एवं (*v*) पुण्यार्थ संस्थाओं को २,००० रु० दान दिये।

फर्म ने ३० जून, १९७६ को स्थापित १,००,००० रु० की मूल लागत की मशीन पर प्रारम्भिक ह्रास और ह्रास की माँग की। ह्रास की दर १०% है।

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए और इसका विभाजन साझेदारों में कीजिए।

X, Y and Z are partners in a firm of Stationary manufacturers sharing profits and losses in the ratio of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. After 8 months Z left and P take his place, the proportions of profit and loss being adjusted X 6, Y 5 and P 5.

For the previous year ending 30th June 1976 the account books disclosed a profit of Rs. 44,000.

The book profit has been worked out after debiting (*i*) Rs. 4,000 interest paid to X, (*ii*) Rs. 6,000 salary paid to Y, (*iii*) Rs. 3,000 shop rent paid to Z, (*iv*) Rs. 1,500 commission paid to P and (*v*) Rs. 2,000 donations to charitable institutions.

The firm claims initial depreciation rebate and depreciation on new machinery (initial cost Rs. 1,00,000) installed on 30th January 1977 the rate of depreciation being 10%.

Compute the total income of the firm and allocate it amongst the partners.

Solution

			Rs.
Profit as per books			44,000
Add Interest paid to X			4,000
Salary Paid to Y			6,000
Commission paid to P			1,500
Charitable donation			2,000
Less Initial depreciation at 20%		20,000	57,500
Depreciation : Normal 10%	on Rs. 1,00,000	10,000	30,000
		Total Income	27,500

Allocation amongst partners :

	X	Y	Z	P
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Interest	4,000	—	—	—
Salary	—	6,000	—	—
Commission	—	—	—	1,500
Balance :				
for 8 months (Rs. 10,667)	5,333	2,667	2,660	—
for 4 months (Rs. 6,333)	2,375	1,979	—	1,979
Business Income	11,708	10,646	2,667	3,479
Donations entitled to deduction :				
for 8 months (Rs. 1,333)	667	333	333	
for 4 months (Rs. 667)	667	208	—	209
	917	541	333	209

व्यक्तियों का अन्य जन समूह

(Other Association of Persons)

'जन-प्रमण्डल' या संस्था (Association) शब्द का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है। इससे केवल समुदाय या ग्रुप का ही अर्थ प्रकट होता है। कोई जन-प्रमण्डल जो

एक कम्पनी, फर्म, संयुक्त हिन्दू परिवार या स्थानीय सत्ता के रूप में नहीं ; व्यक्तियों व्यावसायिक फर्मों या कम्पनियों की अथवा अविभाजित हिन्दू परिवारों संस्था हो सकती है, जन-प्रमण्डल में नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं।

किसी सम्पत्ति को जिसे आय कमाने के उद्देश्य से प्रबन्धित किया जाय प्राप्त करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनी क संस्था या 'अन्य जन-प्रमण्डल' (Other Association of Persons) अन्तर्गत आती है। सह-उत्तराधिकारी (Co-heirs या Co-Legatees) को भी, किसी सामान्य उद्देश्य (Common Intention) से मिलकर काम करें, एक ज प्रमण्डल कहा जा सकता है अतः यदि किसी मृत मुसलमान के लड़के अपने बा की सम्पत्ति का मिलकर या संयुक्त रूप से प्रबन्ध करते हैं ; संयुक्त रूप में ही किरा की रकमों को वसूल करते हैं और अपने खातों में संयुक्त रूप से ही उन्हें जमा कर हैं; तो उनका इस प्रकार कार्य करना एक जन-प्रमण्डल (Association of Persons का काम ही माना जायगा।

धारा २६ के आदेशानुसार यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में किसी मकान सम्पत्ति के निश्चित और निर्धारित हिस्सों में मालिक हैं तो ऐसी जायदाद की आय के लिए उन्हें जन-प्रमण्डल नहीं माना जा सकता। यह धारा केवल मकान-सम्पत्ति की आय के सम्बन्ध से ही लागू होती है, आय के अन्य साधनों के लिए नहीं। साथ ही, यदि मकान एवं जायदाद पर व्यक्तियों का संयुक्त अधिकार तो है, किन्तु इनके हिस्से निश्चित और निर्धारित नहीं हैं तो ऐसी दशा में भी यह धारा इन लोगों पर लागू नहीं होती, इसलिये जब विनियोग अथवा आय के अन्य साधनों पर सम्मिलित रूप से या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार हो अथवा जायदाद के ऊपर भी जब सम्मिलित रूप से या अनिर्धारित हिस्सों में अधिकार हो तो जायदाद के सह-स्वामियों पर जन-प्रमण्डल की भांति आय-कर लगेगा।

जन-प्रमण्डल पर आय-कर और अतिरिक्त कर एक व्यक्ति की भाँति ही लगता है। जन-प्रमण्डल की आय में प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इस प्रकार माना जाता है कि मानो वह अपंजीकृत फर्म के लाभ का भाग हो।

प्रश्न

१. रजिस्टर्ड फर्म किसे कहते हैं ? फर्म का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कराया जाता है ? संक्षेप में समझाइए।
What is a registered firm ? How firm is got registered ? Discuss in brief.

२. रजिस्टर्ड फर्म एवं अन-रजिस्टर्ड फर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन-किन दशाओं में अन-रजिस्टर्ड का रजिस्टर्ड की भाँति कर-निर्धारण किया जाता है।
Elucidate the difference between registered and unregistered firm. Under what circumstances an unregistered firm is assessed as registered firm ?

१. रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड फर्मों की हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के नियमों की व्याख्या कीजिए।

Explain the rules, as specified in Income-Tax Act, regarding set-off and carry-forward of losses of registered and unregistered firm ?

२. फर्म को रजिस्टर्ड कब कराया जा सकता है ? क्या फर्म को रजिस्टर्ड कराना लाभदायक है। करदाता की स्थिति से विचार स्पष्ट कीजिए।

When firm can be registered ? Is beneficial to get the firm registered ? Elucidate your view from the assessee's view point.

३. फर्म के संगठन में परिवर्तन किन-किन कारणों से होता है ? संगठन में परिवर्तन होने पर फर्म के कर-निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

What are the reasons responsible for the change in the constitution of a firm ? What is the affect of change in the constitution on the assessment of firm ?

६. एक फर्म में तीन साझेदार 'अ' 'ब' और 'स' हैं जिनका भाग क्रमश: ४ : ३ : १ है। १९७६ वर्ष के लिए फर्म को निम्नांकित राशियाँ घटाने के बाद १६,००० रु० की शुद्ध हानि हुई।

		रु०
पूँजी पर ब्याज	(अ)	३,०००
	(ब)	२,०००
	(स)	१,०००
स का वेतन		२,०००

अन्य साधनों से आय ५,००० रु० है जबकि 'ब' और 'स' की कोई और आय नहीं है। बताइये कि फर्म का कर-निर्धारण किस प्रकार होगा यदि (*i*) फर्म रजिस्टर्ड है तथा (*ii*) फर्म अनरजिस्टर्ड है ?

A, B and C are partners in a firm who share profits in the ratio of 4 : 3 : 1. respectively. During the year 1976. Firm incurred a net loss of Rs. 16,000 after deducting the following amounts.

		Rs.
Interest On Capital	A	3,000
	B	2,000
	C	1,000
Salary of C		2,000

A's Income from other sources is Rs. 5000. Whereas B and C do not have other incomes.

How the firm be assessed when (*i*) firm is registered and (*ii*) firm is unregistered ?

Ans. Firm's Loss Rs. 8000 ; Allocation amongst the partners A—5,000; B—4,000 ; C ÷ 1,000.

७. 'अ' 'व' 'स' एक फर्म में बराबर के तीन साझेदार हैं। इसमें 'अ' १,२०० रु० 'ब' १,४०० रु० वेतन तथा 'स' ७०० रु० कमीशन पाता है। उनकी पूँज पर ब्याज क्रमशः ६०० रु०, ७०० रु० एवं ६०० रु० है। इन मदों व दिखाने के पूर्व फर्म को १९७५ के वर्ष में ५,००० रु० की हानि हुई। इस हा को साझेदारों में किस प्रकार वितरित करेंगे।

Ans. Firm's Net Loss Rs. 10,600 ; Allocation amongst the partne A—1434 Rs. B—1,333 Rs. ; C—2,233 Rs.

८. 'अ' 'ब' और 'स' एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं जो कि 'अ' १/ ब १/३ और स १/६ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते है। ३१ दिसम्बर १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते निम्नांकित राशियाँ घटाने के बाद १,१८,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ—

१. स को दिया गया वेतन ४,००० रु०

२. अ के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए अ को दिया गय किराया जिसमें फर्म का कार्यालय है ६,००० रु०

३. 'अ' 'ब' 'स' को दिया गया पूँजी पर ब्याज क्रमशः १,००० रु २,००० रु० व ३,००० रु०।

४. 'ब' को भुगतान किया गया विक्रय पर कमीशन १०,००० रु०।

५. व्यापार का भवन, जोकि साझेदार अ का है, की मरम्मत पर व्य १००० रु०।

६. अनुमोदित संस्थाओं को दान ५,००० रु०, १,१८,००० रु० के उक शुद्ध लाभ में १०,००० रु० का सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज भी सम्मिलित है (जो उद्गम स्थान पर २,००० रु० कर काटने पश्चात् प्राप्त हुआ है।)

१९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की कुल आय व गणना कीजिए और फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार का भाग बताइए।

Ans. Income from Business : Rs. 1,34,000; G. T. I. of firm Rs. 1,46,000; Total Income of firm : Rs. 1,43,500 ; Allocatio amongst the partners : A Rs. 51,508 : B Rs. 45,672 C Rs. 23,836.

९. P. Q. R. तथा S एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। फर्म की आ निम्न प्रकार है—

	रु०
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	११,५५० (शुद्ध
मकान सम्पत्ति से आय	१८,०००
लाभांश	१९,२५० (शुद्ध
व्यापार से आय	८०,०००

व्यापार की आय की गणना साझेदारों को दी गई निम्नांकित राशियों को घटाने के बाद की गई है—

	P. Rs.	Q. Rs.	R. Rs.	S. Rs.
ब्याज	३,०००	२,०००	१,५००	१,०००
वेतन	६,०००	—	३,०००	—
बोनस	२,०००	२,०००	६,०००	२,०००
कमीशन	७,०००	२,०००	४,०००	—
भवन का किराया	—	६,०००	—	—

फर्म में विनियोग करने के लिए अपने बैंक से लिए गये ऋण पर P को २,००० रु० ब्याज देना पड़ा।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए फर्म की कुल आय तथा फर्म से साझेदारों की आय के भाग के सम्बन्ध में साझेदारों की करयोग्य आय की गणना कीजिए। फर्म के साझेदारों की आय का भाग आय के भिन्न-भिन्न शीर्षकों में दिखाना है। स्पष्टतया वर्णन कीजिए कि Q द्वारा प्राप्त किराया उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में किस प्रकार दिखाया जायेगा ?

Ans. Income from Business : Rs. 1,17,500 : Total Income of firm Rs. 1,72,500 Allocation Among Partners : P Rs. 53,750 ; Q Rs. 39,750 ; R Rs. 44,250 ; S Rs. 34,750.

Interest paid by P on the loan taken by P for investing in the firm shall be deducted from P's Income of firm. Hence P's Net Income from firm will be Rs. 53,750—2000=51,750 Rs.

Rent received by Q from the firm is his income from House property and will be added to his total income by allowing there from a deduction of repairs @ 1/6 of it being.

Rental value	6,000
Less 1/6 Repairs	1,000
Taxable Income of House Property	5,000

Rent paid by the firm to Q is allowable deduction.

Net Interest on Securities & net dividend shall be Grossed up and Grossed up figures will be added to total income.

Deduction under section 80L will not be allowed in case of firms.

७. 'अ' 'व' 'स' एक फर्म में बराबर के तीन साझेदार हैं। इसमें 'अ' १,२०० रु० 'ब' १,४०० रु० वेतन तथा 'स' ७०० रु० कमीशन पाता है। उनकी पूँज पर ब्याज क्रमशः ९०० रु०, ७०० रु० एवं ६०० रु० है। इन मदों क दिखाने के पूर्व फर्म को १९७५ के वर्ष में ५,००० रु० की हानि हुई। इस हानि को साझेदारों में किस प्रकार वितरित करेंगे।

Ans. Firm's Net Loss Rs. 10,600 ; Allocation amongst the partne A—1434 Rs. B—1,333 Rs. ; C—2,233 Rs.

८. 'अ' 'ब' और 'स' एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं जो कि 'अ' १/२ ब १/३ और स १/६ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते है।

३१ दिसम्बर १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते निम्नांकित राशियाँ घटाने के बाद १,१८,००० रु० का शुद्ध लाभ हुआ—

१. स को दिया गया वेतन ४,००० रु०

२. अ के स्वामित्व वाले भवन के उस भाग के लिए अ को दिया गया किराया जिसमें फर्म का कार्यालय है ९,००० रु०

३. 'अ' 'ब' 'स' को दिया गया पूँजी पर ब्याज क्रमशः १,००० रु २,००० रु० व ३,००० रु०।

४. 'ब' को भुगतान किया गया विक्रय पर कमीशन १०,००० रु०।

५. व्यापार का भवन, जोकि साझेदार अ का है, की मरम्मत पर व्यय १००० रु०।

६. अनुमोदित संस्थाओं को दान ५,००० रु०, १,१८,००० रु० के उक्त शुद्ध लाभ में १०,००० रु० का सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज भी सम्मिलित है (जो उद्गम स्थान पर २,००० रु० कर काटने के पश्चात् प्राप्त हुआ है।)

१९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिए और फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार का भाग बताइए।

Ans. Income from Business : Rs. 1,34,000; G. T. I. of firm Rs. 1,46,000; Total Income of firm : Rs. 1,43,500 ; Allocatio amongst the partners : A Rs. 51,508 : B Rs. 45,672 C Rs. 23,836.

९. P. Q. R. तथा S एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। फर्म की आ निम्न प्रकार है—

	रु०
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	११,५५० (शुद्ध
मकान सम्पत्ति से आय	१८,०००
लाभांश	१९,२५० (शुद्ध
व्यापार से आय	८०,०००

व्यापार की आय की गणना साझेदारों को दी गई निम्नांकित राशियों को घटाने के बाद की गई है—

	P.	Q.	R.	S.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
ब्याज	३,०००	२,०००	१,५००	१,०००
वेतन	६,०००	—	३,०००	—
बोनस	२,०००	२,०००	२,०००	२,०००
कमीशन	७,०००	२,०००	४,०००	—
भवन का किराया	—	६,०००	—	—

फर्म में विनियोग करने के लिए अपने बैंक से लिए गये ऋण पर P को २,००० रु० ब्याज देना पड़ा।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए फर्म की कुल आय तथा फर्म से साझेदारों की आय के भाग के सम्बन्ध में साझेदारों की करयोग्य आय की गणना कीजिए। फर्म के साझेदारों की आय का भाग आय के भिन्न-भिन्न शीर्षकों में दिखाना है। स्पष्टतया वर्णन कीजिए कि Q द्वारा प्राप्त किराया उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में किस प्रकार दिखाया जायेगा ?

Ans. Income from Business : Rs. 1,17,500 ; Total Income of firm Rs. 1,72,500 Allocation Among Partners : P Rs. 53,750 ; Q Rs. 39,750 ; R Rs. 44,250 ; S Rs. 34,750.

Interest paid by P on the loan taken by P for investing in the firm shall be deducted from P's Income of firm. Hence P's Net Income from firm will be Rs. 53,750—2000=51,750 Rs.

Rent received by Q from the firm is his income from House property and will be added to his total income by allowing there from a deduction of repairs @ 1/6 of it being.

Rental value	6,000
Less 1/6 Repairs	1,000
Taxable Income of House Property	5,000

Rent paid by the firm to Q is allowable deduction.

Net Interest on Securities & net dividend shall be Grossed up and Grossed up figures will be added to total income.

Deduction under section 80L will not be allowed in case of firms.

१९

आय-कर अधिकारी

(Income-Tax Authorities)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर सम्बन्धी प्रावधानों को लागू करने तथा आय विभाग के सुचारु संचालन एवं प्रशासन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। इन पदाधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—(*i*) प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी (*ii*) न्याय सम्बन्धी अधिकारी।

प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी

(१) **प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड** (Central Board of Direct Taxes)—१९२४ में आय-कर तथा अन्य केन्द्रीय करों के प्रशासन के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (Central Board of Revenue) की स्थापना की गई थी। इसके स्थान पर आय-कर एवं अन्य प्रत्यक्ष करों के लिए १९६३ से प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की गयी। यह बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन होता है जिसके सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इस बोर्ड में चेयरमैन के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य हैं। प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिए बोर्ड सर्वोच्च होता है। यह बोर्ड आय-कर, सम्पत्ति-कर सम्पदा-कर, तथा उपहार-कर आदि से सरकार की आय को नियन्त्रित करता है।

(२) **डाइरेक्टर्स ऑफ इन्सपैक्शन** (Driectors of Inspection)—केन्द्रीय सरकार के द्वारा इन्सपैक्शन के डाइरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार इनकी संख्या घटा और बढ़ा सकती है। ये केन्द्रीय सरकार द्वारा सुपुर्द आय-कर के किसी भी पदाधिकारी का कार्य कर सकते हैं। डाइरेक्टर्स ऑफ इन्सपैक्शन द्वारा अपने अधीन किसी भी आय-कर अधिकारी को किसी कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आदेश एवं निर्देश दिये जा सकते हैं। डाइरेक्टर्स ऑफ इन्सपैक्शन के अन्तर्गत अतिरिक्त डाइरेक्टर ऑफ इन्सपैक्शन; उप-डाइरेक्टर ऑफ इन्सपैक्शन तथा सहायक डाइरेक्टर ऑफ इन्पैक्शन होते हैं।

(३) **आय-कर आयुक्त** (Commissioner of Income-Tax)—**किसी प्रदेश** तथा उसके सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आय-कर विभाग का अध्यक्ष आय-कर आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। वह क्षेत्र आय, व्यक्तियों एवं अन्य मामलों में प्रत्यक्ष करों के बोर्ड के निर्देश एवं आदेश के अनुसार कार्य करता है। उसके अधीन क्षेत्र अथवा प्रदेश में आय-कर का प्रशासन उसके नियन्त्रण से होता है।

केन्द्रीय सरकार के आदेश तथा नियमों के अन्तर्गत आयुक्त को द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारियों एवं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से इन्सपैक्टर्स की नियुक्ति करने का अधिकार होता है।

(४) **आय-कर के अतिरिक्त आयुक्त** (Additional Commissioners of Income-Tax)—अतिरिक्त आयुक्त आयुक्त के वह कार्य करते हैं जो **उन्हें** सौंपे जाते हैं।

(५) **इन्सपैक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर** (Inspecting Assistant Commissioner)—इन्सपैक्टिंग असिस्टेण्ट कमिश्नर (I.A.C.) की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। वह कमिश्नर के नियन्त्रण में कार्य करता है। वह अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों तथा ऐसी आय से सम्बन्धित मामलों में कार्य करता है जिनके सम्बन्ध में आय-कर कमिश्नर द्वारा उसे आदेश दिये जाते हैं। वह अपने क्षेत्र के आय-कर अधिकारियों के कार्य की देखभाल करता है। कुछ स्थिति में आय-कर अधिकारी को अपना कार्य करने से पूर्व उसकी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होता है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष रूप से कर-निर्धारण नहीं करता किन्तु सामान्य कर-निर्धारण कार्य में आय-कर अधिकारी को आदेश देने का उसे अधिकार होता है।

(६) **आय-कर अधिकारी** (Income-Tax Officer)—यह आय-कर विभाग का एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है। वास्तव में कर-निर्धारण करना एवं उसे प्राप्त करना उसका मुख्य कार्य होता है। वह आय-कर इन्सपैक्टर्स की सहायता से कार्य करता है।

(७) **आय-कर इन्सपैक्टर्स** (Income-Tax Inspectors)—आय-कर इन्सपैक्टर आय-कर अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करता है। वह नये करदाताओं का पता लगाता है और आय-कर अधिकारी जिसके नियन्त्रण में वह कार्य करता है, की आज्ञानुसार किसी भी प्रकार की जाँच करता है। आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह ऐसे सब कार्य कर सकता है जो आय-कर अधिकारी द्वारा किये जा सकते हैं।

न्याय सम्बन्धी अधिकारी

(१) **आय-कर अधिकारी**—न्याय सम्बन्धी अधिकारियों में आय-कर अधिकारी का सर्वप्रथम स्थान होता है। उसके कार्य दोनों ही प्रकार के—प्रशासन :

तथा न्याय सम्बन्धी होते हैं। किसी करदाता की आय पर कर-निर्धारण करना उसका न्याय सम्बन्धी प्रमुख कार्य है।

(२) **अपैलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर** (Appellate Assistant Commissioner)—आय-कर अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर करदाता को अपैलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर (A.A.C) के यहाँ निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होता है। वह प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होता है। बोर्ड को भी अपील सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। वह अपना कार्य स्वाधीनता पूर्वक करता है। उसका कार्य क्षेत्र रेंज कहलाता है जिसके अन्तर्गत अनेक आय-कर अधिकारियों का कार्य क्षेत्र सम्मिलित होता है।

आय-कर कमिश्नर या आयुक्त (Commissioner of Income-Tax)—कमिश्नर का कार्य भी प्रशासन तथा न्याय सम्बन्धी दोनों प्रकार का होता है। न्याय सम्बन्धी कार्यों में उसका प्रमुख कार्य आय-कर अधिकारियों के आदेशों पर पुनर्विचार करना होता है।

अपैलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) ट्रिब्यूनल वास्तव में आय-कर विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं है इसके प्रायः दो प्रकार के जुडीशियल एवं एकाउण्टेण्ट सदस्य होते हैं। ट्रिब्यूनल के पास अपैलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है।

अपैलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर केवल वैधानिक तथ्यों (Points of law) के सम्बन्ध में करदाता को उच्च न्यायालय (High Court) में अपील करने का अधिकार होता है और उच्च न्यायालय के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर केवल वैधानिक तथ्यों के लिए करदाता सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील कर सकता है।

प्रश्न

१. आय-कर पदाधिकारियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write short note on the Income-Tax Authorities.

२०

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

(Assessment of Hindu Undivided Families)

संयुक्त हिन्दू परिवार में वे सब व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हों तथा साथ ही उनकी पत्नियों एवं अविवाहित पुत्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है। हिन्दू कानून के अन्तर्गत केवल एक पुरुष सदस्य तथा एक अन्य मृतक पुरुष सदस्य की विधवा भी संयुक्त हिन्दू परिवार की उत्पत्ति कर सकते हैं तथा आय-कर अधिनियम में भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कर-निर्धारण के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार में कम से कम दो पुरुष सदस्य होने चाहिए।

परन्तु आय-कर के दृष्टिकोण से एक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए **निम्न दो शर्तों का पूरा किया जाना अति आवश्यक है—**

(१) परिवार की **संयुक्त सम्पत्ति** (Common Property) हो तथा इसमें निम्न सम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती हों—

(अ) पैतृक जायदाद (Ancestral Property)।

(ब) पैतृक जायदाद की सहायता से प्राप्त सम्पत्ति।

(स) परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में (पैतृक सम्पत्ति की सहायता के बिना) प्राप्त की हुई सम्पत्ति, जिसे वे लोग (परिवार के सदस्य) परिवार की सम्पत्ति मानते हों।

हिन्दू कानून के अन्तर्गत संयुक्त हिन्दू परिवार होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त सम्पत्ति हो। हिन्दू कानून के सिद्धान्तों के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य अपने स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में

परिवर्तित कर सकता है तथा इस प्रकार उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मान सकता है।

(२) परिवार में **हिन्दू सहभागिता हो**। अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों में निम्न व्यक्ति होते हैं—

(अ) सहभागीदार अर्थात् वे व्यक्ति जिन्हें बँटवारे की माँग का एवं वँटवारे पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, और

(ब) अन्य सदस्य जैसे स्त्री सदस्य जोकि बँटवारे पर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखती है, परन्तु बँटवारे की माँग नहीं कर सकती।

संयुक्त हिन्दू परिवार का अस्तित्व तब भी वना रहता है जबकि अन्य स्त्री सदस्यों के साथ परिवार में केवल एक ही पुरुष सहभागीदार हो।

सहभागिदारिता (Co-Parcenary)

सहभागिदारिता की उत्पत्ति हिन्दू कानून में हुई है। इसका अभिप्राय किसी सम्पत्ति में संयुक्त हित, उस पर संयुक्त अधिकार एवं उसको संयुक्त रूप से प्रयोग करने से है। प्रत्येक सहभागीदार का अधिकार संयुक्त परिवार की सब सम्पत्ति पर है। यद्यपि प्रत्येक सहभागीदार का परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा होता है परन्तु उसका हिस्सा निश्चित नहीं होता। प्रत्येक सहभागीदार के हिस्से का निर्धारण बँटवारे पर ही हो सकता है। परिवार की सम्पत्ति का वँटवारा तभी किया जाता है जबकि उनमें से किसी सहभागीदार ने ऐसा करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर दी हो। बँटवारे की इच्छा व्यक्त करने पर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य संयुक्त स्वामी (Tenant-in Common) बन जाते हैं। दूसरे परिवार का पूर्ण रूप से बँटवारा किया जा सकता है जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को उसके हिस्से के लिए अलग-अलग सम्पत्तियाँ दी जाती हैं। यद्यपि इस प्रकार की क्रिया को 'ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट' के अन्तर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता परन्तु फिर भी उस सम्पत्ति पर अलग होने वाले सदस्य को पूर्ण एवं वास्तविक अधिकार प्राप्त हो जाता है जबकि वँटवारे से पूर्व वह परिवार की सभी सम्पत्तियों में केवल कुछ हित ही रखता था।

संयुक्त हिन्दू परिवार में एक ही पूर्वज के वंशज तथा ऐसे वंशजों की पत्नी एवं बच्चों को तथा अविवाहित पुत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। परन्तु हिन्दू सहभागिदारिता इससे सीमित संस्था है इसमें केवल वे व्यक्ति ही सम्मिलित किये जाते हैं, जो जन्म से ही परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करते हैं वे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के धारी के पुत्र, पौत्र, पर-पौत्र हैं।

उप-सहभागिदारिता (Sub-Coparcenary)—यहाँ पर सहभागिदारिता में भाई, चाचा एवं भतीजे आते हैं, वहाँ पर प्रत्येक सहभागीदार अपने बच्चों के द्वारा उप-सहभागिदारिता उत्पन्न कर सकता है। यह संयुक्त हिन्दू परिवार की कुछ

सम्पत्ति के बँटवारे से ही सम्भव है। इस प्रकार की उप-सहभागिदारिता को एक छोटा संयुक्त हिन्दू परिवार भी कहा जा सकता है।

स्त्रीधन—किसी हिन्दू स्त्री को शादी से पूर्व, शादी के पश्चात् अथवा विधवा होने पर उसके माता-पिता अथवा उसके सम्बन्धियों अथवा उसके पति या उसके सम्बन्धियों के द्वारा दी गई कोई भी सम्पत्ति प्रत्येक हिन्दू कानून के अनुसार स्त्रीधन मानी जाती है। परन्तु दायभाग कानून के अन्तर्गत पति द्वारा पत्नी को दी गई अचल सम्पत्ति को स्त्रीधन नहीं माना जाता।

व्यक्तिगत सम्पत्ति का परिवर्तन (Conversion of Separate Property)

एक सहभागी जिसका कि सहभागी सम्पत्ति में किसी प्रकार का लगाव है एवं जिसके पास अपनी स्वयं की कोई सम्पत्ति है, वह व्यक्ति अपने परोक्ष कार्य-कलापों से उस व्यक्तिगत सम्पत्ति को सहभागी सम्पत्ति का भाग मान सकता है। दूसरे शब्दों में एक सहभागी की व्यक्तिगत सम्पत्ति उस समय अपना व्यक्तिगत रूप खो देती है जबकि उसके मालिक का व्यवहार ऐसा हो एवं उसके पश्चात् वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति हो जाती है।

इस प्रकार एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सहभागी को ही केवल यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी अलग सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिला सकता है। एक हिन्दू अविभाजित परिवार की महिला सदस्य ऐसा नहीं कर सकती है।

हिन्दू कानून के भाग (Schools of Hindu Law)

संयुक्त हिन्दू परिवार हिन्दू कानून के दो मुख्य भागों के द्वारा नियन्त्रित होते हैं—(१) दायभाग, तथा (२) मिताक्षरा। हिन्दू कानून का 'दायभाग' नामक भाग बंगाल, असम तथा उड़ीसा के कुछ भागों में लागू होता है जबकि भारतवर्ष के शेष भागों में संयुक्त हिन्दू परिवार मिताक्षरा कानून के द्वारा नियन्त्रित होते हैं। हिन्दू कानून के इन दोनों भागों के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

दायभाग कानून (Dayabhag Law)—दायभाग कानून के अनुसार बेटों को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उनको केवल पिता की मृत्यु पर ही उस सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। पिता की मृत्यु पर वे समस्त सम्पत्ति पर, चाहे वह पिता द्वारा स्वयं अपने प्रयत्नों से प्राप्त की गई हो अथवा उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, उत्तराधिकारियों के रूप में अधिकार प्राप्त करते हैं न कि उत्तरजीवी (Survivorship) के रूप में।

प्रत्येक सहभागीदार का परिवार की सम्पत्ति में एक निश्चित हिस्सा होता है, चाहे परिवार का बँटवारा न भी हुआ हो। प्रत्येक सहभागीदार अपने भाग का स्वामी होता है, यद्यपि सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों के संयुक्त अधिकार में रहती है।

मिताक्षरा कानून (Mitakshara Law)—मिताक्षरा कानून के अनुसार बेटे को पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है, अतः लड़के के जन्म के उपरान्त पूर्वजों से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति की आय पर, संयुक्त हिन्दू परिवार की आय मानकर कर लगाया जाता है, पिता की मृत्यु पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता सिवाय इसके कि पिता के स्थान पर सबसे बड़ा लड़का परिवार का कर्त्ता माना जाता है।

यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके कोई पुत्र नहीं होता तो उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा को पति की सम्पत्ति में वास्तविक अधिकार प्राप्त हो जाता है।

संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता परिवार की सम्पत्ति का केवल एक सीमित भाग ही उपहार स्वरूप दे सकता है, परन्तु यदि उपहार करने में उसके अतिरिक्त परिवार के अन्य वयस्क सहभागीदार भी सम्मिलित हैं तो उसके द्वारा दिये गये उपहार वैध माने जायेंगे।

एकल जीवित पुरुष सदस्य (**Sole Surviving Male Member**)

यदि किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में स्त्री सदस्यों के अतिरिक्त केवल एक ही पुरुष सदस्य जीवित है, तो इस प्रकार के परिवार को भी संयुक्त हिन्दू परिवार ही कहा जायगा तथा इसकी सम्पत्तियों से आय को संयुक्त हिन्दू परिवार की आय मानकर ही कर लगाया जायगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आय-कर अधिनियम में यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त परिवार में एक से अधिक पुरुष सदस्य होने चाहिए।

आय जो परिवार की आय के रूप में करयोग्य नहीं है (**Income not Taxed as Family Income**)

निम्न परिस्थितियों में होने वाली आय संयुक्त परिवार की आय नहीं मानी जाती तथा न ही उस पर संयुक्त हिन्दू परिवार की आय के रूप में कर-निर्धारण किया जाता है—

(१) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य की आय **उसकी व्यक्तिगत आय है** तो इस व्यक्तिगत आय पर उस सदस्य के हाथों में 'व्यक्ति' की आय मानकर, कर लगेगा।

(२) पिता द्वारा स्वयं उसके प्रयत्नों से प्राप्त सम्पत्ति में उसके पुत्रों को जन्म से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ; अतः ऐसी सम्पत्ति की आय पर, **पिता की व्यक्तिगत आय मानकर**, व्यक्ति की आय की भाँति कर लगेगा।

(३) दायभाग कानून के अनुसार पुत्र को परिवार की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उसको ये अधिकार सर्वप्रथम पिता की मृत्यु पर ही प्राप्त होते हैं। अतः **पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति की आय**

को पिता की व्यक्तिगत आय माना जायगा तथा उस पर पिता के हाथों में ही कर लगेगा।

(४) यदि एक स्त्री किसी ऐसी सम्पत्ति की, जोकि उसे उसके पति की मृत्यु पर प्राप्त हुई है, एकमात्र स्वामिनी है, तो ऐसी सम्पत्ति की आय पर उस स्त्री की आय के रूप में कर लगाया जायगा, परिवार की आय के रूप में नहीं।

(५) यदि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अपना कोई व्यक्तिगत व्यापार भी करता है, तो ऐसे व्यापार की आय 'व्यक्ति' की आय मानी जायगी परिवार की आय नहीं; चाहे उसने व्यापार के लिए पूँजी संयुक्त परिवार से ही उधार क्यों न ली हो।

(६) मिताक्षरा कानून द्वारा नियन्त्रित एक हिन्दू पिता को यह पूरा अधिकार है कि वह अन्य वयस्क सहभागीदारों की अनुमति के बिना ही चल सम्पत्ति की एक उचित सीमा तक अपनी पत्नी अथवा लड़की को उपहार स्वरूप दे सकता है। अतः कर्त्ता द्वारा इस प्रकार से वैधानिक रूप से उपहार में दी गई सम्पत्ति की आय को उपहार-प्राप्तकर्त्ता की आय माना जायगा; परिवार की आय नहीं; चाहे उपहार देने का मुख्य उद्देश्य परिवार के कर दायित्व को कम करना ही क्यों न हो।

(७) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्त्ता अथवा अन्य कोई सदस्य किसी ऐसी कम्पनी, जिसके कुछ अंश परिवार के पास भी हैं, का प्रबन्ध संचालक है तो उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसकी व्यक्तिगत आय मानी जायगी, परिवार की आय नहीं। परन्तु यदि उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसकी व्यक्तिगत योग्यता का फल नहीं है बल्कि केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि परिवार ने कम्पनी की पूँजी में समुचित योगदान दिया है तो वह पारिश्रमिक परिवार की आय माना जायगा।

(८) यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में कोई व्यापार चलाते हैं तो ऐसे व्यापार के लाभ साझेदारी की आय माने जायेंगे, परिवार की आय नहीं। ऐसे लाभ की राशि पर फर्म को अपंजीकृत फर्म मानते हुए कर का निर्धारण किया जायगा।

हिन्दू अविभाजित परिवारों का कर-निर्धारण (Assessment of Hindu Undivided Families)

एक हिन्दू अविभाजित परिवार को (इसके कर्त्ता की मार्फत) एक व्यक्ति की तरह एक अलग इकाई के रूप में अपनी कुल आय पर कर देना होता है तथा इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि इस परिवार की कुल आय को सदस्यों में किस प्रकार बाँटा गया है। सदस्यों के वैयक्तिक कर-निर्धारणों में उनके द्वारा परिवार की आय से प्राप्त भाग पर तब भी ध्यान नहीं दिया जाता जबकि परिवार

की आय पर करयोग्य सीमा से कम होने के कारण परिवार पर कोई कर नहीं लग पाया है ।

यह तो स्पष्टत: बहुत कठिन नियम है कि हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह ही किया जाये, लेकिन इस कठिनाई को कुछ सीमा तक निम्न आयोजनों के अनुसार कम कर दिया गया है—

(अ) कुछ दशाओं में कर से मुक्त आय की सीमा अधिक है ।

(ब) कुल आय की गणना करने में जीवन बीमा प्रीमियम की अधिक राशि कटौती के लिए स्वीकार की जाती है ।

परिवार के सदस्यों को वेतन का भुगतान (Salary Paid to Members of Family)—यदि संयुक्त हिन्दू परिवार इस बात को सिद्ध कर देती है कि कर्त्ता के अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य को दिया गया वेतन लाभ कमाने के उद्देश्य से एवं व्यापारिक योग्यता के कारण ही दिया गया है, तो ऐसे वेतन की राशि को कटौती के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है ।

संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता को भुगतान किया गया पारिश्रमिक स्वीकृत कटौती है, बशर्ते कि इस प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए कर्त्ता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कोई प्रसंविदा किया गया हो तथा यह भुगतान परिवार के हित में हो ।

बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण (Assessment After Partition)

बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण के उद्देश्य के लिए बँटवारे तथा 'आंशिक बँटवारे' को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है—

बँटवारा—इसका अर्थ निम्न में से कोई एक लिया जाता है—

(अ) यदि **सम्पत्ति का भौतिक** (Physical) **बँटवारा** हो सकता है तो बँटवारे से तात्पर्य सम्पत्ति के भौतिक बँटवारे से है । सम्पत्ति के बिना ही उस सम्पत्ति की आय के भौतिक बँटवारे को सम्पत्ति का बँटवारा नहीं कहा जा सकता ।

(ब) यदि सम्पत्ति का भौतिक बँटवारा होना सम्भव नहीं है, तो बँटवारे से तात्पर्य उस प्रकार के बँटवारे से है, जोकि उस सम्पत्ति का हो सकता है ; परन्तु केवल सम्पत्ति की स्थिति में परिवर्तन करने को ही बँटवारा नहीं माना जा सकता ।

आंशिक बँटवारा (Partial Partition)—इसका अर्थ या तो हिन्दू अविभाजित परिवार को बनाने वाले व्यक्तियों में से कुछ में अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्तियों में से कुछ सम्पत्तियों के आंशिक रूप में बँटवारे से है ।

कर-निर्धारण के लिए तरीका (Procedure for Assessment)—यह धारा 171 के द्वारा निर्धारित होती है जो कि अग्रलिखित है—

(अ) एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो अपने कर्त्ता के द्वारा अब तक परिवार की भाँति करयोग्य था, उसी प्रकार से करयोग्य होता रहेगा, सिवाय उस स्थिति के जबकि आय-कर अधिकारी यह निर्णय दे दे कि बँटवारा (पूर्ण या आंशिक) हो चुका है।

(ब) जहाँ कर-निर्धारण करते समय किसी सदस्य द्वारा यह माँग की जाय कि परिवार के सदस्यों में बँटवारा (पूर्ण या आंशिक) हो गया है तो इनकम-टैक्स ऑफीसर उस परिवार के सदस्यों को नोटिस देकर पूछ-ताछ करेगा। पूछ-ताछ की समाप्ति पर इनकम-टैक्स ऑफीसर यह देखेगा कि परिवार की सम्पत्ति का पूर्ण अथवा आंशिक बँटवारा हुआ है अथवा नहीं और यदि हुआ है तो वह किस तारीख को हुआ है। बँटवारे की तिथि का पता लगाना बँटवारे से पहले तथा बाद की अवधि के कर-निर्धारण को आसान बनाना है।

(स) यदि आय-कर अधिकारी ने पूर्ण अथवा आंशिक बँटवारे का पता लगा लिया है तथा बँटवारा गत वर्ष में हुआ है, तो

(*i*) अविभाजित परिवार की बँटवारे की तारीख तक की कुल आय पर परिवार की आय की तरह कर-निर्धारित होगा ; तथा

(*ii*) परिवार का प्रत्येक सदस्य अथवा सदस्यों का समूह, अपने ऊपर पृथक् रूप से लगे कर के अतिरिक्त इस प्रकार निर्धारित की गई आय पर लगे कर के लिए संयुक्त एवं पृथक् रूप से उत्तर-दायी होगा।

इस धारा के नियम कोई दण्ड, ब्याज, जुर्माना अथवा परिवार के बँटवारे की तिथि तक की अवधि तक किसी रकम पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि इस अवधि के लिए कर को लगाने एवं एकत्र करने पर लागू होते हैं।

उदाहरण १—आत्मा राम एण्ड सन्स एक संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका कर्त्ता P है। परिवार में कर्त्ता व उसके तीन भाई (Q. R. S.) सह-भागीदार हैं। परिवार एवं सहभागीदारों की ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष की निम्न आयें हैं—

	रु०
१. एक कम्पनी के मैनेजर की भाँति कार्य करने पर Q को प्राप्त वेतन	१८,०००
२. प्रतिभूतियों पर ब्याज :	
(अ) Q के नाम में (ये विनियोग उसने अपने वेतन में से किये) विनियोगों पर	
(ब) सभी सह-भागीदारों के नाम में (ये विनियोग परिवार के कोष से किये गये) विनियोगों पर	

३. सम्पत्ति की आय :	रु०
(अ) पैतृक मकान	१२,०००
(ब) P के नाम में दिये मकान पर (यह मकान १९५७ में परिवार के कोष से क्रय किया)	७,२००
४. व्यापार की आय :	
(अ) परिवार के व्यापार की आय	३५,०००
(ब) एक फर्म में लाभ का आधा हिस्सा जिसमें P प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है।	३,६००
(स) R की वकालत के पेशे से आय	९,६००
५. अंशों से लाभांश :	
(अ) P के नाम में परिवार की आय से क्रय किये गये अंशों पर (सकल)	३,५००
(ब) P की पत्नी के नाम में प्राप्त अंशों पर जो उसने अपने स्त्रीधन से क्रय किये	१,२००

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए परिवार की कुल आय की गणना कीजिए।

Atma Ram & Sons is a Hindu undivided family of which P is the karta. The family consists of the karta and his three brothers (Q. R. S.) as coparceners. The family and the coparceners had the following income for the year ended 31st March 1977 :

1. Salary of Q as manager of a company Rs. 18,000.
2. Interest on securities :
   - (*a*) In the name of Q (investment made out of his salary) Rs. 4,200.
   - (*b*) In the name of all the coparceners (investment made out of family funds) Rs. 2,900.
3. Property income :
   - (*a*) Ancestral house Rs. 12,000.
   - (*b*) In the name of P (bought in 1957 out of family funds) Rs. 7,200.
4. Business :
   - (*a*) Family business income Rs. 35,000.
   - (*b*) Half share of income in a firm in which P is a partner in a representative capacity Rs. 3,600.
   - (*c*) Income of R from profession as a lawyer Rs. 9,600.
5. Dividends from shares :
   - (*a*) In the name of P bought out of family funds (gross) Rs. 3,500.
   - (*b*) In the name of P's wife bought out of her stridhan Rs. 1,200.

Compute the total income of the family for the assessment year 1977-78.

Solution

			Rs.
1.	Interest on securities (assumed to be gross)		2,900
2.	Income from house property		19,200
3.	Business profits :		
	Family business	35,000	
	Share income from a firm	3,600	38,600
4.	Dividend (gross)		3,500
	Gross Total Income		64,200
	Deduction for dividend		3,000
	Total Income		61,200

The remaining income given in this case is not the income of the family.

उदाहरण २—एक हिन्दू अविभाजित परिवार ने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए अपना आय का नक्शा दाखिल किया है और निम्न आयें प्रदर्शित की हैं—

	रु०
१९४५ के वाद बने मकान से प्राप्त किराया (मरम्मत के लिए १/६ भाग काटने के उपरान्त)	२०,०००
कपड़े के व्यापार की आय	६०,०००
सट्टे के लाभ	२०,०००

जाँच करने पर आपको निम्न तथ्यों की जानकारी हुई—

(अ) ३१ मार्च १९७६ को सभी सदस्यों में कपड़े के व्यापार का विभाजन हुआ और प्रत्येक सदस्य के नाम से अलग-अलग पूँजी खाते खोले गये। तव सदस्यों ने इस व्यापार को साझेदारी में चालू रखा।

(ब) परिवार ने अपने मकान के सम्बन्ध में १,५०० रु० नगरपालिका कर के चुकाये हैं।

कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ के लिए परिवार का कर दायित्व दिखाते हुए एक विवरण तैयार कीजिए।

A Hindu undivided family has filed a return for the previous year ended 31st March 1977 showing the following income :

Rent from house property built in 1945 (after deducting one-sixth for repairs)	20,000
Income from cloth business	60,000
Speculation profit	20,000

On inquiry you find the following facts :

(*a*) On 31st March 1976 the cloth business was divided between the various members of the family by opening a separate capital account of each member. The members then entered into a partnership for carrying on this business.

(*b*) The family paid Rs. 1,500 as municipal taxes in respect of its house property.

Prepare a statement showing the tax liability of the family for the assessment year 1977-78.

Solution

			Rs.
1.	Annual value of property without deduction of one-sixth for repairs	24,000	
	Less Deduction for local taxes	1,500	
	Annual value in this case	22,500	
	Less One-sixth for repairs	3,750	18,750
2.	Speculation profit		20,000
	Total Income		38,750

The family will have to pay income-tax on Rs. 38,750.

The income from cloth business which has been partitioned among the members of the family, will not be assessed in the hands of the family, but it will be assessed as the income of an unregistered firm, if the finding of partition has been given by the Income-Tax Officer.

उदाहरण ३—एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो सोने, चाँदी, दलाली व रुपया उधार लेन-देन और अंशों में व्यवहार करती है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस परिवार ने आय के नक्शे में निम्न सूचनायें प्रेषित की हैं—

	रु०		रु०
चाँदी में हानि	१,००,०००	स्वर्ण में लाभ	१,५०,०००
प्रतिभूतियों के विक्रय पर हानि	२०,०००	सरकारी प्रतिभूतियों में लाभ	२५,०००
अंशों के व्यवहार में हानि	५०,०००	दलाली, ब्याज एवं कमीशन से लाभ	१,५०,०००
कानूनी व्यय	३०,०००	भारतीय कम्पनियों से लाभांश (सकल)	५०,०००
डूबत ऋण	५०,०००		
स्थापन एवं आकस्मिक व्यय	२०,०००		
शुद्ध लाभ	१,०५,०००		
	३,७५,०००		

खाता पुस्तकों की जांच से निम्न तथ्य स्पष्ट हुए—

(अ) चाँदी खाते में सुरक्षा के सौदों की क्षति १,००,००० रु० की थी और चाँदी के सट्टे में ५०,००० रु० की हानि थी।

(ब) कानूनी व्ययों में तस्करी में खरीदे गये माल के सम्बन्ध में चलने वाले दण्डनीय अभियोग के सम्बन्ध में व्यय किये गये १०,००० रु० सम्मिलित हैं।

(स) डूबत ऋण में व्यापार स्थान में रखी तिजोरी से चुराये गये १०,००० रु० और कर्त्ता के साले से अप्राप्त ऋण के २०,००० रु० सम्मिलित हैं जिसका व्यापार समाप्त हो गया है।

(द) स्थापन व्ययों में कर्त्ता के पुत्र को दिया गया ३०,००० रु० का वेतन और उसके लिए क्रय की गई मोटर-साइकिल के २,००० रु० सम्मिलित हैं। यह मोटर-साइकिल १० अक्टूबर, १९७६ को कर्त्ता के पुत्र के कार्यालय के आने-जाने के लिए क्रय की गई।

परिवार की कुल आय की गणना कीजिए। क्षति व व्ययों के मदों को स्वीकार करने व अस्वीकार करने के सम्बन्ध में संक्षिप्त कारण दीजिए।

A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money-lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended 31st March 1977 :

	Rs.		Rs.
Loss in silver	10,00,000	Profit in gold	1,50,000
Loss on sale of securities	20,000	Profit in sovereigns	25,000
Loss in share dealings	50,000	Profit from brokerage, interest and commission	1,50,000
Law charges	30,000		
Bad debts	50,000		
Establishment and contingencies	20,000	Dividends gross from Indian companies	50,000
Net Profit	1,05,000		
	3,75,000		3,75,000

The examination of the books of account disclosed the following facts :

(*a*) Silver account was found debited with loss in hedging contracts Rs. 1,00,000 and loss of Rs. 50,000 in silver speculation.

(*b*) Law charges included expenses of Rs. 10,000 incurred in a criminal case connected with an alleged purchase of smuggled gold.

(*c*) Bad debts included loss of cash of Rs. 10,000 by theft from *tijori* (iron safe) in the business premises and Rs. 20,000

as an irrecoverable loan given without interest to the karta's brother-in-law whose business failed.

(*d*) Establishment expenses included salary of Rs. 30,000 paid to the son of the karta and Rs. 2,000 for purchase of a motor-bicycle on 10th October 1976 claimed to enable him to attend office.

Compute the total income of the family giving short reasons for allowing or disallowing the items of losses or expenses.

Solution

		Rs.
Net Profit as per statement		1,05,000
Less Dividends (treated separately)		50,000
		55,000
Add Loss in silver speculation	50,000	
Expenses incurred in a criminal case	10,000	
Cash stolen from iron safe	10,000	
Irrecoverable loan not given in the ordinary course of money-lending business	20,000	
Cost of motor-bicycle	2,000	92,000
		1,47,000
Less Depreciation of motor-bicycle : Normal at 20%		400
Income from business		1,46,600
Dividends (gross)		50,000
Gross Total Income		1,96,600
Deduction for dividend		3,000
Total Income		1,93,600

The above computation is subject to the following remarks :

(*a*) The loss of Rs. 50,000 in silver speculation will not be allowed, there being no profit from speculation in the year.

(*b*) Law charges of Rs. 10,000 incurred in a criminal case connected with an alleged purchase of smuggled gold is not an allowable deduction.

(*c*) Loss of cash by theft even from the business premises cannot be said to be incidental to the trade itself and is not an allowable deduction.

If it could be proved that the cash formed part of the stock-in-trade and the loss occurred due to embezzlement of an employee, the case would have been different. But normally loss of this kind must be said to arise on account of the negligence of the assessee, and there is no provision in the Act to allow such loss.

(d) The loan of Rs. 20,000 to the karta's brother-in-law without any interest is *prima facie* not a business loan. The bad debts claimed is therefore disallowed.

(e) The salary of Rs. 3,000 paid to the son of the karta is allowed, it being presumed that he actually worked in the business.

(f) The cost of motor-bicycle Rs. 2,000 is not allowed because it is capital expenditure. Depreciation on Rs. 2,000 is however allowed as the son of the karta is an employee of the family.

(g) Loss of Rs. 1,00,000 in hedging contracts is an allowable business loss.

उदाहरण ४—रामलाल और उसके तीन वयस्क पुत्र एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न सूचनाओं से परिवार की कुल आय ज्ञात कीजिए—

परिवार का कानपुर में एक कपड़े का व्यापार था जिसके शुद्ध लाभ ५०,००० रु० थे। ये लाभ निम्न कटौतियों के बाद आये थे—

(i) रामलाल को प्रबन्ध का वेतन १२,००० रु०

(ii) रामलाल के एक पुत्र को विक्रय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने पर देय वेतन ३,६०० रु०

(iii) एक अनजान व्यक्ति को, जिसने परिवार के लिए एक नई एजेन्सी प्राप्त की, देय कमीशन ५,००० रु०

कानपुर की सीमित दायित्व वाली कम्पनी के कुछ अंश परिवार के पास हैं जिनके कारण परिवार उस कम्पनी के मताधिकार पर नियन्त्रण रखता है। इन अंशों के कारण परिवार का एक सदस्य कम्पनी में प्रबन्ध संचालक नियुक्त हुआ और १८,००० रु० का कुल पारिश्रमिक कम्पनी से प्राप्त किया।

१९ अप्रैल, १९७७ को परिवार ने २०,००० रु० का सकल लाभांश प्राप्त किया जो कम्पनी ने १५ मार्च, १९७७ को घोषित किया।

Ram Lal and his three major sons are members of a Hindu undivided family. Compute the family's total income for the accounting year ended 31st March 1977 from the following particulars :

The family had a cloth business at Kanpur which yielded a net profit of Rs. 5,000 after deducting the followings :

(i) Salary of Rs. 12,000 to Ram Lal who managed the business.

(ii) Salary of Rs. 3,600 to one of his sons who worked as a salesman.

(iii) Commission of Rs. 5,000 to a stranger who secured a new agency for the family.

The family owned shares with controlling voting power in a limited company at Kanpur, by virtue of which one of its members became the company's managing director and earned a total remuneration of Rs. 18,000.

On 19th April 1977, the family received a dividend of Rs. 20,000 (gross) declared by the company on 15th March 1977.

Solution

		Rs.
1. Income from Business :		
Net Profit from cloth business	50,000	
Add commission paid for securing a new Agency being capital expenditure	5,000	55,000
2. Income from Other Sources :		
Dividend		20,000
Gross Total Income		75,000
Deduction on account of Dividend		3,000
Total Income		72,000

Notes :

1. Salary paid to one of the karta's sons who served as a salesman is an admissible deduction, assuming that it is reasonable remuneration for the services rendered.
2. Salary paid to Ram Lal is also deductible under section 37 assuming that there is an agreement to pay such salary made by or on behalf of all the members of the family and that the payment is in the interest of the family. (63 ITR 238)
3. The dividend though received after the previous year was declared within that year. Dividend becomes the income of shareholders on the date of its declaration. Therefore, the dividend has been treated as family's income of the previous year 1976-77.
4. The remuneration of Rs. 18,000 received from the company is the individual income of the member who has rendered his personal services without causing any loss to the assets of the family. The fact that he secured this post by virtue of the shares held by the family cannot change the character of his income. (18 ITR 194)

उदाहरण ५—एक हिन्दू अविभाजित परिवार में तीन भाई, अ, ब और स सदस्य हैं। अ परिवार का कर्त्ता है। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिवार एवं उसके सदस्यों की निम्न आयें थीं—

(*i*) एक कम्पनी के संचालक की भाँति कार्य करने पर 'ब' को प्राप्त १८,००० रु०। इस कम्पनी में परिवार ने अपना रुपया विनियोजित किया था।

(*ii*) परिवार के व्यापार की आय १,००,००० रु०। इस आय ने परिवार के कर्त्ता एवं उसके लड़के को देय वेतन, जो क्रमशः १५,००० रु० व

१०,००० है, घटा दिया गया है। ये वेतन कर्त्ता एवं उसके पुत्र द्वारा परिवार के व्यापार में की गई सेवाओं के सम्बन्ध में दिया गया है।

(*iii*) सम्पत्ति से आय--

	रु०
(अ) पैतृक सम्पत्ति की आय	२०,०००
(ब) परिवार के धन से कर्त्ता की पत्नी के नाम में क्रय की गई सम्पत्ति से आय	१५,०००
(स) कर्त्ता की पत्नी के नाम में क्रय की गई सम्पत्ति से आय जो उसने अपने स्त्रीधन से क्रय की	२५,०००

(*iv*) 'म' की अंकेक्षण व्यवसाय करने से प्राप्त आय ५०,००० रु०। 'म' ने परिवार के व्यय पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी का कोर्स पास किया है।

(*v*) एक रजिस्टर्ड फर्म की आय में 'ब' के लड़के का भाग जो फर्म में परिवार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य था ३०,००० रु०।

(*vi*) लाभांश से आय—यह लाभांश भारतीय कम्पनी से प्राप्य है--

	रु०
(अ) परिवार के कोष से किये गये विनियोगों पर (सकल)	१५,०००
(ब) 'ब' द्वारा अपने पारिश्रमिक की राशि में से प्राप्त विनियोगों पर (सकल)	१५,०००
(स) कर्त्ता के पुत्र द्वारा अपने वेतन की आय में से विनियोजित राशि पर (सकल)	५,०००

परिवार की कर-निर्धारण वर्ष १९७७-७८ की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

Three brothers A, B and C are members of a Hindu undivided family. A is the Karta of family. The family and the co-parceners had the following incomes for the year ended 31st March 1977.

(*i*) Remuneration of B as a director of a company in which family's funds are invested Rs. 18,000.

(*ii*) Income from family business Rs. 1,00,000. Out of this income were deducted the salaries of the Karta and his son for services rendered by them in connection with family business. The salaries of Katra and his son was Rs. 15,000 and Rs. 10,000 respectively.

(*iii*) Income from Property—

(*a*) Income from Ancestral Property Rs. 20,000

(*b*) Income from property purchased in the name of Karta's wife out of family funds Rs. 15,000.

(*c*) Income from property purchased in the name of Karta's wife out of her stridhan Rs. 25,000.

(iv) Income of C from his profession of Auditing Rs 50,000. C passed his course of Chartered Accountancy at the cost of family expenditures.

(v) Share of Income firm a registered firm in which B's son is partner as family representative Rs. 30,000.

(vi) Income from dividend—this dividend is receivable from an Indian Company.

		Rs.
(a)	On Investments made out of family funds (Gross)	15,000
(b)	On Investments made by B out of his remuneration (Gross)	15,000
(c)	On Investments made by Karta's son out of his salary income (Gross)	15,000

Compute the total income of the family for the assessment year 1977-78.

Solution

The followings are family income :—

			Rs.
(a)	Income from Property (Assumed net)—		
	(i) Ancestral property, Income	20,000	
	(ii) Income from property, purchased in the name of karta's wife out of family funds	15,000	35,000
(b)	Income from Business—		
	(i) Family business	1,00,000	
	(ii) Share of income from the firm	30,000	1,30,000
(c)	Income from Dividend—On investments made out of family funds		15,000
	Gross Total Income		1,80,000
	Deduction u/s 80L in respect of dividend		3,000
	Total Income		1,77,000

Notes :

(a) While computing family business income, salary paid to karta and his son for services rendered by them shall be deducted. (Jugal Kishore Baldeo Sahai *vs* C.I.T.)

(b) Income derived from investment of personal funds is not family income. Therefore income from investments of karta's son out of his salary and of B out of his remuneration are not family income. Similarly income from property purchased out of 'Stridhan' is also not family income.

(c) Income earned by any individual member by doing some personal services are not included in the family income. Therefore remuneration of B as director, salary of karta and his son for personal services rendered by them and professional income of C from audit profession have been excluded.

(d) Remuneration earned by B as director of a company, shares of which have been purchased out of family funds, is not family income but is personal income because this income has been earned by B's personal services and without causing any loss to the family funds or properties. This income would have been the family income if (i) it is earned by detriment to the family funds, or (ii) it is earned with the aid or assistance of those funds, or (iii) there is a real connection between the income and the investment of the family funds.

उदाहरण ६—एक हिन्दू अविभाजित परिवार में तीन भाई 'अ', 'ब', 'स' सदस्य हैं। ये तीनों वयस्क हैं। 'अ' परिवार का कर्त्ता है।

परिवार का विभाजन १ जनवरी, १९७७ को हो गया और परिवार की सम्पत्तियाँ सह-भागीदारों में बराबर-बराबर विभाजित कर दी गईं। सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर आय-कर अधिकारी ने परिवार के विभाजन के तथ्य को स्वीकार कर लिया।

परिवार के द्वारा एक व्यापार का प्रबन्ध किया जाता था जिससे ३१ दिसम्बर, १९७६ तक के ९ माह के लाभ ९०,००० रु० के हुए। इन लाभों में से अ, को १०,००० रु० व ब, तथा स प्रत्येक को ६,००० रु० वेतन की राशि काट ली गई है एवं ११,००० रु० अप्राप्त ऋण की राशि जो ब के साले को ऋण के रूप में दी थी, भी घटा दी गई है। ब और स ने परिवार के प्रबन्ध में सक्रिय योगदान दिया। परिवार वित्तीय वर्ष को लेखा वर्ष मानती थी। ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले ३ माह की परिवार के व्यापार की आय ४०,००० रु० थी। विभाजन के बाद परिवार के व्यवसाय को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक फर्म की भाँति पंजीकृत करा लिया और अ, ब, स, उसके बराबर-बराबर भाग के साझेदार बने।

हिन्दू अविभाजित परिवार की एवं फर्म की १९७७-७८ कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय ज्ञात कीजिए।

Three brothers A, B and C are coparceners in a Hindu undivided family. All the three members are major. A is the karta of the family.

The family was partitioned on 1st Jan. 1977 and all the properties of the family where equally distributed among the co-parceners. On application by members, the Income-Tax Officer also accepted the fact of partition

The family used to manage a business which yielded a profit of Rs. 90,000 of 9 months period upto 31st December 1976, after

deducting a salary of Rs. 10,000 paid to A and Rs. 6,000 each paid to B and C and Rs. 11,000 of irrecoverable loan given to B's brother-in-law. B and C only took active part in the management of the firm's business. The family had adopted financial year as its accounting year. The income of family of 3 months upto the period ending by March, 1977 was Rs. 40,000. After partition the family business was registered as firm under Income-Tax Act 1961 and all the members became its euqal partners.

Compute the total income of the family and the firm for the Assessment Year 1977-78.

Solution

Income of Hindu Undivided Family

		Rs.
Net Profit of the family as given		90,000
Add Salary paid to A	10,000	
Irrecoverable loan deducted	11,000	21,000
Total Income of Family		1,11,000

Income of the Firm

	Rs.
Business Income as given	40,000

This is the taxable income of the firm. The tax on firm will be calculated on the income which exceeds Rs. 10,000.

Notes :

(*a*) Salary paid to karta (A) is not admissible as A is not be active, sorvice of the family business. B and C are in active service, therefore, their salaries are admissible deductions out of family income.

(*b*) Irrecoverable loan is not admissible deduction as the payment of loan was not incidental to the family business.

(*c*) All the members of the family are jointly and severally liable to pay tax on the family income whereas on firm's income each member is liable to pay tax on his share of income.

उदाहरण ७—श्री रामलाल एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं। उन्होंने ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परिवार की आय के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें प्रेषित की हैं—

	रु०
(१) एक सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन	२०,०००
(२) व्यापार की आय	५०,०००
(३) कर्त्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क	१०,०००
(४) किराये पर उठाई गई सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य	१५,०००
(५) सम्पत्ति पर देय नगरपालिका कर	१,५००

		रु०
(६)	सम्पत्ति के हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	६,०००
(७)	विनियोगों के हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	४,०००
(८)	लाभांश (भारतीय कम्पनी से) सकल	१,०००
(९)	एक अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ	१०,०००
(१०)	एक अनुमोदित चिकित्सा संस्था को चन्दा दिया	५,०००

परिवार की सकल कुल आय एवं कुल आय की गणना कीजिए।

Shri Ram Lal is the karta of a Hindu undivided family. He has furnished the following informations in respect with the family income for the year ending on 31st March 1977—

		Rs.
1.	Salary received by a member	20,000
2.	Income from business	50,000
3.	Director's fees received by karta	10,000
4.	Annual value of property let	15,000
5.	Municipal taxes paid on property	1,500
6.	Long term capital gains on transfer of property	6,000
7.	Long term capital gains on the transfer of investments	4,000
8.	Dividends from Indian Company (Gross)	1,000
9.	Profits from an unregistered firm	10,000
10.	Donations given to an approved hospital	5,000

Compute the Gross Total Income and Total Income of the family.

Solution

	Rs.	Rs.
1. Income from properties :		
Annual value	15,000	
Lese Municipal taxes	1,500	
	13,500	
Less 1/6 for repairs	2,250	10,250
2. Income from Business :		
(*i*) Profits from business	50,000	
(*ii*) Profits from an unregistered firm	10,000	60,000
3. Capital Gains :		
(*i*) Long term capital gains in respect of properties	6,000	
(*ii*) Long term capital gains in respect of investments	4,000	10,000

4.	Income from Other Sources :		
	Dividends (Gross)		1,000
	Gross Total Income		81,250
Less Deductions :—			
		Rs.	
(*i*)	Under section 80L dividends	1,000	
(*ii*)	50% of donations	2,500	
(*iii*)	Deduction in respect of long term capital gains on properties 100% upto Rs. 5,000 & 25% of the balance	5,250	
(*iv*)	Deduction in respect of capital gains on investments 40% of Rs. 4000	1,600	10,350
	Total Income		70,900

Notes :

(*a*) Share of Profit from unregistered firm is entitled to rebate of Income-tax.

(*b*) Salary received by a member and director's fees received by the karta is not taxable as family income as these are the income of their personal service.

प्रश्न

१. हिन्दू अविभाजित परिवार से आप क्या समझते हो ? परिवार के कर-निर्धारण पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए।

What do you understand by Hindu undivided family ? Write a short note on the assessment of family.

२. वे कौन-कौन सी आयें हैं जो परिवार की आय के रूप में करयोग्य नहीं होतीं ?

Which incomes are not taxable as family income ?

३. हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण की विधि समझाइए। विभाजन के बाद कर-निर्धारण किस आधार पर किया जाता है ?

Elucidate the procedure of assessment of Hindu undivided family. What is the basis of assessment after partition ?

PRACTICAL QUESTIONS with ANSWERS

Practical Questions with Answers

(1) A is the owner of several house properties. His previous year ends on 31st March.

One house (built in 1966) is let at Rs. 250 per month, another house (annual valuation Rs. 3,600) is used for his residence, a third (being in dilapidated condition) remained vacant for the whole year. A fourth house, which was constructed in 1949 at a cost of Rs. 6,000, was sold by him on 1st April 1976 for Rs. 20,000, its fair market value on 1st January 1954 being Rs. 10,000.

The fair market value of all his house properties on 31st March 1976 was Rs. 75,000.

He claims the following expenses in respect of his house properties :

(*a*) Rs. 300 interest on a loan taken to repair his residential house, such interest being unpaid.

(*b*) Rs. 500 for rent collection charges.

(*c*) The house which is let remained vecant for one month.

He owns Rs. 20,000 4% port trust debentures, interest on which is payable on 1st January and 1st July.

Work out A's total income for the assessment year 1977-78.

				Rs.
1.	Interest on Securities			800
2.	Income from House Property :			
	Annual value of house let		3,000	
	Less One-sixth for repairs	500		
	Collection charges limited to 6% of annual value	180		
	Vacancy allowance	250	930	2,070
	Annual value of dilapidated house		—	—
	Annual value of residential house		3,600	
	Less Allowance for self-occupation		1,800	
	Annual value in this case		1,800	

But it is limited to 10% of total income less the income from this house and before deduction of Rs. 6,750, that is 10% of Rs. 12,870		1,287	
Less One-sixth for repairs	214		
Interest on loan	300	514	773
3. Capital gains (Rs. 20,000 – Rs. 10,000)			10,000
Gross Total Income			13,643
Deduction on account of long-term capital gain relating to land and buildings :			
First		5,000	
25% of balance		1,250	6,250
Total Income			7,393
Rounded off			7,390

Notes :

As the cost of the house sold was less than its fair market value on 1-1-1954, the latter will be substituted for calculating the capital gain. A capital gain arising from the sale of a house property for a sum not exceeding Rs. 25,000 is exempt only when the fair market value of all the house properties owned by the assessee immediately before the sale does not exceed Rs. 50,000.

(2) B owns two houses, built in 1958, one of which is let out at Rs. 150 per month and the other is occupied by him for his residence. The municipal valuation of the residential house is Rs. 3,000.

The municipal taxes paid in respect of the first house are Rs. 150 and in respect of the second house Rs 600. A loan of Rs. 3,000 was taken on the mortgage of the residential house for the purpose of renewing a part of the house, interest on which at 12% per annum is due for one year

He spent Rs. 1,000 on the annual repairs of both houses.

Compute his total income for the assessment year 1977-78, assuming that he received interest of Rs. 2,000 on his fixed deposit in bank.

		Rs.
1. Income from House Property :		
Rent from house let being annual value	1 800	
Less Municipal taxes	150	
Annual value in this case	1,650	

Less One-sixth for repairs		275	1,375
Annual value of residential house		3,000	
Less Municipal taxes		600	
		2,400	
Less Statutory allowance		1,200	
Annual value in this case		1,200	
But it is limited to 10% of total income less the income of this house and before deduction of Rs. 2,000, that is, 10% of Rs. 3,375		337	
Less One-sixth repairs	56		
Interest on mortgage loan	360	416	—79
2. Other Sources : Bank interest			2,000
Gross Total Income			3,296
Deduction U/S 80L on account of bank interest			2,000
Total Income			1,296
Rounded off			1,300

B is not liable to pay any income-tax because his total income does not exceed Rs. 8,000.

(3) The Profit & Loss Account of an individual, whose only source of income is a big house property constructed on 1st April 1976 disclosed a net profit of Rs. 56,600 for the previous year ended 31st March 1977 after deducting the following expenses from the gross rental income of Rs. 99,876 :

		Rs.
(*a*)	Depreciation of building	15,000
(*b*)	Maintenance and depreciation of lift	4,500
(*c*)	Municipal taxes	3,000
(*d*)	Repairs	15,000
(*e*)	Pay of durwan	1,200
(*f*)	Legal charges for collecting rents	300
(*g*)	Establishment charges.	2,276

Compute his total income for the assessment year 1977-78 .

It is now well-settled that income from a source which falls under one head of income should not be computed under another head. The income from this house property should therefore be computed under the head

"Income from house property" and not under the head "Profits and Gains of Business".

The income from house property will be computed as under :

			Rs.
Gross rental being annual value			99,876
Less Municipal taxes			3,000
			96,876
Less Statutory allowance (available for 5 years)			1,200
Annual value in this case			95,676
Less One-sixth for repairs		15,946	
Legal charges being collection charges		300	16,246
	Total Income		79,430

The collection charges of Rs. 300 do not exceed 6% of Rs. 95,676 annual value.

(4) The details of the income of an individual for the previous year ended 31st March 1977 are given below :

		Rs.
(*a*)	Salary including assessee's contribution of Rs 1,200 to a recognised provident fund	12,000
(*b*)	Employer's contribution to the provident fund	1,200
(*c*)	Interest on the balance in the provident fund account at 9·5%	2,850
(*d*)	Dearness allowance	1,200
(*e*)	Interest on government securities (gross)	1,000
(*f*)	Net property income, apart from the residential house	5,000
(*g*)	Annual letting value of the residential house	3,000

The assessee had paid Rs 2,000 for life insurance premium on the life of his wife who is insured for Rs. 15,000. He also paid Rs. 2,100 as donation to Jawaharlal Nehru Memorial Fund.

On 27th January 1977 he took an advance of Rs. 5,000 from his employer for purchasing a motor-cycle, which he uses for both private and employment purposes.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

		Rs.
1. Income from salary :		
Salary as such	12,000	
Dearness allowance	1,200	
Employer's contribution to provident fund in excess of 10% of salary	—	

Interest on provident fund in excess of 7·5% p. a.		600	
Gross Salary			13,800
Less Standard deduction			2,380
			11,420
2. Interest on government securities			1,000
3. Income from house property :			
Net income from property other than residential house		5,000	
Annual value of residential house	3,000		
Less Self-occupation allowance	1,500		
Annual value in this case	1,500		
Less One-sixth of repairs	250	1,250	6,250
Gross Total Income			18,670
Deductions :			
For Rs. 2,700 being provident fund contributions of Rs. 1,200 and life insurance premium of Rs. 1,500 limited to 10% of sum assured :		2,700	
50% of donation of Rs. 2,100		1,050	
For interest on government securities		1,000	4,750
Total Income			13,920

(5) The income of an individual for the previous year ended 31st March 1977 is as follows :

(*a*) Business profit Rs. 31,000 (after deducting Rs. 5,000 donation to a recognised educational institution, Rs. 2,000 paid as premium on his life policy and Rs. 1,000 being the cost of a new typewriter purchased on 1-12-1976 for his business use).

(*b*) Interest on Port Trust Bonds gross Rs. 6,000.

(*c*) Dividend from an Indian company Rs. 800 gross.

(*d*) Share income of Rs. 5,000 from an unregistered firm.

Compute his total income for the assessment year 1977-78 and state the amount on which he is entitled to rebate of income-tax.

		Rs.
1. Interest on securities		6,000
2. Income from business :		
Profit as given	31,000	
Add Donation	5,000	
Life insurance premium	2,000	

Cost of typewriter being capital expenditure	1,000	
	39,000	
Less Depreciation of typewriter at 15%	150	
	38,850	
Share income from unregistered firm	5,000	43,850
3. Other Sources : Dividend gross		800
Gross Total Income		50,650
Deductions :		
For insurance premium of Rs. 2,000	2,000	
50% of donation Rs. 4,285 as calculated below	2,142	
For dividend	800	4,942
Total Income		45,708
Rounded off		45,710

The assessee is entitled to rebate of income-tax at the average rate on Rs. 5,000 share income from an unregistered firm.

The qualifying amount of donation is calculated as under :

		Rs.
Gross Total income		50,650
Less Share income from unregistered firm	5,000	
Deduction for insurance premium	2,000	
Deduction for dividend	800	7,800
Reduced Gross Total Income		42,850
Qualifying amount being 10% thereof		4,285

(6) Q, an employee of a limited company, has furnished the following information for the year ended 31st March 1977 :

(*a*) Salary from 1-4-1976 to 30-9-1976 at Rs. 1,000 per month.

(*b*) Entertainment allowance from 1-4-1976 to 30-9-1976 at Rs. 250 per month. Prior to 1-4-1955, he was receiving an entertainment allowance of Rs. 150 per month from the same company.

(*c*) Premium of Rs. 500 paid by the company direct to a life insurance company on a policy taken out on his life and for his benefit.

(*d*) Interest from bank deposits Rs. 360.

(*e*) Interest on National Plan Certificates encashed during the year Rs. 4,000.

(*f*) Own house in his home town built in October 1975 which is occupied for residential purposes by his uncle free of rent. The annual value of the house is Rs. 2,000 and the municipal taxes paid for the year were Rs. 200.

(*g*) On 30-9-1976 he received from the company a retiring gratuity of Rs. 10,000 equal to 12 months' average pay.

(*h*) While in service, the company provided him with a free car for his private use.

Work out of his total income for the assessment year 1977-78.

				Rs.
1.	Income from Salary :			
	Salary for 6 months		6,000	
	Entertainment allowance for 6 months		1,500	
	Insurance premium paid by company		500	
			8,000	
	Less Standard deduction	1,000		
	Entertainment allowance being the lowest of (Rs. 7,500, Rs. 1,200, Rs. 1,500 and Rs. 900)	900	1,900	6,100
2.	Income from House Property :			
	Annual value		2,000	
	Less Municipal taxes		200	
			1,800	
	Less Statutory allowance		1,200	
	Annual value in this case		600	
	Less One-sixth for repairs		100	500
3.	Other Sources : Interest on bank deposits			360
	Gross Total Income			6,960
	Deductions :			
	For insurance premium of Rs. 500		500	
	For interest on bank deposits		360	860
	Total Income			6,100

Notes :

1. Interest received on National Plan Certificates is not to be included in total income.

2. His income from salary for the year is only Rs. 6,100. The use of a company's motor-car for his private purposes is an amenity provided by the company, but its value will not be

included in his salary income, because his salary income does not exceed Rs. 18,000, nor is he a director of the company nor a shareholder having a substantial interest in it.

3. The deduction from salary on account of entertainment allowance is limited to the lowest of the following amounts, namely :

(*a*) Rs. 7,500.

(*b*) One-fifth of salary (Rs. 1,200).

(*c*) Actual amount drawn in the previous year (Rs. 1,500).

(*d*) Actual amount drawn before 1-4-1955 (Rs. 900).

4. The national income from house property is taxable. It is immaterial that the house was occupied by his uncle free of rent. The house is not occupied by his assessee for his residence.

5. The retiring gratuity, being less than Rs. 30,000 and 20 months' average pay, is to be excluded from total income.

(7) P is engaged in a small-scale cottage industry manufacturing articles of stationery. His accounting year ends on 31st December. In November 1975 he closed down his business. Certain machinery used in that business cost Rs. 10,000. Depreciation in respect thereof allowed up to and including the assessment year 1976-77 being Rs. 4,000. In March 1976 this machinery was sold for Rs.-11,000.

On 1st July 1976 he purchased at par 100 ordinary shares of Rs. 100 each in a company, borrowing for this purpose Rs. 10,000 from a money-lender and paying interest at 9% per annum. No dividend was declared on these shares in 1976.

He received one year's interest (after deduction of tax) from his investment of 205 5% municipal debentures of Rs. 100 each.

Calculate his total income for the assessment year 1977-78.

		Rs.
1.	Interest on securities	1,000
2.	Income from business :	
	Profit on sale of machinery to the extent of depreciation allowed	4,000
3.	Capital gain	1,000
4.	Other Sources :	
	Loss on shares being interest paid on borrowed money	—450
	Gross Total Income	5,550
	Deduct Long-term capital gain as it does not exceed Rs. 5,000	1,000
	Total Income	4,550

There is a capital gain of Rs. 1,000 (excess of sale price over cost price) on the sale of machinery in March 1976. It is a long-term capital gain, because the machinery was acquired more than 5 years before its sale.

The business was closed down in the previous year 1975 and the machinery was sold in the next previous year in which where was no business in existence. Still, this profit of Rs. 4,000 is deemed to be his income from business for the previous year 1976. So is the case with the capital gain of Rs. 1,000.

The interest paid on money borrowed for the purpose of purchasing the shares is an admissible deduction in spite of the fact that there was no income from dividend, because the shares were purchased for earning income.

(8) The following information relates to the depreciable assets of a tractor manufacturing business for the assessment year 1977-78, the previous year being the year ended 31st December 1976 :

		Rs.
(*a*)	Building (non-factory) :	
	First class W. D. V. b/f	50,000 (2½%)
(*b*)	Building (factory) :	
	First class W. D. V. b/f	1,00,000 (5%)
	New addition on 1-10-1976	20,000
(*c*)	Plant and Machinery :	
	W. D. V. b/f	40,000 (10%)
(*d*)	Addition (second-hand) installed on 1-7-1976	5,000
	Addition (new) installed on 15-9-1976	10,000
	Sale on 1-7-1976 the item being in use till sale and its cost being Rs 10,000 and depreciation allowed Rs. 5,500	12,000
(*e*)	Furniture :	
	W. D. V. b/f	4,000 (10%)

The percentages given in brackets are the prescribed rates of depreciation. All machinery was used double-shift for 100 days, and the factory actually worked for 250 days.

Calculate the amount of depreciation allowable, the written-down values to be carried forward and the profit or loss on sale of machinery.

	Depreciation Rs.
Factory building :	
5% on Rs. 1,20,000	6,000

Non-factory buildings :			
$2\frac{1}{2}\%$ on Rs. 50,000		1,250	48,750
Plant and Machinery :			
Normal at 10% on Rs. 50,500 (Rs. 40,000 – Rs. 4,500 W.D.V. of machinery sold + Rs. 15,000 additions)	5,050		
Double-shift allowance being 1/2 of 100/250 of Rs. 5,050	1,010	6,060	44,440
Furniture			
10% on Rs. 4,000		400	3,600
		13,710	

Profit on sale of machinery :		Rs.
Sale Proceeds		12,000
Written-down value : Cost	10,000	
Depreciation allowed	5,500	4,500
Profit on sale		7,500

Out of Rs. 7,500, Rs. 5,500 (equal to depreciation allowed) is deemed profit, while the balance of Rs. 2,000 is long-terms capital gain.

(9) A, the General Manager of a company, is in receipt of a salary of Rs. 3,000 per month and an entertainment allowance of Rs. 500 per month, the allowance drawn before 1st April 1955 being Rs. 400 per month. He is in occupation of a rent-free fully furnished house provided by the company. The cost of furniture provided is Rs. 9,300.

The company also maintains a recognised provident fund to which A contributes Rs. 400 per month and the company contributes an equal amount. Interest credited to his provident fund account at 9·5% per annum is Rs 950.

During the year ended 31st March 1977 A had also the following income :

(*a*) Rent of a house (built on 1-4-1974) let out for residence at Rs. 1,000 per month, the municipal taxes paid in respect thereof being Rs. 1,200.

(b) Share of income from a Hindu undivided family Rs. 5,000.

(*c*) Prize won in an essay competition on the subject of "Industrial Management" Rs. 500.

He paid Rs. 12,000 as life insurance premium and Rs. 9,000 as donation to the National Defence Fund.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

---

1. Income from salary :		Rs.
Salary as such	36,000	

			Rs.
Entertainment allowance		6,000	
Value of rent-free furnished house as calculated below		4,650	
Employer's contribution to recognised provident fund in excess of 10% of salary of Rs. 36,000		1,200	
Interest on provident fund account in excess of 7·5% p. a.		200	
		48,050	
Deductions :			
Standard deduction	3,500		
Entertainment allowance	4,800	8,300	39,750
2. Income from house property :			
Rent being annual value		12,000	
Less Municipal taxes		1,200	
		10,800	
Less Statutory allowance		1,200	
Annual value in this case		9,600	
Less One-sixth for repairs		1,600	8,000
3. Other Sources :			
Prize in essay competition not being casual income as it arises from the exercise of a profession			500
Gross Total Income			48,250
Deductions :			
For provident fund contributions and insurance premium limited to 30% of gross total income, *i. e.*, Rs. 14,475 :			
First	4,000		
50% of Rs. 6,000	3,000		
40% of Rs. 4,475	1,790	8,790	
For donation to N. D. Fund being 50% of Rs. 9,000		4,500	13,290
Total Income			34,960

Notes :

1. The share of income received from a Hindu undivided family is not to be included in gross total income
2. The value of rent-free furnished house is calculated as follows :

		Rs.
Salary as such		36,000
Taxable portion of entertainment allowance		1,200
		37,200
10% of Rs. 37,200	3,720	
Add—10% of the cost of furniture	930	4,650

3. There is no maximum limit on donations to National Defence Fund, the whole amount paid qualifying for deduction.

(10) C is a chartered accountant From the following information, compute total income for the previous year ended 31st March 1977 :

(*a*) Gross professional fees received Rs. 26,000 and expenses incurred (including Rs. 2,400 for the maintenance of a motor-car) Rs. 7,200.

(*b*) On 1st July 1976 he purchased a second-hand motor-car for Rs. 10,000. The car is used partly for professional work and partly for his private purposes. The Income-Tax Officer has agreed to allow one-half of maintenance expenses and one-half of depreciation.

(*c*) The written-down values of professional books and type-writers as on 1st April 1976 were Rs. 5,000 and Rs. 6,000 respectively.

(*d*) On 1st May 1976 he purchased for Rs. 1,000 a duplicating machine for his office use, but as it was found unsuitable, it was disposed of for Rs. 700 on 1st November 1976.

(*e*) As a member of a house-building co-operative society C was allotted on lease, on 1st June 1976 a house built by the society, its fair rent being Rs. 100 per month. He paid Rs. 100 for municipal taxes in respect of this house and interest of Rs. 400 was due to the society.

(*f*) The prescribed rates of depreciation are motor-car 20%, books 10% and office machinery 15%.

			Rs.
1. Income from house property :			
Annual value on the basis of rent for 10 months		1,000	
Less Municipal taxes		100	
		900	
Less Statutory allowance		450	
Annual value in this case		450	
Less One-sixth for repairs	75		
Interest due to Society	400	475	−25

Income from profession :			
Fees received		26,000	
Less Expenses excluding Rs. 1,200 maintenance expenses of motor-car for private use		6,000	
		20,000	
Less Depreciation :			
Motor-car : ½ of 20% on Rs. 10,000	1,000		
Books : 10% on Rs. 5,000	500		
Typewriters : 15% on Rs. 6,000	900	2,400	
		17,600	
Less Short-term capital loss from sale of duplicator		300	17,300
Total Income			17,275
Rounded off			17,280

A member of a house building co-operative society, to whom a building is leased, is deemed to be the owner of that building.

(11) X is employed as a senior lecturer in a college of the Delhi University, getting a salary of Rs. 800, a dearness allowance of Rs. 60, and a compensatory allowance of Rs. 120 per month. During the previous year ended 31st March 1977 he contributed one month's salary to a provident fund, to which the Provident Funds Act, 1925, applies, the college also contributing the same amount. The interest credited to his provident fund account for the year amounted to Rs. 450 at 7·5 per cent per annum.

On 1st April 1976 he sold for Rs. 32,000 his ancestral house in which he was residing. The original cost of this house is unknown but its fair market value as on 1st January 1954 was Rs. 12,000. For his residence he purchased another house for Rs. 40,000 on 1st July 1976. The annual value of this house as per municipal records is Rs. 6,000, and the municipal taxes paid in respect thereof are Rs. 600 per annum.

In September 1976 he received Rs. 1,000 as interest on his Rs. 25,000 4% treasury deposit receipt and Rs. 1,000 as examiner's remuneration from the Agra University.

During the previous year ended 31st March 1977 he paid Rs. 1,000 as premium on a policy on his own life and Rs. 400 as premium on a policy on the life of his unmarried daughter.

Compute his total income for the assessment year 1977-78.

			Rs.
1.	Salary income :		
	Salary as such	9,600	
	Dearness allowance	720	
	Compensatory allowance	1,440	
		11,760	
	Less Standard deduction	2,176	9,584
2.	Income from house property :		
	Proportionate annual value for 9 months	4,500	
	Less Municipal tax (½)	450	
		4,050	
	Less Self-occupation allowance	1,800	
	Annual value in the case	2,250	
	But it is limited to 10% of his other income of Rs. 10,584 and is Rs. 1,058. On this basis for 9 months it is	793	
	Less One-sixth for repairs	132	661
3.	Other Sources : Examiner's remuneration		1,000
	Gross Total Income		11,245
	Deduction for provident fund contributions and insurance premium amounting to Rs. 2,200		2,200
	Total Income		9,045
	Rounded off		9,050

There is a capital profit of Rs. 20,000 on the sale of the ancestral residential house, but this is not to be included in the total income as the assessee has purchased another house for his residence within a year of the sale of the old house and the cost of the new house is greater than the amount of capital gain.

The interest from 4% treasury deposit is to be excluded from total income.

(12) During the year ended 31st March 1977 an individual had income from the following sources :

(*a*) He received ground rent of Rs. 10,000 from a tenant A to whom he had leased his agriculture land. A was not ploughing the land but had built shops on it. Out of

the rent of Rs. 10,000, Rs. 6,000 was stated to have been received for the land on which shops had been built and Rs. 4,000 from the vacant land around them.

(*b*) He was working during the year as manager of a firm on a salary of Rs. 500 per month. A sum of Rs. 3,000 taken by him as an advance during the year ended 31st March 1976 was deducted by the firm during the previous year by monthly instalments of Rs. 250. The provident fund of the firm is a recognised one, and he has been contributing to the provident fund at the rate of Rs. 25 per month, the employer also contributing a similar amount. Interest of Rs. 200 was added to his account on 31st March 1977.

(*c*) He received during the year Rs. 10,000 from a Hindu undivided family as income of his share.

He paid Rs. 2,000 as premium to insure his own life for Rs. 15,000, Rs. 2,000 as premium to insure the life of his wife for Rs. 25.000, and Rs. 300 as premium to insure his minor son's life for Rs. 5,000.

Ascertain his total income for the assessment year 1977-78.

		Rs.
1. Salary income :		
Salary for the year 1976-77	6,000	
Less Amount repaid on account of advance salary taken in 1975-76	3,000	
	3,000	
Less Standard deduction	1,200	1,800
2. Other Sources : Ground rent from land not for agricultural purposes		10,000
Gross Total Income		11,800
Deductions :		
The qualifying amount of provident fund contribution and life insurance premiums is limited to 30% of gross total income. It is therefore Rs. 3.540. Full amount being deductible.		3,540
Total Income		8,260

It is assumed that the interest credited to the provident fund account does not exceed 7·5% p. a.

Rs. 10,000 received as his share from the Hindu undivided family is not to be included in the total income of the assessee.

(13) X is a practising lawyer, who keeps his accounts on cash basis. His previous year ends on 31st March. In his return of income for the assessment year 1977-78 he declares a net professional income of Rs. 75,000 His gross receipts are Rs. 85,000 and the expenses as deductions amount to Rs. 10,000.

On the occasion of his son's marriage in January 1977 some of his clients gave handsome gifts of the value of Rs. 20,000, but in his return of income he did not include the value of these gifts.

He received during the previous year a gross dividend of Rs. 1,400 from an Indian company.

He purchased 3% government securities of the face value of Rs. 40,000 on 1st October 1976, interest being payable on 1st January and 1st July each year. On 1st January 1977 he realised a net interest of Rs. 462 after deduction of Rs. 138 for income-tax. At the time of the purchase, he had paid the vendor Rs. 231 towards the accrued interest after deduction of Rs. 69 on account of income-tax thereon.

Work out the total income of X for the assessment year 1977-78.

		Rs.
1.	Interest on securities gross	600
2.	Professional income	75,000
3.	Dividend gross	1,400
	Gross Total Income	77,000
	Deduction on account of dividend and interest on securities	2,000
	Total Income	75,000

Gifts of Rs. 20,000 received on the occasion of the marriage of X's son are not taxable, as they were received on personal ground.

The amount of Rs. 231 paid by X at the time of purchasing the government securities goes to increase the cost of securities in his hands. The interest on securities is to be assessed only in the hands of the person who holds them on the date when interest is payable. Therefore, the gross interest of Rs. 600 received on 1st January 1977 is assessable in X's hands.

(14) K. S. Guha, Bar-at-Law, was practising in the Calcutta High Court. On 1st June 1976 he closed his office and took up employment as law officer on a monthly salary of Rs. 3,000 in a firm of importers who did not permit him to practise.

From the following information compute his total income for the assessment year 1977-78 :

(a) Professional income (net) for April and May 1976 Rs. 3,000.

(b) Gratuitous payment received from an old client on 18th May 1976 for having ably conducted a case which involved an important question of labour laws Rs. 5,000.

(c) Fees received on 1st October 1976 for professional advice given in April 1976 Rs 1,000.

(d) Receipts for contributing articles to law journals Rs. 3,000.

(e) He was on leave in the U. K. in February 1977 drew his salary there, and spent it entirely there.

He claims deduction of the following expenses :

(a) Purchases of law books in July 1976 Rs. 1,000.

(b) One-fourth of monthly rent of Rs. 500 paid for his residential flat which is partly used for doing the firm's work.

(c) Entertainment of firm's customers Rs. 500.

			Rs.
1.	Salary income :		
	Salary for 10 months	30,000	
	Less Standard deduction	3,500	26,500
2.	Income from profession :		
	Income for April and May 1976	3,000	
	Amount received on 18-5-1976	5,000	
	Receipt after 31-5-1976	1,000	9,000
3.	Other Sources : Receipts from contributions to law journals		3,000
	Total Income		38,500

When any profession is discontinued in any previous year, any sum received after the discontinuance is deemed to be the income of the recipient for that previous year.

There is no provision in law for the deduction of rent paid for the flat used for doing the employer's work and for the expenses of entertaining the employer's customers.

The leave salary drawn in the U. K is taxable as it was earned in India.

(15) X, an individual resident in India, has furnished the following particulars in respect of his assessment for the year 1977-78 :

		Rs.
1.	Interest on government securities gross	1,000
2.	Interest on savings bank account in a bank	200
3.	Interest on post-office savings bank account	100
4.	Dividend from an Indian company	8,00
5.	Dividend from Unit Trust of India.	1,200
6.	Half share of profits from an unregistered firm whose total income for the assessment year 1977-78 has been determined at Rs. 2,400.	1,200
7.	30% share in a registered firm whose total income for the assessment year 1977-78 has been determined at Rs. 50,000 and the income-tax payable thereon at Rs. 2,750. The total income so determined included the following amounts disallowed and added back :	

	Partner X	Partner Y
	Rs.	Rs.
Salary	3,000	3,000
Interest	—	2,000
Commission	3,000	—

8. Long-term capital gains relating to building 12,000

X claims deduction in respect of the following items :

(*a*) Interest of Rs. 2,500 paid on moneys borrowed for investment in the capital of the registered firm.

(*b*) Car maintenance and depreciation amounting to Rs. 4,000 on car owned by him and used wholly for purposes of the business of the registered firm.

Compute the total income of X for the assessment year 1977-78.

			Rs.
1.	Interest on securities gross		1,000
2.	Income from business :		
	Share income from unregistered firm	1,200	
	Share income from registered firm as calculated below	9,675	10,875
3.	Capital gains (long-term relating to buildings)	12,000	
4.	Other Sources :		
	Interest on bank account	200	
	Dividend from an Indian company	800	
	Dividend from Unit Trust of India	1,200	2,200
	Gross Total Income		26,075

Deductions :

Under section 80L :

Interest on government securities 1,000

Interest on bank account	200		
Dividend from Indian company	800		
Dividend from Unit Trust of India	1,200		
	3,200		
Deduction allowable		3,200	
Under section 80T :			
In respect of long-term capital gains relating to buildings :			
First	5,000		
25% of Rs. 7,000	1,750	6,750	9,950
Total Income			16,125
Rounded off			16,130

Note : The maximum limit of deduction of Rs. 3,000 U/S 80L is increased by Rs. 200 on account of dividends from Unit Trust of India.

Total share income from registered firm is calculated as under :

		Rs.
Salary		3,000
Commission		2,000
30% of Rs. 40,000 balance income of firm		12,000
		17,000
Less 30% of Rs. 2,750 tax payable by the firm		825
		16,175
Less Interest paid on money borrowed for investment in the firm	2,500	
Expenses of car used wholly for purposes of firm's business	4,000	6,500
		9,675

(16) A religious Hindu individual died, leaving behind a large estate consisting of house properties and agricultural land. According to his "wiil", the entire property was given to Shri Hanumanji, being the ancestral Diety installed in a private temple, but out of the entire income a sum of Rs. 2,000 per month was to be divided equally in favour of his widow and only son.

For the year ended 31st March 1977 the net income from agriculture amounted to Rs. 20,000 while the income from house properties (as computed under section 24 without deducting the annual charge) came to Rs. 80,000.

During the year Rs. 10,000 was spent on *bhog*, *puja* and other expenses of the diety.

What income is liable to income-tax and in whose hands ?

In this case the entire property is held by the deity (Shri Hanumanji) under a legal obligation for private religious purposes. Therefore, the income of the property is not exempt from income-tax.

As the widow and the son of the deceased do not share in the ownership of the property, the assessment of its income will be made on the deity in the status of an individual A deity is an artificial juridical person and the assessment will be made through the manager of the temple.

The agricultural income of Rs. 20,000 is exempt. The chargeable income is that derived from house properties, which comes to Rs. 80,000 before deduction of any annual charge. The annual charge created by the will on the entire income of Rs. 1,00,000 (Rs. 20,000 + Rs. 80,000) is Rs. 24,000. Therefore the proportionate annual charge on the income from house properties will be Rs 80,000/1,00,000 of Rs. 24,000=19,200. After deducting Rs. 19,200 from Rs. 80,000 the net income from house properties is Rs. 60,800.

The *bhog*, *puja* and other expenses on the deity are personal expenses and are disallowed.

The widow and the son of the deceased received in their individua capacity a sum of Rs. 12,000 each for which they will be assessed separately, the existence of agricultural income in the hands of the deity being[1] irrelevant.

The assessment will therefore be made as follows :

(*a*) Deity as an individual under the head "Income from House Property" Rs 60,800.

(*b*) Widow as an individual under the head "Income from Other Sources" Rs. 12,000

(*c*) Son as an individual under the head "Income from Other Sources" Rs. 12,000.

(17) Given below is the Profit and Loss Account of X for the year ended 31-12-1976 :

	Rs.		Rs.
Salaries	7,260	Gross Profit	46,912
Drawings	8,412	Profit on sale of house property for Rs. 33,000	9,124
Premium for insurance on his own life	936	Interest on P. O. S. B. Account	50
Depreciation	4,332	Proceeds of Insurance Policy	5,000
Donation to a recognised school	560		
General Expenses	2,620		
Provisions for Doubtful Debts	2,000		

Rent and Rates	1,200		
Net Profit	30,766		
	61,086		61,086

Compute his total income for the assessment year 1977-78 after taking the following information into consideration :

(*a*) The amount of depreciation allowable is Rs 3,000.
(*b*) General expenses include Rs. 200 for his private expenses.
(*c*) The house property sold during the year was built in 1956.
(*d*) He always valued his stock-in-hand at cost but the stock on 31st December 1976 shown in the Trading Account at Rs. 9,500 was valued at 5% below cost.

			Rs.
Net Profit as per Profit & Loss Account			33,766
Less Profit on sale of house property being capital profit		9,124	
Interest on P. O. S. B. Account not to be included in total income		50	
Proceeds of insurance policy being a casual receipt		5,000	14,174
			19,592
Add Drawings of X		8,412	
Insurance premium		936	
Excess depreciation		1,332	
Charitable donation		560	
Private expenses		200	
Provision for doubtful debts		2,000	
Undervaluation of closing stock		500	13,940
Income from business			33,532
1. Income from business			33,532
2. Capital gain (long-term)			9,124
Gross Total Income			42,656
Deductions :			
For insurance premium of Rs. 936		936	
50% of donation of Rs. 560		280	
For long-term capital gain of Rs. 9,124 relating to building :			
First	5,000		
25% of Rs. 4,124	1,031	6,031	7,247
Total Income			35,409
Rounded off			35,410

(**18**) From the following Profit & Loss Account of a merchant for the year ended 31st December 1976 compute his income from business and his total income from the assessment year 1977-78.

	Rs.		Rs.
To Office Salaries	4,800	By Gross Profit	36,000
„ General Expenses	2,500	„ Commission	1,200
„ Bad Debts written-off	2,000	„ Discount	1,000
„ Provision for Bad Debts	3,000	„ Sundry Receipts	700
„ Fire Insurance premium	500	„ Bad Debts recovered	500
„ Advertising	3,000	„ Interest from Govt. Securities (net)	3,000
„ Income-tax	2,000	„ Profit on Sale of Machinery	3,000
„ Interest on Capital	1,500		
„ Interest on Bank Loan	1,500		
„ Loss of building by fire (uninsured)	1,200		
„ Depreciation	1,500		
„ Repairs	1,000		
„ Loss by Embezzlement	1,500		
„ Net Profit	19,400		
	45,400		45,400

General expenses include Rs. 600 given as donation to an approved education institution. The amount of depreciation allowable is Rs 800. Advertising includes Rs. 1,000 as cost of a permanent sign on the shop.

		Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		19,400
Less Interest from government securities (considered separately)		3,000
		16,400
Add Provision for Bad Debts	3,000	
Income-tax	2,000	
Interest on Capital	1,500	
Loss of Building by fire	1,200	
Depreciation	1,500	
Loss by Embezzlement (not being in the course of business)	1,500	
Cost of Permanent sign being capital expenditure	1,000	
Donations	600	12,300
		28,700
Less Depreciation allowable		800
Business Income		27,900

			Rs.
1.	Interest on Securities : Net Rs. 3,000. Tax deducted at 23% Therefore gross amount would be		3,896
2.	Business Income		27,900
	Gross Total Income		31,796
Deductions :			
	50% of donation of Rs. 600	300	
	In respect of interest on government securities	3,000	3,300
	Total Income		28,496
	Rounded off		28,500

It is assumed that the profit on sale of machinery is not more than the depreciation allowed in respect thereof in the past. Therefore this profit forms part of his income from business.

---

(19) Ram Lal and his three major sons are members of a Hindu undivided family. Compute the family's total income for the accounting year ended 31st March 1977 from the following particulars, giving briefly your reasons.

The family had a cloth business at Kanpur which yielded a net profit of Rs. 50,000 after deduction of (*i*) salary of Rs. 12,000 to Ram Lal who managed the business ; (*ii*) salary of Rs. 3,000 to one of his sons, who worked as a salesman ; and (*iii*) commission of Rs. 5,000 to a stranger who secured a lucrative new agency.

The family owned shares with controlling voting power in a limited company at Kanpur, by virtue of which one of its members became the company's managing director and earned a total remuneration of Rs. 18,000.

On 15th April 1977 the family received a dividend of Rs. 20,500 (gross) declared by the company on 15th March 1977.

			Rs.
1.	Business income :		
	Net Profit from Kanpur business	50,000	
	Add Commission paid for securing a new agency being capital expenditure	5,000	55,000
2.	Dividend gross		20,500
	Gross Total Income		75,500
	Deduction in respect of dividend		3,000
	Total Income		72,500

As both the karta and his son rendered service to the family, the remuneration paid to them is an allowable deduction.

The dividend, though received after the previous year ended 31st March 1977 was declared within that year. As soon as a company declares a dividend, it become the income of the shareholders. Therefore, the dividend is to be treated as the income of the previous year 1976-77.

The remuneration of Rs. 18,000 received by a member of the Hindu undivided family as managing director of the limited company is his individual income, since it is for the personal services rendered by him without any detriment to the assets of the family. The fact that he secured this post by virtue of the shares held by the family cannot change the character of his income.

(20) A & Co. is a firm carrying on business in piece-goods. It has three partners A, B and C who share profits and losses in the proportions of 2, 3 and 5 respectively.

The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March 1977 disclosed a net profit of Rs. 1,26,000 including interest on debentures of an Indian company Rs. 6,000 gross. The net profit was arrived at after debiting the following items :

(*i*) Salary to A Rs. 18,000.

(*ii*) Interest to B Rs. 6,000.

(*iii*) Rent to C Rs. 9,000.

The firm has been registered under section 185 of the Income-Tax Act by the Income-Tax Officer for the assessment year 1977-78.

Compute the total income of the firm and the share income of each partner.

Total income of the firm :

	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account	1,26,000
Less Interest on securities to be considered separately	6,000
	1,20,000
Add Items disallowed : Salary to A	18,000
Interest to B	6,000
Business Profits	1,44,000
1. Interest on securities gross	6,000
2. Business Profits	1,44,000
Total income of the firm	1,50,000

Income-tax payable by the firm :

	Rs.
Income-tax on Rs. 1,50,000 at prescribed rates	22,000

10% surcharge			2,200
Income-tax payable			24,200

Share income of partners :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Salary	18,000	—	—
Interest	—	6,000	—
Balance of business income before tax (2 : 3 : 5)	24,000	36,000	60,000
	42,000	42,000	60,000
Less Share of firm's tax of Rs. 24,200	4,840	7,260	12,100
Share of business profit	37,160	34,740	47,900
Share of interest on securities	1,200	1,800	3,000
Share Income	38,360	36,540	50,900

Credit for income-tax deducted at source (at 23%) from interest on securities.

---

(21) A, B and C are partners in a firm with shares of 2, 2 and 1 respectively. The firm's Profit and Loss Account for the year ended 31st December 1976 showed a net loss of Rs. 40,000 after charging the following items :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Interest on capital	1,000	2,000	3,000
Salary	3,000	—	—
Bonus	2,000	2000	2,000

A's income from other sources was Rs. 18,000, while B and C had no other source of income.

State how the assessment of the firm and of its partners will be made for the assessment year 1977-78 if the firm is (*a*) registered and (*b*) unregistered.

After making adjustment for interest on capital, salary and bonus, the firm's loss would be Rs. 25,000 and the respective shares of the three partners would be as follows :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Interest on capital	1,000	2,000	3,000
Salary	3,000	—	—
Bonus	2,000	2,000	2,000

—Share of firm's loss (2 : 2 : 1)	−16,000	−16,000	−8,000
	−10,000	—12,000	—3,000

When the firm is registered :

A can set off his share of the firm's loss (Rs. 10,000) against his other income of Rs. 18,000, and therefore he will have to pay tax on Rs. 8,000 only.

B can carry forward for 8 years his share of the firm's loss (Rs. 12,000) for set-off against his future share of income from the same firm or against any other business income.

C can do like B.

When the firm is unregistered :

The unregistered firm itself can carry forward for 8 years its loss of Rs. 25,000 to be set off against its future business income.

A cannot set off his share of the firm's loss against his other income. He will therefore have to pay tax on full Rs. 18,000.

B and C cannot carry forward their share of the firm's loss and they are not liable to tax as they have no other income.

(22) A registered firm consists of two partners A and B sharing profits and losses in the proportion of 2 : 3. The total income of the firm for the assessment year 1977-78 is computed as follows :

		Rs.
Income from house property		25,000
Income from business	80,000	
A's salary	12,000	
B's interest	8,000	1,00,000
		1,25,000

Work out the tax payable by the firm and the share income of each partner from the firm.

Income-tax payable by the firm :

	Rs.
Income-tax on Rs. 1,50,000 at prescribed rates	16,000
10% surcharge thereon	1,600
Income-tax payable	17,600

Share income of partners :

	A Rs.	B Rs.
Salary	12,000	—

Interest	—	8,000
Balance of business income before tax (2 : 3)	32,000	48,000
	44,000	56,000
Less Share of firm's tax	7,040	10,560
Business income	36,960	45,440
Income from house property	10,000	15,000
Share Income	46,960	60,440

(23) The profit disclosed by the Profit and Loss Account of a limited company for the year ended 31st December 1976 was Rs. 7,50,000.

The following are some of the items which appeared in that Profit and Loss Account :

(*a*) Opening and closing stocks of Rs. 4,50,000 and Rs. 4,80,000 respectively.
(*b*) Rent received Rs. 10,000.
(*c*) Bonus to workers Rs. 50,000.
(*d*) Provision for Doubtful Debts Rs. 25,000.
(*e*) Sales-Tax Rs. 45,000
(*f*) Depreciation Rs. 1,20,000.
(*g*) Managing Director's Commission Rs. 65,000.

Taking the following information into account, compute the company's income from business and its total income for the assessment year 1977-78 :

(1) The assessment of the company for 1977-78 showed that the stocks (both opening and closing) were undervalued by 10% in the year 1975 and an adjustment on that account was made in the assessment year 1976-77. The year's closing stock has been found to be valued properly.

(2) Rents received include Rs. 3,000 rent for a shop let out to the selling agents and the balance is the rent of labour quarters situated at a distance of two miles from the mills.

(3) During the year a debt of Rs. 5,000 was written off as bad against the Provision for Doubtful Debts. It was due from a person to whom an advance was made for factory building contract.

(4) The allowable amount of depreciation works out at Rs. 95,000.

The shop let out to the selling agents and the labour quarters situated at a distance of two miles from the mills cannot be considered to be used for business purposes. Therefore the income from rents cannot be assessed as part of business profits, but it will have to be assessed as income from house property.

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		7,50,000
Less Rent received which will be assessed as income from house property		10,000
		7,40,000
Add Provision for Doubtful Debts	25,000	
Depreciation (depreciation allowable will be deducted)	1,20,000	1,45,000
		8,85,000
Less adjustment on account of the under valuation of opening stock (1/9th of Rs. 4,50,000)		50,000
		8,35,000
Less Depreciation allowable		95,000
Income from business		7,40,000
1. Income from House Property :		
Rent received	10,000	
Less One-sixth for repairs	1,666	8,334
2. Income from business		7,40,000
Total Income		7,48,334

(**24**) The Profit and Loss Account of a limited company engaged in the manufacture of electric goods showed a net profit of Rs. 12,50,000 for the year ended 31st December 1976. Having regard to the following information, compute the total income of the company for the assessment year 1977-78.

(*a*) During the year 1976 a godown of the company containing stock worth Rs. 2,50,000 was destroyed by fire ; Rs. 2½ lakhs received from the insurance company (Rs. 1,00,000 on account of building destroyed and Rs. 1,50,000 on account of stock burnt) was credited to Buildings Account. The written-down value of the godown destroyed was Rs. 1,15,000 on 31st December 1975.

(*b*) Rs. 5,000 profit made by the company on sales in an exhibition in London and kept as a deposit in a London bank, was credited to Contingencies Reserve.

(*c*) Rs. 84,000 stands debited to Profit and Loss Account as interest. The details of the Interest Account are as follows :

	Rs.
Interest paid on borrowings	98,000

Less Interest on government securities received after deduction of tax at 23%	13,700
	84,300

(*d*) Rs. 2,50,000 was charged to Profit and Loss Account for depreciation, but the amount of admissible depreciation is Rs. 3,00,000.

(*e*) The managing director's son aged 20 joined the company in June 1976 as an assistant immediately after passing his B. Com. Examination on a monthly salary of Rs. 500 per month, but from 1st October 1976 his salary was raised to Rs. 1,500 per month.

(*f*) Expenditure on certain mechanical units amounting to Rs. 35,000 had been charged to revenue in 1975. Such expenditure having been disallowed by the Income-Tax Officer on the ground that it was of a capital nature the company made a transfer entry in the accounts for 1976 crediting Machinery Repairs Accounts by Rs. 35,000 and debiting the Machinery Account by that Amount.

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		12,50,000
Less Interest on Securities considered separately		13,700
		12,36,300
Add Amount received from insurance company for loss of stock by fire credited Building Account	1,50,000	
Depreciation debited, admissible depreciation being deducted separately	2,50,000	
Part of salary of managing director's son disallowed as being expenditure not laid out for the purposes of the company's business	3,000	4,03,000
		16,39,300
Deduct the following items :		
Terminal depreciation on godown destroyed by fire	15,000	
Admissible depreciation	3,00,000	
Machinery repairs capitalised	35,000	3,50,000
		12,89,300
Add Profit earned outside India but not brought into India		5,000
Income from business		12,94,300
1. Interest on securities gross (tax deductad at source being Rs. 4,092)		17,792

2. Income from business		12,94,300
	Total Income	13,12,092
	Rounded off	13,12,090

As regards the salary of the managing director's son, even the initial salary of Rs. 500 per month was too high for him. To increase it still further to Rs. 1,500 a month within a short period of four months was not warranted by commercial considerations for the service he rendered. Therefore the increase of Rs. 1,000 per month for the period of three months is disallowed as being expenditure not wholly or exclusively laid out for the purposes of the business.

(25) Mohan Brothers Private Ltd. carries on the business of printing and publication of books Its Profit and Loss Account for the year ended 31st March 1977 ; which contained the following items, disclosed a net profit of Rs. 53,000 :

	Rs.		Rs.
Staff Welfare Expenses	2,000	Dividends from Indian companies gross	13,000
Royalty on publications	15,000		
Depreciation	8,000	Rent of Building let out to outsiders	3,000
Provision for Bad Debts	5,000		
Repairs to Building	1,000		
Municipal taxes for Building	500		

The particulars of depreciable assets are as follows :

	W.D.V. on 1-4-1976	Additions	Sales	Depreciation rate
	Rs.	Rs.	Rs.	
Plant and Machinery	40,000	12,000	20,000	10%
Electric Fittings	5,000	—	—	10%
Motor-car	10,000	—	—	20%
Furniture	10,000	2,000	—	10%

The written-down value of old machinery, which cost Rs. 15,000 and which was sold during the accounting year for Rs. 20,000, was Rs. 11,000 on 1-4-1976.

New machinery costing Rs. 12,000 was installed in February 1977.

Compute the total income of the company for the assessment year 1977-78.

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		53,000
Less Income considered separately : Dividends	13,000	
Rent	3,000	16,000
		37,000
Add Depreciation charged	8,000	
Provision for Bad Debts	5,000	

Repairs to Building let out	1,000	
Municipal taxes for Building let out	500	
Profit on sale of machinery equal to depreciation allowed	4,000	18,500
		55,500
Less Depreciation as calculated below		7,800
Business Income		47,700

Depreciation allowable :

Plant and Machinery : 10% on Rs. 41,000 (Rs. 40,000 —Rs. 11,000 + Rs. 12,000)	4,100
Electric Fittings : 10% on Rs. 5,000	500
Motor-car : 20% on Rs. 10,000	2,000
Furniture : 10% on Rs. 12,000 (Rs. 10,000 + Rs. 2,000)	1,200
	7,800

Income from house property :

Rent being annual value	3,000
Less Municipal taxes	500
Annual value in this case	2,500
Less One-sixth for repairs	416
	2,084

Capital Gain :

Sale price of machinery sold	20,000
Less Cost thereof	15,000
Long-term capital gain	5,000

Computation of Total Income

1. Income from house property		2,084
2. Business Profits		47,700
3. Capital gain (long-term)		5,000
4. Dividends gross		13,000
Gross Total Income		67,784
Deductions :		
60% of Rs. 13,000 dividends	7,800	
20% of publishing business profits of Rs. 47,700	9,540	17,340
Total Income		50,444
Rounded off		50,440

Notes : It has been assumed that the company on whose shares a dividend of Rs. 13,000 has been received, had been formed before 28-2-1975.

(26) For the previous year ended 31st March 1977 Shyam Lal was an employee in an office on a monthly salary of Rs. 400. He was a member of an unrecognised provident fund to which he contributed 10% of his salary and his employer also contributed an equal amount.

On 1-8-1976 he resigned and joined another office on the same day on Rs. 500 p. m. He received Rs. 5,000 from the unrecognised provident fund of which half the amount consisted of the employer's contribution and interest thereon.

In his new employment he contributed 10% of his basic salary to a recognised provident fund and his employer contributed Rs. 520. He was provided with an unfurnished rent-free house by the second employer, the municipal valuation of which was Rs 75 p. m.

He paid Rs. 400 per annum as premium on his life insurance policy of Rs. 3,500 and deposited Rs. 500 in a 15-year post-office cumulative time deposit account. He has also a joint-life policy of Rs. 20,000 on his own life and that of his friend on which he paid a premium of Rs. 2,500.

Find out his taxable income for the assessment year 1977-78.

The amount received by an employee from an unrecognised provident fund includes (*i*) employer's contribution, (*ii*) interest on employer's contribution, (*iii*) his own contribution, and (*iv*) interest on his own contribution. Of these, the first two are taxable as salary, the third is exempt as it has already been taxed in the past and the fourth is taxable as income from other sources. This is according to a recent decision of the Supreme Court.

In this question the first two amount to Rs. 2,500, while the interest on the employee's own contribution is not given. Such interest is assumed to be Rs. 300 and the answer is given accordingly.

Total Income of Shyam Lal
for the assessment year 1977-78

1.	Income from salary :	Rs.	Rs.
	Salary from first employer	1,600	
	Salary from second employer	4,000	
	employer's contribution to unrecognised provident fund and interest thereon	2,500	
	Second employer's contribution to recognised provident fund (in excess of 10%)	120	
	Value of rent-free house being 10% of Rs. 4,000	400	
		8,620	
	Less Standard deduction 20% of Rs. 8,620	1,724	6,896
2.	Income from other sources :		
	Interest on own contribution to unrecognised provident fund		300
	Gross Total Income		7,196

Deductions :

Contribution to recognised provident fund	400	
Insurance premium (limited to 10% of sum assured)	350	
Cumulative time deposit in post-office	500	
Qualifying amount	1,250	1,250
Total Income		5,946
Rounded off		5,940

As the fair rent (at Rs. 75 p. m.) does not exceed 20% of salary, only 10% of Rs. 4,000 is to be included in salary income.

No deduction is admissible in respect of the premium paid on the joint life policy, as it is not a policy on the joint lives of the assessee and his wife or children.

(27) From the following particulars furnished by Hari Mohan compute his total income for the assessment year 1977-78 :

					Rs.
(*a*) Salary					3,500
(*b*) Income from house property :					
Property B			3,000		
Property C			3,900	6,900	
Less Municipal Taxes :					
Property A		400			
Property B		500			
Property C		700	1,600		
Repairs to Properties :					
Property A		400			
Property C		250	650		
Interest on mortgage of property B for Rs. 5,000			300		
Fire Insurance Premia :					
Property A		50			
Property B		75			
Property C		100	225		
Collection charges			700	3,475	3,425
	Total Income				6,925

(*a*) The assessee has settled in Bombay for purposes of his employment, where he resides in a rented house.

(*b*) All the house properties are at Calcutta. Property A was constructed in the year 1973 and is retained for self-occupation.

Properties B and C, which were constructed in 1957 and 1970 respectively, are let out.

(*c*) According to municipal records the annual values of properties A, B and C are Rs. 2,500, Rs. 2,500 and Rs. 3,500 respectively.

(*d*) The assessee was on leave for three months during the previous year ended 31st March 1977. During that period he resided in property A. No other benefit was derived from that property during the previous year.

(*e*) Rs. 5,000 raised on the mortgage of property B was utilised for purchase of agricultural land, the income from which is exempt from income-tax.

It is assumed that property C was constructed after 31-3-1970 and was let out for residential purposes.

Total Income of Hari Mohan
for the assessment year 1977-78

		Rs.
1.	Salary (after standard deduction of Rs. 700)	2,800
2.	Income from house property as calculated below	3,383
	Total Income	6,183
	Rounded off	6,180

Income frome House Property

			Rs.
Property A :			
Annual value being municipal valuation		2,500	
Less Municipal taxes		400	
		2,100	
Less Self-occupation allowance		1,050	
Annual value in this case		1,050	
But it is limited to 10% of his other income of Rs. 2,800 + 1,859 + 2,375 = Rs. 7,034		703	
Proportionate annual value for 3 months		176	
Less One-sixth for repairs	29		
Insurance premium	50	79	97
Property B :			
Annual value being rent realised		3,000	
Less Municipal taxes		500	
Annual value in this case		2,500	

			Rs.
Less One-sixth for repairs	416		
Insurance premium	75		
Collection charges limited to 6% of Rs. 2,500	150	641	1,859
Property C :			
Annual value being rent realised		3,900	
Less Municipal taxes		700	
Annual value in this case		3,200	
Less One-sixth for repairs	533		
Insurance premium	100		
Collection charges limited to 6% of Rs. 2,000	192	825	2,375
			4,331

Note : In case of property C no statutory allowance is allowable because the period of five years of the allowance in this case has been expired with the Assessment Year 1975-76.

(28) Shri Agarwal is practising as a lawyer at Jaipur. He keeps his books on cash basis and his summarised Receipts and Payments Account for the year ended 31st March 1977 is as under :

	Rs.		Rs.
To Balance b/d	5,000	By Subscription to Law Journals	400
,, Legal Fees	30,000	,, Law Books purchased	1,000
,, Special Commission Fees	500	,, Rent	1,500
,, Salary as Part-time Lecturer in Law	2,400	,, Car Expenses	2,000
,, Examiner's Fees from Rajasthan University	400	,, Office Expenses	5,000
,, Interest on Fixed Deposit in a Bank	300	,, Electric Charges	1,000
,, Sale Proceeds of House Property	40,000	,, Income-Tax	2,000
,, Dividend from a Co-operative Society	1,000	,, Gifts to Daughter	1,000
,, Director's Fees	100	,, Household Expenses	15,000
		,, Cost of Typewriter purchased for office use	700
		,, Donation to an Approved Institution	1,000
		,, Car Purchased	22,000
		,, Life Insurance Premium	5,000
		,, Balance c/d	22,100
	79,700		79,700

The following further information is given :

(*a*) Rent and Electric Charges are in respect of the premises occupied by Shri Agarwal. One-half of the premises is used by him as his residence and the remaining half is in office use.

(*b*) One-half of car expenses are in respect of his personal used.

(*c*) Rs. 500 is allowable as depreciation in respect of the car used for professional purposes.

(*d*) Life insurance premium has been paid on a policy of Rs. 40,000 taken on his own life.

(*e*) He claimed Rs. 200 for books purchased out of his salary income and the remaining Rs. 800 against his professional income.

You are required to prepare a statement showing his income from profession and also to compute his total income for the relevant assessment year.

Note : There is a bad mistake in this question. When one-half of the car expenses are in respect of the assessee's personal use, it means the car is used half for professional purposes and half for personal purposes. The depreciation of car at 20% of Rs. 22,000 is Rs. 4,400 and one-half of it (namely Rs. 2,200) will be allowed as a deduction in computing the professional income. The question says that Rs. 500 is allowable as depreciation of car used for professional purposes.

The question has been answered by correcting this mistake. That is to say, Rs. 2,200 instead of Rs. 500 has been allowed as depreciation.

Computation of Professional Income

		Rs.		Rs.
Subscription to Law Journals		400	Legal fees	30,000
Rent (one-half)		750	Special Commission fees	500
Electric charges (one-half)		500	Examiner's fees	400
Car expenses (one-half)		1,000		
Office expenses		5,000		
Depreciations :				
Car (½ of 20%)	2,200			
Typewriter	700			
Books (10% of Rs. 800)	80	2,980		
Taxable Income		20,270		
		30,900		30,900

Computation of Total Income for assessment year 1977-78

1.	Salary income :		
	Salary as part-time Lecturer	2,400	
	Less Standard deduction	480	1,920

			Rs.
2.	Professional income		20,270
3.	Other sources :		
	Bank interest	300	
	Dividend from co-operative society	1,000	
	Director's fees	100	1,400
	Gross Total Income		23,590
Deductions :			
	50% of charitable donation of Rs. 1,000	500	
	For insurance premium of Rs. 4,000	4,000	
	Bank interest and Dividend from co-operative society	1,300	5,800
	Total Income		17,790

(29) The Profit and Loss Account of a registered firm for the year ended 31st December 1976 is given below :

		Rs.		Rs.
To Office Expenses		4,000	By Gross Profit b/d	1,00,000
„ General Eapenses		6,000		
„ Interest on Capital :				
A	2,000			
B	1,800			
C	1,200	5,000		
„ Salary to A		1,000		
„ Net Profit		84,000		
		1,00,000		1,00,000

C retired from the firm on 1st May 1976 and on that date D was admitted into partnership with one fourth share of profits. Prior to that date, A, B and C shared profits in the ratio of 1/2, 1/4 and 1/4 respectively.

Compute the firm's total income for the assessment year 1977-78, and allocate it amongst the partners, assuming that the old partners continued to share profits and losses in the same proportion as before the retirement of C and admission of D.

Before the retirement of C and admission of D, A, B and C shared profits as 2 : 1 : 1 respectively. Therefore A, B and D will also share profits and losses in the same proportions.

Computation of Firm's Total Income

	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account	84,000

Add Interest on Capital (Rs. 2,000+Rs. 1,800+Rs. 1,200)	5,000
Salary to partner A	1,000
Total Income	90,000

The income-tax payable by the registered firm for the assessment year 1977-78 will be as follows :

	Rs.
On first Rs. 10,000	—
On next Rs. 15,000 at 5%	750
On next Rs. 25,000 at 7%	1,750
On balance of Rs. 40,000 at 15%	6,000
	8,500
Add 10% surcharge	850
Income-Tax Payable	9,350

Allocation of firm's income amongst partners :

		A Rs.	B Rs.	C Rs.	D Rs.
Interest on capital		2,000	1,800	1,200	—
Salary		1,000	—	—	—
Balance of income	84,000				
Less Income-Tax	9,350				
	74,650				
For first 4 months Rs. 24,883 being one-third, distributed as 2 : 1 : 1		12,441	6,221	6,221	—
For next 8 months Rs. 49,767 being two-thirds distributed as 2 : 1 : 1		24,883	12,442	—	12,442
Share income from business		40,324	20,463	7,421	12,442

(30) A, B and C are equal partners in a registered firm which closes its accounts on 31st March each year. A retired on 1st October 1976 and the remaining partners continued the business.

The net profit as shown by the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 1977 was Rs. 40,000 after charging the following commission and salaries to partners :

	Commission Rs.	Salary Rs.
A	2,500	1,500
B	5,000	1,800
C	7,000	2,100

Allocate the firm's income amongst the partners and compute partners' total incomes if their other income were :

	Rs.
A	18,000
B	7,000
C	9,000

	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account	40,000
Add Commission to partners	14,500
Partners' Salaries	5,400
Total Income of the firm	59,900
Income-tax payable by the firm	4,384

Allocation of firm's income amongst partners :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Salary	1,500	1,800	2,100
Commission	2,500	5,000	7,000
Balance of income being Rs. 40,000 —Rs. 4,384 income-tax=Rs. 35,616 :			
First six months (equally)	5,936	5,936	5,936
Next six months (equally)	—	8,904	8,904
Share income from the firm	9,936	21,640	23,940
Their other income	18,000	7,000	9,000
Their Total Income	27,936	28,640	32,940

(31) Shri Singh is the owner of two houses at Agra. The annual value of the first house according to municipal records is Rs. 4,800, but it has been let out at Rs. 500 p. m. and the tenant has undertaken to bear the cost of repairs. Municipal tax paid amounted to Rs. 480. He got this house as a gift from a widow on the condition that she will be paid Rs. 40 p. m. for her maintenance.

The construction of the second house was completed on 1st May 1972. It has been let out at Rs. 1,000 per month. In 1975 it was mortgaged with a merchant for Rs. 25,000 at 9% per annum interest for financing his daughter's marriage. Deductions for the following expenses incurred in respect of this house have been claimed by him :

(*i*) Rs. 1,000 for collecting rent ;
(*ii*) Rs. 1,500 for municipal taxes ;
(*iii*) Rs. 500 for fire insurance premium
(*iv*) Rs. 2,000 for repairs ; and
(*v*) Rs. 6,750 for 3 years interest paid by him on the mortgage

Culculate the taxable income from house property of Shri Singh ɔm the particulars given above for the Assessment Year 1977-78.

rst Let out house :

				Rs.
Annual Rent received @ Rs. 500 p. m.		6,000		
Less Municipal Tax		480	5,520	
Less Deductions :				
Annual Charges			480	
			5,040	5,040
ʝecond Let out house :				
Annual Rent		12,000		
Less Municipal Tax		1,500		
		10,500		
Less Statutory Allowance		1,200	9,300	
Less **Deductions** :				
1/6th for Repairs	1,550			
Collection Charges (limited to 6 %)	558			
Insurance Premium	500		2,608	6,692
Taxable Income from House Properties				11,732

Note : Interest on money borrowed is not allowed as the funds are not utilised for acquiring, constructing, repairing, renewing or reconstructing the property.

(32) The following particulars are of the Income of Shri H. Das for the year ended 31st March 1977 :

(*a*) His salary is Rs. 15,000 per month.
(*b*) He is provided with a rent-free unfurnished house outside Calcutta for which the employer pays rent of Rs. 250 per month.
(*c*) He is provided with a free car of 14 H. P. entirely for office purpose.
(*d*) His subscription to a Recognised Provident Fund amounts to Rs. 2,000 for the year and an equal amount is contributed by his employer.
(*e*) Life Insurance Premium paid by him is Rs. 1,000 for the year.
(*f*) A sum of Rs. 1,000 is paid by his employer towards expenses for education of his children.

Compute the taxable income of Shri H: Das for the assessment year 1977-78.

		Rs.
Salary as such		18,000
Employer's contribution to Recognised Provident Fund in excess of 10% of salary		200
Valuation of rent-free unfurnished house :		
10% of Rs. 18,000	1,800	
Add Excess of Rs. 3,000 over 20% of Rs. 18,000	Nil	1,800
Education expenses of his children paid by the employer		1,000
		21,000
Less Standard Deduction		3,100
Gross Totol Income		17,900
Deductions :		
Contribution to Recognised Provident Fund	2,000	
Insurance Premium	1,000	
Qualifying Amount	3,000	
The whole amount of Rs 3,000 is deductible as it is less than Rs. 4,000.		3,000
Total Income		14,900

(33) K. P. Mitra furnishes the following particulars of his income for the year ended 31st March, 1977. You are to find out his total income for the assessment year 1977-78 :

(*i*) Salary for the year at Rs. 1,200 per month.
(*ii*) His T. A. bills amounted to Rs. 750 but he drew Rs. 1,000.
(*iii*) He drew interest on his Tax-Free Govt. Securities Rs. 1,000.
(*iv*) He let out his house at Rs. 350 per month. The local taxes amounted to Rs. 200 p. a.
(*v*) He drew Rs. 1,000 as Gross Dividend.

	Rs.
Income from Salary :	
Salary as such	14,400
Savings in T. A. bills	250
	14,650
Less Standard deductions	2,465
	12,185
Interest from Securities :	
Interest on Tax-Free Govt. Securities	1,000

Income from House Property :

Annual Rental Value		4,200	
Less Municipal Taxes		200	
	Annual Value	4,000	
Less 1/6th for Repairs		667	3,333

Income from Other Sources :

Dividend		1,000
	Gross Total Income	17,518
Deductions :		
U/s 80L in respect of dividends from Indian Companies		1,000
		16,518

(34) For the purpose of assessment of income tax Sri P Das a resident of India, submitted the following return in respect of his annual income in connection with the assessment year 1977-78 :

(*a*) Net Salary, after deduction of I. T. and contribution to recognised Provident Fund—Rs. 21,600

(*b*) Tax deducted at source—Rs. 6,000.

(*c*) Own contribution to P. F.—Rs. 4,400.

(*d*) Employer's contributions to P. F.—Rs. 4,400.

(*e*) (*i*) He was provided by his employer with a rent-free furnished quarter in Calcutta. The fair rent of the quarter was Rs. 10,800 p. a. and the cost of furnishing the same Rs. 24,000.

(*ii*) He was provided with a 15 H. P. car for which the employer paid all the running and maintenance costs. He used the car both for official and personal purposes.

(*iii*) He paid life insurance premium of Rs. 10,000 on a policy of Rs. 80,000

Compute the taxable income of Shri P. Das for the assessment year 1977-78.

		Rs.
Salary (Gross)		32,000
Provident Fund in excess of 10% of salary		1,200
(i) Value of free furnished house :		
Fair rental value	10,800	
10% of Rs. 32,000	3,200	

Excess over 30% of Rs. 32,000	1,200	
	4,400	
Add 10% of the cost of furniture	2,400	6,800
(*ii*) Valuation of the motor-car provided for his personal as well as office use		3,600
		43,600
Less Standard deduction for expenditure (Maximum allowable as he uses the company's motor car)		1,000
Gross Total Income		42,600
Deduction for provident fund contribution and Insurance Premium (Rs. 4,400 + Rs. 8,000)		
First	Rs. 4,000	
50% of Rs. 6,000	Rs. 3,000	
40% of Rs. 2,400	Rs. 960	7,960
Total Income		34,640

(35) A, a resident and ordinarily resident individual gives the following particulars of his income earned during the year ended 31st March 1977 :

		Rs.
(*i*)	Net Salary received in hand	16,000
(*ii*)	Tax deducted at source by employer	2,000
(*iii*)	Own contribution to a recognised Provident Fund—also deducted by employer	2,400
(*iv*)	Employer's contribution to Provident Fund	2,400
(*v*)	Entertainment allowance	600

Notes : (*a*) A was given throughout the year free use of a 20 H. P. car both for the purpose of employment and for private purposes.

(*b*) The entertainment allowance was given for the first time in the year ended 31st March 1962, and was continued at the same amount

Compute A's income under the head 'salaries'.

Salary as such
Employer's contribution to provident fund in excess of 10% of Salary
Entertainment allowance

Valuation of the Motor-car provided for his private use as well as for office use	4,800
	24,000
Less Standard deduction for expenditure (Minimum) allowable as he uses the company's motor-car	1,000
Gross Total Income	23,000
Deduction for provident fund contribution	2,400
Total Income	20,600

Note : No deduction is to be allowed for entertainment allowance as the assessee did not receive it regularly from his present employer from a date before 1-4-1955.

(36) Mr. X is an employee of a company at Jaipur on a monthly salary of Rs. 1,000. He also gets bonus equal to three months salary. During the year 1976-77 he received house rent allowance @ Rs. 250 p. m. Actual rent paid by him is Rs. 325 p. m. The company has also provided him free use of car for office and personal use. The value of free supply of gas, light and water by the company to X is Rs. 600. During the year he received Rs. 1,600 as tavelling allowance from the company, the actual expenses amounted to Rs. 1,200.

Compute the total income of Mr. X for the assessment year 1977-78.

Statement of Total Income of Mr. X
Assessment Year 1977-78

		Rs.
Salary	12,000	
Bonus	3,000	
House Rent Allowance	1,800	
Excess Travelling Allowance	400	17,200
Less Deductions :		
Standard deduction		1,000
Gross Total Income		16,200
Deduction Under Section 80		Nil
Total Income		16,200

Note : It is assumed that the supply of Gas, Light and Water is made from resources owned by the employer without purchasing them from an outside agency, hence there value is taken as Nil.

(37) X, Y and Z are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the year 1976 showed a net loss of Rs. 30,000 after charging the following items :

Interest on Capital : X Rs. 6,000, Y Rs. 4,500 and Z Rs. 3,000

Salary : X Rs. 1,500, Y Rs. 1,200 and Z Rs. 3,000.

Taxable income of X from other sources was Rs. 12,000 while Y and Z had no other income for the year.

Explain how assessment would be made (*a*) when the firm is registered and (*b*) when it is unregistered.

(a) **If the firm is Registered :**

			Rs.
Net Loss as per Profit and Loss Account			30,000
Less : Expenses disallowed :			
Interest on capital			
X	6,000		
Y	4,500		
Z	3,000	13,500	
Salaries :			
X	1,500		
Y	1,200		
Z	3,000	5,700	19,200
Loss of Firm			10,800

Allocation of Firm's Income amongst the partners :

	X	Y	Z
Interest on capital	6.000	4,500	3,000
Salaries	1,500	1.200	3,000
	7,500	5,700	6,000
Loss from Business	15,000	11,250	3,750
Net Loss/Profit	−7,500	−5,550	+2,250

Notes :

(*i*) A can set off the loss from firm of Rs. 7,500 against his personal income from other sources amounting to Rs. 12,000.

(*ii*) As B has no personal income he can carry forward the loss from firm for a period of 8 assessment year.

(*b*) **If the firm is unregistered :**

If the firm is unregistered only the firm can carry forward its losses and partners are not entitled to set off the losses against their personal income.

(38) Compute for the assessment year 1977-78 the income from a self-occupied house property on the basis of the following information :

	Rs.
Annual letting value of the property as determined by municipal authorities	8,000
Municipal taxes for the year	2,400
Interest on mortgage of property, the money borrowed being used for the marriage of the assessee's daughter	2,000
Urban land tax	500
Expenditure on repairs to property	1,000
The assessee's total income (other than that relating to the above property) consisted of salary Rs, 10,000, business income Rs. 5,000 and agricultural income Rs. 5,000	20,000

Computation of income from house property

		Rs.
Annual value under section 23		8,000
Less Municipal taxes		2,400
		5,600
Less Self-occupation allowance restricted to Rs. 1,800		1,800
Annual value in this case		3,800
But in this case the annual value is limited to 10% of the assessee's total income of Rs. 15,000 (salary Rs. 10,000 and business income Rs. 5,000)		1,500
Less One-sixth for repairs (actual expenditure being immaterial)	250	
Urban land tax	500	750
Income from house property		750

Note : The interest on mortgage cannot be allowed as a deduction because the money borrowed is not used for acquiring, constructing, repairing, renewing or reconstructing the property.

(39) The following is the Profit and Loss Account of Ashwin Kumar for the year ended 31st March 1977. You are required to ascertain his income from business for the year ended on that date.

	Rs.		Rs
Salaries	10,800	Gross Profit	35,672
Sundry Expenses	1,200	Discount	751
Provision for Bad Debts	3,000	Commission	1,205

Insurance	450	Sundry Receipts	52
Advertising	2,500		
Income-Tax	2,375		
Loss on sale of car	1,200		
Interest on capital	1,000		
Interest on Bank Loan	1,550		
Charity	150		
Life Insurance Premium (self)	550		
Loss of building by fire (uninsured)	1,500		
Depreciation : Building 1,000; Furniture 200	1,200		
Difference in trial balance	105		
Net Profit for the year	10,100		
	37,680		37,680

The motor car was used equally for business purposes and the proprietor's private purposes.

The amount of depreciation allowable in respect of building and furniture was Rs 800 and Rs. 150 respectively.

Included in advertising expenses is Rs. 1,000 expended on a special advertising campaign undertaken during the year in respect of a product of a company placed recently in the market.

Salaries include Rs. 6,000 being the amount drawn by Ashwin Kumar during the year against profits. *(C. A. Inter, May 1975)*

Income from business for the year ended 31st March 1977
(Assessment Year 1977-78)

		Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		10,100
Add Inadmissible items :		
Proprietor's drawings included in salaries	6,000	
Provision for Bad Debts	3,000	
Income-Tax	2,375	
One- half of loss on sale of car	600	
Interest on capital	1,000	
Charity	150	
Life Insurance premium	550	
Depreciation considered separately	1,200	
Difference in trial balance	105	14,980
		25,080
Less Depreciation allowable according to law Rs. 800+Rs. 150		950
Income from business		24,130